राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 15

शुक्रवार,

16 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

पंचायत समिति छबड़ा की ग्राम पंचायत मूंडला के विकास कार्यों में अनियमितताएं

397. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति छबड़ा की ग्राम पंचायत मूंडला के वर्तमान सरपंच द्वारा किस-किस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ?

(2) क्या उक्त कार्यों के निर्माण में अनियमितता एवं फर्जी भुगतान की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो यह शिकायत किस-किस निर्माण कार्य के लिए की गई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : (1) ग्राम पंचायत मूंडला, पंचायत समिति छबड़ा के वर्तमान सरपंच द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 12 कार्य करवाये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट—"अ" में अंकित है।

(2) तीन कार्यों के सन्दर्भ में अनियमितता अपनाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने बाबत शिकायतें प्राप्त हुई हैं यथा :—

(1) सम्पर्क सड़क ग्रेवल, फूल बड़ौदा
(2) सामुदायिक विकास भवन, हलगना एवं
(3) सार्वजनिक कूप एवं खेल, हलगना।

उक्त तीनों निर्माण कार्यों का जिला परिषद, बारां द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है जिसके आधार पर जिला कलेक्टर, बारां ने आदेश क्रमांक 16–18 दिनांक 24-3-99 के अन्तर्गत अधिशासी अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां को उक्त निर्माण कार्यों की तीस दिवस में विस्तृत जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और उसी क्षेत्र की पंचायत समिति में कांग्रेस की सदस्या जानकी बाई ने दिनांक 5.1.97 को यह शिकायत की है। अध्यक्ष महोदय, मूंडला पंचायत नई बनी है, हलगना पूर्व में पंचायत मुख्यालय है, हलगना में पूर्व में पंचायत थी, वहां पर इसलिए पंचायत मुख्यालय भी बना हुआ था, उसका पक्का

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कंस्ट्रक्शन हुआ था। वर्तमान सरपंच ने मूंडला पंचायत के नाम से हलगना में सामुदायिक विकास भवन बनाने के लिए परमीशन ली। उसी पंचायत को जो पूर्व में वहां पर बनी हुई थी, उसकी एक मंजिल तोड़ दी, उसका प्लास्टर तोड़ दिया और प्लास्टर तोड़कर उसी को सामुदायिक भवन बनाकर उसका पेमेंट उठा लिया। इसी प्रकार वहां एक खेल और कुआ बना हुआ था, उसको भी प्लास्टर करवा कर, उसको ठीक करवा कर उनका पेमेंट उठा लिया। इसी प्रकार फूल बड़ौदा से मूंडला पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली एक सड़क थी, उस पर भी ग्रेवल सड़क के नाम से पैसा उठाकर वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और वहां की कांग्रेस सदस्या हैं आपकी ही पार्टी की, उन्होंने शिकायत की है 1997 में, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि 1997 से अब तक उनकी शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं करवाई गई?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, एक क्या तीन प्रश्न पूछ लिए आपने। मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारा राज था हमने गलती की, आप तो ठीक करो उसको। अब आप जांच करवाइए कि उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक और पूछ रहा हूं। सम्भागीय आयुक्त ने इस शिकायत के बारे में दिनांक 25.7.97 को जिला परिषद् बारां के सी. ई. ओ. को एक लैटर लिखा, जिसमें उन्हें जांच कर तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है तो जिला परिषद बारां के सी.ई.ओ....

श्री अध्यक्ष : आप इसको प्रश्न के रूप में पूछिये, भाषण मत दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट पूछ लूं, साहब। सी.ई.ओ. जिला परिषद बारां ने सम्भागीय आयुक्त के पत्र पर क्या कार्यवाही की, उसकी भी जांच रिपोर्ट को बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बस, इतनी-सी बात पूछते आप।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें तथ्य यह है कि इसमें जांच में डिले हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। अब चूंकि दुबारा जांच तीस दिन में करने के आदेश दे दिए गये हैं कलक्टर द्वारा, इसलिए तीस दिन की अवधि का इन्तजार करने के बाद आपने जो गड़बड़ी बताई है उसकी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त कार्यवाही करने में एक दिन का समय भी नहीं लगाया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मूंडला के सरपंच का नाम क्या मतदाता सूची से हटा दिया गया 1997 में, माननीय अदालत ने?

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब है, आपने पूछा है, नाम हटाया या नहीं हटाया? असम्बद्ध बात मत पूछिए आप। असम्बद्ध पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप मंत्री रहे हैं, आपको इतना पता नहीं है कि आप किस बारे में प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : दूसरा मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या मूंडला पंचायत में जो पहले हलगना गांव था वहां पर पहले से पंचायत भवन बना हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी प्रश्नकर्ता ने पूछ लिया।

श्री मदन दिलावर : यह नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल पूछा है।

श्री मदन दिलावर : क्या आपने वहां सामुदायिक भवन की भी स्वीकृति जारी की है ?

श्री अध्यक्ष : हलगना का उन्होंने अलग से पूछा है।

श्री मदन दिलावर : यदि हां तो क्या दोनों भवन मौजूद है ? इसका जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि दिनांक 25.7.97 को सम्भागीय आयुक्त ने जांच का आदेश दिया। दिनांक 25.7.97 से आज का समय, बहुत लम्बे दो साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया। सी.ई.ओ. को बराबर पत्र लिखते रहे, सी.ई.ओ. के पास भी शिकायतें एक-दो बार नहीं दिनांक 1.5.97 को गई, 11.12.97 को, और फिर 11.7.98 को गई, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जांच में विलम्ब के जो कारक रहे, उन अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध भी क्या आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र का ये हवाला दे रहे हैं उस पत्र का मेरे पास जिक्र नहीं है। इसमें दिनांक 23.10.98 को अपर सचिव (जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान को यह पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने यह जांच का आदेश दिया। 1997 के जिस पत्र का ये जिक्र कर रहे है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। दिनांक 23.10.98 का आदेश जिसकी जांच करने के आदेश दिये हैं, वह आदेश दिनांक 26.2.99 को गया इसलिए मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि दि. 23.10.98 को जब अपर सचिव ने जांच के लिए लिख दिया तो दिनांक 26.2.99 तक ढिले करने की आवश्यकता नहीं थी। यह मैंने पहले ही मान लिया है। आपकी सरकार ने 1998 में काम नहीं किया तो इसका मुझे प्रश्न पूछ कर क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने काम नहीं किया इसलिए आपको कह रहे हैं, आप कर दो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैंने कहा कि एक भी दिन का समय नहीं लेंगे। जिस दिन तीस दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके 24 घण्टे में कार्यवाही कर दूंगा। कब मना कर रहा हूं मैं इस बात के लिए ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस अधिकारी के कारण विलम्ब रहा उस पर भी कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या, चाहे किसी कारण से रहा हो, किसी की सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही हो ? विलम्ब हुआ है, आपने खुद ने माना है कि जांच में विलम्ब हुआ है ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैंने इस बात को स्वीकार किया है तभी मैंने कहा है कि कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद सोचूंगा । अभी मैं क्या कमैंट कर दूं इस बात पर, जब तक वह रिपोर्ट नहीं आए ? किस आधार पर इसमें डिले हुआ हैं, कौन रैस्पोंसिबल हैं, उस रिपोर्ट के पार्ट के आधार पर होगी तभी मैं इस बारे में कमैंट करूंगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विलम्ब की बात आप स्वीकार कर रहे हैं । मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि विलम्ब की बात तो आपने स्वयं ने स्वीकार कर ली कि अनावश्यक विलम्ब हुआ हैं । इस तरह की शिकायतों पर अनावश्यक विलम्ब हो, उन लोगों के विरुद्ध भी, आपकी तो उत्तरदायी सरकार है, कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं, इतना-सा बता दीजिए ।

श्री सी. पी. जोशी : सरकार मंशा रखती हैं, तभी इस बात का कमिट कर रही है कि इसमें डिले हुआ है । इससे ज्यादा आप हमारा क्या इन्टैंशन चाहते है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन । श्री अमराराम ।

विधान सभा क्षेत्र धोद के पशु चिकित्सालय

398. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला सीकर के ग्राम रसीदपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम दूजोद से पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार अब इस ग्राम में उक्त केन्द्र पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार ग्राम मण्डेता,बानूडा, मोरडूंगा, शाहपुरा में भी सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या ग्राम धोद, विधान सभा क्षेत्र एवं पंचायत समिति मुख्यालय होने के बाद भी इसमें पशु चिकित्सालय नहीं है ? क्या सरकार उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन (श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : (1) जी, नहीं । ग्राम रसीदपुरा से पांच किलोमीटर की दूरी पर पशु चिकित्सालय खूड़ी कार्यरत है, जो रसीदपुरा के पशुपालकों को भी पशु चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाता है ।

(2) ग्राम दूजोद में जल ग्रहण योजना का उप केन्द्र कार्यरत होने के कारण ग्राम आधार योजना का उप केन्द्र शासन की स्वीकृति उपरान्त ग्राम कंवरपुरा में स्थानान्तरित किया गया था । जिला पशुपालन अधिकारी ने ग्राम दूजोद में उप केन्द्र पुनः स्थापित करने की मांग से राज्य-

(श्री हरिसिंह)

सरकार को अवगत कराया है, जो विचाराधीन है।

(3) ग्राम बानूडा में उप केन्द्र कार्यशील है एवं ग्राम माण्डेता, मोरडूंगा तथा शाहपुरा में निकटतम पशु चिकित्सा संस्थाओं से पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(4) ग्राम धोद में पशु चिकित्सालय नहीं है, परन्तु यहां पशु चिकित्सा सुविधा हेतु उप केन्द्र कार्यरत है। चूंकि यहां उप केन्द्र कार्यरत है; अतः वर्तमान में पशु चिकित्सालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, भाग एक में जो ग्राम रसीदपुरा है, क्या मंत्रीजी को यह ध्यान है कि सीकर जिले के 998 गांवों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला गांव है ? आपके विभाग द्वारा आयोजित पशु दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में उस गांव के सूरजाराम ने अपनी गाय से 38 किलो दूध का उत्पादन कर दिखाया था। दो दफा आपने प्रतियोगिता की जो इस गांव के किसानों ने जीती है खूड़ी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का चिकित्सालय कौनसी चिकित्सा सुविधा इस गांव को उपलब्ध करवा रहा है ? ऐसा गांव जो जिले में दूध का रिकार्ड उत्पादन करता हो, जहां उन्नत नस्ल की सबसे अधिक गाएं हों, उस गांव में पशु चिकित्सालय नहीं खोल कर क्या उनको हतोत्साहित करने का काम राज्य सरकार नहीं कर रही है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ग्राम दूजोद में 5 हजार से अधिक पशु हैं और उसका स्वास्थ्य उप केन्द्र ही जलग्रहण योजना का था। आपने कहा है कि यह विचाराधीन है, तो मंत्रीजी यह बताएं कि यह आपके आदेश से कब वापस कार्यरत कर दिया जाएगा ?

तीसरा, धोद पंचायत समिति मुख्यालय और विधान सभा क्षेत्र भी है जिसमें आपने बताया कि स्वास्थ्य उप केन्द्र है, लेकिन आज के दिन केवल आपकी बिल्डिंग है, न तो वहां स्वास्थ्य केन्द्र है, न कोई स्वास्थ्य कर्मचारी आज की तारीख में वहां नियुक्त है जो सेवा दे रहा हो। क्या पूरी पंचायत समिति का केन्द्र, पंचायत समिति धोद....

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : पहले मुख्यालय तो करा लेना पंचायत राज मंत्री जी से।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्यालय के लिए तो कह ही रहे हैं मंत्रीजी, लेकिन अब तो पशु चिकित्सालय हो रहा है। क्या आपके ये नॉर्म्स नहीं हैं कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर पशु चिकित्सालय हो ? तो फिर इस पंचायत समिति धोद को क्यों पशु चिकित्सालय से महरूम रखा जा रहा है, यह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से बिलकुल सहमत हूं कि राजस्थान में जितने पशु चिकित्सालय खुलने चाहिए थे वे गत सरकार ने खोले नहीं। पिछले कई वर्षों से एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया इस कारण से बहुत

(श्री हरिसिंह)

अभाव है पशु चिकित्सालयों का। अब माननीय वित्त मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने 100 नये चिकित्सालय और 400 उप केन्द्र खोलने के लिए बजट रखा है, उसको स्वीकृत होने के बाद कहां-कहां हमें पशु चिकित्सालय खोलने है इस पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में ग्राम रसीदपुरा है इसमें....

श्री राजेन्द्र पारीक : 20 खोले थे पिछली बार।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा खोले थे। तब तो बहुत खोले थे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : 20 खोले तो 30 जीत गए, और क्या लेते हो ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, 20 का तो इनमें ही बंटवारा नहीं हो सका।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कई साल तक बिलकुल नहीं खोले थे। एक साल में 20 खोले हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ये सही कह रहे हैं रामनारायण जी, मंत्री तो 36 थे और 20 चिकित्सालय खोले, मंत्री के हिस्से में ही एक नहीं आया।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अब 153 खोल देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अब मेरा उत्तर सुन लीजिए। आज कोई कमिटमैंट होने वाली बात नहीं है। ग्राम रसीदपुरा से 5 किलोमीटर दूरी पर पशु चिकित्सालय खूड़ी में है। ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें जो आप पशु संख्या बता रहे है उससे ज्यादा पशु संख्या है और 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पशु चिकित्सालय है। इन सब बातों पर विचार करके इस पर भी विचार किया जायेगा।

आपका दूसरा प्रश्न दूजोद में सब सेंटर खोलने के लिए हैं। वहां के जिला पशु पालन अधिकारी ने ग्राम दूजोद में उप केंद्र पुनः स्थापित करने की राज्य सरकार को सिफारिश की हैं और जैसा मैंने उत्तर में कहा, यह विचाराधीन है। मैं परिस्थितियों के हिसाब से, मांग के हिसाब से इस पर विचार करूंगा, यह आपको मैं कह सकता हूं।

जहां तक धोद में पशु चिकित्सालय खोलने का आपका प्रश्न है, धोद पंचायत समिति का हैडक्वार्टर सीकर में है और सीकर में हमारा पोली क्लीनिक खोला हुआ है। इसलिए आपका यह कहना कि हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय नहीं है मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। धोद का जो आपका हैडक्वार्टर है, उसका सीकर में है। मैं आपको और बताऊं, आपके साथ ही ऐसी बात नहीं है, मेरी पंचायत समिति सेवर है, वहां पर भी हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय नहीं है। ये गत सरकार के कारनामे हैं उन्हें हमको भुगतना पड़ रहा है। आगे चलकर जहां कहीं खोल सकेंगे वहां खोले जाएंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। जो

(श्री अमराराम)

नवीन औषधालय आप खोलेंगे, आप कह रहे हैं मुख्यालय तो सीकर में है, लेकिन सीकर तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। मुख्यालय का मेरा मतलब है जो पंचायत समिति के सेंटर में पड़ता है, जहां बहुत से गांवों को सुविधा हो। तो क्या मंत्रीजी नवीन चिकित्सालय खोलने में जो पंचायत हैडक्वार्टर है, जो नाम हैं उन गांवों में खोलने में प्राथमिकता देंगे।

दूसरा, जो नयी नस्ल के, हाई ब्रिड नस्ल के जिले में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले गांव हैं ऐसे गांवों को क्या प्राथमिकता देंगे? जो कंवरपुरा का मामला विचाराधीन है इसका निर्णय आप कब तक कर देंगे? ये दो सवाल आपसे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, घोद पंचायत समिति का मुख्यालय सीकर है जब कि घोद पूरा का पूरा गांव है। काफी बड़ा कस्बा है, वहां पर मुख्यालय नहीं है। घोद क्षेत्र में पशुओं की आबादी को देखते हुए और पूरा क्षेत्र दूध उत्पादन में सीकर में काफी अच्छी अहमियत रखता है, इसे देखते हुए मैंने कल भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि घोद पंचायत मुख्यालय बनाया जाए। जब पंचायत समिति मुख्यालय बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने हां की है तो उस पंचायत समिति मुख्यालय पर एक अस्पताल का होना भी नितान्त आवश्यक है। तो क्या आप वहां पर, जब मंत्री महोदय ने वहां....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ने कल यह आश्वासन दिया है कि वहां पर पंचायत समिति मुख्यालय खोला जाएगा, तो क्या वहां पर पंचायत समिति मुख्यालय खोलने पर पशु चिकित्सालय खोलने की आपकी कोई योजना है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पंचायत समिति मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोले जाएं, जहां पर आवश्यकता है वहां पशु चिकित्सालय खोले जाएं, जहां पर नस्ल सुधार करना है वहां पशु चिकित्सालय खोले जाएं, जहां पशुधन संख्या अधिक है वहां पर खोले जाएं, इन सब बातों पर, अध्यक्ष महोदय, विचार करके जहां कहीं भी हम खोल सकेंगे, वहां खोलेंगे। गुण-अवगुण के आधार पर आवश्यकता के आधार पर, जन-प्रतिनिधि की मांग के आधार पर पशु चिकित्सालय, जहां खोल सकेंगे वहां खोले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। डा. किरोड़ी लाल।

थाना सलेमपुर (दौसा) व बामनवास (सवाईमाधोपुर) का अन्यत्र स्थानान्तरण

399. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पर्याप्त स्थान होने के बावजूद थाना सलेमपुर (दौसा) को मात्र 3 किलोमीटर दूर खड़ला बुजुर्ग में स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? तत्सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि सलेमपुर एवं खेड़ला बुजुर्ग दोनों ही पंचायत मुख्यालय हैं तथा दोनों ही बिजली, सड़क, पानी व शिक्षा की सुविधा से परिपूर्ण है ? यदि हां, तो फिर स्थान परिवर्तन का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि थाना सलेमपुर के भवन निर्माण हेतु सरकार तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा द्वारा स्वीकृतियां जारी की गई थीं ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कितनी राशि का हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक दृष्टि से घाटा गोहण्डी मीणा खोहरा स्टेट हाई-वे 22 पर स्थित है और वर्तमान थाना सलेमपुर के गांवों के केन्द्र में है ? यदि हां, तो क्या इस उपयुक्त स्थान पर सरकार स्थान परिवर्तन कर थाना खोलने का विचार रखती है ?

(5) क्या सलेमपुर की भांति थाना बामनवास (सवाई माधोपुर) को भी जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए पिपलाई मोड़ पर स्थानान्तरित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) वर्तमान में राज्य सरकार का इरादा उक्त थाने को स्थानान्तरण करने का नहीं है । जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा पुलिस मुख्यालय को भिजवाये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न है ।

(2) जी हां, यह सही है कि सलेमपुर एवं खेड़ला बुजुर्ग दोनों ही पंचायत मुख्यालय हैं । इन दोनों में ही बिजली, सड़क, पानी व शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं । वर्तमान में स्थान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।

(3) जी हां, थाना सलेमपुर में वर्तमान जीर्ण-शीर्ण पाटोरपोश भवन है । जिला कलक्टर, दौसा द्वारा एक बैरक व आगन्तुक विश्राम गृह के लिए कुल 2 लाख 92 हजार रुपये स्वीकृत किये गये जिनमें से लगभग 49,000/- रुपये का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है ।

(4) यह सही है कि घाटा गोहण्डी मीणा खोहरा स्टेट हाई-वे 22 पर स्थित है, पर बहुत छोटा गांव है। वहां पर थाना स्थानान्तरित किये जाने के बाबत कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(प्रस्ताव की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा है कि थाने को स्थानान्तरित करने का कोई इरादा नहीं है और एस. पी. साहब ने श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस (पुनर्गठन) को पत्र लिखा है 9.3.98 को थाना सलेमपुर को ग्राम खेड़ला बुजुर्ग में स्थानान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में । उसमें उन्होंने यह भी लिखा है, "जिला कलक्टर महोदय, दौसा के आदेश संख्या 1454–1470 दिनांक 6.3.99

(डा. किरोड़ी लाल)

द्वारा ग्राम खेड़ला बुजुर्ग तहसील महुवा स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नं. 184 में से 2 हैक्टेयर भूमि थाने के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय गृहों के निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है।" इतनी कार्यवाही....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, आप इसको बढ़ाकर न करें। लैटर ठीक है आपने उल्लेख कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल : परन्तु यह कार्यवाही तो राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मंगाया है।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लीजिए। प्रश्न पूछिए।

डा. किरोड़ी लाल : राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मगवाये गये, नीचे से भी किसी पब्लिक की कोई मांग नहीं हुई तो फिर यह प्रस्ताव क्यों भेजा गया, क्वेश्चन नम्बर एक ?

दूसरा, क्या सही है कि सलेमपुर में कांग्रेस के राज से पुलिस चौकी थी ? जब आपका राज था....(व्यवधान) जब कांग्रेस का राज था तब से सलेमपुर में पुलिस की चौकी थी और उसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि यह कानून व व्यवस्था की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है, वहां पर थाना क्रमोन्नत कर दिया गया।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि खेड़ला बुजुर्ग में इसे स्थानान्तरित करने का एस.पी. साहब ने लिखा है। क्या यह सही है कि खेड़ला बुजुर्ग, जिस जगह पर इस थाने को स्थानान्तरित करने जा रहे हैं, वह वर्तमान में सरकारी मुख्य सचेतक श्रीमान हरिसिंह जी का गांव है और उनके कारण राजनैतिक दबाव में आकर इस थाने को इस स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा है ?

चौथा, थाना सलेमपुर से खेड़ला बुजुर्ग की दूरी कितनी है ? पांचवां, जिन तीन गांवों का इस पत्र में एस. पी. साहब ने लिखा है ढण्ढ, समसपुर और शीशवाड़, क्या सही नहीं है कि उन गांवों के सीधे सम्पर्क के लिए सड़क थाना सलेमपुर के लिए बन गई है ? यदि हां, तो इसके बाद भी थाने को क्यों लाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि थाना सलेमपुर स्टेट हाई-वे 22 पर स्थित है, पंचायत का मुख्यालय वहां पर है, पीने के पानी की सुविधा वहां पर है, बिजली वहां पर है और सब-कुछ वहां पर है, पर्याप्त मात्रा में भूमि वहां पर उपलब्ध है ? वहां की पूर्ववर्ती सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भवन बनाने के लिए जारी कर रखी है उसके बाद भी वहां निर्माण कार्य क्यों नहीं चालू करवाया जा जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : एक सैकिण्ड। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ये गृह मंत्री जी है क्या ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मेरा नाम आया है इसलिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सप्लीमैंट्री क्वेश्चन का जवाब आये....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सप्लीमैंट्री मेरा है। (व्यवधान) I am going to supplement you.

डा. किरोड़ी लाल : इसमें कौनसी गलत बात है, खेड़ला बुजुर्ग आपका गांव है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : I am going to supplement you.

श्री मदन दिलावर : मंत्री जी जवाब देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : विधान सभा के सम्बन्ध में उनका जो खेड़ला ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपको बोलना पसन्द नहीं है क्या ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पहले मंत्री जी को जवाब देने दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं .. (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पहले मंत्रीजी मेरे सवालों का जवाब दें। ये मेरे क्वेश्चन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, पहले मेरे सवालों का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इजाजत आसन को देनी है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठने के लिए कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने यह परम्परा कायम कर रखी है कि मूल प्रश्नकर्ता है तो मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो 2–3 पूर्व प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर आ जाए, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने सप्लीमैंट्री के रूप में पूछे हैं उनका मूल मकसद यह है कि थाना जहां है वहीं रहना चाहिए। थाने का ट्रांसफर वहां से खेड़ला बुजुर्ग गांव में नहीं किया जाना चाहिए, लुब्बेलुबाब इनका यह है। यह बात सही है कि एस. पी. दौसा ने अपने पत्र के द्वारा कुछ कारण दर्शाएं हैं जिसके तहत खेड़ला बुजुर्ग को इन्होंने सलेमपुर से उपयुक्त स्थान माना है। लेकिन हाल-फिलहाल राज्य सरकार रिआर्गेनाइजेशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए, राज्य की विषम आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कहीं नये थानों का निर्माण करने नहीं जा रही है। इसलिए यह थाना वर्तमान में जहां पर है वहीं पर रहेगा, अभी इसको वहां से हटाने या बदलने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरिसिंह जी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने पैसे का अभाव बताया है। मैंने अपने क्वेश्चन में कहा है कि इसके लिए वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है राज्य सरकार की पहले से ही। हमारी सरकार के समय की वित्तीय स्वीकृति है आवासीय थाना बनाने की। मैंने क्वेश्चन किया था कि जब

(डा. किरोड़ी लाल)

सलेमपुर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तो उस वित्तीय स्वीकृति के आधार पर वहां काम क्यों नहीं चालू किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, अभी मूल प्रश्नकर्ता ने एक बात यह कही है कि (व्यवधान

डा. किरोड़ी लाल : मेरा जवाब दिलवाओ, साहब । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : खेड़ली बुजुर्ग चीफ व्हिप का गांव है और राजनीतिक दबाव में थाना स्थानान्तरण वहां करवाना चाह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, शायद इनकी जानकारी में यह नहीं है कि वह सलेमपुर स्टेट टाइम की पुलिस चौकी है । और इस सलेमपुर से थाना खेड़ला बुजुर्ग में स्थानान्तरण करवाने के लिए न राजनीतिक, न गैर राजनीतिक, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया । मेरी स्वयं की इच्छा, मेरी भावना प्रश्नकर्ता के साथ है कि थाने को सलेमपुर में ही रहने दिया जाए । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे को इस बात का जवाब दो । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनका बुखार उतार दिया आपने । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा बुखार आप नहीं उतार सकते हैं । ये बोल रहे हैं बुखार उतार दिया, क्या मेरे कोई बुखार चढ़ा हुआ है क्या ? इतने सीनियर सदस्य हैं और बोल रहे हैं बुखार उतार दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यह आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर में एस.पी. ने किस कारण से इसकी उपयुक्तता दर्शाते हुए पुलिस हैडक्वार्टर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एस. पी. ने कुछ भी कर दिया हो, अभी गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें ।

श्री अध्यक्ष : एस. पी. के प्रस्ताव आते रहते हैं । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हरिसिंह जी ने भी कहा, मैं भी मानता हूं तो गृह मंत्रीजी इस थाने को स्थानान्तरण नहीं करेंगे, इसका आश्वासन दे दें । गृह मंत्रीजी आश्वासन दे दें कि हम कभी भी स्थानान्तरण नहीं करेंगे । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात सुनिये, भविष्य में मैं नहीं रहा और कोई दूसरा मंत्री आ गया तो मैं क्या आश्वासन दे सकता हूं ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप तो नहीं करेंगे ना ? आप तो सरकार के नाते.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : What can I say? आपने पूछा है, कल मैं नहीं रहा, किसी ने आकर कर दिया तो मैं क्या आश्वासन दे सकता हूं ? प्रशासनिक आदेश रोज बदलते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एंटीसिपेशन में कोई आश्वासन नहीं दे सकते ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आज आपसे कहा, वर्तमान में सरकार का कोई इरादा नहीं है। जब तक मेरे पास रहेगा तब तक मैं नहीं बदलूंगा, यह कह सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना सुन्दर जवाब कोई हो ही नहीं सकता, इतना सुन्दर जवाब कोई दे नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना-सा मेरा निवेदन है कि सलेमपुर में भूमि उपलब्ध है, पैसा स्वीकृत है, तो इसका निर्माण भी जल्दी चालू करवाने के आप प्रयास करें। आप ने मंशा स्पष्ट कर दी, हमें और कुछ नहीं पूछना है। पहली बार आपने मुस्करा कर अच्छी तरह उत्तर दिया, वर्ना हमेशा बाहें चढ़ा लेते हो। आज पहली बार ऐसा उत्तर दिया।

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्री जी से निवेदन है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने भी आज बड़े मीठे भाव से पूछा है, वर्ना+++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा अभी हम कोई भवन नहीं बनवाएंगे, टोडाभीम में भी 1942 का भवन है, (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निर्माण की बात तो कह दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री जी, टोडाभीम में 1942 का भवन है जो गिरने जा रहा है, क्या वहां भी बिल्डिंग नहीं बनाओगे क्या ? 1942 का भवन है, गिरने जा रहा है, पिछली बार गिर भी गया, क्या माननीय मंत्रीजी दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे हमारे वहां ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से जो सूचना दी है मुझको, मैं जानकारी करके उसको दुरस्त कराने का प्रयास करूंगा। यह भी मैं कह रहा हूं.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वित्तीय स्वीकृति है, हम सभी गृह मंत्रीजी से पूछ रहे हैं कि क्या इसका कार्य तुरन्त चालू करवाओगे। सलेमपुर में 10 महीने हो गये स्वीकृत हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब मंत्रीजी दे चुके हैं। सैंक्शन है, 49 हजार रुपये के जो....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें मैंने निर्माण का पूछा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, 49 हजार रुपये का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है, इन्होंने अभी उत्तर देने की बात कही है। (व्यवधान)

डा.किरोड़ी लाल : यह डी.आर.डी.ए. का पैसा है, राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है, साहब, 18 महीने हो गए। (व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक): मैं थोड़ा-सा अनुरोध कर रहा हूं, क्या इजाजत है ? अध्यक्ष महोदय, यह पैसा जो मंजूर हुआ है वह थाने में आवासीय सुविधाएं बनाने के लिए मंजूर हुआ है। यह सही है कि थाने के भवन की कमी थी इसकी पूर्ति करने के लिए वहां पैसा डी.आर.डी.ए. से मंजूर हुआ हैं। उसका काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आवासीय सुविधाओं के लिए जितनी आवश्यकता जमीन की है उतनी अभी थाने पर उपलब्ध नहीं है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। थाने के पास कुछ घर जो रहने वाले हैं उनको चारागाह के बदले में जमीन देकर उसके बदले में जमीन लेकर, इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वे राजी हो गए तो थाने का भवन भी वहीं बन सकता है, ऐसा प्रयास है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस प्रश्न में गृह मंत्रीजी की जगह आप जवाब दे रहे हो क्या ? (व्यवधान) कितनी जमीन है सलेमपुर में ? ढाई हैक्टेयर जमीन है, दो हैक्टेयर में आपने प्रस्ताव भिजवाया है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मेरा और आपका गांव उसी थाने के क्षेत्राधिकार में है, आप मेरे साथ चलकर जगह तय कर लीजिए कि आवासीय भवन यहां बना दिया जाए, वहीं शुरूआत करवा देंगे।

डा.किरोड़ी लाल : जगह तय है। पहले से थाना चल रहा है वही जगह है, वहां 2 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन उपलब्ध है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार का पैसा पड़ा है 10 महीने से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती यास्मीन अबरार।

डा.किरोड़ी लाल : सरकार की वित्तीय स्वीकृति पड़ी है 10 महीने से। उसके टेण्डर हो गए तो उसका निर्माण कार्य सलेमपुर में ही चालू करवा कर दिया जाएगा, इतना तो गृह मंत्रीजी आश्वासन दें। 20 लाख की स्वीकृति है, इतना तो आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती यास्मीन अबरार।

जिला सवाईमाधोपुर के पर्यटन स्थलों का विकास

400. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने के लिए रण-थम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट के अलावा और कौन-कौन से स्थानों को विकसित करने की योजना है ?

(2) क्या सरकार चम्बल नदी, बनास नदी, मानसरोवर, झोझेश्वर, अमरेश्वर, अपलधार, कंबारजी तथा अन्य प्राकृतिक सौन्दर्य से फलीभूत स्थानों को पर्यटकों की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1 व 2) चम्बल एवं बनास नदियों और खण्डारगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का सर्वेक्षण प्रस्तावित है।

श्रीमती यास्मीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि प्रस्तावित सर्वे कब तक हो जाएगा ? इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से सवाई माधोपुर क्षेत्र में जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी उद्योग-धन्धा वहां पर नहीं लग सकता है, जिसकी वजह से सवाई माधोपुर क्षेत्र में काफी बेरोजगारी है। बेरोजगारी होने की वजह से वहां की जनता काफी गरीब है और पीड़ित है। मुझे अगर आशा की उम्मीद नजर आती है तो एक मात्र यही नजर आती है कि वहां ट्यूरिस्ट हैं। वहां पर जो पर्यटन की और जगह हैं, और पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित करने की क्या योजना है ? सरकार किस प्रकार वहां के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना रखती है जिससे वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ?

इसके साथ ही, सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो भी ट्यूरिस्ट आता है, रणथम्भौर के टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर जाने के बाद में अगर उसको टाइगर नजर आ जाता है, एक दिन में टाइगर नजर आ जाता है तो उसके बाद वह अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर रवानगी ले लेता है। अब समस्या यह होती है कि एक दिन में अगर वह वहां से चला जाता है तो वहां के जो लोग हैं, जिनका कि आमदनी का यही एक साधन है, वे लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अगर इस ओर ध्यान देती हैं और वहां पर जो बाहर से आने वाले जो ट्यूरिस्ट है वे अधिक से अधिक समय वहां पर रुकें, इसके लिए कोई प्रयास करती हैं तो उससे, मुझे ऐसा लगता है कि वहां के जो और पर्यटन स्थल हैं चम्बल के अलावा, जैसे बनास नदी, भुवनेश्वर है, मानसरोवर है, अमरेश्वर है, कंवारजी, उमलता का भी विकास हो सकता है। अन्य प्राकृतिक सौन्दर्य इतने भरे पड़े हैं जो वहां के लोगों को नजर ही नहीं आते हैं। अगर उनकी हम खोज करवा लेते हैं और उनको डवलप करवाते हैं तो उससे यह होगा कि जो भी ट्यूरिस्ट आएगा वह टाइगर देखने के बाद में वहां से जाने की नहीं सोचेगा, बाकी और पर्यटन के जो भी स्थल हैं उनको भी देखने के लिए जाएगा। उससे सवाई माधोपुर के लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। सफर भी तो वहां के लोग करते हैं क्योंकि वहां पर पर्यावरण की वजह से कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। मैं आपसे यह पुख्ता जवाब चाहूंगी कि इस ओर आपका क्या विचार है ? धन्यवाद।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि मैं यह मानती हूं कि फोरेस्ट एरिया के 20 किलोमीटर की परिधि में कोई भी बड़ी इण्डस्ट्री सवाई माधोपुर में नहीं आ सकती है। माननीय सदस्या ने जो भी बनास नदी बतायी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बांध बन जाने की वजह से बनास नदी अब सूखी पड़ी है। हमारी योजना थी कि हम वाटर क्रूजिंग वगैरह करेंगे। चम्बल में तो की जा सकती है जिसकी सम्भावनाओं को देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि बनास नदी सूखी पड़ी है, उसमें वाटर क्रूजिंग तो कुछ हो

(श्रीमती बीना काक)

नहीं सकती है। माननीय सदस्या ने और जो स्थान बताये हैं मानसरोवर, जोगेश्वर, अमरेश्वर इत्यादि-इत्यादि, ये सभी फोरेस्ट की पेरिफेरी में आते हैं और फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले 12.12.96 के तहत फोरेस्ट ऐरिया के अन्दर कामशियल एक्सप्लायटेशन नहीं किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कई पाबन्दियां लगायी गई हैं। इसलिए हम फोरेस्ट के अन्दर किसी भी तरह के पर्यटन स्थल को विकसित नहीं कर सकते हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वहां बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं उनके जरिये किस तरह से वहां के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है? वहां चूंकि बड़ी इण्डस्ट्री नहीं आ सकती है, अतः कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट से गुजारिश कर सकते हैं कि वह छोटे उद्योगों को वहां पर बढ़ावा देने के लिए हमारे लोगों की जितनी भी मदद कर सके; उनकी मदद करें। क्राफ्ट बाजार या शिल्पग्राम वहां पर विकसित किया जा सकता है, जिसके ऊपर माननीय सदस्या का सुझाव है। उस पर हम लोग एक योजना बना सकते हैं जिसमें रोटेशन से वहां क्राफ्ट पर्संन्स आएं। वाइल्ड लाइफ से सम्बन्धित सेवेनियर्स वगैरह बनाकर वे उन्हें बेच सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त वाईल्ड लाइफ सैंक्चुरी से मिलने वाले लाभ और जो रोजगार सम्बन्धी पोसिबिलीटीज हैं वे सैंक्चुरेट हो चुकी है चाहे वह गाइड्स लगाने वाली बात है या टैंकर और जिप्सीज के जरिये ड्राइवर्स को सैंक्चुरी में भेजने की बात है। लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं कि आप वहां के लोगों में मोटिवेशन पैदा करें। माननीय सदस्या, ट्यूरिस्ट होटल्स में लोग फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबल्स की सप्लाई कर सकते हैं, फ्लोरीकल्चर वहां पर डवलप किया जा सकता है, हार्बिकल्चर जो आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है उसे विकसित किया जा सकता है। ट्यूरिस्ट्स के लिए अलग-अलग वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी क्राफ्ट्स को विकसित करके हम भी उन्हें खरीद सकते हैं और ये चीजें छोटी-छोटी दुकानें लगाकर भी बेची जा सकती हैं। इस तरह रोजगार मुहैया कराने में कई आयाम हैं, आप अगर कोई स्पेसिफिक सुझाव देंगी तो उसकी हम जरूर जानकारी करवा लेंगे।

श्रीमती यास्मीन अबरार : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो फोरेस्ट आफिसर्स हैं उन्होंने इसको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। आप ऐसे निर्देश जारी करें कि वे उसका प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना कर इसको सरकारी ही रहने दें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फोरेस्ट मंत्रीजी का मामला है, वे ही डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं दखलंदाजी फोरेस्ट महकमे में नहीं कर सकती।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट का जो ट्यूरिस्ट एरिया है उसका एक ही मुख्य द्वार है, महल के मार्फत पर्यटक अन्दर जाते हैं और पर्यटन का अपना आनन्द लेते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस एक रास्ते से जाने से पर्यटकों

(श्री अशोक)

का इतना दबाव रहता है कि जंगली जानवर वहां के काफी परेशान हैं। इसका एक रास्ता मेरी कांस्टीट्युएंसी से होकर खंडार किले के नीचे से गुजरता है जिसको गिलाई-सागर इलाका कहते है। अगर माननीय मंत्री महोदया इस ओर ध्यान देकर खण्डार के रास्ते को खुलवाते हैं तो पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और हमारे रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट को भी इस दृष्टि से लाभ मिलेगा।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर दुर्ग से सैंक्चुरी से दिल्ली गेट की पहुंच के मार्ग के विकास की योजना पैंण्डिग है। खण्डार दुर्ग का सर्वेक्षण चल रहा है और उसके विकास हेतु सर्वेक्षण जारी है जिसकी रिपोर्ट मैं आते ही आपको दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमराराम चौधरी।

ग्राम पारलू (बाड़मेर) के मृतक आश्रितों की नियुक्ति

401. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार/विभाग के पास ग्राम पारलू तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर के कितने मृतक आश्रितों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ? सरकार उन्हें अब कब तक रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : शिक्षा विभाग में ग्राम पारलू, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कनाना (बाड़मेर) का मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित नियुक्ति प्रकरण विचाराधीन है। अनुकम्पात्मक नियम, 1996 के परिप्रेक्ष्य में विलम्ब से आवेदन करने के कारण कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलता प्रदान किये जाने के निर्णय उपरान्त रोजगार दिये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विलम्ब से प्राप्त प्रार्थना पत्र को उचित मानकर यह कार्मिक विभाग को भेजा और अनुकम्पात्मक नियम, 1996 में शिथिलता के लिए आपने सिफारिश की है। यह प्रश्न मानवता से जुड़ा हुआ है। किसी भी मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देना एक मानवीय दृष्टिकोण है और सरकार हमेशा यह दे रही है। लेकिन एक समय जो आपने बांध दिया था 45 दिन का, उसमें आपके शिक्षा विभाग ने उचित मान लिया है और प्रार्थना पत्र कार्मिक विभाग को भेजा है। माननीय मंत्रीजी, आप कार्मिक विभाग के भी मंत्री हैं, क्या इन नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखते हैं ? यह शिथिलता का पर्टीकुलर केस है, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में कोई विशेष कारण होते हैं जब ही देरी होती है, इसमें क्या आप शिथिलता प्रदान करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्मचारी रणजीत सिंह जी का 6.2.94 को स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद 15.10.98 को जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर को इसने एप्लीकेशन दी, उस समय यह 22 साल का था। 16 साल की उम्र का जो व्यक्ति हो जाता है वह सरकारी सेवाओं के लिए अनुकम्पात्मक नियमों के अन्तर्गत एलिजिबल हो जाता है। उसने होशियारी जरूर की है कि उस समय वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनता। उसने चार साल बाद 1998 में एप्लीकेशन दी। अभी माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने नियम बनाये हैं, 1996 में आप जिस पार्टी की सरकार में थे उसने ये नियम बनाये थे। 45 दिन का नियम बनाकर आपने ही उस पर रोक लगायी थी और आपकी सरकार के वक्त में अनेक लोग जिन्होंने 45 दिन के बाद एप्लाई किया था, उसकी अर्जियां रिजेक्ट की गयी। ऐसी स्थिति में मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 22.10.98 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में यह प्रार्थना-पत्र भूपेन्द्र जी का पहुंचा और 15.2.99 को शपथ-पत्र पेश करने हेतु निदेशालय ने लिखा है। उसके बाद 3.3.99 को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाड़मेर को इसने, मतलब भूपेन्द्र ने अपना शपथ-पत्र पेश किया। 6.4.99 को कार्मिक विभाग को इसमें शिथिलन हेतु भेजा गया है। कार्मिक विभाग ने 15.4.99 को शिक्षा विभाग की टिप्पणी हेतु इसे वापस प्रस्तुत किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि पूरे राज्य के मामलों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जिन लोगों ने 45 दिन की अवधि के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं पूर्व की सरकार के वक्त में, वर्तमान में उन प्रार्थना पत्रों को रिजेक्ट किया हुआ है, ऐसी स्थिति में गुणावगुण के आधार पर इसका निर्णय किया जाएगा।

डा. करण सिंह यादव(बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष जी, सैंकड़ों मामले राजस्थान में लम्बित हैं और 1996 के रूल्स मोडिफाई किये गये, उसमें मृतक आश्रितों को सरकार में नौकरी पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। पहले विभागाध्यक्ष स्वयं इस बात के लिए अधिकृत होते थे, मैं एस.एम.एस. में अधीक्षक था, मेरे अस्पताल में किसी कर्मचारी की या किसी फोर्थ श्रेणी की डैथ होती, उसके बच्चे को मैं एक-दो महीने में नौकरी देने में सक्षम था। 1996 में रूल्स बनने के बाद आवेदन यहां लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग से लीजिये, कार्मिक विभाग से लीजिये, फाइनेंस विभाग से लीजिए और उसका नतीजा है कि राजस्थान में आपके पास में लगभग 500 एप्लीकेशन्स मृतक आश्रितों की होंगी। 45 दिन वाले नियमों का, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं गांवों में, उन्हें मालूम नहीं है। उनके बच्चे छोटे हैं, समय पर उनको गाइडेंस नहीं होती। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार और उस विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि जिस संस्थान में कर्मचारी की मृत्यु हो उसका विभागाध्यक्ष उस परिवार के बेटे को बुलाकर यह कहे कि बेटा, यह फार्म भरिये, तुमको यह नौकरी मिलेगी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि 1996 का कानून जिससे कि मृतक के

(डा. करण सिंह यादव)

आश्रितों को बहुत नुकसान हो रहा है, उसको आप क्या रिव्यू करवाएंगे ? रिव्यू करवाकर राजस्थान में आज तक जो पैंडिंग एप्लीकेशन्स हैं, आने वाले दो माह, तीन माह, चार माह में इस विषय का निस्तारण करेंगे, इस मामले में मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में 994 प्रकरण प्राप्त हुए हैं राज्य भर से, उनमें से 399 को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है, 486 प्रकरण विचाराधीन हैं और 109 मामले निरस्त किये गये हैं। पिछले ही दिनों में कैबिनेट सब कमेटी ने यह 45 दिनों की अवधि है इसको बढ़ाकर तीन महीने करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस पर्टीकुलर केस में आप स्वयं ने ही विभाग ने शिथिलता प्रदान करने के लिए लिखा है, इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मानवीय दृष्टिकोण से इस केस को कंसीडर करके इसको नियुक्ति दिलाएं। इसकी मां वृद्ध है, काम कर नहीं सकती, स्थिति बड़ी खराब है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि मैरिट के आधार पर इसको डिसाइड करेंगे।

श्री सांवरलाल : इसमें मैरिट क्या होगी, मंत्री महोदय, यह भी जरा स्पष्ट कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : और भी बहुत से मामले हैं।

श्री सांवरलाल : नहीं, और मामलों को आप निपटाएंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरे प्रकरणों में देखने पर गुणावगुण के आधार पर। आप स्वयं मंत्री थे, आपने ये नियम बनाये। 45 दिन का नियम आपने बनाया है, आप दोषी हैं इसके।

श्री सांवरलाल : मेरे पास यह महकमा नहीं था जो आप सम्भाल रहे हैं। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इसमें मैरिट क्या होगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने मंत्री होते हुए भी इसका विरोध नहीं किया, अब आप उसका ..

श्री सांवरलाल : इसमें एक ही मैरिट है कि वह मृतक का आश्रित है, उसके बाद में आप क्या कहना चाहते हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने तो 45 दिन की जगह 90 दिन कर दिये।

श्री सांवरलाल : आप दूसरे मामले भी निपटाएं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है पर इसमें मैरिट क्या होगी ? मृतक के आश्रित को नौकरी देने का सवाल है, इसमें कौनसी मैरिट आप देखोगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैंने मैरिट का नाम इसलिए लिया है कि ऐसे अनेक केस आप रिजेक्ट कर चुके हैं, क्या राज्य सरकार उनको भी फिर ओपन करेगी।

श्री सांवरलाल : हम रिजेक्ट कर चुके हैं, आप खोल सकते हैं वापस, उनको दे सकते हैं, यह तो सामूहिक विचार करने की बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसीलिए गुणावगुण के आधार पर सारा मामला देखा जाएगा।

श्री सांवरलाल : अब किसने क्या कर दिया, आप क्या करना चाहते हो ? यह मंशा बताओ कि हम यह कर रहे हैं। जिसके परिवार का मुखिया मर जाता है, अगर उनको रिजेक्ट किया तो हम भी मानते हैं कि वह गलत किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने तो पूरे राज्य कर्मचारियों को इतना रौंदा है कि उसकी कोई इंतिहा नहीं है। सब नियमों को बनाने वाले आप हैं, दोषी आप हैं।

श्री सांवरलाल : अब राज्य कर्मचारियों का किसने किया है, किसने नहीं किया है, वह तो मालूम चल रहा है। राज्य कर्मचारियों को भी अब मालूम पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....कारपोरेशन में पेंशन बंद कर दी है। राज्य कर्मचारियों को आप कुचले हैं या हम लोगों ने कुचला है ? आश्रितों के लिए आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां बदल रहे हो तो आश्रितों की भी नीति क्यों नहीं बदलते ? आप हमारी सरकार का बार-बार नाम लेकर क्यों कहते हैं ? कारपोरेशन की पेंशन बंद की है, वह राज्य कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने का जो प्रावधान है, उसी तर्ज पर जो वार में मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गये, उनको भी नियुक्ति देने में प्राथमिकता देने का प्रावधान है ? 1972 में जो भारत-पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए, झुन्झुनू जिले में, सीकर जिले में ऐसे काफी लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके यहां पर आवेदन कर रखा है लेकिन इन नियमों का पालन नहीं होता है। उन्होंने एप्लीकेशन्स आपको दी हुई है। अभी हाल ही में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने भी एक केस आपको फारवर्ड करके दिया है। तो मैं अध्यक्ष महोदय के जरिए आप से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग युद्ध में चाहे वह श्रीलंका में जब भारत की फौज गई थी वहां शहीद हुए हों, चाहे भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए हों, उनके परिजनों को भी आप प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का इरादा रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो आखिर इन नियमों में परिवर्तन क्यों हो गया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अलग से प्रश्न है लेकिन चूंकि स्पेसिफिक केस आपने मुझे बताया है, इसको भी मैं अलग से दिखवा लूंगा।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 45 दिन की बजाय तीन महीने करने का जो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है इसके लिए तो पूरे सदन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। पर मैं इतना आश्वासन और चाहता हूं कि जिस विभाग

(श्री कालूलाल खोईवाल)

में कर्मचारी कार्यरत है। वहां उसकी मृत्यु हो जाती है तो विभागीय अधिकारियों पर भी कोई जिम्मेदारी आप डालना चाह रहे हो?

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राज्य कर्मचारी जिस विभाग में काम करते हैं उसके अधिकारी उनके प्रति संवेदनशील रहते हैं और उनकी एप्लीकेशन्स वगैरह करवा देते हैं। लेकिन जो ज्यादा होशियारी करते हैं जैसे इस पर्टीकुलर केस में यह व्यक्ति चार साल पहले एप्लाई करता तो फोर्थ क्लास कर्मचारी बनता। हलफनामे में लिखा है कि मैं मैट्रिक कर रहा था इसलिए मैंने चार साल इंतजार किया। मैट्रिक करने के बाद उसने एप्लाई किया ताकि वह एक अच्छी, एल. डी. सी. की नौकरी प्राप्त कर सके। इसलिए मालूम होते हुए भी जानबूझ कर इसमें डिले हुई है, तभी तो मैंने कहा है कि इसमें मैं गुणावगुण के आधार पर फैसला करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, हरजीराम बुरडक।

राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस हेतु सर्वे

402. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तेल व प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए खनन कार्य चालू है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से तथा कितनी-कितनी गहराई तक खनन किया गया? जिसमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त हुई?

(2) राज्य में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी गहराई तक कितने छिद्र किये जाएंगे जिसमें क्या-क्या पता लगाया जाएगा?

(3) विगत वर्षों में कहां-कहां पर खनन कार्य किया गया जिसका क्या-क्या परिणाम रहा?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा): (1) राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन चालू है, तेल का खनन चालू नहीं हुआ है। वर्तमान में आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जिला जैसलमेर के तनोट, डोंडेवाला तथा बागी टिब्बा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का दोहन (खनन) वर्ष 1996 से 900 मीटर से 1900 मीटर की गहराई में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भी वर्ष 1996 से मनहेरा टीबा जिला जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 300 मीटर से 350 मीटर की गहराई में किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भण्डार मिले हैं।

(2) राज्य में बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी के निकट तीन स्थानों को तथा गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के पास दो स्थानों को छिद्रण हेतु चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में 2000 मीटर से 2500 मीटर गहराई तक छिद्रण कार्य किये जाने की सम्भावना है। मै. शैल इन्टर नेशनल डवलपमैंट एवं ओ.एन जी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से गुढ़ा "ए" क्षेत्र में छिद्रण कार्य 2000 मीटर गहराई तक किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ओ.एन.जी.सी. द्वारा

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

भी लोंगेवाला तथा मनहेरा टीबा पश्चिम में छिद्रण कार्य किया जायेगा जिसमें प्राकृतिक गैस, तेल एवं भारी तेल की खोज की जाएगी।

(3) विगत वर्षों में प्राकृतिक गैस दोहन हेतु खनन कार्य जैसलमेर जिले के तनोट, डोंडेवाला, बागी टिब्बा एवं मनहेरा टीबा क्षेत्रों में ही किया गया हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर पाइप लाइन द्वारा रामगढ़ विद्युतघर को भेजा जा रहा है तथा लगभग 35 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के भाग (3) में जो तीन स्थानों में प्राकृतिक गैस का दोहन करना बताया है, क्या इनके अलावा दूसरे स्थान भी हैं जिनमें आप गैस का दोहन प्रारम्भ कर सकते हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ?

दूसरा मेरा सवाल यह था कि जिन जिलों का जिक्र आपने इस प्रश्न में किया है उनके अलावा कौन-कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें प्राकृतिक गैस और तेल मिलने की सम्भावना है ? मेरी जानकारी के अनुसार नागौर और बीकानेर में भी यह भण्डार है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप बताएं।

तीसरा मेरा सवाल यह था कि क्या इस कार्य में राज्य सरकार की भी कोई भूमिका है ? यदि है, तो पूर्व सरकार ने अपनी भूमिका कहां तक निभाई है, इस बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीन स्थान जहां गैस मिल रही है इनके अलावा, तीन बेसिन हैं। नागौर और बीकानेर बेसिन अलग हैं। बीकानेर बेसिन में पूरा क्षेत्र आता है रायसिंह नगर का, रायसिंह नगर के पास में तीन कुए खोदे गये हैं और उसमें एक में तेल मिलना पाया गया है। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन भूमि अवाप्ति करनी है और उसके लिए एन.ओ.सी. लेनी है। वहां भी शुरू हो जाएगा अक्टूबर में।

श्री हरजीराम बुरडक : दो का उत्तर तो दिया ही नहीं आपने, मैंने तीन सवाल पूछे हैं। पहला मैंने यह पूछा था कि तीन स्थानों पर जो आप गैस का दोहन कर रहे है उसके अलावा भी कोई स्थान ऐसे हैं जिससे आप गैस निकाल सकते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि हमने जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर के 24 हजार किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में पी. एल. लाइसेंस 12 दे रखे हैं। उसके अन्तर्गत कार्य चालू है सम्भावना पूरी है क्योंकि बाम्बे हाई, गुजरात, सांचोर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाकिस्तान इसका सारा बेसिन टैक्नीकली एक-सा है। जब बाम्बे में मिल सकता है, गुजरात में मिल सकता है, पाकिस्तान इसमें आत्मनिर्भर है तो फिर हम यह नहीं कह सकते कि यहां तेल और गैस नहीं है। भारी मात्रा में तेल के भण्डार हैं और हमने बारह प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दे रखे हैं, एम.एल. दे रखी है। प्रत्येक जिले में हमारा काम चल रहा है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि तीन स्थानों से आप गैस के दोहन का कार्य कर रहे हैं। सर्वे का नहीं पूछा, सर्वे का तो अलग उत्तर था वह आपने दे दिया। तीन स्थानों से आप गैस अभी निकाल रहे हैं और रामगढ़ गैस आधारित बिजली घर को आप दे रहे हैं। मैंने यह पूछा था कि इनके अलावा भी कोई स्थान आपने चिन्हित किये हैं जिसमें आप गैस का उत्पादन शुरू कर सकते हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ? तीसरा सवाल मेरा यह था कि राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है और राज्य सरकार की यदि कोई भूमिका है तो पूर्व सरकार ने अपनी भूमिका कहां तक निभाई। सीधा-सा सवाल है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इसमें पूर्ण भूमिका है। इस सारे काम के लिए एक पैट्रोलियम सैल बनाया गया है जिसमें पहले डाइरेक्टर, पैट्रोलियम था। डाइरेक्टर, पैट्रोलियम का पद इस 31 मार्च के बाद समाप्त हो गया है। यह सारा काम हमारा यह पैट्रोलियम सैल करता है और उसके माध्यम से ही प्राइवेट कम्पनियों को सिफारिश के आधार पर माइन लीज दी जाती है और प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दिये जाते हैं। तभी इण्डिया की कम्पनी एस्सार और दूसरी कम्पनियां मिलकर यह खोज करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तृत जानकारी जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, यदि इनकी रुचि है तो वे अपना समय निकाल लेवें। क्योंकि यह सारा टैक्नीकल सब्जेक्ट है, प्राकृतिक तेल और गैस कहां-कहां मिलती है, यह सारा टी. वी. पर हम प्रदर्शन करके इनको डिमोस्ट्रेशन के द्वारा दिखा सकते हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, तेल और गैस जो जैसलमेर जिले में मिला है, मनहेरी, टीबा और तनोट की इन्होंने चर्चा की। हमने 135 मैगावाट का गैस आधारित पावर प्लांट रामगढ़ में लगाया। अभी गैस अथोरिटी आफ इण्डिया (जेल) है वह हमें सप्लाई नहीं दे पा रही इसलिए मात्र एक टरबाइन वहां लगी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या गैस अथारिटी आफ इण्डिया का और राजस्थान गवर्नमैंट का कोई एग्रीमैंट था 135 मैगावाट का ? यदि नहीं था, तो हमने इतना बड़ा खर्चा करके वहां पावर प्लांट क्यों लगाया ? वह भी देने की उनकी तैयारी है कि नहीं है, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले ही कहा, अध्यक्ष महोदय, हमारी मनाही नहीं है। गैस आधारित प्लांट कहीं भी लगता है या कोई भी वैस्टर्न कन्ट्री भारत सरकार की परमीशन से आकर वहां प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग (पी.एल.) के द्वारा खोज करना चाहता है तो हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से छूट है। दूसरा इन्होंने कहा कि 125....

श्री अध्यक्ष : मेगावाट।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेगावाट बिजली का प्लांट जो है उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, उनको मैं दे दूंगा।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष जी, बीकानेर जिले में

(श्री भीमसेन चौधरी)

छतरगढ़, लूणकरणसर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेल की खोज की जा सकती है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया है कि 12 पी. एल. के अन्तर्गत जैसलमेर और गंगानगर जिले में यह कार्य चल रहा है और बाकी स्थानों पर हम चुन रहे हैं कि कहां हमें यह कार्य देना है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसका कोई हवाई सर्वेक्षण हुआ है ? और हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट है, वह सदन के पटल पर रखें। दूसरा माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही थी आपसे कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है, यदि पिछली सरकार की इसमें कोई भूमिका रही है तो वह कृपया स्पष्ट करें। नहीं रही है तो कहां शिथिलता रही है, वह भी आप बताने की कृपा करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह किसी सरकार के बारे में नहीं जाना चाहता क्यों कि यह तो निरन्तर प्रोसेस है। यह चलता रहता है, एक दिन का काम तो है नहीं। यह काम तो चलता रहेगा, लम्बा काम है। तेल की खोज का काम है, गैस का काम है यह इतना बड़ा काम है कि यहां हिन्दुस्तान में इतनी टैक्नोलोजी नहीं है। उस टैक्नोलोजी के लिए हमें विदेशी कम्पनियों से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार के द्वारा, तभी यह सम्भव हो सकेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई हवाई सर्वेक्षण हुआ है क्या ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हवाई सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कराने का विचार रखते हैं आप ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) का डार्क जोन प्रकरण

403. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या भूजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में "डार्क जोन" हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

भू-जल मंत्री (श्री तैयब हुसैन) : निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी डार्क जोन में आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का पुनः भूजल सर्वे पूर्ण कर प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। भूजल आकलन समिति द्वारा नये मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय के बाद विभिन्न क्षेत्रों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं, क्या यह सही है कि डार्क जोन घोषित करने या डार्क जोन हटाने की, कोई प्रक्रिया या माध्यम है ? यदि हां, तो क्या है ? दूसरा आपने यह कहा कि चित्तौड़ जिले में भूजल सर्वे पूर्ण कर प्रतिवेदन तैयार करा लिया

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

गया हैं। कब तैयार कराया आपने ? आपने इसका जवाब यह दिया है कि बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद हम विचार करेंगे कि डार्क जोन खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तीसरा मेरा प्रश्न है कि एक तरफ तो आपने डार्क जोन घोषित कर रखा है और दूसरी तरफ वहां निजी कुए लोगों ने खोद रखे हैं, जिनमें पानी है, उनको बिजली के कनेक्शन आप दे रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि फिर उनको भी आप बिजली के कनेक्शन देने के साथ-साथ लोन की व्यवस्था कराएं। इन तीन सवालों का आप जवाब दें कि इसका क्या विचार रखते हैं।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, यह लगातार कोशिश होती है। सेन्ट्रल गवर्नमैंट की टीम भी है, स्टेट गवर्नमैंट की टीम भी है, मिलकर आपस में हर तीन साल के बाद यह देखते हैं कि पानी का स्तर कितना ऊपर आया है और उसके तहत ही उस बारे में फैसला किया जाता है। 1.1.98 की जो रिपोर्ट है वह आ गई है। फाइनल मीटिंग सेन्ट्रल गवर्नमैंट के अधिकारियों की और स्टेट के अधिकारियों की होनी है, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि नये सिरे से कहां क्या परसेन्टेज रहा है, कहां व्हाइट हुआ है, कहां ग्रे, कहां डार्क जोन है। उसके फैसले के अनुसार ही वह फैसला किया जाएगा। दूसरा, जहां तक लोन का ताल्लुक है, लोन नाबार्ड की गाइडलाइन्स के तहत दिया जाता है और उनकी गाइडलाइन्स वे हैं जो उन्होंने 10 अक्टूबर, 1990 को जारी की है। उसी के तहत उन्होंने यह कहा हुआ है, उन्होंने ही मापदण्ड इसके मुकर्रर कर रखे हैं कि जहां डार्क जोन है वहां लोन न दिया जाए। तो यह जो आज स्थिति है वह इस प्रकार है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक बात कही है कि हर तीन साल बाद....(व्यवधान)

श्री कालूलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) नहीं, नहीं।

श्री नारायण सिंह : लोग बहुत दुःखी हैं इसमें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने यह बात कही कि हर तीन साल में डार्क जोन का सर्वे हम कराते हैं, तो चित्तौड़गढ़ जिले में तीन साल पहले आपने सर्वे कराया होगा। मुझे यह भी बताएं कि डार्क जोन में लगाया कब आपने और उसके तीन साल बाद सर्वे में क्या रिपोर्ट आई है ? आपके सामने तीन साल बाद क्या रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट बता दें आप तो क्लीयर हो जाएगी आपके सामने स्थिति। उस समय बाढ़ आई हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले में, उस समय डार्क जोन घोषित कर रखा था आपने। आप बता दीजिये, क्या रिपोर्ट आई है। आपने सर्वे कब कराया, यह तारीख बता दें मेरे को तो आप।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

(12.00 बजे)

श्री कालूलाल खोईवाल : चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा के लिए तो आपने कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया लेकिन इस जिले में और भी डार्क जोन क्षेत्र हैं उनके सम्बन्ध में भी आप कोई कार्यवाही कराना चाहते हैं, मंत्री महोदय ?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र को भी इन्होंने डार्क जोन घोषित कर रखा है जबकि वहां पानी के भण्डार हैं। (व्यवधान) टोडाभीम क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है इन्होंने, पानी के भण्डार हैं वहां पर। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा का 94.7 परसेंट क्षेत्र डार्क जोन में आता है और छोटी सादड़ी का 106.19 परसेंट था। यह ओवर एक्सप्लाइटेड में है। अब जो 1.1.98 की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर नये सिरे से सब चीज को देख लिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम क्षेत्र को भी डार्क जोन घोषित कर रखा है, क्या आप मेहरबानी करके हमारे क्षेत्र को डार्क जोन से निकलवाओगे ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पाली वर्षों से डार्क जोन घोषित है। प्राइवेट कुए तो खुद रहे हैं पर जो गरीब किसान खोदना चाहते हैं, नाबार्ड से ऋण लेना चाहते हैं उन किसानों को मिलता नहीं है। इसलिए उस डार्क जोन के लिए वहां फिर से सर्वे करवाइए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है, क्या आप हटवाओगे टोडाभीम से ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त, आप बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई व्यवस्था तो दिलवा दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करते हैं कि यह किसानों से सम्बन्धित सवाल है और किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित में कोई डाइरेक्शन दीजिए, पांच-पांच, सात-सात साल तक नहीं हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : किसानों का बहुत गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थानी किसानों से जुड़े हुए सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको नहीं पूछने दूंगा, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वरिष्ठ निजी सहायकों की पदोन्नति प्रकरण

523. **श्री मानसिंह (पिड़ावा) :** क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मानसिंह)

(1) क्या सही है कि वर्ष 1998 में वरिष्ठ निजी सहायक पद के लिए शासन सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गई थी ? यदि हां, तो इसमें किन-किन कर्मचारियों के नामों पर विचार किया गया ? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में उन कर्मचारियों को भी वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई जो जिस वर्ष के लिए बैठक हुई थी उस वर्ष में मृत/सेवा निवृत हो चुके थे ?

(3) क्या सरकार इसमें सुधार की दृष्टि से इस पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । यह बैठक वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 के लिए की गई थी । विचारण-जोन में लिये गये नामों का विवरण संलग्न है ।

(2) जी हां । वर्ष 1996–97 की वरिष्ठ निजी सहायकों की रिक्तियों के लिए समिति द्वारा पदोन्नति हेतु विचार करते समय भूलवश श्री टीकमचन्द जैन का नाम सम्मिलित कर लिया गया था, जो दिनांक 30.4.95 को सेवानिवृत हो चुके थे । किसी मृत कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया ।

(3) जी हां । त्रुटि को सुधारने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

शीघ्र लिपिकों की पदोन्नति

524. श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जयपुर की रिट संख्या 1433/83 के जवाब में पृष्ठ संख्या 11 पर यह स्थिति दर्शायी है कि जुलाई, 1978 में पदस्थापित शीघ्रलिपिकों से प्रतिवादियों की वरिष्ठता को कनिष्ठ रखा जाएगा ।

(2) क्या यह भी सही है कि इसके उपरांत उच्च न्यायालय को प्रेषित उक्त जवाब के तहत निर्धारित की गई वरिष्ठता को परिवर्तित करते हुए जनवरी, 1998 में निजी सहायकों की रिव्यु डी. पी. सी. की गई और शासन सचिव, कार्मिक विभाग के निजी सहायक को लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लाभान्वित किये गये कर्मचारियों को 15 वर्ष की रिव्यु डी.पी.सी. कर अनुभव की अवधि में शिथिलता दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में किसी असंबद्ध अधिकारी से जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) उक्त सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब रिप्रेजेन्टेशन दिये गये ? नाम एवं तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें ? रिप्रेजेन्टेशन पर क्या कार्यवाही गई की तथा की गई कार्यवाही से प्रभावितों को कब-कब सूचित किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। याचिका के जवाब में तत्समय की स्थिति दर्शायी गई है। भविष्य की कार्यवाही के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। और न ही दिया जा सकता था। यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 24.1.84 के अनुसार याचिका के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है। इसी क्रम में जनवरी, 98 में निजी सहायकों की रिव्यु डी.पी.सी. की गई, जिसके आधार पर पूर्व में चयनित तथा पदोन्नत 3 शीघ्रलिपिकों के अतिरिक्त पांच शीघ्रलिपिकों को निजी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें कार्मिक विभाग के सचिव के निजी सहायक भी थे।

(3) उक्त रिव्यु डी.पी.सी. वर्ष 1983-84 के लिए की गई थी एवं पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित अनुभव धारित करने वाले व्यक्ति नहीं मिलने पर समिति द्वारा अनुभव में शिथिलता देते हुए पांच वर्ष या इससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले शीघ्रलिपिकों की पदोन्नति पर विचार किया गया। पूर्व में वर्ष 1983–84 की डी.पी.सी. के समय अनुभव में शिथिलता देने के पश्चात भी डी.पी.सी. कोटे में केवल 3 ही पात्र व्यक्ति उपलब्ध थे। बाद में कुछ अन्य शीघ्रलिपिकों के प्रकरणों पर विचार के पश्चात पूर्व डी.पी सी. द्वारा दी गई अनुभव की शिथिलता के आधार पर ही अन्य व्यक्ति उपलब्ध होने एवं उक्त वर्ष में रिक्त पद उपलब्ध होने के कारण समानता के आधार पर रिव्यु डी.पी.सी. करना आवश्यक हो गया था।

(4) जी, नहीं।

(5) उक्त सम्बन्ध में निम्न ज्ञापन प्राप्त हुए हैं :—

(1) श्री गजेन्द्र कुमार गोस्वामी	21.2.98, 18.3.98
(2) श्री हरिहरण नायर	21.2.98, 3.8.98
(3) श्री मुख्त्यार अहमद	6.3.98, 26.3.98 नोटिस फॉर डिमांड 12.10.98, 26.11.98 27.11.98, एवं 21.12.98
(4) श्री विनोद कुमार शर्मा	28.2.98, 3.3.98
(5) श्री सुमन कुमार जोशी	16.3.98
(6) श्री रमेशचन्द गोधा	12.5.98
(7) सचिवालय के निजी सहायकगण 15.1.99 मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से श्री रामनारायण गुर्जर एवं मुख्त्यार अहमद	15.1.99
(8) सचिवालय के निजी सहायकगण-श्री गजेन्द्र गोस्वामी व अन्य	20.1.99

उक्त ज्ञापनों का परीक्षण किया जा रहा है।

वरिष्ठ निजी सहायकों का स्थानान्तरण प्रकरण

525. श्री सांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की एक ही स्थान पर अधिकतम पदस्थापन अवधि को सुनिश्चित करने संबंधी विगत सात वर्षों में कब कब क्या परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किये गये? परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिपत्र की अनुपालना में किन-किन शीघ्रलिपिकों/निजी सहायकों/वरिष्ठ निजी सहायकों का एक ही स्थान पर दीर्घ अवधि तक कार्य करने की स्थिति में स्थानान्तरण किया गया ? अवधि दर्शाते हुए नाम एवं पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कौन-कौन से उक्त कर्मचारी रहे जो उक्त परिधि में आते थे तथा उनके स्थानान्तरण नहीं किये गये ?

(4) शासन सचिव, कार्मिक के पास कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायक कब से पदस्थापित हैं ?

उत्तर

(1) जारी परिपत्रों की प्रतियां (तीन परिपत्र) परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(2) उक्त परिपत्रों में शीघ्रलिपिकों/निजी सहायकों/वरिष्ठ निजी सहायकों के सम्बन्ध में निर्देश नहीं है।

(3) उक्त शीघ्रलिपिकों / निजी सहायकों/वरिष्ठ निजी सहायकों के सम्बन्ध में सूचना बिन्दु संख्या–2 के अनुसार।

(4) शासन सचिव, कार्मिक के कार्यालय में वर्तमान में वरिष्ठ निजी सहायक निजी स्टाफ में दिनांक 17-7-1975 से कार्यरत हैं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता

526. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा राज्य में नये लगाये जाने वाले लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

(2) क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राज्य के अन्य जिलों में अलग तरह से दी जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी सहायता किस प्रकार से दी जा रही है ?

(3) उक्त सहायता देने में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा राज्य में नये लगाये जाने वाले उद्योगों को दी जाने वाली सहायता का विवरण परिशिष्ट–"अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां, सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ सहायता राज्य के अन्य जिलों में अलग-अलग तरह दी जा रही है,

(उद्योग मंत्री)

जिसका विवरण परिशिष्ट–"ब" में दर्शाया गया है।

(3) ऋण स्वीकृति एवं कानूनी दस्तावेजों के पूरा हो जाने के बाद सहायता की 20 प्रतिशत तक की राशि सी.ए. सर्टिफिकेट के आधार पर और उसके उपरांत परियोजना के भौतिक प्रगति के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

हथकरघा विकास हेतु सरकार से प्राप्त राशि

527. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवा-रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक हथकरघा विकास की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा बुनकरों के सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान सरकार भी हथकरघा वस्त्र उत्पादन तथा बुनकर के वैयक्तिक विकास के लिए राशि उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने राज्य में सहकारी क्षेत्र को तथा वैयक्तिक बुनकर के कल्याण के लिए उक्त अवधि में कितनी धनराशि किस-किस मद में प्रदान की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक हथकरघा विकास की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा बुनकरों के सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को उपलब्ध कराई गई धनराशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(2) हां। राजस्थान सरकार ने राज्य में सहकारी क्षेत्र को तथा व्यक्तिगत बुनकर के कल्याण हेतु उक्त अवधि में संलग्न परिशिष्ट–"11" के अनुसार धनराशि प्रदान की है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

जिला धौलपुर में खेल स्टेडियम निर्माण

528. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर से जिला धौलपुर के कितने खेल संगठन एवं खेल एसोशियेशन सम्बद्ध हैं तथा इनके कौन-कौन पदाधिकारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जहां खिलाड़ियों को जिला मुख्यालय पर स्टेडियम उपलब्ध नहीं है?

(3) क्या सरकार जिला धौलपुर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो

(श्री जसवन्त सिंह)

क्यों ? क्या सरकार उप-खण्ड बाड़ी में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा केवल राज्य स्तरीय खेल संगठनों अथवा राज्य संघों को ही नियमानुसार सम्बद्ध किया जाता है। वर्तमान में धौलपुर में किसी भी खेल का राज्य स्तरीय एसोसियेशन नहीं है।

(2) राज्य के आठ जिलों में स्टेडियम उपलब्ध नहीं है। तीन जिलों में स्टेडियम निर्माणाधीन है।

(3) स्टेडियम निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनी योजना के अनुसार अनुमानित निर्माण व्यय का 50% (लेवलिंग चार दीवारी को छोड़कर) आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले के जिला कलेक्टर से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

उपखण्ड बाड़ी में स्टेडियम निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण

529. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाती है ?

(2) यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक कुल कितनी सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराई गई ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनिज विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में 1990 से फरवरी, 99 तक चार नई सड़कें बनाई गई एवं तीन सड़कों की मरम्मत कराई गई, जिनकी नामवार सूची निम्नानुसार है :—

नई बनाई गई सड़कों की सूची

1. धीनवा से कचरिया खेड़ी
2. कचरिया खेड़ी से बचरिया खेड़ी
3. टाटरमाला से बिनोता
4. निम्बाहेड़ा से नारेला

मरम्मत कराई गई सड़कों की सूची

1- खोड़िप से देवल खेड़ी
2. बिनोता से निम्बाहेड़ा।
3- मानमल की कुंई से सालरमाला

प्रश्न संख्या–530

(स्थगित)

पुलिस थाना बगरू में दर्ज चोरी प्रकरण

531. श्री जगमाल सिंह (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बगरू (जयपुर) में दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को दुकान में चोरी होने की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रकरण की जांच पुलिस के किस अधिकारी ने की तथा जांच प्रक्रिया में किस-किस व्यक्ति के बयान दर्ज किये गये? बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या पुलिस ने उक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है ? यदि हां, तो उसकी प्रति मय जांच प्रक्रिया की प्रति को सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) थाना बगरू (जयपुर ग्रामीण) में दिनांक 15.10.91 को श्री मालूराम मीणा की रिपोर्ट पर उसकी दुकान में चोरी होने बाबत अभियोग सं. 249/91 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा. द. सं. में पंजीबद्ध हुआ है । प्रथम सूचना की प्रति परिशिष्ट–'क" पर संलग्न है ।

(2) उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री राजेन्द्र त्यागी, उप निरीक्षक पुलिस द्वारा किया गया था । इस प्रकरण में मालूराम, मोहन, बल्लू, नन्दलाल सेडुराम के बयान 161 जा. फौ. में लिये गये हैं । बयानों की प्रति परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है ।

(3) इस प्रकरण में नतीजा एफ. आर. नं. 117 दिनांक 26.11.91 को अदम पता माल मुलजिमान में दी जा चुकी है । अन्तिम प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट–"ग" पर संलग्न है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

पुलिस थाना फागी में दर्ज मुकदमा संख्या 150/98

532. श्री ज्ञान चन्द पारख (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सही है कि थाना फागी (जयपुर) में मुकदमा संख्या 150/98 दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम चान्दमा कला (फागी) के कुछ प्रभावशाली सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के खेत की फसल पर रात्रि में जबरन ट्रैक्टर चला दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा दोषी व्यक्तियों को निर्दोष साबित कर अन्तिम निर्णय दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गृह मंत्री को पुनः जांच हेतु निवेदन किया गया ? यदि हां, तो उस पर किस जांच अधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री ज्ञान चन्द पारख)

(5) अब सरकार कब तक चालान पेश कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त प्रकरण का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक दूदू द्वारा किया गया है। अनुसंधान करने पर वह विवादित भूमि के पड़ोसियान एवं अन्य गवाहान से पूछताछ करने पर मामला झूठा पाया गया। सवर्ण जाति के लोगों द्वारा परिवादी विरदा राम के खेत में जबरन ट्रैक्टर चलाया जाना सही नहीं पाया गया। बल्कि परिवादी श्री विरदाराम व रामकरण खटीक का आपस में खेत का विवाद होना पाया गया है। अनुसंधान के पश्चात् प्रकरण में एफ. आर. नं. 69/98 दिनांक 17.9.98 को अदम वकू (झूठ) में दी गई है।

(3) जी, नहीं, यह सही नहीं है। पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान से मामला झूठा पाया जाने पर एफ. आर. अदम वकू (झूठ) में दिनांक 17.9.98 को दी गई है।

(4) जी हां। परिवादी श्री विरदाराम ने दिनांक 28.9.98 को तत्कालीन माननीय गृह मंत्री महोदय को एक परिवाद पेश किया था। यह परिवाद उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज प्रथम को प्राप्त होने पर इस प्रकरण का पुनः अनुसंधान करने हेतु निर्देश अति. पुलिस अधीक्षक, दूदू को दे दिये गये, जिसमें अभी अनुसंधान जारी है तथा परिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 800/5 की पैमाइश करवाने हेतु जिला कलक्टर जयपुर को पत्र लिखा गया है।

(5) प्रकरण का पुनः अनुसंधान जारी है, अनुसंधान पूर्ण होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरण संख्या 77/98

533. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रकरण संख्या 77/98 कब किस-किस के विरुद्ध दर्ज हुआ ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण की जांच कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा की गई एवं जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण संख्या 77/98 मोहम्मद रफीक सिद्धकी, गजधर, नगर निगम, जोन मोती डूंगरी घाटगेट, जयपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 व 13(1) डी. (2) पी. सी. एक्ट 1988 के तहत दिनांक 20.7.98 को दर्ज हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) प्रकरण की जांच प्रारम्भ से अब तक श्री रणधीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, एस, आई. यू., भ. नि. ब्यूरो, जयपुर

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री) द्वारा की जा रही है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली के चिकित्सालयों के वाहन

534. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में चिकित्सा विभाग के पास कितने वाहन किस-किस प्रकार के हैं ?

(2) उक्त में से कितने वाहन चालू हालत में एवं कितने खराब हैं ? कौन-कौन से वाहन कितने समय से किन कारणों से बन्द पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वाहनों पर कितने वाहन-चालक किस-किस पर कौन-कौन कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार खराब वाहनों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? जिन वाहनों पर चालक नहीं है, उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला पाली में विभिन्न किस्म के 68 वाहनों की सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त वाहनों में से 39 वाहन चालू हालत में एव 29 वाहन खराब है। बन्द पड़े वाहनों का विवरण मय कारण एवं समयावधि के संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(3) चालू वाहनों पर कार्यरत वाहन-चालकों की सूची प्रश्न के भाग दो में उपलब्ध है।

(4) जी हां। खराब पड़े नौ वाहन जो मरम्मत योग्य है को ठीक करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कण्डम योग्य वाहनों को निस्तारण करवाये जाने की कार्यवाही जारी हैं। जिले में समस्त चालू वाहनों पर वाहन चालक कार्यरत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर का ए. सी. प्लांट

535. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में ए.सी. प्लांट लगा हुआ है ? यदि हां, तो कब लगाया गया, इसकी क्षमता क्या है ?

(2) उक्त प्लांट किस कम्पनी द्वारा लगाया गया और कुल लागत कितनी आयी ?

(3) उक्त प्लांट का रख-रखाव किस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है ? क्या निजी क्षेत्र में किसी संस्थान को इसका ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किन शर्तों

(श्री ललित भाटी)

पर ? इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या रख-रखाव अस्पताल प्रशासन के देख-रेख में सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 26.6.90 को ए. सी. प्लांट की स्थापना कराई गई थी एवं प्लांट को दिनांक 14.9.90 को इस चिकित्सालय को सुपुर्द किया गया था । इस प्लांट की क्षमता 40 × 2 = 80 टन की है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपरोक्त प्लांट मै. एच. वी. एयर कंडीसनिंग सिस्टम प्रा. लि. बी–14, काम्फीडेन्ट हाउस, एफ–14 कनाट प्लेस, नई दिल्ली से क्रय कर स्थापना करायी गई थी तथा इसकी कुल लागत रुपये 1440366/–थी ।

(3) उक्त प्लांट का रख-रखाव संविदा पर कराया जा रहा है । इस प्लांट का ठेका वर्तमान में निजी फर्म मै. तोमर इलेक्ट्रीकल्स एवं मैकेनिक वर्क्स, अजमेर को दिया गया है । इकरारनामे की प्रति संलग्न है ।

(4) जी हां । क्योंकि इस हेतु आवश्यक पद उपलब्ध नहीं है तथा इसका रख-रखाव अस्पताल प्रशासन की देख-रेख में करवाना मितव्ययतापूर्ण नहीं है ।

(-प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दवा बिक्री के अनुज्ञा पत्र

536. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने स्थानों से दवा बिक्री हेतु लाइसेंस जारी किये जाते हैं ? स्थान चयन के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार जिला मुख्यालय पर लाइसेंस जारी करने की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 10 स्थानों से दवा बिक्री हेतु लाइसेंस जारी किये जाते हैं । स्थान चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

राजकीय रेफरल चिकित्सालय, देसूरी (पाली) में कार्यरत मेल नर्स

537. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल): श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) एवं श्री देवी लाल बैरवा (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय रेफरल चिकित्सालय-देसूरी (पाली) में कार्यरत मेल नर्स ग्रेड प्रथम के विरुद्ध पुलिस थाना देसूरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट नवम्बर, 28/99 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा–447, 379 के अन्तर्गत दिनांक 26.3.1999 को नामजद हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मेल नर्स ग्रेड प्रथम देसूरी का ही निवासी है।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए स्थानीय गतिविधियों में सक्रिय भाग लेकर धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन कर रहा है।

(4) क्या सरकार उक्त कम्पाउण्डर को शीघ्र निलम्बित कर देसूरी से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी में कार्यरत श्री घनश्याम पुरी नर्स श्रेणी प्रथम के विरुद्ध पुलिस थाना देसूरी में रिपोर्ट नम्बर 28/99 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447, 379 के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट दिनांक 26.3.99 को दर्ज है। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग की जानकारी में नहीं है।

(4) जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कम्पाउण्डर का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फ्लोरोसिस समस्या का समाधान

538. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में फ्लोरोसिस की क्या स्थिति है? क्या फ्लोरोसिस का इलाज सम्भव है?

(2) यदि हां, तो किस प्रकार? इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में फ्लोरोसिस की बीमारी की मोनीटरिंग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

जी नहीं, फ्लोरोसिस बीमारी का कोई उपचार नहीं है पर इसकी रोकथाम निम्नलिखित उपाय के द्वारा की जा सकती है–

1. पीने के पानी को फ्लोराइड रहित करना।
2. अधिक मात्रा में विटामिन "सी" का प्रयोग करना।
3. अधिक मात्रा में केल्सियम का उपयोग
4. प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को रोग की जानकारी देना एवं बचाव में उपाय बताना।

(2) उपरोक्त अनुसार फ्लोरोसिस की बीमारी का कोई उपचार नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चौमूं से वीर हनुमान की सड़क मरम्मत

539. **श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चौमूं से वीर हनुमान जी वाया नांगल भोपावास की सड़क का निर्माण कब किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे लाखों यात्रियों को जाने-आने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चौमूं से वीर हनुमान जी वाया हाथनोदा, नांगल भरडा तक सड़क की लम्बाई 12 किमी. है । ग्राम हाथनोदा से ग्राम भोपावास के लिए सड़क लम्बाई 1.5 कि.मी. है । इस सड़क का निर्माण विभिन्न चरणों में कृषि विपणन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया गया है :–

1. कि.मी. 0/0 से कि.मी. 3/200 तक डामर का निर्माण वर्ष 1986–87 में ।
2. कि.मी. 3/200 से कि.मी. 8/0 तक डामर सड़क का निर्माण वर्ष 1996 में ।
3. कि.मी. 8/0 से किमी. 9/0 तक डामर सड़क का निर्माण वर्ष 1994 में ।
4. कि.मी. 9/0 से कि.मी. 12/0 तक वर्तमान में ग्रेवल सड़क है एवं इसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया गया है ।

(2) जी हां । उक्त सड़क का भाग 0/0 से 3/200 तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थानांतरण किया जा चुका है । शेष सड़क का भाग कृषि विपणन बोर्ड के अधीन रख-रखाव के लिए हैं । कि.मी. 0/0 से 3/200 कि.मी. तक मरम्मत के लिए दोनों विभागों की आपसी सहमति के अनुसार रुपये 9.60 लाख की स्वीकृति कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी कर प्रथम किस्त रुपये 4.80 लाख माह फरवरी, 98 में प्राप्त हुए जिसके अन्तर्गत काजवे की मरम्मत व सड़क पर पुनः मैटल कार्य पूरा किया जा चुका है । शेष बची रकम द्वितीय किस्त रुपये 4.80 लाख दिसम्बर, 98 में प्राप्त हो गये हैं जिसके अनुसार डामर व नाली का कार्य प्रगति पर है एवं जून, 99 तक पूरा होना प्रस्तावित है ।

(3) जी हां । सड़क भाग कि.मी. 0/0 से 3/200 में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं जून, 1999 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । शेष सड़क भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क रख-रखाव सूची में नहीं है ।

चोथवाड़ी (चौमूं) की क्षतिग्रस्त सड़क

540. **श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी से चीथवाड़ी मोड़ तक का एक किलोमीटर सड़क का टुकड़ा कब बनाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम चीथवाडी से चीथवाड़ी मोड़ तक सड़क की लम्बाई 1.560 किमी. है। इस डामर सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1985 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।

(2) जी हां। पिछले कुछ वर्षों में रख-रखाव मद में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं सड़कों की पारस्परिक प्राथमिकता के कारण उक्त सड़क पर रख-रखाव का कार्य नहीं कराया जा सका।

(3) जी हां। इस सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर वर्ष 1999-2000 में किया जाना प्रस्तावित है।

मालवीय नगर जयपुर एवं सवाई-माधोपुर के ओवर ब्रिज

541. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मालवीय नगर जयपुर का बन रहा ओवर ब्रिज को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य था और उसमें कितनी राशि व्यय करने का लक्ष्य तथा किन कारणों से यह अभी तक पूर्ण नहीं हो सका एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) जयपुर में अन्य स्थानों पर कहां-कहां ओवर ब्रिज बनाने का लक्ष्य प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार सवाई माधोपुर में टोंक रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मालवीय नगर रेलवे क्रोसिंग पर बनाये जा रहे ओवर ब्रिज को 31.12.97 तक पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था तथा इस पर लगभग 13.00 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य था। सहभागी विभागों के अंशदान की राशि समय पर नहीं मिलने एवं रेलवे द्वारा रेल के पुल के निर्माण में देरी के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा रेल्वे सीमा में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जयपुर शहर में झोटवाड़ा, गोपालपुरा एवं बाइस गोदाम (चार लेन) के ओवर ब्रिज निर्माणाधीन है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सर-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार द्वारा सवाईमाधोपुर में टोंक रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर पोलिस्पिन लि. रींगस के वर्क्स कमेटी के चुनाव

542. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जयपुर पोलिस्पिन लि. रींगस (सीकर) में क्या वर्क्स कमेटी के चुनाव करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। चुनाव प्रक्रिया चालू कर दी गई है; जिसे पूर्ण होते ही चुनाव करा दिये जाएंगे।

(प्रश्न संख्या–543)

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विद्यालयों में रिक्त पद

544. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ठ व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों तथा अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के 12, वरिष्ठ अध्यापकों के 02, तथा सामान्य अध्यापक का 1 पद रिक्त है।

(2) जी, हां। पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति

545. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तृतीय श्रेणी के अध्यापकों (व्यावसायिक शिक्षा) के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) क्या सरकार ने वर्ष 1997–98 में व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्ति दी थी ?

(3) व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को अगर नौकरी नहीं देनी थी तो इनको बी.एस.टी.सी. या बी.एड. क्यों करवाई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) क्या सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को नौकरी देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, नहीं । तत्कालीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 97-98 में व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी ।

(3) वर्ष 97-98 तक सीनियर सैकेण्डरी (व्यावसायिक शिक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी । व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर सैकेण्डरी (अकादमिक शिक्षा) के समकक्ष नहीं मानने के निर्णय के कारण इन्हें वर्ष 98-99 से नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना है । जहां तक प्रशिक्षण व उन्हें नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न है नियुक्ति की पात्रता मात्र प्रशैक्षिक योग्यता ही नहीं होती है बल्कि इसके साथ अभ्यर्थी को नियमानुसार शैक्षिक योग्यता भी धारित होना आवश्यक है । इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ।

(4) वर्तमान में नियुक्ति की पात्रता नहीं रखने के कारण नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं हैं ।

पुस्तकालयाध्यक्ष सीनियर विद्यालय शाहजहांपुर (अलवर) के विरुद्ध शिकायतें

546. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्था) अलवर एवं शिक्षा उप निदेशक (प्रा. एवं मा.) जयपुर को पुस्तकालयाध्यक्षों के कार्य के प्रति लापरवाही, गबन, पुस्तकालय नियमानुसार पुस्तकों का वितरण नहीं करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या उक्त प्राप्त शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पुस्तकालयाध्यक्ष सीनियर विद्यालय शहाजहांपुर अलवर के विरुद्ध कई गम्भीर शिकायतों के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमानुसार पुस्तकें वितरित (अवदान) की ही नहीं जाती ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो जुलाई, 1998 से 28 फरवरी, 1999 तक छात्रों को जो पुस्तकें वितरित की गई ? पुस्तक अवदान पंजिका में दर्ज होने की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ष 1998 में पुस्तकों की खरीद भी नियमानुसार नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो खरीदी गई पुस्तकों की सूची वाउचरों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अलवर एवं उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर कार्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध छात्रों का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ ।

(2) जी, हां । प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी, नहीं। शिकायती पत्र प्राप्त होते ही उसकी जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही दोषारोपण के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी, नहीं। विद्यार्थियों को मांग के अनुसार पुस्तकें अवदान की जाती हैं। 1990 से 28.2.99 तक छात्रों को जो पुस्तकें वितरित की गई, उसके अवदान पंजिका में दर्ज की प्रति परिशिष्ट-"क" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, नहीं। 1998 में केवल टैस्ट बुक ही खरीदी गई जो नियमानुसार हैं। खरीदी गई पुस्तकों के वाउचरों की प्रति परिशिष्ट"ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय

547. श्री नाथूराम (किशनगढ़) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 से अनुदेशक कार्यरत हैं और उन्हें मानदेय के रूप में 200/- रुपये प्रतिमाह ही दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह राशि एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर को मिलने वाली 44/- रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से भी कम है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष से अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालयों में अनौपचारिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि और कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1982-83 से वर्ष 93-94 तक अनुदेशकों को 105/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय दिया जाता था। तथा 94-95 से वर्तमान में अनुदेशकों को 200/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है।

(2) जी, हां। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुदेशक एक आंशिक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में मात्र 2 घण्टे प्रतिदिन कार्य करता है जबकि दैनिक वेतन भोगी मजदूर 8 घण्टे कार्य करने पर 44/-रुपये मजदूरी प्राप्त करता है अतः एक अनुदेशक की दैनिक वेतन भोगी मजदूर से तुलना करना उचित नहीं है।

(3) जी, हां। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। इसमें अनुदेशकों का मानदेय केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया हुआ है। तथा केन्द्र सरकार के पास इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन चल रहा है।

कोटा सम्भाग के पशु चिकित्सालयों के रिक्त पद

548. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा सम्भाग के किस-किस पशु चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के रिक्त पद हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में कार्यरत पशु चिकित्सालयों में जिस-जिस श्रेणी के पद रिक्त हैं, उनकी जिलेवार रिक्त पदों की सूची "क" संलग्न हैं ।

(2) इन रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नांकित कार्यवाही की जा रही है :–

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु डी. पी. सी. का आयोजन करवाने की कार्यवाही की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी । पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया है । आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध करवाने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कर ली जावेगी । पशु चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन के पश्चात् पदोन्नति कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी । पशुधन सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है, एवं सामान्य प्रशासन विभाग से एन.ए.सी. प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है । वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पशु चिकित्सालय

549. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा कहां ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में निम्नांकित पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र कार्यशील है :—

क्र सं.	पशुचिकित्सालय/ औषधालय	उपकेन्द्र
1.	पशु चिकित्सालय, कोटपूतली	1. देवता

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

1	2	3
2.	पशु चिकित्सालय, बनेठी	2. रघुनाथपुरा
3.	पशु चिकित्सालय, राजनोता	3. पनियाला मोड़
4.	पशु चिकित्सालय, गोनेड़ा	4. भैंसलाना
5.	पशु चिकित्सालय, नारेड़ा	5. प्रागपुरा
6.	पशु औषधालय, दांतिल	
7.	पशु औषधालय, गोरधनपुरा	

(2) वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 100 नये पशु चिकित्सालय तथा 400 उप केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। विभागीय मापदण्डों एवं आवश्यकता के अनुसार कोटपूतली क्षेत्र में भी और पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जावेगा।

प्राथमिक शिक्षा में सुधार

550. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार पंचायत राज विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दृष्टि में कक्षा पांचवीं की पंचायत समिति स्तर पर एक ही स्थान पर परीक्षा व्यवस्था करना ठीक समझती है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। कक्षा पांचवीं में पढ़ने वाले अल्प आयु के बालक/बालिकाओं के पंचायत समिति स्तर पर एक ही स्थान पर परीक्षा दिलवाना व्यावहारिक नहीं होगा।

पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) के विकास कार्यों की पुस्तिका

551. श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) के विकास अधिकारी एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा गत पांच वर्षों में किये गये विकास कार्यों की एक पुस्तक छपवायी गई थी ? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौन से विकास कार्य आज तक भी नहीं हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो कार्य नहीं हुए हैं उनकी भी राशि उठा ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त पुस्तक की छपाई का व्यय किस मद से किया गया है ?

(4) क्या सरकार सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत बीजागुड़ा के सरपंच के विरुद्ध अनियमितता प्रकरण

552. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पाली जिले की सोजत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीजागुड़ा के सरपंच के विरुद्ध राज्य सरकार को उप सरपंच मय सभी वार्ड पंचगण ने कार्य न करने पंचायत की बैठक में भाग नहीं लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी, हां। शिकायत की जांच कराने पर शिकायत निराधार पायी गयी।

पंचायत समितियों को प्रोत्साहन राशि

553. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो वर्ष 1995–96 से चालू वित्तीय वर्ष तक कितनी राशि प्रदान की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित राशि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आवंटित की जाती है ? जिला स्तरीय समिति का गठन किस-किस जिले में कब-कब किया गया तथा इस समिति के मानदण्ड क्या है?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों हेतु सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित संस्था के लिये क्रमशः रुपये 2.00, 1.00 एवं 0.05 लाख की दर से वित्तीय वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक राशि रुपये 3.50 लाख प्रति वर्ष प्रत्येक जिले को आवंटित किये गये हैं ?

(2) जी, हां। जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर राशि आवंटन की सिफारिश की जाती है। राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन आदेश क्रमांक एफ 6(4) प्र. सु./अनु–3/97 दिनांक 7–2–97 के द्वारा किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न है) समिति के मानदण्ड संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति अराई व भिनाय (अजमेर) के स्वीकृत कार्य

554. श्री सांवरलाल (भिनाय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति अराई व भिनाय जिला अजमेर में जनवरी, 1991 के बाद

(श्री सांवरलाल)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किस-किस गांव, मजरा, ढाणी में कब-कब कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? किस-किस कार्य पर कितनी कितनी राशि व्यय हुई ? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करवाने की योजना है ?

उत्तर

पंचायत समिति अराई एवं भिनाय में 1 जनवरी, 1991 के बाद स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, अपूर्ण कार्यों के विवरण की सूचियां संलग्न हैं। अपूर्ण कार्यों को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवाया जावेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र खारची के हैरीटेज होटलस को अनुदान

555. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में पर्यटन के महत्व को मद्देनजर रखते हुए अब तक क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से अब तक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि किन-किन स्थानों पर किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र में हैरीटेज होटलस बाबत ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन इकाइयों को व किन-किन व्यक्तियों को कितना कितना ऋण कब-कब वितरित किया गया है व कितनी-कितनी अनुदान राशि कब-कब प्रदान की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) खारची विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से अब तक कोई राशि पर्यटन विभाग द्वारा व्यय नहीं की गई है।

(3) हैरीटेज होटलों को पर्यटन विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। खारची विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर सम्भाग में स्थित है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा जोधपुर सम्भाग में हैरीटेज होटलों को दिये गये ऋण की सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है। पर्यटन विभाग द्वारा जोधपुर सम्भाग में हैरीटेज होटलों को स्वीकृत सब्सिडी की सूचना परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पर्यटन विकास के लिए प्रकाशित साहित्य

556. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

विकास के लिए नई सरकार के गठन के बाद कोई निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और कब जिस के अन्तर्गत क्या-क्या नये कार्यक्रम चलाये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या, कब-कब ?

(3) क्या नया साहित्य भी प्रकाशित किया है जिसका विमोचन मंत्री ने किया था ? यदि हां, तो कौन-कौनसा तथा कब? उक्त साहित्य की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में पर्यटन की विपुल सम्भावनाओं के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 1999–2000 में पर्यटन प्रोत्साहन के कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु बजट प्रावधान रुपये 23.03 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा राज्य के धार्मिक स्थलों तथा ओसियां मन्दिर, नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर, विराटनगर के विकास कार्य सम्पन्न कराये जावेंगे। राज्य की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों एव वर्कशॉप/सेमिनार आदि का आयोजन किया जावेगा। प्रकृति पर्यावरण (नेयर इको टूरिज्म) एवं साहसिक पर्यटन (एडवेन्चर टूरिज्म) को बढ़ावा दिये जाने के निर्णय लिये हैं।

(2) जी, हां। पर्यटन विकास हेतु की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्न हैं :–

1. राज्य की नई पर्यटन नीति बनाने की घोषणा की गई है।
2. सिंचाई विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित कुछ गेस्ट हाऊस राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किये जायेंगे। कुछ फोरेस्ट गेस्ट हाउस भी पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3. जयपुर में बर्डिंग फेयर व काइट–फेस्टीवल के आयोजन एवं जवाई बांध में मगरमच्छ पार्क विकसित करना।
4. साहसिक पर्यटन एवं ग्रामीण रोजगारोन्मुखी पर्यटन को प्रोन्नत करना।
5. पर्यटन महत्व के मेले एवं त्यौहारों का बेहतर ढंग से आयोजन करना।
6. पर्यटन स्मारकों का उचित रख-रखाव एवं संरक्षण करना।
7. पथ-प्रदर्शकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. पुलिस का पर्यटकों की सहायता हेतु उपयोग सुनिश्चित करना।
9. पर्यटक स्थलों के पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य।
10. जयपुर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय अड्डे का दर्जा दिलवाना।
11. हस्तकला वस्तुओं के व्यापारावृत्त में वृद्धि सुनिश्चित करना।
12. परशुराम द्वारा में क्राफ्ट बाजार/हाट का विकास कार्य।
13. पर्यटन क्षेत्र के ढांचागत विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

14. मुख्य पर्यटन स्थलों में नागरिक सुविधाओं का विकास करना।

(3) वर्ष 1998–99 मुद्रित निम्न विभागीय पर्यटन साहित्य (प्रति संलग्न है) का विमोचन दिनांक 1. 4. 1999 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है :–

1. पोस्टर–12 प्रकार के
2. डेस्टीनेशन राजस्थान
3. वेलकम टू राजस्थान
4. अजमेर-पुष्कर-मेडता-नागौर बोशर
5. अलवर-सरिस्का-भरतपुर-डीग-धौलपुर बोसर
6. शेखावाटी बोसर
7. राजस्थान अतिथि पत्रिका
8. लिविंग ट्रेडीशन्स–राजस्थान काफी टेबल बुक

(पर्यटन साहित्य प्रति प्रश्न शाखा के मूल सैट में सुरक्षित रखी गयी)

कंकोनी (बारां) का पर्यटन विकास

557. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बारां में कांकोनी (गणेशपुरा) कहां पर स्थित है एवं यहां पर कौन सी शताब्दी की मूर्तियां एवं शिवलिंग है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बारां जिले में कांकोणी (गणेशपुरा) ग्राम पंचायत–भावपुरा, तहसील–छीपाबडोद, में पर्वण नदी के किनारे पर स्थित है। यहां पर 10–14वीं शताब्दी की मूर्तियां एवं शिवलिंग स्थित है।

(2) वर्तमान में उक्त स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पर्यटन विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील तारानगर (चूरू) के श्याम पांडिया स्थल का पर्यटन विकास

558. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1999–2000 में पर्यटन की दृष्टि से किन-किन स्थानों को विकसित करने की क्या-क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तहसील तारानगर जिला चूरू के श्याम पांडिया स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक लागू की जावेंगी और नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामसिंह कस्वां)

(4) क्या उक्त स्थान को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब जारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चूरू जिले में राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक/स्थल नहीं है । पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित स्थान परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) जी, नहीं । वर्तमान में स्थलों के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी, नहीं । वर्तमान में विभाग की अन्य प्राथमिकताओं एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण श्याम पांडिया स्थल की कोई स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है ।

(4) जी, नहीं । उक्त स्थान को सड़क से जोड़ने की कोई स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

झुन्झुनूं में महिला एवं बाल विकास योजनाओं का मूल्यांकन

559. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुन्झुनूं में महिला एवं बाल विकास विभाग की कौन-कौनसी योजनायें चालू हैं तथा वर्ष 1997–98 एवं 1998-99 में कितनी-कितनी धन राशि किस-किस योजना तथा किन-किन प्रवृत्तियों पर व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त योजनाओं का कभी बाहरी मूल्यांकन भी करवाया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या मूल्यांकन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की तीन योजनाएं क्रमशः समेकित बाल विकास सेवा, महिला विकास कार्यक्रम एवं द्वाकरा योजना चालू है । इन योजनाओं एवं विभिन्न प्रवृत्तियों पर व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना/प्रवृति का नाम	व्यय राशि (लाखों में) वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
1.	समेकित बाल विकास सेवा	41.35	49.46
2.	महिला विकास कार्यक्रम	3.04	12.10
3.	द्वाकरा	9.60	13.43
	योग :–	53.99	74.99

(2) जी, नहीं ।

निजी वाहनों पर लाल बत्ती

560. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सांवरलाल)

(1) राज्य में अपने निजी भ्रमण के वाहन पर लाल बत्ती का उपयोग किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति नियमानुसार करने के अधिकारी है ?

(2) क्या सरकार ने इस संबंध में कभी कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या? अब तक नियम विरुद्ध तरीके से लाल बत्ती के उपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि अभी भी लाल बत्ती का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.10.94 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1998 के नियम 108 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनके अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लालबत्ती का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) विभाग के उड़नदस्तों द्वारा चैकिंग के दौरान अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1998-99 के दौरान अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का उपयोग करने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में वाहन के विरुद्ध अभियोग बनाये जाने पर चल न्यायालय अलवर द्वारा 100/-रुपये जुर्माना किया गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला अजमेर में चयनित गांवों को सुविधाएं

561. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अजमेर जिले से ग्रामीण वृद्धि केन्द्र योजना के तहत चयनित ग्राम श्रीनगर, रामसर, तिहारी, जेठाना एवं भवानी खेड़ा में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त ग्रामों में बाकी सुविधाएं कब तक मुहैया करा दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला अजमेर से लघु ग्रामीण विकास केन्द्र हेतु चयनित ग्राम बीर, सांपोंदा, ढाल, लीडी एवं भटियानी गांवों में आधार भूत सुविधाएं मुहैया करा दी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त ग्रामों में बाकी सुविधाएं कब तक मुहैया करा दी जायेगी।

उत्तर

(1) जी, नहीं। अजमेर जिले में ग्रामीण विकास केन्द्र योजना के तहत चयनित ग्राम श्रीनगर, रामसर, तिहारी एवं जेठाना में निम्नांकित आधारभूत सुविधाओं हेतु उनके सम्मुख अंकितानुसार राशि स्वीकृत कर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :–

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

क्र. सं.	चयनित ग्राम	पंचायत समिति	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि (लाखों में)
1.	श्रीनगर	श्रीनगर	रा. सी. उ. मा. शा. में हाल	520–33 दि. 17. 12. 96	1.50
2.	रामसर	श्रीनगर	बस स्टेण्ड, रामसर	,,	1.50
3.	तिहारी	श्रीनगर	रा.मा.शा. में हाल	,,	1.50
4.	तिहारी	श्रीनगर	ग्राम सेवक क्वाटर्स	107- 6.1.97	1.50
5.	तिहारी	श्रीनगर	सेकण्डरी स्कूल में दो कमरे	1–6 1.2.99	2.56
6.	जेठाना	पीसांगन	बस स्टेण्ड निर्माण	520-33 17.2.96	1.00
			योग:		9.56

(2) योजनान्तर्गत पर्याप्त बजट होने पर शेष सुविधाओं हेतु राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

(3) जी, नहीं। अजमेर जिले में लघु ग्रामीण विकास योजना के तहत चयनित ग्राम ढाल में बस स्टेण्ड निर्माण हेतु 9/26. 2. 97 को 1.12 लाख रुपये स्वीकृत कर बस स्टेण्ड का कार्य कराया गया है।

(4) योजनान्तर्गत पर्याप्त बजट प्रावधान होने पर शेष सुविधाएं हेतु राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं समोद में आश्वासित रोजगार योजना

562. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में किन-किन पंचायत समितियों में आश्वासित रोजगार योजना कब से चल रही है ?

(2) वर्तमान वर्ष में पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरणोद में उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस पंचायत में क्या कार्य कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में आश्वासित रोजगार योजना निम्न पंचायत समितियों में निम्नांकित वर्षों से चल रही है :—

वर्ष	नाम पंचायत समिति
1993-94	अरनोद, प्रतापगढ़

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

1994-95	छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी एवं भैंसरोड़गढ़।
1996-97	निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगला, कपासन, भूपालसागर, राश्मी।
1997-98	भदेसर, गंगरार, बेगूं।

(2) वर्तमान वर्ष में पंचायत समिति प्रतापगढ़, व अरनोद में योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची पंचायतवार परिशिष्ट–1 व 2 पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री मदन दिलावर एवं यशवंत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से नैनवा उपखण्ड के कतिपय गांवों में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने की घटना के संबंध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

1 डा. रामप्रताप, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में।

2. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर के दादाबाड़ी थानान्तर्गत दो चचेरी बहनों की कथित हत्या का मामला पुलिस द्वारा आत्महत्या का बनाने का प्रयास करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम उन्डू में 33 के. वी. जी. एस. एस. बनाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका जैतारण द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दिये जाने के उपरान्त भी नीलाम-शुदा भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री रूपलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति गिर्वा के सभी गांवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

4. श्री भंवरू खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर

(श्री भंवरू खान)

की तहसील रामगढ़ शेखावाटी में एक अतिरिक्त तहसील खोलने के सम्बन्ध में ।

5. श्री हेमन्त कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला कोटा की पंचायत समिति सांगोद के गांव खजूरी में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में ।

6. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील डेगाना में स्वीकृत अकाल राहत कार्य 30 जून, 1999 तक पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ।

7. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर मिल क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में ।

8. श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाडपुरा तहसील की बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

9. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत करवाने के सम्बन्ध में ।

10. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के पंचायत मुख्यालय घमाना की जर्जर हो गई पेयजल टंकी को गिराये जाने के सम्बन्ध में ।

11. श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन शहर के गन्दे नाले की वर्षा से पूर्व सफाई करवाने के सम्बन्ध में ।

12. डा. करण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से बहरोड़ एक्सीडेन्ट मोबाइल यूनिट के उचित प्रबन्धन के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री रमजान खान : 295 के तहत नोटिस मैंने भी दिया था, साहब ।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो बहुत है लेकिन हमारा जो दिया हुआ है उसके सम्बन्ध में एक भी नहीं आया । एक भी नहीं आया पिछले सप्ताह भी ।

श्री अध्यक्ष : मुझसे बात कर लेना । एक सप्ताह में एक आएगा ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, एक भी नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा आज, मालूम कर लूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के अधिवक्ता अपनी मांग लेकर यहां आये हैं । कुछ व्यापारी भी आये हैं वे मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं । पता लगा कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली पधारे हुए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया समय दें ।

श्री अध्यक्ष : कौन ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एडवोकेट आये हैं राजस्थान भर के, वे मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। सारे लोग नीचे खड़े हैं और काफी उत्तेजना में हैं। आपसे मिलने की वे अनुमति मांगते हैं, आप उनसे मिल लें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अभी आंसू गैस चली है, लाठी-भाटा चल रहा है उनके ऊपर। मैं अभी खुद देखकर आया हूं, उनके ऊपर आंसू गैस चलायी जा रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुख्य मंत्री जी हैं नहीं इसलिए आप उनको समय दें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चप्पल-जूते वाले हैं, रेडीमेड वाले हैं, 25 संगठनों के लोग हैं। लाठी चलायी जा रही है, आंसू गैस फैंकी जा रही है। साहब, मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा आने के सारे रास्ते रोक दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : शांतिपूर्ण तरीके से डेलीगेशन आया है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि अब राजस्थान की जनता की आस्था मात्र इस सदन में और आप में बची है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आस्था हम में हैं, आप में नहीं हैं। विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय बैठाएंगे, आप नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हजारों की संख्या में राजस्थान के बुद्धिजीवी वकील, हजारों की संख्या में राजस्थान के 25 संगठनों के लोग सदन के बाहर अपनी न्यायसंगत मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी आस्था और विश्वास के प्रतीक आप बनते जा रहे हैं, वे लोग और किसी से नहीं माननीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कुछ समय दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि जिस तरह जजिया कर आप लगाते जा रहे हैं, आज जिस तरह से करों के बोझ से राजस्थान की जनता को लादते जा रहे हैं इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे, वित्त मन्त्री जी, समय बताएगा।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार के जो भी शिष्टमण्डल आते हैं उनसे अध्यक्ष नहीं मिलते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रास्ते जाम हो रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : शांतिपूर्ण प्रदर्शन लेकर, अपनी मांगों को लेकर आते हैं उन पर लाठी-चार्ज करना मैं सोचता हूं, प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा करना नहीं है। अधिवक्ता हैं... (व्यवधान) कोई भी हों, उनसे आपको मिलने का समय तो देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रास्ते तो चालू करवाइए, साहब। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सरकार उनसे मिलना नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष : नहीं, विधि मंत्रीजी मिल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार को चलाने वाले जो नियम है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिये मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनका कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिर फुड़वा रहे हैं, सिर। (व्यवधान) बाहर अभी वकीलों के सिर फोड़ दिये। लाठियां चल रही हैं, भाटे चल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब विधान सभा आज प्रारम्भ हुई उस वक्त मेरी भंवरलाल जी साहब से थोड़ी-सी बात हुई थी और भंवरलाल जी ने फरमाया था पांच-सात वकीलों का। मैंने कहा सब वकील तो ऊपर नहीं आ सकते।

एक माननीय सदस्य : वकीलों के लिए रास्ते बन्द हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक डेलिगेशन वकीलों का ऊपर ले आइये। हम उनसे अच्छी तरह से बात करेंगे।

एक माननीय सदस्य : वे वकील नहीं हैं, साहब, 25 संगठनों के लोग हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको कॉफी पिलाएंगे, उनको इज्जत के साथ बिठाएंगे, उनकी सारी बात सुनेंगे और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वित्त मंत्री जी और गवर्नमैंट लेगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये तो उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिलने के लिए हमको कोई नाराजगी नहीं है, जब भी आप उनको लाएंगे हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवसाइयों से सरकार मिली नहीं। अगर आज सरकार चेत गई है, मिलना चाहती है तो ठीक है परन्तु भगवान के लिए जो बर्बर लाठीचार्ज हो रहा है, अश्रु गैस चल रही है उसको तो रुकवाइये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने जो चन्दन मल जी पर लाठियां बरसायी थी वे भूल गये? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये जो काम करेंगे आप भी करेंगे क्या? (व्यवधान) जो गलती इन्होंने की वह गलती आप भी करेंगे? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उन पर लाठियां बरसाएंगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो अहिंसक किया था आपने तो पत्थर फैंके। (व्यवधान) सिर फोड़ दिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संसदीय कार्य मन्त्री जीत गये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अधिवक्ताओं को शांतिपूर्ण अपनी मांगों के लिए आना, उनका रास्ता रोक देना, लाठी चार्ज करना, 144 धारा लागू करना, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा क्या उन्होंने किया? यह जवाब दे रहे हैं कि चन्दनमल जी पर लाठियां बरसायीं इसलिए लाठियां मार रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमरराम (धोद) : माननीय अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया है। (व्यवधान) यह कोई न्याय नहीं है। (व्यवधान) कि पूर्ववर्ती सरकार ने .. (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : विधि मंत्रीजी, आप ऐसा गैर-जिम्मेदाराना जवाब दे रहे है। (व्यवधान)

श्री अमरराम (धोद) : वर्तमान वित्त मंत्री पर लाठी चार्ज किया था इसलिए राजस्थान की सरकार बदले की भावना से.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ऐसा जवाब दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। ऐसा गैर-जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जो आप लाठियां उन पर चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चन्दनमल जी पर लाठियां पड़ी थीं। (व्यवधान)

श्री अमरराम (धोद) : सरकार के लिए जो अधिवक्ताओं के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज और अश्रु गैस कर रही है, अगर विधि मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री जी पर लाठी चार्ज पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ था इसलिए लाठी चार्ज अगर हो रहा है तो यह....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बदला ले रहे हो क्या?

श्री अमरराम (धोद) : यह बदले की भावना से आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बदले की भावना ले रहे हो क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वकीलों का क्या दोष हैं? वकीलों पर क्यों लाठी चार्ज किया जा रहा है? वकीलों का प्रतिनिधि मंडल आ रहा है.. (व्यवधान) आपने यह बात बतायी है कि जो मिलेंगे उनसे... (व्यवधान) माननीय अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेद प्रकट करिये, विधि मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। प्रश्न यह है जिसको वैरीफाई करना बहुत जरूरी है कि लाठी लार्ज हुआ कि नहीं हुआ? (व्यवधान) हां, हां कह रहे हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा किरोड़ी लाल : देख कर आये हैं, ये देख कर आये हैं। (व्यवधान) माननीय कन्हैयालाल जी मीणा देखकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई भी अन-लॉफुल असैम्बली बनकर आप किसी गेट को तोड़ने के लिए कोशिश करते हो, अगर घुसने की बात करते हो तो.. (व्यवधान) वह बाद की बात थी।

डा. किरोड़ी लाल : बड़ी चौपड़ पर हो रहा है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : अन्दर इस गेट पर भी कल हो रहा था ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, बड़ी चौपड़ पर । (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : आते ही उन्होंने जब आंसू गैस चलायी, आपस में पत्थर फैंके । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी डिटेल मालूम करके आपके सामने यहां पेश कर दी जायेगी । लेकिन अभी कमला जी पधारी हैं, बता रही थीं पत्थर फैंके और गेट के अन्दर घुसने की कोशिश चल रही है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : मैं तो यह कह रही हूं कि अभी लिफ्ट में मेरे साथ एक कांस्टेबल सिर पर पत्थर लगा हुआ यहां इलाज के लिए ऊपर आया था । किसने फैंका, मुझे भी पता नहीं । (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : फिर आंसू गैस के अलावा लाठी चार्ज हुआ । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो जिन लोगों के लगती हैं वे चुप थोड़े ही रहते हैं । इतनी भीड़ में कुछ न कुछ तो हुआ ही है । (व्यवधान) इसलिए वस्तुस्थिति की जानकरी प्राप्त करके इस सदन को अवगत कराया जाना चाहिए । यह कोई बात ही नहीं हुई ।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वकीलों के साथ ही इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आंसु गैस छोड़ी गयी है....(व्यवधान) दमनपूर्ण कार्यवाही की गयी है, यह लोकतन्त्र के अन्दर अच्छा नहीं है । (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी स्वयं वकील हैं और वकीलों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है । वकीलों की कोई राय नहीं थी इस बात के लिए । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और आप भी यह कह रहे हैं, जांच का विषय है । जब माननीय सदस्य यहां यह बात कह रहे हैं जो सच्चाई होगी, वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराया जाए । यदि लाठी चार्ज किया गया है वकीलों पर, तो दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो वस्तुस्थिति तो मालूम होने दीजिये । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वस्तुस्थिति का पता करा लीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गृह मंत्री जी गये हैं, वस्तुस्थिति मालूम करके आ रहे हैं । अभी बता देंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी रियायत के कारण नहीं हुआ, गृह मंत्री जी तो खुद (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको तो कुछ पता ही नहीं है, रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लाठी चार्ज हुआ, कितने लोगों को लगी, कितने लोग इंजर्ड हुए, गृह मंत्रीजी अपने वक्तव्य में अपनी जानकारी प्राप्त करके थोड़ा सदन को दें, सदन जानकारी चाहता है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक भी तो बाहर नहीं गया है, सुनी-सुनायी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कन्हैयालाल जी मीणा आये हैं । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्वेश्चन आॅवर में ये यों के यों बैठे हुए थे और हम भी यों के यों बैठे हैं । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी क्षमता इतनी है कि यहां बैठे-बैठे ही हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय कमला जी ने कहा है । व्यवधान अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिंचाई मंत्रीजी ने कहा है । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : कमला जी ने कहा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और आप कह रहे हैं मुझे....(व्यवधान) विधि मंत्री जी इस तरह से बयान दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि वकीलों का जो डेलिगेशन और प्रदर्शन दोनों आये हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे काफी देर से अनुमति मांग रहे थे । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने नाम लिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसके बाद । नहीं, आपको नहीं । नरेन्द्र सिंह जी भाटी । वे कह रहे थे काफी देर से बराबर ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वकील और जौहरी पैसे नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो और देगा कौन ? (व्यवधान) कोई गरीब काश्तकार देगा क्या ? आप उनसे मत मिलिये । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसने कहा ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सवाल टैक्स लेने का नहीं है, वे अपनी मांग के लिए आये हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आये हैं । (व्यवधान) आप टैक्स लें या नहीं लें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसानों की बात सुनिये, ये तो जौहरियों की बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उन पर लाठियां चलाओ, उनको लाठियों से दमन-पूर्ण कार्यवाही करके... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप क्या किसानों के लिए जब हुआ तब बोले उस पर ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वकीलों को पिटवाकर विधि मंत्री छुपा रहे हैं। (व्यवधान) आप यहां बैठकर खुश हो रहे हैं और कांग्रेस वाले टेबिल बजा रहे हैं। (व्यवधान) यह शर्म की बात है विधि मंत्री जी के लिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या होगा उससे, और किसानों को फायदा मिलेगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कानून के वकीलों को पिटवाकर विधि मंत्रीजी खुश हो रहे हैं। (व्यवधान) और टेबिल बजा रहे हैं, कैसी शर्म की बात है। (व्यवधान)+++

श्री रामस्वरूप : मैं जौहरियों की बात कर रहा हूं और मैं किसानों की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) आप किसानों के खिलाफ बोलते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जब आया और वकीलों का प्रतिनिधि मण्डल जब तक यहां नहीं पहुंचा था, पुलिस ने लाठी चार्ज और अश्रु गैस छोड़ने की तैयारी कर ली थी। यह अपेक्षा ही नहीं की जा सकती कि जो कानून को पढ़ता हो, जो प्रतिष्ठित नागरिक हो, कानून को जानता हो, वह कानून को तोड़ने की बात करेगा। 80 फीसदी वकील लोग यहां बैठे हैं... (व्यवधान) अभी खेतसिंह जी ने कहा कि आप लोग बहुत से बाहर गए नहीं। तो फिर स्थिति क्या होगी ? जैसा कमला जी कह रही थीं, हम भी लिफ्ट में अपना सिर फुड़वाकर आते ? मतलब,बाहर किस स्थिति में जाएं ? बाहर अगर कानून व्यवस्था की....

श्रीमती कमला : नहीं, आप बार-बार मेरा क्यों रैफरेंस दे रहे हो ? मैंने तो कैजुअली यह कहा कि अभी मैं लिफ्ट में आ रही थी तो एक कांस्टेबल के सिर में लगी और उसको डाक्टर के यहां लेकर आ रहे थे। इतना तो कहा मैंने। किसने फैंका है, कितनों को लगी, किसने क्या किया, यह मैं तो कुछ नहीं बता रही हूं। मेरा बार-बार रैफरेंस न लें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह किसने कहा कि आपने देखा है पत्थर फैंकते हुए ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखने के लिए नहीं कह रही हैं, यह कह रही हैं कि ...

श्री जगमाल सिंह यादव : यह किसने कहा कि आपने लाठियां चलाते हुए, सिर फूटते देखा है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, वे यह नहीं कह रही हैं बात। वे यह कह रही हैं कि लिफ्ट में जब मैं चढ़ रही थी तो लिफ्ट में मेरे साथ में एक कांस्टेबल था।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ और वकीलों पर अश्रु गैस छोड़ी गयी तो इससे ज्यादा निन्दनीय और कोई बात नहीं हो सकती, जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से थे। मेरा तो यह भी मानना है कि अशोक जी को पचा नहीं पाने वाले चन्दनमल जी बैद ने यह जजिया कर ऐसा लगाया है कि कांग्रेस अगर 10 खोटे कर्म करती तो भी इतना नुकसान

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नहीं होगा, जो तरकीब से बैद जी ने कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आपको बहुत समय मिलेगा । एप्रोप्रिएशन बिल पर और उस पर बोलने का . (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, सिर फूट रहे हैं, सिर फोड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये, बैठिये । आप सिर के ऊपर हाथ लगा रहे हैं, यहां कोई पत्थर नहीं हैं । कमला जी के साथ तो जो कांस्टेबल आया था, वह उनके साथ ही लिफ्ट में चढ़ा । बस इतनी बात की । श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री रामस्वरूप : जनता के वकील हैं । हम भी जनता के वकील हैं, सारे जितने भी बैठे हैं । (व्यवधान) हम भी जनता के वकील हैं, हम जनता की भलाई के लिए यहां लड़ते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । सुरेन्द्र जी व्यास ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज का यह इश्यू तो फिजूल में आगे आ गया । होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट आएगा जब पूरे फैक्ट तस्दीक करेंगे, तब कोई सवाल पूछ सकते हैं । मेन इश्यू रैलीगेट हो गया । इस विवाद में मेन इश्यू यह है कि शहर के 26 संगठनों के लोग आये हैं, वकील आये हैं । सोनिया जी के करिश्मे ने और आकर्षण ने आपको 153 सीटें दी हैं । आज, वित्त मंत्री जी, क्या करना चाहते हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिलना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मिलना चाहते हैं ? आप पूरे राजस्थान को नाराज कर रहे हैं । पूरे प्रबुद्ध वर्ग को नाराज कर रहे हैं, सब इंटलैक्चुअल्स को नाराज कर रहे हैं और जो ओपीनियन मेकर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं । आपके कर की मैरिट्स के अलावा, आप मिल नहीं रहे लोगों से, आप लोगों को समझा नहीं रहे । मेरी तो विनम्र प्रार्थना है कि पढ़े-लिखे लोगों का डैलीगेशन है, उनसे आपको मिलना चाहिए और वे तैयार हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मिलना तो चाहिए ।

श्री चन्दनमल बैद : हम तो कह रहे हैं मिलना चाहते हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन मना कर रहा है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है । (व्यवधान) होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट आना चाहिए । इसको विवादित इश्यू बनाना बेकार है । (व्यवधान) कमला जी ने कोई बात कही है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी शर्मा ने विधि मंत्रीजी से बात की थी और उन्होंने कहा है कि उनका जो शिष्टमण्डल आएगा, हम निश्चित तौर पर उनसे मिलेंगे और

(श्री अध्यक्ष)

उनकी बात को सुनेंगे। यही बात कही है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा निवेदन यह है, साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें। आप 4 बजे, 5 बजे, कभी भी दिला दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मिलने क्यों दें (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : चारों तरफ से रास्ते बन्द कर रखे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जानबूझ कर षड्यंत्र है, ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, षड्यंत्र।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है। (व्यवधान) वह मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : गलत करवाकर आदर्श किशोर सक्सेना... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी। भंवरलालजी शर्मा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आदर्श किशोर सक्सेना ने चन्दनमल जी बैद से गलती करवाकर मनमर्जी से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब अधिवक्ताओं से मिला तो उन्होंने कहा था कि हम विधान सभा जाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहेंगे। मैंने खेतसिंह जी से निवेदन किया था कि वह डेपुटेशन आएगा तो आप उनसे मिलने की व्यवस्था कर दीजिए। पता लगा कि मुख्य मंत्री जी किसी कारण से दिल्ली गए हैं, यहां नहीं हैं। मैंने उनको कनवे किया कि वे मुख्य मंत्रीजी से मिलना चाहते है, वे तो हैं नहीं, अब आप किससे मिलना चाहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं तो हम अध्यक्षजी से मिलना चाहेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया, अब आप कहते है कि ऐसी परम्परा नहीं है। तो फिर उनसे बात करिये कि वे किससे मिलना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप बात करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठहरो, ठहरो, एक सैकिण्ड। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ही बात कर रहे हैं, आप जो फरमाएं। इतने मंत्री हैं (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात तो पूरी करने दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिनसे मिलना चाहें उनसे ही मिल लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई बड़ा विषय नहीं हैं। वे मिलने के लिये आये हैं, मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। किससे मिलना है (व्यवधान) लेकिन आपने जो एक बात कही कि लाठी चार्ज आपने इसलिये करवाया कि चन्दनमल जी के लाठियां पड़ी थीं। (व्यवधान) तो कब तक चुकाएंगे इस कर्ज को ? यह कर्ज कब चुक जाएगा ? रोज लाठी चार्ज करते हो, चन्दनमलजी का नाम ले लेते हो आप। तो आप यह बताएं कि यह कर्ज कब तक चुकेगा ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : खेतसिंहजी ने यह तो नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत ऊर्जा मंत्रीजी का ...(व्यवधान) इसके जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, गृह मंत्रीजी का लाठी चार्ज के बारे में (व्यवधान) स्टेटमैंट की बात कह रहे हैं, इतनी-सी बात कर लें। और कुछ नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन है जिसको आपने....

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उण्डू ग्राम में एक....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम तो स्टेटमैंट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) हम कोई यह नहीं कहते कि अभी करवा दें, आप समय तय करा दें, 4 बजे, 5 बजे। राजस्थान की राजधानी में प्रबुद्ध लोगों पर, वकीलों पर लाठी चार्ज, 25 संघों के लोगों पर लाठी चार्ज। (व्यवधान) इस पर गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें, सदन को अवगत करा दें। इतनी-सी बात हम जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रबुद्ध क्या होता है, साधारण पर भी नहीं चलनी चाहिए। लाठी चार्ज तो किसी पर भी नहीं चलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान : बाड़मेर जिले की तहसील शिव उण्डू गांव में लाढ़ी सीस का....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : लाठी चार्ज हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने लाठी चार्ज हुआ तो उसके लिये हम चाहते हैं कि सरकार कब अपना स्टेटमैंट दे देगी। सारे लोग बैठे हैं, (व्यवधान) क्या ऐसे कारण हो गये जिससे लाठी चार्ज करना पड़ा ? (व्यवधान)

डा किरोड़ी लाल: आखिर वह कांस्टेबल का सिर फूटा ...(व्यवधान) लाठी चार्ज हुआ (व्यवधान) उसके लिए सदन को जानकारी चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : जिसके कारण से लाठी चार्ज करना पड़े उसके लिये जानना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके पहले लाठीचार्ज पर ध्यान दें। (व्यवधान) इस पर चर्चा हो जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यही तो चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज हुआ है। (व्यवधान) इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि गृह मंत्रीजी सारी जानकारी लेने के लिये गये हैं, अभी आ जाएंगे। (व्यवधान) आप 4 बजे तक वकीलों को क्यों रोकना चाहते हैं, हम अभी मिलने के लिए तैयार हैं। आप डेलीगेशन ले आइये ऊपर, हम बात कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खेद तो व्यक्त करो। (व्यवधान)+++ ने कह दिया कि वकीलों पर नहीं लगेगा तो किस पर लगेगा। (व्यवधान) खेद व्यक्त तो करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) इतनी-सी बात है, सदन को जानकारी मिल जाए। हम वकीलों को नहीं रोकना चाहते हैं। (व्यवधान) और हम तो यह कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सरकार के प्रतिनिधि को भेज दें, उनको बुलाएं, उनसे बातचीत कर लें। क्योंकि बाहर क्या हालत हुई, क्या लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ अगर हुआ तो कितने लोगों को चोटें आयीं, इस बारे में सदन जानना चाहता है। गृह मंत्री जी का स्टेटमैंट आ जाए, बस इतनी-सी बात है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जो अत्याचार लोगों पर किया है (व्यवधान) उसके लिये क्षमा मांगिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले की तहसील शिव.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, अब नहीं।

श्री अमीन खान : शिव तहसील में उण्डू ऐसा गांव है जिसमें....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा+++लगा रखा है। कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना हो गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था फरमा दें। (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आपसे, आप बात ही क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था फरमा दें, स्टेटमैंट आ जाएगा। (व्यवधान) और कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी व्यवस्था नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाती, नहीं मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें बता तो दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी ने सदन को सूचित कर दिया कि गृह मंत्री जी जानकारी लेने गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्री जी तो आ गये है। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी आ गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमीन खान।

श्री हीरासिंह चौहान : जीरो आवर 4–4, 5–5 बजे तक चला है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी आ गये हैं, अब व्यवस्था दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी आ गये हैं, अब व्यवस्था दीजिये। जानकारी लेकर आ गये हैं तो स्टेटमैंट दिला दीजिए (व्यवधान) गृह मंत्री जी, क्यों निर्दोषों पर लाठी चार्ज करवा रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : उण्डू गांव में 33 के.वी. का सब स्टेशन है। इस गांव के अन्दर 80 किसानों ने नलकूप बनाये हैं और बाड़मेर और शिव तहसील के करीब 300 गांव व ढाणियों के लिये (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यहां पर लाठी चार्ज हो रहा है, यह मजाक नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्या है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप व्यवस्था फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों ही....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, हम दो नहीं हैं, कई माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बाहर जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जानकारी मिले लाठी चार्ज की, पूरे सदन की भावना है। अध्यक्ष महोदय, यह तो कृपा करो। वकीलों पर लाठियां मारी हैं और विधि मंत्रीजी तालियां बजा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठहरिये अभी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा: और एक + + + कह रहे हैं कि वकीलों पर....(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : यह इन दो की भावना नहीं है, यह सब लोगों की भावना है। (व्यवधान) ऐसा लाठीचार्ज हुआ और विधान सभा के सामने हुआ. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्री जी कम से कम जानकारी तो दें दे कि लाठीचार्ज किस कारण हुआ, कितने लोग उसमें घायल हुए। (व्यवधान) और ऐसे कौन से कारण थे कि विधान सभा के द्वार पर, विधान सभा में प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज की आवश्यकता हुई ? (व्यवधान) गृह मंत्री जी हैं, राजस्थान में धारा 144 लग जाती है और यहां पर कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। आसन पैरों पर। गृह मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : मैंने जो अभी प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त की है, डी. आई. जी., जयपुर–1 श्री अजीतसिंह जी से, और जयपुर के कलेक्टर से, मैंने उनको यहां पर ऊपर बुलाया था, उन्होंने कहा कि आप अपना डैलीगेशन लेकर चलिये हम आपके डैलीगेशन को मिलाये देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि 5 आदमी जाएंगे। उन्होंने कहा चलिए पांच। फिर कहा 20 आदमी जाएंगे। उनमें अभी तक तय ही नहीं हो पाया है कि कौन 20 आदमी मिलेंगे, नम्बर-एक।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ लोग आगे लगे हुए थे, वे लोग पुलिस जो गेट के ऊपर लगी हुई है, विधान सभा की सुरक्षा के लिए, उस घेरे को तोड़कर अन्दर प्रवेश करना चाहते हैं। हाथों में उनके झंडे हैं, उससे पुलिस वालों के बराबर पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर मार रहे है। कुछ चाय पी रहे हैं और चाय के कुल्लड़ पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। कहीं से पथराव कर रहे हैं। यह बात सही है कि एक वकील साहब के पुलिस ने पुश किया इस तरह से तो उनको यहां पर एक जगह चोट आयी है। As such there is no lathi charge. न अश्रु गैस छोड़ी है वहां पर। जो जानकारी मुझे अभी मिली है, अभी जो मैंने ली है, वह प्रारम्भिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। श्रीमान्, हमारे विधि मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी अगर कोई डैलीगेशन आता है, आप ले आइये, उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। मिलने की कोई मनाही, कोताही, सरकार की तरफ से नहीं है। यही मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं, श्रीमान्।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अश्रु-गैस छोड़ी है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये देखकर आये हैं।

श्री कन्हैया लाल : अश्रु गैस छोड़ी है, लाठीचार्ज हुआ है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये देखकर आये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, आप सुन लें। कृपया, आप मेरी बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया कलेक्टर, जयपुर से, डी.आई.जी., जयपुर से कि क्या आपने कोई अश्रु गैस छोड़ी है, टियर गैस छोड़ी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है, तो दोनों ने उसको मना किया है कि टियर गैस यहां नहीं छोड़ी है। जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर तो गेट के ऊपर करीब एक हजार आदमी हैं, पीछे की तरफ हजार-पन्द्रह सौ आदमी और खड़े हुए हैं। इस वक्त मैंने पूछा कितने आदमी हैं, क्या है। मैंने उनको फिर कहा है कि अपने को रेस्ट्रेन रखना है, उनका कोई डैलीगेशन आता है तो उससे मिलना है। हमें मिला दीजिए लाकर ऊपर। जो आप कह रहे हैं कि टियर गैस छोड़ी, जो मैंने प्रारम्भिक जानकारी, मैंने शब्द यूज किया है, वह ली है, दोनों ने इसको स्पेसिफिकली डिनाई किया है कि कोई टियर गैस शायद यहां नहीं छोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

एक माननीय सदस्य : ये तो मात्र कल्पना कर रहे हैं, यहां बैठे हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है। दो किशोरियों की हत्या का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रतिदिन बोलते हैं। पर्ची पर आप बोलते हैं, रोजाना स्थगन-प्रस्ताव आप देते हैं एक-एक और आप 295 भी देते हैं इसलिए आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 हैं, उसमें आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। वह व्यवस्था दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है यहां पर।

श्री रमजान खान : 295 है।

श्री अध्यक्ष : अभी यहां व्यवस्था नहीं है, आप मुझसे मिल लेना, चैम्बर में।

(12.33 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शिव तहसील के ग्राम उण्डू में 33 के वी ए. जी. एस. एस. की स्थापना

श्री अमीन खान (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम उण्डू में 33के.वी. का जी. एस. एस. बनाया जाए क्योंकि बाड़मेर जिले में उण्डू एक ऐसा गांव है, जिसमें पानी का बहुत भण्डार है जो लाठ़ीसीस का पानी है।

उण्डू ग्राम में आज कम से कम 80 नलकूप किसानों ने कृषि के लिए बनाए और उनका लोड भी ज्यादा है। इसके अलावा उण्डू से कम से कम 300 गांव व ढाणियों के लिए पेयजल योजनाएं चल रही हैं। इनका भी लोड ज्यादा है जिससे वोल्टेज सही न मिलने से किसानों को फसलें पकाने में कठिनाइयां आती हैं और फसलें सूख जाती हैं।

इसी प्रकार जलदाय विभाग भी

(श्री अमीन खान)

योजनाओं के अनुसार पानी नहीं पहुंचा पा रहा है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनहित में ग्राम उण्डू में 33 के. वी. का जी. एस. एस. स्वीकृत कर शीघ्रातिशीघ्र कार्य शुरू किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने के बावजूद नीलामशुदा भूमि पर अवैध निर्माण

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नगरपालिका जैतारण (पाली) द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दिये जाने के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी के आवास की नीलामशुदा भूमि पर अवैध निर्माण करने बाबत मुझे निवेदन करना है।

महोदय, निवेदन है कि जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में शहर के मध्य उपखण्ड अधिकारी का आवास बना हुआ था। इस आवास की नीलामी में मिलीभगत कर करोड़ों रुपये की जमीन मात्र 28 लाख रु. में जगदीश प्रसाद एण्ड पार्टी के नाम छोड़ दी गई एवं उसके नाम विक्रय पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात नगरपालिका में बिजली, पानी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया तब पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों की कमेटी ने मौका देखा। मौके पर खरीदशुदा भूमि के अलावा पालिका की भूमि को भी सम्मिलित कर वाणिज्यिक उपयोगार्थ भवन निर्माण की स्वीकृति चाही गई थी, जिस पर कमेटी ने भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं देने की अनुशंसा की एवं यह भी जाहिर किया कि उक्त भूखण्ड के समीप ही उच्च प्राथमिक विद्यालय, सब्जी मण्डी, सार्वजनिक क्लब होने से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति नहीं दी जाए व पालिका की लाखों रुपये की जमीन को सुरक्षित रखा जाए। पालिका द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के बावजूद भी उस पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण शुरू करने पर पालिका द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद भी निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया एवं दुकानों का निर्माण करवा दिया गया, जिससे आम जनता में आक्रोश है।

इसलिए जनहित में अवैध निर्माण को तोड़ा जाए एवं भविष्य में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की जाए। जनता के आक्रोश को देखते हुए पालिका की भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने बाबत आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा।

गिर्वा पंचायत समिति के गांवों में पेयजल समस्या

श्री रूपलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रूपलाल)

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गिर्वा पंचायत समिति के सभी गांवों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत है व पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई। इस क्षेत्र के निम्नलिखित गांव पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं :– (1) जगत, (2) कराकला, (3) श्रावरा बलौड़िया, (4) गुड़ली, (5) किला, (6) जैतपुरा, (7) बम्बोरा, (8) कुरावड़, (9) सिसवी, (10) ऊंकार आदि एवं पंचायत समिति सलूम्बर के गांव– (1) गोवसेरीया, (2) बस्सी, (3) इण्डाली, खेड़ा, (4) खेराड़, (5) गोवड़ा पास, (6) करावली, (7) ग्रमलोड़ा, (8) लकाया, (9) खरका-इडाणा आदि। यदि इस क्षेत्र में पीने के पानी की अतिशीघ्र समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले महीनों में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी।

अतः श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपरोक्त वर्णित गांवों की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उक्त गांवों की पेयजल समस्या के तत्काल समाधान करने की महती कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

रामगढ़ शेखावाटी तहसील में अतिरिक्त तहसील कार्यालय की स्थापना

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रामगढ़ शेखावाटी नगरपालिका क्षेत्र है, काफी बड़ा शहर है। रामगढ़ के अन्दर तहसील दफ्तर सरकार द्वारा बनाया हुआ है, सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। रामगढ़ अतिरिक्त तहसील में 12 ग्राम पंचायतें व 65 गांव हैं, एक बड़ा शहर है। अतिरिक्त तहसील होने के कारण जनता को रामगढ़ फतेहपुर के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं।

श्रीमान्, जनता की काफी समय से मांग है कि सरकार रामगढ़ को तहसील बनाए। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ को तहसील का दर्जा प्रदान करें। दफ्तर बना हुआ है, कर्मचारी क्वार्टर भी बने हुए हैं। पांच कर्मचारियों का स्टाफ है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र रामगढ़ को तहसील का दर्जा देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

खजूरी गांव, सांगोद पंचायत समिति में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

श्री हेमन्त कुमार (सांगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के गांव खजूरी पंचायत खजूरी में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित हैं कि इस गांव

(श्री हेमन्त कुमार)

में स्वास्थ्य केन्द्र खोलना अत्यन्त आवश्यक है। गत सरकार ने भी यहां की आवश्यकता को महसूस करते हुए उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान कर दी थी लेकिन किन्हीं कारणों से उक्त गांव में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलकर अमृत कलां पंचायत के गांव खजूरी में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा पंचायत खजूरी के निवासी लाभान्वित होने से वंचित हो गये।

आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त पंचायत खजूरी जो लाभान्वित होने से वंचित हो गई है, पर पुनः स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कष्ट करें जिससे इस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवा में लाभ प्राप्त हो सके और ग्रामीण जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली शहर के मिल क्षेत्र में कतिपय विद्यालयों की क्रमोन्नति

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पाली शहर में जिसकी आबादी करीब पौने दो लाख है, छात्रों का मात्र एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसके कारण छात्रों को काफी परेशानी होती है। इसी प्रकार छात्राओं का भी एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय है। ये दोनों विद्यालय शहरी क्षेत्र में हैं। पाली शहर की एक तिहाई आबादी जो कि मिल क्षेत्र में रहती हैं, वहां के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु करीब पांच-छह किलोमीटर दूर आना पड़ता है। मिल क्षेत्र की अधिकांश आबादी मजदूर, गरीब एवं अनुसूचित जाति की है। इन परिवारों के बच्चे विद्यालय अत्यधिक दूर होने के कारण अपनी शिक्षा चाहते हुए भी बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मिल क्षेत्र के सुल्तान माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय करावें एवं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय जवडिया, दुधिया, बागडिया, उतवन एवं शहरी क्षेत्र के टैगोर नगर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का श्रम करें। ग्रामीण क्षेत्र के निम्बली उडा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने का श्रम करें।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस वर्ष जब विभाग विद्यालय के क्रमोन्नत हेतु विचार-विमर्श करे तो उपरोक्त विद्यालयों को निश्चित रूप से क्रमोन्नत करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपको सूचना मिल गई

(श्री जगत सिंह दायमा)

होगी, परन्तु बाहर अभी भी लाठी चार्ज हो रहा है वकीलों पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यू समाप्त हो गया।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, अब भी हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी का स्टेटमैंट आ गया, बात समाप्त हो गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : गृह मंत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं इस वक्त भी लाठी चार्ज हो रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो यह पुलिस का टूटा हुआ डण्डा रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : यह वकीलों के ऊपर (व्यवधान) यह पुलिस का डण्डा रहा, आप देख लीजिए। इस तरीके से औरतों को, महिलाओं को बाल पकड़ कर घसीटा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही खेद का विषय है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपनी मांग रखता है तो यह डण्डा तोड़ दिया इस तरीके से। यह डण्डा तोड़ दिया, यह देख लीजिये पुलिस का। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : दायमा जी उनके बीच में जाकर आए हैं। वहां पर जाकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : खुद ही ले गये वहां पर '' (व्यवधान) अभी भी लाठी चार्ज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कंटीन्यू हो रहा है। (व्यवधान) सिर फूट गये।

श्री जगत सिंह दायमा : इतनी पिटाई हुई कि डण्डा टूट गया। कइयों के सिर फूट गये। औरतों को घसीटा गया है सड़क के ऊपर लाकर और बुरी तरह से कई महिलाओं की बेइज्जती हुई है। इस तरह से उनकी कहीं साड़ी पड़ी है, कहीं उनका कुछ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : अभी भी यह चालू है। मैं वहीं से आ रहा हूं। (व्यवधान) यह डण्डा इस बात का गवाह है कि यह भी पीटते-पीटते टूटा है। निर्ममता से पिटाई हुई है और पीटते-पीटते यह डण्डा टूट गया है। कम से कम तुरन्त जाकर जो पुलिस के अधिकारी इस तरह से निर्मम पिटाई कर रहे हैं, उनको रोकिये और रोक कर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह लकड़ी का टुकड़ा कहां से लाये हैं, कहां से लाकर दिखा रहे हैं? यह लकड़ी का टुकड़ा कहां से लेकर आये हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह लकड़ी का टुकड़ा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, यह लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये मौके पर गये हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : और उनको बहुत बुरी तरह से मारा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय जगत सिंह जी, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं सदन में गलत बात नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, बिराजिये। माननीय जगत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कहें तो मैं इसको टेबिल पर रख दूं। आप देख लीजिए। आज्ञा दीजिये। (व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से टेबिल पर रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी अनुमति नहीं है इसको रखने की। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : राजस्थान के सभी महिला वकीलों को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस वाले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उनको पीटा गया। इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम नीचे जाकर आये हैं। कितना बड़ा असत्य....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के अमरीक सिंह, जयपुर के सुरेश श्रीमाली, श्रीमती निर्मला शर्मा, जयपुर के अश्विनी शर्मा, प्रशांत चतुर्वेदी, आनन्द शर्मा ये सारे लोग गम्भीर चोट खाने के बाद में अस्पताल में भर्ती हैं। जो एडवोकेट महिलाएं थीं उनके कपड़े फट गये। गृह मन्त्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं कि किसी पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हजारों की तादाद में पुलिस खड़ी है और वकील लोग दूसरी तरफ खड़े हैं, शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हैं, किसी प्रकार का प्रोवोकेशन वकीलों की तरफ से नहीं हुआ। पुलिस ने जान-बूझकर उन पर लाठीचार्ज किया है और इसके बाद भी सदन के अन्दर आकर गृह मंत्रीजी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। गम्भीर रूप से जिन घायल व्यक्तियों को चोट आयी है उनके लिए पुलिस दोषी है। (व्यवधान) एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। पुलिस इसको रोक सकती थी और कोई बात कर लेती। जाते ही औरतों को पीटना, वकीलों को पीटना चालू कर दिया। औरतों की तो साड़ी कहीं पड़ी है, वह कहीं पड़ी है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है, वकील हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कितनी

(श्री रामनारायण चौधरी)

दफा रिपीट करेंगे ? माननीय जगत सिंहजी दायमा ने दस दफा रिपीट कर दिया ।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, रिपीट नहीं कर रहा । इसलिए कह रहा हूं कि गम्भीर मामला है । मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं । इसमें जो अधिकारी शामिल हैं, जो एस.पी. रैंक का व्यक्ति यहां पर अधिकारी हैं, उसको तुरन्त सस्पैंड किया जाना चाहिए ।

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्रीजी ने गुमराह किया है । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : गृह मंत्री जी ने गुमराह किया है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन को गुमराह किया है, उपाध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैंने कलक्टर और डी. आई. जी. को बुलाकर पूछा है । उन्होंने कलक्टर और डी. आई. जी. को बुलाया ही नहीं और यहां पर गलत बयानी देकर चले गये सदन से । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टूटा हुआ डण्डा गवाही दे रहा है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके सामने गृह मंत्री जी से आपने चाहा कि एक स्टेटमैंट दें । आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उसके बाद भी यह क्रम रहा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वकीलों को मारा है । (व्यवधान) उनको मारा है । वहां पर कर्मचारी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा गृह मंत्री जी स्टेटमैंट दें । गृह मंत्रीजी इस हालात में जैसा उनको मालूम पड़ा प्राइमाफेसी, उन्होंने यहां आकर के (व्यवधान) आर्डर प्लीज, एक मिनट (व्यवधान) उन्होंने स्टेटमैंट दे दिया और उसके बाद आपको यदि उस स्टेटमैंट में कोई गलती दिखे या गलत है then let it come in some other form. यहां कहने से कोई फायदा नहीं है इसको । जो बातें स्टेटमैंट में कह दीं वे कह दीं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं ? अगर आपको लगता है गृह मंत्रीजी ने स्टेटमैंट गलत दिया है तो और कोई रास्ते से इसको उठाइए । यहां चर्चा करने से क्या फायदा ? बात समाप्त हो गयी है और अध्यक्ष महोदय इस बात को समाप्त करके चले गये । उसके बाद अब बात को उठाने से कोई मतलब नहीं रहता । माननीय श्रीमती पूनम गोयल ।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी और पिटाई हो रही है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी लाठियां खाएं क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । I have not allowed. नहीं, अंकित नहीं हो । I will not allow, नहीं, माननीय सदस्य, बस हो गया । बहुत हो गया । नहीं, बात हो गयी । आप सब इस पर चर्चा कर चुके, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दे दी उसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, I will not allow, अंकित नहीं होगा ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी । आर्डर प्लीज । आपने अपनी बात कह दीं । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी । अब 295 शुरू हो गये, 295 चलेगा । माननीय सदस्य जगत सिंह जी, प्लीज को-आपरेट ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, प्लीज । आपने आपस में क्या कहा, उसका यहां कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, बिराजिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये । माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर । माननीय सदस्य, विराजिये । माननीय अमरारामजी, बिराजिये ।

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री हीरासिंह चौहान : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री श्रीचन्द कृपलानी : X X X

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा हैं । आर्डर प्लीज । माननीय, आर्डर प्लीज ।

श्री जगत सिंह दायमा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, हाउस को चलने दीजिये । नहीं, आप विराजिये । प्लीज राठौड़ साहब । यह बात समाप्त हो गयी । आपने जैसा कहा, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी । इसके बाद इस विषय पर अब कोई बात नहीं होगी । नो, आर्डर प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : X X X

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Let in come in some other form,

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप यह मैसेज देते हैं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

(श्री अमराराम (धोद), नेता, माकपा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री जगमाल सिंह यादव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जगमाल सिंह जी । माननीय सदस्य, विराजें ।

श्री जगमाल सिंह यादव : × × ×

(श्री जगमाल सिंह यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक है । इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न मामला गम्भीर, माननीय श्री जगत सिंहजी ।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बोल रहे हो, अंकित हो नहीं रहा ।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बोलने से क्या फायदा, क्या लाभ है ? इससे फायदा नहीं है न ?

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप पहले कह चुके । आप कहना क्या चाहते हो ? यह बात आपने दो दफे तो पहले कह दी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय जगत सिंहजी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

(श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, बसपा, द्वारा सदन से बहिर्गमन)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। और जिस को जाना हो जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : X X X

श्री उपाध्यक्ष : जब आपको वाकआउट करना है तो जाओ न फिर। आपकी पार्टी के दायमा जी गये, आप भी जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : X X X

श्री उपाध्यक्ष : वे कह कर गये हैं न, आप भी जाओ। अब क्या कहना है आपको ? लीडर तो रह गये और वे चले गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप किस बात के लीडर हो ? आप काहे के लीडर हो ? वे चले गये और आप, लीडर बैठे हो। लीडर को रोकना चाहिए उनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : X X X

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मुझे अलाउ करें आप। एक मिनट आप मुझे अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है।

श्रीमती पूनम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक मिनट। मुझे अब अलाउ किया है।

शुरू में हमने यह निवेदन किया कि वकील और कुछ व्यापारी बड़ी संख्या में आपसे मिलने के लिए आए हैं मांग लेकर। आप मिलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अलग विषय हो सकता है लेकिन... (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : कह दिया कितनी बार, हम मिलने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमैंट ने कह दिया आप भेजो डेलीगेशन। (व्यवधान) कोई आएगा जब ही वे मिलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात तो सुनें, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप ठहरिये।

श्री उपाध्यक्ष : तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मिलने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर वे तैयार ही नहीं हैं आने को तो ये क्या करें ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं यही कहना चाहता हूं कि वे मिलने आये, अपनी बात कहना चाहते थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : The don't want to come.

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्यों ने मांग की कि लाठी चार्ज की घटना की जानकारी दे दें और गृह मंत्रीजी ने अविलम्ब जानकारी ला कर यहां दे दी। माननीय सदस्य जब नीचे गये, क्योंकि गृह मंत्रीजी ने कहा था कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई आंसू गैस नहीं चली। जब नीचे गये तो कुछ वकीलों के चोटें थीं और उनके साथ लाठी चार्ज हुआ था। यह असत्य बयान दिया गया। फिर बाद में खेतसिंह जी ने यह कहा कि जब चन्दनमल जी के लाठी पड़ी तो उसका बदला तो चूकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो पहले हो गयी, माननीय सदस्य, इसको कितनी दफे कहोगे आप ? (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह कभी नहीं कहा। आप असत्य बात कह रहे हैं (व्यवधान) बदला चूकने की बात उन्होंने नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं .. (व्यवधान)....आएंगे तो लाठी पड़ेगी।

श्री चन्दन मल बैद : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, यह गलत बयानी मत कीजिये आप। ऐसे उन्होंने कभी नहीं कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां आएंगे तो लाठी खानी पड़ेगी। इस प्रकार का ...

श्री चन्दन मल बैद : यह गलत बयानी कर रहे हैं आप, इन्होंने कभी यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां जिस प्रकार से...(व्यवधान) इस अन्याय को, इस गम्भीर विषय को आप बर्दाश्त नहीं करते हो तो इसके बाद हम भी वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हुई। माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्य बोल चुके, चले गये, अब क्या बात है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोले जाओ, अंकित तो हो नहीं रहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हां।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

(मोहम्मद माहिर आजाद, नेता, बसपा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एम. एल. ए. तकीउद्दीन अभी नीचे

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

गये थे, वकीलों ने ही उनको बुलाया था। वे वकीलों से बात करके आये हैं, आप उनको थोड़ा-सा मौका दीजिये ताकि वे बयान दें।

श्री तकीउद्दीन अहमद (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मेरे पास मिस्टर एन. के. जोशी जो बार के मशहूर एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट भी हैं बार कौंसिल के, उनका टेलीफोन आया था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप लोग जुलूस लेकर आ रहे हैं, आइये। आप 11 आदमियों की एक कमेटी बना लीजिए। आने के बाद हम आपके कॉज को मुख्य मंत्रीजी अगर होंगे तो उनके सामने, वित्त मंत्रीजी होंगे उनके सामने, और जो कोई प्रापर परसन होगा उसके सामने रखेंगे और उसके बाद हम भी यह कोशिश करेंगे कि आपके साथ सहानुभूति बरती जाए।

जब मैं नीचे गया तो मुझसे कहा गया कि आप वहां चल कर स्टेटमैंट दीजिये। मैंने उनको जाकर यही कहा कि आज इत्तिफाक से मुख्य मंत्रीजी हाउस में नहीं हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, आप एक कमेटी बना लीजिए और मेरे साथ चलिये। इस पर उन्होंने मेरे साथ धक्का-मुक्की की और किसी एक साहब ने मेरे सिर में लकड़ी मारी। खैर, मैंने कहा ठीक है। जब आप मेरी ही नहीं सुनते हैं, मैं बहैसियत विधायक और एडवोकेट आपके सामने आया हूं तो फिर आप किसकी सुनेंगे। फिर मैं ऊपर आ गया। फिर मुझको नीचे बुलाया गया और बुलाने के बाद मुझ से कहा गया कि जो हमारे साथ गलती हो गयी है हम उसकी माफी मांगते हैं और अब आप हमारे कॉज को ऊपर जाकर प्लीड कीजिए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि किसी संयोजित साजिश के तहत इसको पोलिटिकलाइज किया जा कर बी. जे. पी. के लोग उनके साथ लग गये हैं इसलिए वे इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे इस इश्यू को पोलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसा ग्रुप जो उनमें शामिल हो गया है, एडवोकेट तबका पढ़ा-लिखा तबका है, उसको ऐसे ग्रुप को साथ नहीं लेना चाहिए जिससे उनका कॉज भी सफर हो और वे लोग भी शर्मिन्दा हों बाद में जा करके। आखिर क्यों तो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और क्यों माफी मांगी? यह भी एक शर्म की बात है। मुझे क्यों बुलाया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपके गुड आफिसेज यूज करके यदि कोई डैलीगेशन माननीय मंत्रीजी से मिलना चाहे तो आप मिला दें। नहीं मिलें तो उनकी मर्जी है।

श्रीमती पूनम गोयल।

(13.00 बजे)

लाडपुरा तहसील की बालापुरा लिफ्ट सिचाई योजना की स्वीकृति

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बालापुरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के 6 वर्षों से स्वीकृत न होने की और नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लाडपुरा तहसील

(श्रीमती पूनम गोयल)

की बालापुरा लिफ्ट स्कीम पिछले 6 वर्षों से स्वीकृति के अभाव में यहां पर धक्के खा रही है। यह लिफ्ट कैनाल चम्बल प्रोजेक्ट की आर.एम.सी की राइट फ्लैंक पर आर.डी. 72000 से निकाली जानी प्रस्तावित है। आर.एम.सी. पर इसकी लिफ्टिंग लेबल 254 75 एम है। इससे बालापुरा, जखोड़ा, खादीहेड़ा, गोलबा, भगवानपुरा इन पांच गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।

इस योजना के बन जाने पर 292.20 एम.सी. एफ.टी. पानी उपलब्ध होगा और उससे 1900 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इसको यदि खरीफ पर देखें तो 760 हैक्टेयर और रबी की फसल पर 1520 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस प्रकार कुल कल्टीवेटेड एरिया 2280 हैक्टे. होगा तथा इससे 602 काश्तकार लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, इसकी लागत पहले जहां 175 लाख थी आज वह बढ़ते-बढ़ते 414 लाख हो चुकी है। इसलिए इसको मंजूर किया जाना आवश्यक है। छोटी लिफ्ट योजनाओं के लिए बने प्रावधानों के अनुरूप वहां के काश्तकारों ने 30.3 93 को ही बालापुरा लिफ्ट सिंचाई सहकारी समिति लिमिटेड, बालापुरा का रजिस्ट्रेशन लिफ्ट योजना के मेंटीनेंस और संचालन के लिए कर लिया था परन्तु योजना बनी ही नहीं।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके पूर्व सदस्य मदान साहब लगातार पांच वर्ष तक इस योजना के लिए प्रयास करते रहे पर कुछ नहीं हुआ। उनके पूर्व मंत्री भाटीजी स्वयं वहां पधारे और उन्होंने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य को साक्षी रखकर मैं कहता हूं कि मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, योजना जरूर बनेगी। पर ये राजपूतों वाला वायदा भूल गये और 17.3 97 को इसी पवित्र सदन में माननीय मदान साहब को कहना पड़ा "उम्मीदे वफा तुमसे होगी, जिन्हें होंगी, मुझे तो देखना है यह कि तुम जालिम कहां तक हो।"

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि अब तो मेहरबान मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी बिराजमान हैं, अतः तुरन्त ही यहां से इस योजना को मंजूर कर इस कार्य को शुरू कराएं।

मुझे बताया गया है कि इसके लिए मुख्य मंत्रीजी की स्वीकृति आवश्यक है? अतः मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि इसको शीघ्र स्वीकृत कराएं। धन्यवाद।

खारची विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अकाल राहत के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख कर रहा हूं। खारची विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य दो माह से बिलकुल नहीं चल रहे हैं जब कि सभी गांव अकालग्रस्त घोषित हैं। मजदूर मजदूरी के लिए पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में नीचे लिखे गांवों में आने-जाने के लिए कोई सड़क नहीं

(श्री केसाराम चौधरी)

है, यदि इन गांवों में ग्रेवल सड़क अकाल राहत के तहत बनवायी जाएं तो यहां के निवासियों को मजदूरी भी मिल जाएगी तथा गांवों में जाने के लिए सड़क भी तैयार हो जायेगी। अतः नीचे लिखे गांवों में सड़कों की अकाल राहत में स्वीकृति प्रदान करें—

1. सारन निचली निम्बड़ी काटीयापाटी से सिंचीयावास 5 किलोमीटर।
2. आऊवा से आसण धांचीयान होते हुए कराड़ी तक 8 किलोमीटर।
3. डिंगोर प्याऊ से डिंगोर गांव तक 2 किलोमीटर।
4. जोडकिया, बासोर, खेड़ा कल्याणपुर, सिमाल, ढेलपुरा, हलावट, राणा नाड़ी, कनायतों का ओदा, कारवाड़ा होते हुए जोजावर डामर सड़क तक 14 किलोमीटर।
5. पानोता सड़क मोड़ से माणका 2 किलोमीटर।
6. गुढ़ा ऊमजी से ऊपरला गुड़ा तक 3 किलोमीटर।
7. कोट सोलंकियान से गुड़ा देवड़ा सोलंकियान 3 किलोमीटर।
8. देसूरी सड़क से खारची गांव तक 2 किलोमीटर।
9. माडपुर से डायलाना कल्ला 8 किलोमीटर।
10. नारलाई से अटारिया होते हुए केसुली तक 9 किलोमीटर।
11. धनला मोड़ से मामावास, गुड़ा हिन्दु होते हुए पाचेटिया 8 किलोमीटर।
12. इन्द्रवाड़ा से मीमालिया रेल्वे फाटक होते हुए मिमालिया 5 किलोमीटर।

मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहूंगा कि उपरोक्त गांवों में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इन गांवों के लोगों को राहत प्रदान करें।

धमाना पंचायत, कपासन विधान सभा क्षेत्र में स्थित जर्जर पेयजल टंकी से खतरा

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपासन के पंचायत मुख्यालय धमाना में जर्जर हो चुकी पेयजल टंकी की ओर माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

कपासन विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय धमाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित पेयजल टंकी काफी जर्जर अवस्था में पहुंच गयी है। यह टंकी किसी भी समय गिर सकती है जिसके फलस्वरूप इसके आस-पास के मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं भारी जन-हानि होने की सम्भावना बनी हुई है।

उक्त टंकी को गिराने के लिए एस.डी.एम. महोदय एवं विभाग द्वारा आदेश भी पारित किये जा चुके हैं लेकिन दीर्घावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस टंकी को नहीं गिराया गया।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में इस जर्जर टंकी को अविलम्ब गिराये जाने की कार्यवाही कराएं ताकि भविष्य में होने वाली सम्भावित दुर्घटना को टाला जाकर इसके आस-पास रहने वाले नागरिकों की जान-माल की रक्षा हो सके।

हिण्डौन शहर के गन्दे नाले की सफाई

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लाल।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन शहर के गन्दे नाले की ओर स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। करौली जिले के हिण्डौन शहर के बीच में गन्दा नाला बहता है, इसमें सारे शहर की गन्दगी आती है। इसके चारों तरफ एस.सी. की आबादी है जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे शहर में बीमारी फैल रही है। भाजपा सरकार के शासन में इस गन्दे नाले को साफ करने के नाम पर 10 दिन में 25 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खर्च कर दिये गये। उसमें पैसा लगा लेकिन गंदा नाला साफ नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से भी आदेश हुए काफी समय हो चुका है कि गन्दे नाले को जल्दी साफ किया जाए, इसके बावजूद भी आज तक गन्दा नाला साफ नहीं हुआ है।

सार्वजनिक निर्माण सचिव महोदय के कक्ष में जिला कलेक्टर, चेयरमैन, ई. ओ. की मीटिंग भी हुई और तय हुआ कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्षा से पूर्व नाले को साफ कर दिया जाए। उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन के यहां मीटिंग हुई उसमें अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चेयरमैन, ई.ओ. एवं स्वायत्त शासन विभाग से भेजे हुए अधीक्षण अभियन्ता भी आये। उस मीटिंग में तय किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि 30 जून से पूर्व नाला साफ कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं किया है।

अतः आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डौन के गन्दे नाले को वर्षा से पूर्व तुरन्त साफ करवा दिया जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

बहरोड एक्सीडैण्ट मोबाइल यूनिट का उचित प्रबन्ध

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8" पर रोजमर्रा होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल रोगियों को उचित प्रारम्भिक उपचार हेतु बहरोड़ एक्सीडैंट मोबाइल यूनिट के उचित प्रबंधन के विषय में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों पर द्रुतगति के वाहनों से होने वाली दुर्घ-

(डा. करण सिंह यादव)

टनाओं में होने वाली असंख्यक मृतकों की खबरें हम रोज प्रातः अखबारों में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दिल्ली जयपुर एवं जयपुर अजमेर के बीच न जाने हर वर्ष कितनी जनहानि होती है।

बहरोड के आस-पास होने वाली दुर्घटनाओं में अत्यन्त गम्भीर रूप से घायल रोगियों के लिए बहरोड में मिड-वे के पास में एक्सीडेंट मोबाइल यूनिट (ट्रोमा यूनिट) का निर्माण किया गया था। गत वर्षों में इस यूनिट को शाहपुरा स्थानान्तरित किया गया था जहां यह यूनिट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकी और गत वर्ष इस यूनिट को पुनः बहरोड स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मगर यह यूनिट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसमें डाक्टरों व नर्सों के पद रिक्त पड़े हैं तथा जीवन रक्षा करने वाले उपकरण भी नहीं हैं। सड़क दुर्घटनाओं में या तो यात्रियों की तत्काल स्थान पर ही मृत्यु हो जाती है या गम्भीर रूप से घायल रोगी उचित व्यवस्था न होने के कारण जयपुर पहुंचते-पहुंचते रास्ते में दम तोड़ देता है।

अगर बहरोड़ की ट्रोमा यूनिट में पूरे चौबीसों घंटे डाक्टर व कम्पाउण्डर, नर्सेज उपलब्ध हों तथा जीवन रक्षा करने वाले उपकरण, प्राथमिक उपचार की दवा व एम्बुलेंस उपलब्ध हो तो अनेकों जानें बचाई जा सकेंगी।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और यातायात मंत्री जी से बहरोड़ की इस बीमार एक्सीडेंट ट्रोमा यूनिट के सही संचालन के लिए उच्च स्तर पर सरकारी कार्यवाही के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

डेगाना तहसील में अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्यों की पूर्णता के लिए श्रमिक बीमा में बढ़ोतरी

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील डेगाना के अकाल राहत में स्वीकृत कार्यों को आवश्यक रूप से 30 जून, 1999 तक पूर्ण कराने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998–99 के दौरान डेगाना जिला नागौर के कुल 210 राजस्व ग्रामों में से 188 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये जिनमें से 111 ग्राम 50 से 74 प्रतिशत तक तथा 77 ग्राम 75 से 100 प्रतिशत तक अभावग्रस्त घोषित किये गये। इन ग्रामों के ग्रामीणों को मजदूरी दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत मद में कुल 113 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी तथा करीब 4,000 श्रमिक सीमा निर्धारित की गयी। परन्तु खेद का विषय है कि निर्धारित श्रमिक सीमा के अनुसार श्रमिक नहीं लगाये गये जिसकी वजह से 31 मार्च, 1999 तक उक्त कार्यों में से केवल 49 कार्य ही पूरे हो सके हैं। बाकी के कार्य कम श्रमिक लगे होने के कारण माह जून तक पूरे हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं लगता। अकाल राहत मद में डेगाना तहसील में विभिन्न गांवों में सम्पर्क सड़कों पर ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु करीब 51

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति जारी की गयी थी। इन सभी सड़कों को आवश्यक रूप से 30 जून, 1999 तक पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं परन्तु आधा अप्रैल माह बीत जाने के बावजूद किसी भी सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। निर्धारित श्रमिक सीमा से कहीं कम श्रमिक से लगे होने के कारण इन कार्यों का समय पर पूर्ण होना संदिग्ध है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय अकाल राहत मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर मांग करता हूं कि सभी स्वीकृत राहत मद के कार्यों को आवश्यक रूप से माह जून, 1999 तक पूर्ण कराने के लिए श्रमिक सीमा बढ़ाने के निर्देश दिलाने की कृपा करें ताकि इस मद में स्वीकृत सभी कार्य पूरे हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब से राजस्थान का बजट आया है, पूरे प्रदेश में हर वर्ग इस बात से चिन्तित है और आंदोलित है। सारे स्थान पर इस प्रकार के धरने प्रजातांत्रिक तरीके से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड साहब, मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूं। जस्ट ए मिनट, सर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, यह बहुत पहले कह चुके हैं सारी बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, यह नहीं कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यहां माननीय सदस्य जो कांग्रेस के बैठे हैं, वे कहते हैं टैक्स कम नहीं करेंगे, हम टैक्स पूरा लेंगे। हमारे वित्त मंत्री जी आज मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें कुछ कमी करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। जब आप यह कहते हो ना कि हम विचार कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूं, कोई कम करना हो तो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी में क्यों हैं? फाइनेन्स बिल आ रहा है उस पर बात होगी ना, जल्दी क्या है आपको? श्री मदन दिलावर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उससे आन्दोलन ज्यादा होता है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोई कम करना हो तो बता दो वरना यह आन्दोलन चलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री मदन दिलावर।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राष्ट्रीय पक्षी मोर की बड़े पैमाने पर हत्या

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय

(श्री मदन दिलावर)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को निरन्तर मारा जा रहा है। आप जानते हैं, मोर कितना प्यारा पक्षी है। प्यारा भी है, सुन्दर भी है, और राष्ट्रीय पक्षी भी है। जब बच्चे और हम इसको नाचता हुआ देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर रूप से इसको मारा जा रहा है। 27 जनवरी को कुंडेरा गांव में सवाईमाधोपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर एक दर्जन से ज्यादा मोरों को मार कर गिरा दिया और उसके बाद (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्चियों पर बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 अप्रैल को बूंदी जिले के तलवास गांव में 6 मोरों को मार दिया। उसके बाद मसलेरी गांव में 18 मोरों की दर्दनाक मौत इसलिए हो गयी कि उनको मार दिया गया। इससे पूर्व कोटा के रंगबाड़ी उद्यान, जगपुरा में दर्जनों मोरों की हत्या कर दी गयी। यही नहीं, अटरू तहसील के पिपलोद गांव में निरन्तर मोर मारे जा रहे हैं। अटरू तहसील के ममोरी गांव में निरन्तर रूप से मोर मारे जा रहे हैं। पूरी हाड़ौती में यदि हम देखेंगे तो सैकड़ों मोरों की हत्या की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई मोर ऐसे ही मारे जा रहे, ऐसा नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से तस्करों ने अपना जाल बिछाया। पहले एल्ड्रिन युक्त दाना बिछाते हैं, एक दिन पहले फैलाते हैं— जब मोर उनको चुगते हैं तो मर जाते हैं और दूसरे दिन अंधेरे में जाकर सारे मोरों को उठा लाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय' इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यन्त्र है। षड्यंत्र यह है कि बाहर के तस्कर आकर यहां के मोरों के मांस या उनके अंगों को बेचने का काम करते हैं ऐसा कहा भी जाता है कि वियाग्रा टाइप कामोत्तेजना औषधि बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए ...

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे जहर खिलाते हैं दानों में मिला कर, उससे मर जाते हैं। फिर रात को उठा ले जाते हैं और फिर उसके मांस को एक्सपोर्ट करते हैं।

श्री मदन दिलावर : हमने नहीं कहा यह। मैंने मास को आयात करने के लिए नहीं कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि सुना है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपने यह कैसे कहा कामोत्तेजना वाली बात? कामुक वाली बात कैसे आ गयी उसमें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूप जी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय पक्षी मोर का मामला है, गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अभी-अभी गंगापुर

(श्री मदन दिलावर)

सिटी के पास अमरगढ़ में दो मोरों को मारते हुए जिनको पकड़ा है उनका नाम बताऊंगा कि कहां के हैं तो आप भी आश्चर्य करेंगे। मध्य प्रदेश से यहां मोर मारने के लिए आ रहे हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके नाम मैं बताना चाहता हूं। भगवान लाल राजपूत निवासी ग्वालियर मध्यप्रदेश, केसर सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्वालियर, रतन सिंह पुत्र सुधाम सिंह निवासी निजामपुर थाना नावर जिला झूमरी, मध्य प्रदेश (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : मध्य प्रदेश से ये लोग यहां आकर मोर मार रहे हैं। ये केवल मांस खाने के लिए ही नहीं मार रहे हैं, बड़ी तस्करी करने के लिए मार रहे हैं। आज हाड़ौती में बड़ी मुश्किल से मोर देखने को मिलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के पास में मोर नाचा करता था, हम देखा करते थे। जब थोड़ा आगे जाते थे तो मोर नाचा करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग इस पर कोई चिन्ता नहीं कर रही है, वन्य जीव संरक्षण के अधिकारीगण इसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। बड़े अधिकारी को इसकी इत्तला दी जा चुकी है कि इस प्रकार से मोर मारने का गिरोह सक्रिय है, उनको बचाया जाए लेकिन वन्य जीव को बचाने के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर : यह देखिये इतने सारे मोरों की एक साथ हत्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोर के साथ-साथ तीतर देखिये....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर : सैकड़ों तीतरों को; हजारों तीतरों को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीतरों को छबड़ा में मारा गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) उसके साथ मार-पीट की गयी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोर को बचाया जाए। राष्ट्रीय पक्षी है और हम भी राष्ट्रीय हैं और सब राष्ट्र के लोगों को चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय पक्षी को तो बचाया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप :.... (व्यवधान) मार करके राष्ट्रीय पक्षी वाले ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसी मोर के विषय पर मैं आधा मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम समझिये पहले हाउस के, फिर बाद में बोलिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिर्फ आधा मिनट मोरों पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट भी नहीं बोल सकते, बिराजिये ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोरों का ही मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे क्षेत्र रामगढ़ में ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है, श्रीचन्दजी ?

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

निम्बाहेड़ा में पानी की टंकी ढहने से हुई जनहानि का मुआवजा

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा में 14.4.99 को एक पानी की टंकी ढहने से दो महिलाओं की मृत्यु हो गयी । उसके एक दिन पहले पानी का टैंकर कहीं जा रहा था, एक व्यक्ति नीचे आ गया उस टैंकर के और उसकी मृत्यु हो गयी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा हूं कि गये सत्र में भी मैंने निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी शहर की पानी की समस्या के बारे में अपनी समस्याएं यहां रखी थीं और इस सत्र में भी मैंने शुरूआत में कहा था कि निम्बाहेड़ा शहर में जगह-जगह खड्डे खोद दिये गये और पानी की सप्लाई नहीं हो रही है । स्थिति यह बनी है कि निम्बाहेड़ा शहर में 50 हजार की आबादी है, जहां 50 लाख लीटर पानी मापदण्ड के अनुसार रोज मिलना चाहिए वहां 12 से 15 लाख लीटर पानी रोज सप्लाई हो रहा है । इसी तरह छोटी सादड़ी में जहां 15 लाख लीटर रोज पानी मिलना चाहिए वहां 2 से 3 लाख लीटर पानी रोज सप्लाई हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह हो गयी है कि निम्बाहेड़ा शहर की कोई गली ऐसी नहीं है जहां पर 3–3 फुट के खड्डे नहीं खोदे गये हों। पानी की बहुत अव्यवस्था हो गयी है । सरकार का बार-बार ध्यानाकर्षित करने के बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से एक व्यक्ति ने निजी ट्यूबवैल लगाया ट्यूबवैल लगाकर उसने कच्चे पानी की टंकी बनायी, वह तो भगवान ने लाज रख ली, किस्मत अच्छी थी कि उस टंकी के अन्दर ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके पूर्व

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

एम. पी. साहब और एम. एल. ए. साहब क्या करते रहे ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : करोड़ों रुपये लगाये हैं वहां पर। अभी पानी कम आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : डेढ़ करोड़, दो करोड़ रुपये निम्बाहेड़ा क्षेत्र में लगाये हैं बी. जे. पी. के राज में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : करोड़ों के बाद भी खड्डे पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य। माननीय भाटी साहब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपका राज आते ही खड्डे हो गये, वहां से पानी गायब हो गया। राज-राज में फर्क पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृपलानी जी कन्टीन्यू, कन्टीन्यू।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किस्मत अच्छी थी कि पानी की टंकी में दो नल लगे हुए थे। इतनी बड़ी पीछे लाइन लम्बी लगी हुई थी और वह रह गयी। दो औरतें मरीं। अगर दस टंकीयां लगी होतीं तो दस जने मरते। सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, सरकार इस बात के निर्देश दे कि उन तीन व्यक्तियों को, जिनमें एक टैंकर की टक्कर से मरा, और दो औरतें उस टंकी की वजह से मरीं, उनको 2–2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।

दूसरा, वहां पर पानी की विकट समस्या बनी हुई है। बी. जे. पी. के राज में साढ़े चार करोड़ रुपये छोटी सादड़ी के लिये बांडी बांध से पानी सप्लाई के लिये लगाये गये। आपका राज आते ही उसमें सप्लाई प्रारम्भ की गयी लेकिन जहां लीकेजेज इतने हो गये कि वह पानी पहुंच नहीं पाया। आज निम्बाहेड़ा में डेढ़ दो करोड़ रुपये लगने के बाद भी विकट स्थिति है। जहां तक टंकी का सवाल है, कांग्रेस के माननीय सदस्य अभी कह रहे थे धमाड़ा गांव कपासन में, इस तरह की चित्तौड़ जिले में 15 टंकियां होंगी जो कभी भी गिर सकती हैं और उससे जनक्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह....

श्री उपाध्यक्ष : ये कब बनी टंकियां। टंकियां कब बनीं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये कांग्रेस के राज में बनीं 25 साल पहले। कांग्रेस के राज में बनी हुई सब टंकियों की जांच करायी जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने मरम्मत नहीं करायी 9 साल तक, तीन महीने बाद समस्या हो गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल तक देखना चाहिये था। 8 साल में क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उन टंकियों की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जांच करायी जाए और जांच करा कर जो जीर्ण-शीर्ण हालत में है, उन टंकियों को गिराया जाए वर्ना जन क्षति भी हो सकती है। निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी की पानी की समस्या के लिए जो हमारे कंटिन्जेंसी प्लान है, शीघ्र से शीघ्र उसको लागू किया जाए। बांडी-मानसरोवर से छोटी सादड़ी पानी की सप्लाई की जाए। गम्भीरी डैम से जो सरकार ने योजना बना रखी है निम्बाहेड़ा शहर में पानी पहुंचाने की, उसको जल्दी से जल्दी लागू करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

जयपुर-आगरा मार्ग पर दौसा मिडवे में अव्यवस्था

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पर्यटन मंत्रीजी विराजमान हैं और बातचीत में व्यस्त हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पर्यटन मंत्री जी बहुत ही अच्छी हैं। वैसे भी बहुत अच्छी है। काम करने में भी बहुत अच्छी हैं। हर काम उनका अच्छा ही अच्छा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग में जितने भी मिडवे बने हैं और उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो मिडवे बने हैं, आपको मेहरबानी करके इन मिडवे की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी है क्या ? मैं करा देता हूं जानकारी। हमारे आगरा रोड पर एक मिडवे इनके टाइम में बना है वर्ष 1998 में। 1996 से 98 तक बना है। आगरा-जयपुर के बीच में कहां-कहां पर कितने मिडवे हैं, उनमें कितनी लागत आयी है, इनकी क्या व्यवस्था है, एक यह प्रश्न था। तो इसमें जवाब आया है कि 98-99 तक आगरा–जयपुर के बीच मात्र दौसा मिडवे का निर्माण किया गया है। मिडवे के निर्माण पर कुल 50 लाख रुपये इन्होंने व्यय किये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदया, उनकी व्यवस्था आप देख लो। मैं वहां खुद गया था। मैंने वहां कहा कि चाय लाइये, तो मेरे से क्या कहते हैं, इस समय तो दूध नहीं है जब दूध आ जाएगा तब चाय आपको बना देंगे। 50 लाख रुपये की लागत जिसमें लगी है उसमें एक चाय जब मांगी तो उन्होंने माननीय सदस्य को यह कहा कि अभी दूध नहीं है, दूध आने पर आपको चाय पिलायी जाएगी। यह स्थिति वहां की है। 50 लाख रुपये लगने के बाद कितने उसमें आपके पर्यटक ठहरे हैं, यह भी मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। माननीय मंत्री महोदया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : इसमें यह लिखा हुआ है कि उक्त मिडवे दौसा में आज तक कुल 91 पर्यटक ठहरे हैं। 98–99 से मात्र 91। 365 दिन होते हैं एक साल के अन्दर, एक पर्यटक का भी नम्बर नहीं आया एक दिन में। इतनी कम संख्या में पर्यटक यहां ठहर रहे हैं। क्यों ठहरेंगे वहां जब हमारे साथ ही यह हालत है तो ? इसलिये इनके टाइम में जो मिडवे बना, माननीय मंत्री महोदया, इसकी आप जांच कराऐ कि 50 लाख रुपये क्यों लगाये इन्होंने जिसमें इतना घाटा जा रहा है। मात्र जिसमें 90 पर्यटक अब तक ठहरे हों एक साल के अन्दर। ये

(श्री रामस्वरूप)

लोग सारे पैसे खा गये हैं, मात्र इसलिये इस मिडवे को बनाया गया है। इसकी कोई आय नहीं है, वहां घाटा ही घाटा जा रहा है। इसमें आपने मुझे यह जवाब भी दिया है कि यह जो मिडवे है इसको लीज पर दिया जा रहा है। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आपके यहां चल रहा है? इसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि 50 लाख रुपया फिर क्यों खर्च किया? सारे प्राइवेट मिडवे बन गये। इस नेशनल हाइवे पर दौसा से लेकर यहां तक, इसकी स्वीकृति किसने दे दी? इनमें तो हमेशा भीड़ लगी रहती है पर्यटकों की पर हमारे सरकारी के अन्दर क्यों नहीं भीड़ रहती? क्यों यह घाटे में जा रहा है आपका? क्योंकि सारी व्यवस्था इनके टाइम की बिगाड़ी हुई है, मात्र अपना कमीशन बनाने के लिये। इसमें अपना भवन बना लें उसमें कमीशन खा गये, सबमें कमीशन खा गये। सारा कमीशन ये खा गये और पर्यटक उसमें ठहरते नहीं हैं। कोई ठहरता है तो व्यवस्थाएं बिलकुल खराब हैं। जितने भी विदेशी लोग आते है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप जी ने चाय हमारे राज में मांगी या कांग्रेस के राज में मांगी जो उनको यह कह दिया कि दूध नहीं है चाय नहीं मिलेगी, इतना बता दो हमको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मेरे यहां के नहीं हैं। मेरे राजस्थान में जो मिडवे बने हैं विदेशियों को ठहराने के लिये, विदेशी मुद्रा हमारे लिये प्राप्त हो, उनको आराम मिले इनके लिये मिडवे बनाये गये। अब आप बहुत अच्छी हमारी मंत्री बनी हैं। इनके टाइम में तो इन निकम्मों से मैंने कहा नहीं कभी, क्योंकि ये तो सुनते ही नहीं थे हमारी किसी बात को। आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारी बात को सुनती हैं इसलिये मैं कह रहा हूं। पर्यटक जो हमारे यहां आते हैं, हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी देते हैं, हमारे देश का नाम उससे रोशन होता है इसलिए आप इनकी व्यवस्थाओं को सुधारें। राजस्थान में मिडवे की हालत इस समय जो खराब हो रही है, ऐसी हालत कभी नहीं हुई। इनके समय में हुई है। अब आप जो सुधारने में लगी हुई हैं, इस हमारे नेशनल हाईवे के मिडवे को भी आप ठीक करवाएंगी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी।

श्री रामस्वरूप : तमाम व्यवस्थाओं को ठीक कराएंगी। आप जल्दी से जल्दी इनको

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप : प्राईवेट में देना चाहें तो प्राइवेट में दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : प्राइवेट जितने भी बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगाएं आप। और बनाएं तो इनको तीर्थ स्थान पर

(श्री रामस्वरूप)

बनाएं। मेंहदीपुर बालाजी में बना दीजिये आप मिडवे, देखो कैसे नहीं चलता है आपका मिडवे ? हजारों यात्री रोजाना आते हैं वहां पर, उनको जरूरत है रुकने की।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है आपकी इन पर्चियों को बन्द करना पड़ेगा। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मिडवे को वह स्थान दें। मैं एक ऐसे मामले की कह रहा हूं जो अन्तरराष्ट्रीय मामला है। विदेशी लोग भी आकर ठहरते हैं इनके अन्दर, उनसे मुद्रा भी मिलती है। उसमें जो हालत हुई है, जो घोटाला हुआ है मैं घोटाले की जानकारी रखूंगा कम्लीट। कितना पैसा कहां-कहां किस प्रकार खाया है इस मिडवे के अन्दर, यह भी बहुत जल्दी उजागर करने वाला हूं। जैसे मैंने रोडवेज विभाग के घोटाले को उजागर किया इनके टाइम में, मैं आपके विभाग के भी घोटाले ला रहा हूं। घोटालों को मैं लाऊंगा, आप जांच कराना उनकी। जो कोई दोषी अधिकारी है या जो भी कोई नेता है उसको आप दण्डित करना। आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : आधी प्रशंसा की है केवल कि मंत्री जी अच्छी हैं। आप कहो मंत्री जी सुन्दर भी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को चाय नहीं मिली, आखिर इसमें तो मंत्रीजी कुछ बोलें। बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छोटा-सा नहीं है, मामला बड़ा है। माननीय सदस्य को चाय नहीं मिली। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मिडवे में चाय नहीं दी और वह बहाना बना दिया कि चाय के लिये दूध नहीं है, यह तो बड़ी गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी से जवाब दिलाएं (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री जी जवाब दें चाय क्यों नहीं मिली। हमारे समय में तो चाय मिलती थी, कांग्रेस का राज आने के बाद चाय बन्द कर दी।

श्री मदन दिलावर : चाय क्यों नहीं मिली माननीय सदस्य को ? चाय मिलती थी, दूध मिलता था, पकोड़ा मिलता था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आपको कितनी बार चाय मिली, यह भी बता दो, आपके समय में भी चाय नहीं मिलती थी उसमें, कुछ भी नहीं मिलता था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। रामस्वरूप जी।

झुंझुनूं जिले में विद्युत अव्यवस्था का निराकरण

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह 7.00 बजे मेरे पास मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव डाबड़ी धीरसिंह से ठाकुर हेमसिंह जी शेखावत जो हमारी पंचायत समिति के 18 साल प्रधान रहे और झुंझुनूं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका टेलीफोन आया कि झुंझुनूं जिले में पिछले दस दिन से बिजली की बड़ी अव्यवस्था है। तो मैंने उसके बारे में झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट के ही गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य से यहां फोन पर सम्पर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास भी मेरे ग्राम मोड़की से टेलीफोन आया है कि वास्तव में यही स्थिति है। मुझे जो सूचना दी है वह इस प्रकार से है कि 13 घण्टे बिजली बन्द रहती है 7 घण्टे थ्री फेस देते हैं और 4 घण्टा टू फेस देते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस समय आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं और दूसरे बच्चों की परीक्षाएं भी चालू होने वाली हैं। यह सीजन है, पढ़ाई के दिन चल रहे हैं। गांवों के अन्दर केरोसीन तेल की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली ही एक आधार है हमारे बच्चों के पढ़ने-लिखने के लिये। इस समय जब यह स्थिति है तो उन लड़कों का भविष्य बिलकुल अंधकार में है। बिजली की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने आपके पास पहले भी उठाया था और यहां अध्यक्षीय व्यवस्था हुई थी। जो वर्तमान व्यवस्था है 6 बजे से शाम 10 बजे तक, इसमें सुबह जो देते हैं वह देते नहीं। सुबह के लिए हमने सुझाव दिया था कि 4 बजे से लेकर और सुबह सूर्योदय तक की व्यवस्था और बढ़ायी जानी चाहिए। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, कुछ शाम के वक्त में, कुछ मार्निंग के वक्त में। यह व्यवस्था नहीं हुई। मैं आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने उनको यह भी कहा कि आप सरकारी अधिकारियों से मिलें। तो मुझे उन्होंने बताया कि हम सबसे मिले हैं। सब अधिकारियों से हम मिले थे एक डेपुटेशन के रूप में लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने यह बताया कि यदि हम सुचारू रूप से बिजली देते हैं तो उसमें बिजली की चोरी होने का डर है। अधिकारियों ने उन लोगों को बताया कि चोरी होने का डर है। इसका मतलब आप हमें पैनलाइज कर रहे हैं। आपकी चोरी को रोकने के लिए आप उन निर्दोष लोगों को जो आपके उपभोक्ता हैं, उनको पैनलाइज कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं कि चोरी नहीं हो जाए। तो हम उस तकलीफ को भुगतें ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे छात्रों की जो इस समय परीक्षाएं चल रही हैं मिडिल बोर्ड की और दूसरे भी होम एग्जामिनेशंस बच्चों के आने वाले हैं, वे सफर नहीं हों, बच्चों का भविष्य बिगड़े नहीं। आम लोगों के अन्दर असंतोष और तकलीफ हो रही है क्योंकि केरोसीन

(श्री रामनारायण चौधरी)

तेल मिलता नहीं है और बिजली सिर्फ इसलिए काट रहे हैं कि उनको चोरी होने का डर है। उस निर्दोष उपभोक्ता को इसलिए सजा भुगतनी पड़ रही है कि वे चोरी को रोकना चाहते हैं बिजली को काटकर, 13 घण्टे तक वह बन्द रहनी चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि शिकायत दूर हो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि शाम को 7 से 11 बजे तक बिजली बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त लड़कों की परीक्षाएं चल रही हैं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मेरे पास भी लगातार 3–4 रोज से टेली-फोन आ रहे हैं कि व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो हो गयी है और झुंझुनूं जिले के अधिकांश हिस्से में आज बिजली की व्यवस्था कतई नहीं है। शाम को बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सम्पर्क किया बिजली बोर्ड के अधिकारियों से तो यहां से पता लगा कि हमने कोई कटौती आज नहीं कर रखी है। जब कटौती नहीं कर रखी है उसके बावजूद भी बिजली बच्चों को नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, इसका मतलब है उच्च स्तर पर कोई न कोई अव्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत मंत्री जी का भी ध्यानाकर्षित किया था। अभी वे सदन में नहीं हैं लेकिन उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह बिजली की कटौती क्यों हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की अव्यवस्था जिसकी कोई सूचना नहीं है, बिना सूचना के यह कटौती यह अव्यवस्था हो रही है, माननीय ऊर्जा मंत्री आ गये, मैं चाहूंगा लंबा नहीं कहना। हमें आपने सदन में आश्वासन दिया था और यह विश्वास दिलाया था पूरे राज-स्थान के बच्चों के लिए। आज जब सबसे अधिक आवश्यक समय है उस समय बिल-कुल ही उस आश्वासन को भंग कर दिया। इसलिए उसका सख्ती से पालन हो और हमारे बच्चों को जो निश्चित अवधि में बिजली मिलनी चाहिए वह मिले। फिर आपका खेती का जो बर्डन है बिजली का वह समाप्त हो चुका है और दूसरे धन्धों में भी बिजली की बचत हो गयी है। इसलिए वहां स्थानीय स्तर पर व्यवस्था नहीं हो पाए, इस कारण से हमें बिजली नहीं मिले यह बहुत दुःख की बात है। माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जो आ गये हैं, वे इस मामले में कुछ न कुछ कहें और ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें वायदे के अनुसार बिजली मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वक्तव्य दें इससे पहले मैं निवेदन कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, जैसी कि अभी मण्डावा से आने वाले मान-नीय सदस्य ने बात कही, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, आप जिस जिले के हो उसके अन्दर और उसके पड़ोसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिले के अन्दर आज बिजली की अव्यवस्था के कारण आम व्यक्ति परेशान है। जो टेलीफोन आपकी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के पास में, आपके पास में आये, मेरे पास भी आये। मैंने उनसे यह कहा था कि अच्छा हो कि आप स्थानीय विधायक से बात करें।

मंत्री महोदय, जब-जब आपके समक्ष यह बात आयी, आपने बड़ी बखूबी यह कहा कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने सिंगल फेस के अन्दर बिजली देना प्रारम्भ कर दिया विद्यार्थियों की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए। मंत्री महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आप कहते जरूर हैं और आपकी मंशा पर भी मुझे शक नहीं है, परन्तु नीचे क्या हो रहा है? मैं चाहूंगा कि यहां से आप किसी अधिकारी को भेजें जिले के अन्दर, एक-दो जी.एस.एस. पर अचानक जाकर देखें तो सही कि कितनी बिजली की आपूर्ति हुई, कितनी बिजली आगे गयी है।

दूसरा मैं, मंत्री महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की चोरी को रोकने के बहाने से यह जो पूरा का पूरा शट डाउन कर देते हैं, कुछ लोगों की गलती के कारण आप सब लोगों को पैनलाइज करें, इसको मैं ठीक नहीं मानता। मंत्री महोदय, अब आप पर उतनी मारामारी भी नहीं रही, कृषि के मामले में बिजली की जितनी खपत थी वह भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ज्यों-ज्यों खपत कम होती जा रही है त्यों-त्यों आपकी व्यवस्था चूरू जिले में, मैं चूरू था चूरू के अन्दर पिछले शनिवार को 3 घण्टे बिजली नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब मैंने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पीछे से शट डाउन कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैंने इसी सदन में ग्रामीण इलाके में शाम के वक्त 7 से 11 बजे तक घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था और मेरे आश्वासन के अनुसार राजस्थान विद्युत मण्डल ने इसके आदेश भी जारी किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, न केवल इसके आदेश जारी किये गये बल्कि पिछले दिनों से जबसे एग्रीकल्चर का लोड थोड़ा कम हुआ है, जैसा आप फरमा रहे हैं, और विद्यार्थियों के इम्तिहान शुरू हुए हैं तबसे निरन्तर ये प्रयास किये जा रहे हैं कि शहरों की तरह से ग्रामीण इलाकों में भी कम से कम शाम को जब अंधेरा होता है, 7 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली उपलब्ध हो।

लेकिन हमारा खुद का तो विद्युत की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं है, हमें केन्द्र से भी अलोकेट होती है और अन्य राज्यों के विद्युत घरों से भी बिजली खरीदनी पड़ती है। यह जो सुबह और शाम का वक्त है यह बिजली की दृष्टि से बहुत मुश्किल वक्त है, ये पीक आवर्स होते हैं। हमारा राज्य नोर्थन ग्रिड से जुड़ा हुआ है, शाम के वक्त चाहे शहर में हो, चाहे गांव

(डा. चन्द्रभान)

में हो और चाहे कोई दूसरे कार्य के लिए, सबको बिजली की आवश्यकता पड़ती उस समय। मैंने पहले भी इस हाउस में निवेदन किया है कि ढाई सौ से तीन सौ मेगावाट की कमी रहती है और हम यदि परचेज भी करना चाहते तो हमें बिजली उस वक्त नहीं मिलती है। कई बार जब हम ओवर ड्रा करते हैं तो हमारे सिस्टम पर उसका असर पड़ता है, हमारी फ्रीक्वेंसी पर असर पड़ता है और नोर्थर्न ग्रिड में जो आफिसर्स हैं वे हमको कहते हैं कि हम इसको काटेंगे। वे जब उस बिजली को काटते हैं तो स्वभावतः उसका असर पड़ता है और कई स्थानों पर बिजली की कटौती करनी पड़ती है। न चाहते हुए भी विद्युत की कटौती करनी पड़ती है।

यह बात सही है कि यह जिले जिनमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, झुन्झुनूं, सीकर, टौंक हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन यह कथन कतई सत्य नहीं है कि 7 से 11 बिजली आती नहीं हैं ग्रामीण इलाके में। मैं लगातार इसकी मानीटरिंग कर रहा हूं। राजस्थान में 36 हजार गांवों में बिजली है जिनमें से जैसे मैंने कहा, एक्चुअली इलैक्ट्रिफाइड साढ़े 32 से 33 हजार हैं जो विद्युत मण्डल के अधिकारी मुझे कहते हैं। ओन एण्ड एवरेज 28 से 30 हजार गांवों में तो नियमित सप्लाई होती है। 3 से 4 हजार गांवों में यह अव्यवस्था होती है, कभी 2 घण्टे बिजली चली जाती है 7 से 11 में, कभी आधा घण्टा चली जाती है कभी एक घण्टा चली जाती है। और कई बार नहीं भी आ पाती है। लेकिन हमारी तरफ से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 3 घण्टे बिजली नहीं आयी। आप 3 घण्टे की बात कर रहे हैं, आपके राज में 3–3 दिन तक बिजली नहीं आती थी। उपाध्यक्ष महोदय, जब से नई सरकार बनी है, विद्युत की आपूर्ति चाहे वह किसानों की हो, चाहे इण्डस्ट्री हो, चाहे कामर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे वह शहरों में, चाहे गांव हों, आपूर्ति में सुधार करने के लिए हमने प्रयास किये हैं। उपभोक्ताओं में भी चेतना आयी है। अब उपभोक्ताओं में इतनी चेतना आयी है कि यदि आधा घण्टे भी कहीं बिजली चली जाती है तो वे अपने माननीय विधायकों से यहां तक मुझे मंत्री के यहां पर लोग फोन करते हैं कि 9 बजे हैं, 9 बजे गांव में बिजली कैसे चली गयी। अधिकारियों से बात करते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको कोई एक्सक्यूज नहीं मानता। मैं पुनः इस सदन में विश्वास दिलाता हूं, आप तो कह रहे हैं बोर्ड की, आठवीं की परीक्षा शुरू हुई है, अभी तो कॉलेज के इम्तिहान भी होंगे और आजकल इम्तिहान पोस्टपोन भी बहुत होते हैं इसलिए 30 जून तक मैं कह रहा हूं कि केवल शाम के वक्त नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी रात भर गांवों में बिजली आए। दिन में भी गर्मियों में बिजली आनी चाहिए और पी.एच.ई.डी. की स्कीमों के लिए आनी चाहिए। एग्रीकल्चर में लोड कम हो गया लेकिन यह शाम का और सुबह का वक्त, पीक आवर्स में लोड बढ़ता है, उसके कारण यह कई बार दिक्कत होती है। लेकिन मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी कोशिश यह रहेगी कि गांव के लोगों को भी सुबह-

(डा. चन्द्रभान)

शाम जरूर बिजली मिले। इस बात में सुधार के प्रयास हमेशा जारी रहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जिस जिले के रहने वाले हैं, मंत्री महोदय, मण्डावा में डाबड़ी धीरसिंह से टेलीफोन करके पूछ लीजिये, गत पन्द्रह दिनों में क्या हालत बनी है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पीक आवर्स में बिजली की कमी है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपकी बिजली तो 25 नवम्बर को कट गई, वह आनी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपलानी जी।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : कांग्रेस के राज में किसानों को तो राहत मिली है, मेन झगड़ा तो किसानों का था। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी बिजली की व्यवस्था ठीक की है। छोटी-छोटी गड़बड़ी अब हो सकती है लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। आप लोगों के टाइम में बड़े-बड़े आन्दोलन हुए हैं, बड़े-बड़े धरने हुए हैं, लोग जेलों में बन्द हुए हैं, लाठी चार्ज हुए हैं, कांग्रेस का राज आने के बाद नहीं हुआ है। बिजली मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि 10 साल में बिजली की व्यवस्था सुधरी है तो पहली बार सुधरी है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे मंत्री न कभी देखे, न कभी सुने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय कृपलानी जी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी एक बात सामने आई उसकी व्यवस्था करवाइए कि बिजली चोरी के नाम पर शट डाउन देते हैं। शट डाउन न देवें, इस बात की व्यवस्था करवाइए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात की है और मण्डावा से आने वाले जो हमारे नेता हैं, इनकी भी बात मैंने सुनी। (व्यवधान) सदस्य भी कहिए। नेता भी हैं और सदस्य भी हैं। ये जो बात कह रहे थे, यह बात थोड़ी पुरानी है। क्या है कि ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक के कनेक्शन एक ही हैं। जब पहले हम सिंगल फेस में बिजली गांवों में घरेलू उपयोग के लिए देते थे 30 मार्च और 5 अप्रेल से पहले, तो क्या है कि आजकल टेक्नोलोजी का बड़ा विकास हो गया है और उन इलाकों में जहां पर कि पिछले लम्बे समय से बिजली चली आ रही है, किसान लोग उस टू-फेस की बिजली को भी कैपेसिटर लगाकर थ्री-फेस करते थे। उससे हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता था, इसलिए हमारे अधिकारी सिंगल फेस देने में भी डरते थे। लेकिन चूंकि अब वह स्थिति भिन्न हो गई है, किसानों की आवश्यकता कम हो गई है इसलिए इस कारण कोई हम सिंगल फेस की बिजली नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं दोनों बातों को दिखवा लूंगा, यदि कोई ऐसी बात है। मैं पूरी व्यवस्था ऐसी करूंगा इस कारण सिंगल फेस में घरेलू बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

(डा. चन्द्रभान)

माननीय दिलावर साहब बार-बार एक बात कहते हैं कि हमारे यहां गांवों में बिजली काट दी गई है। किसानों की फसल पकी, उस समय मैंने कहा था कि उसके लिए किसानों की बिजली नहीं कटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आदेश देने के बाद इक्का-दुक्का केस होंगे तो अलग बात है, बाकी किसानों की तो कटी नहीं। इसका केस दूसरा है। पूरे बारां जिले में डोमेस्टिक के जो गांव हैं, गांव के गांव पिछले सात-आठ साल से कोई घरेलू बिजली का भुगतान नहीं कर रहे हैं, गांव के अन्दर सौ में से नब्बे उपभोक्ता बिजली का भुगतान नहीं कर रहे। ऐसे गांवों की संख्या आप तो सात-आठ कह रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद ऐसे बीस-पच्चीस होंगे आपके यहां, ऐसे लोगों की बिजली काट दी गई है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाया उनकी बिजली काटें लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं जिन्होंने बिजली का बिल जमा करवा दिया है। उनकी आप कैसे काट रहे हैं? ये मंत्री महोदय उन लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं जिन्होंने बिजली का बिल जमा करवा दिया है। उनको तो न काटें (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्रीजी, आपके आदेश देने के बाद भी आपका ए. ई. एन. यह बात कह रहा है छोटी सादड़ी में (व्यवधान) छोटी सादड़ी में कनेक्शन आज भी कट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृपलानीजी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह निरन्तर प्रक्रिया है कि जिन गांवों के उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल जमा करवा दिये है, उनमें कनेक्शन शुरू कर दिये जाते हैं। मैंने चेयरमैन द्वारा इसकी जानकारी चाही है और डाइरेक्शन दिये हैं कि बिजली के बिल जमा होते हैं उनके कनेक्शन चालू कर दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आदेश हो गये क्या? तीन महीने हो गये इस बात को।

डा. चन्द्रभान : कनेक्शन हो जाएंगे। उनके कनेक्शन हो गये होंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, ए.ईन. इनके निर्देश नहीं मानता।

श्री मदन दिलावर : जिन्होंने बिजली का बिल जमा करवा दिया, उनके कनेक्शन चालू नहीं हो रहे हैं। ये उसका कनेक्शन काट रहे हैं जिसके पड़ौसी ने बिल नहीं जमा कराया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

डा. चन्द्रभान : उनके कनेक्शन चालू हो गए होंगे, मैं इसकी और जानकारी कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक मिनट पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह बिजली पर कोई बहस नहीं हो रही है।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्यों, हाउस नियम से चलेगा, ऐसे हर कोई बोलेगा ? ऐसे नहीं बोलते । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : I want to put it on record. मंत्रीजी का यह कहना सर्वथा सत्य नहीं है कि रैगुलर बिजली सप्लाई है । आज भी कई जगहों पर आठ-आठ और दस-दस दिनों तक बिजली नहीं आती है, यह वास्तविकता है, मैं बता रहा हूं । राणोली और कठमाड़ा की बता रहा हूं आपको, वहां आठ-आठ दिन तक नहीं आती । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्षीय व्यवस्था दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने मेरी शिकायत की नब्ज को पकड़ लिया । मंत्री महोदय को यह गलतफहमी है कि यह बात पुरानी है । मेरे पास मोर्निंग में टेलीफोन आया है, 10 बजे फोन आया था कि 10 दिन से यह स्थिति है कि 13 घण्टे बिजली बन्द रहती है, 7 घण्टे थ्री-फेस में आती है और 4 घण्टे टू-फेस में आती है । इसलिए काट रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं चोरी होने का खतरा है । तो इनोसेंट उपभोक्ता की कीमत पर ? आपने जो व्यवस्था दी उसके लिए आभारी हूं । मंत्री महोदय को गलतफहमी है कि यह पुरानी बात है । आज दिन की है, आप मालूम कर लो । आपके जिले की, झुन्झुनूं जिले की, जहां से आप भी हो ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, एक सैकण्ड ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete sir.

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी हाउस में यह नहीं कहा कि ग्रामीण इलाकों में 24 घण्टे बिजली आएगी । माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, एग्रीकल्चर ब्लॉक है उसमें 7 से 8 घण्टे बिजली आ रही है और शाम 7 से 11, केवल 11 और 12 घण्टे हम बिजली दे रहे हैं, 24 घण्टे गांवों में बिजली नही दे रहे हैं ।

माननीय व्यास जी, मैं भी मालपुरा आता-जाता रहा हूं लेकिन 7 से 8 दिन कभी बिजली नहीं जा रही । मैं यह नहीं कहता कि बिजली 24 घण्टे आ रही है, कई बार रुकावट भी आती है उसमें । हमारे नोर्दर्न ग्रिड में... ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पहले मेरा सवाल सुन लें ।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट, मेरा सवाल है, उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुमति दी है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am in possession of the Floor.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी । एक मिनट, उनको बोलने दो ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इसको अन्यथा न लें । आपका प्रयास प्रशंसनीय है, इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन आप गलतफहमी में न रहें । हाउस में क्लेम करके कि रैगुलर बिजली सप्लाई है । पोजिशन इम्प्रूव भी हुई है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन यह क्लेम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करना कि रेगुलर बिजली सप्लाई हो रही है या 8–10 दिन में 2–3 दिन गायब नहीं होती है Let me correct you on this point. You have been wrongly informed, you have been wrongly briefed by your officers. कई जगहों पर, मैं आपको जगहों के नाम बताता हूं, राणोली, कठमाड़ा में 8–10 दिन तक बिजली नहीं आ रही है। मैंने एक्स-ईएन. को टेलीफोन किया, मैंने हाउस में मैंशन इसलिए नहीं किया कि आपके अफसरों को आप वर्बली भी कह सकते हैं। लेकिन आप हाउस में गलत बात क्लेम मत कीजिए, आप अपने नॉलेज को ठीक कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : मैंने पहले कहा कि राजस्थान के 33 हजार गांवों में बिजली है उसमें 3–4 हजार गांवों में बिजली की अव्यवस्था रहती होगी। कई बार नोर्दर्न ग्रिड में बिजली की कमी होने से दिक्कत आती है। लेकिन मेरी जानकारी में यह नहीं है कि 8–8 दिन तक बिजली नहीं आती है। हो सकता है कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन कहीं कोई खराबी हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके होम डिस्ट्रिक्ट और आपके पोलिटिकल डिस्ट्रिक्ट, दोनों जगह की व्यवस्था ठीक नहीं कर सके।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बी. बी. सी. चैनल द्वारा की जा रही शूटिंग से उत्पन्न स्थिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरडक, डा. रामप्रताप एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य विधान सभा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बी. बी. सी. चैनल द्वारा की जा रही फिल्म की शूटिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि ये शुरू करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने भी 131 के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा भी दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कब मना कर रहा हूं, why are you in hurry?

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा पहले का दिया हुआ है, मुझे भी मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मना किया क्या बोलने के लिए? उनको ध्यान तो आकर्षित करने दो, जल्दी क्या है? उनको ध्यान आकर्षित करने दीजिए, मंत्रीजी का स्टेटमैंट आने दीजिए, उसके बाद आपको

(श्री उपाध्यक्ष)

बोलने का मौका दिया जाएगा। Why are you in hurry ?

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बी.बी.सी. चैनल द्वारा की जा रही फिल्म की शूटिंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप पहले स्टेटमैंट दें।

श्री मगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जिस विषय में मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं निम्न प्रकार का वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान 275 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें मुख्यतया तीन झीलें हैं, जो पदम तला, राज बाग एवं मलिक तला नाम से जानी जाती है। पदम तला जो कि जोगीमहल के किनारे पर स्थित है, उस उद्यान में प्रति वर्ष करीब 35 हजार भारतीय एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। उन पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन जोन में भ्रमण करने हेतु चार रास्तों से प्रवेश दिया जाता है। रास्ता नं. 1 एवं रास्ता नं. 2 वास्तव में एक ही रूट है, किन्तु रास्ता नं. एक क्लाकवाइज है और जाने वाले पर्यटकों के लिए है एवं रास्ता नं. 2 एन्टी क्लाकवाइज पर्यटकों के जाने के लिए निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार से रास्ता नं. 3 एवं 4 भी वास्तव में एक ही रूट है, परन्तु रास्ता नं. 3 क्लाकवाइज जाने वाले पर्यटकों के लिए निर्धारित किया हुआ है तथा रास्ता नं 4 एन्टी क्लाकवाइज जाने वाले पर्यटकों के लिए निर्धारित किया हुआ है।

राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश पाने वाले वाहनों को उक्त चार पर्यटक रास्तों अथवा रूटों पर बराबर-बराबर भ्रमण हेतु जाने की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे किसी एक रूट अथवा किसी एक रास्ते पर अथवा किसी एक स्थान पर अधिक मात्रा में पर्यटकों की भीड़ एकत्रित न होने पावे। इस उद्यान में किसी एक समय पर अधिक से अधिक 6 केंटर वाहन, जिसमें अधिक से अधिक 20 यात्रियों तक बैठने की सुविधा है और 10 जिप्सी गाड़ियों को प्रवेश दिया जा सकता है और उन्हें समान रूप से बारी-बारी से उक्त चारों रास्तों पर जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के भ्रमण हेतु दिनांक 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रखा जाता है और शेष तीन महीनों की अवधि में विशेषकर वर्षा ऋतु के दिनों में पर्यटकों के लिए बन्द रखा जाता है। पर्यटकों के भ्रमण हेतु प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात् तीन घण्टों का एक ट्रिप निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार से सायंकाल के समय के लिए भी सूर्यास्त से तीन घण्टे पूर्व का समय दूसरे ट्रिप के रूप में निर्धारित किया हुआ है।

मुख्य समस्या जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया, बी.बी.सी. के द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1998 को इस राष्ट्रीय उद्यान में विगत दो वर्षों में इस क्षेत्र में किये गये कार्यों और उसमें संरक्षित

(श्री भगराज चौधरी)

वन्य जीवों, वन्य प्राणियों व फ्लोराफोना से संबंधित एक फिल्म बनाने के लिए अनुमति चाहे जाने पर अनुज्ञा दी गई जिसके पीछे मुख्य भावना यह थी कि इस प्रकार की फिल्म बी. बी. सी. द्वारा बनाये जाने के बाद इस बाघ परियोजना क्षेत्र के बारे में, इसमें फ्लोराफोना के बारे में, वन्य जीव प्राणियों के बारे में और माइग्रेटरी बर्डस के बारे में हमारे देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटकों को जानकारी दी जा सके जिससे कि पर्यटन का विकास हो और पर्यटन के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा आय हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अनुज्ञा मांगे जाने पर उन्हें अनुज्ञा दी गई। उक्त उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही मुख्य वन जीव प्रतिपालक, राजस्थान के द्वारा दिनांक 21.1.99 को उक्त वर्णित बी. बी. सी. कम्पनी को 30.6.99 तक के लिए रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में फिल्मांकन करने की अनुमति वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 28 के अंतर्गत नियमानुसार निर्धारित फीस का भुगतान करने के पश्चात निम्नांकित विशेष दो शर्तों के साथ में दी गई :–

(1) इस बनायी जाने वाली फिल्म की दो प्रतियां इंग्लिश में तथा उसके हिन्दी वर्णन की दो कापियां तैयार करने के बाद वन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) जिस नवीन जिप्सी के द्वारा फिल्मांकन करते समय भ्रमण करने के लिए काम में लिया जा रहा है वह जिप्सी कार्य पूर्ण होने के पश्चात वन विभाग को बिना किसी प्रकार की कीमत मांगे अथवा वसूल किये विभाग को दी जाएगी।

इस उद्यान में बी. बी. सी. को फिल्मांकन करने की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात बी.बी.सी. चैनल द्वारा 26 जनवरी,

(13.55 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

से फिल्मांकन कार्य चालू किया गया। बी. बी. सी. कम्पनी द्वारा किये जा रहे फिल्मांकन से वन्य पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है क्योंकि फिल्मांकन करने एवं अन्य पर्यटकों को अलग–अलग रूट भ्रमण हेतु आबंटित किये गये। इससे उनके भ्रमण करने में और वहां की साइट सीइंग करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई है और न हो रही है। झीलों के पास वाले रास्ते पर अत्यधिक डिस्टरबेंस और दखल होने के कारण केवल मात्र झीलों के पास वाले क्षेत्र को ही आम पर्यटकों के लिए बंद किया गया।

विगत कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि जिप्सी अथवा कैंटर चालकों द्वारा, ट्रैवल एजेन्सी के द्वारा पर्यटकों को टाइगर दिखाने की गारन्टी के नाम पर उनसे अधिक राशि वसूल की जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और इस कारण से उक्त वर्णित झीलों के आसपास ही अधिकतर भ्रमण किया करते थे। कई बार तो उनको जो निर्धारित रूट दिये जाते थे, उनसे हटकर झीलों के आसपास वाले

(श्री भगराज चौधरी)

क्षेत्रों में ही घूमा करते थे। टाइगर की झीलों के आसपास वाले क्षेत्रों में पहुंचने की खबर मिलने पर वाहन बहुत तेज गति से ट्रैवल एजेन्ट चलाया करते थे, दौड़ाया करते थे जिससे वन्य प्राणियों को प्राकृतिक विचरण में बाधा उत्पन्न होने के साथ–साथ मिट्टी भी उड़ा करती थी। झीलों के आसपास हिरण आदि वन्य जीव ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के कारण टाइगर भी उनके शिकार हेतु आसपास ही अधिक विचरण किया करते थे और करते हैं। झीलों का क्षेत्र बाघों के प्रजनन के लिए भी उपयुक्त एक ब्रीडिंग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बढ़ते हुए पर्यटन के दबाव के कारण बाघों के प्रजनन व उनके द्वारा हिरणों के शिकार करने में, उनके पानी पीने में और उनके हैबिटेट में और उनके विचरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बाघ परि-योजना क्षेत्र बनाया गया है, उसकी मूल भावना को समझते हुए इन झीलों के पास वाले क्षेत्र के ट्रैक को पर्यटकों के लिए दिनांक 3.3.99 से रास्ता नं. एक एवं रास्ता नं.2 जो की झीलों के पास वाले क्षेत्र तक जाता है तथा जिसकी लम्बाई करीबन 5 किलोमीटर की है, उसे बन्द कर दिया गया। इसको बन्द करने के पश्चात लगभग 25 किलोमीटर की दूरी का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और चालू है जिसमें पर्यटन वाहनों के द्वारा जाया जा सकता हैं और वहां पर भ्रमण करके साइट सीइंग कर सकते हैं। झीलों के पास वाले 5 किलोमीटर रास्ते को बन्द करने के पश्चात भी इस पार्क में पर्यटकों की आवाजाही बराबर चालू रही और उन्हे इस क्षेत्र में पहले की तरह जैसे ही बाघ को देखने की सुविधा बराबर दिखायी जाती रही है। जितनी मात्रा में इस रास्ते को बन्द करने से पहले उन्हें बाघ दिखायी दिया करते थे, करीब–करीब उसी मात्रा में उनको बाघ इस रास्ते को बंद करने के पश्चात भी दिखायी देने की सुविधा आज भी मौजूद है और उन्हें बराबर बाघ दिखायी दिये जाते रहे हैं। इसलिए इस रूट को बंद करने से बाघ दिखाने में एवं देखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है और न इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झीलों के पास वाला क्षेत्र पर्यटकों के लिए बन्द किया गया वह केवल 6 वर्ग किलोमीटर है जो कि उद्यान के कुल 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का केवल मात्र 2.5 प्रतिशत हैं। इस क्षेत्र को व्यवधान रहित रखने से जैसा कि पूर्व में मैंने बयान किया, बाघों के प्रजनन में सुविधा रहती है व उनके पानी पीने व उस क्षेत्र में विचरण करने की सुविधा रहती है। केवल 5 किलोमीटर की लम्बाई की झीलों के पास तक जाने वाले रास्ते को बन्द किया गया है।

(14.00 बजे)

दिनांक 10.3.99 को इस रूट पर, इस झीलों वाले रास्ते पर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के फिल्मांकन हेतु भी बी. बी. सी. एवं जापान की कम्पनियों को फोटोग्राफ्स लेने और फिल्मांकन करने की अनुमति दी गई जिससे कि फिल्म के माध्यम से अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्यान में पाए जाने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स की जानकारी दी

(श्री मगराज चौधरी)

जा सके और विदेशी पर्यटकों को इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में भ्रमण करने हेतु आकर्षित किया जा सके। बी. बी. सी. को दी गई अनुमति केवल दिनांक 30.6.99 तक ही प्रभावी है। यह कहना कतई गलत है कि बाघ परियोजना में हमें कोई एकाधिकार सा प्राप्त हो गया है और उसकी वजह से देशी तथा विदेशी अन्य पर्यटकों को इस क्षेत्र में भ्रमण करने से रोक दिया गया है अथवा रोके जाने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यह अनुमति वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 12 व 28 के अनुरूप कानूनी तौर से बिलकुल सही दी गई है। मेरे खयाल से इस प्रकार अनुमति दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार से वहां पर केवल मात्र 5 किलोमीटर बाघ के झीलों के पास वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को छोड़ते हुए और कहीं जाने आने की इसमें..

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप जो कुछ कह रहे हो वह आपके स्टेटमैंट में हैं या आप अलग से कह रहे हो?

श्री मगराज चौधरी : नहीं, मैं स्टेटमैंट के हिसाब से ही बोल रहा हूं। अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं इसी में से बोल रहा हूं और इसके अलावा ...

श्री सभापति : इसमें जो लिखा हुआ हो वही बोलना।

श्री मगराज चौधरी : इसी में बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर मैंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, I am also free to speak something without reading it. I will give you the Statement.

श्री सभापति : First the writen Statement.

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

श्री सभापति : हां, आपको भी देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, जैसा पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किया गया था वैसा ही आज किया गया है। जो पहले उत्तर दिया गया था मेरे पास यह कॉपी है, लेकिन मंत्री महोदय ने जवाब चैंज कर दिया। चेंज कर सकते हैं, इसमें तो कोई एतराज नहीं है लेकिन इसकी कॉपी मेरे को पहले देनी चाहिए थी, आज जो इन्होंने पढ़ा और पहले जो उत्तर दिया गया उसमें भिन्नता है। पहले मैं चाहूंगा कि इसकी एक कॉपी मुझे मिले।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट आज दिया उसकी कॉपी आपको नहीं दी?

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं दी।

श्री सभापति : देनी चाहिए थी। (व्यवधान)।

श्री मगराज चौधरी : अगर नहीं दी है तो मैं दे दूंगा।

श्री सभापति : दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री मगराज चौधरी : मैंने जो स्टेटमैंट पढ़ा है उसमें तथ्य वही हैं, केवल जो

(श्री भगराज चौधरी)

मैटर प्रजेंट किया गया है उसकी सीक्वेंस में थोड़ा-सा फर्क है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि पूर्व में जो स्टेटमैंट तैयार किया गया था वह प्रापर सीक्वेंस में नहीं था इसलिए उन्हीं तथ्यों को....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : आपको कुछ भी लगा हो आप समझो तो सही बात को। हम यह नहीं कह रहे कि आपने चेंज क्यों किया। हम यह कह रहे हैं कि आपने जो दिया उसकी कॉपी मैम्बर को पहले मिलनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : पूरा पढ़ा नहीं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : यह व्यवस्था पहले कई बार हो चुकी है, अभी तीन दिन पहले भी हुई है। आपने जो पढ़ा वह हम मान रहे हैं लेकिन उसकी कापी आपको पहले उन मैम्बर्स को जिनके इसमें दस्तखत हैं, सबको देनी चाहिए थी। अब यह तत्काल दें ताकि हम उसमें से पूछें। जब तक कॉपी नहीं आए तब तक मैं दूसरी बात पूछता हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि इस ध्यानकर्षण प्रस्ताव में उल्लेख था, एक्ट की धारा 12 और 28 के अन्तर्गत आपने सही कार्यवाही नहीं की। आपने जो उत्तर दिया उसमें यह कहा है कि धारा 12 के तहत कार्यवाही नहीं करके धारा 28 के तहत कार्यवाही की है जबकि इस एक्ट की मंशा यह है और धारा 28 में इन्होंने 4-5 जो परपज बताए हैं कि इन-इन परपज की ये परमीशन देंगे, उसमें यह नहीं आता। अगर इसमें फोटोग्राफी को ले तो फोटोग्राफी तो एक दिन की हो, दो दिन की हो या एक पोज हो, दो-पांच पोज हों, वही हो सकता है, छह महीने तक के लिए उसको फोटोग्राफी की परमिशन देना उसमें आता नहीं है। यह आता है धारा 12 में और धारा 12 में इन्हें यह कार्यवाही करनी पड़ती है कि क्या क्या शर्तें इम्पोज की जाएं, उन शर्तों का अगर वह उल्लंघन करे तो ये क्या कार्यवाही करें।

दूसरा इसमें, सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि इस धारा में यह प्रोविजन है कि फीस लेंगे जो निर्धारित की जाए। किस प्रकार से आपने निर्धारित की ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम भी बने हैं ? उनमें क्या है ? आपने उस हिसाब से ली कि नहीं ली ? सबसे बड़ी बात यह है कि अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी और विदेशी संस्था को एक अधिकारी ने परमिशन दे दी छह महीने के लिए और राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। पहले तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने अपने आप ही प्रश्न बनाकर यह उत्तर दिया है कि क्या इस तथ्य को माननीय वन मंत्री जी के समक्ष लाया गया। अपने आप ही उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, साथ ही अनुमति देने का अधिकार मुख्य वन जीव प्रतिपालक को दिया हुआ है। तो क्या उनको सारे वर्ड में परमिशन देने की अनुमति दे दी गई। उस उत्तर में एक जगह यह भी उल्लेख किया गया कि हमें पहले जो दिया गया है उस एक्ट में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हम विदेशी को परमिशन नहीं देंगे। तो उसमें यह भी नही है, विदेशी को भी आप

(श्री हरजीराम बुरडक)

परमिशन देंगे तो अपने आप ही कैसे मान लिया कि उस अधिकारी को जिसने परमिशन दी है, आपने उसको विदेशी संस्था को परमिशन देने की अनुमति भी है।

इसके अलावा, आपने जो क्षेत्र बंद कर रखे थे उनमें आप किसी को जाने नहीं देते थे 5–6 किलोमीटर में। उसमें इनको कैसे जाने दिया? आपने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के जो कारण बताएं हैं क्या इनके वहां जाने से उन कारणों का उल्लंघन नहीं होता? आपने इस तथ्य को कहां तक देखा? इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, जिस समय के लिए आपने परमिशन दी है उसमें कितनी फीस ली? आपने शर्तें बताई हैं कि वह हमें एक जिप्सी देगा, एक फिल्म देगा और हम इसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार करेंगे और अगर हम फिल्म बनाते तो 10 लाख रुपये इस फिल्म पर खर्च होते। तो यह स्कीम आपने कब बनाई, कैसे बनाई, कब आपने यह विचार किया कि फिल्म बनाएंगे और उसमें 10 लाख रुपये लगेंगे? और उसके बाद में बी-बी.सी. आ गई तो आपको इतना बड़ा लाभ मिल गया? यह स्कीम कहां से आई? सबसे बड़ी बात यह है, सभापति महोदय, कि इस प्रकार से एक विदेशी एजेंसी को एक छोटे अधिकारी द्वारा परमिशन देना कोई सम्भव प्रतीत नहीं होता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमने लिखा है कि इसमें कोई साजिश है या कोई बड़ी हस्ती का हाथ है। साधारणतया एक अधिकारी को जाकर उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने परमिशन दे दी। लम्बे समय के लिए दे दी और सारे कानून-कायदों को ताक पर रखकर धारा 28 के तहत परमिशन दी है जबकि 28 में इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह अगर देनी ही होती तो धारा 12 में आप दे सकते थे क्योंकि उसमें यह प्रोविजन है कि आप स्पेशल परमिशन दे सकते हैं, जिसके लिए आप शर्तें इम्पोज करेंगे, आप उसका चार्ज करेंगे और आप उसमें अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। जो शर्तें आपने लगाई हैं उनकी अनुपालना नहीं हो तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस बारे में आप उत्तर दीजिए और जब आपकी कॉपी मेरे पास आ जाएगी तो उसमें से मैं और पूछूंगा।

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरडक : पहले उत्तर तो आने दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप लोग तीन हैं इसमें देने वाले। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर आ जाए तो इसमें सुविधा होगी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : सबका जवाब एक साथ आना चाहिए (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, एक साथ नहीं, प्लीज आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्री महोदय, बिराजिए एक बार। इसमें तीन माननीय सदस्य हैं लाडनूं से आने वाले, ओसियां से आने वाले और हनुमानगढ़ से आने वाले। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने पांच सदस्यों को और इजाजत दी है—श्री दिग्विजय सिंह, श्री जनार्दन गहलोत, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई और श्रीमती यास्मीन अबरार, ये

(श्री सभापति)

भी प्रश्न पूछ सकेंगे। ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर नहीं आएगा तो सारा होच-पोच हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा।

श्री सभापति : नहीं नहीं, देंगे उत्तर, कैसे नहीं देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं जो इन्होंने स्टेटमैंट पढ़ा है। उसके तहत जो इन्होंने रैस्ट्रिक्शंस लगाये हैं मैं उनसे करीब-करीब पूर्णतया सहमत हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : या तो करीब-करीब हो या पूर्णतया हो। दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी ?

श्री सभापति : मंत्रीजी बहुत सौभाग्यशाली हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य रहा है कि स्वर्गीय जोशी जी जब मुख्य मंत्री थे तो उनके समय में उनके माध्यम से हमने स्वर्गीय राजीव जी गांधी और उनके परिवार को रणथम्भौर में आमन्त्रित किया। बड़ी खुशी की बात है कि इस परिवार की बहुत लम्बे समय से इस रणथम्भौर पार्क प्लस कोर्बेट पार्क में अभी प्रजेंट जो अपनी अध्यक्षा हैं उनकी बहुत रुचि है और उनके परिवार के जो बच्चे हैं प्रियंका जी और राहुल जी, उनकी भी बहुत रुचि है। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि आपने....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पता नहीं था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको पता नहीं था तो अब तो लग गया न। अब आप शांत रहो, शांत। बिराजो, थोड़ा सुनो।

तो, मंत्री महोदय, बधाई इसलिए देना चाह रहा हूं कि अगर आपने वह पुस्तक नहीं देखी है तो वह आप जरूर देखें जो पुस्तक सोनिया जी गांधी ने स्वर्गीय राजीव जी के ट्रिब्यूट में लिखी है। उसमें बहुत ही सुन्दर तरीके से उनके रणथम्भौर प्रवास की तस्वीरें हैं जो उन्होंने खुद ने ली थीं स्वर्गीय राजीव जी गांधी ने। उस समय मैं उनके साथ एज मिनिस्टर अपाइंटेड हाजिर था। बहुत ही सुन्दर तस्वीरें हैं। उनकी लाइफ टाइम की तस्वीरों में मैं सोचता हूं कि रणथम्भौर का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अमिताभ बच्चन भी थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उसमें आपके भैरोंसिंह जी नहीं थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें आपकी फोटो नहीं थी। एक जिप्सी में बैठे हुए थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले आप और डाक्टर साहब यह तय कर लो कि कौनसे कैम्प में हो, भैरोंसिंह जी के कैम्प में हो या आर.एस.एस. में हो।

डा. किरोड़ी लाल : एक ही कैम्प में हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नम्बर कट जाएंगे, राठौड़ साहब, ध्यान में रखना।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : दोनों के अलग-अलग कैम्प हैं।

श्री रामस्वरूप : डाक्टर साहब को तो कभी निहाल किया नहीं भैरोंसिंह जी ने। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके भरतपुर और रणथम्भोर एक ही संख्या में आते हैं इंटरनेशनली पापुलेरिटी में करीब करीब। वह बर्ड सैंक्चुरी है और यह टाइगर सैंक्चुरी। यों तो अनेकों सदस्य यहां हैं वे भी गये होंगे लेकिन एज ए वाइल्ड लाइफ लवर मेरा भी रणथम्भोर जाने का अनेकों बार मौका पड़ा है और बहुत ही करीब से वहां के टाइगर की साइटिंग भी हुई है। बुरडक साहब का मैं बहुत ही प्रशंसक हूं लेकिन जिन्होंने भी ब्रीफ किया या इन्होंने खुद ने अपने हिसाब से स्टडी की हो, 12 और 28 के तहत जो बुरडक साहब ने आपका ध्यानाकर्षण किया, 28 कहीं यह नहीं कहता आपको कि डी. सी. एफ. कोर ग्रुप परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन दे सकता है, उसके अधिकारों में है। मंत्री महोदय, कहीं यह भी रिक्वायरमैंट नहीं है कि आप वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लो या आपके आफिसर्स लें। परमिशन दी है, इससे लाभ क्या होगा वह तो मैं बाद में आऊंगा। इसकी जो परमिशन आपने बी.बी.सी को दी, सभापति महोदय, आज डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल के तहत बलब्लेंडान स्टेन वीडन ने नेशनल जियोग्राफिक की कास्ट पर जो फिल्म बनायी है रणथम्भोर पर, माथुर साहब के टाइम पर उनको परमिशन मिली थी, वह देखने लायक है। इतनी जबरदस्त उन्होंने साउंडिंग प्राप्त की है, इतनी बढ़िया फिल्मिंग की है और उसका प्रचार पूरे संसार में हुआ है। उस प्रचार के कारण, मंत्री महोदय, अपने राजस्थान की और रणथम्भोर की शोभा हुई है, शोभा बढ़ी है। मंत्री महोदय, इस सब माहौल के पीछे जो अखबारबाजी हुई है, सदस्यों के बारे में मुझे टिप्पणी करनी है नहीं, उनका अपना सोच है, अखबारबाजी जितनी हुई है, आपके पत्रिका में और जो लोकल पेपर्स हैं उनमें और प्लस जो टाइम्स ऑफ इण्डिया में आया है, यह एक सुनियोजित साजिश है। उसमें साजिश क्या है, मंत्री महोदय? स्वर्गीय राजीव जी की यात्रा के बाद में रणथम्भोर की पापुलेरिटी सडनली कई 100 गुणा बढ़ गई या हजार गुणा ज्यादा बढ़ गयी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : भाटी साहब; हमारी तरफ भी मुखातिब हों, उधर तो खूबसूरत चेहरे हैं पर हमारे चेहरे भी बुरे नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो मंत्री महोदय भगराज जी की तरफ देख रहा था, बीना जी की तरफ नहीं देख रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच का रास्ता निकालो। इधर देखिये, सीधी कर लो।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? क्या कमी है, बताओ?

श्री सभापति : बीच का रास्ता निकालो। इधर भी नहीं, उधर भी नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, भाटी जी का दोष नहीं है, हमारी तरफ कोई महिला जीत कर नहीं आयी इसलिए इधर देखते नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब, आप और छबड़ा से पधारे माननीय सदस्य, आप एक काम करो, आप एक व्यवस्था कर दो और आपके नेता महोदय को बुला लो तो मैं उधर ही देखूंगा, और कहीं नहीं देखूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ख्वाहिश परसों से पूरी कर देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आज कर देते न। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उनके नेता तो कल दोपहर बाद आएंगे, उसके पहले नहीं आप देख पाओगे। जब राज-बाज चला जाएगा।

श्री रामस्वरूप : वे तो दिल्ली का सफाया करके आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाटी साहब, कहीं आपको ऐसा तो भ्रम नहीं हो गया कि नेताजी इसलिए नहीं आते कि आप इधर देखो इससे घबरा कर नहीं आ रहे हैं इस सदन में ?

एक माननीय सदस्य : लगता तो यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यस्त हैं। परसों से आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी।

श्री नरेद्र सिंह भाटी : ऐसा है, सभापति महोदय, मेरे पास खूब समय है उनके नेता के प्रति देखने का, उनके प्रति सवाल उठाने का, उनके ऊपर आक्रमण करने का, पौने पांच साल पड़े हैं, सो आप चिन्ता ही मत करो।

श्रीमती बीना काक : आप राठौड़ साहब का ध्यान रखना, बस।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब, सभापति महोदय,आपके माध्यम से मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि साजिश क्या है। साजिश यह है कि चूंकि पापुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि ट्यूरिस्ट खूब आते हैं विदेशी और देशी सब। जो वहां के टैक्सी ड्राइवर्स, जिप्सी ड्राइवर्स हैं वे जैसे ही साइटिंग होती है, लोकल स्टाफ है, मंत्री महोदय, इस पर आप थोड़ा जाब्ता करवाएं। वायरलैस सिस्टम वहां रणथम्भोर पार्क में फोरेस्ट वालों का लगा हुआ है, जो गेट के बाहर ट्यूरिस्ट की जिप्सी आ गयी, क्योंकि जैसे, मंत्री महोदय, आपने फ़रमाया वहां लिमिटेड संख्या में जा सकते हैं और ये चारों रूट भी अलग-अलग हैं, एक क्लाक-वाइज है, एक एन्टी क्लाकवाइज है, तो बाहर वालों को खबर मिल जाती है कि टाइगर फलां-फलां जगह साइटिंग हुआ है और वे सब अपना रूट तो भूल जाते हैं और एकदम एक झुण्ड में हो जाते हैं बगैर कोई सोचे-समझे कि टाइगर्स को एनिमल लाइफ को डिस्टर्बेन्स हो रहा है, कभी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। मैं तो यहां तक आरोप लगाता हूं कि पूर्व में, आप अगर मागेंगे तो मैं प्रूफ भी दूंगा, कि यहां पर एनीमल्स की पोचिंग भी हुई है। उसका यह जाब्ता करना बहुत जरूरी है। टाउट्स की रोजगारी इस रैस्ट्रिक्शन से बन्द हो गई है। मंत्री महोदय जैसा फरमा रहे हैं अभी गर्मी का समय है, बी.बी.सी. पर भी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

मैं हाजिर होऊंगा आपके पास, रैस्ट्रिक्शंस जो आपने लगाये हैं ढाई किलोमीटर से छह किलोमीटर की लैंथ में, जो रूट नम्बर दो है, उसकी सिर्फ तीन किलोमीटर की लैंथ को बंद किया, आठ किलोमीटर की लैंथ खुली है। गर्मी में मैंने भी उसका सौभाग्य पाया है अनेकों बार। पानी के ऊपर हिरण आते हैं, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया, तो टाइगर के लिए किलिंग भी आसान हो जाती है और उसके खाने की जो रिक्वायरमैंट है वह भी फुलफिल होती है। ये रैस्ट्रिक्शन्स, मैं तो यहां तक कहता हूं, मंत्री महोदय, आपसे कि गर्मी के समय अगर लोगों को, ट्यूरिस्ट को साइटिंग करनी है तो आप मेहरबानी करके आपके ट्रैकर हो, कैंटर हो आपकी खुद की, वह आप एक या दो कर दें। ट्यूरिस्ट गेट पर आ जाएं और उस टैंकर में बैठकर जो लेक–व्यूइंग करना चाहते हैं सिर्फ आप वह परमिट करें। बाकि ट्यूरिस्ट भले ही कौनसे रूट से जाएं, जिस हिसाब से आप आर्गेनाइज करते हैं, जैसा हरिसिंह साहब को पता है कि जब गाड़ियां भरतपुर में बंद कर दी गई थीं और रिक्शा इत्यादि का इस्तेमाल होता था तो काफी लोगों ने उसमें भी एतराज किया था क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई थी। आपके पास एक नैचुरल गिफ्ट एण्ड प्रोपर्टी इनहैरिटल जो आई है, उसको आप प्रोटैक्ट तो करो। मैं इन लोगों से रिक्वैस्ट करता हूं कि आप साउथ अफ्रीका लीजिये। मंत्री महोदय, साउथ अफ्रीका जो अपारथीड से फ्री हुआ है, इन्टरनेशनली उनके जो पार्क्स हैं वे जबरदस्त कंट्रोल वे में उनको आर्गेनाइज कर रहे हैं। वे अपने से भी सीखें तो आप ये रैस्ट्रिक्शन लाये हैं, उनको लागू रखें।

बी.बी.सी. का जहां तक सवाल है, मैं तो कहूं कि आप 2–3–4 चैनल अगर वे आपको पैसा देते हैं, भले ही जी. टी. वी. हो। मेरी जानकारी में तो यह आया है कि बी.बी.सी. और जापानीज टी.वी. टीम आई है, जी. टी. वी. वाले भी वहां पहुंच गये। उन्होंने कहा कि हम भी फिल्म करना चाहते हैं। वह अफसर बहुत अच्छा है। मैं कभी भी मिला नहीं हूं उससे लेकिन मेरा सुपुत्र वहां गया था तो मैंने उससे बात की थी कि मेरा लड़का आ रहा है, मेहरबानी करके उसको थोड़ा समझाना आप, विदेश से आया है 10 साल बाद। तो वह बहुत प्रशंसा कर रहा था कि बड़ा नेक आदमी है, बड़ा हार्ड–वर्किंग है। लेकिन आश्चर्य की बात आप देखें, दादागीरी देखें आप जी.टी.वी. चैनल की, जैसा डाक्टर साहब फरमा रहे हैं, जी.टी.वी. में भी दिखाया, उसने भी वहां परमिशन मांगी। उसने कहा कि हमको भी परमिशन दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको परमिशन हम दे देते हैं रैस्ट्रिक्टेड वे में जैसा हमने बी.बी.सी. को रैस्ट्रिक्ट किया है, आपको भी दे देते हैं, आप पेमेंट कर दीजिये। पेमेंट? जी.टी.वी. तो कभी भी पेमेंट करता ही नहीं, जी.टी.वी. को उल्टे सरकार बुलाती है कि आप आओ, हमें पब्लिसिटी मिलेगी। हमने पेमेंट तो कहीं किया ही नहीं। आप गाड़ी और पूरा एन्टरटेनमैंट और हास्पिटेलिटी भी प्रोवाइड करो। तो उस आफिसर ने उसको ना कह दिया। यह किस्सा वहां से उठता है। जी.टी.वी. प्लस लोकल टाइटस मिलकर और

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अखबारों में मेन हैडलाइन्स आ रही हैं, कभी तो नेशनल लेवल पर आ रही हैं। मजे की बात यह है कि इन्हीं के पर्यावरण मंत्री ने इसमें जांच भी करवाई है। उन्हीं मंत्री महोदय ने इनके विभाग ने जो यह स्टैप लिया गया है वह सही माना है। उसका मेरे पास प्रूफ है। अब इसके बाद में, मंत्री महोदय, अन्त में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपने जो स्टेटमैंट दिया है, जैसा डाक्टर साहब ने फरमाया है कि कम्प्लीटली सैंटिस्फाइड हैं या पार्शली सैंटिस्फाइड हैं, मैं तो यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं कम्प्लीटली सैटिफाइड हूं।

अब मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से। मैं विषय से दूर नहीं जा रहा हूं, रणथम्भौर से ही सम्बन्धित है। एक और प्राब्लम वहां जबरदस्त हो गई है, मंत्री महोदय, और वह यह है कि होटल्स वहां पर संख्या में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है अगर होटल्स सवाई-माधोपुर में हों। जो कोर ग्रुप है वह तो बाउंडेड है लेकिन जो ग्रे एरिया है, मंत्री महोदय, उसमें जो खेत आये हैं, ठीक है आप रेजिडेंशियल तो रोक नहीं सकते क्योंकि 1/20 th he has right to build on. अब जो बन गये उनको तो आप भले ही नोटिस दे दें, कुछ करें लेकिन मेहरबानी करके कोर एरिया और इस ग्रे एरिया के बाद में....

श्री दिग्विजय सिंह : बफर एरिया में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, बफर एरिया के भी बाहर जा रहा हूं, दिग्विजय सिंह साहब मैं यह अर्ज कर रहा हूं, जो बन गये उनको तो आप, ठीक है, होटल्स की पर-मिशन आप एल.एस.डी. मंत्री से बात करें, रेवेन्यू मंत्री से बात करें और अब परमिशन होटल्स की सिर्फ सवाईमाधोपुर की टाउन-शिप की बाउंड्री में हो, जो अरबनाइजेबल एरिया हैं, उसमें ही परमिशन दीजिये, उसके बाहर बिलकुल नहीं दें। फार्म्स का, मंत्री महोदय। ये काश्तकारी के बहाने परमिशन आपसे मांगते हैं या बगैर पर-मिशन भी बना सकते हैं तो आप सचेत कर दें आफिशियली रेवेन्यू विभाग को और एल.एस.डी. विभाग को कि No more hotels should be constructed whether they are one star, two star or five star, whatever.

अन्त में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदस्यों से भी अर्ज है कि इसको आप सीरियसली लें। यह आपकी गॉड गिफ्टेड पूंजी है रणथम्भौर, राणा हमीर, कहां-कहां से कनैक्टेड है और क्या-क्या हिस्टोरिकल हिस्ट्री और बैकग्राउंड है। अपने को तो खुश होना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप कोई भी इन्टर-नेशनल पार्क में पधार जाएं, जो लिबर्टी अपन मांग रहे हैं, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेरे मित्र लोग मांग रहे हैं, आपको कहीं पर इतनी लिबर्टी तो क्या उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रिक्टनैस मिलेगी। अपना वहां बस नहीं चला तो अपने यहां एक तरह से व्यवस्था तो करें। Once again heartiest congratulations, Thank you, Minister.

श्री सभापति : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से उत्तर नहीं आये, यह एक नई परम्परा डाली जा रही है। पूर्व में भी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। उसका जवाब नहीं दिया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को इस बारे में निर्देश दें अन्यथा तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व में भी इस किस्म की अनुमति फिल्मांकन के लिए किसी एजेंसी को दी गई थी? रणथम्भौर एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी अनुमति दी गई, इतना बड़ा काम था? क्या आपकी जानकारी के बाद में दी गई?

दूसरा मेरा सवाल आपके माध्यम से यह है कि आपने जो स्टेटमैंट दिया है यह स्टेटमैंट बीकानेर वाले हिरणों से मिलता जुलता ही है। आप अपने आपको कोंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो आप फरमा रहे हैं कि बाघों का ब्रीडिंग सीजन था, मेटिंग पीरियड था, वह प्रभावित नहीं हो इस वजह से पर्यटकों को इजाजत नहीं दी गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पर्यटकों के लिए आपने एक फिक्स्ड रूट दे रखा है जैसे क्लाकवाइज एण्ड एंटी क्लाकवाइज आपने काफी घुमाया, वह रास्ता जब दे रखा है तो क्या बाघों का मेटिंग उससे ज्यादा प्रभावित होता है या जो फिल्म कम्पनी फिल्मांकन करने के लिए आ रही है उससे? सर्च लाइट उनके पास होती है, वे अपनी फिल्म को एनरिच करने के लिए निश्चित रूप से मेटिंग से पहले फोर प्ले के भी और मेटिंग के पीरियड के भी जो डिफरेंट पोजेज लेंगे, क्या उससे उनका ब्रीडिंग सीजन प्रभावित होता है या जो पर्यटक दूर से देखते हैं उनसे प्रभावित होता है? चौथा मेरा सवाल यह है, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि लोग दूर से भी बाघ देख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अखबारों में यह इतना सारा आया, मंत्री महोदय ने जाकर दूर से देखने का प्रयास किया और आपको दिखाई दिया क्या? अन्तिम मेरा सवाल यह है, जैसा मेरे से पूर्व माननीय बुरड़क साहब ने फरमाया कि यह विदेशी एजेंसी है, इसको अधिकारी ने जो अनुमति दी है उससे यहां जो पर्यटक रोजाना जाते थे हजारों की तादाद में, उनमें कमी आई है, वहां के स्थानीय लोगों की जो रोजी–रोटी का धन्धा है उसके ऊपर असर पड़ा है। क्या सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित करके इसकी पूरी जांच आप करवाएंगे। यह मेरा अन्तिम सवाल है।

श्री सभापति : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उस संदर्भ में कुछ पूछूं उसके पहले माननीय भाटी साहब ने रणथम्भौर के बारे में बात कही है उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से रणथम्भौर आज न केवल राष्ट्र में बल्कि अन्तरराष्ट्रीय जगत के अन्दर भी टाइगर

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रोजेक्ट के नाम से जाना और माना जा रहा है। इसकी ख्याति का अनुमान इससे ही आप लगा सकते हैं, माननीय वन मंत्रीजी, अगर आकड़े इकट्ठे कर लेंगे और ट्यूरिस्ट मंत्री महोदया वे आकड़े देख लें कि गत दस वर्षों के अन्दर रणथम्भोर परियोजना में कितने ट्यूरिस्ट आये हैं। हर साल वहां पर ट्यूरिस्ट की वह चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, वहां पर दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। ट्यूरिस्ट इतने आ रहे हैं उनके आने के पीछे उद्देश्य यही है। सभापति महोदय, मुझे भी तीन-चार जो अपनी नेशनल सेंक्चुरीज हैं-कान्हा सैंक्चुरीज है, कोर्बेट पार्क है, सरिस्का है, इन सब में जाने का मौका मिला, पर जितनी सुगमता से टाइगर साइट आज रणथम्भोर में होता है, किसी भी नेशनल गेम सैंक्चुरी में आपको इतना जल्दी टाइगर साइट नहीं है। आप चले जाइये, सभापति महोदय, शाम को जैसे आप पहुंचे, शाम को आपने ड्राइव ली, अगर शाम को आपको नहीं दिखेगा तो नैक्स्ट मोर्निंग तो निश्चित रूप से आपको दिख जाएगा। क्योंकि वहां की जो इकोलोजी है, वहां का जो सारा एनवायर्नमैंट हैं वह इस प्रकार का है कि सब तरफ तो बड़े-बड़े पहाड़ आ गये, उसके नीचे तराइयां आ गई और नाले आ गये। उसके अन्दर फालेज इतना है खास तौर से गर्मी के मौसम में कि शेर बिलकुल उनके पास ठण्डक में, नालियों में, झाड़ियों में पड़ा रहता है। जबकि आप सरिस्का में जाएं तो सरिस्का का जो टेरेन हैं और सरिस्का का जो सारा फोरेस्ट का एनवायर्नमैंट है वह टोटली डिफरेंट है। इतना वाइड है और इतना फैला हुआ है कि वहां पर टाइगर का साइटिंग अच्छा नहीं होता। इसलिए रणथम्भोर जो परियोजना है इस कारण आज उसकी ख्याति वैसे ही इतनी हो गई। जैसा माननीय भाटी साहब ने कहा था, रणथम्भोर के ऊपर फिल्म भी बनी हुई हैं और इसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हुई हैं जो विदेशों में भी खूब बिक रही हैं और खूब बिक चुकी हैं तो यह तो इतना ख्याति प्राप्त हो गया कि वहां पर और कोई, विशेष तौर से कोई बी. बी. सी. चैनल या कोई दूसरी चैनल को वहां आमंत्रित करने की या उनको दुबारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान एक बात कि ओर दिलाना चाहता हूं। 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में एक मीटिंग की थी, उसका यह आया है अखबारों में, यह टाइम्स आफ इण्डिया का है, कि parts of sanctuaries to be inexcessilbe. उन्होंने इसके तहत कुछ डाइरेक्शंस दिये सब चीफ मिनिस्टर्स को। यह 1988 की बात है। स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जो खुद भी इन्टरैस्टेड थे वाइल्फ लाइफ के, उन्होंने लिखा है और डाइरेक्शन दिये कि इन सैंक्चुरीज को इनएक्सेसेबल रहने दिया जाए, क्योंकि ज्यादा अगर टूरिस्ट पहुंचेगा तो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्बेंस होगा। फिल्मिंग का जहां तक प्रश्न इस वक्त है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बहुत इन्टरैस्टेड थे खुद भी वाइल्ड लाइफ में, भाटी साहब तो खुद भी मेरे साथ

(श्री दिग्विजय सिंह)

सहमत होंगे कि जिस वक्त मौजूदा हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजीव जी दोनों रणथम्भौर तीन दिन के लिए....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं टोकना नहीं चाहता हूं आपको, पर यह जो आप फरमा रहे हैं न, यह सरिस्का से सम्बन्ध रखती है। सरिस्का में, आपको ध्यान हो, जनार्दन जी, कि वहां मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की और उस समय राजीवजी आब्जैक्टेड पूरा काफिला जो आया था गाड़ियों का, मिनिस्टर्स का, उस पर।

डा. रामप्रताप : यह क्लास अलग से ले लो हम सबकी जानकारी बढ़ जाएगी।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, आप उसकी चिन्ता मत करें, डाक्टर साहब। उसकी चिन्ता मत करें आप। माननीय भाटी साहब कह रहे हैं वह सही है, मैंने इसमें यह उल्लेख नहीं किया कि वह रणथम्भौर के लिए ही कहा है। मैंने तो यह कहा है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब, अब बुलवा ही रहे हो तो आपका मैं बहुत रेस्पैक्ट करता हूं, क्लास अगर लगवानी है, सभापति महोदय, तो एक काम करवाएंगे, आपने सलमान खान को तो फंसा दिया, वह राजसिंह कौन है जिसको आपने छुड़वा दिया। आपके मुख्य मंत्रीजी पर आरोप है मेरा यह।

श्रीमती बीना काक : शिवराज सिंह है कि राज सिंह है।

डा. रामप्रताप : मेरी जानकारी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप लोग सरकार लेके बैठें हैं। सलमान खान फस गया, राज सिंह बच गया तो जब चाहो फंसाओ न। अब तो इतनी बड़ी सरकार लेकर बैठे हो। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो रहने दीजिये, आपकी तो आदत हो गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रहने क्या दो। यह आपका जो (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब ने पाइंटेडली मुख्य मंत्रीजी के बारे में, मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमैंट आपने पढ़ा था, प्रजैंट मुख्य मंत्री का पढ़ा था उसके तहत मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, उसमें बड़ी भारी साजिश हुई हैं।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय भाटी साहब ने कहा वह सही है पर इसमें मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि वह पर्टीकुलरली रणथम्भौर के लिए कहा है, उन्होंने जनरल सैंक्चुरीज का कहा है। यही लिखा है, parts of the sanctuaries to be inexcessible. So that covers all the sanctuaries not a particular Ranthambhore-

श्री सभापति : आपका प्रयत्न बहुत प्रशंसनीय है, यह आप कहां-कहां से निकाल कर ला रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री सभापति : आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। कहीं का हो, लेकिन है।

श्री सी.पी. जोशी : यह हिस्टोरीकल है ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि वे कितने इन्टरैस्टेड थे । और सैंक्चुरीज को किस प्रकार से बचाया जाए, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे ।

श्री सभापति : It shows your keenness.

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस सब बात के एक दिन के बाद में उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी नियुक्त की मिस्टर घोरपड़े की अध्यक्षता में और वह खास तौर से रणथम्भौर के लिए ही हुई । उसकी रिपोर्ट हमारे विभाग में है कि नहीं, पर मेरे पास जो उसकी प्रति है, उसके अन्दर इस रणथम्भौर के बारे में साफ उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से इसकी इकोलोजी, इसका फोरेस्ट और इसका जो कोर या बफर एरिया है वह डैस्ट्राय हो रहा है । जैसा आपने भी कहा, उसका उल्लेख मिस्टर घोरपड़े ने किया है जिनको कि स्पेशली उन्होंने नियुक्त किया था ।

सभापति महोदय, आपको निवेदन करने का अर्थ, माननीय मंत्री महोदय को भी कहने का अर्थ यही है, अब मैं सीधा प्रश्न पर आ जाता हूं, कि आपने जो वक्तव्य पढ़ा, जैसा बुरडक साहब ने कहा, उस वक्तव्य को पहले पूरा पढ़ा ही नहीं । हो सकता है कि आपने उसको बीच में ही अपने सुविधाजनक हिसाब से कम करके उत्तर दे दिया, क्योंकि जो उत्तर है, कई पाइंट्स मैंने भी प्रश्न के हिसाब से उसमें पहले ही कर दिये थे, उनका जवाब आपने मेरे को दिया नहीं । सभापति महोदय, धारा 12 और 28 का जो इसमें उल्लेख है कि धारा 28 के तहत में वह कर सकते हैं, पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि बी.बी.सी. ने जो आपके पास में एप्लीकेशन दी, उन्होंने कब दी ? क्या शर्तें थीं उनकी? किस परपज के लिए उन्होंने एप्लाई किया था ? उनसे क्या फीस चार्ज कर रहे हो ? फीचर फिल्म के लिए आपकी क्या रेट्स हैं, वीडियोग्राफी की आपकी क्या रेट्स हैं, फोटोग्राफी की क्या रेट्स हैं पर-डे के हिसाब से और इनसे आप क्या ले रहे हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है सभापति महोदय, बी.बी.सी. वालों ने एक तो जिप्सी दे दी यों ही दान में और यह कह दिया कि इसकी जो फिल्मिंग करेंगे उसकी दो कैसेट और आपको दे देंगे । और तीन हजार रुपये पर-डे के हिसाब से वे और दे रहे हैं ।

श्री सभापति : यह इन पर छोड़ दो, आपको उत्तर देंगे ये ।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, ये तो कहेंगे ही, मुझे जो जानकारी है वह कह रहा हूं । अगर वे कह दें कि नहीं है तो वे अपने आप करेंगे ।

श्री सभापति : फिर इनको टोक देना । आपकी जानकारी से कोई भिन्न दें तो फिर आप इनको पकड़ लेना ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आपके जो नियम हैं उन नियमों को अगर आप देखें तो उनमें लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल्स से कितना लेंगे और फारेनर्स से कितना लेंगे ? दोनों में फर्क है । फारेनर्स से लिखा हुआ है 20 हजार पर-डे के हिसाब

(श्री दिग्विजय सिंह)

से फार फिल्मिंग। धारा 28 में साफ उल्लेख है कि किन परपज के लिए देंगे, परपज डिफाइन हैं। उसमें चार परपज हैं– कोई स्टडी के लिए हो, कोई जानने के लिए हो और ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जानकारी मंत्री महोदय पर छोड़ दो, इन पर छोड़ दो।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, धारा 28 में लिखा हुआ है Grant of permit.

"The Chief Wild Life Warden may on application grant to any person, permit to enter or reside in a sanctuary for all or any of the following purposes namely :–

1. Investigation or study of wild life, pertaining to ancilliary and incidental thereto,
2. Photography,
3. Scientific research to tourism and transaction of lawful business with any person residing in the sanctuary.

A permit to enter or reside in a sanctuary shall be issued subject to such conditions and payment of such fees as may be prescribed.

मेरे कहने का मतलब यह है कि फीस के बारे में और उसके लिए तो सैक्शन 28 के अन्तर्गत दिया हुआ है कि आप प्रेस्क्राइब करेंगे, पर धारा 28 के अन्तर्गत परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही देगा, आप डेलिगेट नहीं करेंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि परमिशन किसने दी, डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने नीचे के स्तर पर दे दी, या आपने दी, या आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने दी? क्योंकि इस एक्ट के तहत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही परमिशन दे सकता है। कोई दूसरे परपज के लिए फीस प्रेस्क्राईब्ड है, वह ले सकते हैं। सभापति महोदय, आपके यहां एक डेलिगेशन ऑफ पावर का सर्कुलर 11.3.99 को जारी हुआ सैक्शन 28 के तहत और दूसरा न मालूम कैसे हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, वह हुआ है 5 अप्रैल, 1999 को। जबकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शायद 6 या 7 को आ गया था। हो सकता है यह बैक डेट में हुआ हो, क्यों कि वह परमिशन पहले तो नहीं दी गई। परमिशन पहले दे दी गई तो डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने दे दी नीचे स्तर पर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने दी नहीं। उस सबको रेगुलराइज करने के लिए आपके विभाग से एक नोटिफिकेशन एक सर्कुलर के नाम से जारी हो गया। सभापति महोदय, डेंजर इस बात का और है, इसमें लिखा है– "For the purpose of Section 28 (i) the Dy. Conservator of Forest incharge of national park/sanctuary is empowered to issue permission for filming of nature and wild life scenes on payment of prescribed fees and subject to the prescribed conditions, permissions for feature film and documentaries on the

(श्री दिग्विजय सिंह)

other themes will be issued by the chief Wild Life Warden only." अब यह बात आती है कि फिर यह परमिशन डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कैसे दे दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तारीख क्या है इसकी ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह तारीख है, पूर्व में सर्कुलर तो 11.3.99 का है और उसके बाद में इनकंटीन्युएशन आफ दी सर्कुलर दूसरा निकला है 5 अप्रैल 1999 का। इसी कंटीन्यूएशन में एक बात और लिख दी, वह यह है, सभापति महोदय, For the purposes of Section 28 (ii). "The Dy. Chief Conservator of Forest in-charge of a national park/sanctuary is empowered to permit tourists to stay in rest houses on payment of prescribed fees and subject to their fulfilling other regulations they are also empowered to permit camping at suitable places by trekkers, natural bird lovers, bird watchers, etc. for not being sponsored by travelling agencies hotelears, touring operators etc. with a commercial motive in mind." एक तरफ सैक्शन 28 है, वह स्ट्रिक्टली आपको पाबन्द करता है कि आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इकॉलॉजी के डवलपमैंट के लिए देंगे और इधर आपका कान्ट्राडिक्ट्री सर्कुलर जाता है विद द कामर्शियल नैवर इन माइन्ड। अब अगर ट्रैकर्स के लिए और इनके लिए आपने पावर नीचे डैलिगेट कर दिये डिप्टी चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट को और परमिशन दे दी तो वे उनको अलाउ कर देंगे। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के जो रूट्स हैं उनके आस-पास तो ट्रैकर्स और ये ही कैम्प लगा-लगाकर बैठ जाएंगे। यह किसी भी सैंक्चुरी में नहीं है। घना में भी मैं गया हूं, उनको भी सर्टेन टाइम में अलाउ होता है। बर्ड लवर्स भी हैं वाइल्ड लाइफ में और एनिमल लवर्स भी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह परमिशन की तारीख कौनसी है ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो जनवरी की थी, 11 मार्च, 1999 ऐसे कुछ। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं और मेरी इसमें आपत्ति भी है, जैसे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य भाटी साहब ने कहा। ठीक है कि बी.बी. सी. या ऐसी एजेन्सी के थ्रू फिल्मिग हो, लेकिन फिल्मिग होने के बाद जब फिल्म बाहर जाएगी तो पब्लिसिटी होगी, पब्लिसिटी होगी तो हमारे यहां ट्यूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे और इस बाघ परियोजना की भी पापुलैरिटी होगी और इसका ट्यूरिस्ट के हिसाब से डवलपमैंट होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस परियोजना की पापुलैरिटी इतनी ज्यादा वैसे ही हो गई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पापुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि कई तरह के इसमें आ गये।

श्री सभापति : आप तो मंत्रीजी से पूछो।

श्री दिग्विजय सिंह : यह आया है एक आर्टिकल 1996 में, टाइगर ट्रैप इन क्रास फायर। अब इसके अन्दर कौन है ? इसके अन्दर युनाइटेड किंगडम के अन्दर मिस्टर मोली डे हैं, उन्होंने लेख लिखा है कि हिन्दुस्तान में रणथम्भौर में प्रतिदिन एक शेर मर रहा है। इन्होंने इसमें लिखा है कि 500 शेर मर चुके हैं और पापुलेशन कम हो गई। सभापति महोदय, डेंजर किस बात का है? जैसे मैंने कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र इस बात का है कि साल-डेढ़ साल पहले जो आर्टिकल आया है, मैं आपको मंत्री महोदय कहना चाहता हूं कि वह आर्टिकल एक सुनियोजित तरीके से था और बाघ परियोजना की छवि बिगाड़ दी गयी थी कि राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, यहां टाइगर्स मारे जा रहे हैं, पोचिंग हो रही है और इनकी हड्डियों का व्यापार होकर हड्डियां चाइना और उधर जा रही हैं दवाइयों के लिए, इसलिए इस परियोजना को किसी प्राइवेट को दे दिया जाए। बहुत तरीके से यह सब षड्यंत्र जाल चल रहा है। बी.बी.सी वाले भी गये साल ही आ गये थे और एक फिल्म तो वैसे ही कर ली, बगैर परमिशन। इस प्रकार का जो वातावरण चल रहा है, सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग ने इस बात को आपके जवाब के अन्दर आपसे कहलवा दिया कि ऐसी बात नहीं है, इससे बहुत लाभ होने वाला है। क्या लाभ हो रहा है ? एक जिप्सी, और तीन कैसेट ? ये जो फिल्म करके ले जायेंगे, यह जो फिल्मिंग होगी या वीडियोग्राफी होगी इसके माध्यम से बी. बी. सी. चैनल लाखों-करोड़ों डालर कमाएगा। They will be earning thousands of Dollars. और आपको क्या मिलेगा ? तीन कैसेट, एक जिप्सी दे दी, जैसे दान में। सभापति महोदय, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारे मामले को गहराई से देखें। इसकी एक निष्पक्ष जांच कराएं पहले तो कि आखिर यह हुआ कैसे। मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर यह स्पष्ट लिखा था, सभापति महोदय, तीन सवाल मैंने लिखे थे

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, वह कैसेट तो सरकार को ही दी होगी और किसी को भी कुछ दिया है क्या ?

श्री सभापति : आप बिराजें। इनको बोलने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है....

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा है, सभापति महोदय, एक मिनट....

श्री सभापति : आप उनको कंक्लूड करने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी ही बात है। उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो षड़यंत्र की बात कही है, वास्तव में बड़े षड्यंत्र की बात है (व्यवधान) नहीं, मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा।

श्री सभापति : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज कंक्लूड ।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, उनियारा से आने वाले सदस्य ने जो षड्यंत्र की बात बतायी है ...

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं डा. किरोड़ी लाल जी की भावनाओं को समझता हूं कि वे इस परियोजना से काफी लगे रहे हैं, उसकी समस्याओं को और काश्तकार की समस्याओं को, दोनों को उठाते रहे हैं। इससे उनकी पीड़ा को मैं जानता हूं । अगर नाम नहीं भी है तो आप अगर चाहेंगे तो उनको स्वीकृति दे देंगे । सभापति महोदय, मैंने यह साफ लिखा है

श्री सभापति : पहले आप तो अपनी बात बता दें ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको बता दूं, मैंने प्रश्न में पूछा है कि इस बी.बी.सी. चैनल ने कब दरख्वास्त दी थी, तारीख बताएं । आपने कहा कि एक सितम्बर, 98 को प्रार्थना पत्र दिया गया है । पहले का है 98 । कि वन्य जीव सलाहकार मण्डल के समक्ष जानकारी के लिए रखा गया ? जी नहीं । वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 में फिल्मांकन अनुमति लेने से पहले प्रकरण की वन्य जीव सलाहकार मण्डल के समक्ष जानकारी हेतु रखने का कोई प्रावधान नहीं हैं । इस प्रकार की अनुमति देने का अधिकार मुख्य जीव प्रतिपालक को दिया हुआ है । अब मैं यह जानना चाहूंगा कि वन्य जीव सलाहकार मण्डल एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई शक नहीं, पर आखिर में उसकी दो मीटिंगें हो गयीं उसके बाद जानकारी के लिए तो रखते । एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे देश की नहीं, विदेश की एजेंसी है वह विदेश की एजेंसी आकर यहां फिल्मिंग करना चाहती है, सलाहकार मण्डल के सामने आप छोटी-मोटी चीज तो रखते हैं पर आपने इस बात को वहां रखा ही नहीं ? यह कह दिया, साहब कि अधिनियम में नहीं है । सभापति महोदय, और फिर इसमें लिखा है कि इसकी अनुमति वन्य जीव प्रतिपालक ही दे सकेंगे और यह नीचे ही दे दी गयी ।

अन्त में, जैसा पूर्व वक्ता ने कहा था, मैंने लिखा था, क्या यह सही है कि माननीय वन मंत्री के समक्ष लाया गया ? जी नहीं । अब कितना महत्वपूर्ण विषय है । अगर आपने इस बार बी. बी सी को दे दी तो अमेरिकन चैनल भी आएंगे, जापानीज चैनल भी आएंगे, दूसरे चैनल भी आएंगे, आप किस प्रकार से मना करेंगे ? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैंने इसलिए कहा था कि अगर एक दफा आपने इनको दे दी, एक बार अगर यह शुरू हो गया तो फिर इस उद्यान के अन्दर इन चैनल्स की ही टीम फिरती रहेगी, आम ट्यूरिस्ट के लिए फिर वह उद्यान बन्द हो जाएगा ।

सभापति महोदय, अन्त में, एक बात मंत्री महोदय से और पूछना चाहूंगा । आपने रुट नम्बर वन और टू का कहा कि, साहब, अब हमने रूट नम्बर टू के पांच किलोमीटर को बन्द रख दिया और बाकी का 25 किलोमीटर खुला है । मैं यह जानना चाहूंगा

(श्री दिग्विजय सिंह)

कि पांच किलोमीटर आपने कौन-सा बन्द रखा ? अगर आपने एंट्रेंस वाला ही बंद रख दिया तो आगे 25 किलोमीटर वहां से जाएंगे ? जहां पर कि आपने बताया नले-नाले सब आते हैं, जहां पर जानवर, शेर बैठे रहते हैं, एंट्रेंस का ही पांच किलोमीटर बन्द हो गया तो 25 किलोमीटर आगे कहां से जाएंगे ? सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो आपने रूट बन्द किया, यह रूट क्या आपने इसी साल बन्द किया या इसके पूर्व भी बन्द किया जाता था ? और किया गया तो कौन कौनसे सालों में बन्द किया ? या इसी साल के अन्दर बन्द करने की क्या आवश्यकता आयी ? इससे आपको सारी स्थिति सामने आ जाएगी कि आपके अधिकारियों ने सारी मिलीभगत से बी.बी.सी. चैनल से या उनसे लेकर किस प्रकार से काम किया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुरजोर निवेदन करूंगा, जैसा आपने कहा कि हमारा कोई भी अनुबन्ध नहीं है, हमने परमिशन दी है, आप परमिशन को कैंसिल करिये और कैंसिल करने के साथ-साथ भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो परमिशन हो वह वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के सामने आए। आफ्टरआल वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड काहे के लिए है ? वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड आपका है, आपने गठित किया है, आप उनके सामने जाएं और वह अगर रिकमण्ड करे तो आप परमिशन दें । यह भी कि फारेन एजेंसी का कोई चैनल हो, किसी का भी हो वह कम से कम राज्य स्तर पर, मंत्री स्तर पर जरूर आना चाहिए। आप तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दे दें उन्होंने डेलीगेट कर दिया, नीचे वालों को और आप कहें आपको जानकारी ही नहीं है । इसलिए मैं फिर आपसे मांग करता हूं कि यह सारी जो आपने उनको परमिशन दी है, उसको आप तुरन्त निरस्त करिये और इस सारे प्रकरण की किसी निष्पक्ष अधिकारी, रेवेन्यू बोर्ड के कोई मैम्बर हों उनसे जांच कराएं या कोई आपके विभाग का ही मैम्बर हो, अच्छा हो, उससे जांच कराएं तो उचित होगा । सारी स्थिति सामने आ जाएगी । मैंने जो प्रश्न उठाये हैं उनका भी आप जवाब दें ।

श्री सभापति : करौली से आने वाले माननीय सदस्य ।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एक जो उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि .

श्री सभापति : नहीं, फर्स्ट करौली से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इंगित किया है । मैं सोचता हूं, करौली जिला अभी एक साल पहले ही अलग हुआ है, इससे पहले एक ही जिला होने के नाते हमारा सम्बन्ध सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर परियोजना से काफी जुड़ा रहा है । यह सही है कि इस परियोजना के माध्यम से देश ही नहीं, विदेशों में भी एक आकर्षण का केन्द्र सवाईमाधोपुर बन चुका है । जयपुर उद्योग जैसा एक संस्थान वहां था किन्तु उसके बन्द होने के बाद

(श्री जनार्दन गहलोत)

अगर कोई रोजगार का साधन मुहैया सवाईमाधोपुर में हो रहा है तो इस सैंक्चुरी में आने वाले पर्यटकों के माध्यम से हो रहा है–चाहे वह व्हीकल्स के रूप में हो, चाहे होटल व्यवसाय के रूप में हो। रोजगार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। माननीय सभापति महोदय, भाटी साहब ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। जब राजीव गांधी और उनका परिवार रणथम्भौर आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और हम भी कई बार जब वहां गये तो जोगी महल के अन्दर बिजली वहां ज्यादा कटे नहीं, इन्दिरा गांधी के जमाने में और राजीव गांधी के जमाने में ये निर्देश आये कि शाम को पांच बजे बाद या सन सैट हो जाए उसके बाद कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं किया जाए। बल्कि यह भी हुआ कि जोगी महल के जिस स्थान के ऊपर लाइट नहीं जलाई जाती है....

(15.00 बजे)

श्री सभापति : अब जलाते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : और आज तक वह परम्परा मेन्टेंड है। बल्कि मुझे यह बात भी याद आती है, मुख्य मंत्री जी जब राजीव जी को वहां विदाई दे रहे थे तो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कहा प्लेन जब वहां उतरा–वे लेकर वापस गये, कहा कि अब तो हम इस पर परमानैंट हवाई-पट्टी बना देते हैं। लेकिन राजीव जी ने उसी समय जवाब दिया कि यहां हवाई-पट्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यहां बहुत हवाई-जहाज उतरने लग जाएंगे और बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह मुझे अच्छी तरह याद है।

सभापति महोदय, जिन बिन्दुओं का जिक्र उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, न तो मंत्री महोदय का इसके अन्दर हाथ है, न जानबूझकर कोई अनदेखी की गयी है। इतनी बात जरूर, मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे आपके अधिकारियों ने किया हो, चाहे किसी ने किया हो, आपका इसके अन्दर कोई लेना-देना नहीं है। आपकी मंशा भी नहीं हैं जवाब के अन्दर। लेकिन वन्यजीव सुरक्षा अधिनिम, 1977 एक्ट 1977(2) की धारा 12 व धारा 28 की मंशा जो है, जिसको उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यहां यह स्वीकृति दिया जाना इस एक्ट की मंशा के बिलकुल विपरीत है, हमें ऐसा लगता है। चाहे यह आपके सामने मामला सही नहीं रखा गया हो, जिसने भी यह स्वीकृति दी इतनी कम लागत के ऊपर, इतना कम लाइसेंस फीस के रूप में जो अनुमति दी गयी वह बहुत कम है। यह बात सही है कि वीडियोग्राफी हो, चाहे इसकी फिल्म बने, लाखों डालरों की कमाई का धन्धा इसमें बनेगा। जिसने भी फोटोग्राफी की है, बी.बी.सी. के चैनल के माध्यम से की है, यह मानकर चलिये कि इसके अन्दर लाखों डालर्स की कमाई होने वाली है। लेकिन हमारे विभाग को इससे क्या मिला ? कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि विभाग की मंशा यह हो कि इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा। लेकिन, मंत्री महोदय, आपको इसकी गहराई में जाना होगा। जिस ढंग से जवाब आपको विभाग से दे दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है। क्योंकि

(श्री जनार्दन गहलोत)

बड़ी-बड़ी एजेंसीज, मैं स्पोर्ट्स में डील करता हूं, खेल की शूटिंग के लिये आती है तो हमारे फैडरेशन को कितना रुपया देती हैं, हम जानते हैं। फिल्म लेने के लिए बी.बी.सी. के माध्यम से या उस चैनल पर कई बार खेलों की शूटिंग करने के लिये भी आते हैं तो उसमें भी इतने कम पैसे तो नहीं देते हैं। वहां पर एक लाख–दो लाख रुपये देकर जाते हैं। मैं तो सोचता हूं कि 3 हजार रुपये पर–डे, क्या होता है ?

श्री भगराज चौधरी : 3 हजार पर ट्रिप।

श्री जनार्दन गहलोत : पर ट्रिप एक दिन में एक ट्रिप होगा। फिर भी मेरा मानना है, मंत्रीजी, कि जितना पैसा....

श्री मदन दिलावर : और एक पुरानी जिप्सी भी उपलब्ध करवायी गयी है।

श्री जनार्दन गहलोत : विभाग में आयी है, कोई मंत्रीजी को या एम.एल.ए. को नहीं मिली होगी।

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं, किसी को नहीं आयी है। बहुत अच्छी जिप्सी थी, वह दी है सरकार को।

श्री जनार्दन गहलोत : वह न आपने देखी है, न मैंने देखी है। (व्यवधान) अब आपने देखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दी है।

लेकिन, मंत्री महोदय, मेरा यह मानना है कि परमिशन दिये जाने की मंशा कुछ भी हो सकती है लेकिन यह मानकर चलते हैं कि जिसने भी यह स्वीकृति दी है, जिस अधिकारी ने दी है उसके पीछे कोई न कोई बेइमानी जरूर है, जो इतनी कम फीस के अन्दर इस एजेंसी को परमिशन दी है। इसको देखकर आज जापानी कम्पनियां हैं, और भी एजेंसियां हैं, सामने आने को तैयार हैं। जैसे भाटी साहब ने कहा, जी.टी.वी. वाले भी आये हैं, अमरीका भी आने को तैयार है, और भी सब आने को तैयार हैं।

मंत्री महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से इंगित कर दिया, मैं उनको दोहराऊं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने उन मामलों को इंगित कर दिया, उन धाराओं को इंगित कर दिया, आप उन बातों को ध्यान रखें। खास तौर से जिस सलाहकार मण्डल का जिक्र किया। एक परम्परा आप डालिये कि कम से कम उस एडवाइजरी बोर्ड के अन्दर यह मामला जाए, राज्य सरकार स्तर पर जाए। नीचे अधिकारियों के लेवल पर यह सारा छोड़ दिया गया तो मैं समझता हूं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत–सी एजेंसीज आ जाएंगी और अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा वहां क्या–क्या हो रहा है। इस परियोजना के अन्दर जिस प्रकार की ख्याति हमको मिली है, उस ख्याति को कायम रखने के लिये व इसकी गम्भीरता को देखते हुए चाहे कमिश्नर लेवल पर, चाहे रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर के लेवल पर ताकि हमको एक सैटिस्फैक्शन हो कि इसके अन्दर कोई षडयंत्र नहीं था। मैं सोचता हूं कि इसके अन्दर आपकी कोई मंशा नहीं थी। आगे से स्वीकृति दिये जाने के ऊपर भी कोई नियम बन जाना चाहिए

(श्री जनार्दन गहलोत)

कि आपकी नालेज में आये या सलाहकार मण्डल के बीच में जाए। नहीं तो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। आपको बार-बार जवाब देना पडेगा और नीचे से यह होता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन्हीं बातों को कहते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया, बहुत सही है कि होटलें वहां पर दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वे बिलकुल अभयारण्य के नजदीक पहुंच गयी हैं। आज उस रोड़ की कीमत इतनी बढ़ गयी है कि होटलों की दृष्टि से दिल्ली और बाहर से पार्टियां आ रही हैं। इसलिये मैं सोचता हूं उसका भी एक जोन बना देना चाहिए। कलक्टर को इस सम्बन्ध में आपको हिदायत देनी चाहिए कि उसका एक जोन बने कि अब अगर होटलों की परमिशन मिलेगी तो इस एरिये में नहीं मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मैं सोचता हूं मंत्री महोदय इसको गम्भीरता से लेते हुए इस बात को पूरा करेंगे।

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा। (अनुपस्थित)

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्रीमती यासमीन अबरार।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बता देना चाहती हूं कि सवाई माधोपुर क्षेत्र से हूं और राष्ट्रीय उद्यान से जितना गहरा लगाव और ताल्लुक मेरा है या उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य का है वह किसी और का नहीं हो सकता है। जितना उसके बारे में (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैडम, आप क्या कह रही हैं?

श्रीमती यासमीन अबरार : आपने जो बोला है, वह बहुत अच्छा बोला है। लेकिन लगाव और उसके बारे में जितनी गहराई से मैं जानती हूं, शायद आप नहीं जान पाएंगे।

श्री सभापति : कहिये, आप तो अपनी बात कहें।

श्रीमती यासमीन अबरार : देखिये, आप काफी बात जरूर जानते होंगे। लेकिन सैंक्चुरी में कोई भी जाने वाला पर्यटक, लैफ्ट हैण्ड पर हमारा मकान है उसके आगे से होकर गुजरता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह मैं कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंहजी से ज्यादा मैं रणथम्भोर में गया हूं।

श्रीमती यासमीन अबरार : कोई बात नहीं, उम्र में आप मेरे से बड़े हैं तो आपको ज्यादा लगाव है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा ध्यान नहीं था, आपने क्या कहा, फिर बता दें।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, वह कोई खास बात नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह मैंने कह दिया और आपने सुन लिया।

श्री जनार्दन गहलोत : और हम जो इतनी बार गये, उसका जिक्र ही नहीं करना चाहती हैं।

श्रीमती यासमीन अबरार : लेकिन आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री सभापति : लेकिन माननीय सदस्या तो वहां की रहने वाली हैं।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैं वहां कि बहू हूं। हो सकता है कि कल रहे, थोड़ा आपको ज्यादा रहे।

श्री सभापति : हां, इन्हें ज्यादा लगाव है।

श्रीमती यासमीन अबरार : जो रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट है, वह राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। उसके बारे में बी. बी. सी. की जो शूटिंग है, इसका मामला तो अभी उजागर हुआ है लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि बी. बी. सी. की आड़ के अन्दर, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, लोगों ने बिजनस बना लिया है जिसको वहां के फारेस्ट अफसर बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

मैं आपको लिखित में भी इन आफिसर्स के खिलाफ दे चुकी हूं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह जो शूटिंग के लिये पर्यटकों के रूट बंद कर दिये हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच कार्यवाई जाए। जो रूट बंद कर दिये गये हैं उन रूटों के अलावा जानवर साम्भर हैं, चीतल हैं, वे मारकर डाले जाते है। वे सिर्फ इसलिये मारकर डाले जाते हैं ताकि वहां पर आसानी से टाइगर आ जाएं और बी. बी. सी. वालों को शूटिंग करने का मौका मिले। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि यह तो मात्र बहाना है। वहां के जो आफिसर्स हैं और प्राइवेट लोग हैं वे इसकी आड़ में दूसरा बिजनस करते हैं। मैं वहां की रहने वाली हूं। पर्यटक जाते है और 2 दिन, 4 दिन या एक हफ्ता रहकर आ जाते हैं, लेकिन वहां मेरा रहना है। मेरे अपने बच्चे भी जाते हैं और मैं भी फोरेस्ट की शौकीन हूं। तो मैं वहां बराबर यह महसूस करती हूं कि जिस तरह रूट्स बंद कर दिये जाते हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार होता है वह अमानवीय है। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूं, मंत्री महोदय, कि पर्यटकों के रूट बंद करके जो जानवर वहां मारकर डाला जाता है, उस रूट पर जब प्राइवेट गाडियां आती है तो उसमें आफिसर्स रहते है। एट ए टाइम मैंने दस–दस, बारह–बाहर गाड़ियों को वहां जाते हुए देखा है, वे लोग उनको साईटिंग करवाते हैं। बी. बी. सी. या जिसको भी आपने परमिशन अभी दे रखी है, उसके अलावा आज वहां एट ए टाइम मैंने तीन–तीन कैमरों की जीपें खड़ी देखी हैं जो कि वहां पर अपना अलग बिजनस चला रही हैं। आप यह देखिये कि यह एक काकस बना हुआ है जिसमें हायर आफिसर्स से लगाकर नीचे वाले आफिसर्स शामिल हैं। मेरी आपसे यह मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवायी जाए। एक कमेटी बनायी जाए, उसे वहां भेजकर उसकी रिपोर्ट मंगाकर मुझे दें।

जिस माधोपुर की बेरोजगारी की कीमत पर आज यह टाइगर प्रोजैक्ट बनाया

(श्रीमती यासमीन अबरार)

गया है. उस माधोपुर की जनता एक हजार रुपये जेब में हो तब अन्दर जाकर वह देख सकती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है और मेरी पूरी उम्मीद है कि वे इस पर खास ध्यान देंगे कि माधोपुर की जनता के लिए इसकी फीस कम से कम पांच रुपये कर दी जाए ताकि वहां की जनता इस सौन्दर्य को देखने से वंचित नहीं रहे। जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए चाहे वही फीस रखें क्योंकि वही एक आमदनी का सोर्स है और एक बात, जब आप उनकी फीस कम कर देंगे तो उसके पीछे मेरा एक दूसरा कारण है। वह यह है कि आम जनता जब अन्दर टाइगर प्रोजैक्ट में, उद्यान में जाएगी तो वहां अन्दर के जो लूप-होल्स हैं चाहे आफिसर्स के हों चाहे नीचे के कर्मचारी के हों, वे लूफ-होल्स बाहर आएंगी और जन-प्रतिनिधि होने के नाते मुझे पता लगेंगे। इससे टाइगर प्रोजैक्ट हमारा उद्यान है, उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, मतलब वहां पर दूषित, पर्यावरण खराब करती गाड़ियों को हम रोक सकते हैं। तो मेरी आपसे यह मांग हैं कि आप इसको कम करवाइये।

सवाईमाधोपुर में जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कार्यवाही की जाती है, या जो काम चल रहे हैं-सड़क के काम चल रहे हैं या एनीकट के काम चल रहे हैं या जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ काम चल रहे हैं, सवाईमाधोपुर की जनता की तरफ से मेरे पास कई एप्लीकेशंस आयी हैं और उसकी वहां पर मांग है कि सिर्फ कागजी कार्यवाही है, इसकी वहां पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस कागजी कार्यवाही को आप रोककर इस ओर ध्यान दें। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से करोड़ों रुपया गत पांच वर्षों में सैंक्शन हुआ है, आप जरा ध्यान से सुनकर मुझे बताएं कि इन पांच वर्षों के अन्दर जितना पैसा सैंक्शन हुआ है उसमें से कितना पैसा तो लगा है और कितना पैसा नहीं लगा है। मेरे हिसाब से रुपये में चार आना पैसा भी वहां पर नहीं लगाया है। इसकी जांच करवाकर मुझे बताइये। सवाईमाधोपुर की जनता के हित में ये सारे सवाल पूछकर आपका ध्यान आकर्षित मैंने किया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, औसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने और उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तृत जानकारी दी। मामला बड़ा गम्भीर है। माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार को यह जानकारी है कि उस रणथम्भौर एरिया में टाइगर वाच नाम की एक संस्था काम कर रही है? क्या सरकार को यह जानकारी है कि टाइगत वाच नाम की संस्था और टाइगर प्रोजैक्ट के अधिकारियों के मध्य कोई इकरारनामा हुआ है और उस इकरारनामा के अ॒, बी.बी.सी. ही नहीं, जापानी टेलीविजन कम्पनी और मैसर्स एसोसिएटेड टेलीविजन इण्टरनेशनल आफ अमरीका, ये सब इनसे मिले हुए हैं? क्या सरकार को यह जानकारी है कि जो टाइगर वाच कम्पनी है उस टाइगर वाच कम्पनी का अध्यक्ष एक विदेशी हैं और उसके वाइस

(श्रीमती यासमीन अबरार)

प्रैसीडेंट वहां के पूर्व डायरेक्टर श्री फतेहसिंह साहब हैं, जो हरदम इस मामले में विवादास्पद रहे हैं? सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान स्पेसिफिक इस मामले में अट्रैक्ट करना चाहूंगा कि यह मामला बड़ा गम्भीर प्रवृत्ति का है। एक विदेशी व्यक्ति टाइगर वॉच कम्पनी का अध्यक्ष हो .

श्री सभापति : रिपीट मत करो, माननीय सदस्य, प्लीज आप रिपीट मत करो। आप सारा यह ...

डा. किरोड़ी लाल : और विवादास्पद व्यक्ति इसका वाइस प्रैसीडेंट हो तो जो इकरारनामा टाइगर प्रोजैक्ट के अधिकारियों के बीच और इस संस्था के बीच में हुआ है, क्या उसकी जानकारी आपको है?

दूसरा प्रश्न, सभापति महोदय, यह है कि जिस मार्ग नम्बर दो को इन्होंने बन्द किया है, उस मार्ग नम्बर दो से ही देशी-विदेशी पर्यटक जाते थे। पदम तालाब, मलिक तालाब, वहां की महत्वपूर्ण झील, और जो जोगी-महल है, वही एक स्थान है, सभापति महोदय, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र है, उसको देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं। इसलिए आते हैं कि सारा पशु-पक्षी, वन्य जीव वहां आकर अपना खेल खेलता है और अपनी अठखेलियां दिखाता है जो सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस रास्ते को दो महीने के लिए बन्द कर दिये जाने के कारण जो विदेशी पर्यटक आने वाले थे, वे एकदम गिर गये। माना कि सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी या प्रोजैक्ट के अधिकारियों ने परमिशन दे दी तो क्या विदेशी दूतावासों को इस बात की सूचना दी गई? जो विदेशी पर्यटक रणथम्भौर आने वाले थे। या जो वापस गये, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जी. टी.वी. फिल्म बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए आयी थी। सभापति महोदय, जी. टी.वी. फिल्म बनाने की इजाजत लेने के लिए नहीं आयी था वहां। क्या कारगुजारियां वहां पर हो रही हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए जी.टी.वी की टीम वहां पर आयी थी। इसलिए यह मामला बड़े शक और सन्देह के घेरे में है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसकी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे अधिकारी से बल्कि जो इस मामले में विशेष रुचि रखता हो, जो वन्य जीव में ज्यादा विश्वास रखता हो और उनकी महत्ता को समझता हो, ऐसे निष्पक्ष अधिकारी से जांच करायी जानी चाहिए। आपने तो कौड़ियों के भाव तीन हजार रुपये रोज और एक जिप्सी के नाम पर दूसरी कम्पनियों को भीतर घुसा दिया। वे करोड़ों रुपये इससे कमाएंगे और हिन्दुस्तान को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए इसकी जांच कराएं। जो करोड़ों की अपनी आय मारी गयी है, यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता कही जानी चाहिए, वन विभाग की तरफ से की गयी है, इसकी जांच कराना मैं नितान्त आवश्यक समझता हूं।

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मैं कुछ पाइंटेड क्वेश्चन करना चाहता हूं । उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण से पूरे सदन को जानकारी हुई है । आप यह बताने की कृपा करें, वर्तमान अधिनियम में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि कामर्शियल परपज के लिए कोई सैंक्शन अकोर्ड की जा सके । जो परपजेज उसके अन्दर लिखे गये हैं उसके अन्दर रिसर्च भी है, फोटोग्राफी भी है, इन्वैस्टीगेशन भी है लेकिन कामर्शियल परपज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, एक बात ।

श्री सभापति : नोटिफिकेशन निकाला है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह नहीं है, सभापति महोदय । अभी मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं । सभापति महोदय, नोटिफिकेशन तो बाद में निकला है ।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है, फरमाओ, फरमाओ ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस अधिनियम के अन्तर्गत चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर को पावर्स हैं, क्या यह सही है ? क्या यह सही है कि जनवरी, 1999 के अन्दर डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर ने बी.बी सी. को परमिशन दे दी ? क्या यह सही है कि उसके बाद 11 मार्च, 1999 को आपने नोटिफिकेशन निकाल कर पावर डेलिगेट किये डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर को ? क्या यह सही है कि पावर डैलिगेशन के लिए आपको अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत नहीं कर रखा है ? The law does not permit the Government to delegate power from the Chief Wild Life Officer to the Deputy Chief Wild Life Officer.

सभापति महोदय, इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है । बार-बार ये जो प्रश्न उठाये जा रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए। जांच तो कराने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि अगर कुछ है वहां पर तो उसमें राज्य सरकार भी निश्चित रूप से शामिल है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो गवर्नमैंट ने निकाला है । उसका अपाइंटमैंट, जो परमिशन अकार्ड की हैं जनवरी में, उसको वैलिडेट करने की आपने कोशिश की है । तो आपका इंटरैस्ट तो पैदा हो ही गया ।

अब बी.बी.सी. को अगर आप कामर्शियल परपज के लिए वाकई देना चाहते हो तो फिर यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज बी.बी.सी. अगर हमारी फिल्म बनाकर दिखाती है तो हमारा ही प्रचार होता है । बी.बी.सी. कितना पैसा कमाती है इससे ? इसके अनुपात में हमको क्या दे रही है ? मंत्रीजी ने अपना ट्रबल खुद इन्वाइट किया है बी.बी.सी. का नाम लेकर । आप अपने स्टेटमैंट में क्या कहते हैं कि जिप्सी दे देंगे । यह कोई बात हुई ? अगर आप रिसर्च के लिए इन्वैस्टीगेशन देते, फ्री आफ कॉस्ट देते और अपनी तरफ से साधन भी मुहैया करवाते तो बात समझ में आती । लेकिन बी.बी.सी. जब कामर्शियल लाइन्स के ऊपर फिल्म बना रही है तो उनसे रीजनेबल परसेंटेज तो लोगे, कुछ रीजनेबल चार्जेज तो करोगे आप । वैसे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपके कानून के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। वाकई में अगर आपकी मंशा होती तो आप कोई आर्डिनेंस लाकर, एक्ट में अमैंड करके इसका प्रोविजन भी कर सकते थे और सही कीमत चार्ज भी कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि यह आरोप कहां तक सही है, लेकिन कुछ न कुछ तथ्य इसमें अवश्य हैं कि जापानीज टेलीविजन कम्पनी को भी आपने कोई अनुमति दी है, अमेरिकन कम्पनी को भी वहां अनुमति दी गयी है। मैं माननीय सदस्य, किरोड़ी लाल जी की इस आशंका से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि विदेशी उसका अध्यक्ष है। भले ही हो। मेरा तो सीधा-सीधा सवाल यह है कि आपकी लापरवाही से या आपने जो इस बात को अनावश्यक कवर करने की कोशिश की है, उससे पब्लिक एक्सचैकर को कितना नुकसान हो गया? यह बात तो समझ में आती है, मंत्री जी, आप यह कहते कि हम तो कामर्शियल अलाउ ही नहीं करेंगे और अलाउ करेंगे तो फिर तो कामर्शियल आउटलुक होना चाहिये आप प्रोविजन बनाओं कानून के अन्दर जांच का प्रश्न तो बाद में आएगा। आप यह बता दें कि आपकी वजह से कितना नुकसान गवर्नमैंट को हुआ है, कितना नुकसान एक्सचैकर को हुआ है? आप थोड़ा-सा रफली एस्टीमेट यह भी बताने की कोशिश करें कि बी.बी.सी. कितना पैसा कमाएगी इससे? कितने एडवरटाइजमैंट उसके अन्दर आते हैं? और इसके बाद (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, समापति महोदय, एक लास्ट, अन्तिम प्रश्न है।

श्री सभापति : पूछो-पूछो। एक नहीं, दो पूछो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक यही प्रश्न है। गवर्नमैंट के मन्तव्य की बात तो मंत्री जी कहेंगे, लेकिन जांच का विषय तो रहेगा फिर भी, क्योंकि खाली बी.बी.सी. ही नहीं, जापानीज और ये सब है। औरफिर अनधिकृत रूप से उसने क्यों किया? आपको किसने एडवाइज किया? अब जांच उच्चस्तरीय होनी चाहिए मंत्री जी। आप किससे कराएंगे? जिन लोगों ने आपको यह एडवाइज किया है, रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से कभी भी नोटिफिकेशन अमैंड नहीं हो सकता और एक्ट अमैंड नहीं हो सकता। आपने डैलीगेशन से बात भी की है। आप खुद भी बी.बी.सी. को समझते हैं, यह तो वोइड है, एप्लीकेबल ही नहीं है।

जहां तक इस परमिशन का सवाल है, सभापति महोदय, मैं अन्त में यह भी कहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों की कतई यह इच्छा नहीं है कि बी.बी सी. जैसी प्रतिष्ठित कम्पनियां आएं तो उनको हम स्कैंडलाइज करें और यहां आने से डराएं। क्योंकि यह खबर अखबार में आई थी कि बी.बी सी. अपना सामान पैक करके चली गयी। मुझे पता नहीं है, यह भी आप बताने की कोशिश करें। इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिये। सही कीमत हमको मिले और सही बात हमको पता चले और साधनों का प्रचार करें। यह भी आप बता दें। ओसिया से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था मैंने, ये तो कह रहे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

थे इनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन अखबार में आपने पढ़ा होगा कि बी.बी.सी. वाले बीच के अन्दर ही अपना सामान पैक करके चले गये।

श्री सभापति : प्रश्न करिये। माननीय सदस्य, प्रश्न करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो क्या आप इस बात से अवगत कराने की कोशिश करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तो डाक्टर साहब, यही कहा कि जून तक उनको परमिशन दी हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन अलग है but I understand that they have already packed and went.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह लॉस स्टेट का ही हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Both the ways.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, एंटी पब्लिसिटी के कारण the loss is to the state. आपको जो पब्लिसिटी मिली है, करोड़ों रुपये आप खर्च करते तो भी नहीं मिलती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मिलती। लेकिन अगर करोड़ रुपये कमाएंगे तो हमको पैसे भी वाजिब नहीं मिले? Both the ways, स्टेट में नुकसान दोनों तरफ से है।

श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री): डिस्कवरी चैनल के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी रखना आवश्यक है। डिस्कवरी चैनल, it is a very educative channel. उसकी बहुत ज्यादा इम्पार्टेंस है इसलिए इस दृष्टि से भी ध्यान रखने की आवश्यकता है हम केवल मात्र एक आस्पैक्ट ले लें और उसकी जितनी पब्लिसिटी आज डिस्कवरी चैनल के कारण नालेज इम्पार्ट हो रही है, इनफार्मेशन इम्पार्ट हो रही है, उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो माननीय सदस्यों ने इससे यह आशंका व्यक्त की है कि इसके पीछे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र है और इसी कारण से विदेशी एजेन्सी को यहां पर फोटोग्राफी करने के लिये फिजा बनाने के लिये परमिशन दे दी गयी। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पीछे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं है। मूल भावना इसके पीछे यह थी कि हमारे राजस्थान में रणथम्भौर में जो बाघ परियोजना है, देश के अंदर ही नहीं, बल्कि देश के बाहर इस प्रकार की फिल्म बनाये जाने के बाद प्रचार हो, प्रसार हो और इसकी जानकारी मिले और इसके माध्यम से लाखों और नये ट्यूरिस्ट हमारे यहां आकर्षित हों। आगे जाकर हमारा यह रणथम्भौर बाघ परियोजना केन्द्र केवल मात्र राजस्थान का ही मुख्य केन्द्र नहीं रहे, बल्कि विश्व का नम्बर एक केन्द्र बने जिससे कि आने वाले समय में हमें लाखों-करोड़ों की आय मिले और लाखों-करोड़ों ट्यूरिस्ट हमारे यहां पर आकर्षित हों। इस मूल भावना को लेकर यह कदम

(श्री भगराज चौधरी)

उठाया गया है। जो इसका लाभ इस दृष्टि-कोण से मिला है, मेरे खयाल से उसको आंका नहीं जा सकता। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका किसी प्रकार मूल्यांकन करना मेरे खयाल से असंभव है। बी. बी. सी. इसका किस रूप में, किस ढंग से उपयोग करेगी, वह अलग बात है। मगर बी.बी.सी द्वारा इस प्रकार की फिल्म बनाये जाने से जो इसकी पब्लिसिटी होगी उसका हमें आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा और विदेशों में इसकी किस प्रकार से पब्लिसिटी होगी, इसका मेरे खयाल से आप शायद अदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए यह परमिशन दी गयी है और मेरे ख्याल से परमिशन दिया जाना किसी प्रकार से किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं इस बाघ परियोजना को और ख्याति प्रदान करने के लिये, विश्व के नक्शे पर लाने के दृष्टिकोण से यह परमिशन दी गयी है ताकि लाखों—करोड़ों और ट्यूरिस्ट आकर्षित हो। मेरे ख्याल से तो यह उचित ही दी गयी है और नियम के अन्दर दी गयी है। इसमें किसी प्रकार के नियमों की अथवा....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौनसे नियम के अन्तर्गत दी गयी है ?

श्री भगराज चौधरी : नियम का मत-लब कानून...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं निवे-दन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं-नहीं, मंत्री महोदय तो नियम की बात करते हैं।

श्री सभापति : नहीं—नहीं, मंत्री महो-दय को बोलने दीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, माननीय मंत्री महोदय नियम की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज, मंत्री महोदय को पहले (व्यवधान)....मंत्री महोदय फर्स्ट।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस टाइगर की पूंछ हमें भी तो पकड़ने दें, साहब। इतनी देर से भागा जा रहा है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, थोड़ी ऊंची आवाज में। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : यह जो परमिशन दी गयी है बिलकुल... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : धीमी आवाज में है। (व्यवधान)

श्री सभापति : Please raise your voice.

श्री भगराज चौधरी : परमिशन जो दी गयी है, कानूनी तौर पर बिलकुल सही दी गयी है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 28 के साथ 12 को पढ़ते हुए दी गयी है और बिलकुल सही दी गयी है। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : पावर बांद में डैलीकेट किये हैं। आपने कौनसे नियम में दी है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : धारा 28 में चीफ वाइल्ड लाइफ ग्राफिसर्स को पावर हैं। मंत्रीजी, धारा 28 में चीफ वाइल्ड लाइफ ग्राफिसर को पावर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह केवल इसलिए दी गयी है कि धारा 12 में यदि ये दे देते तो इनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, स्टेट गवर्नमैंट से परमिशन लेनी पड़ती और आपके अधिकारी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय बोल रहे है, मंत्री महोदय को बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसलिए उन्होंने धारा 12को अवाइड किया है, उन्होंने गलत दिया है यह।

श्री सभापति : मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, यह जो परमिशन दी गयी है इसके लिये भी भारत सरकार से अनुशंसा ग्रायी थी। जो बाहर की एजेन्सी बी. बी. सी. है, जिन्होंने ग्रापके यहां पर फिल्म बनाने की परमिशन मांगी थी, उन्होंने वहां पर मिनिस्टर ग्राफ फारेस्ट एण्ड एनवायर्नमैंट से पहले ग्राज्ञा चाही ग्रौर केन्द्र सरकार की (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन किसने दी, मंत्रीजी ? एक-एक बात बताग्रो, परमिशन किसने दी ? (व्यवधान) एक मिनट, नहीं, परमिशन किसने दी ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय को बीच में नहीं टोकें, पहले ग्राप ग्रपनी बात कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भारत सरकार ने परमिशन दी थी, भारत सरकार ने रिकमंडेशन की थी। धारा 12 में ग्रापने क्यों नहीं दी, जबकि धारा 12 में स्पष्ट लिखा हुग्रा है ग्रॉन पेमेंट आप धारा 12 में ही देंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदय को ग्रपनी बात कहने दीजिये।

श्री भगराज चौधरी : बी. बी. सी. द्वारा इस प्रकार की....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह परमिशन कब दी गयी ? मंत्रीजी के आने के बाद दी है या पहले की दी हुई है ?

श्री भगराज चौधरी : बी. बी. सी. द्वारा इस प्रकार की परमिशन चाहने से पहले केन्द्र सरकार के वन ग्रौर पर्यावरण मंत्रालय में दरख्वास्त पेश की गयी ग्रौर वहां दरख्वास्त पेश करने के पश्चात् वहां से ग्रनुशंसा यह जारी करवायी गयी कि चूंकि एजेंसी आ रही है ग्रौर इससे ग्रापके क्षेत्र में जो परियोजना है उसमें फोटोग्राफी करने ग्रौर फिलम बनाने के नाम से ग्रगर मान लो ये कुछ परमिशन चाहते है तो ग्राप इस पर विचार करें। इससे ग्रन्ततोगत्वा जिस उद्देश्य को रखकर, जिस भावना को लेकर ग्रापने जो टाइगर प्रोजैक्ट बनाया है इसको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ग्राप इस पर विचार करना। इसके ग्रलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल ग्रफेयर्स के द्वारा भी ग्रनुशंसा ग्रायी थी। उनके माध्यम से अनुशंसा आने के पश्चात इस प्रकार की परमिशन देने के बाद में....

श्री सुरेन्द्र व्यास : किसने दी परमिशन यह बताग्रो।

श्री भगराज चौधरी : I am giving the background. आपने कहा न, I am giving the background as to how and why the permission was given The permission has been given only for the reason that the B.B.C. wanted this permisson to be given and they came here through the Central Government....

श्री सुरेन्द्र व्यास : Who has given the permission ?

श्री भगराज चौधरी : ...Forest & Environment Department. They also got the permission being issued and came through the Ministry of External Affairs. And, therefore....

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Minister my question is very pointed. Who accorded the permission ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदय बोलेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह परमिशन किसने दी ?

श्री भगराज चौधरी : The permission has been given accordingly,

श्री सभापति : आपके प्रश्नों का उत्तर मंत्रीजी दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : And no illegality in giving the permission has been committed in any manner,

डा. किरोड़ी लाल : किसने दी परमिशन ?

श्री रामस्वरूप : अन्तरराष्ट्रीय मामला है यह ।

श्री भगराज चौधरी : As per the Act of 1972 and the provisions contained therein, Sec. 28 read with Sec. 12, permission has been given by the Chief Wild Life Warden. And it has been rightly given and no irregularity of any kind has been committed.

डा. किरोड़ी लाल : पर दी किसने परमिशन ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन दी किसने ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : सभापति महोदय, कम्प्लीट तो करने दो अपना स्टेटमैंट, बीच में सवाल पूछ रहे हैं । आप पहले पूरा सुनिये । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये पहले । (व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज । पहले मंत्री महोदय को आप लोगों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर दे देने दीजिये । पहले मंत्री महोदय उत्तर देंगे । मंत्री महोदय ।

श्री परसादी लाल : दे दिया उत्तर हो गया उत्तर । (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : यह तो सीधी–सी बात है, सभापति महोदय, क्यों टाइम

(डा. रामप्रताप)

खराब कर रहे हो इसमें ? सदन का समय क्यों जाया किया जा रहा है ? बड़ा पाइंटेड सवाल है, लम्बी–चौड़ी बात ही नहीं है कि परमिशन किसने दी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन किसने दी ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : Hon'ble Chairman, I am prepared to reply to each of the questions.

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय, भले आदमी दिखते हो, आप कहां फंस रहे हो इस मामले में ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : I am fully prepared. And I am afraid to say that no irregularity in this connection....

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपने अपनी बात कह दी ? (व्यवधान) कह दी। (व्यवधान) अनुदान की मांगों पर विचार।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, सवालों का जवाब ही नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो दिलाओ सभापति महोदय।

श्री सभापति : कौनसा सवाल है, क्या सवाल है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसे नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : एक तो जांच किसने की, इसका जवाब नहीं आया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, बिल्कुल स्पष्ट सवाल है कि परमिशन किसने दी ? आप कह रहे हैं धारा 28 में दी, बिलकुल दी धारा 28 में। धारा 28 के बारे में .

श्री सभापति : मंत्री महोदय, परमिशन किसने दी ? आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, बताइये, परमिशन किसने दी है ?

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, ऐसा है यह परमिशन राज्य सरकार के अपने वन विभाग के माध्यम से दी गयी है। और सही दी गयी है। (व्यवधान) फारेस्ट डिपार्टमैंट के द्वारा दी गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : Who is the competent officer ? अधिकारी कौन है?

श्री भगराज चौधरी : और जिन अधिकारियों को कानून ने इस प्रकार की परमिशन देने के लिए अधिकृत कर रखा है उन्हीं अधिकारियों द्वारा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : Please, table the pesmission. आप परमिशन सदन की टेबल पर रखिये। गवर्नमैंट ने नहीं दी है परमिशन, आप असत्य भाषण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : Permission has been given, I have said earlier the permission has been given by the competent officer who is entitled to give such permission and who is authorised to issue

(श्री मगराज चौधरी)

such permission and, therefore, no irregularity has been committed.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समापति महोदय, काम्पीटैंट आफिसर के अण्डर तो (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इनको बोलने की परमिशन किसने दी ?

श्री समापति : माननीय सदस्य, ऐसा करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : समापति महोदय, आपने कृपापूर्वक यह निर्देश मंत्री महोदय को दिया कि पाइंटेड क्वेश्चन हैं उसका स्पेसिफिक जवाब दिया जाए।

श्री समापति : दे दिया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री समापति : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि परमिशन विभाग के मार्फत दी गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं। समापति महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि परमिशन किसने दी। मंत्रीजी ने यह कहा कि यह सरकार के माध्यम से। मैं माध्यम से नहीं पूछ रहा हूं, परमिशन किसने दी ? अगर गवर्नमैंट ने दी है तो आप टेबल पर परमिशन रखिये। और अगर गवर्नमैंट ने परमिशन नहीं दी है तो आपको डेलिगेशन के पावर्स भी हैं इनके अन्दर। जो नोटिफिकेशन निकाला आपने, यह मार्च में निकाला है और जनवरी में परमिशन दी है आपने। (व्यवधान)

श्री समापति : मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे आप ?

श्री मगराज चौधरी : Hon'ble Chairman, I have said time and again that permission has been given by a competent officer who is authorised under the Act, under Sec. 12 r/w Sec. 12 to issue such permission.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : Who is the competent officer ? आप टेबल पर रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री मगराज चौधरी : In giving the permission, no illegality of any kind has been committed.

श्री परसादी लाल : टेबल पर रखने की जरूरत नहीं है कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समापति महोदय, आदेश को टेबल पर रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble Chairman, the answer is vague.

श्री मगराज चौधरी : Hon'ble member coming from Malpura is a lawyer by profession and points of relevant Act have been read over.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Chairman, the answer is vague and misleading,

श्री समापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह विदेशी ताकतों के हाथों में। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : The permission has been given by the Chief Wild Life Warden, as I have said earlier.

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, हमारी सरकार है, दे दी परमिशन। अब बोलो क्या कहते हो? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : The permission has been given by the Chief Wild Life Warden who is authorised under the Act to issue such permissions under Sec. 28 r/w Sec. 12.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब यह आ गया, सभापति महोदय। डिप्टी चीफ वार्डन ने जनवरी में परमिशन अवार्ड की है तब तक डिप्टी चीफ वार्डन को कोई पावर्स नहीं थे, चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर को पावर थे। आपने उनको कवरअप करने के लिए वैलिडेट करने के लिए मार्च, 1999 के अन्दर नोटिफिकेशन निकाला है और उनको पावर डैलिगेट किये। लेकिन, सभापति महोदय, पावर डैलिगेट करने को आथोराइज नहीं किया गया है इसके अन्दर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : डिप्टी नहीं कहा है, चीफ कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर की परमिशन है। आप टेबल कीजिये परमिशन। (व्यवधान) सभापति महोदय, परमिशन टेबल कीजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं किया, बिलकुल नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वन मंत्रीजी यह खड़े होकर कह दें। (व्यवधान) रिकार्ड पर तो आए।

डा. किरोड़ी लाल : परमिशन टेबल कर दें।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, हम टेबल पर रखवा देंगे, आप कर लेना। रख दी टेबल पर। (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन टेबल करवाइये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो चर्चा समाप्त कर चुके हैं, सभापति महोदय।

कई माननीय सदस्य : नो, नो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : चर्चा समाप्त कर चुके हैं आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : टेबल पर आएगी, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नो, नो, नो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) नाम की संस्था विदेशी लोगों के हाथों में है, इसका षड़यंत्र है, ये बिलकुल बाघों को

(डा. किरोड़ी लाल)

खतम कर देना चाहते हैं । हमारा नेशनल ....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह सदन को गुमराह करने का मामला है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ऐसे नहीं करें ।

श्री सभापति : तो क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आसन पर विराजमान हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब आ गया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो बता दें, काम्पीटेंट आथोरिटी कौन है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब आ गया, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री मदन दिलावर : टेबल पर परमिशन की कॉपी रखवाइये ।

श्री रामस्वरूप : श्री मदन दिलावरजी, बैठ जाओ । आपके समक्ष की बात नहीं है यह, वे इंग्लिश में बोल रहे हैं । आप क्या समझेंगे इंग्लिश में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यहां सवाल उठाने के बाद मंत्रीजी ने बहुत रिलैक्टैंटली इस सवाल का जवाब दिया है और अब यह कह रहे हैं कि चीफ वाइल्ड लाइफ आफिसर की परमिशन है । (व्यवधान)....

श्री सभापति : अनुदान की मांग पर विचार । श्रीमती कमला, सिंचाई मंत्रीजी अनुदान की मांग संख्या 8 और 22 को विचार करने के लिए प्रस्तुत करेंगी । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको टेबल पर रखा जाए । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और विदेशियों के हाथ में संस्था को दे दिया है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, विदेशी लोग टाइगर प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं ।

श्री सभापति : विराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप : आपके समझ के बाहर की चीज है, वाकआउट करना है तो कर जाओ । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप ज्यादती कर रहे हैं । (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने आपको बहुत समय दिया अब आप ज्यादती कर रहे हैं । प्लीज । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है, आप आसन को चैलेंज करते हो ?

श्री सभापति : मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, आप ज्यादती मत करें । आप आसन के साथ ज्यादती कर रहे हैं. प्लीज सिट डाउन ।

श्री मदन दिलावर : क्या ज्यादती है, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : मैंने आपको बहुत समय दिया।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी के हाथ में है, टेबल करा दीजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य यही तो मांग कर रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टेबल करा दीजिये, बस इतनी-सी बात है।

श्री सभापति : आप विराजिये। चर्चा समाप्त हुई। मैंने मंत्रीजी को काल कर लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, टेबल करा दीजिये। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 8-राजस्व की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,40,22,000/- (एक अरब अठावन करोड़, चालीस लाख बाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री हीरासिंह चौहान : आज के एजेंडे में आधे घण्टे की चर्चा और है।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, सारा समय इसी में लगा दिया इन्होंने।

श्री हीरासिंह चौहान : बाद में नहीं है, पहले है।

श्री रामस्वरूप : जवाब देते हैं उसको ये समझते नहीं हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आधे घण्टे की चर्चा का शिड्यूल पहले है। (व्यवधान)

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, आधे घंटे की चर्चा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक मिनट, सभापति महोदय। एक मांग और है।

श्री हीरासिंह चौहान : शिड्यूल है आज के टेबल में, हमको दिया है। बिलकुल है, आप देखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। दूसरी मांग।

श्री हीरासिंह चौहान : आधे घण्टे की चर्चा है। पहले शिड्यूल में रखा है।

श्री सभापति : मांग संख्या-22.

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास (कमान क्षेत्र विकास) की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास (कमान क्षेत्र विकास) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,61,90,000/- (दो अरब पचपन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) तक की

(श्रीमती कमला)

राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री सभापति : आधे घण्टे की चर्चा इसके बाद है।

माननीय श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी।

मांग संख्या-8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे :-

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

1. लूणकरणसर तहसील में बारानी भूमि के आवंटन पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) :

2. मण्डावर तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

3. अलवर जिले में भूमि रूपान्तरण के बकाया मामले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

4. उप तहसील पलसाना को तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

5. उनियारा तहसील जिला टोंक में भू-प्रबन्ध द्वारा काश्तकारों की भूमियों का गलत इन्द्राज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. जिला टोंक में राजस्थान अधिकतम भूमि अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1975 में भूमि अवाप्त होने के पश्चात् भी अभी तक भूमिधारी को मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

7. कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ पंचायत समिति इलाके में 26 गांवों के नक्शे लम्बे समय से नहीं होने एवं भू-प्रबन्ध कार्य नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ क्षेत्र में राजस्व खाते में पटवारी द्वारा किसानों के नाम नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. कुशलगढ़ क्षेत्र में भूमिहीन किसान लम्बे समय से भूमि पर काबिज होने व भूमि पर कब्जा होने के बावजूद भी उन्हें आवंटन व नियमितिकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. कुशलगढ़ क्षेत्र में सभी ना काबिज काश्त भूमि को काबिज काश्त में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में चरागाह की भूमि पर 1980 के पूर्व के भूमिहीन काश्तकारों के कब्जे होते हुए भी उन्हें खातेदारी अधिकार दिलाने

(श्री फतेह सिंह)

में असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. जिला बाड़मेर-जैसलमेर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

13. जिला बाड़मेर-जैसलमेर में सिवाय चक भूमि स्थानीय भूमिहीनों को आवंटन करने व नियमितिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :

14. ग्राम टाटियावास (तहसील आमेर) की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 663, 664 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पुनः अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बाटोदा, बरनाला एवं अमावर में उप तहसील खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

16. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में भूमिहीन काबीज किसानों की भूमि नियमित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर जिले की तहसील शिव व रामसर में नए राजस्व ग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

18. गांवों की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए आबादी क्षेत्र बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. तहसील रायपुर (पाली) में भू-प्रबन्ध कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. पंचायत मुख्यालय-कालब कला, झाला की चौकी, रातड़िया, रायरा कला, बोयल, रेलड़ा में पटवारी के पदों को सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21 तहसील रायपुर में बलुपुरा, झीतड़ा, धोलीपेड़, हाथीमाटा, (चिताड़), ट्रजोड़िया (कानूजा), पीपलिया (पचानपुरा) बाफोला (कलोलिया), चौकीटोला (रेखड़ा) कुण्डाल (बूंटीवास), बनानाड़ी (कावब कला) गोइंदा (दीपावास) रेल (बर) घोखीमगरी (चांवडिया) को नये राजस्व गांव बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. पाली जिले की तहसील रायपुर में सैंदड़ा उप तहसील सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

23. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि के अतिक्रमणों को खाली करवाने एवं मेहंदीपुर बालाजी में करोड़ों की चरागाह भूमि पर कब्जा हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

24 बीकानेर जिले के पाक विस्थापितों के दस्तावेज पंजीयन कराने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

25. महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज विस्थापितों के भूमि आवंटन सम्बन्धी बकाया मामलों के शीघ्र निपटारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. भूदान बोर्ड छतरगढ़ की भूमि महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज विस्थापितों को आवंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

27. काश्त की जमीन में बने पुराने कुओं के पट्टे 25/– रुपये पर दिये गये थे उनसे आडिट के आधार पर अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

28. झुन्झुनूं जिले के लिये अलग से राजस्व अपील अधिकारी का न्यायालय स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील मुख्यालय पर सहायक कलक्टर की अदालत स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर स्थापित सहायक कलक्टर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिले की सीमा तक रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. झुन्झुनूं जिले के नांगल गांव में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा गैर कानूनी तरीके से पट्टा शुदा आवासीय भूखण्डों पर से लोगों को बेदखल करने की गैर कानूनी कार्यवाही की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

32. कैलाश नगर (जिला सिरोही) में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

33. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में भूमिहीनों को राजकीय भूमि आवंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

34. सिवाय चक व चरागाह भूमि पर बने काश्त व मकान (भवन) को नियमन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

35. हिण्डौन तहसील के राजस्व रिकार्ड में भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा हेरा फेरी को दुरस्त करने के अधिकार तहसीलदार को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री भरोसी लाल)

37. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के श्री महावीर जी में नवीन तहसील खोलने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

38. ग्राम खण्डेला में ए. सी. एम. कैम्प कोर्ट बन्द को कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

39. ग्राम खण्डेला में उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री ग्रार. पी. शर्मा (भरतपुर) :

40. भरतपुर तहसील में गलत बन्दोबस्त होने के कारण किसानों में व्याप्त ग्रसन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

41. गांवों की आबादी बढ़ाने में ग्राबादी क्षेत्र बढ़ाने का ग्रभियान चलाये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

42. श्री गंगानगर जिले के भूमिहीनों को भूमि ग्रावंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा से लिये ।

43. श्री गंगानगर जिले में छोटे-छोटे किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

44. श्री गंगानगर जिले में भू-ग्रावंटन एवं गैर खातेदारी से खातेदारी सनद जारी करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

45. श्री गंगानगर जिले में लम्बित पड़े कास्टोडियन के मामलों के शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

46. श्री गंगानगर में डी. आर. ए. के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

47. ग्रलवर जिले में भू-आवंटन पर गत 10 वर्षों से रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

48. मृतक सैनिकों को ग्रावंटित भूमि का नाजायज दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

49. गत 10 वर्षों से ग्रलवर में किसानों की सनद जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

50. कोटा एवं गंगानगर जिलों में पूंजीपति किसानों को गत समय में भू-सिलिंग कानून का ग्रनुचित तरीके से लाभ देकर उन्हें सिलिंग से मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, संभाग मुख्यालयों एवं अन्य नगरों में भूमियों एवं प्लाटों के ग्रतिक्रमण नियमित किए जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

52. नाचणा में राजस्व तहसील खोलने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. जैसलमेर जिले में बारानी भूमि ग्रावंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री निहाल चन्द (रायसिंहनगर) :

54. रायसिंहनगर तहसील की गंग केनाल की भूमि को पुख्ता आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. रायसिंहनगर गंग केनाल भूमि की सन 1995 के जिला कलक्टर के पास विचाराधीन फाईलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

56. काश्तकार के कुओं का पानी सूख जाने पर एक माह में कुआ खोदने की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. काश्त भूमि का पारिवारिक बटवारा तहसीलदार के समक्ष सम्बन्धित पक्ष के उपस्थित होने पर इकरारनामे के आधार पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. काश्तकारों को अपनी भूमि पर जाने हेतु रास्तों के विवाद को तहसीलदार या पंचायत स्तर पर निपटाये जाने की आवश्यकता पेर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (झालरापाटन) :

59. उप तहसील बकानी को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने के सम्बन्ध से चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

60. अनेक ग्राम जो राजस्व ग्राम घोषित होने की सभी अनिवार्यता पूरी करते हैं, को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा रतन लाल जाट (सहाड़ा) :

61. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के कई गांव-ढाणी व मजरे जिनकी जनसंख्या पर्याप्त होते हुए भी राजस्व गांव घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

62. पंडेर (जहाजपुर) की चरागाह में अतिक्रमण तथा आगरिया तालाब के पेटे में आई चरागाह भूमि की पेटे की किस्म बदल कर किसानों पर होने वाले जुर्माने/पेनेल्टी से राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. नवरतन सागर तलोदा के भूमि विस्थापितों को कमाण्ड की चरागाह समाप्त कर तथा सरकारी भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. शाहपुरा-जहाजपुर रोड़ से बनास की तरफ 200-250 बीघा भूमि औद्योगिक क्षेत्र महाविद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आरक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. जहाजपुर-शाहपुरा रोड़ के पास स्थित जहाजपुर एवं रावतखेड़ा की भूमि को जहाजपुर की चरागाह कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66 शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अतिरिक्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

67. कोटा जिले में अनुसूचित जाति व

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जनजाति की भूमि पर प्रभावी व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

68. कोटा जिले की सम्पूर्ण तहसीलों में एलोटमेन्ट व सिवाय चक भूमि आवंटित व्यक्तियों को अभी तक गैर खातेदारी से खातेदारी में नहीं बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

69. सिवाय चक भूमि का सम्पूर्ण राजस्थान में एलोटमेन्ट का विशेष कार्यक्रम चलाकर भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (जैतारण) :

70. जैतारण (पाली) में स्वीकृत पटवार मण्डल रामावास कला, काणेचा, पिपलिया खुर्द के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने वाले नियमों के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिते ।

72. जैतारण तहसील कार्यालय हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. जैतारण (पाली) के आनन्दपुर कालू कस्बे में उप तहसील कार्यालब खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रमजान खान (पुष्कर) :

74. अजमेर जिले में वर्ष 1970-1972 में किये गये भू-प्रबन्ध संशोधन लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. पंचायत समिति पीसांगन की ग्राम पंचायत नागेलाव का 1969 का (चौसाला) सरकारी जमीन का रिकार्ड गुम हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

76. पुष्कर घाटी में निर्माण होने वाली सुरंग के लिये वन विभाग की भूमि से बदले सवाई चक जमीन स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

77. डूंगरपुर जिले के गोदीघाटा, मेतवाला वजेपुरा, पालिसोड़ा, हासियावाव, जगाबोर आदि ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करवासे की आवम्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा, पालीसोड़ा, पोलरा महुड़ा, मेतवाला आदि ग्रामों में पत्थर गढ़ी कर किसानों के नाम ये पट्टा दिलाने पर चर्चा के लिये ।

79. विधान सभा क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर के पंचायत समिति बीछीवाड़ा हैड क्वार्टर पर नई तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री शंकरलाल अहारी)

80. डूंगरपुर जिले में किसानों की कब्जे शुदा भूमि को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) :

81. तत्कालीन उपनिवेशन आयुक्त द्वारा राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार को दिनांक 14.3.1977 को जागीरदारों विशेषकर छत्रगढ़ जागीर के सम्बन्ध में लिखे गये पत्र तथा उक्त पत्र पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़) :

82. मृतक खातेदार की पैतृक भूमि के विरासत इंतकाल की प्रक्रिया में सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

83. कैम्प कोर्ट लाडनूं में उप खण्ड अधिकारी डीडवाना के समय पर नहीं जाने के कारण राजस्व मामलों की सुनवाई में हो रही देरी व कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

84. पटवारियों की मुख्यालयों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये उन्हें गृह जिलों से बाहर पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

85. पटवारियों द्वारा काश्तकारों को राजस्व रिकार्ड की नकले समय पर नहीं देने व मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

86. पटवारी हल्का ओडीट तहसील लाडनू जिला नागौर द्वारा नामान्तरण पंजिका में कांट-छांट कर किये गये फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

87. ग्राम मीठड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर के आजादी से पूर्व के सैटलमैंट के रिकार्ड में हेरा-फेरी करने, भूमि हड़पने के मामलों में राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना कलेक्टर नागौर द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खान (शिव) :

88. बाड़मेर जिले के पूर्व तहसीलदार द्वारा नये राजस्व ग्राम बनाने के सम्बन्ध में गलत सूचना देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) :

89. सरकारी भूमि पर आबाद लोगों की कब्जा शुदा भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

90. सरकारी भूमि यथा गोचर जोहड़ पायतन, कुई का आगोर तथा सिवाय चक आदि पर रिहायस कर रहे व कब्जे शुदा बाड़े आदि का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री रामसिंह कस्वां)

91. चूरू जिले में भूमिहीन काश्तकारों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के तहत भूमि आवंटन की व्यवस्था कराने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) :

92. शाहपुरा (भीलवाड़ा) तहसील में बंदोबस्त में हुए गलत कार्यों से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. शाहपुरा में अतिरिक्त कलेक्टर का पद सृजित करने एवं फूलिया कलां में उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

94. राणावास में उप तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

95. फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ शेखावाटी अतिरिक्त तहसील को तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलोदी) :

96. भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सम्बन्ध में सरलीकरण करने हेतु चर्चा के लिये।

97. राजस्व अधिकारियों द्वारा धारा 15 एएए टेनेंसी एक्ट 1955 के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रकरणों का शीघ्र संशोधित प्रावधानों की मंशा के अनुरूप निर्णय करने पर चर्चा के लिये।

98. राजस्व वादों–विशेषकर अधिकारों की घोषणा हेतु उत्पन्न वादों व प्रकरणों की सुनवाई न्यायिक अधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अलग से सहायक जिलाधीश (ज्यूडीशियल) का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राजस्व मण्डल अजमेर की एक सर्किट बैंच जोधपुर में स्थापित करके राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न राजस्व विवादों की सुनवाई करने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या–22 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे :–

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

1. के.जे.डी. नहर के अन्तिम छोर के चक 32 से चक 43 तक सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए पूगल शाखा के लिए चैनल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

2. गलवा बांध सिंचाई परियोजना पर विश्व बैंक से प्राप्त राशि में उनियारा कस्बे के बाढ़ बचाव के लिये राशि होते हुए भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. बीसलपुर बहु-परियोजना की दाईं नहर पर आर.डी. 19 व आर.डी. 26 पर लिफ्ट योजना बनाकर वहां पर बसे काश्तकारों को पीने के पानी एवं सिंचाई सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. बीसलपुर बहु-उद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

5. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में खाले घटिया किस्म के बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

6. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में डांग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों पर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

7. क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत के.जे.डी. नहर के टेल के चकों अर्थात चक 33 से 43 तक के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए पूगल शाखा की आर. डी. 210 से लिंक चैनल स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

8. पीलीबंगा क्षेत्र के धमडिया, सादर बीका एवं बड़ोपल गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

9. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. श्री गंगानगर जिले में सीमा क्षेत्र विकास स्कीम के अन्तर्गत अधिक से अधिक धन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

11. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के विकास में खाले निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास क्षेत्र में ग्राम बसाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

13. प्रान्त में कमान क्षेत्र में नहरों के नष्ट होने पर पुनः निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

14. कोटा बैराज की आर.एम.सी. व एल. एम.सी. नहरों को पर्याप्त राशि उपलब्ध करवा कर सफाई व मरम्मत का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. राइट मेन कैनाल व लैफ्ट मेन कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरी व नहरों के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से फसल बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती ममता शर्मा (बून्दी) :

16. चम्बल कमांड क्षेत्र (बून्दी ब्रांच) की बायीं मुख्य नहर के रख-रखाव एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) :

17. उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए. I एवं 13 ए. I ए. में देय राशि एवं ब्याज को घटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीनों को आवंटित भूमि की राशि एवं देय ब्याज की वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

19. विभाग द्वारा कमाण्ड क्षेत्र मण्डी विकास कार्यक्रम के तहत मण्डियों में काश्तकारों को प्राथमिकता से दुकान आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

20. कमान क्षेत्र में फैल रही सेम समस्या के समाधान हेतु विकास योजना में सम्मिलित करके इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. कमान क्षेत्र विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों में खर्च की जा रही राशि पर विभाग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण बढ़ते भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

22. कमान क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार व राशि का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सेम समस्या से किसानों को राहत दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) :

24. विभाग द्वारा बाई मुख्य नहर की कापरेन ब्रान्च व पाटन ब्रान्च के उचित रख-रखाव हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :

25. विधान सभा क्षेत्र करौली के डांग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 8 एवं 22 पर विचार

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 8 और 22, राजस्व एवं क्षेत्र का विकास पर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)
आपने मुझे अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री महोदया, राजस्व और कोलोनाइजेशन पर मुझे लगता है कि इस हाउस में आप जितना एक्सपीरियेंस रखती हैं और नालेज रखती हैं, कुछ कम ही सदस्य ऐसे हैं। इसलिए मैं ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे सीखने लायक हूं लेकिन कुछ पर्टीकुलर सब्जेक्ट्स पर आऊंगा।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : व्यास जी, संतुष्ट हो गये ?

श्री सभापति : संतुष्ट।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ....आज रेवेन्यू पर जनरली कुछ विस्तार में बोलूं, इसकी बजाय मैं कंसट्रेट करना चाहूंगा कोलोनाइजेशन एण्ड लैंण्ड रिफार्म्स एक्ट के तहत। मंत्री महोदया, पिछले सात-आठ साल से और खासकर पिछले पांच साल से आप अच्छी तरह अवगत हैं कि कोलोनाइजेशन का मोमेवाला 298 का प्रकरण था जिस पर 119 नियम के तहत पूर्व मुख्य मंत्रीजी और पूर्व सदस्य चित्तौड़ से आ रहे थे, उनको नोटिस देकर मैंने भरपूर कोशिश की थी और मेरे साथियों ने भी की थी कि डिवेट के तहत बड़े विस्तारपूर्वक भ्रष्टाचार का जो उसमें एग्रीमैंट था, कोलोनाइजेशन डिपार्टमैंट में जो भ्रष्टाचार बढ़ा, सदन सर्व सम्मति से या चेयर के सहयोग से भ्रष्टाचार उजागर करें और भ्रष्टाचार मिटाने में सर्वसम्मति से या चेयर सहयोग से भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करे लेकिन दुर्भाग्य रहा। मंत्री महोदया, मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि सी. बी. आई. में गया, नहीं गया, मैंने कल मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा है और उसमें डिमाण्ड की है कि जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं पी. एन. भण्डारी की उस चिट्ठी की तरफ जो मार्च, 1977 में लिखी गयी। उस पर आज तक न कोई एक्शन हुआ है न कोई रिएक्शन हुआ। काफी माननीय सदस्य यह सोचकर आये हैं कि इस इश्यू को लेकर पांच साल से पाइंट आफ आर्डर या किसी माध्यम से यह भाटी लगा रहा है क्योंकि इसकी व्यक्तिगत रंजिश श्री भैरोंसिंह शेखावत और उनके दामाद से हो सकती है। सभापति महोदय, मैं ईश्वर की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। और न 298 की यह जमीन अगर यह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो, मंत्री महोदया, जिस दिन आप इसको साबित कर देंगी और जैसा कि पी. एन. भण्डारी की चिट्ठी जिसके अंश मैं पढ़ूंगा, 298 बीघा जमीन मुझे मिलने वाली नहीं है, तो इसमें मेरा स्वार्थ सिर्फ यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े जबरदस्त वे में और खासकर मैंने पहले दिन जो भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुना था और वह अंश मैं उनको एक्जेक्टली कोट न करके कह दूं, उनका यह था कि राजस्थान में मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों को अच्छी तरह देख लूंगा और भ्रष्टाचार बिलकुल खत्म कर दूंगा। दुर्भाग्य की बात यह है, मंत्री महोदया, उधर जाकर बैठ गये 33 की संख्या में। आप सबूत हैं और खेतसिंह साहब 1952 से यहां सदस्य हैं। मेरे ख्याल से 1952 से, सभापति महोदय, पांच आप सदस्य रहे हो जो कि 1952 में जीतकर आये हो, सब्सीक्वैंटली जीते हो और हारे हो, उसमें भैरोंसिहजी शेखावत भी एक हैं। 1952

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

से लेकर जब तक आपकी सरकार चली, कांग्रेस की, खेतसिंह साहब को याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक जबरदस्त उदाहरण था स्वर्गीय सुखाड़िया साहब का, स्वर्गीय जोशी जी का कि क्या-क्या भैरोंसिंह साहब ने उन पर आरोप नहीं लगाये। लेकिन वह प्रकरण दामोदरजी वाला आपको याद है। जब वह इश्यू उठा था और सुखाड़िया साहब ने और मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने कहा था, देखो, अपन को राजनीति को इतनी नीचे नहीं लेनी चाहिए, मैं उस आदमी की ग्रेटनैस समझता हूं कि सुखाड़िया साहब भले ही सदन में, आप तो उनसे परिचित हैं मेरा तो सिर्फ सुनने का अनुभव रहा है, पर्सनली मिला हुआ हूं, लेकिन उनको असैम्बली में परफोर्म करते कभी नहीं देखा, उस आदमी की महान उदारता, विपक्ष का कोई भी सदस्य कैसा भी उन पर आरोप लगा दे तो वे एक्स्ट्रा पान खाकर स्माइल करके विराज जाते थे। यह तो थी एक परम्परा और सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है ? क्या नहीं हुआ ? परम्पराएं कितनी टूटी हैं, कितनी रह गयी हैं ? मैं तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप, अध्यक्षजी और आपका पैनल, मेहरबानी करके कांग्रेस की सरकार आठ साल के बाद आयी है, अब रूल्स के तहत परम्पराएं वापस लागू करवावें। जो समय बीता है उसको मैं वापस दोहराना नहीं चाहता लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिपोर्ट यहां पर न हो और उस पर अध्यक्षजी की व्यवस्था हो जाए। उस पर मै जाना नहीं चाहता।

मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्पेसिफिकली, पी. एन. भण्डारी साहब की चिट्ठी पर। चिट्ठी पिछले सैशन में, पिछले पांच साल भी टेबल की है और मैं आज भी टेबल करूंगा इस चिट्ठी को। यह चिट्ठी जो पी. एन. भण्डारी ने रेवेन्यू सैक्रेटरी को लिखी, मंत्री महोदया, उसमें कमेटी की रिपोर्ट थी एस. पी. शर्मा की। एक कमेटी नियुक्त हुई, मंत्री महोदया, उस कमेटी के मैम्बर्स थे एडीशनल कमिश्नर एम.डी. शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर आर. के. गुप्ता और असिस्टेंट कमिश्नर बालुरामजी। इस कमेटी ने मोमोवाला की 298 बीघा जमीन की विस्तार से जानकारी ली और कमिश्नर साहब को उसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश की। उस रिपोर्ट को पेश करते हुए, मंत्री महोदया, मैं लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ना चाहता हूं जो कि पी. एन. भण्डारी ने गवर्नमैंट रेवेन्यू सैक्रेटरी साहब को दिनांक 14.3.1977 को लिखी—

"These are sufficient reasons to indicate that the records on the basis of have land claims for the tenancy rights in respect of lands. in the said area, are false and fabricated and have been created at a much later date. Rajvi Amar Singh and his sons are still in possession of the land they grabbed illegally in the manner stated above and have cheated the State Government in collusion with S/Shri Abdul Gafoor and Amar Singh, Fatwaries. It is requested that an Investigation in this regard may be undertaken

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

and the culprits brought to book."

अब, मंत्री महोदया, काफी मित्र यों ही कहते हैं कि यह तो बड़ा पुराना मामला है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सदन को, आज अपन सब पोलिटिकल क्रीचर्स हैं, मैं यह नहीं कहता कि साहब वेन्डेटा लेना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदया आपको अच्छी तरह पता है कि 1989 में विपक्ष के सदस्यों ने लोक सभा में स्वर्गीय राजीवजी पर आरोप लगाये थे जिसमें आपके जसवंत सिंह साहब भी थे। उस मौखिक रिपोर्ट में,उस मौखिक अलाउन्समैंट में, इस आदमी की आप उदारता देखिये, सदस्यगण, न तो लिखित में. उन्होंने आरोप लगाना और वी. पी. सिंहजी अपना कम्प्यूटर लिये फिरते थे कि मेरे पास प्रूफ है, बाद में प्रधान मंत्री बने, उस मौखिक रिक्वैस्ट पर स्वर्गीय राजीव जी ने, मंत्री महोदया, बोफोर्स की जांच सुओ मोटो अलाउन्स की। बोफोर्स कितना पुराना है? 1989 में बोफोर्स उठा, मंत्री महोदया, और आज 1999 है। वह तो मसला पुराना नहीं होता बी. जे. पी. वालों के लिए और जब भाटी उठाता है या हम सदस्यगण उठाते हैं तो कहते हैं, साहब, 1977 का मामला है। जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार और सीट डगमगाई तो झट से बोफोर्स का उजागर करेंगे हम। सोनिया गांधीजी ने...(व्यवधान) मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे क्यों करते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अभी सोनिया गांधीजी आंध्र प्रदेश पधारी और उन्होंने कहा कि अब ये बोफोर्स का मसला उठाते है मैं तो इनको इतना मौका दे चुकी हूं। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार प्रधान मंत्रियों ने 89 के बाद रूल किया, मंत्री महोदया, और बोफोर्स का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। आरोप-प्रत्यारोप उस पर प्रत्यारोप आपके पास 13 महीने से सत्ता है आप लोग उसमें जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे वे डाक्युमेंट्स आप पेश कर सकते हो। मंत्री महोदया, आपकी ही रिपोर्ट है, यह मेरी बनाई हुई नहीं है।

(15.52 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ना मैंने शिकायत की है। पी. एन. भण्डारी आपब ही कमिश्नर थे। पी. एन. भण्डारी साहब बाद में, आर. एस. ई. बी. के चैयरमेन बने और अभी भी हैं सरकार में। अच्छी रैपुटेशन है, आनेस्ट आदमी हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि आपने इसमें ढील दी, मैं सोचता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कांस्पिरेसी से यह रिपोर्ट, जब तक मेरे मित्र सुरेन्द्रजी व्यास ने 1992 में इश्यू को नहीं उठाया तब तक यह खामोश बस्ते में पड़ी रही बड़ी कंविनिएंटली। यह भी कहा गया, जब मैंने उठाया 1993 में 119 का नोटिस देकर,कि 119 का नोटिस देना मुख्य मंत्री को कोई आसान चीज नहीं है। मेरे में बीती सो बीती, उसको तो भूलिये लेकिन

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

उनकी+++मैं वापस आ गया, जनता ने मुझें वापस भेज दिया। मैं इस इश्यू को इसलिए उठा रहा हूं कि यह जो 1977 में भण्डारी साहब ने रिपोर्ट दी, मेरे पर आरोप है, मंत्री महोदया, इसी इश्यू पर, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है, मैं आपको पेश करूंगा। 1991 में इसी इश्यू पर मंत्री महोदया, आपकी यह नामांतरण पत्रावली हैं 1991 की, इसमें एग्जिटिंग एन्ट्री, मामला वही है 298 विगत, यह 1991 की अर्ज कर रहा हूं मैं, एग्जिस्टिंग एन्ट्री और नई, बाई चेन्ज एन्ट्री है उसमें फैब्रिकेशन हुआ है। अब मैं यह क्यों उठा रहा हूं, सदस्यगण ? आपको मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, कोलोनाइजेशन और बहु कीमती जमीनों पर आपके लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। एक फार्मर जागीरदार्स थे, जब उनको पता लगा कि यह तो रेतीली जमीन है, रेतीले टीबे हैं, नहर का पानी आ जाएगा, बड़ी मंहगी होगी तो उन्होंने डाक्युमैंट्स में फैब्रिकेशन किया। डाक्युमैंट्स में फैब्रिकेशन कोई अमर सिंहजी ने अकेले तो नहीं किया, मेरा ख्याल है सैंकड़ों एक्स रूलर्स, एक्स जागीरदार्स ने किया। और रूलर्स में तो मैं आऊंगा जब लैण्ड ओनर स्टेट एक्ट में मैं बोलूंगा। अब इस रिपोर्ट में क्या है? मंत्री महोदया, इस रिपोर्ट में भण्डारी साहब फरमाते हैं, यह जो छतरगढ़ की जागीर थी, यह कवर करती थी 12 लाख 99 हजार बीघा, जिसमें से 3 लाख 4 हजार बीघा 20 गांव अनूपगढ़ तहसील में थी। यह उनको कम्पलसरी था, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो परिचित है। सब जागीरदारों को जागीर फंक्शन के तहत और कोलोनाइजेशन एक्ट, एक्वीजिशन एक्ट के तहत रिकार्ड जमा करने पड़ते थे। जब ये रिकार्ड जमा किये तो भूल गये कि क्या कर रहे हैं। मजे की बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ चार-पांच लाइनें पढ़ना चाहता हूं—

"Had Rajvi Amar Singh and his sons been the tenents of the Jagirdar from Samwat 2007 corresponding to the years 1950-51, there would not heve been any necessity for Shri Rajvi Amar Singh to apply for the temporary allotment of the land to the state authorities on, as late as, 15.6.53 Furthermore, it is reported that the younger sons of Rajvi Amar Singh, namely, S/Shri Surendra Singh and Narpat Singh were born respectively on 19.9.50 and 30.9.51." यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भण्डारी साहब फरमा रहे हैं।

"Obviously Shri Surendra Singh and Narpat Singh have been shown as tenents in the Khatonies of Samwat 2007 even before they were born."

अच्छा, ठीक है, साहब, यह भी माना कि नरपत सिंहजी की इसमें कोई गलती नहीं, अमरसिंहजी की है। न शेखावत साहब की है क्योंकि 1977 में भी आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय नरपतसिंह साहब के

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

और शेखावत साहब के कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन 1991 में इसी को आप आपके मंत्री के टाइम में जो रेगुलराइज कर रहे हो यह फैब्रिकेशन इल्लीगल, टोटली करप्ट उनकी सरकार में हुआ और यह इसकी रेलेवेंस है। बनिस्पत इसके कि 120 बी और 420 और कितनी भी दूसरी धाराएं आपने मेरे पर लगाई है, जितनी भी धाराएं है सी.आर.पी सी. में, उनके खिलाफ नहीं लगाकर आप विराजे रहे। और पीछे आपने किया क्या ? सुरेन्द्रजी व्यासजी ने जब यह उडाया तो आपने जान करके यह किया कि आपने सुरेन्द्रजी को मालपुरा में हरवाया। और आपने क्या किया भाटी ने उठाया तब ? तब, उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने जानकरके पूरी सरकार को झोंका, जोधपुर के राजघरानों को झोंका और कोशिश की कि मैं वापस इस हाउस में आऊं नहीं। लेकिन जनता जनार्दन है। माफ करना। (व्यवधान) I will not accede. Please, Please.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय सदन की परम्परा रही है कि किसी भी व्यक्ति को सदन का सदस्य नहीं है या किसी भी माननीय सदस्य पर अगर कोई आरोप लगाएं तो पहले नोटिस देना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने 119 का नोटिस दिया है, हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आरोप लगाया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किसको ? नरपतसिंहजी को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब दिया ? मैं आपकी बात कर रहा हूं, अब आप आरोप पर आरोप लगा रहे हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 1994 में। अब आप रहने दो आपकी सफाई रहने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सफाई की बात नहीं है,। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आरोप क्या लगाये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब से कह रहे हैं ना, साहब, ये। (व्यवधान) यह रिकार्ड पाच बार कह दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या आरोप लगाये ? रिकार्डेड जो फैक्ट्स हैं वे पढ़ रहे हैं वह तो आरोप क्या लगाये ? रिकार्डेड फैक्ट्स हैं ये तो। आरोप क्या है नहीं, नहीं, इसमें ? आरोप नहीं लगाये उन्होंने। आरोप नहीं है।.. (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ साहब, थोड़ा संयम रखो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक एक्सीड कर रहा हूं, मेरी ओपिनियन में पूर्व अध्यक्षजी ने गलत तथ्यों पर रिपोर्ट दे दी, मैं उसको इश्यू भी नहीं बना रहा हूं। मेरे खिलाफ क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, मैं उसको भी इश्यू नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो क्रिमिनल एक्ट कमिट हुआ है उस क्रिमिनल एक्ट को इन्होंने तो आपको कभी नहीं बख्शा। आपके कोई लोग पकड़े गये तो क्या भैरोंसिंहजी शेखावत ने किसी को बख्शा है ? तो कांग्रेस की सरकार आयी है सिर्फ इसीलिये आप यह उदारता

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बताना चाहें कि भूलो ? क्यों ? क्यों भूलें? जिस दिन आप फंसोगे, कितने-कितने कांड हुए हैं, एक सदस्य को नहीं बख्शेंगे। +++की इनकी आदत है। मैं पर्सनली पहले जितने भी एलीगेशन लगाये, उनको दोहराना नहीं चाहता। यह एक बहुत ही ग्रेव मैटर है, सीरियस मैटर है, मंत्री महोदया। मैं बिलकुल डीसेंसी से लेकर without giving up my right to ask my Government to act against him. ये तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके मुझे जब उत्तर देवें तो मैं इस चीज को अब आगे न बढ़ाकर थोड़ा लैंड ओनर्स एक्ट पर आना चाहता हूं। आप मेरे पाइंट....

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिये, माननीय सदस्य। 20 मिनट हो गये। (व्यवधान) इनसे बात करो सचेतकजी। से। (व्यवधान) आपकी पार्टी का सारा समय उनको दे दें क्या ? (व्यवधान) क्या बात करते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदया, मैं आपसे पाइंटेडली पूछना चाहता हूं, क्या राजस्व रिकार्ड में आपके तथ्य से पहलें किसी व्यक्ति का नाम जन्म के पहले किसी व्यक्ति का नाम मालिकाना दर्ज था ? क्या आप बता सकती है कि इनके जन्म के समय उक्त रिकार्ड में किस व्यक्ति का नाम दर्शाया गया था ? क्या यह सही है कि जागीरदारों ने राजस्व रिकार्ड सरकार को देने से मना कर दिया था ? क्या यह भी सही है कि राजस्व रिकार्ड अन्त में अनूपगढ़ के तहसीलदार को दे दिये गये थे ? क्या यह बात भी सही है कि सरकार ने समय-समय सर्वे करवाया वहां पर ? क्या यह बात भी सही है कि सर्वे के बाद ये तथ्य सामने आये कि उक्त जमीन में न तो कोई कल्टीवेटर्स थे और न कोई टीनेंट्स थे ? क्या यह भी सही है कि इस कारण कई व्यक्तियों ने अपना क्लेम पेश कर दिया उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका इस कृषि भूमि पर कोई सम्बन्ध नहीं रखता था ? क्या यह भी सही है कि जिन लोगों ने जमीन के बारे में क्लेम पेश किये वे गलत हैं फाल्स हैं ? और क्या यह भी सही है कि सुरेन्द्र सिंहजी, नरपत सिंह जी राजवी का जन्म 19.9.50 और 30.9.51 को हुआ जिससे यह तय है कि इनके पूर्व ही आपके रेवेन्यू रिकार्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था ? क्या यह सही है, मंत्री महोदया, कि आप इस पूरे प्रकरण में जुडीशियल इंक्वायरी कराने का मन रखती हैं ? क्योंकि मंत्री

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : जरा एक कापी मुझे इसकी आप दे दीजियेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जी, मै अभी दे दूंगा।

मै जांच आयोग की इसीलिये अर्ज कर रहा हूं। मैने मुख्य मंत्रीजी को भी जो कल पत्र लिखा है इसमें साफ आ जाएगा। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, समस्या क्या है ? आप पिछले सत्र में नही थे अनफार्चुनेटली, I wish you were there, And I also wish that you will be again in the next 2 or 3 sessions.

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन इस पूरी डिबेट में सुरेन्द्रजी व्यास के टाइम जब यह मुद्दा डाक्टर साहब ने उठाया था उस समय पी. एन. भण्डारी की चिट्ठी इनके हाथ लगी नहीं। पी. एन. भण्डारी की अगर हाथ लग जाती तो जो मैं कर रहा हूं वे यह उस समय ही कर लेते। मेरा सौभाग्य है कि मैं जैसे ही जीतकर आया 1993 में, पी.एन. भण्डारी की चिट्ठी हमें मिल गयी और उस दिन के बाद हम इसको उठाते गये। अब जांच आयोग में मांग इसलिए कर रहा हूं। हमने सी.बी.आई. की डिमांड पहले नहीं की। हमने जब 119 का नोटिस दिया तो खेतसिंह साहब यहां विराजमान हैं, उस समय भी हमारे अध्यक्ष थे। भैरोंसिंहजी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने खुद ने कहा उस सीट से, बड़े जबरदस्त यहां + + +मेरे से। यहां तक कह दिया कि आप बाहर आओ, मैं देखता हूं। तो मैंने कहा, पधारो बाहर। लेकिन उन्होंने खुद ने फरमाया कि मेरी जानकारी में इस प्रकरण में सी. बी. आई. ने इंक्वायरी कर ली। आपका टाइम मैं नहीं खराब करूंगा क्योंकि सब कोटेड हैं उनकी स्पीचेज।

श्री उपाध्यक्ष : आप बचाओगे तो कृपा होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बचा रहा हूं। उन्होंने खुद ने फरमाया, तथ्य ये थे कि सी.बी.आई. इंक्वायरी हो गयी है। उसके बाद में उन्होंने उनके अध्यक्ष जी से उस सी.बी.आई., क्योंकि यह इसमें छपा हुआ है, कोई कांफिडेंशियल मैटर नहीं है, कोई प्रिविलेज इसका बनता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ने रूलिंग दी कि मैंने सी.बी.आई. की रिपोर्ट देख ली है। हमने कहा, आप टेबल कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि यह कांफिडेंशल डाकूमैंट है, लेकिन मैं आपका और सदन का अध्यक्ष हूं और उसके तहत मेरी आप बात मानिये और मैंने रिपोर्ट देख ली है। यानि उन्होंने अनेकों और विवरण किये और उन्होंने फरमाया कि इस रिपोर्ट के तहत नरपत सिंह जी राजवी, अमर सिंह जी राजवी and their other relations stand exonerated. अब, उपाध्यक्ष महोदय, हम अध्यक्ष के आगे क्या कहें? और वह भी भाभड़ा साहब, वे अपने आपको बहुत बड़ा समझते थे। तो हमने मारग्रेट अल्वा जी को एक चिट्ठी लिखी। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला भी हूं, She was Minister of State for personnel. तो हमने कहा, मैडम, हमने यही कहा, कि अध्यक्षजी ने फरमाया है कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट हुई है, आप मेहरबानी करके चूंकि सी.बी.आई. के मंत्री हैं तो हमें सी.बी.आई. रिपोर्ट की कापी दिलावें या हमें यह अवगत करा देवें कि हुई है या नहीं हुई है। सुरेन्द्रजी व्यास ने भी उनको चिट्ठी में प्रश्न पूछा। डाक्टर साहब का उनके पास लिखित जवाब आया, वह जवाब मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं सो दैट पूरा सदन इससे अवगत हो जाए। यह चिट्ठी है डाक्टर साहब के नाम की 5.5.95 की, सर।

"Dear Shri Vyas,

Please refer to your letter dated 20.3.95 regarding investigation

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

into the land grabbing of Shri Narpat Singhji Rajvi. On checking up the factual position with the C. B. I., we have been informed that they have not made any inquiry into the complaint in the past. They are also not in a position to undertake any investigation unless so requested by the State Government as it pertains to the officers of the State Government." अब समस्या, महोदया, यह आ गयी है कि दोनों में से एक सत्य है और एक असत्य है।

श्रीमती कमला : कौनसी तारीख की है चिट्ठी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको दे दूंगा, वह 5.5.95 की है। मैं इसको टेबल भी कर रहा हूं। अब, मैडम, मैं जुडीशियल इन्क्वायरी की डिमांड आपसे, मुख्य मंत्री जी से और आपकी सरकार से इसलिए कर रहा हूं कि हमें पता नहीं है कि सी.बी.आई. रिपोर्ट है या नहीं है, इन सब तथ्यों की सब चीजें सामने आ जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी जुडीशियल इन्क्वायरी से करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब इस प्रकरण को लो, मैडम, मैं यहीं बन्द करता हूं।

अब मैं आना चाहता हूं लैण्ड ओनर्स एक्ट, 1964 अमैंडेड एज पर 1975। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आरोप एक्स जागीरदार्स पर भी नहीं है। यह तथ्य मैं, खेतसिंह साहब, इसलिए उठा रहा हूं कि राजपूत समाज से कुछ एक्स रूलर्स हैं जिन्होंने राजपूतों से मद्द पूरी ली है लेकिन राजपूत समाज से धोखा भी बहुत किया है। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, बालों जोहड़ की तरफ। मंत्री महोदय, लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत सिर्फ आपके लिए नहीं, सदन के लिए, कुछ नये सदस्यों के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब 1947 में स्टेट का मर्जर हुआ था और जो कोवेनैंट साइन हुआ था उसके तहत एक्स रूलर्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आप और हम सदस्यगण भले ही जमीन पर बैठे हुए हों लेकिन वी आल नो कि अपन सब टीनेंट्स हैं ऑफ दी स्टेट। ये लोग जमीनों के ओनर्स होते थे और उस ओनर्स के तहत क्योंकि सरकार को, राइट था जमीन का, सिमिलरली वे दे सकते थे, बेच सकते थे। बगैर रजिस्ट्री के दे सकते थे कभी-कभी और उनको दूसरे और प्रिविलेज थे। मैं सोचता हूं, बहुत अच्छा हुआ कि जैसे जमींदारी एक्ट लाये और वहां का जो काश्तकार है उसको राइट्स मिल गये जमींदारी के। 1963-64 में लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट इनैक्ट हुआ और उसके तहत इनके राइट्स ऑफ ओनरशिप खत्म किये गये। उनको खातेदारी राइट्स मिलने के लिए एज पर सीलिंग लॉ यह एक्ट लाया गया। लेकिन एक्स रूलर्स ने राजस्थान के इस एक्ट को चैलेंज किया और कुछ धाराओं पर उनको स्टे मिल गया, कुछ पर नहीं मिला। ये कोर्टस में चलते गये और फाइनली जोशी साहब के टाइम में 1975 में लैण्ड ओनर्स अमैंडमैंट एक्ट पास हुआ। यह एक्ट पास होने के बाद एक्स रूलर्स फिर गये कोर्ट में और कुछ तो खैर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

गये और कुछ सुप्रीम कोर्ट तक भी गये। इसलिए जो सबजुडिस मामले हैं वे तो मैं उठाऊंगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दर्द इस बात का है कि इस लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट को जब पेश किया 1963-64 में तो अप्रेल की अवधि में तो पेश किया और एक्ट इनैक्ट हुआ सितम्बर में। अब 1964 अप्रेल और सितम्बर के बीच में जो एक ग्रे जोन था, उस ग्रे जोन के तहत जबरदस्त सेल्स हुई। उनको राइट्स था सेल का, लेकिन अब क्या होता है, मंत्री महोदया, एज़ पर दी एक्ट उनकी यह भी ड्यूटी थी कि उनके जितने भी रिकार्डस हैं वह वे गवर्नमैंट को पेश करें। तो जैसे आपके कोलोनाइजेशन में अमरसिंह और दूसरे जागीरदारों ने नहीं किये, इन लोगों ने भी उसमें डिले की। सितम्बर में जाकर जब यह एक्ट इनैक्ट हो गया तो कोर्ट में ये गये औरइनको स्टे मिला उस एक्ट के तहत। कोर्ट का यह था कि अभी तक आपकी जो भी सेल हो गयी है, जो एग्रीमैंट ऑफ सेल हो गए हैं उस पर तो हम नहीं जाएंगे लेकिन आगे आप कुछ नहीं करेंगे। अब फिर दर्द लगेगा राठौड़ साहब को, मेरा इसमें ऑब्जेक्शन यह है और मेरा आरोप है, मंत्री महोदया, और मेरी जानकारी भी है कि राइट अप टू 1975 जब तक ये रिकार्डस पेश नहीं हुए एक्स रूलर्स से, बैक डेट में उस अप्रैल और सितम्बर की अवधि में आपका यह बाली जोहड़ दिया गया, बाबूपुरा गांव की जमीनें दी गयीं। मैं तो आपको सिर्फ यहां का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आपकी जो खातीपुरा बीड़ है ना, इसमें 1600 बीघे जमीन दी गयी। मंत्री महोदया, इसमें आरोप यह है कि कोर्ट में तो स्टे मिल गया, लीगली उनको बेचने का अधिकार नहीं था लेकिन ये करोड़ों की जमीनें जो आपके पास आतीं और गरीब काश्तकारों को डिस्ट्रीब्यूट होतीं, वे आपके हाथों से चली गयीं। उसमें एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है। अब जैसे यह खातीपुरा बीड़ की जमीनें हैं, इसमें खसरा नम्बर और सब हैं, मैं आपको इसकी कापी दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय यहां तक और, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : कब तक बोलने दूं ? आप बताइये, कितने दिन तक बोलने दूं ? सबका टाइम दे दूं इनको ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप फरमा दें, मैं बैठ जाऊं, लेकिन मैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ट्राई टू कन्क्लूड।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : How can I conclude ? मैं आपको अर्ज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं। प्रैसी राइटिंग समझते हो। Please, try to conclude.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको प्रैसी इसलिए नहीं करना चाहता कि इस लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत लोगों का खून भी हुआ है। अलवर के पूर्व महाराज कुमार+ + +के नहीं जानकारी के इस एक्ट के तहत, उस

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कलेक्टर को, उस+++कलेक्टर को मैं कहना चाहता हूं, यह पता नहीं था कि लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट क्या है। उसने घेराबंदी की उस आदमी की। घेराबंदी करके उसका पानी काटा, जानवरों के लिए अनाज नहीं जाने दिया और अल्टीमेटली, उपाध्यक्ष महोदय, आज वह यहां का फाइनेन्स सैक्रेटरी बना हुआ है।+++ कि जिन्होंने इस हाउस को बिलकुल यूनानी मसली+++के खिलाफ 1976 में जब वह घटना हुई थी एकदम यूं ऊपर उठा लिया था और उन्होंने ही फाइनेन्स सैक्रेटरी बना दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब फांसी लगा दो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, राठौड़ साहब, मेहरबानी करके अगर आपको.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : है या नहीं है, लेकिन उस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आत्मा के प्रति मेरी भी सहानुभूति है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सहानुभूति तो है, वह तो देख ली हमने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु अब इतने बड़े बहुमत में आये हो फांसी लगाओ ना। और फाइनेंस सैक्रेटरी क्यों बना रखा है आपने, अब तो हटाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप रहने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो मैं समझता हूं, इतनी शानदार डिबेट के बाद तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, हटाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हटाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उत्तेजित ना हों।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, हां, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आरोप लगा रहा हूं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कि खून उबलता है। यह इग्नोरेंस, मैं जब बार-बार आफिसर्स के बारे में कहता हूं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दोस्ती भी नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, दोस्ती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगा नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप नये आये हो। मैं तो खेतसिंह साहब, विधि मंत्रीजी, पार्लियामैन्ट्री मंत्रीजी, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेहरबानी करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इनको

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बिलकुल कठघरे में कर दो। लेकिन इनको भी अपनी + + + पता होनी चाहिए, इनको भी अपना होमवर्क करना चाहिए। यह नहीं हो कि लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत आपकी जो फाइलें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई सैक्रेटरी फाइल नहीं निकालता। सैक्रेटरी फाइल निकालता है लेकिन वहां रियल जो बॉस है वह है सैक्शन ऑफिसर, वह फाइल बनाता है उस पर ये सिर्फ साइन कर देते हैं, चिड़ी बना देते हैं।

मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यानाकर्षित लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत यह करना चाह रहा हूं, राठौड साहब, हुआ ऐसा कि बाली में राजपूत समाज की एजूकेशनल सोसायटी के लिए यह जमीन दी गई। उनके पास यह जमीन प्राप्त हुई 1973-74 में। अब 1973-74 में वह जमीन प्राप्त हुई, आरोप राजपूत समाज पर नहीं है, पर चूंकि यह एक्स रूलर्स ने यह जमीन भले खातीपुरा की हो, भले कहीं और की हो, वहां पर लोगों को दे दी। अब मेरा जैसा अज्ञानी अगर जमीन प्राप्त हो जाए और उस पर मैं इमारत बना लूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह रैगुलराइज तो हुई नहीं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। खेतसिंह साहब, भले ही पाबूपुरा गांव हो, भले ही कोई और हो, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी उनके पास टाइटल नहीं है। अब न तो वे बैंक से लोन ले सकते हैं। पाबूपुरा गांव मेरे पड़ौस में है, मैं उनका पड़ौसी हूं, पाबूपुरा गांव में, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ नायकों की बस्ती है, अब उन करोड़ों के ऊपर, मंत्री महोदया, रिकवर कहां से करेंगे ? कल जैसे ही इनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हटता है, आप तो नोटिस देंगे कि 632 जो खसरा है, उस पर आपका टाइटल नहीं है। अब वे कहां जाएं, अगर ये एक्स रूलर्स चाहें भी ? इन्होंने गुमराह किया, बी.जे.पी. के मुख्य मंत्री ने पांच साल पहले। उपाध्यक्ष महोदय, ये बाली गए, बाली में एक जोहड़ की डिमाण्ड थी, इन्होंने कहा कि मैं उस बाली के जोहड़ को बिलकुल सैटल कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, देने वाला महाराज साहब, जोधपुर एक्स और लेने वाला समाज और वोट मांगने वाला भैरोंसिंह शेखावत। जब दी गई उस समय, ऊपर जैसा आप फरमाते हैं कि जसवन्त सिंह साहब विराजमान हैं, अब ये ट्रियो टोटल पावर में और पूरी जनता को गुमराह कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वोट हड़प लिए पांच साल पहले, हड़प लिए। अबकी बार भी हड़पे लेकिन जनता को इन्होंने अवगत नहीं कराया कि legally we cannot transfer the rights. अब आप लीगली ट्रांसफर नहीं करो और वोट ले लो, जमीनें दे दो और लोगों को आप ठग लो और पीछे आप कहो कि नहीं, साहब, मैं तो साहूकार हूं, मैं राजस्थान की जनता के लिए हमेशा 24 घण्टे में 48 घण्टे सचेत हूं। माफ करना, मंत्री महोदया, इसमें आप जांच करवाएं। यह जो जांच है यह सब जुडिस नहीं है। जितनी भी ये जमीनें हैं और इनके डाकूमैंट हैं, मैं तो यह भी आरोप लगाता हूं, उसका सर्वे करवाइए, जो आपके पास डाकूमैंट प्रजेण्ट हुए हैं, क्यों बख्शो आप उनको ?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, आपको याद होगा आपने एक रिजोल्यूशन पास करवाया था पी.सी.सी. में। आपको यह भी याद होगा कि 632 के तहत, इसका भाग तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन अपने ही चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र जी चौधरी ने एक मसला सुगन कंवर जी का उठाया था कम्पनसेशन का। मंत्री महोदया, दो चीजें हैं उसमें हुआ यह एक, तो राजेन्द्र चौधरी जी पर वह उठाने के लिए क्योंकि ऊपर जसवन्त सिंह साहब बैठे हैं, वे उससे सम्बन्ध रखते थे, आपने जांच करवाई कि नहीं करवाई, वह आपकी सरकार जाने और आप जानें, उसको आपने दबा लिया, नहीं दबाया, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा हूं, कल आप कहेंगे कि बेटे ने लैण्ड ओनर्स एस्टेट तो उठा लिया लेकिन खुद के बेहनोई के लिए चिकित्सा मंत्री जी ने उठाया था जो प्रश्न, वह चबा गया। लेकिन हुआ क्या है, मंत्री महोदया, ? चूंकि राजेन्द्र जी चौधरी ने उठाया और, खेत सिंह साहब, भले ही कोई दूसरा माने या नहीं मानें, मैं सोचता हूं अगर आप देखें तारीखों से तो जिस दिन राजेन्द्र जी चौधरी ने यह मसला यहां उठाया, उसके विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते, दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर उन पर बिलाड़ा एरिया में अगर वे भाग नहीं जाते वहां से तो उस दिन शाम को उनको मार देते। इसमें साजिश है। इसमें आप इन्कवायरी करवाएं या न करवाए, वह तो उनकी आत्मा जाने लेकिन सुनियोजित रूप से उस आदमी का मुंह बन्द करने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए यह जो 34 केसेज का विवरण है, वह तो जब पुलिस की डिमाण्ड आएगी तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि आज चार महीने हो गए उस मसले को उठाए, आप उसमें या तो चालान करो या एफ. आर. दो। लेकिन मेरा यह दर्द है, मंत्री महोदया, मैं कहीं राजेन्द्र जी चौधरी या दूसरे कहीं यह न उठा लें 632 का मसला तो मुख्य मंत्री जी और उनका सैक्रेटरी जो यहां से भाग कर चला गया, सुनील अरोड़ा, कि कहीं ये सरकार आकर उसको मार न दे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियम बने हैं, सुनील अरोड़ा का नाम ले रहे हैं, मतलब सीधा आरोप लगा रहे हैं। नियम है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नियमों को क्या+++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यक्तिगत रंजिश का मंच बनेगा क्या यह सदन ? खुद के व्यक्तिगत मामले उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, उठाऊंगा, उठाऊंगा, मुझमें हिम्मत है, आप चाहें तो मैं नोटिस दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदया से कि पूरा 632 रिकार्ड यहां

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जयपुर मगवा लिया अपने पास। अब उसका नतीजा क्या हुआ, खेत सिंह साहब? कि 1964 की उस अवधि में हिज हाइनैस ने कम से कम चार-पांच बीघा जमीन लीगली बेची-घासियों को बेची, दूसरे समाज को बेची। अब, मुख्य सचेतक जी, चक्कर यह हो गया, आप तो वकील हैं, रिकार्ड तो पूरा यहां आ गया और यहां से लिखित में भेज दिया कि 632 में कोई रजिस्ट्री नहीं होती। 632 में रजिस्ट्री नहीं हो तो वे +++ घासी जिनको आप परेशान कर रहे हैं, पांच–सात साल तक दूसरे समाज के शिड्यूल्ड कास्ट हैं, दूसरे हैं, वे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई। ये तो हमारे कांस्टीट्यूशनल राइट्स हैं। तो आप मेहरबानी करके 632 के प्रकरण को, यह लैण्ड ओनर एस्टेट प्रकरण को, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, मंत्री महोदया, इमोशनल रिक्वैस्ट है, आज उस आदमी जिसको +++ के तहत मरना पड़ा, उसका लड़का आज अपना एक सदस्य है। किस मुसीबत में इसने अपनी उम्र, आखिर आज तो अलवर की जनता ने उसको सदस्य बनाकर यहां भेजा है, आप मेहरबानी करके, उसमें जांच में ढिले हो गई हो, कुछ भी हो गया हो लेकिन आप उसको कहीं कठघरे में धरयावें तो बहुत बेहतर होगा, धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप जी।

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या आठ पर चर्चा हो रही है। मैं आपकी इजाजत से इसमें शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल संसदीय कार्य मंत्री ने जब आप आसन पर विराजमान थे तो एक व्यवस्था दी थी सदन में, एक वायदा किया था कि सरकार कल स्टेटमैंट देगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको ट्रेन पकड़नी है, इनको बोलने दो। उसके बाद बोल लेना।

डा. रामप्रताप : मेरा भी मामला है, साहब। (व्यवधान) मैं भी बेघर बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी इन्टरैस्टेड हैं इसमें?

श्री जगमालसिंह यादव : कल आप जब डायस पर थे तो यह वायदा किया था कि सरकार कल इस मामले पर स्टेटमैंट देगी, तो संसदीय कार्य मंत्रीजी स्टेटमैंट दें।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : किस स्टेटमैंट की बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कल मकानों के सम्बन्ध में कहा कि कल मैं इसका जवाब दूंगा, उस सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मकानों की नहीं, पेंशन व्यवस्था, समस्त मामलों में आपने कहा था कि विस्तृत, मैं पूरी तरह सदन में जानकारी दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : पूरी तरह से आपको जानकारी है, महोदय,यह बार–बार पूछने से.. (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने नहीं पूछा हैं, आपने कल सदन में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, दे रहे हैं।

शासकीय वक्तव्य

माननीय सदस्यों को आवास

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने जैसा कि माननीय सदस्यों से निवेदन किया था, करीब–करीब सभी माननीय विधायकों को या तो फ्लैट्स मिल गए हैं या एम.एल.ए. बंगले मिल गए हैं या विधायकपुरी के फ्लैट्स मिल गए हैं। ऐसे बहुत कम एम.एल.एज. हैं जिनको कहीं पर भी कोई एकोमोडेशन नहीं मिली है। कुछ माननीय सदस्य जो पार्टी के नेता हैं, वे यह चाहते हैं कि हमको या तो अच्छे एम.एल.एज. बंगले दिए जाएं या उनके स्थान पर सरकारी बंगले लेकर हमको दिये जाएं। उस बारे में प्रयत्न किया गया, हाउस कमेटी के चेयरमैन साहब से भी लम्बी बातचीत हुई, पर कुल मिलाकर यह सब्जेक्ट मेरा तो नहीं है, मेरे को तो आप ख्वाहमख्वाह ही इसमें डाल रहे हो। हकीकत यह है कि एम.एल.एज. को जो अलाटमैंट होता है वह हाउस कमेटी करती है, उसमें आपके भी मैम्बर्स है, इधर से भी मैम्बर्स है और रतनलाल जी ताम्बी उसके चेयरमैन हैं।

जहां तक गवर्नमैंट की तरफ से बंगले अलाट होने का सवाल है वह श्रीमान बुलाकीदासजी कल्ला जिनके पास में जी.ए.डी. डिपार्टमैंट है, वे कहते हैं। फिर भी आपने फरमाया था, मैंने मालूम किया है और मान्यवर, श्रीमान् जगमाल सिंह जी को बी–17 एम. एल. एज. क्वार्टर अलाट हो गया है, श्रीमान् जगतसिंहजी दायमा जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उन्होंने स्वयं ने फ्लैट नं. 35 के लिए कहा कि यह अच्छा है और मैं लेता हूं। वह भी उनको अलॉटमैंट हो जाएगा, मैंने ताम्बी जी से बात कर ली है। उसके बाद में डा. सुरेन्द्र जी व्यास को भी एक एम. एल. एज. बंगला मिल गया है। अमराराम जी नेता हैं, उनके पास पहले से बंगला है, उनको कोई दिक्कत नहीं है।

अब मोहम्मद माहिर आजाद साहब रहे। बाकी सभी नेतागणों को बंगले मिले हुए हैं, एक आजाद साहब का बंगला है। उसके बारे में हमने कल मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूं उसके बाद में बैठकर इनको कोई न कोई अच्छी एकोमोडेशन दे देंगे। इनसे मैंने अभी बात कर ली है और इन्होंने एग्री भी किया है कि आने के बाद में आप तय कर दीजिए।

हमारे मिनिस्टर्स में और चीफ व्हिप साहब को भी बंगले का अलाटमैंट नहीं हुआ था, वह भी हो गया है। चीफ व्हिप साहब को मालूम है कि उनको बंगला दे दिया गया है और वह 7, हास्पिटल रोड पर है। वह गवर्नमैंट के एक आई. ए. एस. अफसर साहब हैं उनको अलॉट हो रखा था, वे उसमें रह रहे थे। अब उनका ट्रांसफर हो गया है, जब भी वे खाली कर देंगे उसी वक्त में चीफ व्हिप साहब उसमें पधार जाएंगे।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अगर पांच साल तक खाली नहीं करेंगे तो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कैसे हो सकता है ? पांच साल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक महीने, दो महीने, ज्यादा से ज्यादा। रूल्स में यह है कि जिसका ट्रांसफर होता है वह आई. ए. एस. अफसर दो महीने तक रह सकता है। दो महीने के बाद उसको खाली करना पड़ेगा और आप वहां पर बाकायदा तशरीफ ला सकते हैं।

उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय स्वयं इंटरैस्टेड थे इसलिए ये बार-बार मुझे कह रहे थे कि आप बोलो। आपको भी बंगला अलॉट हो गया है। मैंने तो सवेरे आपसे निवेदन किया था कि आप जाकर उस बंगले को खुद देख लो, दो बंगले एक से ही हैं, उनमें से आप जो भी पसंद करें वह आपको अलॉट हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो आप ठीक समझें दे दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कैसे दूं ? हमने तो अलॉट कर दिया आपको। आपको किया है ए/5।

श्री उपाध्यक्ष : वह खाली है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सौम्य मार्ग में आपको बंगला अलॉट कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : वह खाली है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो खाली हो जाएगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : खाली हो जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी. ए. डी. कराएगी।

श्री उपाध्यक्ष : कब हो जाएगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जल्दी से जल्दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा है साहब, हमने कलेक्टर साहब, जयपुर को बुलाया था, हमने उनको कहा है, यह माननीय राठौड़ साहब और मेरे मित्र भी सुन लें, बड़ा लम्बा अर्सा हो गया है, अब आप अपने एम.एल.ए. साहिबान से कहिए कि वे ताला लगाकर जहां पधार गए हैं, वे खाली कर दें अच्छा नहीं लगेगा कलेक्टर साहब पुलिस को लेकर जाएं और ताला तोड़ें और फिर अखबार वालों को यह मौका मिले कि फलाने एम.एल.ए. यहां रहते थे और उनका सामान बाहर रखा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन लोगो ने ताले लगा रखे हैं हमने खुद ने भी सूचना भिजवाई है और उस दिन हाउस कमेटी में भी मैंने एश्योर किया था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो बहुत बढ़िया करते हैं। ऐसी बात करते हैं। हाउस में कि कितने भले हैं और कितना ख्याल रखते हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक खाली नहीं होंगे तब तक अलॉटमैंट से क्या फायदा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय श्री चन्दनमल जी बैंद को भी बंगला वे चाहते थे वह अलॉट हो गया। अभी मैंने जो ए.डी. मंत्री महोदय, से बाई दी वे पूछा था, मैंने कहा और भी कई मंत्री हैं जो ये चाहते हैं हमको भी बंगले दिए जाएं। उनके पास में यहां अपने रेजीडेंशल हाउसेज हैं, लेकिन वे चाहें तो वे ले सकते हैं। उनके लिए आपने कोई नियम अभी बनाया हो तो वह आप अपने श्रीमुख से ही फरमावें तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं क्यों इस उलझन में पड़ूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो उनको सर्कुलर भेजकर बता देंगे, यहां बताने लायक नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुल मिलाकर, जगमाल सिंह जी, बात यह है कि अब आप मुझे परेशान मत करो, आप सबको जहां आप चाहते थे वे बंगले मिल गये हैं। अब आप आराम से 24 तारीख तक हाउस को ठीक चलने दीजिए, फिर तो छुट्टी हो ही जाएगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं था। जो प्रश्न कल मैंने रेज किया था वह प्रश्न यह रेज किया था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हो गयी ना बात अब।

श्री जगमाल सिंह यादव : कल आपके सामने मैंने रेज किया था कि आज साढ़े चार-पांच महीने हमको हो गये, आज तक न तो कोई मकान अलॉट हुआ। इन्होंने कल व परसों में कर दिया, लेकिन वे खाली होंगे महीने में, दो महीने में। जैसा आप कह रहे हैं दो महीने लग सकते हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि हम बेघर हैं, पिछले सत्र में यह तय कर दिया था संसदीय कार्य मंत्री ने कि जिनको मकान नहीं मिला उनको 500 रुपये पर डे मकान का भत्ता और डी.ए. दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, पिछली बार 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 15 दिन का, जिनको मकान अलॉट नहीं किया था उनको दे दिया। आज हम यह भी नहीं मांग रहे हैं। 1500 रुपये तो नल और बिजली के बनते हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। आज चार महीने से 1500 के हिसाब से 4,500 तो वे गये। एक हजार रुपये महीना हमको मकान का दे देते हैं और यह हमारे घर का होता, हम लिखकर दे देते तो पांच महीने के 10 हजार वे गए। हमने जो सफर किया है, न तो हमको मकान का भत्ता दिया, न हमको रहने के लिए कोई जगह दी। तो 500 रुपये पर डे जो पिछली बार दिये थे, आज क्या परिस्थितियां बदल गई? या हमको मकान के कब्जे दे दिये हों या मकान में बिठा दिया हो। आपके ही बनाये हुए कानून हैं कि 500 रुपये पर डे जिनको मकान की व्यवस्था नहीं होगी उनको डी.ए. के रूप में मकान के एवज में देंगे। मैंने कल यह प्रश्न उठाया था आपके सामने, यह नहीं उठाया था। न मैंने यह शिकायत की थी कि हमको मकान नहीं मिला। हो सकता है माननीय सदस्य और दो महीने खाली नहीं करेंगे तो हम वेट कर लेंगे। हम आपसे उस पीरियड का मांग भी नहीं रहे हैं जब सदन नहीं चल रहा था। हम केवल आपसे निवेदन यह कर रहे हैं कि आपने यह नियम बनाया है सदन जितने दिन चले उतने दिन का।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चाहे हम और चार महीने सरकीवंद में रहें, चाहे सड़क पर पड़े रहें हमने उसके लिए आपसे मांगा भी नहीं। मैंने कल यह प्रश्न रेज किया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें श्रीमान् की क्या राय है, अब वह अब आप फरमावें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति तो बदली नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : मौन स्वीकृति का लक्षण है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा आप अपने चैम्बर में कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मेरी राय तो कभी भी संसदीय कार्य मंत्री जी से अलग नहीं हो सकती और चूंकि इन्होंने हाउस में यह कहा है, अनेक जगह कहा है कि जब सदन चलेगा तब 500 रुपये प्रति दिन जिन सदस्य साहिबान को मकान नहीं मिला उनको देंगे। मेरी राय तो यह है कि आप उनको दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें लिखित में माननीय वित्त मंत्री जी को भेजा है, मैं उनसे स्वयं से मिल लूंगा।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): अब आसन की व्यवस्था हो गई, अब वित्त मंत्री जी को पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : अब तो आसन ने कह दिया।

श्री मोहन लाल मोदी : आसन का आदेश सर्वोपरि है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सबको नहीं मिलेगा। जिनके पास में एकोमोडेशन नहीं है या....(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : जिनके पास नहीं हैं वे ही अधिकारी हैं, सब कोई मांगते भी नहीं हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो माननीय सदस्य सर्किट हाउस में बिराज रहे हैं उनको मिलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय श्री भीमसेन जी चौधरी। आर्डर प्लीज। आई एम सॉरी। डा. रामप्रताप।

एक माननीय सदस्य : मकानों का कब्जा आज तक नहीं मिला, साहब। जो डाक बंगलों में, सर्किट हाउस में रह रहे हैं उनको मत दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हो गया ना, अब क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्यों ही वित्त विभाग एग्री कर लेगा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो जाएगा, तरीके से

(श्री उपाध्यक्ष)

हो जायेगा, कह दिया। हो जायेगा। जितना देर से आयेगा उतना ही देर से खर्च करोगे आप। जल्दी होगा तो जल्दी कर दोगे। डा. रामप्रताप।

मांग संख्या 8 एवं 22 पर विचार

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8 की बहस में हिस्सा लेने के लिए आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1992 से पहले जमीन टुकड़ों में बेचने पर पाबन्दी थी। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे पाबन्दी हटाई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 1992 से पहले के जो इल्लीगल ट्रांजेक्शन हुए थे, उसके लिए यह तो प्रावधान कर दिया कि 10 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक एप्लीकेशन लगा दी जाये लेकिन किसी अधिकारी को अधिकृत नहीं किया गया इस मामले में। अब कोई आदमी एस.डी.ओ. के पास जाता है तो वह कहता है मैं अधिकृत नहीं हूं, कलेक्टर के पास जाता है तो वे यह जवाब देते हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि 1992 से पहले जो सेगमैन्ट्स नियमन के मामले हैं एक तो उसमें किसी अधिकारी को अधिकृत करें और साथ में एप्लीकेशन लेने का टाइम शायद 31.12.98 था उसको भी आगे बढ़ाने की मेहरबानी करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई. जी. एन. पी. की फर्स्ट स्टेज में प्री-55 और और पोस्ट 55 के जो टी. सी. होल्डर्स थे, उनकी जमीन जो अधिशेष हुई थी, उसका बालिग पुत्रों में रिजर्व प्राइस पर आवंटित करने का प्रावधान था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बालिग पुत्र जिसको जमीन अलाट हो गई, अलाट होने के बाद में उसने किश्तें भर दीं, किन्तु किश्तें भरने के बाद में जब वह सनद लेने के लिए जाता है तो उसको एक नोटिस थमा दिया जाता है कि आपकी जमीन गजट में साया हो चुकी है इसलिए आपके विशेष आवंटन की दर लगेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का विशेष तौर से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, कहां तो रिजर्व प्राइस पर टी.सी. होल्डर्स के बालिग पुत्र को जमीन मिलनी चाहिए और कहां पर उसको नोटिस थमा दिया जाता है कि-सवा तीन लाख रुपये विशेष आवंटन की जो रेट है वह आपके ऊपर लगेगी। यह नोटिस की कापी मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री महोदय को बाद में कापी दे दूंगा। एक तरफ तो उसको नोटिस दिया जाता है और दूसरी तरफ उसको जमीन आवंटित हुई है रिजर्व प्राइस पर। जो जमीन उसको रिजर्व प्राइस पर आवंटित हुई उसकी उसने किश्तें जमा करवा दीं, किन्तु जब वह सनद लेने के लिए जाता है तो नोटिस थमा दिया जाता है कि सवा तीन लाख रुपये मुरब्बे के लिए लाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि जितने भी टी.सी. होल्डर्स हैं या बालिग पुत्रों के मामले हैं, उनका जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उनको बेदखल नहीं किया जाए। इसका आदेश भी मेरे पास है। जब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया

(डा. रामप्रताप)

जाता तब तक यह आवश्यक है कि आवंटियों तथा उनके बालिग पुत्रों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाए एवं यथास्थिति कायम रखी जाये। यह आदेश राज्य सरकार के होने के बावजूद भी सवा तीन लाख रुपये गजट में साया किसने किये ? दोषी तो इस बात के लिए अधिकारी हैं, परेशान वह बालिग पुत्र हो रहा है जिसने पैसे भी भर दिये और जिसको जमीन अलाट हो चुकी है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि ऐसी जमीन जो टी. सी. होल्डर्स की थी और सरप्लस हो गई, जो बालिग पुत्र को या तो अलाट हो गई या अलाट होने की प्रक्रिया में है, उसको निश्चित तौर पर डिनोटिफाई किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 एएए में 1992 में एक सब क्लॉज 2 जोड़ा है कि जितने भी 15.10.55 से पूर्व के टी. सी. होल्डर्स हैं उनको निःशुल्क भूमि आवंटित की जाये। यह 92 में किया। उसके बाद 92 से पहले के जो केसेज लम्बित थे और जिनकी राशि जमा नहीं हुई थी उसके बारे में भी आदेश दे दिए गए कि उनसे बकाया पैसे नहीं लिए जाएं। इसके बावजूद तत्कालीन प्रिंसिपल सैक्रेटरी, रेवेन्यू के यहां से एक आदेश जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 92 से पहले के जिनके पैसे बकाया हैं उनसे पैसे वसूल किए जाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, पूरे सदन से जो चीज बनी है, जो एक्ट बना है, कानून बना है, मेरे ख़याल से वह बड़ा है, एक अधिकारी का सर्कुलर बड़ा नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक उस सर्कुलर के पेटे 1992 से पहले के जितने केसेज थे उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जबकि इसमें विशेष तौर से लिखा गया है कलेक्टर्स को, उप धारा 3 के अन्तर्गत जिन मामलों का निस्तारण पूर्व में नहीं किया गया है अथवा जिन मामलों में भूमि के आरक्षित मूल्य की किश्तें जमा नहीं कराई गई हैं उन मामलों का निस्तारण 15 एएए की सब-क्लॉज 2 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाये। यहां इस सदन में कानून बना है उसके बावजूद एक सर्कुलर के माध्यम से यह हो रहा है। मेरा आपसे विशेष तौर से आग्रह है कि तत्कालीन प्रिंसिपल सैक्रेटरी, रेवेन्यू के उस सर्कुलर को शून्य घोषित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1992 में चाहे वह खातेदार है या अलाटी है, भूमि का बेचान करने से पहले, रजिस्ट्री करने से पहले उसकी कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसमें दुनिया भर के झगड़े होते थे, जमीन पर कब्जा किसी का होता था इकरारनामा किसी के पास होता था। 2–2, 3–3 साल तक उसकी मंजूरी नहीं मिलती थी, जमीन की कीमतें बढ़ जाती थीं और उसमें आपस में उनके झगड़े हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रजिस्ट्री की मंजूरी से पाबंदी हटाई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 1992 से पहले इस किस्म के जो ट्रांजेक्शन हुए थे, जिनमें स्वीकृति नहीं ली गई थी, उसको रेगुलराइज करने में बहुत ज्यादा पैनल्टी लगाई जा रही है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप कोई पैनल्टी निश्चित कर दें, पर

(डा. रामप्रताप)

प्रकरण राशि निश्चित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। किसान इसमें बुरी तरह लुट रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मामले में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं जो पूरे राजस्थान से ताल्लुक रखता है। एनसेल्टरल है प्रोपर्टी, एक बाप की मृत्यु होती है, अगर उसके तीन लड़के और एक लड़की है और विधवा मां है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका म्यूटेशन 1/5 के हिसाब से सबको कर दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा बनी हुई है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिन्दू सक्सेशन एक्ट के तहत इस तरीके से किया जा रहा है। जबकि एक लड़का जिस दिन वह पैदा होगा एनसेल्टरल प्रोपर्टी में वह को-पार्टनर बनेगा, As soon as it comes out of the home of his mother उसका शेयर उसमें सुनिश्चित हो जाता है। उस चीज को नहीं करके सबमें बराबरी में बांट दिया जाता है। उसके बाद में लड़का और उसकी बहिन आपस में झगड़ते हैं। कचहरियों के चक्कर लगाते हैं उसके बाद में जाकर उसका फैसला होता है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है....

श्रीमती कमला : आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए ?

डा. रामप्रताप : मैं यह चाह रहा हूं कि कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से किया जाए।

श्रीमती कमला : हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट में लड़की को भी अधिकार है, उसको कैसे इग्नोर करना चाहते हैं ?

डा. रामप्रताप : मैं आपसे वही अर्ज करना चाह रहा था। यह टिनेन्सी एक्ट का सैक्शन 40, आसामियों का उत्तराधिकार, जब आसामी अंतिम इच्छा पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके भूमि क्षेत्र में उसके हित उस व्यक्तिगत कानून के, अनुसरण में अवतरित होंगे जो उसकी मृत्यु के समय अस्मित्व में था। अगर कोई हिन्दू है तो हिन्दू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से।

श्रीमती कमला : व्यक्तिगत कानून क्या होता है, आपने अभी पढ़ा जो ..

डा. रामप्रताप : कानून नहीं।

श्रीमती कमला : तो ?

डा. रामप्रताप : टिनेन्सी एक्ट का 4 सैक्शन मैं आपको पढ़कर सुना रहा था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हिन्दू सैक्सेशन एक्ट के अन्दर कौन डील करेगा, यह बता दें आप। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : डील कौन करेगा, हिन्दू सक्सेशन एक्ट या .. (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अन्दर जो को-पार्शनर है वह उससे गाइड नहीं होगा, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं। आप सभी 31 कलेक्टर्स को चाहे

(डा. रामप्रताप)

बुलाकर देख लें, जो भी होगा वे इसी हिन्दू सक्सेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। इससे दुनिया भर के झगड़े बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है ...

श्रीमती कमला : अभी तक तो मेरी समझ में कोई बहन हिस्सा मांगने आयी नहीं है, लेकिन आप पहले से ही डर रहे हो। वह तो अभी तक भी नहीं मांग रही है।

डा. रामप्रताप : बहन आती है क्या ? माननीय मंत्री महोदया, आप इसको गम्भीरता से लें। एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाए, पूरे राजस्थान का प्रकरण है। एक बाप के 50 बीघा जमीन है, उसकी एनसेस्टरल प्रोपर्टी है, आप ध्यान से सुनना, अगर तीन लड़के हैं और एक उसके लड़की है, उसकी डैथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि तीन भाई, एक बहन और एक उनकी मां, कुल पांच को 50 बीघा में से 1/5 के हिसाब से 10–10 बीघा देते हैं। यह ठीक नहीं कर रहें हैं।

श्रीमती कमला : तो क्यों नहीं बांटें ?

डा. रामप्रताप : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हिन्दू लॉ के मुताबिक यह गाइड होगा। इसमें आप सक्सेशन एक्ट का ..

श्रीमती कमला : इसमें अमैंडमैंट हो चुका न।

डा. रामप्रताप : मैं यही तो कह रहा हूं। आप पूरा सुन लो तो शायद आपके ध्यान में आ जाएगा। हिन्दू सक्सेशन एक्ट का सैक्शन 6 है When a male hindu dies. "After the commencement of this Act having at the time of his death an interest in a mitacsara coparcener property, his interest in the properties itself devolved by survivalship upon the surviving members of the coparcener and not in accordance with this Act and not accordance with this Hindu Succession Act."

यह उस हिन्दू लॉ से गाइड होगा न कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट से। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन से जैसे ही वे मेल मैम्बर्स तीन हैं, चौथा उनका बाप है, उस 50 बीघा का 1/4 होगा साढ़े 12 बीघा। आप इसको ध्यान से सुनें। मैं आपसे दुबारा निवेदन कर दूं अगर आप इसको और सुनना चाहें तो। यह हाई कोर्ट की रूलिंग है, यह मैं आपको पेश कर दूंगा। उसमें से साढ़े 12 बीघा जमीन प्रत्येक हिस्सेदार को आएगी। इस साढ़े 12 बीघा जमीन जो उसके बाप के नाम बची है, उसमें से तीन लड़के, चौथी लड़की, पांचवीं उनकी मां और अगर उस डिसीज्ड के विडो मदर है तो छठी वह, उनके अन्दर डिवीजन होगा न कि लड़कियों का बराबर हिस्सा होगा। इसका फाल आउट क्या है? फाल आउट यह है कि जैसे आपने फरमाया लड़कियां हिस्सा नहीं लेतीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस लड़की के ढाई बीघा आएगा....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाने की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8 व 22 पर विचार

डा. रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह था कि अगर लड़की के हिस्से में ढाई बीघा जमीन आएगी तो निश्चित तौर पर पहली बात तो वह छोड़ देगी और अगर नहीं छोड़ेगी तो न कोई महसूस होगा। लेकिन जब वह बराबर का हिस्सा लेती है तो भाई–बहन के झगड़े चलते हैं। अल्टीमेटली कोर्ट में जाकर जो मैं बता रहा हूं वह प्रिवेल करेंगे, लेकिन उनके रिश्ते ताजिंदगी खतम हो जाएंगे। हमारे संस्कार खराब हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिज्ञासा प्रकट की है इसलिए मैंने सारे को निवेदन किया था कि आप अपने कलक्टर्स को तुरन्त इकट्ठा कर लें वे भी इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से लेंगे। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर कलक्टर्स को विशेष तौर से निर्देशित करें। मेरे क्षेत्र के एक सरपंच ने इस आधार पर म्यूटेशन किया था, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। उसने म्यूटेशन किया, शायद वह पूरे राजस्थान में अपने आप में पहला केस होगा। उसकी शिकायत हुई, कलक्टर साहब ने उसको तलब किया और यहां तक कहा गया कि आपकी सरपंची तो जाएगी ही और साथ में आपको सजा भी होगी। उसने इस एक्ट का प्रोविजन दिखाया और इस आधार पर आज की तारीख में वह म्यूटेशन उसी तरीके से है। मैं आपको हाई कोर्ट के फैसले का हवाला इसलिए दे रहा हूं। संगरिया का केस है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको लाकर दे दूंगा।

श्रीमती कमला : ऐसा है, यह जो आपने पेश किया है इसका तो लॉ से एग्जामिन कराएंगे लेकिन मुद्दा यह है कि लड़की खुद को भी इस हिन्दू लॉ सक्सेशन एक्ट का कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि न तो वह जमीन ले जा सकती है, न वह बो सकती है–भाई उसको बोने नहीं देंगे और न उसका कोई उपयोग कर सकती है। इसलिए उसको इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें क्योंकि प्रावधान है इसलिए उसको मिलना चाहिए, यह कायदा बोलता है और उस कायदे में आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। इसके बाबत में हम काफी चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या निराकरण निकाला जाए कि लड़की को भी सचमुच में अपना भाग मिले घर में, परिवार में। वह न जमीन ले जा सकती है, न मकान ले जा सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, उसको ले जाने का कोई उपयोग नहीं। ये बातें काफी लेवल पर खूब चर्चा में हैं, आप भी अपनी राय दें और माननीय सदस्य भी दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अमराराम (धोद) : जिनके एक लड़की है तो उनका तो वही होगा। जिनके

(श्री अमराराम)

वारिस लड़की ही है तो उनके तो वही होगा। यह तो कुल मिलाकर जो महिलाओं का हक है....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप दोनों के तो लड़के हैं, हमारे लड़के नहीं हैं, हमारे लड़की ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का क्या होगा, खेतसिंह जी का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप सब बोलोगे, तसल्ली रखो न। उन्होंने उठाया है।

डा. रामप्रताप : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, जिसके लड़की होगी और लड़का नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वह उस लड़की को जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। It is not a matter of interpretation. मैं इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं ले रहा हूं, इट इज ए फैक्ट, इसको आप दिखवा लें। मैं केसेज आपको इसके बारे में कोट कर दूंगा, हाई कोर्ट की रूलिंग मैं आपको दे दूंगा। संगरिया वाला केस है उसकी डिटेल आपको दे दूंगा। इसमें आप सही फरमा रहे हैं कि आपस में झगड़े होते हैं, न लड़की जमीनें लेती है। लेने-देने का सवाल नहीं है, यह कानून का सवाल है। मेरा आपसे इसलिए आग्रह है कि आप मेरे से बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। यह मैटर है, आप इसमें थोड़ा शायद अचम्भा भी कर रही होंगी। पूरे राजस्थान में यही परिपाटी चली आ रही है और यह एक बड़े अचम्भे की बात है कि एक परम्परा कानून के ऊपर चढ़कर बैठ गयी है। जिस तरह से आप फरमा रही हो उसी तरीके से सभी चल रहे है जबकि कानून यह कहता है कि को-पार्सनर की....

श्रीमती कमला : परम्परा को तो आप कानून बता रहे हो और कानून को परम्परा बता रहे हो। यह भी एक कानून है जिसके तहत में उसको हकदार बताया है।

डा. रामप्रताप : कानून नहीं है, परम्परा है। कानून नहीं है। हिन्दू सक्सेशन एक्ट है उसमें यह गवर्न नहीं हो रहा है इसलिए कानून नहीं हो सकता है। यह कानून तो मैं जो ...

श्रीमती कमला : इसका तो एग्जामिनेशन करवाएंगे, आप आगे चलिये।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य को समाप्त करने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोलने दीजिये साहब, वे बहुत बड़े वकील हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वकील तो हैं ही लेकिन एक मैम्बर बोल रहे हैं उनको पूरा करने दो।

श्री रामनारायण बिश्नोई (फलौदी) : मैं इनकी परमिशन से ही बोल रहा हूं। मैं इसमें माननीय मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कानून की सही स्थिति पेश करने की कोशिश की है। वास्तव में हर व्यक्ति के पास दो तरह की प्रोपर्टी है एक तो पर्सनल प्रोपर्टी और दूसरी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

एनसेल्टरल प्रोपर्टी । बिना म्यूटेशन से नामान्तरण किये जा रहे हैं । वे एक तरफ किसी आदमी की डैथ होने के बाद में उसकी प्रोपर्टी को पर्सनल प्रोपर्टी मानकर एक लड़का हैं एक लड़की है तो दोनों का बराबर के हिस्से का म्यूटेशन कर देते हैं । हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जिस व्यक्ति के पास एनसेस्टरल प्रोपर्टी है उसमें अगर उसके पास 50 बीघा जमीन है तो 25 बीघा जमीन तो उसके लड़के के नाम बाई अर्थ ही हो जाएगी, वह इसका हकदार हो जाएगा । पीछे जो 25 बीघा जमीन है उसमें से इस लड़की और लड़के दोनों का बराबर का हिस्सा होगा । इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपके यहां से जारी हो जाने चाहिए क्योंकि आजकल राजस्व अधिकारी हैं वे ज्यों ही किसी की डैथ होती है और उसके एक लड़का और एक लड़की है तो दोनों का बराबर का हिस्सा करके म्यूटेशन कर देते हैं । उसके बाद आपस में रस्साकशी में झगड़ा पैदा होता है । यह पर्सनल प्रोपर्टी के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी कानून में इसका कोई विरोध नहीं है ।

डा. रामप्रताप : मैं निवेदन तो यही कर रहा हूं लेकिन नॉट बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट मेरी बात को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था । माननीय सदस्य संगरिया से ही बिलांग करते है इसलिए इनको शायद इस केस की भी जानकारी होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ में कि टी सी होल्डर्स हैं उनके बालिग पुत्र हैं, इनका जो एरिया नोटिफाई कर रखा है-मैं यह नहीं कहता कि किसी अधिकारी को दोषी मानकर सजा दी जाए, लेकिन यह एक गम्भीर मामला है । जब एक आदमी को आपने जमीन अलाट कर दी, उसने किश्तें भर दीं, आपके आदेश भी यहां से गये हुए हैं कि ऐसे केसेज में आगे कुछ नहीं किया जाए तो उसको डी नोटिफाई करने का यह एक अहम मुद्दा है। इसी तरीके से 1992 से पहले के फ्रैगमैण्ट्स का जो नियमन करने का है उसके अन्दर आप किसी अधिकारी को अधिकृत करें । साथ में जो 98 तक का टाइम एप्लीकेशंस का है उसको एक्सटेंड करने का है 15(ए) में

(17.00 बजे)

यह भी एक बहुत गम्भीर मामला है कि कानून के ऊपर से होकर किसी एक अधिकारी ने सर्कुलर निकाल दिया और उसके पेटे लाखों रुपये किसानों से लूटे जा रहे हैं । मैं इसको लूटना इसलिए कह रहा हूं It is very clear कि बहुत साफ शब्दों में राज्य सरकार ने कोई कानून का हवाला देते हुए इंस्ट्रक्शन दिये हैं और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं । और लास्ट में यह म्यूटेशन वाला मामला है, इसके लिए मैं आपसे पुनः अर्ज करूंगा क्योंकि मुझे भी तसल्ली नहीं हुई, शायद इससे कंविंस हुई नहीं हैं अभी तक आप । तो मैं इसके लिए रूलिंग दूंगा । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र विकास और राजस्व विभाग से सम्बन्धित मांगों

(श्री भीमसेन चौधरी)

के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो, उपाध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में के.जे.डी नहर है खाजूवाला डिस्ट्रीब्यूटरी इस डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल के जो काश्तकार हैं उन काश्तकारों को सिंचाई सुविधा 15-20 दिन से नहीं मिल रही है। पीने के पानी की भी समस्या उनके सामने हो रही है। राज्य सरकार ने कमांड भूमि उनको आबंटित की, लम्बे वर्षों से परेशानी में है। इसके लिए विभाग ने पूगल शाखा की 210 आर.डी. से एक लिंक चैनल बनाने का प्रस्ताव पेश किया हैं। उस प्रस्ताव के अनुसार के.जे.डी. नहर के 137 आर.डी, से इसको कनैक्ट करने और बाकी के 33 के.जे.डी. से लेकर 43 के-जे.डी. जो चक हैं उन चकों के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा देनी है। मैं समझता हूं यह बहुत वर्षों से लम्बित समस्या है और इसके बारे में विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, इसको जल्दी स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसके बारे में यह कहा जाता है कि सिंचाई विभाग के जो माननीय मुख्य अभियन्ता हैं उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि सरकार दो तरह से प्रस्ताव लाती है-एक तो जो वहां से मिट्टी निकालते थे उनको सिंचाई सुविधा दी गई और दूसरा, गंग कैनाल बनाकर दी जाए। तो मुख्य अभियन्ता ने इसका सुझाव दिया है कि केवल मिट्टी निकालकर काश्तकारों की इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लिंक चैनल बनने से ही इन काश्तकारों की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मैं कटौती प्रस्तावों के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में बारानी जमीन है, करीब 5-7 लाख बीघा उस इलाके में सरकारी जमीन उपलब्ध है और इस इलाके में भूमिहीन काश्तकार भी हजारों की संख्या में है। सरकार में वर्षों से इस बात की मांग चल रही है कि बारानी भूमि का जो आवंटन हो-लूणकरणसर तहसील में, उसमें भूमिहीनों को जमीन आवंटित की जानी चाहिए तो इसके बारे में गम्भीरता से विचार करके जो भूमिहीन काश्तकार हैं उनको जमीन आवंटित की जाएं ताकि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। इसके बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या काश्तकारों के सामने सिंचित और बारानी सभी इलाकों में यह सामने आती है कि किसान अपनी जमीन का डवलपमैंट करने के लिए बैंकों से ऋण लेना चाहता है और इस ऋण लेने के लिए उनको पटवारी के पास जाना पड़ता है। पटवारी की तलाश में जाते हैं तो पटवारी कहीं उपलब्ध नहीं होता है तो सरकार को इस बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि पटवारी अपने हल्के में उपलब्ध हो। अगर कहीं दौरे पर जाता है, कहीं बाहर जाता है तो पटवार मंडल में अपनी रवानगी बोर्ड पर दर्ज की जानी चाहिए कि मै फलां जगह जा रहा हूं ताकि काश्तकार सुनिश्चित हो सके। आज हमारे यहां पर गिरदावरी की, जमाबंदी की नकल की जरूरत पड़ती है। और जमाबंदी के बारे में सिंचित क्षेत्र में

(श्री भीमसेन चौधरी)

बहुत ही भयावह स्थिति है, लूट की कोई सीमा नहीं है उसमें। काश्तकार घूमता रहता है, जब तक पटवारी को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक उसको गिरदावरी और जमाबंदी की नकल किसी भी सूरत में नहीं दी जायेगी। इस बारे में भी सरकार को एक निश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि पटवारी अपने हल्के में उपलब्ध मिले। इसके बारे में नियम बनाये जाये कि कोई भी काश्तकार पटवारी के पास अपनी एप्लीकेशन देता है तो वह अपने रजिस्टर में एप्लीशन दर्ज करे कि इस-इस तारीख में एप्लीकेशन मिली है और एक निश्चित अवधि के अन्दर उन एप्लीकेशनों का निस्तारण किया जाए। ऐसी व्यवस्था आप करेंगे तभी पटवारी के चंगुल से काश्तकार का पिण्ड छूटेगा। इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। नागरिक अधिकार पत्र सरकार इसके बारे में जारी करे कि किस तरह से व्यवस्था करना चाहते हैं, मैं इसके बारे में मांग कर रहा हूं।

इसके अलावा छोटे-छोटे अतिक्रमण हैं। कहीं पांच बीघा में अतिक्रमण कर रखा है, कहीं 10 बीघा में अतिक्रमण कर रखा है बारानी या सिंचित क्षेत्र में। ऐसे छोटे अतिक्रमणों में भी आप एक निश्चित समयावधि के अन्दर इन अतिक्रमणों का फैसला कर दें जिससे कि काश्तकारों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के काश्तकारों की अनेक समस्यायें हैं। उस इलाके में गोचर भूमि के विकास के लिए उपनिवेशन विभाग के द्वारा जमीन निश्चित शर्तों पर दी गई वन विभाग को। ज्योंही जमीन कमांड होगी, कमांड होते ही आपको वह भूमि जहां किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है, तहसीलदार को सुपुर्द करनी पड़ेगी, इन शर्तों के साथ उनको अलाटमैंट किया गया था। लेकिन उसका दुरुपयोग होने लग गया। इस तरह से कर रखा है कि हमारे यहां पर उन्होंने दोनों विभागों को जोइंट इंस्ट्रक्शन करके जो एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें किसी तरह का विकास का कार्य नहीं हुआ। वह जमीन उपनिवेशन कमिश्नर के आदेश से हमारे एम. एफ. एफ. आर. के विस्थापितों को आवंटित की गई। जमीन के आवंटन करने के बाद में उसका कब्जा मिल गया लेकिन आज तक रिकार्ड में वन विभाग की जमीन दर्ज होती चली आ रही है। इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। 10 वर्षों से यह समस्या लम्बित पड़ी है, इसके बारे में शीघ्र फैसला करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से छतरगढ़ के भूदान की जो जमीन है, वह जमीन भी, एम. एफ. एफ.आर. के 289 विस्थापितों को आवंटित की गई। उनमें से 83 काश्तकारों के तो नाम रिकार्ड में दर्ज हो गये, 93 काश्तकार ऐसे थे जिनको मौके पर कब्जा मिल गया लेकिन रिकार्ड में, जमाबंदी में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ और 112 काश्तकार, ऐसे थे जिनका न रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ और न ही मौके पर कब्जा मिला। भूदान की उस जमीन को दूसरों को आवंटित कर दिया गया और आवंटित करके उनके आपस में झगड़े शुरू करा दिये। यह समस्या भी

(श्री भीमसेन चौधरी)

है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, किसान बड़े परेशान हैं, इसका जल्दी से फैसला करना चाहिए।

इसी तरह से हमारी आबादी भूमि का मामला है, राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। इसमें लूणकरणसर, खाजूवाला, दंतोर, ये तीन गांव हैं, इनकी पुरानी आबादी भूमि है। उस आबादी भूमि को मंडी एरिया में शामिल कर लिया गया, यह बिलकुल गलत है। जो पुराने किसान अपनी जमीन पर बैठे हैं आबादी भूमि पर, उनको इसके बारे में पट्टा नहीं मिलने से कठिनाई भी आ रही है। इसके बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से सैटलमैंट विभाग है राज्य का। जहां-जहां सैटलमैंट हुआ है वहां पर काश्तकारों का सैटलमैंट नहीं हुआ, उन काश्तकारों का अनसैटलमैंट हुआ है और परेशानियां, झगड़े-टंटे बढ़े हैं। मैं अजमेर में गया, सभी जगह ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं। मैं समझता हूं कि सैटलमैंट विभाग का जो काम है इसके बारे में भी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। सैटलमैंट विभाग में अमीन वगैरह हैं, ये हर जिले में कलेक्टर के अन्तर्गत दे दें क्योंकि रिकार्ड आपरेशंस का काम है, रिकार्ड सैक्शन का काम है, यह एस.डी.ओ. या कलेक्टर्स अपने लेवल पर करवा सकते हैं। रिकार्ड में करेक्शंस से काश्तकारों को जो समस्याएं होती हैं वे दूर हो जाएंगी और सैटलमैंट करने में परेशानी बढ़ती है उससे मैं समझता हूं, काश्तकार बच जायेगा। इसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से करमीसर गांव है, उसमें संवत् 2012 के पहले के काश्तकार थे। वह जमीन कोलोनाइजेशन में आने के बाद धारा 15 (ए) के कारण उनको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिले। लेकिन बाद में डिकोलोनाइजेशन होने के बाद में संवत् 2012 के 189 काश्तकार हैं करमीसर के, उनको खातेदारी अधिकार मिल जाने चाहिए। राज्य सरकार ने यहां से आदेश दिये हैं कि इन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए लेकिन बीकानेर के कलेक्टर ने यह कहा कि आबादी भूमि के अलाटमैंट के लिए कुछ जमीन काश्तकारों की हम लेना चाहते हैं। उनको वे अधिकार देना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि जो अधिकार उनको सम्वत् 2015 में होंगे, आज उन अधिकारों को बिना मुआवजा दिये हुए काश्तकारों से लेना चाहते हैं तो यह बात बिलकुल अनुचित है। काश्तकारों का हक है वह उनको पूरा मिलना चाहिए।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय; डूंगरगढ़ तहसील का मामला है। डूंगरगढ़ तहसील का आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है चूरू से बीकानेर जिले में शामिल करने के लिए मांग चल रही है। एक साल से बराबर सारे काश्तकार वहां उद्वेलित हैं; सारी जनता की ओर से एक राय से यह मांग हो रही है कि डूंगरगढ़ तहसील को जिला बीकानेर में शामिल किया जाए। ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सब दृष्टिकोण से यह सारी डूंगरगढ़ जो तहसील है वह बीकानेर जिले में शामिल होने के लिए उपयुक्त है। चूरू और बीकानेर दोनों कलेक्टर्स ने भी

(श्री भीमसैन चौधरी)

इसके बारे में अपनी ओपिनियन राज्य सरकार को दी है। मैं समझता हूं कि इस समस्या का भी सरकार को शीघ्र समाधान करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सिंचाई की दरें जो आपने बढ़ाई हैं इसके ऊपर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। एक साथ आपने दुगनी कर दीं। धीरे-धीरे अगर आप बढ़ाते, डेढ़ी करते, फिर आगे बढ़ाते, तो मैं समझता हूं कि उचित होता। लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या लिफ्ट नहर के अन्दर हुई। लिफ्ट नहर में जो सिंचाई की दरें हैं वे कुओं की दरों से दुगनी पहले से ही हैं और कुओं की दर आपने कर दी दुगनी, तो लिफ्ट कैनाल की चौगुनी रेट हो जाएगी। आज काश्तकार दुगनी रेट देने में ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो चौगुनी दर कैसे दे पाएंगे, इसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व की मांग पर विचार हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैं एक–दो सुझाव मेरी ओर से देना चाहता हूं। राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली की आवश्यकता जो आज से तीस–चालीस वर्ष पहले थी, उसमें और आज में बहुत अन्तर आ गया है लेकिन कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार आपके सामने यहां विधान सभा में भी प्रश्न आये हैं कि राजस्व मामलों का निस्तारण समय पर नहीं होता और छोटे-छोटे मामलें कई वर्षों तक पड़े रहते हैं। जिसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व का मुखिया जिले में कलेक्टर होता था। जिस दिन लैण्ड रेवेन्यू कानून और टिनेन्सी एक्ट बना था उस समय कलेक्टर के पास कानून व्यवस्था और राजस्व के अलावा कोई दूसरे काम नहीं होते थे, लेकिन धीरे-धीरे कलेक्टर के पास इतने दूसरे काम आ गये जिससे उनको समय नहीं मिलता। समय मिले तो भी यह राजस्व का जो कार्य है वह दूसरे कार्यों के मुकाबले रुचिकर नहीं है, उनकी रुचि दूसरे कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहने की हो रही है। यह ऐसा काम है कि इसमें बैठकर दिमाग लड़ाना पड़ता है, हाथ से काम करना पड़ता है, सुनवाई करनी पड़ती है, कानून-कायदे देखने पड़ते हैं और दूसरे काम जो विकास से सम्बन्धित आज की तारीख में कलेक्टर को दे रखे हैं उनमें वह आसानी से अपना समय अच्छी तरह से गुजारने के लिए उसी में ध्यान देता है। यह भी मामला कई बार आपके यहां ध्यान में लाया गया है सरकार के कि आप कलेक्टर के ऊपर इतना भार होते हुए भी पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। कलेक्टर को इसके लिए समय मिलता नहीं। उसको समय मिलता नहीं, इसी का परिणाम है कि आज गांवों में कहीं भी पटवारी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ? कि उसको कोई कहने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं, काश्तकारों की कोई बात सुनने वाला नहीं। कलेक्टर के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी भी दूसरे कार्य में व्यस्त रहता है। इसलिए राजस्व का काम इतना पिछड़

(श्री हरजीराम बुरड़क)

गया जिसकी कोई सीमा नहीं। आज छोटे से काम के लिए काश्तकार को मारे-मारे फिरना पड़ता है। कहीं रास्ते का, सींव का कोई झगड़ा हो, उसका वर्षों तक राजस्व न्यायालय में फैसला नहीं होता। पूर्व में यह सुझाव आया था, कई जगह आपके दो-दो, तीन-तीन ए.डी.एम. हैं, तो कम से कम जिला लेवल पर एक ए.डी.एम. तो ऐसा लगा दें जो राजस्व मामलों के अलावा दूसरे मामले देखे ही नहीं और इसका डाइरेक्ट कंट्रोल आप रेवेन्यू बोर्ड को दें, ताकि कलेक्टर भी उनको आये दिन कहीं परिवार कल्याण में और कहीं साक्षरता में, दूसरे कामों में नहीं लगाये और उनका काम केवल राजस्व मामले ही देखने का हो। इससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है।

अब पटवारी का मामला आप देखिये। इसका मुख्य कारण है कि पीछे पटवारी यूनियन से कोई वार्ता करके आपने यह कर दिया कि पटवारी जिले से बाहर नहीं जायेगा। अधिकतर पटवारी जिले में हैं और जिले में जाकर उसी तहसील में हैं। तो अपना घर छोड़कर पटवार हैडक्वार्टर तक जाते नहीं। सबको इस बात की जानकारी है, तहसीलदार भी जानता है कि तनख्वाह के दिन ही आयेगा पटवारी। कोई काश्तकार अगर पता कर ले कि तनख्वाह कब मिलती है, पटवारी तहसील में कब आयेगा और वहां अगर मिलता है तो कहता है कि रिकार्ड नहीं है और हैडक्वार्टर पर जाए तो पटवारी नहीं है। अब इस छोटी सी बात के लिए काश्तकार कितना परेशान हो रहे हैं। इस बात का अहसास होते हुए भी इसमें कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप सोचें और कोई ऐसी कारगर व्यवस्था करें जिससे काश्तकार को समय पर पटवारी नकल दे सके।

आपको यह भी जानकारी है कि आज से बीस साल पहले काश्तकारों को कोई नकल की खास जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो आज तरह-तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें खतौनी की नकल लाओ, गिरदावरी की नकल लाओ। तो पहले से बीस गुना तो इनकी डिमाण्ड बढ़ गई और पटवारी की उपस्थिति सेंट-परसेंट ही अनुपस्थिति हैं। पिछली सरकार ने लैण्ड रेवेन्यू और टिनेंसी दोनों कानून नये सिरे से बनाने का सदन में प्रस्ताव किया और उसके लिए सलैक्ट कमेटियां बना दी गयीं। वह जरूरी था। क्यों था? कि जब पुराने टाइम में कानून बना था उस समय की व्यवस्थाएं अलग थीं और उस समय बनाई हुई कानून की कई व्यवस्थाओं की आज जरूरत नहीं है। जो आज जरूरत है उसे उसमें शामिल करने के लिए यह जरूरी था। लम्बे समय तक सलैक्ट कमेटियों में विचार हुआ और जब रिपोर्ट हाउस में पेश हुई उसके बाद दो-तीन विधान सभा के सैशन हो गये लेकिन सरकार ने उसको पास कराने की कोई जरूरत नहीं समझी। वह इतनी लम्बी मेहनत और खर्चा व्यर्थ हुआ। अब सुनने में यह आया था कि नई सरकार नये सिरे से कानून पेश करने जा रही है, लेकिन विधान सभा चलते इतने दिन हो गये, इस बारे में अभी कोई सरकार की मंशा जाहिर नहीं हुई है। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि अगर नया कानून बनेगा तो राजस्व की बहुत-सी समस्याएं उस कानून के जरिये

(श्री हरजीराम बुरड़क)

ही समाप्त हो जाएंगी उन समस्याओं का समाधान हो जायेगा। जितना जल्दी हो सके आपको इसको पास कराना चाहिए। सलैक्ट कमेटियों की रिपोर्ट आपके पास हैं, आप उसके आधार पर नये सिरे से कानून पेश कर सकते हैं, इसमें लम्बी-चौड़ी सरकार को रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप कोई संशोधन चाहें तो पेश कर सकते हैं और यहां पेश करने के बाद भी कोई सुझाव आए तो आप सरकार की तरफ से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इसी हाउस में दोनों नहीं तो कम से कम एक कानून जो आप आसानी से पास करवा सकें वह तो करवाएं ताकि लोगों को राहत मिले और आपके राजस्व न्यायालयों का भी काम हल्का हो।

इसके अलावा कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने के बारे में आपने तरह-तरह के नोटिफिकेशन, नियम निकाल दिये, वे हर आदमी की समझ के बाहर हैं। जो लोग कृषि भूमि पर मकान बना कर बैठ गये या दूसरा किसी ने उपयोग ले लिया उसको आप हटा नहीं सकते। आपने आज तक जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उनको एक जगह कर के लोगों को आसानी से समझ में आ सके इस तरह का कोई प्रयास करें ताकि सरकार की आमदनी भी बढ़े और लोगों को राहत भी मिले। अभी तो आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि यह शहरी क्षेत्र में लागू होगा और कभी निकाल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है आप अलग अलग निकालें लेकिन कम से कम ऐसा तो हो जो समझ में आ जाए। आज एक सर्कुलर निकाला 10 दिन बाद उसमें एक लाइन हटा दी, 20 दिन बाद में नयी लाइन जोड़ दी। इसलिए हर आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है।

इसके अलावा राजस्व अधिकारियों को टाइम नहीं मिलता जिसके कारण से ढिलाई तो हो ही रही है साथ ही अगर अपना काम नहीं करें तो उसके बारे में कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अगर तहसीलदार काम नहीं करें तो एस. डी. ओ. भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वह भी वही काम कर रहा है। वह अपने राजस्व के काम नहीं करके दूसरे कामों में ही व्यस्त रहता है। इसी प्रकार से कलेक्टर दूसरे कामों में व्यस्त रहता है। आप समय पर फैसला करो, पटवारियों की चैकिंग करो कि वे गांव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, समय पर किसी का कोई काम किया कि नहीं किया, यह कोई कहने–सुनने वाला नही है। अभी दो–तीन साल पहले एक रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी ने हमारे तहसील गांव डीडवाना एस. डी. एस. कोर्ट का इंस्पैक्शन किया। उस इंस्पैक्शन की रिपोर्ट आप देखें तो ताज्जुब होगा कि 20-20 साल तक मामला दर्ज कर के इस स्टेज पर छोड़ दिया कि 20 साल तक पेशी नहीं हुई। ऐसे-ऐसे उदाहरण पड़े हैं लेकिन देखे कौन? वह न्यायिक सेवा का मैम्बर था। उन्होंने इसमें कई सर्कुलर निकाले लेकिन उनका कहीं कोई असर नहीं हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्व मामलों में मौजूदा प्रशासन से किसी को न कोई राहत मिलती है, न इससे गवर्नमैंट को कोई लाभ होने वाला है। किसी सार्वजनिक जमीन पर या कीमती

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं और कोई नियमन होता हो, राज्य सरकार की इनकम होती हो उसको भी कोई देखने वाला नहीं। बीकानेर में कोई मीटिंग हुई, भारत सरकार के किसी अधिकारी ने कह दिया कि जो डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जमीन अलाटमैंट नहीं होना चाहिये। यहां रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने निकाल दिया कि अलाटमैंट नहीं होना चाहिये। उसमें यह था कि एक हैक्टेयर से ज्यादा का नियमन नहीं होना चाहिये। उस आधार पर सारी की सारी नियमन की जो कमेटियां हैं, उपखण्ड अधिकारी के लेवल की बनी हुई थीं, उनकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई और यह कह दिया कि बन्द हो गया। अगर किसी ने बाड़ा दो बिस्वा में बना लिया, 4 बिस्वा में बना लिया, उसका नियमन नहीं हो रहा है। उसमें वह सर्कुलर कहीं लागू नहीं है। मेरे एरिया नागौर जिले में तो 10 साल में या 15 साल में एक भी नियमन की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई जो नियमानुसार होनी चाहिये। इसके लिए आपके नियम अलग से बने हुए हैं लेकिन उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। आज भी जिन लोगों के मामले नियमित होने वाले हैं उनको हर साल 1991 में पैनेल्टी देनी पड़ रही है। इससे न तो सरकार को लाभ हो रहा है और न काश्तकारों को। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो आप राजस्व के जो दो नये कानून पहले बना कर रखे थे उनको पास करवाएं और दूसरा, उपखण्ड लेवल पर नहीं कर सकें तो जिला लेवल पर एक रेवेन्यू ए. डी. एम. अलग से करें। उसका काम सिवाय रेवेन्यू के दूसरा नहीं हो और डाइरेक्ट कंट्रोल रेवेन्यू बोर्ड का हो। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये, धन्यवाद।

प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : पहले पढ़कर सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ो, पढ़ो।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 16 अप्रेल, 1999 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार दिनांक 19 अप्रेल, 1999 से शनिवार दिनांक 24 अप्रेल, 1999 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

(श्री हरिसिंह)

सोमवार, 19 अप्रेल, 1999 (1) आय व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण।

(आय व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को सदन द्वारा पारित की जाएंगी)

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन।

(दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को शून्यकाल नहीं होगा।)

मंगलवार; 20 अप्रेल, 1999 (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की वर्तमान अधिकतम ऋण सीमा बढ़ाने बाबत शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।

(2) राज्य में पेयजल, अकाल व विद्युत की स्थिति पर विचार।

(दिनांक 20 अप्रेल, 1999 को शून्यकाल नहीं होगा)

बुधवार; 21 अप्रेल, 1999)
गुरुवार; 22 अप्रेल, 1999) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1999 पर विचार एवं पारण।

शुक्रवार; 23 अप्रेल, 1999 (1) राजस्थान वित्त विधेयक, 1999,

(2) राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999,

(3) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999,

(4) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 और

(5) राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999

—पर विचार एवं पारण।

शनिवार; 24 अप्रेल, 1999 (1) राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1999

(2) राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999

(श्री हरिसिंह)

(3) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999, एवं

(4) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999

—पर विचार एवं पारण।

(दिनांक 24 अप्रेल, 1999 को प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पारण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना पारण।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैंने प्रस्ताव नहीं किया। मैं फिर कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री जगमाल सिंह जी।

मांग संख्या-8 एवं 22 पर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व की मांग पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। (व्यवधान) आपसे पूछकर ही रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : इनसे भी पूछ लें, सलाह कानून की इनसे भी ले, लें रामस्वरूप जी से।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि पेशे से आप भी वकील हैं और बहुत से वकील साथी यहां हाउस में हैं, मैं मंत्री महोदय का आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्व कोर्टों में जिस तरह से राजस्व के मुकदमे लम्बित पड़े हैं, उनका अम्बार लगता जा रहा है इससे ऐसा लगने लगा है कि कोई भी वकील राजस्व का मुकदमा ले ले और जिताने की गारंटी दे दे कि मैं जिता दूंगा तो मेरी गारंटी है। क्योंकि अपनी जिंदगी में वह आदमी जिसने मुकदमा फाइल किया है, अपना फैसला देख ही नहीं पाएगा और वकील भी अपनी जिंदगी में फैसला नहीं करा पायेगा, इसलिए गारंटी में कोई एतराज भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जन्म है 4 फरवरी,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

1949 का और मैं 1985 में जब वकालत करता था तो 1952 का इंस्टीट्यूट हुआ मुकदमा छोड़कर आया था। उसकी स्थिति यह थी कि उसमें इश्यूज कायम नहीं हुए थे, स्टेटमैंट दर्ज नहीं हुए थे। 212 में दरख्वास्त लगी तो 212 की दरख्वास्त का ही फैसला 10 साल में होता है। इसके बाद राजस्व अपील अधिकारी के यहां गये, फिर रेवेन्यू बोर्ड में चले गये। रेवेन्यू बोर्ड में एक बार कोई दरख्वास्त आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं, मेरे खयाल से 20 साल में फिक्स नहीं होती। मेरी इसमें राय है, मंत्री महोदय, रूल्स और गजट नोटिफिकेशन आपके बहुत निकल गये होंगे लेकिन मुख्यतः राजस्व के जो लिटिगेशंस हैं, लैण्ड के लिटिगेशंस हैं वे मुख्यतः दो एक्ट्स से गवर्न होते हैं-राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टिनेंसी एक्ट। अब मिसाल के तौर पर, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की ओर। उसमें यह प्रोविजन था कि बिस्वेदार की जमीन पर राजस्थान टिनेंसी एक्ट जिस दिन लागू हुआ है, कोई किसान अगर उस दिन रिकार्डेड खातेदार था तो उसको सुओ-मोटो खातेदारी मिल जानी चाहिए। अब अगर कोई संवत् 2013 में जवाब गिरदावरी लेकर आता है, अदालत में आता है और वह कहता है कि साहब, मुझे खातेदार डिक्लेयर करो। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट, उपाध्यक्ष महोदय, संवत् 2019 में आया, जागीरदार की, जमींदार की या राजा-महाराजाओं की जमीन पर अगर किसी का संवत् 2019 में जिस दिन जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट आया है, उस दिन कोई रिकार्ड कब्जे में था तो रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर वह खातेदारी ले सकता है। अगर संवत् 2020 में कोई आता है कि मैं राजा और महाराजाओं की जमीन पर संवत् 2020 में काबिज था, उसके अर्थ क्या निकले ? इसलिए, मंत्री महोदय, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, इस लैण्ड रेवेन्यू कानून में, ऐसा संशोधन करें कि मुकदमे का जिस समय एडमिशन हो उस समय ही एक शर्त लगा दें। आज स्थिति यह बन रही है, मंत्री महोदय, कि मैं अकेला हूं और वादी जो मेरे खिलाफ दावा लाना चाहता है, वे 10 भाई हैं। गांवों की प्रैक्टिकल प्राब्लम है। वह मेरे खिलाफ डिक्लेरेटिव सूट फाइल करता है। रेवेन्यू अदालतों का हाल आपसे कोई छुपा नहीं कि वह एक्स पार्टी में स्टे ले जाए और 10 साल तक एक्स पार्टी स्टे टूटे नहीं क्योंकि मेरे पास मैन पावर नहीं है। अदालत से स्टे का उसको सहारा मिल गया इसलिए 10 साल तक जो मेरे मूल अधिकार थे या मेरी सम्पत्ति थी उस पर से मुझे बेदखल कर रखा है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि रेवेन्यू जो लैण्ड है इसको समरी ट्रायल बनाया जाए। सी.पी.सी. के जितने प्रोविजन हैं उसमें जरूरत कहां है सी.पी.सी. के प्रोविजन की ? मैंने जैसा अभी मिसाल देकर बताया कि या तो राजस्थान टिनेंसी एक्ट जिस समय लागू हुआ, कोई काबिज का है या जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट था, तो वह अदालत से कुछ पाने का अधिकारी हो नहीं तो चाहे सौ साल मुकदमा लड़ ले उसको कुछ नहीं मिलेगा।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

इसलिए मैं पहले तो सलाह आपको यह देता हूं, मंत्री महोदय, कि अब भी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मामले में, लैण्ड रिफार्म्स में कभी आप सरकार की कमेटी बनाएं तो निश्चित तरीके से इसकी समरी ट्रायल बनाएं और यह तय करें कि मुकदमा जो चाहे जो ही फाइल नहीं करें। मुकदमा एडमिट होगा तब होगा, पहले शर्त यह हो कि यह ट्रायल होगी कि नहीं होगी, इसको ग्राह्य भी अदालत करेगी या नहीं करेगी, अदालत एडमिट भी करे या नहीं करे। उसमें आप कानून में संशोधन कर दें। 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट आपने प्रोविजन कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट का मतलब क्या है? हमारे यहां एक कहावत है, मंत्री जी बैठे हैं, वकील हैं, कि अदालत में दे दिया, 212 में पाबंद कर दिया दूसरी पार्टी को। उसको कहा, तेरे 212 में ही तो अदालत ने पाबंद किया है, मेरे लट्ठ में तो पाबंद हुआ नहीं है। वह 212 का अगर वायोलेशन करता है तो कंटैम्प्ट फेस करना पड़ता है हाई कोर्ट में। यह राजस्थान टिनेंसी एक्ट का 212 जो आपने प्रोविजन रखा है, इसको, मंत्री महोदय सख्त बनाएं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेवेन्यू कोर्ट ने अगर किसी पार्टी को बाउण्ड डाउन किया या पाबंद कर दिया तो फिर उसको फालो होना चाहिए। उसको एक पुलिस का भी प्रावधान रखें ताकि कोर्ट की सैंक्टिटी भी बनी रहे। वरना आज हालत यह हो गयी कि 212 में जाओ या कुछ भी आदेश ले जाओ दूसरी पार्टी उस 212 के आदेश को रद्दी कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ समझती ही नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है मंत्री महोदय को कि 212 जो राजस्थान टिनेंसी एक्ट है, अगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड कर देता है तो उसको लागू कराने का काम चाहे पुलिस फोर्स से हो, लेकिन सरकार की ओर कोर्ट की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए कि जो आदेश कोर्ट ने पारित किया उसको फालो किया जाए और वह इम्प्लीमैंट हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा कि इसको समरी कोर्ट होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं खातेदारी रिकार्डेड हूं आज भी, सैटलमैंट के बाद भी और पहले सैटलमैंट हुआ तब भी, तो इस सी.पी.सी. के जो प्रोविजन अपनाये गये, प्रावधान इसमें लागू किये गये कि डिनाइल होगा। मंत्री महोदय, आपने जमाबंदी को सर्टिफाइड कापी पेश की, उस पर डिनाइल कहां से होगा? हर वकील लिख देते हैं डिनाइल, डिनाइल। सरकारी रिकार्ड है, सर्टिफाइड रिकार्ड है, उसको स्वीकार और अस्वीकार करने का प्रोसीजर आपको खतम कर देना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि मैं 50 साल से, मेरी कोई पीढ़ी 50 साल से किसी जमीन पर खातेदारी और बिस्वेदार की हैसियत से दर्ज है और मैं रिकार्डेड खातेदार हूं, गांव का बच्चा-बच्चा अगर मेरे खिलाफ, उपाध्यक्ष महोदय, शहादत दे दे तो भी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टिनेंसी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर सारा रिकार्ड मेरे खिलाफ हो, सारा ओरल एविडेंस मेरे खिलाफ हो और रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी दर्ज हो तो क्या अदालत उस ओरल एविडेंस के हिसाब से मेरे खिलाफ फैसला करने की क्षमता रखती है? जब जानते हैं कि रिकार्ड की स्थिति है तो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ओरल एविडेंस का सिस्टम रेवेन्यू सूट से समाप्त कर देना चाहिए। जिसके पास जो दस्तावेज हों, अदालत कर दे तेरे पास में जो दस्तावेज हैं वह पेश कर दो, और प्रतिवादी को मौका दे दें कि आप दस्तावेज पेश कर दो, गुण–अवगुण के आधार पर जो बहस होगी उसका फैसला कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मंत्री महोदय का, मैंने एक प्रश्न भी आपको पूछा था, आपने स्थगित कर दिया था, आपका जवाब भी आया था, कि अलवर जिले में पिछले 10 साल से किसी किसान को कोई सनद जारी नहीं हुई, किसी को कोई एक बिस्वा जमीन अलाटमैंट नहीं हुआ। मैं अलाटमैंट के बाबत् में आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, मंत्री जी, कि अलवर जिले में पिछले 11 साल से जो छोटे–छोटे किसान हैं जिनको देश की आजादी के बाद किसी को दो बीघा जमीन अलाट हो गयी, किसी को पांच बीघा अलाट हो गयी, कोई कस्टोडियन लैण्ड पड़ी थी हमारे यहां वह हो गयी, या डीपीज एक्ट में किसी को अलाट हो गयी, डिस्प्लेस पर्सन कम्पन्सेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन एक्ट, 1954 जो भारत सरकार का है उसके अधीन अलाट हो गयी उनकी बेचारों की कोई भी गलती नहीं है कि उनको 11 साल से सनद जारी नहीं हुई। किसी की शिकायत कर दी कि तहसीलदार ने फलां मामले में गड़बड़ कर दी तब रेवेन्यू आफिसर ने पूरे अलवर जिले में जिस तहसील की शिकायत आयी, सारे ट्रक भरवा भरवा कर जयपुर मंगवा लिये, अलवर मंगवा लिये। अगर दोषी अधिकारी है, कोई तहसीलदार है, कोई एस. डी. ओ. है तो मैं आपसे मांग करता हूं कि उसको सख्त से सख्त सजा दें लेकिन जिस मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज आपके बैंक के कानून बन गये, जब तक कोई खातेदार नहीं है बैंक में किसी जमीन को प्लैज नहीं कर सकता। आज किसी को अपनी बच्ची का ब्याह करना है, किसी को बेचनी है, किसी को अपना ट्रांसफर करना है तो ये सारे काम रूके हुए हैं। यही नहीं, जो असरदार आदमी होता है उसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, कानून तोड़ दिया जाता है। अभी मेरे तिजारा में कोई पांच सौ बीघा जमीन ली सागर शिक्षा समिति, दिल्ली ने, सारे अलाटमैंट, सारे सनद पट्टों का काम क्या रूका हुआ है। मंत्री महोदय आप नोट कर लें, आदेश जारी किया। चूंकि बड़ा आदमी है, जमीन ले ली थी इसलिए उसके लिए यह जारी कर दिया। चाहे नोट कर लें, क्रमांक पुनर्वास/95/216 दिनांक 27.7.95। तत्कालीन कलक्टर ने जारी किया कि और सबके सनद पट्टे तो रोक दिये जाएं लेकिन ये–ये खसरा नम्बर जो 45 बीघा के लगभग जमीन है, चूंकि यह बड़ा आदमी खरीद रहा है, इसका काम खराब नहीं होना चाहिए। इसलिये जो स्टे किया था, उस पर लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के प्रशासनिक आदेश दिनांक 4–8–90 पर पुनर्विचार कर आंशिक संशोधन करते हुए खसरा नम्बर–124, 125, 1359, 128, 264, 265, 366, बाके ग्राम बाघोर, तहसील तिजारा का स्थगन आदेश, प्रशासनिक तौर पर बेकेट किया जाता है। शेष पर स्थिति

(श्री जगमाल सिंह यादव)

यथावत रहेगी । यानि किसानों के लिये तो यथावत रहेगी और सागर शिक्षा समिति जो दून के लोग और दिल्ली के लोग अपनी संस्थाएं चला रहे हैं 500 बीघा जमीन करके, उनके बीच में खातेदारी की जमीन आ गयी । चूंकि रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी, बयनामा हो नहीं सकता था । इसलिये सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि उनको तो सनद दे दी जाए, बाकी की सनद नहीं दी जाए । जो आपका जवाब आया था, आपने उचित किया, मंत्री महोदय, कि आपने कह दिया कि मैं खुद इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, जवाब गलत है, आपने वापस दे दिया और मेरा प्रश्न स्थगित कराया । मैं आज यह कहता हूं, आये तो, मैंने आपको कोट किया है, आप अपने रेवेन्यू अफसर से पूछना कि किस तरह से ? चूंकि आपको भी उसी तरह समझा होगा, जैसे इनके जमाने में या मेरे जमाने में मैं मंत्री था । चूंकि आपके पास रेवेन्यू पहले भी रहा था, इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों ने कोई गुहार नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हो रहा है । अलवर और भरतपुर में आपने रोक लगाई हुई है कस्टोडियन लैण्ड पर हजारों बीघा, लाखों बीघा जो कस्टोडियन जमीन पड़ी है, 265 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आप दाम लेते थे । मैं मानता हूं कि आज तिजारा में, अलवर में, भरतपुर में, कोटकासिम में, रामगढ़ में सभी जगह जमीन के भाव बेइंतहा बढ़े, तो आप 625 की जगह उठाकर इसको 5 हजार रुपये प्रति बीघा कर दीजिये ना । हालत यह हो रही है कि जो आपकी कास्टोडियन लैण्ड पड़ी है उस पर कब्जे हैं, कोई खाली नहीं पड़ी है । वे उस पर फ्री में काश्त कर रहे हैं, जोत रहे हैं, बो रहे हैं । मैं यही कहता हूं, अगर कोई भी जांच है, उनकी जांच आप शीघ्र करा लें । मेरा आपसे आग्रह है, वे किसान जो छोटे–छोटे बीघा के गैर खातेदार हैं, जिनको सनद नहीं मिली, जो उस जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कहीं बैंक में प्लैज नहीं कर सकता है, कृपया अपने अधिकारियों को आदेश दें । अगर कोई जांच है तो 11 साल से यह जांच कम्प्लीट क्यों नहीं हुई ? 50 साल लगेंगे यह जांच होने में ? 1989 की जांच आज 99 तक, यानि 19 साल हो गये, मंत्री महोदय, जांच नहीं हुई । और यहां कोई कण्ट्रोवर्सी नहीं है । उसको आप आदेश दें दें जिनके मामले में कोई नहीं है ।

मैं आपको एक सलाह और दे दूं, अगर तहसीलदार कहीं बेइमानी करता हैं एक कमेटी बना दी जाए । तहसीलदार होगा, एस.डी.ओ. होगा, एम.एल.ए. को रख दीजिए, प्रधान को रख दीजिए, सरपंच को रख दीजिए । आप अधिकारियों को निर्देश दें दीजिए कि पंचायत हैडक्वार्टर पर आओ या अगर सम्भव हो तो गांव-गांव में जाओ और जिसको सनद जारी करनी है, जिसको खातेदारी देनी है, गांव के बीच पंचायत लगाकर दो । रेवेन्यू के अफसर अगर बेइमानी करेंगे तो जिसका हक मारा जाएगा वह गांव में ही एतराज कर देगा कि यह जमीन इसकी नहीं है जो सनद ले रहा है, यह जमीन मेरी है । अलवर, भरतपुर और गंगानगर, तीनों जिलों इससे विशेष रूप से पीड़ित हैं, मैं मांग करूंगा कि आप इसमें शीघ्र कार्यवाही करें ।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

अन्त में अपनी एक बात कहते हुए समाप्त करूंगा। सरकार रोज कहती है कि खर्चे बहुत बढ़ गये हैं, साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा बी. जे. पी. गवर्नमैंट छोड़ गयी। मैंने उस दिन भी सलाह दी थी, मंत्री महोदय, आज भी सलाह दे रहा हूं। बहुत सालों से यह मामला सरकार के विचाराधीन है। पिछली सरकार के विचाराधीन भी था। आप सैटलमैंट में क्या ले रहे हैं? क्या हो रहा है? यह सैटलमैंट नहीं हो रहा है। अलवर में आप देखें, कहीं भी देखें तो वह डिसैटल्ड हो रहा है। अब जो आपके एक्स-पार्टी तैयार किये हैं, सैटलमैंट ने क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय? पहले मसाबी होती थी, फील्ड बुक के आधार पर मसाबी तैयार की जाती थी। किसी भी खेत की पैमाइश करने जाओ तो किसी भी मुश्किल पाइण्ट को पकड़ो और उसके गठ्ठे के हिसाब से चेन डालते चले जाओ। आजकल सैटलमैंट ने जो नक्शे जारी किये हैं जो पूरे सैटलमैंट करने के बाद किये हैं, किसी पर गठ्ठे नहीं हैं। हालत क्या होती है, उपाध्यक्ष महोदय? अगर माचिस की तिली पर किसी खेत के आकार को रखें, पटवारी अगर किसी का भला करना चाहे तो उस कपड़े को थोड़ा-सा टाइट करके खींच लो तो, मंत्री महोदय, 2 गठ्ठे बढ़ जाएंगे। और अगर किसी का नुकसान करना चाहें ढीला-सा करके कपड़ा किसी मेज पर रख दो, उसके दो गठ्ठे कम हो जाएंगे। यही काम सैटलमैंट का है कि फील्ड बुक बनाओ, फील्ड बुक बनाकर जैसे पहले सैटलमैंट हुए थे, सभी में नक्शे थे। मसाबी अलग से सुरक्षित रखी जाती थी जो कागज पर होती थी। कपड़ें की तरह खींचने से बढ़ती नहीं थी। अगर किसी किसान को ग्रीवेंसेज है तो मसाबी में से गठ्ठा ले आता था। आज हालत यह हो गयी कि इस सैटलमैंट विभाग ने गांव-गांव में लिटिगेशन पैदा कर दिये, झगड़े पैदा कर दिये। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि सैटलमैंट विभाग को तोड़ो और सैटलमैंट विभाग के 1-2 आदमी, चाहे 2 पटवारी हों जो पैमाइश करने का काम करें, चाहे आप एक कानूनगो रख दो, वह तहसील हैडक्वार्टर पर तहसील के रेवेन्यू के स्टाफ के साथ, चाहे सब डिवीजनल लेवल पर रख दो, तो आपका एक बहुत बड़ा खर्च बच जायेगा। ये सफेद हाथी कुछ करते नहीं हैं, फाइलें गायब कराना, मुकदमेबाजी फैलाना, सैटल्ड मामले डिसैटल्ड कराना, यही इनका काम है।

मैंने आपको कुछ सुझाव दिये, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरी बात ठीक लगेगी उन पर आप ग़ौर फरमाएंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनजी मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-22 और 8 पर मैं भू-राजस्व के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस मांग का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि टिनेंसी एक्ट जो बना है, यह बहुत पुराना एक्ट बना है। धारा 91 में इन किसानों को 3-3 माह की सजा देने का प्रावधान है। मैं इस बारे में थोड़ा-सा भू-राजस्व अधिनियम, 56 के कुछ प्रावधानों को समाप्त करने तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये हुए नियमों में संशोधन करने बाबत निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान

(श्री मोहन लाल मोदी)

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधानों को हटाने के बारे में निवेदन है कि राजस्थान कृषि भूमि आवंटन संघ नियमन, नियम 1 घ 17 को प्रभावी बनाने के लिए नियमन कमेटी की तिमाही मीटिंग तहसील मुख्यालय पर रखने हेतु संशोधन किया जाए क्योंकि हर पंचायत पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। कभी एस.डी.ओ. नहीं पहुंचता, कभी कोरम नहीं होता, इस तरह से 8 साल में कभी भी एक नियमन कमेटी मेरे यहां नहीं हुई। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप तहसील हैडक्वार्टर पर कर दें वहां एक तारीख दें तो सारे के सारे मिलें और यह हो जाए।

काश्तकारों के सिवाय चक भूमि पर काफी पुराने मकान बने हुए हैं 20–20 साल से, 30–30 साल से। गोचर भूमि पर भी बना रखे हैं। उनकी रोज तहसीलों में हाजरी होती है, रोजाना नोटिस जाते हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका नियमन किया जाये। मकान बने हुए हैं, उनका कुछ पट्टा दिया जाये, कोई प्राइज फिक्स कर दी जाये। अब 30 साल का मकान बना हुआ, पड़दादा के समय का, उसमें चारागाह दर्ज हो गया। मेरे यहां एक हसामपुर गांव है, पूरा का पूरा चारागाह में दर्ज है। अब उनका क्या हो? चारागाह के लिए तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा टाइम फिक्स कर दें, तारीख दे दें कि उनका नियमन हो जाये, पट्टे मिल जाएं और ये परेशानी से बच जाएं। सरकारी सिवाय चक भूमि में 20–20 साल से लोग काश्त कर रहे हैं। अतिक्रमण है लेकिन एक साल पटवारी उसको काश्त दिखा देता है और उससे पैसे ऊपर ले लेता है तो उनका रैगुलर पजेशन में नहीं आता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 31.12.94 तक के जो कब्जे हैं उनका आप नियमन कर दें। कई-गांवों में चारागाह भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े खेतों के बीच में हैं कोई 2 बिस्वा, कोई 4 बिस्वा, अब न तो वह चारागाह के काम आ सकता है और किसान के भी दिक्कत है। ऐसे टुकड़े, पांच बिस्वा या दस बिस्वा के जहां चारों तरफ खेत हैं और बीच में यह एक चारागाह में दर्ज हो गया, उसको आप रैगुलाइज करके उस काश्तकार को दे दें। गांवों में आबादी भूमि के विस्तार के लिए चारागाह भूमि के आज कलेक्टर को अधिकार हैं, बड़ा टाइम लगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उपखण्ड अधिकारी को ये अधिकार दिये जाएं ताकि जल्दी से जल्दी इनके अलाटमैंट हो जाएं। गांवों में जो पक्के मकान बना रखे हैं सिवाय चक में बना रखे हैं या चारागाह में बना रखे हैं उनके बारे में मेरा निवेदन है कि पांच रुपये गज या दस रुपये गज लेकर उनको पट्टे दे दिये जाएं।

राजस्थान में जागीरदारी प्रथा थी। उस समय के सिंचाई के कुओं के कब्जे के आधार पर वह जमीन का तो अधिकार दे दिया, जमीन तो काश्तकार के नाम हो गई लेकिन जो सिंचाई के कुए हैं वे बहुत सारे रह गये। पहले तो 26 रुपये में पट्टा दिया जाता था लेकिन उसके बाद आपने कोई संशोधन नहीं किया, आगे बढ़ाया नहीं। वह उनको पट्टा नहीं मिलता, बिजली नहीं लगती, उनके बहुत बड़ी परेशानी हो गयी।

(श्री मोहन लाल मोदी)

जो वर्षों से सिंचाई कर रहे हैं, बैलों से करते थे, अब इंजन से करते हैं, अब बारह-बारह साल में तो लोगों का बिजली लगने का नम्बर आता है, अब उनको कहते हैं कि पट्टा लाओ। इसलिए पट्टा जारी करने के निर्देश जारी करें कि 26 रुपये जैसे लेते थे उसी तरीके से उनको पट्टे जारी किये जाएं।

श्रीमती कमला : समाप्त हो गया क्या वह ?

श्री मोहन लाल मोदी : हां, वह पहले था, आगे उसको बढ़ाया नहीं। अब वे उनको पट्टे जारी नहीं करते हैं। भू-राजस्व अधिनियम, 91 की धारा में ये जो काश्त करने वाले हैं उनको तीन-तीन महीने की दीवानी कैद सुनाते हैं। मेरे खयाल से हजारों काश्तकारों को मेरे यहां तीन-तीन महीने की सजा हो गयी। उसके बाद उनको सीकर जाना पड़ता है। यह पिछले उससे हैं, इसको आप हटाइये। इसमें कम से कम आप यह संशोधन करिये कि सजा का प्रावधान पिछले टाइम से, भूतलक्षी प्रभाव से करें। बहुत सारे लोगों के इतने केसेज चल रहे हैं, किसी ने पांच बिस्वा काश्त कर ली तो उनको कोई पैसे दे दिये जब तो चलता रहता और बाकी नहीं।

अब मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं... (व्यवधान) नहीं, मेरी बात तो खैर मानें ही मानें, सारी बात मानने वाली कही हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बी.जे.पी. की सरकार चली गयी और कांग्रेस का राज आ गया। लोगों ने बहुत बड़ी उम्मीद के साथ 153 आदमी जिताकर हमारे भेजे हैं। आज लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है कि कांग्रेस का राज आ गया है। मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाली एक ऊर्जा मंत्रीजी ने किसानों को थोड़ी बिजली में राहत देकर यह महसूस कराया है कि कांग्रेस की सरकार आयी है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह भी कहा है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। आज हम कहां स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं ? अब भी वे ही भ्रष्ट अधिकारी बैठें हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने गतिशील प्रशासन के लिए भी कहा है कि गतिशील प्रशासन देंगे। यह भी कहा है।

श्री मोहन लाल मोदी : वे ही भ्रष्ट अधिकारी बैठें हैं और आज वो के वो हालात हो रहे हैं। बी. जे. पी. के राज से भी हालात खराब हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो जितना ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, वह उतनी ही अच्छी, उच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं एक और आपको हमारे अध्यक्षजी की बात बताता हूं। उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक दिन यह बात कही। यह है वाद-विवाद 18 मार्च का, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं—"कि इससे मेरी तो एक सलाह है कि इस आम चुनाव में", भैरोंसिंह जी से कह रहे हैं, "निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष निकला है कि इस राजस्थान के अन्दर कोई अगर सिंह है तो वह वोटर है इसलिए आपकी जो यह कुछ लोग+++करते हैं, आपका नाम

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन लाल मोदी)

भैरोंसिंह जी है, बहुत सादर और सत्कार के साथ हम सम्बोधित करते हैं, वह नाम रहना चाहिए लेकिन यह जो नारे-नारे लगाते हैं तो बहुत ज्यादा+++लोग हैं। आप इनकी चापलूसी में मत आओ। अपन तो सिंह हैं, उस सिंह पर ध्यान दो।"

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं हमारी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि बी जे.पी. के राज में विधायकों की कदर नहीं हुई है, क्योंकि इनके उधार के लिए हुए मैम्बर थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट। मैं तो कभी बोलता नहीं हूं।

उधार के लिए हुए विधायकों से इन्होंने गवर्नमैंट बना ली और वह गवर्नमैंट अपनी....

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हो। माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हो आप।

श्री मोहन लाल मोदी : इसी में है, साहब, यही तो है। सारा का सारा राजस्व में और...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये निन्दा कर रहे हैं।

"निन्दक नियरे राखिये, आंगण कुटि छवाय।
बिन साबुन पानी बिना,निर्मल भये सुभाय"।

गलतियां ठीक कर रहे हैं। बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो यही चाहते हो।

श्री मोहन लाल मोदी : यानि, इस तरह के लोग आ गये जो मंत्री बन गये और मंत्री बनने के बाद दोनों हाथों से लूट मचाना शुरू हो गया। मैं बी.जे.पी. के राज की बात कह रहा हूं। इसलिये वहां विधायकों की कोई इज्जत नहीं थी और आज हालात ये हैं कि वही तो अधिकारी बैठे हैं, वही स्थिति है। अब आज हम यह समझ रहे हैं कि 153 का हमारा बहुमत है इसलिए आज भी विधायकों की परवाह नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष तौर से आप इस बात पर ध्यान दें और लोगों की जो तकलीफ है, गांवों की जो दिक्कत है उसको सुनें। लोगों को बुलाएं बातचीत करें, आज भी बड़ा असन्तोष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा-सा भी हिचकता नहीं, सही बात कहने पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आज भी बहुत बड़ा असन्तोष है और यह असन्तोष किसी वक्त भी विस्फोटक हो सकता है। यही निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : और आप कह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का निर्माण बीस से अधिक रियासतों के विलय से हुआ था। उस निर्माण के वक्त अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग रेवेन्यू से सम्बन्धित कानून थे। कहीं पर फरमान से राज होता था, कहीं एक्ट बने हुए थे और काश्तकार के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

ऊपर एक संकट रहता था, सुरक्षा उसको नहीं थी जमीन अपनी काश्त करने की। राजस्थान के निर्माण के बाद सबसे पहले 1955 में टिनेंसी एक्ट बना और 1956 में इसका प्रोसीजर एक्ट बना। उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छा कानून बना था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि उस वक्त राजस्व से सम्बन्धित मामले दो ही थे—या तो काश्तकार से लगान वसूली कितनी हो कि जागीरदार मनमानी नहीं कर पाए और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि काश्तकार को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाए। इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह टिनेंसी एक्ट बना था। काम किया उसमें, उसमें धीरे-धीरे सुधार होते गये लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, आज परिस्थितियां बिलकुल बदल चुकी हैं। उस वक्त तो जागीरदार काश्तकार पर अत्याचार किया करते थे और आज वे काश्तकार के बराबर लाइन में आकर खड़े हो गये। वे भी काश्तकारी का हक मांगते हैं। वे जो समस्याएं थी बेदखली की, वे समाप्त हो चुकी हैं। सब जमीन की मालिक सरकार बन चुकी है। आज परिस्थितियां जो बदली है उसमें 1955 और 56 का जो बना हुआ कानून है वह उपयोगी नहीं है। उसके बहुत से प्रोविजन रिडण्डैंट हो गये हैं। इसलिए जैसा पूर्व माननीय सदस्य ने कहा था, आज कानून में संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दोनों ही कानून समाप्त किये जाएं और नए सिरे से टिनेंसी कानून और लैंड रेवेन्यू कानून बनाये जाएं। आज की जो परिस्थितियां है उनका समावेश उनमें किया जा सकता है। पुराने कानून में अमेंडमैंट करने से उन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा इसलिए इस विषय में मैं अधिक नहीं कहकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि कानून बना हुआ है, और सलैक्ट कमेटी ने बहुत मेहनत करके उसमें अपने सुझाव दिये हैं। वह आज इस सरकार पर पाबन्द नहीं है लेकिन उनके दिशा-निर्देश के अनुसार नये सुझाव लगाते हुए भी ये दोनों बिल इस विधान सभा सत्र में हम आशा करते थे कि पेश होंगे। किसी कारण से नहीं हो पाए, लेकिन अगला सत्र जब आए तो इन दोनों कानूनों को संशोधित रूप में, नये रूप में बनाकर पेश किया जाए और पास कराया जाय जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जायेगी।

(18.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत-सी समस्याओं के बारे में आज माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी अपनी बात उसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। अलाटमैंट कमेटियां जो रैगुलर बैठनी चाहिये थीं, नहीं बैठीं। कहीं किसी ने सर्कुलर निकाल दिया या कहीं किसी अधिकारी के मन पसन्द नहीं आया, कोई भी अलाटमैंट कमेटी, रैगुलराइजेशन कमेटी नहीं बैठ रही। कहीं नदियां बहती थीं, कहीं पहाड़ थे, ऐसी जमीन थी जो काश्त के काबिल नहीं थी लेकिन किसानों ने अपनी मेहनत से उन जमीनों को काश्त के काबिल बना लिया। सैटलमैंट बहुत पुराना हुआ था, उसमें वह मकबूजा सरकार गैर-मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन नदी लिखी गयी। लेकिन आज उन नदियों का प्रवाह ही बन्द हो गया और हजारों हजारों एकड़ जमीन काश्त के लिये उपलब्ध है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

उसमें लोग काश्त कर रहे हैं, लेकिन वह गैर कानूनी माना जा रहा है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो जमीन गैर-मुमकिन नदी के नाम से है और जहां नदी बहती नहीं है, उन जमीनों की भी किस्म तबदील करने की कार्यवाही आप करें, चाहे अलाटमैंट कमेटी के सामने दे दें या कलक्टर को कहें। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव के गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, पुराने कानून में एक प्रावधान है, मंदिरों की जमीन उसमें बहुत बड़ी रूकावट है। उपाध्यक्षजी और माननीय सभापति, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज मंदिर के नाम

(18 02 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

से बड़ी लूट हो रही है। दो मंदिर की मूर्ति है वह परपीचुअल माइनर है, लेकिन उस परपीचुअल माइनर को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है और जो पुजारी हैं वे उसका फायदा उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, बहुत-से ऐसे गांव हैं जो माफी मंदिर दर्ज हो गये। उसमें काश्तकार काश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं। वे उसमें इम्प्रूवमैंट नहीं कर सकते जमीन को गिरवी नहीं रख सकते, जमीन में कुआ नहीं खोद सकते लोन नहीं ले सकते और किसी भी दूसरे परपज के लिये वह काश्तकार उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। फिर किस प्रकार की मुमानियत है? यदि मंदिरों के लिये आप सद्भावी हैं तो उस काश्तकार को जो उस पर काबिज है, पीढ़ियों से काबिज है, खातेदारी अधिकार दीजिये। चाहे तो जैसे पहले जागीरदारों को मुआवजा दिया गया था, मंदिर के लिये भी कुछ मुआवजा तय कर सकते हैं आप। लेकिन उनको इस खातेदारी के अधिकार से वंचित रखना आज न्याय संगत नहीं है।

सभापतिजी, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्व अदालतों में मुकदमों का भंडार लगा हुआ है। सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं, लेकिन कारण क्या है? जो भी अधिकारी राजस्व विभाग में लगते हैं, का एस. डी. ओ. हो, ए. सी. हो उनका काम करने में मन लगता ही नहीं है और फिर राज्य सरकार ने उनके ऊपर इस प्रकार की ड्यूटी आयद कर दी है जिससे उनको बहाना मिलता है। वे काम करेंगे राज्य सरकार का। काम तो उनको करने ही पड़ेंगे। मेरा इसमें सुझाव है कि एक केडर बनाया जाय नीचे से जिसमें असिस्टेंट कलक्टर हो जिले में, उसके बाद लोकल लेवल पर हो, जिले में हो और अपील अधिकारी तक का हो। वह एक कैडर ऐसा बने जो सिर्फ राजस्व मामलों का ही निपटारा करे। इमरजेंसी में चुनाव हुआ और कोई बात हुई तो राज्य सरकार उनको दूसरा काम दे सकती हैं, लेकिन रोजाना के जैसे पल्स पोलियो पिलाओ, तुम साक्षरता में भाग लेओ, ये काम उनको नहीं देने चाहिये। उनके सामने एक ही लक्ष्य हो कि अदालतों में जो मुकदमे हैं उनका वे निपटारा करें। तभी, सभापति जी, इन मुकदमों का निपटारा हो सकता

(श्री शिवनाथ सिंह)

है वरना नहीं होगा। रेवेन्यू बोर्ड की देख-रेख में नीचे से ऊपर तक एक अलग कैडर बने ताकि वहां मुकदमों की सुनवाई के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हो।

सभापतिजी, एक व्यवस्था है राजस्व अपील अधिकारी अदालत की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत पीड़ा है। सीकर और झुंझुनूं के लिये एक राजस्व अधिकारी की अदालत कायम कर रखी है, दो जिले हैं उसमें तीसरा सैटलमैंट आफिसर, सीकर है। उसके पास तीन काम हो गये सैटलमैंट आफिसर वही है, सीकर का राजस्व अपील अधिकारी वही है और झुंझुनूं का राजस्व अपील अधिकारी भी वही है। वह आदमी वहां लगाया जाता है जो रिटायरमैंट के नजदीक हो, तो काम करने की उसकी इच्छा नहीं है। कोई किसी प्रकार से उनको राजी कर ले तो किसी प्रकार फैसला कर देते हैं वरना छह-छह और आठ-आठ महीने की तारीखें बदल जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्व मंत्री महोदय से कि एक जिले के लिये एक राजस्व अपील अधिकारी की पोस्ट हो। हमारे यहां आठ-आठ महीने की तारीखें बदली जा रही हैं और दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से मुकदमे पैंडिंग पड़े हुए हैं। इस प्रकार से काश्तकार को अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए इस ओर आप ध्यान दें।

माननीय सभापतिजी, असिस्टैंट कलक्टर की डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पोस्ट होती है, वह जिले का असिस्टेंट कलक्टर होता है। लेकिन माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि इसमें रूकावट कहां है। आपने कलक्टर को पावर्स दे रखे हैं कि असिस्टेंट कलक्टर का जूरिस्डिक्शन सीमित कर दे। उसका जूरिस्डिक्शन पूरे जिले में होना चाहिये। जहां एस.डी.ओ. अदालतें काम नहीं कर पाती हैं उसके पास मुकदमे जा सकते हैं। लेकिन वे एक तहसील तक, दो तहसील तक उनका अधिकार क्षेत्र सीमित कर देते हैं और उससे फिर समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। मैं अपने जिले के लिये कहता हूं, झुंझुनूं के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के असिस्टेंट कलक्टर का जूरिस्डिक्शन पूरे जिले में होना चाहिये। आज जो कलक्टर ने सीमित कर रखा है वह जूरिस्डिक्शन भी सीमित नहीं रहना चाहिये और इस हिसाब से उसको अनुमति दी जानी चाहिये।

माननीय सभापतिजी, रैगुलराइजेशन के बहुत मामले पड़े हुए हैं। बार-बार सर्कुलर्स निकलते हैं, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं होता है। पहले जमीनें थीं पर आवश्यकता नहीं थी लोगों को और आज लोगों ने अपने मकान बना लिये, कहीं किसी ने काश्त करना शुरू कर दिया। इस तरह से एनक्रोचमैंट उनको मानता हूं, लेकिन वह वाजिब एनक्रोचमेंट है, वाजिब कब्जे हैं उनके। जो जमीन काश्त के लिये हो गयी, उसमें सरकार तो खेती करने जाएगी नहीं, इसलिए जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अपने मकान बना लिये हैं, या बनने के लायक उनको किया है, उन लोगों के मकानों को यह धारा 91 की जो तलवार है उससे उनको पीड़ित मत कीजिये और उनको रैगुलाइज कीजिये।

माननीय सभापतिजी, 91 में अमैंडमैंट किया 91 (6)। इतना खतरनाक प्रोविजन

(श्री शिवनाथ सिंह)

है यह कि 91 (6) में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, तीन महीने की सजा है। तीन महीने की सजा नहीं है, तीन महीने की सजा एक प्रोविजन में है और 91 (6) में तो छह महीने की सजा है। पुलिस को केस दिया जाता है, पुलिस इन्वेंस्टीगेशन करती है, पुलिस उसका चालान पेश करती है और छह महीने से कम सजा नहीं हो सकती, यह उसमें प्रावधान हैं। उस कोर्ट को अधिकार नहीं है कि छह महीने से कम सजा कर दे। इस प्रकार का एक प्रावधान है, इसके लिये यहां से चीफ सैक्रेटरी के यहां से सर्कुलर गया कि इसमें बड़े-बड़े शहरों के आस-पास जो जमीनें हैं उनके लिये यह प्रावधान काम में लिया जाए। लेकिन तहसीलदार चाहे जहां इसको लगा सकता है। आज बहुत से किसान इस बात से पीड़ित हैं, इसलिए माननीय राजस्व मंत्रीजी, इस ओर भी आप ध्यान दीजिये। मेरे खयाल से इस प्रोविजन को अमैंड कीजिये। डिलीट कीजिये। जो भी आप चाहें, करें लेकिन इससे किसान बहुत पीड़ित है।

पिछले दिनों कुछ सुधार बंटवारे के बारे में हुआ। यदि एक परिवार के चार भाइयों का नाम है जमीन में, तो उसके बंटवारे के लिये पहले अदालत में जाना पड़ता था। आज अदालत में नहीं जाकर वह आपस में बटवारा कुछ काम देकर कर सकता है। लेकिन, माननीय सभापतिजी, बहुत-सी जगह ऐसी परम्परा है कि पिता के मरने के बाद सबसे बड़ा जो भाई होता है उसके नाम से सैटलमैंट में या जमाबंदी में उसकी एण्ट्री हो जाया करती थी, आज वह नहीं होती है। लेकिन ऐसे बहुत-से मामले हैं जिनमें बड़ा भाई आज कहता है कि मेरे छोटे भाइयों का हिस्सा है, मैं बराबर का हिस्सा उनको देना चाहता हूं। वह नहीं दे सकता। वह कहता है कि रजिस्ट्री कराओ, पहले कोर्ट फीस देओ, रजिस्ट्री की फीस देओ। इसलिए आपने जो बंटवारे में प्रावधान किये है वे ही प्रावधान इसमें भी लागू किये जाएं और परिवार का मुखिया अपने दूसरे भाइयों, भतीजों को जमीन देना चाहे तो वह बंटवारे वाली स्थिति इसमें लायी जाए। यह बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, पटवारियों की बात आयी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटवारी ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी हो। ग्राम पंचायत फैसला कर देती है इंतकाल भरने का पर पटवारी उसको कार्यान्वित नहीं करता है। यदि पटवारी ग्राम पंचायत के अधीन होगा, अधीन नहीं हो तो उसके प्रति उत्तरदायी होगा तो मेरे खयाल से बहुत-से मामले सलट जाएंगे। पिछले दिनों अभियान चले हैं, सभापति महोदय, आपको भी जानकारी है, सबको जानकारी है और उस अभियान में दो काम बहुत जोर-शोर से करवाये गये। एक तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एक इंतकाल के मामले। कलक्टर ने प्रचार किया कि मेरे यहां मैंने पांच हजार इंतकाल करा दिये, मैंने दो हजार बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी करा दिये। सभापति महोदय, जिस भी पटवारी के क्षेत्र में नामांकन के मामले अधिक हुए है उनको कलक्टर ने रिवार्ड दिया है। मैं कहता हूं उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी ड्यूटी थी कि वह समय-समय पर इतकाल भरता लेकिन उसने भरे नहीं अपने स्वार्थ के लिए और

(श्री शिवनाथ सिंह)

फिर कलक्टर साहब उसको रिवार्ड करते हैं। जिस भी पटवारी के यहां इंतकाल के मामले लम्बित रहते हैं वह सजा का भागीदार होना चाहिए, रिवार्ड का भागीदार नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात कहना चाहूंगा।

अभी माननीय मोदीजी कह रहे थे कि 25 रुपये–26 रुपये में पट्टे दिये जाया करते थे। वह बात पुरानी है। सभापति महोदय, जिस वक्त यह कानून लागू हुआ, जिस जमीन में कुआ बना हुआ था, तत्कालीन सरकार ने यह आदेश जारी किया कि जो भी काश्तकार अपने खेत में बने हुए कुए का स्वामित्व लेना चाहता है, वह 26 रुपये तहसील में जमा करा कर पट्टा ले ले। बहुत–से काश्तकारों ने लिये, बहुत–से ने नहीं लिये। आज हो क्या रहा है? आडिट रिपोर्ट बनती है और हजारों रुपये उनके नाम निकाले जा रहे हैं, जो 26 रुपये वाले पट्टे हैं उनके नाम से कि आडिट ने आब्जेक्शन कर दिया। इसलिए तहसीलदार उनको नोटिस दे रहे हैं कुएं की उस नाल की कीमत के आधार पर, और उससे रुपया मांग रहे हैं कि आपने 26 रुपये दिये थे वे कम थे, आप पर चार हजार, पांच हजार रुपये बनते हैं। इसलिए पट्टे जारी करने वाली समस्या नहीं, उससे अधिक यह हो गयी कि जिन्होंने पट्टे ले लिये उनसे आज कई हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। मंत्री महोदय, इसको आप देखिये, जो पुरानी व्यवस्था थी। आज तो मेरे ख्याल से रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, कानून हमारा यह है कि जिसकी जमीन में कुआ है वह उस जमीन का सिंचाई का सोर्स है और जमीन पर काश्तकार का खातेदारी अधिकार है तो उस सोर्स पर भी उसका पूरा अधिकार है इसलिए किस प्रकार के पट्टे के रुपये मांगते हो। जो पट्टे निःशुल्क मिलने चाहिए और जो पुराने पट्टे में आडिट के आधार पर रकम मांगी जा रही है उस प्रावधान को आप देखें, अमैंड करना हो तो कानून अमैंड कीजिये। वैसे आप कर सकते हों तो वैसे करने की चेष्टा कीजिये।

सभापति महोदय, मैं आप से आखरी बार निवेदन करना चाहूंगा। 91 का सैक्शन लैंड रेवेन्यू का बहुत घातक है और तहसीलदार मर्जी आए जो कर देता है। फिर आड़ मिलती है कि उसका अपील का प्रोविजन है। अपील में मामला पैंडिंग है, सब-जुडिस हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक काम होता है तहसीलदार का प्रोविजन के अकोर्डिंगली उसमें उसको छूट है। कानून में उसको अधिकार है, वह फैसला गलत दे या सही दे, वह तो एक दूसरी बात है, वह अपील कोर्ट में हो जाएगी। लेकिन जिस कानून में, जिस बात में उसको अधिकार ही नहीं है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1974 में इंदिराजी के समय में लोगों को आवासीय भू–खण्ड आवंटित करने के लिए एक विशेष अभियान चला था। तहसीलदारों को पंचायत आफिसर के हिसाब से अधिकार दिये गये थे और पंचायत एक्ट के अधीन उन्होंने काम किया, लोगों को पट्टे जारी किये। आज तहसीलदार कहते हैं। 91 में आपको बेदखल करेंगे। उसको यह अधिकार नहीं है कि

(श्री शिवनाथ सिंह)

वह 91 में उसकी कार्यवाही करे क्योंकि पंचायत एक्ट में ही उनको पट्टे दिये गये थे और पंचायत एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही वह उनके पट्टे निरस्त कर सकता है।

मैंने अपना कटमोशन दे दिया है, माननीय राजस्व मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे जिले की मेरी उदयपुरवाटी तहसील के नांगल गांव का किस्सा है। इस आड़ में कि मामला सब-जुडिस है या अपील में है, उस बात को अलग कीजिये आप। यदि उसको कानून में अधिकार था तो कर सकता है लेकिन कानून में उसको अधिकार ही नहीं था, इस प्रकार की कार्यवाही की और आज भी मजे मार रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक मेरे खयाल से इनके जो अधिकारी हैं उनकी उच्छृंखलता पर कोई नियन्त्रण हो नहीं पाएगा।

सभापति महोदय, रेवेन्यू अदालतों के मामले में मैंने एक निवेदन किया, पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू अदालतों का अलग कैडर बना कर इस समस्या का निराकरण किया जाए और ये जो दोनों कानून आपके तैयार पड़े हैं उन दोनों कानूनों को अगले सत्र में पास करवाया जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : भीलवाड़ा जिले से आने वाले माननीय सदस्य। लास्ट।

एक माननीय सदस्य : शाहपुरा से।

श्री सभापति : शाहपुरा से। गांव-गांव की असली बात तो ये ही कहेंगे।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 8 पर चर्चा कर रहा हूं, राजस्व की समस्या पर निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, जिला भीलवाड़ा में शाहपुरा तहसील में मेरा गांव है वहां जनता पार्टी के वक्त में पैमाइश की और उसकी पानड़ियां दी थीं। 27 और 28 इस साल में, गयी दो साल पहले पानड़ियां दी थीं। दो साल पहले पानडियां दीं तो, सभापति महोदय, क्या किया कि किसान की जमीन जो 18-18, 20-20 साल से उनके खाते में थी उनको नाजायज निकाल दी। जो जमीन अलाट की थी और खातेदारी हक लग रहा था, जमाबंदी मे, खाते में और पंचायत के अन्दर उनका खाता खुला था और पटवारी व गिरदावर ने दस्तखत कर रखे थे, उस जमीन को पैमाइश के अन्दर नाजायज निकाल दिया जो जमीन मोल ली थी। नियमानुसार उसकी रजिस्ट्री करवायी और उसका खाता खुला, गिरदावर और पटवारी ने दस्तखत किये, पंचायत में उनका नामांकन खुला और वे जमीनें नाजायज निकाल दीं। सभापति महोदय, यही नहीं और क्या किया? भाई-भाई थे जिनके जमीन बंटवारे की थी, जिनके हदबंदी थी उस हदबंदी को तोड़ कर, उसकी डोल को डाक कर उड़ा दी बता दी, उसकी हद को उठा दी बता दी। भाई-भाई में लड़ाइयां। सभापति महोदय, यही नहीं, खाना भाई की जमीन तो कूड़ें की और माना भाई की जमीन बिना कूड़ें की। खाना भाई को तो दे दी कूड़ें की जमीन, माना भाई की जमीन और माना भाई को दे दी खाना भाई की जमीन, पालड़ी की, खातेदारी हक लगा

(श्री देवीलाल बैरवा)

कर। सभापति महोदय, इस पर केस कितने हुए कि मेरे अंदाजे से 18-20 हजार जनों के केस हैं। जनता पार्टी की सरकार थी, आज के दो साल पहले पानड़ियां दीं और गांव-गांव के किसान इकट्ठे हुए। इनके नेता गये, मेघवालजी साहब भी, येड़ा का येड़ा इकट्ठे होकर जनता पार्टी के और दूसरे किसान गये, पर क्या किया ? हां, हां भर ली कि आपकी दुरुस्त की जाएगी। गांव-गांव से

श्री रामस्वरूप : आपके मंत्री महोदय को हरा कर आये हैं ये, आप बात कर रहे हो।

श्री देवीलाल बैरवा : गांव-गांव में अभियान लगाया, तारीखें दे दीं। लेकिन एस. डी. ओ. साहब गये तो प्रधानजी नहीं गये। प्रधान साहब गये तो बी.डी.ओ.साहब नहीं गये। बी.डी.ओ. साहब गये, सरपंच साहब गये तो कोई काय ही नहीं हुआ। तीन-तीन बार मीटिंगें भी करवा ली थीं, उसका कोई फैसला नहीं हुआ। सभापति महोदय, उन काश्तकारों के साथ-साथ मीटिंग में एक महीने तक मैं भी फिरता रहा। कलक्टर साहब, तहसीलदार साहब और प्रधान साहब किसी ने भी उनका फैसला नहीं किया। सारी जमीन जो 1223 में अलाट हुई और 1223 में ही खाता खुला था, नये सैटलमैंट के अन्दर उसको 1224 में कर दिया नंबर को। जो पहले जमीन अलाट हुई, मोटे-मोटे खाते नम्बर थे और मोटे-मोटे प्लाट थे। 2/2 में 200 बीघा जमीन, 2/1 में 400 बीघा जमीन, 1223 में 500 बीघा जमीन, 1466 में 600 बीघा जमीन ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्लाट थे जिनके अन्दर अलाटमैंट हुए थे और उनके अन्दर खाते खुले हुए थे। पैमाइश वालों ने सारी जमीन उलटा-सीधा करके नाजायज काट दी। उसके बारे में मंत्री महोदय ने भी दी, इन्होंने भी कागज भिजवाया था। आज हमारे कलेक्टर साहब ने भी कागज भेजा है। एस. डी. ओ. साहब उन सारे कागजों की जांच कर रहे हैं। पैमाइश वालों को भी उन्होंने साथ रखा है और कुछ देख रहे हैं। मंत्रीजी, आपकी इतनी कृपा होनी चाहिए, एक बार तो मुझे आशा है कि एक महीने की जो पेशी थी उसी आधार पर समस्या को सुलझाने की कृपा करें और अलाटमैंट की समस्या को खत्म करें।

इसके बाद जिसकी जमीन नाजायज है, कूड़ा के बाद जिन्होंने फार्म भर रखा है जमीन का, कोई बाड़ा की जमीन है वह रहनी चाहिए। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उन काश्तकारों को पांच-सात बिस्वा के नियमानुसार पैसे लेकर बाड़ें की जमीन दिलवाओ। कुओं की जमीन के बारे में बोलने वाले पूर्व के माननीय सदस्य बता रहे थे कि जो उसकी लीज के रुपये दे दिये हैं, 25 रुपया लीज के दे दिये वे तो हर साल के दे दिये। एक साल ही भरा उसके बाद काश्तकारों ने पांच साल तक भरा नहीं। तो कूड़ा की जमीन खेत की, वह कहां कर देते हो ? कूड़ा की जमीन एक-दो बिस्वा और खेत की जमीन एक बीघा। लीज के लिए तो आप उस खेत को ले लेते हो। हमारा निवेदन है कि कूड़ा की जमीन तो दो बीघा। मैं बड़े-बड़े शहरों में आते-जाते देखता हूं कि कहीं दस-दस और कहीं 12-12 बीघा में बाउण्ड्रीज बना रखी है। न उसके अन्दर कोई रूखड़ा है और न उसके अन्दर कोई धान बोता है और न वह कोई

(श्री देवीलाल बैरवा)

काम आती है, वह जमीन है को यों ही बेच देते हैं। मेरा अन्दाजा यह कि कूड़ा की जमीन जो दो बिस्वा उसके 25 रुपये कर दिये, कहते हैं कि नहीं, अब महंगाई हो गयी। तो कहां उस पर पैनल्टी लगाए और उसको लीज पर देवें।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन शहरों में लाखों बीघा जमीन बड़े-बड़े आदमियों के पास है, उन पर पैनल्टी लगाओ, उन पर जुर्माना लगाओ और उनको लीज पर करो। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि शाहपुरा और बिलाड़ा जिलों का रुपया बिलाड़ा के अन्दर बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं, फार्म ले रखे हैं उनमें ही पूरा हो जाता हैं। इस जयपुर के माथे जितना रुपया है, इस जयपुर के लोगों ने बड़े-बड़े बंगले बना रखे हैं, ऐसे कहीं नहीं बना रखे हैं। कोरी बाउण्ड्री कर रखी है, उस जमीन में कुछ भी नहीं बोते हैं। उस जमीन को यों ही रख रखा है उन पर पैनल्टी लगाओ न। छोटे किसानों के ऊपर यह समस्या मत करो। सभापति महोदय, काश्तकार इस जमीन से दुःखी हो जाएगा। पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि तीन महीने की सजा की। खातों की जमीन के ऊपर उनके पास पास-बुक हैं और जो उनके पास पुराने रिकार्ड हैं उनको ले-लेकर फिर रहे हैं। पास बुकों के अन्दर उस जमीन के नम्बर हैं, पुराना खाता के अन्दर हैं। इस सैटलमैंट के अन्दर अदला-बदली कर दी तो गलती तो सैटलमैंट ने की है और फंस गये काश्तकार। बड़े दुःखी हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं तो मंत्री महोदय को यही निवेदन करूं कि काश्तकारों को दुःख मत देओ। बहुत सारे काश्तकार तो इधर-उधर चले गये और शहरों में लग गये। वहां पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो कुछ रहे हैं उनके ऊपर पैनल्टी आप लगा रहे हो। खातेदारी जमीन है उनको जेल हुई। इन्हीं आदमियों की पक्की जमीन थी और पानड़ियां पैमाइश की थी और खातेदारी निकलवाने के लिए लिये-लिये फिरे। उनको तहसीलदार जी ने जेल करी उसके लिए काश्तकार भागे-भागे फिरे। दो-दो हजार रुपये वकीलों को दिया और दो-दो, तीन-तीन दिन तक जेलों में रहे। उन पुराने कागजों को लेकर अजमेर में बसे और बिलाड़ा में बसे। फिर-फिर के चार-चार, पांच-पांच आदमियों की जेल कराई। काश्तकारों की ये स्थिति हुई जमीन के मामले में। तो मेरा यह निवेदन है कि जो भाई बोला वह दूर, रेवेन्यू का काम आप सीधा कराओ। आप आदेश देओ, जमीन का अलाटमैंट करवाओ। भाई-भाई का बंटवारा कराना है तो उनको आदेश देओ कि गांव-गांव में मौके पर जाकर उनके बंटवारे करावें। जिसके बाड़े की जमीन नहीं हो तो नियमानुसार उसका पैसा लेकर बाड़ा की जमीन दिलवाओ। और कुआ की जमीन, आज पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है पर काश्तकारों की तो मंशा है, आज भी बहुत गहरे कुए खोद रहे हैं। पानी काफी नीचा है तो भी खोद रहे हैं। अगर वह कुआ न खोदे तो फसल को कैसे पैदा करेगा? पानी कहां से लाए? काश्तकारों की मंशा, काश्तकारों की नीयत तो खेती करने की है और खेती करना छुड़वा दिया इन पैमाइश करने वालों ने और इन पटवारियों ने। खेती को अगर छोड़ दिया तो पटवारी को क्या है? सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, काश्तकारों

(श्री देवीलाल बैरवा)

की जो समस्या है उनको आप सब जानते हो, उनके दुःख को जानते हो। इनकी जमीन के ऊपर एक बिलाड़ा जिला है। मेरा तो यही कहना है कि पूरे राजस्थान के ऊपर आप हो, इन सारी काश्तकारों की समस्याओं को दूर करो। यह काम करो।

दूसरा निवेदन यह है कि शाहपुरा तहसील में फूल्यांकलां के अन्दर एक उप तहसील है उसको क्रमोन्नत कर तहसील खोल देओ। उस उप तहसील में पचास-साठ गांव के काश्तकार जाते हैं. वे काश्तकार दो-दो, तीन-तीन दिन तक फिरते ही रहते हैं। नायब तहसीलदार कभी तो अपने घर चले जाते हैं और कभी आफिस नहीं आते है। वहां लोग बैठें रहते हैं और बैठ कर वापस आ जाते हैं। अगर वहां तहसील हो जाए तो लोगों की समस्या समाप्त हो जाए।

दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि शाहपुरा के अन्दर एक उप जिलाधीश कार्यालय खोल देओ तो पूरे शाहपुरा में, जहाजपुर बंधेड़ा में और कोटड़ी के जो काम होते हैं, शाहपुरा के अन्दर हमारे काम अच्छे हो जाएंगे और लोगों की समस्या मिट जाएगी।

दूसरा निवेदन है पेटा के अन्दर जमीन। हमारे चार तालाब बड़ें-बड़ें हैं अरुण बांध, नाथ सागर, उम्मेद सागर, झाड़ोल बांध और नन्दराज बांध। इन बांधों के अन्दर और कुछ छोटे तालाबों के अन्दर मेरा अन्दाजा है कि 15-16 हजार बीघा जमीन उनके अन्दर अलाट हो। समापति महोदय, यह पहले एक साल के लिए हो। हर साल फार्म भरने पड़ते हैं। हर साल काश्तकार फार्म भरता है। दो भाई होते तो दो फार्म भर देता या लोग-लुगाई दोनों भर देते। जमीन तो उनको एक ही जने को मिलती। उसके वास्ते हमने भागदौड़ की और 1982-83 में हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया तो तीन साल तो करवा दी। जनता पार्टी के वक्त चार साल हो गया। पर उस जमीन को अलाट नहीं किया, पैनल्टी और लगा दी। वह जमीन उनके बीघा-बीघा आई, किसी को आधा-आधा बीघा पांती आयी। मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय से, पहले तो आप लोगों ने एक साल की जगह तीन साल के वास्ते कर दी। बार-बार वही होवे तो मेरा निवेदन है कि उसको पांच साल की कर दो, बीघा-बीघा हिस्से में आएगा तो पांच साल तक जमीन परमानेंट तो नहीं होगी। रेजा की जमीन है, स्थायी तो आप कहें तो भी मत करना। स्थायी करेंगे तो अन्दर की जमीन वालें उसको फोड़ेंगे और कह देंगे कि मेरी जमीन खाली नहीं हुई। इसको रखो तो टैम्परेरी- अलाटमैंट ही लेकिन आप इसको पांच साल की कर दो तो कुछ समस्या खतम हो जाए।

मैं और ज्यादा क्या निवेदन करूं, बांध तो बता ही दिये, उनकी नहरों के अन्दर बिलायती बबूल उग रहे हैं उन्होंने 9-10 साल तक कुछ काम नहीं करवाये। अगर असत्य बोलूं तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा लो। उसमें बड़े-बड़े बबूल उग रहे हैं। तालाब का पानी छोड़े तो बबूल, कूंचे और घास की वजह से वह पानी जो थोड़ा भी जाए वह इधर-उधर निकल जाता है, पहुंचता नहीं है। अरबड बांध के ऊपर 18 हजार बीघा जमीन

(श्री देवीलाल बैरवा)

सिंचित होती हैं लेकिन उस बांध के ऊपर नहरों की वजह से मेरे अन्दाजे से 12 हजार बीघा जमीन खराब हो गयी है क्योंकि पानी तो नहरों के ऊपर समाता नहीं है। ज्यादा छोड़ दे तो टूट जाए, पानी खराब हो जाये। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इन नहरों को ठीक करवा दो। वह पानी अगर काश्तकारों के खेतों में जाए तो काश्तकारों का भला होगा। काश्तकारों की यह समस्या है पानी के वास्ते। पानी की ही तो सारी माया है, आप सब जानते हो। पानी के लिए तो महापुरुष कह गये हैं :

"पानी मैं सब रंग हुया और
सब रंग पानी माय,
वो ऐसो पानी हुयो तो
वो रंग दरसे नाय।"

सभापति महोदय, 84 जीवों की उत्पत्ति पानी से ही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने जो बातें कही हैं उनको आप ठीक करवा दो, मेरी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय आप पहले आ जाते तो मुझे समय मिल जाता। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं राजस्व की मांग संख्या 8 पर निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग एक्ट बने कई साल हो गये। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक्ट के बनने के बाद जो गैप था उसमें जितनी खुर्द-बुर्द करनी थी वह तो कर दी लेकिन आज भी राजाओं और रानियों के पास राजस्थान में लाखों एकड़ बीघा जमीन है। जिसकी चर्चा कर रहे थे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य, जोधपुर के राजा के नाम आज भी सीलिंग से ज्यादा जमीन है। राजस्थान का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसका 72 हजार बीघा जमीन तक का राजस्व रिकार्ड हो जबकि एक्ट बनने के बाद आज भी सीलिंग से ज्यादा लाखों एकड़ जमीन राजाओं के पास है। वह अगर गरीब किसानों में बांटने का काम सरकार करती है तो गांवों में जो भूमिहीन किसान हैं, गरीब किसान है लघु और सीमांत किसान हैं उनकी निश्चित रूप से आय बढ़ेगी और राजस्थान की समृद्धि में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 के बाद में आज स्थितियां बदल गयी हैं। इस रेवेन्यू एक्ट के आधार पर जो कांग्रेस आज राज कर रही है, इन्होंने नारा दिया था जमीन उसकी जो जोतें। लेकिन गिरदावरी के आधार पर राजस्थान के किसानों को जो खातेदारी हक मिला, आज हमने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह सच्चाई है कि लोगों ने अपने फार्म हाउस पर 8-8 फुट का डंडा कर रखा है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य आज तक खेती पर नहीं गया है। लेकिन खेत पर पसीना बहाने वाले के लिए आपके एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है। नाममात्र का नहीं है। उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। काश्त गिरदावरी का जो हक था उसके आधार पर पूरे राजस्थान में किसान संगठित था, उन्होंने राजाओं के पास जमीन नहीं छोड़ी। सभापति महोदय, लेकिन जहां किसान संगठित नहीं था, उसकी वाइस नहीं थी। निश्चित रूप से राजस्थान का

(श्री अमराराम)

बहुमत किसान या तो भूमिहीन है या लघु या सीमांत काश्तकार है जो आज जमीन पर पसीना बहा रहे हैं विशेष तौर से बटाई के रूप में। आज, सभापति महोदय, कानून में कहीं प्रोविजन नहीं। सिंचित इलाकों में जो बटाईदार है, वह लैण्डलैस लेबर है या छोटी जमीन वाला है। वह बटाई के रूप में जो काम करता है, कानून में कहीं व्यवस्था नहीं होने के कारण उसका शेयर जो तय होता है वह बार्गेनिंग के आधार पर होता है। जो धनी किसान हैं, लैण्डलोर्ड हैं उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है और जो गरीब है, खेतिहर है, बटाई में काम करता है उसकी वाइस नहीं है, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। सभापति महोदय, आज हालत यह हो रही है कि पूरा पसीना वह बहाएगा लेकिन उसके हिस्से में जो फसल होगी वह बहुत कम होगी। राजा और रानियों के राज में, सामंतशाही में तो कम से कम आधा बांटा लिया जाता था, लेकिन आज 50 साल की आजादी के बाद में राजस्थान का जो बहुमत किसान है, जो बटाई पर काम करता है उसको 6 में से 1 हिस्सा मिलता है। राजस्थान की वह गरीब जनता जिसको ऊपर उठाने की बात करते हैं, जिसकी शिक्षा की हम बात करते हैं वह सबसे पीछे है। राजस्थान की 77 प्रतिशत आबादी खेती पर काम करने वालों की है। इस गरीब से गरीब की दशा सुधारने का काम केवल लैण्ड रिफार्म से कर सकते हैं। जो खेती में पसीना बहाता है उसको पूरा हक दिलाने के लिए हम कानूनी रूप से प्रोविजन नहीं करेंगे तो हम कितनी भी रिजर्वेशन की बात कर लें, रिजर्वेशन से फायदा नहीं हो सकता। आज 50 साल की आजादी के बाद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को तो रिजर्वेशन हो गये, उन लोगों को तो नौकरियां मिल गयीं लेकिन राजस्थान का वह 90 प्रतिशत दलित आज भी राजस्थान को छोड़ कर हरियाणा पंजाब और दिल्ली में ईंट भट्टों के अन्दर जिन्दगी बसर करता है। पूरा परिवार ले जाता है क्योंकि यहां हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए निश्चित रूप से मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि अगर हम राजस्थान को शिक्षित बनाना चाहते हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो राजस्थान की 50 प्रतिशत आबादी जो लैण्ड लैस है, जो लघु और सीमांत किसान हैं, जो बड़े लैण्ड लार्ड और धनी किसानों के यहां खेत पर अपना पसीना बहा करके उत्पादन करते हैं उनका न्यायोचित हिस्सा तय करना चाहिए। उनका जो हिस्सा है वह कानून के अनुसार तय किया जाए, उसको हटाया नहीं जाए। अगर यह व्यवस्था लागू करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का कृषि उत्पादन भी बढेगा और उसका भी हिस्सा बढ़ेगा। वह जो सबसे गरीब है, जिसको उठाने की बात हम केवल नारे में करते हैं, अगर एक्चुअल में उसको उठाना चाहते हैं तो उसका हिस्सा कानूनी रूप से तय करना चाहिए उसको बेदखल नहीं किया जाए। हमारा राजस्थान का किसान आजादी से पहले इसी बात से दुःखी था कि उससे आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाए, पर उसका कोई हक नहीं था जब चाहे जागीरदार हटा देता था। आज धनी किसान, वही हालत निश्चित रूप से इनकी करेंगे।

दूसरा जो गुढ़ा से आने वाले माननीय

(श्री अमराराम)

सदस्य ने कहा है मन्दिर माफी की जमीनें रिकार्ड में उनके साथ जो हो रहा है। कोई भी मूर्ति काश्त नहीं करती, काश्तकार काश्त कर रहे हैं लेकिन आज भी उनको डवलप करने के जो अधिकार हैं वे नहीं मिल रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें प्रोविजन करके इसको बदला जाना चाहिए।

एक लास्ट सुझाव मैं देना चाहता हूं। सरकार नारे देती रही, आज उपनिवेशन में राजस्थान के वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल पर 2 हजार करोड़ रुपये लगे हैं। फर्स्ट फेज में पानी जाने के बाद 10 हजार करोड़ का उत्पादन हुआ। पहला हक जमीन पर जो काश्त करने वाले हैं, जमीन का कलेजा चीर करके पैदा करने वाले हैं उनका होना चाहिए। लेकिन अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह विशेष आवंटन का कर दिया, यह सही नहीं है क्योंकि 1969 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भी नीलामी और विशेष अलाटमैंट किया था। गंगानगर के किसान धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने संघर्ष करके पूरे राजस्थान की जेल भर कर राजस्थान की सरकार को झुकाया था। आज अगर इन्होंने कर दिया, गलत है। वे लोग लेंगे। मंत्री महोदय, वे लोग लेंगे। पांच लाख रुपये वही दे सकता है। आज आप अच्छी तरह से मानते हैं कि जो खेत में पसीना बहाने वाला है चाहे वह कहीं का भी हो, वह एक मुश्त दे नहीं सकता। वे लोग देंगे जिन्होंने 50 साल में भ्रष्टाचार में पैसे कमाये हैं। वे इसलिये भी देंगे क्योंकि उनका मकसद खेती करना नहीं है। पांच लाख में आज लेंगे, दस साल बाद 30 लाख में उसी मुरब्बे को बेचने के हिसाब से लेंगे, कोई उत्पादन करने का उनका इरादा नहीं। 50 साल में जो ब्लैक मनी उन्होंने भ्रष्टाचार से कमायी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिये जमीन लेंगे। अगर आप काश्त गिरदावरी करेंगे तो राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन में इन 50 सालों में जो धनाढ्य वर्ग किसानों में पैदा हुआ है वह बेनामी जमीन से है। ये तीन सुझाव हैं। और उपनिवेशन में जो विशेष अलाटमैंट है उसको पूरे को समाप्त करके उन किसानों को जिनको पूरे राजस्थान में आप चयनित परिवार कहते हैं, आस-पास के जिले में लोग चाहे वह चूरू हो, झुंझुनूं हो, सीकर हो, अगर उनको वाकई में आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो क्यों नहीं उन सबको अलाटमैंट कर दें। एक–एक पंचायत में जो भी उनमें लेना चाहते हैं, तमाम को दें। उनको सुविधाएं देंगे तो वे राजस्थान कैनाल के सैकिण्ड फेज को हरा–भरा और उन्नत करने में और राजस्थान को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। वर्ना तो मैं यह समझूंगा कि नारे केवल गरीबों के लिये हैं और पैसा, हलवा बड़े–बड़े लोगों के लिये होंगे। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मांग संख्या–8 पर चर्चा चल रही है (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप ही आपका नम्बर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, 77 फीसदी लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो खेती और भूमि पर निर्भर हैं। 77 फीसदी लोगों में से कोई-सा ऐसा बिरला होगा जिसका वास्ता राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से नहीं पड़ा हो। सभापति महोदय, कानून बने थे राजस्थान के निर्माण के कुछ वर्षों पश्चात्। तब परिस्थितियां अलग थीं, आज वे सारी चीजें गौण हो गयीं। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 में बना था। 11 इसमें विस्तृत अध्याय है, 263 इसमें विस्तुत धाराएं हैं और 61 बार इसमें संशोधन हुआ। इसी तरह राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 में बना। 16 इसमें बड़े–बड़े अध्याय, 207 धाराएं और 50 बार संशोधन हुआ। यानि सभापति महोदय, प्रति वर्ष इन दोनों कानूनों में एक-आधा संशोधन होता चला गया और आज हालत यह बन गयी कि कानून का विशेषज्ञ हो वह भी इन संशोधनों में और इतनी विस्तृत धाराओं में जाकर देखें तो उसको भी मालूम नहीं पड़ता कि कौनसे कानून की कौनसी धारा से कोनसी धारा रिपील होगी। इसलिये पिछली सरकार के समय एक चर्चा चली थी कि इन दोनों कानूनों का सरलीकरण हो। आज हिमाचल की सरकार ने टिनेंसी एक्ट में मात्र 40 धाराएं रखी हैं। एक सलैक्ट कमेटी के अन्दर मामला भी गया। सरकार ने उस समय दवे साहब की सदारत में बने हुए लॉ-कमीशन के सम्मुख भी सारी बातें रखीं। उन्होंने अपने सुझाव भी रखे। इसलिये, माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों कानूनों को रीराइट करने का काम आप कर दें सरल भाषा में, सीधी भाषा में ताकि पढ़ा-लिखा किसान भी समझ जाए कि उसको टिनेंसी एक्ट में कौनसे अधिकार हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में किस तरह सुरक्षित किया गया है उसके हितों को। अगर यह हो जाए तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपके मन के अन्दर किसान बैठा है क्योंकि आप जब इधर बैठती थीं तब किसान की बात बहुत करती थीं। आज किसी भी जिला कलेक्टर के कार्यालय में चले जाएं, तहसीलदार के कार्यालय में चले जाएं, मायूस किसान खड़ा मिलेगा। आप उससे पूछ लें कि आप किस प्रकरण में आये हैं तो उसके पास दो जवाब होंगे, या तो कहेगा कि मैं बंदोबस्त विभाग की मेहरबानी के कारण आया हूं। मेरी जमीन का बंदोबस्त हुआ मेरा रकबा सिवाय चक घोषित कर दिया गया। या मेरी जमीन को दूसरे किसी के नाम चढ़ा दिया गया, या मेरे रकबों को कम कर दिया गया इसलिये मैं आज अदालत में खड़ा हूं। या कहता है कि मेरे खिलाफ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार 91 की कार्यवाही चल रही है, मुझे अतिक्रमी माना है।

सभापति महोदय, आप किसान हैं, आपको मालूम है कि पटवारी साल में दो बार रबी और खरीफ की फसल पर रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब नोटिस जारी कर देते हैं कि लगान का 50 फीसदी अधिक आपसे वसूल किया जाएगा, तीन महीने की कैद की जाएगी और 91 की कार्यवाही चालू हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तरह के मामले मुख्य तौर पर हैं राजस्थान के अन्दर किसान जिन प्रकरणों में उलझा रहता है, एक तो स्ट्रिप आफ लैंड, छोटी जमीन, छोटी जोत। किसान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की दस बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन पास में पड़ी है, उस जमीन को सरकार आवंटित कर नहीं सकती। किसान ने उस पर हल चलाना प्रारम्भ कर दिया, अतिक्रमी हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदया, अगर आप हो सके तो कुछ इस तरह का निश्चय कर लें, 10 साल से, 15 साल से कोई ऐसा वर्ष निश्चित कर लें जहां इतने वर्षों से स्ट्रिप आफ लैंड के अतिक्रमण का मामला चल रहा है। उस जमीन को आप आवंटित तो कर नहीं सकते, वह छोटी जमीन है कौन किसान आएगा? भू-आवंटन अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आप उनके नियमन का कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते आप?

इसी तरह मैं निवेदन करूं कि दूसरा मामला आता है सिवाय चक जमीन का, खाली जमीन पर किसान ने अतिक्रमण कर लिया। बरसों से मामले चल रहे हैं, बरसों-बरसों से पीढ़ियां किसान की लड़ती हुई बीत जाती हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत अगर वह लैंड लैस है, उसी गांव का रहने वाला है तो आप क्यों नहीं उसको आवंटित करते? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे मामलों के अन्दर आपको देखना चाहिये। अभी मुझसे पहले बोलते हुए धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्रीमती कमला : ये सब प्रावधान मौजूद हैं लेकिन 10-10, 11-11, 12-12 बरस से कमेटी की मीटिंग्स नहीं होती इसलिये सब पड़े हुए हैं। प्रावधान मौजूद हैं, स्ट्रिप आफ लैंड को भी नियमित करने का, आवंटन का भी, सब मौजूद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलिये तो अब प्रावधान है, कानून है। मंत्री महोदया, राजस्थान भू-आवंटन अधिनियम, 1970 की धारा 20 के तहत आप कर सकते हैं तो आप करिये ना। आप निर्देश जारी करें। अभियान चले पूरे राजस्थान के अन्दर तो इस तरह के प्रकरणों में हजारों किसान परेशान हैं, परेशानी से बच सकते हैं।

दूसरा अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे बात बिलकुल सटीक और सीधी कह रहे थे। आज जो भी आपके जिला कलक्टर हैं या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास काम कितना है? सारा रेवेन्यू का काम इनके पास। सभापति महोदय, किसान आता है उसको तारीख, फिर किसान आएगा फिर तारीख। पीढ़ियां खप जाती हैं। दो विचार यहां आये हैं। एक विचार यह आया कि ए.डी.एम. स्तर के अधिकारी को सिर्फ लैंड रेवेन्यू से सम्बन्धित मामले की सुनवाई के लिये अधिकृत कर दिया जाए और वह रेवेन्यू बोर्ड का सीधा मातहत हो जाए। यह हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वर्ना, मंत्री महोदया, बीच में हमारे समय में चला था निश्चित डेज तय कर दो, सात दिन के अन्दर सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, कोई तीन बार तो हों, उस दिन चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो उस दिन इजलास लगे। आज इजलास लगती नहीं और इजलास लगे भी कैसे? मैंने हमारे जिले के कलक्टर से पूछा था कि आप इजलास में कम क्यों बिराजते हैं। तो उन्होने कहा सप्ताह में एक दिन तो पानी के लिये पी.एच.ई.डी. की मीटिंग करनी पड़ती है, सारे जिले के लोग आते है। एक दिन बिजली की मीटिंग होती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है । एक दिन मौसमी बीमारियों की मीटिंग हो जाती है....

श्री सभापति : वह तो तीसों दिन होती है । जिला कलक्टर के पास तो तीसों ही दिन मीटिंग रहती है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक दिन जिला परिषद् की कोई बैठक हो जाती है, पंचायत समिति की, डी. आर. डी. ए. की और कोई न कोई मंत्री महोदय का आगमन भी हो जाता है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून है, कानून की पेचीदगियां भी हैं और लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर इतने रास्ते हैं कि इसमें सरमायेदार और होशियार आदमी तो गिरफ्त में आता नहीं परन्तु आम काश्तकार इसकी जकड़ में जरूर आ जाता है और वर्षों तक पिसता रहता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपकी सरकार ने बड़े जोर-शोर से ऐलान किया कि हम 3 लाख 76 हजार बीघा भू-आवंटन करेंगे और अभी घोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे भू-आवंटन होगा क्या । इसके लिये भी पूर्ववर्ती सरकार ने विशेष आवंटन और लैंड लेस व्यक्ति को आवंटन करने का एक अनुपात तय कर दिया था । आपने यहां खड़े होकर कहा था कि धारा 101 के अनुसार उस गरीब का अधिकार पहला है जिसके पास जमीन नहीं है, जो उसी गांव का रहने वाला है तो क्यों नहीं आप हिम्मत करके कहतीं कि भू-राजस्व अधिनियम के तहत जिस व्यक्ति का अधिकार बनता है हम उसको जमीन देने का काम करेंगे ।

दूसरा, सभापति महोदय, सैटलमैंट विभाग के बारे में बड़ी चर्चा चली । लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की आधे से ज्यादा धारा, 142 से लेकर 184, 184, 185 तक भारी पड़ी हैं परन्तु सैटलमैंट के नाम पर होता क्या है ? सैटलमैंट का काम तो किसी वक्त में राज्य सरकार द्वारा जो लगान की दरें तय की जाती थीं उनके अनुसार लगान की दरों को किसान की जोत पर निर्धारित करने का था । परन्तु आज होता क्या है ? सैटलमैंट प्रारम्भ होते ही धारा 186 में सैटलमैंट आफिसर में लैण्ड रिकार्ड आफिसर की पावर आ जाती हैं और सारा रिकार्ड उसके पास आ जाता है । फिर सैटलमैंट के नाम पर खातों में आपस में इन्द्राज गलत होता है और किसान वर्षो तक लड़ता रहता है । हालांकि बीच में एक संशोधन हुआ था सैक्शन 126 में शायद 1992 या 1995 में कि अगर इस तरह का गलत इन्द्राज हो गया तो किसान प्रार्थना-पत्र दें लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को, वह ठीक करेगा या सुओ-मोटो ठीक करेगा । परन्तु यह होता नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस सैटलमैंट विभाग के ऊपर कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं कि सफेद हाथी है, किसान का दुश्मन है, हिम्मत करके आज घोषणा कर दें कि आज की तारीख में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है । इस सैटलमैंट विभाग को आप खत्म करेंगी तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम होगा ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 132 में जमा बन्दी को रिकार्ड ग्रॉफ राइट माना है। पास बुक को भी हमारे समय में हमने कहा था कि रिकार्ड ग्रॉफ राइट है। परन्तु मंत्री महोदय, इसमें दुबारा आप निर्देश जारी करें। ग्राज पास बुक के नाम पर कुछ बैंक तो कर्ज दे देते हैं परन्तु कुछ बैंक यह भी कहते हैं कि वापस जमाबंदी लाग्रो। ग्राज की तारीख में जमाबंदी लाने के लिए किसान को चक्कर लगाने पड़ते हैं। नियमों में प्रावधान है परन्तु इन नियमों में प्रावधान को प्रायोगिक जामा पहनाने की जरूरत है और मैं समझता हूं आप प्रायोगिक जामा पहनाएंगी।

सभापति महोदय, अभी घोद से आने वाले माननीय सदस्य खसरा गिरदावरी की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से पूर्व में जो काश्त करता था उसका नाम गिरदावरी में दर्ज होता था, परन्तु यह 1962 के बाद बन्द हो गया। वह गरीब काश्तकार जो सब टिनेट था, बिस्वेदार था वह किस तरह अपनी उस जमीन पर हक बताएं? उसका नाम गिरदावरी में बन्द हो गया। 1973 में और 1976 में फिर चालू हो गया। इन सबका फर्क क्या पड़ता है कि टिनेंसी एक्ट की धारा 19 के तहत जिन लोगों को खातेदारी मिल सकती थी उन लोगों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा परन्तु एक विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदया, अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीनें आरक्षित रहीं इसलिए राजस्थान टिनेंसी एक्ट में कह दिया कि इनकी जमीन दूसरा कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता, अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति ही खरीदेगा। ग्राज हो क्या रहा है? अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को अगर आवश्यकता पड़ गयी और उसको जमीन बेचनी है तो उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता है। मूल्य मिलेगा भी कैसे? और दूसरे रास्ते से क्या हो रहा है? कम्पनी बनाकर लोग बड़ी संख्या में इन लोगों की जमीनें खरीद रहे हैं। सोसायटी एक्ट के तहत इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। या तो पाबन्दी पूरी माकूल लगाओ वरना आज एक हरिजन जमीन को बेचना चाहे तो उसको उसकी कीमत कम मिले परन्तु दूसरा व्यक्ति बेचना चाहे तो ज्यादा मिले। मैं समझता हूं इसके अन्दर भी आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 48 के तहत सहमति के आधार पर एक्सचेंज ग्रॉफ लैण्ड का प्रोविजन हैं परन्तु इतनी बड़ी सख्या में

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची के आइटम नम्बर-4 आधे घंटे की चर्चा की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8 व 22 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक्सचेंज ऑफ लैण्ड का आपने कानून में प्रावधान तो कर दिया परन्तु उसके साथ यह लगा दिया कि तहसीलदार की कसेंट जरूरी है। भूमि धारक के रूप में वह दर्ज है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसके बारे में आपको सोचना चाहिए क्योंकि तहसीलदार वर्षों तक कसेंट देता नहीं है और किसान मारा-मारा फिरता है।

अभी चर्चा चली तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सम्मिलित खातों के विभाजन की बात की। सभापति महोदय, आप तो खुद ही किसान हैं, आपको मालूम है कि या तो इकरारनामे के आधार पर भूमि धारक के रूप में तहसीलदार की कसेंट मिल जाए तो उनका विभाजन हो जाता है, वरना उसके विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत करे। किसान को जब किसी भी न्यायालय में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना पड़ता है तो वकील उससे कुछ छोड़ता नहीं है, इसलिए इस प्रोविजन में किस तरह सरलता हो, किस तरह किसान को इसका लाभ मिल जाए इसके लिये निश्चित रूप से जरूर कुछ न कुछ आप अपने उत्तर में बताएं।

हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि भूमि पर उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा परन्तु आज इस कानून में निश्चित रूप से खामियां हैं। हमारे समय में निर्देश जारी हुए थे कि स्टाम्प पर कोई लिखकर दे दे कि बेटी अपना हक किस भाई के हक में छोड़ना चाहती है-रिलीज डीड। परन्तु रिलीज डीड का लाभ बहुत कम स्थानों पर मिल रहा है। इस रिलीज डीड के बारे में जो निर्देश जारी किये हैं उन निर्देशों की सख्ती से आप पालना करवाए तो उसका लाभ मिलेगा।

ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहना चाहूंगा कि लैण्ड सीलिंग एक्ट में लैण्ड रिफार्म की बात तो बहुत कही जाती है, चाहे इधर बैठे लोग कहें, चाहे उधर बैठे लोग कहें, परन्तु, मंत्री महोदया, आपको मालुम है कि सीलिंग के नाम पर किसान को लुटा-खसोटा गया है। परन्तु वास्तव में क्या हम गिरफ्त में जिस तरह से प्रोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उन सरमायेदारों को क्या लेना आवश्यक है ? कितने सीलिंग के केस हैं, सीलिंग के केसेज में कितनी भूमि हमने अधिगृहित कर ली, आप अपने उत्तर में यह भी बताए। इस कानून में भी बहुत-सी खामियां हैं इसलिए मंत्री महोदया, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप काश्तकार का भला चाहते हो तो सबसे पहले इन कानूनों को इतना सरल बना दें, इनकी भाषा इतनी सरल बना दें, इनके जितने संशोधन हैं उनको रीराइट करके छोटे-से गुटके के रूप में किसान को दे दें जिससे किसान को मालुम पड़ जाए कि उसके पास कौनसे अधिकार हैं। कौनसे कानून में उसके पास हैं और कौनसे कानून में नहीं हैं। आप जब इधर से बोलती थीं अभी मैं लाइब्रेरी में जाकर आपका भाषण ढूंढ रहा था, जब इधर बैठी हुई बोलती थी तब आपके अन्दर किसान दिखता था, तब आप लैंड रिफार्म की बात बहुत करती थीं। अब आप उधर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिराजी हैं, इस पूरे मामले में आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी मंशा क्या है, वह राजस्थान की जनता के बीच में जाएगी। मैं समझता हूं कि जब आप उत्तर देंगी तो निश्चित रूप से जो इधर खड़े होकर इसी सीट से बोलकर आप कहा करती थीं उन बातों को आप प्रायोगिक रूप से अमली-जामा पहनाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सभापति महोदय, मेरा चौथा नम्बर बोलने का था।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी मीणा। माननीय सदस्य, समय सीमा आपके चीफ व्हिप साहब कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : यह सारी समय सीमा मेरे लिये ही लागू होती है।

श्री सभापति : सबके लिये की है।

श्री रामस्वरूप : आप बिराजे हुए हो, आप तो न्याय करो, आप तो न्यायकारी हो।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की बात आज सदन में हो रही है और मैं भी किसानों से सम्बन्धित मांग संख्या 8 और 22 का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश का किसान देश को अन्न देता है, देश का पेट भरता है। माननीय राजस्व मंत्री महोदया जी आज विराजमान हैं यहां पर किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर संख्या बताती है किसान की कि कितनी चिन्ता लोगों में है। यहां ना पक्ष में बैठने वाले लोग जब जौहरियों की बात आ रही थी इसी सदन के अन्दर, तो पूरे खचाखच भरे थे, और हल्ला भी मचा रहे थे, वाक आउट भी कर रहे थे। दुनिया भर की बात यह बना रहे थे लेकिन आज हमारे किसानों की बात आयी है तो आज इनके दो आदमी बैठें हैं यहां पर। केवल मात्र दो की संख्या रह गयी और किसानों की बात करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात करें।

श्री रामस्वरूप : उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : अपनी बात करें।

श्री हीरासिंह चौहान : इनको कहे बिना चैन नहीं पड़ता, भाषण कैसे करें ?

श्री रामस्वरूप : मैं एक वकील रहा हूं, हिण्डौन के अन्दर वकालात करता था उस समय सबसे ज्यादा केस मेरे पास रेवेन्यू के ही आते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास कितने केस थे इसके बारे में अभी मुझे झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या बता रही थीं। आपके पास तीन वर्षों में तीन केस आये थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंगवाये गये थे, वे आये नहीं थे। परिवार के लोगों को कह कर तीन केस लिये थे, आये नहीं थे।

(19.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरे पास कितने केसेज थे। वास्तव में आप सच कहते हैं क्योंकि मैं जब हिण्डौन अदालत में वकालत करता था, मेरे पास किसान आते थे, मेरी यह हालत थी उस समय कि किसान आते थे, मैं उनमें राजीनामा कराकर मामला निपटा देता था। हालत यह रहती थी कि केस दो-तीन बन कर रह जाते थे। मैं उन वकीलों में से नहीं था जो लोगों को लड़ाते हैं केसों के लिए। जो वकील लोग लड़ाते हैं उनके पास केसों के ढेर लग जाते हैं। मैं राजीनामा कराकर केसों को निपटाता था, आज उसी की देन है कि वहां की जनता ने लगातार तीन बार मुझे जिताया है। अब की बार आपकी भारतीय जनता पार्टी सहित सारी पार्टियों की जमानतें जब्त करवाई हैं वहां की जनता ने। यह उसी की देन है कि मैंने सारे रेवेन्यू के केसेज को निपटाया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो लैण्ड रेवेन्यू और टिनेन्सी एक्ट है–मंत्री महोदया अभी गई हुई हैं, वे बहुत देर से यहां बैठी हुई थीं, वास्तव में इस प्रकार की कमियां हैं हमारे टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जिसके कारण किसानों को पीसा जाता है, किसान दुःखी है। अगर किसान अदालत में न हो तो मैं कहता हूं कि वकील भूखे मर जाएं। वास्तव में सारी अदालतें किसानों से ही चल रही हैं, 90 प्रतिशत केस किसानों के अदालतों में जाते हैं। फौजदारी भी किसान द्वारा ही होती है वहीं जमीन के आधार पर, जमीन की लड़ाई होती है, डोलें की लड़ाई होती है और भाईचारे की जो लड़ाई होती है, बंटवारे की लड़ाई होती है, सिवाय चक के कब्जे की लड़ाई होती है, एक जमीन और उसके ऊपर एक लड़ाई और उस लड़ाई से सारे वकीलों का, सबका भरण-पोषण होता है।

श्री सभापति : आप सुझाव दीजिये सुझाव।

श्री रामस्वरूप : दे रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि कानून बहुत खराब है, किसानों को पीस रहे हैं तो दोनों कानून कांग्रेस ने बनाये थे, एक तो 1955 में बना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट। रामस्वरूप जी, इतना खराब कानून आपकी पार्टी ने बनाया कैसे ?

श्री रामस्वरूप : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई गलती हुई है, चाहे पार्टी आपकी हो चाहे हमारी हो, उसमें सुधार के लिए ही तो आज बहस हो रही है। उस समय के लोगों ने जो एक्ट बनाया था, उस समय एक्ट वास्तव में सही था क्योंकि उन परिस्थितियों के अनुकूल था। उनको यह पता न था। उस समय जमींदार लोग थे, बड़े-बड़े जागीरदार, राजपूत लोग बैठें हुए थे उस समय कब्जा करके जमीनों पर, उसके आधार पर इन्होंने सारे एक्ट बनाये थे। (व्यवधान) ये उनमें से नहीं हैं, भैरोंसिंहजी शेखावत हैं उनमें से, जो आज दिल्ली में बैठे हैं अटलजी को बचाने के लिए। ये तो अपने काश्तकारों के बहुत हितकारी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा एक्ट जिन परिस्थितियों में बना था, आज वे परिस्थितियां बदल चुकी

(श्री रामस्वरूप)

हैं। आज की परिस्थितियों के अनुकुल हमें एक्ट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर इस एक्ट को हमने नहीं बदला तो आज वही हालत हो जायेगी कि आप किसान को कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा सकेंगे। जब गरीबी की रेखा का चयन होता है तो उस समय किसानों का नम्बर क्यों आता है ? किसानों के ज्यादा मुकदमे लग रहे हैं, सैटलमैंट वालों ने सबसे ज्यादा मुकदमे लगाये हैं, वास्तव में यह तीव्र पीड़ा है सदन की। पिछली बार इस सदन में सैटलमैंट के बारे में मैं बोला लेकिन न जाने क्या कारण है कि चाहे इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, इस सैटलमैंट को तो कोई खतम ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये कमाकर देने वाले लोग हैं। ये कमाई देते हैं सैटलमैंट वाले, वास्तव में सच बात है, सब कमाई देते हैं हैं। ये लूटते हैं इतना किसानों को कि राम की जमीन को श्याम के लगा देंगे, श्याम की जमीन को कृष्ण के लगा देंगे। मर्जी आये जिसकी जमीन लगा देते हैं, जो रास्ते हैं उनको बांध देते हैं दूसरे के। ऐसी उठा-पटक के काम इनके होते हैं। मै तो कहता हूं कि इनके बच्चों की हालत आप देखो तो किसी को मिर्गी आएगी, कोई एक्सीडेंट में मरेगा। बहुत दुर्गति होकर सैटलमैंट वाले मरते हैं, आप किसी से पूछ लेना। पागल हो जाएंगे ये सैटलमैंट वाले, इतना बुरा काम ये सैटलमैंट डिपार्टमैंट करता है जो वास्तव में कोई कर नहीं सकता। ये किसानों के हत्यारे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सदस्य, अगर कोई अधिकारी पहले सैटलमैंट में रहा हो, अब दूसरी जगह आ गया हो और ऑफिसर गैलरी में बैठा हो उसके लिए क्या सजा है ?

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, आप काश्तकार हैं, आपके हृदय में भी यही बात है, हम उसको प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में सैटलमैन्ट डिपार्टमैन्ट के कारण सारे झगड़े पैदा हो रहे हैं। इस सैटलमैंट डिपार्टमैंट में आप संशोधन करिये, आज ही घोषणा करिये इस बात की। यह बिलकुल सही बात है क्योंकि कहां तक सहन करेंगे। किसानों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी अगर कोई तलवार है तो वह सैटलमैंट है इसलिए इसको खतम कर दिया जाये। इसके स्थान पर आप कोई दूसरे लगा दें. पटवारी लगा दें, एक-दो ऐसे जो सैटलमैंट के हों और जो वहां की नाप-तोल करते रहें। पहला शोषण अगर कहीं होता है ...

श्री राजेन्द्र पारीक : पटवारी उनके बाप हैं।

श्री रामस्वरूप : वह सैटलमैंट के द्वारा ही होता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि पटवारी भी बाप हैं ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें। माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री रामस्वरूप : इनको चुप करवाइये, साहब। इनको कन्ट्रोल करिये, साहब, आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सैटलमैन्ट को खतम करने के लिए माननीय सदस्य ने कितनी बार धरने लगाये थे, इतनी-सी बात पूछ रहा हूं।

इसालए म आपक माध्यम स निवदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के नियम बना दिए

तार पुकारता रहता हू, वहा भा अफसरा से लगातार कह रहा हूं कि आप जमीन

(श्री रामस्वरूप)

पर कब्जा क्यों करवा रहे है । आप अब तो किसी बस स्टैण्ड के लिए या किसी दफ्तर बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए उस जमीन को ले लो, सार्वजनिक घोषित कर दो । आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसका बेचान कर दो, कम से कम नहीं तो दस–पांच करोड़ रुपये तो वसूल हो जाएंगे । उसको आप खुद बेच दो, क्या नुकसान हो रहा है ?, गवर्नमेंट को पैसा आ जाएगा और जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बन रही है लोगों के अन्दर, वह प्रवृत्ति खतम होगी । मेरा एक सुझाव है कि इस प्रकार का संशोधन कानून में करना चाहिए कि ये जितनी भी सरकारी भूमि है, इनको दे देनी चाहिये । किसी काश्तकार के यहां अगर कोई सरकारी भूमि हैं और वह छोटा सा टुकड़ा है तो आप मेहरबानी करके उसको भी दे दीजिये । 91 में नोटिस देते हो, चरागाह में कब्जा साबित करते हो, इनको उलझा देते हो । फिर वो तारीख पर आते–जाते हैं तब जाकर इनको जमीन का टुकड़ा मिलता है । उसकी बजाय जमीन के टुकड़े के आप कह दो पांच हजार रुपये लगेंगे, ले लो तुम । क्यों नहीं इस तरह का संशोधन कानून के अन्दर कर दिया जाए ? चलाकर चोरी करना सिखाते हो, चलाकर मुकदमेबाजी करवाते हो । मैं एक वकील होने के नाते, एक काश्तकार का बेटा होने के नाते, गांव का सरपंच रहा हूं इसके नाते सारी बातें आपको व्यावहारिक बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है । लेकिन इस कानून को आपको संशोधित जरूर करना पड़ेगा । यह संशोधन आपके पास रखा हुआ भी है, इसको आप कीजिए । आप किसान की बेटी हो, आप हमेशा मंत्री रही हो, हमेशा किसानों के हित की मंत्री रही हो, इस पवित्र सदन में आपका नाम सबसे अच्छों में लिया जाता है, मुझे आपसे आशा है कि आप निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन कराएंगी । हमारे यहां का किसान कहीं से ऋण लेता है या कहीं जमीन बेचता है या और कोई काम करता है तो दुनिया भर के कागज उसमें तैयार करने पड़ते हैं और भ्रष्टाचार में किसान का सारा पैसा जाता है सारे वकील आज निहाल हो रहे हैं तो इन किसानों के द्वारा हो रहे हैं । इसलिए मेहरबानी करके किसानों के इन झंझटों को मिटाने के लिए कानून में संशोधन करें । इसके साथ ही ...

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ ही विराज जाइए ।

श्री रामस्वरूप : मेरा एक सुझाव और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री महोदय, आप केसों के बारे में अभियान चलाते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप इनकी लोक अदालत क्यों नहीं चलाओ ? जब और प्रकार से लोक अदालत चल रही हैं तो इनके केस पैण्डिग पड़े हुए हैं आप मेहरबानी करके इनकी भी लोक अदालत चलावें । उसमें विधायकों को भी आप बुलाएं, क्योंकि गांव से सम्बन्धित मामला है । हम खुद उसमें जाएंगे, राजीनामा कराएंगे और अफसरों को पाबन्द कर दो कि जो अफसर जितने ज्यादा मुकदमे निपटाएगा उस अफसर को उतने दिन वहां रखा जाएगा, वरना उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा । आप अफसरों को सीधा इससे जोड़िये कि किसानों के केसों को जो निपटाएगा, किसानों की समस्या को सबसे

(श्री रामस्वरूप)

ज्यादा सुनेगा, जनता के हित का काम करेगा ऐसे अफसर को फायदा दिया जाएगा और जनता के विरोध में रहेगा, जो लोगों को फालतू परेशान करेगा ऐसे अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर चाहता हो तो।

श्री रामस्वरूप : ऐसे बहुत कम लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : किसानों की यह बहुत बड़ी समस्या जो इन दोनों एक्ट के जरिये बनी हुई है आप उसमें परिवर्तन करेंगी। मैंने पीछे से भी कई बातें आपसे कहीं हैं जो शायद आपने सुनी होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गोवर्धन कल्ला।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी एक और सिंचाई के बारे में मंत्री महोदय से मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मेरा लास्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट हो गया बस।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट केवल। सिंचाई के बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों की सिंचाई....

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई थोड़े ही है, रेवेन्यू की डिमाण्ड है।

श्री रामस्वरूप : मैं निवेदन कर रहा हूं आप सिंचाई मंत्री भी हैं किसानों की सिंचाई दर आपने बढ़ाई है, वास्तव में दर आपको बढ़ानी चाहिए थी....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री रामस्वरूप : लेकिन इतनी दर बढ़ाई है इसमें वास्तव में किसान के साथ अन्याय हुआ है। लोगों में इस बात की चर्चा है, इसलिए मेहरबानी करके कुछ न कुछ फायदा किसानों की इस दर में भी आप करेंगी। इसके साथ ही आपने मुझे जो अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा यह निवेदन है कि हमेशा 7 बजे से सुई पार होती है और मुझे खड़ा किया जाता है बोलने के लिए। आज मुझे कहा था चौथा नम्बर है और अब अन्त में मुझे खड़ा किया है जबकि समय की कमी है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : क्षमा करें, कल मुझे कहा था आपको बोलने का अवसर मिलेगा, मुझें नहीं मिला। मैं जिले का एक मात्र विधायक हूं, सीमान्त क्षेत्र से आया हूं, मुझें मेरी बात कहने का हक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय आज कमाण्ड एरिया डवलपमैंट का मेरा विषय था, मुझें इस पर बोलना था। मान्यवर, मुझें अभी आप कहेंगे दो मिनट में समाप्त करो तो मैं नहीं करूंगा, बोलता रहूंगा। यदि यह ऐसे ही....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो तो सही।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मुझें क्षमा करें, ऐसा नहीं करें।

मैं मांग नम्बर 8 व 22 पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, राजस्थान बना, हम दोहरी गुलामी से निकले। हमारें रियासती राज्य थे और जागीरदारी थी। वह सुनहरा दिन था जब इसी विधान सभा में जागीरदारी उन्मूलन एक्ट पास हुआ। उस समय राजस्थान के किसानों ने सपना लिया था कि जो जोतेगा वह किसान जमीन का मालिक बनेगा, किन्तु आज भी 50 वर्ष बाद हमारे राजस्थान का किसान उस जमीन के लिए तरस रहा है। अभी जैसा मुझे बताया गया। राजस्थान टिनेंसी एक्ट और राजस्थान रेवेन्यू एक्ट में बदलाव के लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि ऐसे लैण्ड रिफार्म्स के बिल लाकर हम उसको क्रियान्वित कराएंगे।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं जैसलमेर से, वहां रियासती समय में कोई सैटलमैंट नहीं था। उस समय जहां भी हम चाहते पांच रुपया हलोटा देकर जमीन काश्त करते थे। सन् 1956-57 में पहली बार हमारा सैटलमैंट हुआ, जबकि अकाल की समस्या थी, लोग घर छोड़कर बाहर गये हुये थे। वह आज भी समस्या है हमारे उपनिवेशन क्षेत्र में। कोलावत से लेकर पूरी जैसलमेर रियासत में सैटलमैंट की भूमि का प्रबन्ध नहीं हुआ। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि जैसलमेर पूर्व रियासत के क्षेत्र में रिसैटलमैंट कराया जाए जिससे किसान अपनी जमीन का मालिक बन सके और काबिज बन सके। इसी कारण से आज हमारे क्षेत्र में 91 के हजारों केस पैण्डिग पड़ें हैं, लोगों को सजाएं हो रही हैं जो पूर्व में कानून बना है उसके आधार पर इसलिये मेरा विशेष निवेदन है मंत्री महोदयसे कि इस ओर ध्यान दें और हमारी जैसलमेर पूर्व रियासत के क्षेत्र में जहां सैटलमैंट नहीं था वहां पुनः सैटलमैंट कराएं।

बारानी भूमि के अलाटमैंट की चर्चा पहले हो चुकी है। मैंने पूर्व में कहा था कि परिस्थिति बदल गई है। 1974 के बाद में, 1976 के बाद में जो डैजर्ट डवलपमैंट के नाम से हमारा बारानी अलाटमैंट बन्द हुआ है, अभी दो-चार बीघा किसान यदि जमीन पास रखता है तो 91 के केसेज बनते हैं। मेरा निवेदन है कि स्माल पेचेज में कम से कम 10 बीघा जमीन तक का सैटलमैंट करके उनको अलाटमैंट किया जाए।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा सैटलमैंट नहीं है तो वहां पर कोई आबादी भूमि में है, कोई गोचर में है। इसी तरह से हमारे कई समस्याएं है। हमारे पूरे के पूरे गांव गोचर में हैं उनके नियमन की कार्यवाही करायी जाए।

मान्यवर, राजस्थान टिनेंसी एक्ट 15 (एएए) जो बना है उसमें 2 (क) में एक प्रोविजन है कि इंदिरा गांधी नहर के

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कमाण्ड एरिया में यदि सीलिंग से नीचे की जमीन है तो स्वतः ही तहसीलदार को अधिकार है कि उसका नियमन करें और खातेदार को खातेदारी राइट दें। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वह सारी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस ओर देखें और सीलिंग से कम जमीन, 25 बीघा से कम जमीन के ऐसे काश्तकार हैं उस एरिया में तो उनका सैटलमैंट किया जाए।

15(एएए) के बारे में चर्चाएं चलीं। भूतपूर्व जागीरदारों और राजघरानों ने उनकी जमीनों के फर्जी पट्टे दे रखे हैं। बेनामी लोग वहां जमीन काबिज करके बैठे हैं, उनकी जांच करवाई जाए। भूतपूर्व राजघराना जो स्टेट ओनर्स एक्ट के अन्तर्गत आता है, उनको खातेदारी हक दिये गये और उन्होंने म्यूटेशन भरकर जमीनें बांटीं, उस ओर भी मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा। मेरे गांव का तालाब खातेदारी राइट्स में भूतपूर्व राजघराने को लिखा गया है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके उदाहरण में दूं तो काफी समय लगेगा।

मान्यवर, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और लैण्ड ओनर्स 15 (एएए), 15 (एएए) (2) आदि जो भी हैं उनकी ओर विशेष ध्यान करें। राजस्व विभाग का इतना ही कहकर मैं कमाण्ड एरिया डवलपमैंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

मान्यवर, 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर भूमि अभी आबंटन के लिए शेष है मेरे इलाके में, जैसलमेर जिले में, जिसकी बहुत चर्चा चली इस सदन के अन्दर। अभी जो नियम बना हुआ है उसमें 50 प्रतिशत जमीन वहां के किसानों को मिलती है। उसमें 30 प्रतिशत जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है और उसी 50 प्रतिशत में से रिजर्व है पोंग डेम के लोगों के लिए, और लोगों के लिए, कई काश्तकारों के लिए, कई कैटेगरीज के किसानों के लिए। जो 50 प्रतिशत जमीन शेष बचती है वह विशेष आबंटन में ली जाती है। विशेषकर सी.ए.डी. के बारे में मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र में नहरें बन गईं, पानी पहुंच गया, माइनर्स बन गईं तो कमाण्ड एरिया डवलपमैंट का काम पिछड़ गया। कमाण्ड एरिया डवलपमैंट का काम है इसकी सारी प्रापर्टी चलाना। आज नये किसान वहां बस रहे हैं। बैरन लैण्ड है वहां पर, वहां कोई गांव नहीं है। हमारे यहां सैकड़ों गांव नये बस सकते हैं। गांव का किसान वहां पहुंच चुका है। वहां की एजुकेशन, वहां की चिकित्सा, वहां के पीने के पानी की सारी व्यवस्था सी. ए डी. नहीं कर पाई। जहां तक आबंटन का प्रश्न है बड़े-बड़े चक हैं। घण्टाली चक जो नार्दर्न सैक्टर में है, 100 चक का हमको सी.ए.डी. को देना है जिसमें 6 हजार किसान बस सकते हैं। चार महीने से मुझे कहा जा रहा है कि अगले महीने में आपको चक रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं सी.ए.डी. क्या कर रही है? सिवाय चक का कोई झगड़ा है इसमें कि हम उसको वन विभाग के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन है कि सी.ए.डी. के काम के करने से विशेष

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आबंटन, सामान्य आबंटन, भूमि आबंटन और उपनिवेशन का पूरा काम रुका पड़ा है। सी.ए डी. को सक्रिय करके जो भी चक हमको मिलने वाले हैं–घण्टाली सिस्टम हो, तनोट सिस्टम हो, आगे हजारों चक आप गडरा रोड तक लेकर लाखों किसानों को बसाने का वहां पर प्रोविजन कर सकते हैं। नहर का काम, कमांड एरिया का काम और उपनिवेशन का काम, ये तीनों ही बराबर चलते रहे तो यह विकास हो सकेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। जिस लक्ष्य के आंकड़े उन्होंने दिए हैं, आप देखना चाहें तो देखें कि किस तरह से किया गया है ! आवासीय भूखंड देने हैं किसानों को, मैंने देखा कि एक हजार का लक्ष्य है और दिए हैं 46। मुझे दुःख होता है कहते हुए कि हजारों किसान वहां बैठे हुए हैं, उनको आवासीय भूखण्ड नहीं मिले। उनको पानी की व्यवस्था नहीं दी, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। तो सी.ए.डी. से मेरी उपेक्षा है कि यह सारा काम वहां करें।

वहां सेम की समस्या आई है, सी.ए.डी. वाले खाले बना रहे हैं, उन्होंने बीच में खाले छोड़ दिये हैं। एक तिहाई खाले बनाते नहीं हैं, यूं ही छोड़ देते हैं तो किसान कैसे खाले बनाएगे ? उसको पानी ले जाना है अपने खेत पर, अपने मुरब्बे पर तो खाले पूरे बनने चाहिए। सेम की समस्या है तभी तो कहते हैं सी.ए.डी. से कि हार्ड पैन है, वहां काश्त नहीं होगी। फिर दूसरी साल कहते हैं कि हार्ड पैन को हटा दिया, इसका आबटन किया जाए। इस तरह की उलझनें पैदा की गई हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि जहां सेम की समस्या आने वाली है, जहां भी हार्ड पैन है, उद्यान के लिए या वानिकी के लिए उसका आबंटन किया जाए। मान्यवर, करीब 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर भूमि में कितने काश्तकार काम कर पाएंगे, इनकी कल्पना आप कीजिए।

क्योंकि आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरा अन्त में निवेदन है कि कमाण्ड एरिया डवलपमैंट, उपनिवेशन, और नहर इन तीनों का को-आर्डिनेशन करें। आपने एक केबिनेट सब कमेटी बनाई है वह इसे रिव्यू करे, कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। तभी हम उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घासीलाल मेघवाल।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूं। इसके बाद में दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, एक मिनट में तो कुछ नहीं होता।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां सदन में चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया का ध्यान हमारे चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा की नहरों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। चम्बल नहर का निर्माण 60 के दशक में हुआ था। तब से आज दिन तक नहरों का जीर्णोद्धार या उनकी मरम्मत का काम नहीं किया गया है। इसी कारण इन नहरों में जंगल उगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री घासीलाल मेघवाल)

नहरों की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि मेरे केशवरायपाटन क्षेत्र में जहां पर 7-8 वर्षों पूर्व काफी मात्रा में गन्ना उत्पादन होता था, वहां पर इस वक्त लगभग 30-40 हजार बीघा भूमि में पानी के अभाव में किसानों के गेहूं की फसल सूख गयी है। मेरा इतना ही निवेदन है कि इन नहरों की दुर्दशा सुधारने के लिए, इन नहरों का आधुनिकीकरण करने के लिए माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध करवाएं जिससे इन नहरों का पानी अन्तिम छोर के किसानों के खेत तक पहुंच सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 7-8 फरवरी को यहां से सी. ए. डी. सैक्रेटरी के नेतृत्व में जो जांच दल गया था, उसने उन नहरों की स्थिति देखी है। उसके बाद में दो अप्रैल को जो हाई पावर कमेटी गई थी उन्होंने भी नहरों की दुर्दशा को देखा। वहां के किसान बरबाद हो रहे हैं, मुझे दुःख हो रहा है। हमारे क्षेत्र की अन्नदात्री चम्बल नहर है, उसमें कभी पानी दौड़ा करता था। केशवरायपाटन शुगर मिल चीनी उत्पादन के क्षेत्र में मशहूर थी। वहां पर आज उचित रख-रखाव के अभाव में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसान बरबाद हो रहे हैं। धन्यवाद, जयहिन्द।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि अलवर, भरतपुर में हजारों किसान ऐसे हैं जिनको या तो कस्टोडियन प्रापर्टी मिली है या वे गैर खातेदार के रूप में जमीन पर काबिज हैं। मालिकाना हक है लेकिन हकदार नहीं हैं। वे जमीन बेचते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है और खातेदारी की बात करते हैं तो कहते हैं आप रजिस्ट्री करा लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज रजिस्ट्री कराएं तो मार्केट वैल्यू से इतना पैसा देना पड़ता है कि काश्तकार नहीं दे पाता है। एक सर्कुलर पहले जारी किया गया था जिला कलेक्टरों के नाम कि बीघा के हिसाब से निनिमम रकम तय करके जो गैर खातेदार के रूप में काबिज हैं, उनको खातेदारी दे दी जाए। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप कोई आवश्यक कदम उठाएं ताकि उन काश्तकारों का भला हो।

दूसरा विशिष्ट योजना संगठन का मेवात विकास बोर्ड का मामला भी है, एक लाइन में निवेदन करना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड का पैसा घटा रहे हैं, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा इम्प्रैशन लोगों पर नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 8 के विषय में अपने विचार रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज की पूरी चर्चा में जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उससे एक बात उभर कर आई है कि राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार के कार्य खूब हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान भूमि सुधार के कार्यक्रम में दूसरे प्रान्तों के बजाय अग्रणी रहा है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 15 के आधार पर लाखों किसानों को एक ही दिन के अन्दर खातेदारी के अधिकार दे दिए गए। राजस्थान के अन्दर राजस्थान टिनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सिविल प्रोसीजर कोर्ट की जटिल प्रक्रिया से निकलने के लिए जितने भी घोषणा के वाद थे, उनका अधिकार राजस्व न्यायालयों को देकर जितने भी राजस्व वाद थे उनको राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्णीत कराने की प्रक्रिया चालू की गई। किन्तु मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि राजस्व न्यायालयों के अन्दर निर्णय का अधिकार देने के बावजूद भी राजस्थान की जनता आशा लगाए हुए है। आज सदस्यों की भावना से लगता है कि वास्तविकता को देखते हुए कार्य नहीं किया गया। आज राजस्थान के अन्दर तीन-पौने तीन लाख राजस्व वाद लम्बित होना बड़ा ही अफसोस का विषय है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अन्दर कोई ज्यादा जटिल मुकदमे हैं। टिनेंसी एक्ट के घोषणा पत्र के वाद हैं। राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्दर इन्टरिम आर्डर्स के प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। जिस प्रकार से राजस्व न्यायालय ने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया है उससे जनता का विश्वास उठ गया है। छोटे-छोटे मुकदमे लम्बित हैं जिनके अन्दर कोई ज्यादा काम करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज्यादा कोई काम भी नहीं है ज्यादा कोई गवाह भी नहीं हैं। और कोई जटिल मुद्दे भी नहीं हैं। उनके अन्दर ही निर्णय करने में वर्षों लग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बीच में एक विचार चला था कि राजस्व न्यायालय ठीक प्रकार से काम करें और राजस्व विवादों का निपटारा हो, इसके लिये राजस्थान टिनेंसी एक्ट में संशोधन करके काश्तकारी सम्बन्धी घोषणा का कार्य सिविल न्यायालय को दे दिया जाए। परन्तु राजस्थान में इस सदन का और काश्तकारों का हमेशा यही विचार रहा है कि दीवानी अदालतों की जटिल प्रक्रिया से दूर रहकर काश्तकारों के जो वाद हैं वे राजस्व न्यायालयों के अन्दर चलते रहने चाहिए और इसी कारण से जब कभी भी यह आवाज उठी कि राजस्व वाद सिविल न्यायालय में ट्रांसफर करने का संशोधन किया जाए तो यह बात तय नहीं की जा सकी। हमें संतोष भी है इस बात का। काश्तकार के अन्दर एक बड़ा भारी भय था कि दीवानी अदालतों के अन्दर अगर हम मुकदमों में फंस गये तो 2-2, 3-3 पीढ़ी तक मुकदमे तय नहीं होंगे। पर आज वही स्थिति राजस्व न्यायालयों की बनी हुई है। मंत्री महोदया, मैं मेरी ओर से यही सुझाव रखूंगा कि आज अगर हम और कोई संशोधन नहीं कर पा सकते हैं तो कम से कम सहायक जिलाधीश के स्तर के अधिकारी का एक अलग कैडर सहायक जिलाधीश न्यायिक के नाम का कर दें। उसका केवल यही काम होना चाहिए कि वह राजस्व वाद के अलावा और कोई कार्य सरकार का नहीं करे। जिले के अंदर एक भी सहायक जिलाधीश न्यायिक कैडर का होगा तो उस जिले के लगभग सारे मुकदमों का निपटारा कर पा सकेगा। उसके रिजल्ट भी ठीक आ सकते हैं। ज्यादा इन्तजार नहीं किया जा सकता तो इसी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

व्यवस्था को हम सुधारने की कोशिश करें। जैसा आप लोगों ने भी कई बार बताया, हमेशा राजस्व मण्डल की तरफ से इस प्रकार के निर्देश और आदेश निकलते रहे हैं, राज्य सरकार भी बराबर चिन्ता व्यक्त करती रही है कि राजस्व वादों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाये और हफ्ते में कम से कम तीन दिन राजस्व अधिकारी वादों के निपटारे का काम करे, दूसरा कार्य नहीं करे। इन सब आदेशों के बावजूद नतीजे उस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। आज भी अगर उसी प्रकार के आदेश और निर्देश जारी करके संतोष कर लेंगे तो स्थिति वह की वह रहेगी। तो इस स्थिति के अन्दर या तो हमको संशोधन करके राजस्व वाद मुन्सिफ न्यायालयों के अन्दर घोषणा के बाद ट्रांसफर कर देने चाहिए ताकि वहां पर अपने हिसाब से काम-काज हो और समयबद्ध निर्णय होते रहें या फिर जुडीशियल सहायक कलक्टर अलग करके मुकदमों का काम उनको दे दिया जाना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। आज लगभग हर तहसील में सहायक जिलाधीश के कार्यालय खुल चुके हैं, हर तहसील के अन्दर मुन्सिफ कोर्ट के न्यायालय स्थापित हो चुके हैं और राज्य सरकार जहां पर भी मांग है और जहां आवश्यकता है वहां पर नये न्यायालय खोले जा रहे हैं। तो इस समय भी अगर हम मुन्सिफ न्यायालयों के अन्दर घोषणा के बाद, राजस्व वाद ट्रांसफर कर दें कानून में संशोधन करके तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज कई जगह मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर भी पूरा काम नहीं है। वहां पर 1000–1200, 1500 केसेज होने चाहिए, जबकि 200–250 मुकदमे बड़ी मुश्किल से हैं और फिर भी जगह-जगह जनता की आवाज भी आ रही है कि हमारे यहां पर मुन्सिफ न्यायालय खोल दिया जाये, हमारे यहां पर असिस्टेंट कलेक्टर का न्यायालय खोल दिया जाये। तो यह स्थिति उससे भी कण्ट्रोल में आ सकती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से जोधपुर में राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच की स्थापना के लिए निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान का एकीकृत हाई कोर्ट जब जोधपुर में था और जनता की मांग पर बैंच जयपुर में स्थापित की गयी तो राज्य सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि राजस्व मण्डल की भी सर्किट बैंचें सम्भागीय स्तर पर लगाने की व्यवस्था की जाये। 1976 में इस प्रकार का एक आदेश भी जारी किया गया कि जोधपुर और उदयपुर में महीने के अंदर कम से कम चार दिन राजस्व मण्डल के सदस्य वहां जाकर उस सम्भाग के वाद सुनें। कभी कुछ राजस्व मण्डल के सदस्य गये पर स्थिति यह हुई कि जयपुर के अन्दर तो राजस्व मण्डल के सदस्यों ने सर्किट बैंच के अन्दर बराबर रहकर काम करना शुरू किया किन्तु जोधपुर, उदयपुर या जहां कहीं के भी ऐसे आदेश दिये गये, राजस्व मण्डल के सदस्यों ने कभी वहां पर जाना उचित नहीं समझा। उसके कई कारण हो सकते हैं। जयपुर में शायद राजस्व मण्डल के सदस्यों को आने में सुविधा है, और भी कई कारण हो सकते हैं पर अब यह समय भी आ चुका है कि राजस्व वादों का निप-

(श्री रामनारायण विश्नोई)

टारा करने के लिए जोधपुर, उदयपुर और जहां भी ये आदेश दिये गये हैं, उन आदेशों की पालना सख्ती से की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आदेश होने के बावजूद भी उन आदेशों की पालना प्रशासनिक अधिकारी जब नहीं करते हैं तो अदालतों में जाना पड़ता है। इसी आदेश के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर कुछ लोगों को जाकर आदेश लेना पड़ा है। अभी 27.11.98 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद भी राजस्व मण्डल के सदस्य जोधपुर में जाकर वादों का निपटारा नहीं कर रहे हैं इसलिए हाई कोर्ट से यह इंटरिम आर्डर लेना पड़ा है कि महीने के अन्दर कम से कम पांच दिन वहां पर राजस्व मण्डल के सदस्य जाकर काम करें। यह प्रवृत्ति प्रशासनिक अधिकारियों में है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने के कारण लोगों को हाई कोर्ट में लाकर उन आदेशों की पालना करवानी पड़ी है। इसके लिए मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के आदेश होने के बावजूद जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी पालना नहीं करते हैं और उसकी वजह से लिटिगेशन के अन्दर छोटी-छोटी बातों के लिए जाना पड़ता है उसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाए।

आज राजस्व मण्डल की क्या हालत है? राजस्व मण्डल के अन्दर करीब 16–17 हजार मुकदमे लम्बित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि आज उच्चतम न्यायालय के अन्दर भी 20–25 हजार मुकदमे पैंडिंग रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान के मुकदमों को भी उच्चतम न्यायालय के जज कोशिश करके रात-दिन 20–20 घण्टे, घर में जाकर भी पढ़ते हैं, 2–2 हजार पेजेज पढ़कर आते हैं और मुकदमों का निपटारा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि राजस्व मण्डल के अधिकारी जब राजस्व मण्डल में उनकी पदस्थापना की जाती है तो पहले 1–2 महीने तो वहां जाना ही पसंद नहीं करते और 2-4 महीने बराबर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि शायद सजा के तौर पर हमारी यहां पर पोस्टिंग की गयी है। वास्तविकता को देखें तो एक अच्छे अधिकारी के लिए यह बहुत अच्छी पोस्टिंग है क्योंकि वहां पर जाकर न्यायिक कार्य करना पड़ता है, वे राजस्थान के काश्तकारों के वादों का निस्तारण न्यायिक तौर पर करते हैं। राजस्थान के राजस्व मामलों के अन्दर यह राजस्थान की हाई कोर्ट है, आखिरी अदालत है। पर उसके अन्दर राजस्व मण्डल के सदस्यों के मन लगाकर काम नहीं करने की वजह से अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मण्डल में जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसमें कम से कम यह बात निश्चित हो जानी चाहिए कि तीन साल के पहले वहां से अधिकारी का बिना किसी कारण के ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। तब जाकर वहां मन लगाकर काम किया जायेगा। आज राजस्व मण्डल की प्रक्रिया जिस प्रकार से देखने में आ रही हैं उसके अनुसार घण्टे, आधा घण्टे, दो घण्टे से ज्यादा वे अदालत में बैठते नहीं हैं। मुकदमों का फैसला टाइम पर होता नहीं है

(श्री रामनारायण विश्नोई)

और लोगों को छोटी छोटी पेशियों के लिए 5–5, 7–7 साल तक राजस्व मण्डल के अन्दर जाना पड़ता है । इसके अन्दर बहुत बड़ सुधार की आवश्यकता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक अधिकारी या पीठासीन अधिकारी राजस्व वादों का निपटारा करने के लिए लगे हुए हैं, वे अगर थोड़ा-सा ही अपने काम में सुधार करने की कोशिश कर लें तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है राजस्थान के अन्दर कि इन लम्बित मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी नहीं किया जा सके । तो मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि खास तौर से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाये जिनकी मुकदमों का निपटारा करने के अन्दर दिलचस्पी हो इनको इस बात के लिए इंटरेस्ट हो कि हमें न्याय करना है, हमें बिना मतलब किसी आदमी को परेशान नहीं करके पेशियों पर नहीं बुलाना है । इसकी व्यवस्था मंत्री महोदय करने की कोशिश करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत-से माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता जाहिर की है कि गोचर, ओरण और सार्वजनिक भूमियों के ऊपर बराबर अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। बहुत-से माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि गोचर भूमि पर जिन लोगों ने कब्जे कर लिये हैं उनका नियमन कर दिया जाए । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जिस प्रकार से ग्रामीण काश्तकारी व्यवस्था बनी हुई है उसमें अगर गोचर, ओरण, पागौर और सार्वजनिक भूमियों का बचाव नहीं किया किया गया और उसके ऊपर सख्त प्रोविजन लाकर अतिक्रमणकारियों को बेदखल नहीं किया गया तो ग्रामीण व्यवस्था बिलकुल चरमरा जाएगी। जो ग्रामीण काश्तकार अपने काश्त के धंधे के साथ पशुपालन का धन्धा किया करते थे, उनके पशुपालन के लिए गांव के अन्दर गोचर की जमीन उपलब्ध नहीं है, गांवों की स्थिति यह हो गयी जो आप और हमसे छिपी हुई नहीं है । गांवों के बाहर खूब खाली जमीन गोचर की, ओरण की हुआ करती थी और लोग बाहर निवृत होने के लिए जाया करते थे । आज वह स्थिति भी नहीं रही है । आज शौचालय की मांग हो रही हैं कि गांवों के अन्दर शौचालय बनाये जाने चाहिए । गांवों के अन्दर बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है । ऐसी स्थिति के अन्दर सार्वजनिक जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का जो कानून 1991 के अन्दर सेक्शन 6 बनाया गया था, उसको और सख्त बनाकर सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमणकारियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं देने की मंत्री महोदया व्यवस्था करें ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कह दिया है फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मंत्री महोदया इस बारे में काफी अरसे से चिंतित हैं कि 20–20, 30–30, 40–40 साल से, सैटलमैंट के टाइम से माफी और ड्योढ़ी की जमीन के ऊपर काश्तकार काश्त करते आ रहे हैं । 3–3, 4-4, 5–5 जगह बिक चुकी हैं, जमीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है । आज उन जमीनों के ऊपर एक प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया कि 20–20 30-30 साल से जिनकी खातेदारी है या जिन्होंने पैसा देकर रजिस्टर्ड डाकूमैंट के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जरिये भी खरीदी है, उनका नाम हटाकर माफी और ड्योढ़ी का नाम कर दिया जाए। कानून की जटिलता है। मंत्री महोदया, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि माफी को आइडोल मानकर परपीचुअल माइनर माना गया है और सेक्शन 15-16 के तहत उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसी कारण राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्दर संशोधन करके हमको एक पर्टिकुलर पीरियड स्थापित कर देना चाहिए कि 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से या 30 साल से जो लोग काश्त कर रहे हैं उनसे बाजार की कीमत लेकर उनको खातेदारी अधिकार दिए जाएं और वह पैसा जमा करके आइडोल की सेवा-पूजा के अन्दर लगाया जा सकता है। तभी जाकर माफी और ड्योढ़ियों की रेट में सुधार किया जा सकता है।

श्री हीरासिंह चौहान : मंदिरों को भोग दिया जाए, मंदिरों के नाम तो जमीन रहनी चाहिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जमाबंदी वगैरह की नकलें देने के लिए काफी दिक्कतें पैदा होती है। उसके लिए तो कृषि जोत पास बुक अधिनियम पास किया जा चुका है और पास बुक जारी करने के बाद, काश्तकार के पास बुक की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि पेश करने के बाद किसी भी कार्य के लिए कोई दूसरे दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आवंटन के लिये जो भी प्रार्थना पत्र लिया जाता है, मंत्री महोदया, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उसके साथ 1971 की निर्वाचन सूची की नकल, 1955 की वोटर लिस्ट की नकल, जमाबंदी की नकलें और 5-5, 7-7 दस्तावेज मांगे जाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि उनकी दरख्वास्त खारिज हो जाती हैं और उनको दस्तावेजों को प्राप्त कर प्रार्थना पत्र देने के लिये दो-तीन हजार रुपये खर्च करने होते हैं। मेरा निवेदन इसमें यह है कि प्रार्थना पत्र देते समय काश्तकार से एक शपथ पत्र ले लिया जाय कि मैं इतने साल का निवासी हूं, फलां-फलां जगह मेरी जमीन है या मैं भूमिहीन काश्तकार हूं। इसके बाद उसका अगर अलाटमैंट आता है तो उससे 25 प्रतिशत का पैसा लिया जाता है उसके साथ में दूसरे दस्तावेज लिये जा सकते हैं। पहले उससे खर्चा नहीं कराया जाए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। पिछले साल के समय के अन्दर काफी मेहनत करने के बाद राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टिनेंसी एक्ट नये बनाये गये थे। प्रवर समिति के द्वारा जांच करने के बाद इसी विधान सभा के अन्दर वे प्रस्तुत भी किये जा चुके थे। मैं मंत्री महोदया को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें और अगर आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता हो तो वे जल्दी किये जाकर नये रूप के अन्दर इस विधान सभा के अन्दर पेश करके पारित करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द जी।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, मैं बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैंने बोलने के लिए कह दिया है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मुद्दों की ओर मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस देश के अन्दर सबसे ईमानदार अगर कोई इंसान है तो वह किसान है। बड़ी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ वह इस देश के लोगों के लिये अन्न पैदा करता है लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां उसी किसान को दरपेश हैं। मैं उन्हीं में से कुछ मुसीबतों का जिक्र करना चाहूंगा और चाहूंगा कि मंत्री महोदया उनका निराकरण करावें।

उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 (ए) के तहत कुछ मामलात के नियमन के लिए यहां से आदेश जारी हुये और गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर काश्तकारों के करीब साढ़े पांच हजार मामलों की सुनवाई कलक्टर साहबान ने की। शास्ति का करोड़ों रुपया खजाना राज में जमा करवा लिया गया और एक निर्णय फरमा दिया गया। लेकिन 10 सालों में आज तक उन साढ़े पांच हजार काश्तकारों को सनदें जारी नहीं की गयीं जिनका नियमन कर दिया गया और जिनसे पैसा लेकर खजाने में जमा करवा लिया गया। यहां लम्बित मामलों की दुहाई दी जाती रही है और प्रक्रिया को दोषी बताया जा रहा है। मैं कहता हूं, प्रक्रिया के दोषी रैगुलर सूट्स में हो सकते हैं और वे ऐसे वादों में हो सकते हैं जो अदालतों में चलते हैं, लेकिन जिनका किसी प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, जिनका निस्तारण कर दिया गया, ऐसे साढ़े पांच हजार मामले अदालतों के अन्दर पड़े रहे। काश्तकार अपने खातेदारी हक से महरूम रहे और कलक्टर साहबान की कोई जिम्मेदारी सरकार आयद नहीं कर सकी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे लोग न तो उस जमीन पर कोई ऋण लेने के पात्र हैं, न अपने ट्रैक्टर के लोन के लिये जाएं तो वह जमीन गिरवी रख सकते हैं। मंत्री महोदया, ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण कलक्टर साहबान ने कर दिया और नियमन की शास्ति खजाने में जमा करवा ली, उनको खातेदारी हक क्यों नहीं दिया गया? उन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करें और जल्दी से जल्दी उन काश्तकारों को खातेदारी हक–हकूक दिलाएं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोलोनाइजेशन आपरेशन गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में खतम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमैंट को सारे कागजात सुपुर्द कर दिये गये। बहुत सारे ऐसे काश्तकार जिनकी आवंटन पत्रावलियां जेरकार थीं, उन काश्तकारों के भाग्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया। उसने नकल ली, अपील में चला गया। उच्च अदालत से स्थगन आदेश लाया उससे पहले ही उसकी भूमि को विशेष आवंटन के लिए नोटिफाई करवा दिया गया। उच्च अदालत ने उस काश्तकार का हक मान लिया और उसके हक में फैसला कर दिया, लेकिन आज स्थिति यह पैदा हो गई कि सामान्य आवंटन नियमों के तहत जो किस्तें जमा करनी चाहिये थीं, वह पैसा नहीं लेकर विशेष

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आवंटन के पौने चार लाख रुपये उस गरीब काश्तकार से मांगे जा रहे हैं। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो बालिग पुत्रों की बात कर रहे थे 13 (5) (बी) की, ऐसे हजारों केसेज हैं, उनकी भी यही स्थिति हैं। सामान्य नियमों में जिन काश्तकारों को आवंटन होना चाहिए था और उनका आपकी अदालतों ने फैसला कर दिया, उन लोगों को आज आडिट के जरिये यह कहलवाया गया कि यह रकबा तो विशेष आबंटन के लिए गजट नोटिफाई हो गया ; उनसे पौने चार लाख रुपये मांगे जा रहे हैं जबकि उन्होंने तमाम इक्तिसाद खजाना राज में जमा करवा दी। दस साल के बाद आडिट आब्जेक्शन आएं और उस काश्तकार को लूटा जाए, मंत्री महोदय, ऐसा अन्याय मेहनतकश और ईमानदार आदमी के साथ होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। उस काश्तकार को बचाया जाए।

जहां तक रेवेन्यू अदालतों का मामला है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदालतें कायम कर दी गई लेकिन उनके पीछे जस्टिफिकेशन हम देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। सूरतगढ़ राजस्व तहसील का क्षेत्र है और वही क्षेत्र सूरतगढ़ एस.डी.एम. का भी है। एक इंच भूमि तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के बाहर सूरतगढ़ उप खण्ड अधिकारी के नहीं हैं और तीसरा अधिकारी ए.डी.एम. और लगा दिया गया, उसका भी वही क्षेत्राधिकार है। 200 किलोमीटर की रेवेन्यू तहसील सूरतगढ़ का जुरिस्डिक्शन जिला कलक्टर तक के कार्यालय का है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकार अपने किसी काम के लिये, गंगानगर ही जायेगा, सूरतगढ़ में ए.डी.एम. के होते हुए उसको कोई रिलीफ नहीं है। ए.डी.एम. सूरतगढ़ का कार्य क्षेत्र केवल रेवेन्यू सूट सुनने तक का है। उसके अन्दर भी एक विभाजन कर दिया गया कि इतने साल के पुराने विवाद उप खण्ड अधिकारी सुनेगा और इससे पहले के जो विवाद हैं वह ए. डी.एम. सुनेगा। अगर उप खण्ड अधिकारी या ए.डी.एम. दोनों की अदालतों का जस्टिफिकेशन करना है तो उनको वे अधिकार दिये जाये जो किसी दूसरे ए.डी.एम. को जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बैठता है, दिये गये हैं। वरना लोगों में शक पैदा होने लग गया और लोग मजाक करते है कि सूरतगढ़ का ए.डी.एम. लाल बत्ती की जिप्सी वाला ए.डी.एम. है, इसके पास कोई काम नहीं है। वही क्षेत्राधिकार सूरतगढ़ तहसीलदार का है, वही एस.डी.एम. का और वही ए. डी.एम. का। किसी अधिकारी को वहां लगाया है तो उसके जस्टिफिकेशन के लिये उसको काम भी दिया जाए।

जो कोर्ट के अन्दर मामलात की पेन्डेंसी का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, काम की अधिकता उन अधिकारियों की हो सकती है, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि कानून को हमने क्लिष्ट बना दिया है। अभी रामस्वरूप जी फरमा रहे थे कि मैंने वकालत की है, बहुत सारे वकील साहबान माननीय सदन के सदस्य हैं और चालीस-पचास का अनुभव हमारे लोगों का भी है कि उन कानूनों को पढ़ने से, उनके प्रावधानों को पढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हो

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

जाती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक सैक्शन क्या कह रहा है, दूसरा सैक्शन क्या कह रहा है और तीसरा सर्कुलर इस सदन द्वारा पारित किये हुए कानून को भी ओवररीड कर देता है। यहां से डाइरेक्शन जाते हैं उनकी पालना होती है लेकिन कानून की पालना नहीं होती है। यह एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति उन अधिकारियों के लिये पैदा हो जाती है। ये भी कारण बनते हैं उस पेन्डेंसी के। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है मंत्री महोदय से कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेंसी एक्ट को इतना सरल बना दिया जाए कि मामलों के निस्तारण में सहयोग मिले।

दूसरी एक पीड़ा की चीज और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान कैनाल 1960 में आई और आज तक उस कैनाल के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा काश्तकारों को नहीं मिला। हम लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन जिस काश्तकार के खेत में से सड़क गई उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। आज शहरों का आदमी चालाक है वह अपने हक हकूकों के प्रति बड़ा जागरूक है लेकिन देहात में ऐसी जागरूकता नहीं है। वह तो कहता है राज वालों ने ले ली, अब मैं क्या करूं। ऐसे मामले जिनके अन्दर जमीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये अवाप्त की गई है, उन काश्तकारों को फौरी तौर पर मुआवजा जो वर्तमान रेट में है उसी रेट में दिलाया जाए। सन् 1960 से लेकर 1999 आ गया है, उपाध्यक्ष महोदय, चालीस साल तक काश्तकार अपने हक से महरूम रह जाए, इससे और पीड़ा की बात क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि ऐसे मामलात को टाप प्रायोरिटी पर निस्तारित करवाया जाए और जो लोग अपने हक-हकूकों से महरूम रहे हैं उनको उनके हक दिलाये जाएं। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जिनको चालीस साल से मुआवजा नहीं मिला है उनको कम्पनसेटरी कोई और असिस्टेंस राज से दिलाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

(20 00 बजे)

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-8 और मांग संख्या-22 पर इस सदन में चर्चा चल रही है। मै मांग संख्या-22 जो कमान क्षेत्र विकास के लिये है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हुआ कुछ सुझाव यहां पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा बैराज बांध बांध कर राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल निकाली गई और इन नहरों के माध्यम से वितरिकाएं निकाली गई। पिछले 8–10 सालों से पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण वे क्षतिग्रस्त हो गई और हालत इतनी दयनीय हो गई कि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता और नहरों और वितरिकाओं के अन्तिम छोर में पानी नहीं पहुचने के कारण फसलें बर्बाद हो गई। इस साल किसान विशेष परेशान हुआ। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। किसान ने खाद और बीज डाल कर जो फसल बोइ थी वह बर्बाद हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री रामगोपाल बैरवा)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो हालात बने हैं आने वाले सालों में उनकी पुनरावृत्ति न हो। इस साल के लिये तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 तारीख को जो अपने प्रश्न का उत्तर दिया उसमें किसानों के लिये राहत देते हुए सुविधाएं दी हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह की समस्याएं किसानों के लिये पैदा नहीं हो, उस बात की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल आर. एम. सी. के लिये 70 लाख रुपये और एल. एम. सी. के लिये 45 लाख रुपये जो का प्रावधान रखा गया है, नहरों के हालात को देखते हुए यह बजट नगण्य है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए नहरों की सफाई के लिये और नहरों की रिमार्डलिंग के लिये और बजट दिया जाए। दूसरा, जो बजट यहां से दिया जाता है एक समयबद्ध कार्यक्रम देकर, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम देकर इस बजट का उपयोग किया जाए। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि जो भी बजट यहां से दिया जाता था, विभाग के द्वारा जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में काम शुरू किया जाता था और वह काम पूरा नहीं होता था। जो बजट दिया जा रहा है उसका समयबद्ध कार्यक्रम देकर समय से उस कार्य को पूरा करवाया जाए। तीसरा, पानी का वहां पर काफी वेस्टेज होता है। जो कैचमैंट का काम हुआ उस काम से नहरों में पानी वेस्टेज जाता है। तो वहां पर बाड़ा बन्दी सिस्टम लागू करें, और नहरों में पानी बढ़वाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से किसानों की इन समस्याओं के लिये माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन करते हुए आशा करता हूं कि वे इस साल और बजट बढ़ाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-8 पर भी अपने विचार रखना चाहता हूं जो राजस्व से सम्बन्धित है। सभी माननीय सदस्यों ने मांग संख्या-8 पर अपनी बात रखी है कि सैटलमैंट में किस तरह से अनियमितताएं हुईं, किस तरह से किसान परेशान है, राजस्व न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस डी.ओ. कोर्ट कोटा में 15–20 सालों से 17–18 सौ प्रकरण आज भी मौजूद हैं। वहां का जो एस.डी.ओ. है उसको साक्षरता के नाम पर या प्रोटोकोल अधिकारी के रूप में दूसरे स्थानों पर लगा दिया जाता है और 100 किलोमीटर की दूरी पार करके जो छात्र-छात्राएं अपना मूल-निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिये आते है वे नहीं बन पाते है, 10–15 सालों से किसानों के राजस्व सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं, उनका समयबद्ध निस्तारण नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.ओ. कोर्ट, कोटा में काफी सालों से जो केस पैंडिंग चल रहे हैं उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 8 सालों से यह सरकार बैठी थी, उन्होंने अलाटमैंट का

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कोई कार्यक्रम रखा नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासन में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग के लिये अलाटमैंट का कार्यक्रम रखा गया। जिन लोगों को अलाटमैंट कर दिया गया, जिन लोगों के रिकार्ड में नाम आ गये, उन लोगों द्वारा पूरी किश्तें जमा कराने के बाद भी प्रभावशाली आदमियों का उस जमीन पर आज कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में नाम अलाटी का चल रहा है, पूरी किश्तें जमा हो रही हैं लेकिन आज भी प्रभावशाली आदमियों के कब्जे चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन अलाटमैंट की गई है उस पर प्रभावशाली आदमियों के कब्जे हटाने का पूरा प्रयास करें।

इसी तरह से जो भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों को आबंटित की गई थी, पूरी राशि जमा कराने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में आज वह गैर खातेदारी चल रही है। जब किसानों के माध्यम से यह बात की जाती है कि गैर खातेदारी से खातेदारी में इसका परिवर्तन किया जाए तो आपका तहसीलदार कार्यालय उसका रिकार्ड बनाकर आगे नहीं भेजता और इसके कारण उनको खातेदारी नहीं मिल पाती। इसके लिये भी व्यापक व्यवस्था की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को कहूंगा। बहुत ही अनुभव वाली राजस्व मंत्री जी हैं। माननीय भाटी साहब, दो मिनट, मैं माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एज ए मैम्बर जितना आप सुनना चाहते हो, मैं भी उनका अटैंशन ले सकता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : लिया है, आपने खूब लिया है You enjoyed very much in the middle of the day.

मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यह जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें ब्यावर से आगे उदयपुर, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा आता है, राजसमन्द का पूरा हिस्सा आता है, पाली जिले का भी कुछ हिस्सा आता है, अरावली क्षेत्र कहिए, वहां पर किसान अपना खून–पसीना एक कर पहाड़ से जमीन खोद–खोद कर निकालता है। वहां पर जमीन है नहीं वास्तव में। किसी के पास एक बिस्वा है, किसी के पास दो बिस्वा है, किसी के पास एक बीघा है, पांच बीघा वाला तो बहुत बड़ा जमींदार है। उन किसानों को सरकार को इनाम देना चाहिये, लेकिन उन किसानों के ऊपर भी 91 के तहत बहुत भारी राशि जुर्माने के रूप में-रेवेन्यू रिकार्ड में चढ़ा रखी है। बीड़े भी हैं। किसान अपने जानवरों के लिये खेत के किनारे–किनारे कुछ बीड़ा लगाता है। उस भूमि को भी उन्होंने रेवेन्यू लैंड मान कर उसी प्रकार जुर्माना करके उस पर राशि चढ़ा रखी है। पूर्व राजस्व मंत्री श्री गंगाराम जी का भी मैंने ध्यान दिलाया था और उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन वे कर नहीं सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्पेशल राहत दिलाने के लिये आप इसका रीसर्वे करवाएं और वापस जांच करवाएं। बहुत गलत ढंग से जुर्माना हो रखा है। वह किसान बहुत गरीब है, अपनी अदायगी नहीं कर सकता। न उन किसानों को यह मालूम है कि ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। इसलिए उस राशि को माफ करने के लिये और उस पहाड़ी क्षेत्र के रैगुलराइजेशन के लिये अलग नियम बनाने के लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

दूसरा, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, कि जो आप कुओं को रैगुलराइज करते हैं उसकी भी कई गुना रेवेन्यू आप लिया करते हैं। उसको कम करने की कोशिश कीजिए।

कहने को तो मामले बहुत बड़े हैं। जिस समय अजमेर स्टेट मर्ज हुई थी उस समय एक समझौता किया गया था। उस एग्रीमैंट के अनुसार रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर को कभी विखण्डित और विभाजित नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आरोप लगाता हूं, अभी–अभी इस अजमेर रेवेन्यू बोर्ड को भंग कर उसकी एक बैंच जोधपुर ले जाई गई है। मेरा निवेदन है कि जो पहले समझौता किया गया था उसके अनुसार राजस्व बोर्ड अजमेर में ही रहना चाहिये।

इसी प्रकार भू-संशोधन अधिनियम, 1972 है। आज दिन तक अजमेर का किसान दुःखी है कि वह खातेदार है कि नहीं है। 1972 का जो सैटलमैंट हुआ उससे हर प्रकार से वहां का किसान खुश है। 1972 के सैटलमैंट के अनुसार कई प्रकार के डैपुटेशन आते हैं, तरह-तरह की बातें लाते हैं। आज किसान परेशान है, दुःखी है। जांच करा लीजिये, उच्च स्तरीय जांच करा लीजिये और जांच कराने के बाद अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो 1972 का जो सैटलमैंट आफ अजमेर है उसको लागू करके किसानों को राहत देने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : एक लास्ट निवेदन और करना है।

आबादी बढ़ गयी है गांवों की रेवेन्यू आफिसर, आपका तहसीलदार, एस.डी.ओ. गांवों की आबादी को बढ़ावा नहीं चाह रहे हैं। छोटी–छोटी ढाणियां थीं, मजरे थे वे बहुत बड़े हो गये हैं और उनका मुख्य गांव या ग्राम पंचायत या राजस्व गांव बहुत दूर पड़ता है। वह रेवेन्यू गांव बनाइये। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व सी.ए.डी. और उपनिवेशन विभाग की मांगों के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत से गम्भीर मुद्दे भी उठाये, बहुत सी आम तौर पर कृषक को दुःखदायी बनाने वाली स्थितियों का भी ब्यौरा दिया और अपने कीमती सुझाव भी दिये। आपने जो कुछ सदन में कहा है या कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन सब की बाबत् विभागों की तरफ से आपको प्रत्युत्तर भी भेजा जाएगा और उसके बाद उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही अपेक्षित होगी वह करने के उपरांत आपको पुनः सूचित भी किया जायेगा।

(श्रीमती कमला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है, यह हरेक राष्ट्र की, राज्य की, गांव की अपनी पहचान है। भूमि सिर्फ किसी तरह की एक जो वस्तु होती है वह नहीं है बल्कि जिसे कहना चाहिए वह दृश्य है जिसमें धरातल पर बहुत लम्बी-चौड़ी पर्वत शृंखलाएं हैं, बहुत घने हरे वनों की शृंखलायें हैं, बहती हुई नदियां इसके आंचल को सरसराती हुई चलती है, आसमान पर सफेद और काले बादल उड़ते हुए इसके जीवन में हवा बिखेरते हैं और इसके साथ ही समुद्र की हिलोरें इसके उठते हुए, बनते हुए, विकसित होते हुए जीवन को संजोती हैं। इस सब के बीच इंसान को आनन्द, उल्लास और जीवन का सर्वस्व देती हैं। इसीलिए हर राष्ट्र, हर सरकार और हर व्यक्ति उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसलिए भूमि को किस तरह सजोना है, किस तरह उसका विकास करना है ताकि उसके साथ रहने वाला व्यक्ति उस भूमि से जीवन पा सके, विकास पा सके, इस सब का प्रयत्न हरेक सरकार और हरेक समाज की सोच पर निर्भर करता है। राजस्थान की 3 करोड़ 42 लाख 63 हजार 978 हैक्टेयर भूमि वही है जो आजादी से पहले थी। इस भूमि में कितनी सुगंध, कितना जीवन, कितनी उमंग और कितनी विकास की तरंगे पहले थीं और कितनी आज हैं, यह हरेक समय के राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं, उनकी सोच, उनके कार्यक्रम और उनके उद्देश्यों पर निर्भर है। राजस्थान के इस भू-भाग में 2 करोड़ 74 लाख 14 हजार 574 हैक्टेयर ऐसी जमीन है जो काश्त काबिल है और इस काश्त काबिल भूमि के साथ में जुड़ा हुआ है भू-राजस्व विभाग। पहले जो देशी रियासतें थीं, जागीरें थीं या जो भी शासन पद्धति थी उनमें विभिन्न प्रकार के भू-प्रबंध के तरीके थे। उन्होंने इस भूमि को विकसित करने के लिए, भूमि के सीने को चीर कर अन्न उत्पादन देकर देश को चलाने के लिए काम करने वाले लोगों की तरक्की के लिए क्या काम किये, वह भी हमें मालूम है। उसके बाद जो कानून आये उन कानूनों के माध्यम से इस भू-प्रबन्ध को कृषि करने वाले के हित में, राज्य के हित में, आम राष्ट्र के विकास में किस तरह से खड़ा किया जाए, यह सारी संरचना आजादी के बाद में तैयार हुई। सबसे पहले इस प्रदेश में जो काम किया गया वह यह था कि जो दोहरे, तिहरे तरह की व्यवस्थायें थीं, आम आदमी से जिस व्यवस्था का लगाव नहीं था जिसमें आम आदमी के साथ इस भू-भाग का विकास करने का कोई दृष्टिकोण नहीं था उस व्यवस्था को खत्म किया गया। 1954 के अन्दर राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पास करके सबसे पहले जागीरों को पुनर्ग्रहित किया गया। जो 2 लाख 98 हजार 896 जागीरें थीं इन जागीरों को समाप्त करने के पहले 1949 में 30 मार्च को राजस्थान बना 21-22 रजवाड़ों से इकट्ठा होकर। इसकी जो क्षमताएं थीं, इसके जो अनुभव थे, इसका जो इतिहास था उस सब को एक साथ जोड़कर इस महान राजस्थान के निर्माण में हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में सबसे पहला कदम यही था कि जमीन को जो जोतता है उसकी खातेदारी होनी चाहिए। उसका मन होना चाहिए कि मेरी भूमि है, मैं इसको खूब मन लगाकर विकसित करूं, इसमें खूब पैदा करूं

(श्रीमती कमला)

और इसमें इतना धन-धान्य पैदा हो, यह ऐसी शस्य-श्यामला बने कि मैं भी खुशहाल होऊं और मेरा राज्य भी खुशहाल हो। वह स्थिति इस राज्य के अन्दर हम लाये। उन तमाम जागीरों के पुनर्ग्रहण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिये जा चुके हैं और लगभग 20 लाख रुपये अभी और दिये जाने बाकी है। कुछ और सामान्य प्रक्रियाएं भी बाकी हैं लेकिन यह पुराना जो तंत्र था, व्यवस्था थी वह आज हमारी प्रक्रिया से लगभग बाहर हो चुकी है। इसके बाद में राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के कानून बने–राजस्व के बने, भू-प्रबन्ध के बने, भू-दान के बने, जागीर पुनर्ग्रहण के बने, कृषि जोत पर अधिकतम सीमा के बने, भूमि-अवाप्ति के बने, लैण्ड ओनर्स एस्टेट के बने, बहुत सारे ऐसे कानून बने, नियम बने जिनके माध्यम से हम आगे से आगे बढ़ने की चेष्टा में सफल हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी व्यवस्था का एक केन्द्र बिन्दु जो रहा काफी वर्षों तक वह भू-प्रबन्ध विभाग था। काश्तकार की जोत को नियमित, सही, आदिनांक (अपडेटेड) रिकार्ड रखने का काम और रैंट रेटिंग का काम और सर्वेक्षण, पुनर्सर्वेक्षण, नक्शे बनाने का काम यह सारा इस भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से शुरू किया गया। बहुत बड़ा काम था, जिसको सम्पादित करने में इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन पिछले वर्षों में पूर्व में जब मैं राजस्व मंत्री थी तब भी यह बात चली थी और बहुत लोग इस बात से दुःखी थे कि इस विभाग को अब बन्द करना चाहिए, क्योंकि प्रति 20 वर्ष के बाद में या 15 वर्ष के बाद में जब भी भू-प्रबन्ध किया जाता था तो न वह भू-प्रबन्ध होता था, न वह सैटल होता था और न सैटल होने की कोई आशा दिखाने वाला होता था। बल्कि, जैसा बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा, वह डिसैटल करने वाला, डिस्टेब्लाइज करने वाला विभाग था जिसकी दुःखी करने वाली एक व्यवस्था हमारे सामने आयी। इस व्यवस्था के कारण से आज हम यह सोच रहे हैं कि इस भू-प्रबन्ध विभाग को रखा जाए या नहीं रखा जाए। बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा कि आप तो आज ही घोषणा कर दो कि इसको समाप्त किया जाए। किस तरह से इसके काम को किस-किस रेवेन्यू अधिकारियों को दिया जाए, कितने इसके अधिकारी दूसरे साथ में जोड़े जाएं और कौन-कौन से अधिकार हैं किस-किस अधिकारी को सौंपे जाएं, यह सारा ब्यौरा पूर्व में तैयार करके रखा था लेकिन उसको समाप्त करके उसको उस तरह से स्वरूप देने का काम नहीं हो पाया और आज फिर हम उसी जगह खड़े हैं। मैं यही कहना चाहती हूं माननीय सदस्यों से कि इस मामले में दुःखद अनुभव है सभी माननीय सदस्यों का, तमाम समाज का, कृषक समाज का और कृषक समाज के अलावा और जो भी समाज के वर्ग हैं उन सबका। इसलिए हम यह सोच रहे हैं कि इस विभाग का जो कुछ भी कार्य है, जो कुछ भी इसके अधिकार हैं, जो कुछ भी इसकी संस्थापना का एक ढांचा है उन सबको एक बार पुनः देखकर शीघ्रातिशीघ्र इसके कामों को दूसरों को सौंपकर इसे बन्द करने का काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-से जिलों में अभी भू-प्रबन्ध का काम चल रहा

(श्रीमती कमला)

है। मुझे बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे भू-प्रबन्ध काम को रोक दें और जहां होने जा रहा है वहां पर उन्होंने यह कहा कि आप हमारे इस काम को आगे नहीं होने दें। मैं उन माननीय सदस्यों को यही निवेदन कर सकती हूं कि जहां-जहां ये चालू हैं, किस अवस्था में हैं, किस अवस्था से इसको कैसे रोका जा सकता है, या जो प्रारम्भ होने वाले हैं उनको रोकने के बाद में उस काम को जल्दी से जल्दी किस और प्रकार से दूसरे राजस्व के अधिकारियों को सौंपा जा सकता हैं जिससे काम भी नहीं रुके और जो व्यथा इस कारण से पैदा होती है वह भी भोगने की सूरत पैदा न हो; इस भू-प्रबन्ध के बाबत में जितनी भी समस्याएं हैं वे सब हमारे पास उल्लिखित हैं, ज्ञान भी है और उनकी व्यवस्थाएं करने का हम पूरी तरह से विचार कर चुके हैं।

दूसरा इसमें जो महकमा काम करता है वह भू-अभिलेख विभाग है। इसका काम है भू-अभिलेख तैयार करना, उसकी प्रतियां बनाना और कृषकों को या दूसरे जो उपभोक्ता हैं उनको देना। भू-अभिलेखों के आदिनांक नहीं होने के कारण से कृषकों को अदालत में जाना पड़ता है और अदालतों में जाने के कारण से उनकी जो समस्याएं बढ़ती हैं ये सब इसके साथ में भी जुड़ी हुई हैं। इन जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने के लिए बहुत से कानून भी बना रखे हैं। संस्थाएं भी बना रखी हैं, अधिकारियों को भी नियुक्ति कर रखा है। नीचे से लेकर ऊपर तक तहसीलदार, एस. डी. ओ, ए. सी. एम, अतिरिक्त कलक्टर, कलक्टर, राजस्व मण्डल, राजस्व अपील अधिकारी, और बहुत से भू-प्रबन्ध अधिकारी, इस तरह की पूरी की पूरी एक श्रृंखला अधिकारियों की और संस्थाओं की बनायी हुई हैं कि वह उनके निपटारे के लिए काम करें। लेकिन निपटारे में जो हालत हो रही है, सदन के अन्दर भी आयी और हम लोग भी रोजाना देख रहे हैं, उसके कारण से बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं। न पटवारियों की कमी है, न गिरदावरों की कमी है, न तहसीलदारों की कमी है और न ही व्यवस्थाओं की कमी है। लेकिन नित्य प्रति काम करने की, दैनिक ढंग से काम करने की, वार्षिक ढंग से काम करने की जो वर्क कल्चर प्रशासन के साथ में जुड़ी रहती थी और अब जुड़ी रहनी चाहिए वह व्यवस्था बिलकुल खत्म हो गयी। पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां इस तरह की बनी हैं कि सारा का सारा प्रशासन काम को तब तक करने का मन नहीं करता जब तक कि ऊपर से कोई खास सर्कुलर न आ जाए, या कोई खास अभियान न छेड़ा जाए, या कोई खास चुनौती या धमकी के तौर पर चिट्ठियां न आएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : या नजराना न दिया जाए।

श्रीमती कमला : यह नजराने वाली बात आप सब जानते हैं।

एक ऐसी हालत प्रशासन की बनी हुई है कि कलक्टर लेवल के आदमी यह कहे कि पटवारी अपने स्थान पर नहीं रहता, अपने मुख्यालय पर नहीं रहता। जब उनसे पूछें कि आप बताइये, क्या रास्ता निकाला जाना चाहिए तो कहें, मैं क्या रास्ता बताऊं। इसलिए जब तक पूरा वातावरण सही नहीं

(श्रीमती कमला)

होगा, तब तक कोई रास्ता नहीं निकल सकता है । अब पूरा वातावरण सही करने के लिए कौन आएगा, कैसे किया जाएगा इस सम्बन्ध में समय-समय पर....

श्री रामस्वरूप : आप से बढ़िया तो कोई है नहीं ।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं अकेले उसमें कुछ नहीं कर सकती हूं।

मैं यह समझती हूं कि प्रशासन न तो परिपत्र से सही हो सकता है, न डांट-डपट से । कभी मिल जाए तो आप डांट-डपट कर दो, उससे नहीं हो सकता है और न अभियान से जो हम हर साल चला देते हैं, इससे सही हो सकता है । ठीक है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा था और मैं भी कहती रहती हूं कि 2-4-5 साल में एक बार कभी आप विशेष अभियान चलाएं । लेकिन हर वर्ष यह तरीका हो गया । रोजाना के जो आपको प्रपत्र देने हैं, रोजाना रिकार्ड भरना है, रोजाना किसान को जो रिलीफ देनी है, वह न तो आप सुनें, न आप उनको दें, न उनका निराकरण करें । और साल में एक बार विशेष अभियान चलाकर आप यह रुतबा जतायें कि मेरे यहां सबसे ज्यादा मामले निस्तारण हुए । सोचना यह चाहिए कि जिसके यहां सबसे ज्यादा निस्तारण हुआ है इसका मतलब उसने सबसे ज्यादा निकम्मापन किया है सारे साल भर में, कोई काम नहीं किया इसलिए इतने काम पड़े हुए थे । तो हमें इस बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ रही है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की व्यवस्था करें ।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदया, प्रशासन में चुस्ती आती है तो एक लेकूना और है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, अंकित नहीं हो ।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आपको पूछने का मौका मिलेगा । माननीय सदस्य, बीच में इंटरप्ट मत करो ।

श्रीमती कमला : आज न्यायिक संस्थाओं में जो लम्बित मामले हैं उनमें राजस्व मण्डल में 16074 मामलें लम्बित हैं, जिला कलक्टर के पास 10765 मामले लम्बित हैं और राजस्व अपील अधिकारियों के पास 11296 मामले लम्बित हैं । सारी व्यवस्थायें मौजूद हैं लेकिन निपटारा करने के मामले में ये स्थितियां बनी हुई हैं । राजस्व मण्डल की तरफ से भी निर्देश हुए हैं, चीफ सैक्रेटरी ने भी अपने लेवल पर मीटिंग लेकर बहुत सख्ती के साथ में परिपत्र जारी किये हैं, निर्देश जारी किये हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं कि आप एक महीने में कम से कम इतने मामले निस्तारण करेंगे, इस तरह के जो मामले हैं उनको भी आप 6 महीने से ज्यादा लम्बित नहीं रखेंगे, आप इस तरह से अपनी समीक्षायें करेंगे । एस.डी.ओ. अपने स्तर के ऊपर महीने में एक बार समीक्षा करेगा,

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती कमला)

कलक्टर अपने स्तर पर करेगा, रेवेन्यू बोर्ड अपने स्तर पर समीक्षा करेगा। राज्य सरकार उनके साथ बैठकर समीक्षा करेगी। सारी व्यवस्थाएं कायम हैं लेकिन मूल बात यह है कि जिनको काम करना है, जिनके लिये यह काम सौंपा हुआ है वे अपने काम को ईमानदारी से और जिम्मेदारी से समझें तो मामले को निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह आप नहीं करवाएंगे तो और कौन करवाएगा, सवाल इतना है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं उनको कराने की व्यवस्था....(व्यवधान) उनकी व्यवस्था का तरीका है, जैसे पटवारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहता (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : सुनिये, सुनिये। आप पूछना आराम से 2 घण्टे तक, कोई बात नहीं। पटवारी मुख्यालय पर नहीं रहता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको ? बाद में पूछ लेना ना आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पटवारी प्रतियां नहीं देता, पटवारी रिकार्ड दर्ज नहीं करता। (व्यवधान) यह समस्या क्या है ? इसलिये केवल उसको आप बहुत बढ़िया सी डांट की दबाव की चिट्ठी भेजो।

हमारे मुख्य सचिव ने, हमारे चेयरमैन राजस्व मण्डल ने पटवारी तक को चिट्ठियां लिखी हैं कि आप इस तरह से अपने काम को निपटाने की व्यवस्था करें। उसके वहां ठहरने का पुख्ता इंतजाम करें कि वहां जब वह मौजूद है तो वह अपनी मौजूदगी सरपंच से वैरिफाई कराए, वहां का जो विद्यालय का प्रमुख अधिकारी है उससे वैरिफाई कराये, दूसरे विभाग का जो सीनियर मोस्ट अधिकारी है उससे वैरिफाई कराए। 2–3 ऐसे प्रमुख व्यक्ति जो वहां मुख्यालय पर मौजूद हैं, उनसे वैरिफाई कराये बिना वह उपस्थिति बताता है तो उपस्थिति नहीं मानी जाये। यह मैं एक उदाहरण दे रही हूं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसकी उपस्थिति को इस तरह की व्यवस्थाओं से पाबन्द नहीं करेंगे तब तक हम उसकी उपस्थिति को नहीं मानेंगे। और वह उपस्थित नहीं है तो हम उसका दण्ड भी जबर्दस्त दें, तब जाकर व्यवस्था बनती है।

इसी तरह से एक सिटीजन अधिकार-पत्र रेवेन्यू बोर्ड ने तैयार किया। वह अधिकार पत्र बहुत अच्छा है। मेहनत करके उन्होंने तैयार किया है। उसमें बाकायदा यह किया है कि आप यह ले जाएं, अपने पास रखें। इसके आधार पर आप देखें कि आपको कौनसा कागज कितने दिन में मिल जाना चाहिए, कौनसी नकल कितने दिन में मिल जानी चाहिए कौनसा प्रमाण-पत्र कितने दिन में मिल जाना चाहिए। हरेक कैटेगरी के कामों के लिए यह अधिकार-पत्र रेवेन्यू बोर्ड ने तैयार करके दे रखा है। इसको वे उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन उपयोग में लेने वाला कमजोर है और इसकी अनदेखी करने वाले ज्यादा चतुर हैं इसलिए अधिकार पत्र जैसी चीज को भी वे मान्यता नहीं दे रहे

(श्रीमती कमला)

हैं। इसकी भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, अगर इसको मान्यता नहीं देते हैं कि यह काम तीन दिन के अन्दर हो जाना चाहिए, यह हाथों–हाथ हो जाना चाहिये। एक-एक चीज का आइटमवाइज ब्यौरा इसमें तैयार कर रखा है लेकिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। बहुत–से लोग जाते हैं, अगर रजिस्टर वहां कायम करते हैं कि मैं इस काम के लिए वहां पर गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार–पत्र जो है न.... (व्यवधान)....यह अधिकार–पत्र है, इसमें महात्मा गांधी की फोटो नहीं है।

श्रीमती कमला : आप बीच में नहीं बोलिये। आप बाद में पूछ लेना। मैं कहीं भागकर थोड़े ही जा रही हूं। अगर हम वहां पर रजिस्टर रखते हैं, उसकी नकल लेने वाला, कागज लेने वाला, प्रमाण–पत्र लेने वाला....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया कौनसा तरीका लायी है ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में कहें यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दो, फिर आप पूछ लेना। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पटवारी कलक्टर की नहीं मानने को तैयार (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इस भाषण से हम सैटिस्फाइड नहीं बिलकुल। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : रेवेन्यू बोर्ड में सैटलमैंट के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दीजिये न, फिर पूछ लेना। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अधिकार–पत्र की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो आखिर कहीं कोई ऐसा रास्ता तो आप सुझाएं। जनता को राहत कैसे मिलेगी ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैटर फिनिश

श्री जगतसिंह दायमा : नहीं, साहब, इसमें यह कह दिया कि हमको यह करना है।

श्रीमती कमला : मैं उदाहरण के लिए आपको एक–दो उदाहरण दे रही हूं, सबके लिए नहीं बताऊंगी, बहुत लम्बा चिट्ठा है।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, हमको ऐसा करना पड़ेगा। हम यह अपेक्षा रखते है आपसे कि मैं ऐसा करूंगी। यह बताए आप, आप राज में हैं। हमको ऐसा करना चाहिये, यह तो हमको बोलना है। आपको तो यह बोलना है मैडमजी, माफ करना, कि मैं ऐसा करूंगी। यह चीज चाहिए हमको। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : तो आपकी भाषा तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं अपनी भाषा से ही आपको यह बताऊंगी कि मैं करूंगी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बोलेंगी तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगत सिंह दायमा : 50 साल में कुछ नहीं कर पायीं तो फिर (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह तो उदाहरण दिया है ।

श्री जगत सिंह दायमा : अपने आप टाइम नष्ट हो रहा है फिर तो आपका । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उदाहरण दिया है, ऐसा ही करेंगी । चिन्ता मत करो, उदाहरण दिया है । हां ऐसा ही करेंगी, बहुत सख्त हैं हमारी मंत्री महोदया । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये ..

श्री जगत सिंह दायमा : खूब चापलूसी कर लो । वहां का वहीं पड़ा रहेगा सब कुछ । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप चापलूसी बन्द करो, यह मैं आपसे सबसे बड़ी बात कहता हूं ।

श्रीमती कमला : आप जहां छोड़ गये हैं और जितना निकम्मा बनाकर छोड़ गये हैं और कर्महीन बनाकर छोड़ गये हैं उनको दुरुस्त करने में महीना, दो महीना तो हमें लगेगा, पर करके छोड़ूंगी, यह मानकर आप रखिये । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कहिये कि दो महीने में कर देंगे तो मान गये । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : चार महीने ले लीजिये आप । पहले भी राज चलता था । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने पांच साल में ठप्पा बैठा दिया और दो महीने की कह रहे हो फिर आप । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : तो फिर मैं मेज थपथपा सकता हूं दो महीने के लिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस सरकार से पूछना चाहती हूं जिसने आठ–नौ वर्ष राज किया कि साल दर साल आवंटन की, नियमितीकरण की, सार्वजनिक कामों के लिये भूमि सेट–अपार्ट करने की, नदी–खातजी की, पेटा–काश्त की, जमीनों के रिन्युअल की, ये सब कार्यवाहियां जिनको साल दर साल करनी चाहिए थीं, उन्होंने एक साल भी नहीं कीं । लगातार नौ–दस वर्ष तक वे सारे के सारे निर्जीव पड़े रहे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह असत्य बोल रही हैं विधान सभा में । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : असत्य बोल रही हो, हमारे टाइम में कैम्प्स लगे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असत्य बोल रही हो । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारे टाइम में कैम्प लगे और किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह किस कारण से ? इसलिये कि सरकार का गांवों की तरफ, किसानों की तरफ, उनकी परेशानियों की तरफ कोई ध्यान नहीं था और उनके बारे में कोई विचार नहीं था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, शासन पहले भी चलता था, कोई आज ही अवतार लेकर नहीं पधारी हो। पहले भी म्यूटेशन होता था, पहले भी खड़ा विभाजन होता था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले राज चलता था, आपकी तरह से कुराज नहीं चलता था। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इतनी परेशानियां पहले कभी इकट्ठी नही होंगी, जितनी आज इकट्ठी हुई है।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे तो राज चल रहा है या नहीं चल रहा है, पता नहीं एक केस को निपटाने में 25 साल, 30 साल, 40 साल, यह क्या राज हुआ आपका ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पहले नहीं था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चालीस साल तक आपने बिगाड़ दिया है। चालीस साल में आपने बिगाड़ा जितना किसी ने नहीं बिगाड़ा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, राज क्या हुआ आपका ? आपने भी राज कर लिया और आपने भी कर लिया, दोनों का राज खत्म हो गया और फिर आपका शुरू हो गया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उम्र के तकाजे के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार माननीय मंत्रीजी जोर देकर नहीं कह रही हैं कि ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है हमें तो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने आपसे कह दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, आप यह कहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा लग रहा है हमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कहिये कि यह तो आप करेंगी।

श्री मदन दिलावर : आपने यह कहा कि हमारे अधिकार-पत्र की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आपने जिस अधिकार-पत्र की बात कही है, कितने दिन पहले यह अधिकार-पत्र आ गया ?

श्रीमती कमला : आप सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज इन विधायकों में से किसी को पता है कि अधिकार-पत्र है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : आप बीच में क्यों पूछ रहे हैं, आप बाद में पूछ लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रही हैं कि इतना निकम्मा है और अकर्मण्य है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं कह रही हूं, बिलकुल निकम्मा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी तरह थोड़े ही होता था। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप काहे के लिये परेशान हो रहे थे कि निकम्मा नहीं है। क्यों आप बोल रहे थे ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिलकुल भैरोंसिहजी का राज निकम्मा राज था, ढप्पा बैठा दिया इसका सारा इन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो सबसे सुन्दर राज था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो कहता हूं इतना इतराओ मत, इतराओ मत, हम भी यह सोचा करते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : चालीस साल का कांग्रेस का राज और दस साल का भारतीय जनता पार्टी का, तीस-तीस साल तक मुकदमे चलते हैं, फिर किसके लिए कहें हम ? हमारा राज तो अभी आया नहीं। हां, नहीं आया। इसमें हंसने की क्या बात है ?

श्रीमती कमला : मैं इसलिए कह रही हूं, आज हमने (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपको कहना चाहिए इसमें, कि मैं करूंगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं बता रही हूं न, आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब मैं मंत्री था तो मैंने पूरे सैक्रेटेरिएट को लाइन में लगाया, मैं कह सकता हूं इस बात को। आप कहें और मुझे पांच मिनट दें, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या हाल किया है फाइनेंस सैक्रेटरी का। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जब मंत्री थे, आपके पास कौनसा विभाग था ?

श्री जगत सिंह दायमा : क्या हाल किया चीफ-सैक्रेटरी का।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको पता है क्या, कौनसा विभाग आपके पास था ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या हाल किया स्पेशल सैक्रेटरी, फाइनेंस का।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको खुद को लास्ट में पता ही नहीं था कि कौनसा विभाग दे रखा था आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यह बता सकता हूं अभी आपको। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप लकड़ी के डंडे में भरोसा करते हैं और हम कलम की ताकत में भरोसा रखते हैं। वह करके दिखाएंगे आपको। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अगर हम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, समय पर न्याय दिलाना है तो डंडा भी प्रयोग करो । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो अधिकारी नियमित रूप से उसके ऊपर आये दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी । जो वादों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, समय पर, जो मीटिंग्स नहीं बुला रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, बैठिये ।

श्रीमती कमला : जो हैडक्वार्टर पर नहीं रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिए, फिर आप पूछ लेना ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री महोदया ने जो यह बात कही है कि ...

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदया ने यह बात कही है कि यहां पर सरकार.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : न आपकी कलम में जोर है न आपके डंडे में जोर है । आप तो उनसे डरी हुई हैं इसलिए आप नहीं कर सकतीं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब नहीं चाहते हैं, क्या मैं समाप्त करूं ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कह रहा हूं कि (व्यवधान) ..

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो कह रहा हूं कि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरा राज आ जाए ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा तो कहना है कि आप डंडे में विश्वास रखो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं चाहते क्या ? आप प्लीज बिराजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो इनका दिल्ली में तो आ गया कल । बी.एस.पी. का होने वाला है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आ गया, आ गया । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । प्लीज, माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : तो दिल्ली की परफारमैंस देख लेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हेगलिंग हो रही है ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं दिल्ली की नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, विराजिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने.... (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की नहीं...

श्री हीरासिंह चौहान : दिल्ली में राज आ गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय जगत सिंहजी, माननीय हीरासिंह जी, बिराजिये। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, अंकित नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : परिवर्तन करेंगे और करके दिखाएंगे। आपके सामने आएगा वह परिवर्तन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : अब बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : आप काम के लिए कहते हैं, आप काम देखें। करेंगे कैसे नहीं ? बिना करे यहां काहे के लिए बैठे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : मैं करूंगी और करेंगे में क्या फर्क लग रहा है आपको ?

श्री जगतसिंह दायमा : × × ×

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय कांशीराम जी का एक मिनट में परिवर्तन हो गया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी। माननीय हरिसिंह जी, आप समाप्त करने दीजिए (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री हरिसिंह (महुवा) : कांशीराम जी का एक मिनट में परिवर्तन हो गया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : ठीक है। (व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्रीमती कमला : एक मुख्य मुद्दा जो पूरे सदन में .. (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : एक मुख्य मुद्दा जो पूरे सदन ने बताया और उस पर अपने सुझाव भी दिये, वह आज हमारे बने हुए कानूनों में कमी-खामियों का है । बहुत-से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वे बिलकुल रिडण्डेंट हो चुके हैं, आब्सोलिट हो चुके हैं और बहुत से तो आज उपयोग के लायक नहीं रहे हैं । कुछ जो जरूरी हैं वे उसमें हैं नहीं इसलिए उनको रिराइट करना चाहिए । जो दो कमेटियों ने अपने सुझाव दिये और इसमें संशोधन दिये, हमने यह तय किया है कि उसमें जो संशोधन बहुत कंट्रोवर्शल नहीं हैं-जैसे ड्यूटी वाला है या बच्चियों का अपने मां-बाप की सम्पत्ति के अधिकार का है, उन एकाध ऐसे मुद्दों को छोड़कर जितने भी सुझाव उन समितियों ने दिये हैं, उन सुझावों के साथ, और उसके साथ आप और भी सुझाव अभी दे सकते हो, हम कोशिश यह करेंगे कि हम इसी सत्र में उनको ले आएं । उन संशोधनों के साथ में जो कोई और संशोधन फ्लोर आफ दी हाउस पर आएंगे उनको भी हम एडाप्ट कर सकेंगे और गवर्नमैंट अपनी तरफ से भी कोई सुझाव पेश कर सकेगी । कोशिश यह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के संशोधन हम ले आए कि जो आम तौर पर समस्याएं आ रही हैं उनको उत्पन्न नहीं होने दिया जाए और जिनसे दिक्कतें बढ़ रही हैं उनको निपटाया जाए । तो यह हमारी कोशिश है और मैं समझती हूं कि हम इसी सत्र में लाने का प्रयास कर सकेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, दिलावर जी ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने उपनिवेशन भूमि जो आई.जी.एन.पी. कैनाल परियोजना में है, उसके बाबत् भी बातें बताईं । खास तौर से दो-तीन माननीय सदस्य बहुत ही गम्भीर बातें सामने लाये हैं उनकी हम जल्दी ही कार्यवाही करेंगे । जिन कृषकों को सामान्य श्रेणी में भू-आवंटन हुआ था भू-आबंटन की उन्होंने रकम जमा करा दी और रकम जमा कराने के बाद में कोई पुराने ऑडिट पैरा के संदर्भ में,.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय, भाग रहे हैं आखिर में यह क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये तो सही ।

श्रीमती कमला : उनके सामान्य आबंटन को रद्द करके विशेष आबंटन की कैटेगरी में डालने की जो कार्यवाही की गयी है उस कार्यवाही को समाप्त कर डिनोटिफाई कर और वापस उन्हें सामान्य श्रेणी में दिया गया था, उसकी जिनके व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने का कार्य किया जाएगा ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती कमला)

इसके सात ही जो राजस्थान कैनाल एरिये में भू-आबंटन के काम में कुछ गति धीमी है, उस गति को हम तेज करने की चेष्टा में है। आज राजस्थान केनाल का प्रथम चरण और द्वितीय का कुल कल्चरेबल एरिया 29 लाख हैक्टेयर के करीब है। उसमें से 19 लाख हैक्टेयर के करीब ऐसा एरिया है, जो कल्चरेबल कमांड होगा और उसमें से भी जो भी खोला जा चुका है वह लगभग 12 लाख हैक्टेयर है। उसमें लगभग 9 लाख हैक्टेयर आबंटन कर चुके हैं दोनों चरणों में। अब हम यह सोच रहे हैं कि इस साल हम करीब एक लाख 10 हजार हैक्टेयर आबंटन करें। जिन क्षेत्रों में आबंटन होना है, जहां पर खाले बन चुके हैं, लेकिन आबंटन नहीं हुआ है और जहां पर आबंटन हो चुका है लेकिन खाले नहीं बने, इस तरह की कैटेगरी को हम प्राथमिकता में लेकर ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को लाभान्वित करने का काम करेंगे।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने खास तौर से बार-बार तकाजा किया पहले सवाल आया था उसके सन्दर्भ में अभी, कि वहां भूमि अलॉट हो रही है उसमें पास के जो जिले हैं उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने जो सीकर, झुन्झुनू से आने वाले हैं, यहां तक कहा कि राष्ट्रीय परियोजना है इसलिए इसमें तमाम प्रदेश के सभी जिलों को हक है कि वे वहां पर जमीन आबंटन के लिये अपना आवेदन दे सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप देखिये। धारीवाल जी के लिये कह रहा हूं मैं तो।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आर्डर। अटरू से आने वाले माननीय सदस्य अपने स्थान से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विचार इस बाबत रखे हैं कि विशेष आबंटन में किश्तें कुछ ज्यादा की जाएं तो कमजोर स्थिति का काश्तकार भी उस विशेष आबंटन में अपना मौका ले सकता है और पास के जिलों को भी मौका दिया जाए। दोनों मुद्दों पर विचार करके हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आबंटन योग्य भूमि हमारे पास है उसको तत्परता के साथ आबंटित करने का हम प्रयास करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो टारगेट हमने बनाया है उसको हम पूरा कर लें।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो–तीन समस्याएं सी.ए.डी. के सम्बन्ध में हैं जो निरन्तर आती रहती हैं। एक तो सेम की बहुत बड़ी समस्या है। आई.जी.एन.पी. के अन्दर भी सेम की समस्या है तो कोटा क्षेत्र के जो सिंचित क्षेत्र हैं, उनके अन्दर भी सेम की समस्या है। इस सेम की समस्या को निपटाने के

(श्रीमती कमला)

लिए अभी परीक्षण के तौर पर यह कोशिश की गयी है कि उन क्षेत्रों में हम ट्यूबवेल खोदकर उस पानी को नहर में डालें। सूरतगढ़ के आस-पास के इलाके में इस तरह की कोशिश की गयी है। माणकथेड़ी और बड़ोपल इस एरिया के अन्दर यह भी कोशिश की गयी है, हम एक ड्रेन तैयार करके उसको आगे जो घग्घर नाली आती है उसके अन्दर डालने का कार्य कर रहे हैं। यह कुछ परीक्षण के तौर पर हमने कार्य किया है। लेकिन यह अपने आप में कितना सफल होगा इसके उपरान्त ही हम इस काम को आगे सम्पादित करने का हाथ में ले सकेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कार्यवाही इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि यह समुचित व्यवस्था सेम को खतम करने की नहीं हो सकती। जैसे पंजाब के या दूसरी स्टेट्स के लोग अपनी नहरों के नीचे से साइफन निकाल कर ड्रेन कर रहे हैं सेम के पानी को। कुछ और जगहों पर दूसरे तरीके से शायद काम कर रहे होंगे। उन सब तकनीकों को इकट्ठा करके हम कहां पर किस तरह से ज्यादा से ज्यादा साधन जुटाकर जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण ला सकें जिससे कि हमारी जो भूमि खराब हो रही हैं और किसानों को जो परेशानी हो रही है, खेती का एरिया भी खत्म हो रहा है उसको हम सम्पादित कर सकें।

एक और बड़ी समस्या जो सी. ए. डी. एरिया में आती है वह है आखिरी छोर पर पानी न पहुंचना। उसका मुख्य कारण यह चला आ रहा है कि नहरें क्षतिग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा सिल्टिंग हुई पड़ी है, झाड़-झंखाड़ खड़े हैं और इस कारण जो पानी छोड़ा जाता है वह भी समय पर नहीं पहुंचता। इसलिए इस बार इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि मरम्मत के काम को और मेंटिनेंस के काम को हम प्राथमिकता दें। जैसा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सड़कें नई बनाने से पहले जो सड़कें बनी हुई हैं उनको सुधारने का काम पहले करें, उसी तरह से जो मौजूदा नहरें हैं उनकी डिसिल्टिंग का और मरम्मत का काम इस ढंग से किया जाए कि आने वाले समय में यह दिक्कत हमें नहीं आ सके। पैसे की कमी है लेकिन अभी सिंचाई के जो रेट्स बढ़ाये हैं उसमें हमने इस बात को तय किया था कि यह जो पैसा बढ़ी हुई दरों से आए वह ज्यादातर नहरों की मरम्मत के काम में ही लगाया जाए जिससे कि हम इस समस्या को हल कर सकें।

एक बड़ी समस्या, माननीय भाटी साहब बहुत समय से जिस मुद्दे को उठाकर चले आ रहे थे, उसके बाबत में उन्होंने आज फिर कहा कि इस तरह की जो घटना घटी है, इस तरह की जो कार्यवाही हुई है उसके बाबत इतने वर्षों से तकाजा करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैंने अभी बहुत सरसरी तौर पर उस केस की फाइल को देखा है, उसको देखने से लगता है कि उसमें काफी कुछ और देखकर उसकी समुचित कार्यवाही के लिए, जांच के लिए और पूरे इन्वेस्टीगेशन के लिए व्यवस्था किया जाना जरूरी है। उसके लिए हम किस .. (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मैडम जांच तो पहले हो गयी। भण्डारी साहब ने कर ली, तीन मैम्बर्स की कमेटी ने कर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

ली। अब ये आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं एक सैकण्ड पढ़कर सुना दूं, मैंने नरपत सिंह राजवी का तो जिक्र ही नहीं किया।

श्रीमती कमला : जुडीशियल इंक्वायरी जो आप चाहते हैं वह भी तो जांच ही करेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां। नहीं (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो आज तक जांच हो चुकी है और आज तक जो कार्यवाही हो चुकी है उसके परिप्रेक्ष्य में वह खुद अपनी जांच करके फिर रिपोर्ट देगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किसको?

श्रीमती कमला : गवर्नमैंट को देगी और किसको देगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जांच तो हो गयी। भण्डारी की जांच क्या थी।

श्रीमती कमला : जुडीशियल इंक्वायरी क्या कराना चाह रहे हो आप? वह भी तो इंक्वायरी है न? वह भी तो इंक्वायरी होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैडम, that is an independent inquiry with all the powers without any influence from the officers concerned, जुडीशियल इंक्वायरी वह होगी। जुडीशियल इंक्वायरी में आप एक इनडिपैंडैंट जज को नियुक्त करेंगे।

श्रीमती कमला : नहीं, जुडीशियल इंक्वायरी के बजाय हम यह भी सोच सकते हैं कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष महोदय से इसकी जांच कराएं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक आपको रिक्वैस्ट करूं। हमने जो चिट्ठी लिखी सी.बी.आई. मिनिस्टर को, हमने यह कहीं नहीं कहा कि अमर सिंह राजवी की इंक्वायरी हुई है या नरपत सिंह राजवी की इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है। सुरेन्द्रजी व्यास ने जो चिट्ठी लिखी, जिसको मैंने टेबिल किया है, उसमें हमने कहा है :

"Whether the letter written by Shri P. N. Bhandari, Colonization Commissioner, Bikaner dated 14th March, 1977 to the Revenue Secretary, Government of Rajasthan (Annex. A) was ever referred to the C.B.I. by the State Government for inquiry., or, otherwise, the C. B. I. has conducted an inquiry in this letter or contents there of? If so, what is the result?" उसका रिप्लाई हमारे पास आया जिसकी कॉपी मैंने आपको दे दी कि ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई है। मैडम, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं आपको कि पी.सी.सी. में जब प्रजैंट सी. एम. साहब प्रेसीडेंट थे तो एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें सुरेन्द्र जी व्यास थे और माननीय मंत्री महोदय राजेन्द्र जी चौधरी भी थे। वहां पर भी यह रिजोल्यूशन हुआ कि इनडिपैंडैंट इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए सी. बी. आई. से या जुडीशियल। अब आप कह रही हैं कि मैं डिपार्टमैंटली करा रही हूं।

श्रीमती कमला : मैंने डिपार्टमैंट का नाम ही नहीं लिया। आपने पूरी बात नहीं सुनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन करूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने डिपार्टमैंटल इंक्वायरी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो आपको विश्लेषण ही कर रही थी कि आप बीच में ही खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी जुडीशियल पावर को एक्सरसाइज करते हुए निर्णय लिये हैं, आप कोई फैसला करें उससे पहले उसको भी देख लें।

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये, यह हाउस सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो व्यक्ति सदन में नहीं है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Already the Revenue Board has given directions. उसके अनुसार ही है जो एस. डी. ओ. ने अलाटमैंट दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कम से कम कुछ तो खयाल करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय विश्नोई साहब। माननीय सदस्य....(व्यवधान)

माननीय विश्नोई साहब, माननीय मंत्री जी ने न तो यह कहा कि जुडीशियल इंक्वायरी कराऊंगी और न यह कहा कि आफिशियल, रेवेन्यू किसी से कराऊंगी। इन्होंने स्वयं यह कहा कि इंक्वायरी कराऊंगी। किससे कराऊंगी यह कहतीं, उससे पहले ही आप उठकर बीच में पूछने लग गये। पूरी बात तो सुनो।

श्रीमती कमला : मैं अपनी बात कह रही हूं, विश्लेषण कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा ही नहीं उससे पहले ही आप उठकर खड़े हो गये।

श्रीमती कमला : बीच में आप खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : Let us see what sort of inquiry she is stating.

श्रीमती कमला : जो पी. एन. भण्डारी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो नीचे की अदालतों से और रेवेन्यू बोर्ड से फैसले हुए हैं उन सब के सन्दर्भ में सी.बी.आई. से जांच करानी है या जुडीशियल इंक्वायरी करानी है, इसके बारे में पूरे के पूरे कागजात देखकर ही हम निर्णय करेंगे। यहां आप कह रहे हैं आप हमें अभी ही क्लीयर कर दो कि आप क्या करोगे। पूरे के पूरे डाकूमेंट, उनकी नेचर और जिस तरह का क्राइम कमिट हुआ है, जिस तरह के उसमें डाकूमेंट हैं उन सबको देखकर उसके बाद उसका फैसला करेंगे। पर मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि वह फैसला किसी अधिकारी से नहीं बल्कि किसी न किसी ऐसी बॉडी से कराएंगे जिस पर आम तौर पर भरोसा किया जाता है कि यह बॉडी जुडीशियल फैसला देगी।

श्री जगत सिंह दायमा : उसकी टाइम की लिमिटेशन कीजिये, टाइम की लिमि-

(श्री जगत सिंह दायमा)

टेशन नहीं होगी तो आपका राज चला जायेगा फिर वही आ जाएंगे, फिर वे कर देंगे दूसरे तरीके से।

श्रीमती कमला : आप काहे के लिए चिंतित हो इतना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतनी सीरियस बात को....

श्री जगत सिंह दायमा : एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, इतनी सीरियस बात को आप मजाक में टाल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं काम की बात करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह बहुत गम्भीर मुद्दा है और बहुत सीरियस है, इस पर....

श्री उपाध्यक्ष : कहां से राज आ जाएगा, कहां राज चला जायेगा ? अभी पांच साल तो जाना है नहीं यह राज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कौनसी बात इर्रिलेवेंट कह दी मैंने ?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, यह कोई नया मुद्दा नहीं है जो आज आपके सामने आया है। जब आप राज में नहीं थे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : जब पी.सी.सी. का सर्वसम्मत फैसला हो गया था.... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये, मैं आप से बता रही हूं, मैंने डाकूमेंट्स और फाइल सिर्फ सरसरी तौर पर अभी आज सुबह ही देखी है, उससे पहले मेरे पास फाइल नहीं थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, आप इस बात को समझिये।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, यह मुद्दा कोई आज का नहीं है।

श्रीमती कमला : मत हो मुद्दा लेकिन मैंने तो कागज आज ही देखा है और आज भी पूरा नहीं देखा है। इसलिए मैं....

श्री अमराराम (धोद) : इस सदन में पिछले 8 साल से लगातार उठ रहा है और आपकी पी.सी.सी.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, इतना स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, विराजिये। प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : प्लीज, इतना स्पष्ट कर दें कि आपकी पी.सी.सी. ने जो सर्वसम्मत फैसला लिया था (व्यवधान) सी. बी. आई. की जांच के लिए ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और, उपाध्यक्ष जी, आप भी वहां मौजूद थे।

श्री अमराराम (धोद) : क्या वह केवल प्रचार के लिए लिया गया था ?

श्रीमती कमला : आप यह बताइये मुझे कि आज असैम्बली के अन्दर यह आखरी दिन है क्या ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज आप यह उत्तर देती हैं कि आज मैंने फाइल देखी है, इसका मतलब है फैसला सिर्फ प्रचार के लिए लिया था आपने ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्रीमती कमला : आप यह बताइये कि सार्वजनिक तौर पर कोई फैसला लिया हुआ बिना कागज देखे, बिना डाकूमेंट्स देखें, बिना फाइल को स्टडी करे ऐसे ही फैसला कर दें?

श्री जगत सिंह दायमा : जब प्रशासनिक इंक्वायरी आप करते हैं तो उसमें तो शक होता है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अभी दो दिन पहले मेरे पास में महकमा आया है और अभी कल मेरे पास में फाइल आयी है, आज मैंने उसकी सरसरी तौर पर देखा है ।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, प्रशासनिक इंक्वायरी पर तो आपको शक रहता है, फिर आप कहते हो जुडीशियल इंक्वायरी कराएं, तो जब प्रशासनिक अधिकारी दबाव में काम करते हैं तो उनसे इंक्वायरी कराते ही क्यों हैं आप? (व्यवधान) शुरू में जुडीशियल रखिये आप ।

श्रीमती कमला : नहीं, किसने कहा कि सरकारी अधिकारी से कराएंगे ? आप अपने आप कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : डबल-डबल इंक्वायरी चलती है, समय लगता है । समय पर न्याय नहीं मिलता उनको ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, अपने आप मत कोई बात बोलिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी लड़ाई यह है, समय पर न्याय नहीं मिल पाता ।

श्रीमती कमला : आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आज बिना स्टडी किये, बिना उसके इम्प्लीकेशंस को देखे और बिना उसके डाकूमेंट्स को देखे यहां घोषणा कर दूं कि हम ऐसा करेंगे । दो दिन में कौनसी धरती फट रही है और कौनसा आसमान गिर रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैडम, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, पी.सी.सी. में जो रिजोल्यूशन हुआ था उस समय आप भी मौजूद थे, मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूं । मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप आज करिये । पर जो भी है आप सी.एम. साहब से कंसल्ट कर लें 19 तारीख को । मेरी बात हुई है सी.एम. साहब से, उन्होंने मुझे कहा था मैं 16 तारीख को मौजूद नहीं रहूंगा । तो मैंने कहा, रेवेन्यू का मैटर तो रेवेन्यू डिमांड में ही उठेगा ।

श्रीमती कमला : मैं इस सदन में कहना चाह रही हूं, 7 दिन के अन्दर-अन्दर हम उसका फैसला कर उसके लिए उच्च स्तरीय जांच बैठा देंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाउस एडजोर्न के पहले, मैडम ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, हाउस एडजोर्न के पहले ।

श्रीमती कमला : 7 दिन हैं हाउस में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पार्लियामेंटरी मंत्री महोदय, हां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये अब। It is sufficient now.

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्व महकमे के सुचारु, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से कार्य संचालन के लिए पूरी कटिबद्धता से काम किया जाएगा। जो भी अधिकारी आज निष्क्रियता से, लापरवाही से और गलत तरीकों से प्रशासन को कमजोर किये हुए हैं उनको पाबंद करने के लिए कदम दर कदम व्यवस्थाएं कायम कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज किसानों को जिन मुद्दों के कारण परेशानी हो रही है उनके निराकरण के लिए उन दोनों एक्ट के अन्दर जितने भी सम्भव संशोधन लाये जा सकेंगे वे संशोधन इसी सत्र में लाने की चेष्टा की जाएगी। अलाटमैंट की, उपनिवेशन की और सी.ए.डी. की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रभावी और तत्पर निराकरण के लिए विभाग और सरकार काम करेगी। मैं निवेदन करूंगी की मांगों को पारित किया जाय।

मांग संख्या 8 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,40,22,000/- (एक अरब अठावन करोड़ चालीस लाख बाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास (कमान क्षेत्र विकास) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,61,90,000/- (दो अरब पचपन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलिए है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

आधे घण्टे की चर्चा। श्री जगमाल सिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप आपस में ही चर्चा कर लो, क्यों परेशान करते हो ?

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपस में बात कर लो, घर में बैठ कर तय कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब कभी इस हाउस में पिछड़ों का मामला आया तब जाने की लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव । अगर हाउस में किसी मंत्री की सबसे बढ़िया परफारमेंस रही है तो कल्लाजी की रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, जो कुछ कहेंगे सदन में ही कहेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भार्टी : श्री जगमालजी, सबसे ज्यादा कपड़ें बी.जे.पी. वालों ने कल्ला जी के फाड़ने की कोशिश की ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब हम फाड़ रहे हैं मिल कर ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं चालू कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इनको कहिये जो बोलें, फिर आप क्वेश्चन पूछना ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चर्चा करेंगे, यही है प्रोविजन ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नो, सर । आप देख लीजिये, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : देख लिया ।

श्री जगमाल सिंह यादव : आधे घंटे की की चर्चा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, चर्चा कराएंगे, न, but let the statement come.

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं चर्चा पर ही बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा कर लीजिये न आप ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले स्टेटमेंट आ जाने दीजिये न, आराम रहेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : ना.ना । या आप जो व्यवस्था दें मैं उसका पालन कर लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आल राइट, एग्रीड । आप चालू करो ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मुल्क आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधान मंत्री बने तो दिल्ली के कुछ समाज-सेवी लोग देर रात पंडित नेहरू से मिलने गये । पता लगा कि पंडित नेहरू सो रहे हैं । उन्होंने सोचा कि भीमराव अम्बेडकर से मिल लें । वे ही समाजसेवी जब भीमराव अम्बेडकर के पास रात को एक बजे पहुंचे तो वे जाग रहे थे । उन समाजसेवियों ने पूछा कि जिसके कंधों पर देश का, मुल्क का भार है वे तो सो रहे हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, आप जाग रहे हैं ? यह भीमराव अम्बेडकरजी ने अपनी जीवनी में लिखा है । तो उनको जवाब दिया कि नेहरू के लोग जाग रहे हैं इसलिये नेहरू सो रहे हैं, मेरे लोग सो रहे हैं इसलिए मुझे जागने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के मामले में कुछ अलग धारणाएं पनप गयीं, समाज में कटुता बढ़ने का काम हो गया लेकिन मैं सवर्णों से, उच्च वर्ग के उन लोगों से एक अपील करना चाहता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवर्ण तो आप हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब मैं अन्य पिछड़ों में आ गया हूं।

इस रिजर्वेशन की बात अगर सबसे पहले किसी ने की और इस रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था इस मुल्क में किसी ने संविधान में दी तो वे सब उच्च जाति के लोग थे। सबसे पहले 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट 1955 में आयी उसमें कहा गया कि इस मुल्क को एक रखना है, समाज को एक रखना है और बी जे.पी. वालों, अगर आपकी भाषा में बोलू तो यह कहा गया कि अगर इस हिन्दू धर्म को एक रखना है तो इस धर्म में पिछड़े हुए लोगों के अधिकार देने होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद राम मनोहर लोहिया जो जाति से बणिया थे, उन्होंने कहा, पहले कहा कि पिछड़े पाएं तो सौ में से सांठ। गांधीजी भी जाति से बनिया थे। गांधीजी ने बाकायदा वकालत की और यह कहा कि संविधान में यह क्लाज डालना चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय. इन्होंने जाति से बनिया होने के बाद भी पिछड़ों की, शोषितों की और दलितों की वकालत की। इतना ही नहीं, एस.सी. और एस.टी. को जो रिजर्वेशन मिला उसके बाद ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन देने वाले थे माननीय वी.पी. सिंह साहब जो उच्च क्लास और उंची जाति से सम्बन्ध रखते हैं। मैं आज उन ऊंची जाति के लोगों से एक अपील करता हूं----

(21.00 बजे)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वी. पी. सिंह साहब कौनसी जाति के हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि ऊंची जाति के हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यह अपील करना चाहता हूं उनकी जाति के लोगों से कि हम जरा पिछड़ गये, शोषित और दलित इस मुल्क में पिछड़ गये, यह समाज और देश एक रह सकेगा बशर्ते कि हमें भी अंगुली पकड़कर कुछ अपने सहारे और अपने साथ लेकर चलने की कोशिश आप करें।

उपाध्यक्ष महोदय, 25.11.1949 को संविधान सभा की बैठक में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। केवल राजनीतिक आरक्षण, नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं करते हैं, बल्कि बात हैं सोशल जस्टिस की जो मूल आत्मा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 25.11.49 को कहा संविधान सभा में कि बिना सामाजिक आरक्षण के राजनीतिक आरक्षण बेमाने हो जाएगा। मैं ज्यादा इस पर तरजीह नहीं दे रहा हूं, ज्यादा लम्बी तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि अगर आप हमको सामाजिक तरीके से अपने साथ लेकर चलें तो हमको न राजनीतिक आरक्षण चाहिये और न सर्विसेज में आरक्षण चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज संविधान में एस सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. को जो आरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है वह कोई खैरात नहीं बांटी जा रही है या कोई अहसान नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 1932 में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, आपको याद होगा आप विद्वान आदमी हैं, मेरी तो उम्र भी छोटी है। तब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी, जब देश गुलाम था, यह मांग की थी जो जिन्ना ने मांग की थी। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष

(श्री जगमाल सिंह यादव)

महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, कि इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधान मंत्री रौमसे-डोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया था। क्या था वह कम्युनल अवार्ड? कि जिन्ना ने जो मांग मांगी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की वही मांग ब्रिटिश गवर्नमैंट स्वीकार करती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्पेसिफिक पाइंट पर आइये।

श्री जगमाल सिंह यादव : साहब, आधे घंटे की चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा है, तो इस पर और भी सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हैं, अगर आप चाहें तो आपको पढ़कर सुनाऊं?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, मैं तो आपसे ही संरक्षण चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संरक्षण चाह रहे हैं लेकिन संरक्षण नियमों के विरुद्ध नहीं दे सकता। रूल्स के तहत ही करूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं और जल्दी कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो इंग्लैण्ड पहुंच गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां इंग्लैण्ड की बात कर रहे हैं, यहां की बात छोड़ दी?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आज पाकिस्तान बन गया, अगर कम्युनल अवार्ड को मान लिया जाता तो दलिस्तान इस देश में खड़ा हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह माना गया तो गांधीजी ने भूख हड़ताल की और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं कम्युनल अवार्ड को डिनाई करता हूं। उसके बाद पूरा एक्ट आया जो आज मैं संविधान की चर्चा कर रहा हूं। मै आता हूं मेरे मुद्दे पर। संविधान में एक क्लाज डाला गया पूना एक्ट, और 24 सितम्बर, 1932 को पूना एक्ट लागू किया। उसमें हमने गारंटी दी शोषित, दलित और पीड़ित को, बाकायदा पण्डित मदन मोहन मालवीय, जी. आर. बिड़ला, ए. पी. सप्रू, भीमराव अम्बेडकर और राजेन्द्र प्रसादजी की उपस्थिति में हमने यह वायदा किया कि जिस समय हिन्दुस्तान बनेगा जो आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, हम आपके अधिकार आपको देंगे। यही नहीं, जब 1935 में गवर्नमैंट आफ इण्डिया एक्ट बना अंग्रेजों के जमाने में तो यह हमने गारंटी दी कि जब मुल्क आजाद होगा तो नया संविधान आपको यह दिया जायेगा। यह तो मैंने एक निवेदन बताया है कि हमको कोई खैरात में नहीं मिला। हमको गुलाम भारत में यह गारंटी दी गयी थी कि आपके हक-हकूकों को सुरक्षित रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात मै आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब ये क्या कर रहे हैं? 1.4.97 को डी.ओ.पी. ने एक आदेश जारी किया, कल्ला साहब भले ही नोट कर लें। उस आदेश में क्या किया गया, कि प्रमोशन के आधार पर जो एस. सी. और एस. टी. के आफिसर्स हैं उनकी सीनियरिटी को तोड़ दिया गया। यह उसी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चर्चा पर आ गया हूं मैं। उपाध्यक्ष महोदय उसमें यह कहा गया कि एस.सी. और एस.टी. का अधिकार अगर प्रमोशन पा जायेगा और जनरल का आफिसर अगर तीन साल बाद भी उसी श्रेणी में सीनियर स्केल में या सुपर टाइम स्केल में आ जायेगा तो चाहे वह बाद में प्रमोशन हुआ लेकिन सीनियरिटी राजस्थान में नम्बर एक पर होगी। अगर वह सीनियर था जनरल का और ओ.बी.सी. का, और एस.टी. का तीन साल पहले प्रमोशन पा गया तो जो बाद में प्रमोट हुआ उसकी सीनियरिटी उस एस.सी और एस.टी. के आफिसर से पहले काउन्ट की जाएगी।

(21.06 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी. सभापति, पदासीन)

साहब, आपसे डर लगता है मुझे। सभापति महोदय, यह फैसला किया उन्होंने वीरपालसिंह चौहान बनाम भारत सरकार के मुकदमे को आधार बनाकर। कल्ला साहब, इसके बाद फैसला आ गया जगदीश लाल बनाम हरियाणा सरकार का। जो फैसला वीरपालसिंह बनाम भारत सरकार का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया लेकिन आपके जो आदेश 1.4.97 के हैं आज भी डी.ओ.पी. ने उनको विड्रा नहीं किया। इसलिए एस.सी. और एस.टी. के आफिसर्स की मैरिट तोड़ने का जो काम 1.4.97 के फैसले से हुआ था उसके बाद जगदीशलाल बनाम हरियाणा सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आब्जर्वेशन दे दी और पहले फैसले को टर्न डाउन कर दिया इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कि 1.4.97 का जो+++आदेश है आपके डी.ओ.पी. का, उस फैसले को आप तुरन्त विथड्रा करिये ताकि एस.सी. और एस.टी. के लोगो को सुरक्षा मिल सके।

एक माननीय सदस्य : यह तो बी.जे.पी. के टाइम में हुआ है।

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, मैं यह भी कह रहा हूं कि ये सारे+++तो इन्हीं के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कुछ हुआ... (व्यवधान) यह तो डेट बता रही है कि सारे+++इनके जमाने के हैं लेकिन आपसे अपील करता हूं कि आप इसमें सुधार करेंगे।

सभापति महोदय, नया रोस्टर डाल दिया। पहले जो पुराना रोस्टर था उसमें तो एस.सी. का पहला नम्बर था और एस.टी. का चौथा नम्बर। आपने जो नया रोस्टर बनाया उसमें क्या स्थिति कर दी? एससी. का कर दिया सातवां नम्बर और एस.टी. का कर दिया नवां नम्बर। यानी कि अगर छः वेकेन्सी निकलती हैं तब तक एस.सी. का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी सलैक्ट नहीं होगा और जब तक आठ वेकेन्सी निकलती हैं तब तक एस.टी. का कोई कर्मचारी और कोई अधिकारी सलैक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं -

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय जगमालसिंहजी, मैं इन्टरफियर करना चाहूंगा। जो रोस्टर बना हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें त्रुटि आ रही है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय दायमाजी, बोलने दीजिये इन्हें ।

श्री जगत सिंह दायमा : खैर, मैं भी बोल लूंगा । मैं बाद में बोल लूंगा ।

श्री सभापति : हां, बोलना । पहले इनको बोलने दीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या बताओगे ? चलो अभी बता दो ।

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह जी, बोलिये । प्लीज कन्टीन्यू ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, ओ.बी.सी. के रोस्टर में डिक्लेयर नहीं है । मैं अर्ज कर रहा हूं एस.सी. और एस.टी. का रोस्टर । सभापति महोदय, मण्डल केस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है इन्दिरा साहनी बनाम स्टेट के मामले में, जो मण्डल केस के नाम से बहुत प्रचलित हुआ । उसमें एक रूलिंग दी गयी, भारत सरकार के कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा लेकिन उसका गलत इन्टरप्रिटेशन निकाला गया । सभापति महोदय, मिसाल के तौर पर जो बैकलॉग है राजस्थान में 25 हजार कर्मचारियों को जो वर्कचार्ज में लगे हुए थे । उनको परमानेंट कर दिया । जो 25 हजार कर्मचारी इन्होंने परमानेंट किये उनमें डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के नहीं लोग हैं । अब स्थिति क्या बन रही है ? ये कह रहे हैं कि आपने 100 जगह निकालीं, साढ़े उनचास ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के लोग ले लें । लेकिन इस इन्दिरा साहनी बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है, सभापति महोदय, यह होल्ड नहीं किया है । बैकलॉग पर कोई रोक नहीं है । इन्होंने कहा कि जो केस आ रहा है, जो आप करंट वेकेन्सीज निकाल रहे हैं उनमें 50 प्रतिशत । लेकिन अगर बैकलॉग भरने के लिए आपको जरूरत है तो 100 की 100 नियुक्तियां आप एस.सी. और एस.टी., जिनकी वेकेन्सी रह गयी है, उनका बैकलॉग भर सकते हैं । मालूम है क्या आदेश निकाला है आपके डी.ओ.पी. ने, कल्ला साहब ? आदेश निकला 26.4.94 को, उसमें यह कह दिया गया कि बैकलॉग भरने की कोई जरूरत नहीं है । 50 परसेंट से ज्यादा 49-50 परसेंट से ज्यादा जो हमारा बनता है उससे ज्यादा नियुक्तियां आप इनको नहीं दे सकते ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उस मुद्दे पर अब एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं, बी.जे.पी. की गवर्नमैंट के जमाने में बाकायदा डी.ओ.पी. का आदेश निकला, आदेश संख्या है 3/4/98, जिसमें यह कहा गया कि किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी की अगर ए.सी.आर. को आप डाउनग्रेड करोगे तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी । बी.जे.पी. की सरकार ने किया क्या है, सभापति महोदय ? जितने एस.सी. के लोग थे, जितने एस.टी. के लोग थे, जितने किसान थे उन सबकी ए.सी.आर को डाउनग्रेड किया । डाउनग्रेड किया सचिवालय में मुख्य मंत्री सचिवालय में केवल 4-5 लोगों को फायदा देने के लिये और कोई रीजनिंग नहीं दिया । यह था बी.जे.पी. के जमाने में जो मैं कह रहा हूं, जो आप आ रहे थे । और इसमें चीफ मिनिस्टर, राजस्थान सरकार खुद शामिल था । सभापति महोदय, जिन उच्चाधिकारियों की डाउनग्रेड ए.सी.आर. कर दी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

गयी थी वे लोग ट्रिब्यूनल में गये और उन्होंने अपनी ए.सी.आर. ठीक करा ली। डी.ओ.पी. आज तक उसकी अपील में नहीं गया। क्यों ? मैं आपको केवल दो मिनट सलाह ही देना चाहता हूं, बहुत लम्बी भूमिका नहीं बनाना चाहता। हमें अगर इसमें सुधार करना है, माननीय सभापति महोदय, तो मैं पहली सलाह आपको यह देता हूं कि हम संविधान के ट्रस्टी हैं इसलिये हमें प्रावधान करने होंगे कि जो भी अधिकारी रिजर्वेशन के नियमों को लागू नहीं करेगा, उनको उसके रिजर्वेशन के कोटे के मुताबिक नियुक्तियां नहीं देगा, उसके खिलाफ अपराध दंडनीय होगा। दंडनीय ही नहीं बल्कि अजमानती होगा, जैसा एट्रोसिटी एक्ट–3 है। मैं दूसरा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे अधिकार तब तक बिलकुल सुरक्षित, नहीं हो सकते जब तक कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं–चाहे गजेटेड ऑफिसर का हो चाहे गजेटेड आफिसर्स का रिक्रूटमैंट करने वाली एजेन्सी हो, उसमें रिजर्व क्लास के कम से कम 60 फीसदी लोग रखे जाएं ताकि उनको यह शिकायत करने का मौका नहीं मिले कि भर्ती करने वाले ने हमारे साथ अन्याय किया है।

तीसरा, सभापति महोदय, मैं एक मांग करता हूं कि यू.पी. और बिहार जैसे स्टेट्स के इंजीनियरिंग में और मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिया है ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आधा घंटे की चर्चा है, आधा घंटा होते ही चर्चा खत्म हो जायेगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आधा घंटे की चर्चा को क्यों बढ़ा रहे हो आप ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं समाप्त कर रहा हूं। रिजर्वेशन के मामले में अगर नीयत साफ है तो यह मांग करता हूं कि इसको संविधान की अनुसूची–9 में डाल दिया जाए ताकि अदालतों में इसकी विवेचना और अलग–अलग तरीके से अपने अपने अधिकार हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : इसे संविधान में कौन डाल देगा ? (व्यवधान) कौन डाल देगा जो आप यह सुझाव दे रहे हो ?

श्री जगमाल सिंह यादव : दो ही मांग बची हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार यह कोशिश करे भारत सरकार को कन्विंस करने की....

श्री सभापति : कमाल कर रहे हैं आप। आप ऐसी बातें उठा रहे हो जो आपके जूरिस्डिक्शन में नहीं हैं। कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्लीज कन्क्लूड।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कोई जबरदस्ती है कि आप खड़े हो जाएं। आपका लेना देना ही नहीं है। (व्यवधान) मैं जानता हूं कि व्यास जी के+++ सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हूं कि इन्दिरा साहनी बनाम स्टेट के केस में जो 50 परसेंट का बैन था उसको कर्नाटक ने तोड़ दिया। कर्नाटक में रिजर्वेशन है 66 परसेंट, तमिलनाडु में रिजर्वेशन है 69 परसेंट और आन्ध्र प्रदेश में, 72 परसेंट। मैं यह भी मांग करता हूं कि एक जैसी कौम चाहे वह जाट हो, चाहे मेव हो, चाहे कायमखानी मुसलमान हो, चाहे विश्नोई हो ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने क्या बिगाड़ा है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : चाहे राजपूत हो। यानि एक जैसा धंधा करने वाले लोगों को रिजर्वेशन की परिधि में लेना चाहिए। उस रिजर्वेशन की परिधि में जैसे तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक ने 50 परसेंट के नियम को नहीं मान कर 72 परसेंट तक रिजर्वेशन दिया है तो इस रिजर्वेशन की परसेंट यहां भी बढ़ाई जाए और एक जैसा पैसा करने वाले लोग चाहे वे किसी भी कौम के हों, उनको उसमें शामिल किया जाए। मे एक मांग और करता हूं जो आप कर रहे थे। जूरिडिक्शन ने नहीं है, यह तो जूरिडिक्सन में है राजस्थान सरकार के। ओ.बी.सी. और एस.सी., एस.टी. की कमेटी बना रखी है विधान सभा की, स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूं कि उनके हितों को वाच करती है। लेकिन आप ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के नाम पर एक कमेटी बना दें राजस्थान में जो उनके हितों को वाच करे। यह तो इनके अधिकार में है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो हाथ जोड़ते हैं, आप विराजो।

श्री जगमाल सिंह यादव : अन्त में मैं यह मांग करता हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल प्रश्नकर्त्ता तो ये हैं।

श्री सभापति : मूल प्रश्नकर्ता ये ही हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : कि डी.ओ.पी. के समस्त +++ आदेश जो एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उनको विथड्रा किया जाए और जिन अधिकारियों की सी. आर ... (व्यवधान)

श्री सभापति : आधे घंटे की चर्चा है, श्री जगमाल सिंहजी यादव। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : खराब कर दी, उन अधिकारियों की ए.सी.आर. ठीक करने का काम किया जाए। जय हिन्द।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आधे घंटे की चर्चा में मेरा है। जगतसिंह दायमा का आधे घंटे की चर्चा में नाम है और मेरे कारण ही उस दिन आधे घंटे की चर्चा हुई थी .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मैं मूल प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। डाक्टर किरोड़ी लाल का प्रश्न था, उस दिन वही स्थगित हुआ उस पर आधे घंटे की चर्चा हुई। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : मेरा नाम भी है, साहब इसमें। हीरासिंहजी का नाम है, मेरा नाम है इसमें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आरक्षण के ऊपर जो आधा घण्टे की चर्चा की जा रही है....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा है उसमें, मैं तो क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : तीनों माननीय सदस्यों को एक साथ ही बोलने का मौका दे दीजिये। आधा घण्टा तो बोल ही चुके, अब तीनों को एक साथ ही दे दिया जाये मौका, एक साथ ही बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में खतम कर रहा हूं। माननीय किरोड़ी जी.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप बैठें, मैं बोल लेता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य,इसमें मूल प्रश्नकर्ता जगमाल सिंहजी यादव हैं और समर्थन में हैं डा. करण सिंह जी यादव और जगत सिंह दायमा।

डा. किरोड़ी लाल : यह आधे घण्टे की चर्चा तो हमारे से....(व्यवधान)

श्री सभापति : ठहरिये, आप ठहरिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : एक बार स्थान ग्रहण करें आप प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, आधा घण्टे की चर्चा का जो कार्यक्रम वहां आया है (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप विराजें एक बार।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, आधे घण्टे की चर्चा का आपका कार्यक्रम क्या है ? इसमें जगमाल सिंह यादव, डा. किरोड़ी लाल मीणा, श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा आरक्षण नीति का क्रियान्वयन विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर से जो दिनांक 31 मार्च, 1999 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दे पर आधा घंटे की चर्चा उठाएंगे। (व्यवधान) सब्जेक्ट क्या है, जब यह भी प्रश्न है।

श्री सभापति : तीन नोटिस हैं तीन। तीनों पर आधे घंटे की चर्चा रखी है, तीनों को क्लब कर दिया गया है एक साथ।

डा. किरोड़ी लाल : यह आपका कार्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, तो क्लब कर दिया तीनों का मकसद तो एक ही है।

डा. किरोड़ी लाल : बोलेंगे तो सही। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलेंगे तो फिर दो बजे तक चलेगी रात को। कमाल है।

डा. किरोड़ी लाल : चलेगी आधी रात को। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा क्वेश्चन मूल है (व्यवधान)

श्री सभापति : क्वेश्चन पूछेंगे आप। (व्यवधान) आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे ?

डा. किरोड़ी लाल : आप मेरे को क्वेश्चन पूछने दो। (व्यवधान) मेरा क्वेश्चन पूछ लेने दो....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप पूछिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने तो पूरी चर्चा कर दी। (व्यवधान) वे दो-दो मिनट बैठ करके प्रश्न पूछेंगे (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं ?

श्री सभापति : यह रही कार्य सूची। देखिये व्यवस्था इसमें यह है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : एस.टी., एस.सी. का मामला है, हम भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : फिर तो हम भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो आसन की व्यवस्था है, माननीय सभापति जी, तीन आदमियों को बोलने के लिए... (व्यवधान) यह तो आसन की व्यवस्था है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आसन की व्यवस्था है....(व्यवधान) तीनों का नाम है हमारा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, डा. करण सिंहजी का नाम पुकार लिया, इनको बोलने दें आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आज तीन आये थे, तीनों को क्लब कर दिया। एक माननीय सदस्य ने इसको उठा दिया....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या हो गया ? (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया। हां, हो गया। मूव हो गया, अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा नाम है इसमें। ऐसे कैसे कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, यह कोई भाषण थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम सवाल पूछ लेते हैं। प्रश्न पूछ लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये। मंत्रीजी के बाद ही पूछेंगे आप। यह ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा टाइम। क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। इसमें व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी उत्तर दें उससे पहले (व्यवधान)

डा.किरोड़ी लाल : हमको सुनेंगे नहीं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप नियमों को पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप लेना नहीं चाहते हैं, माननीय सभापतिजी। (व्यवधान)

(श्री हीरासिंह चौहान)

एक तो ओ.बी.सी. का सबसे लास्ट में.... (व्यवधान) और आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : तो आप तो...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और आज वह रुकावट डाल रहे हैं... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा मूल क्वेश्चन है इसको आप पढ़ कर देख लो।

श्री सभापति : सभी का मूल क्वेश्चन है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय आधे घण्टे की चर्चा थी, मूल प्रश्नकर्ता ने इसमें अपनी बात कह दी... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो कुछ भी परेशानी आई है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय यह आधे घण्टे की चर्चा थी, मूल प्रश्नकर्ता ने इसमें अपनी बात कह दी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मतलब अपनी बात ही नहीं रखें ? (व्यवधान)

श्री सभापति : तीन मूल। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य को....(व्यवधान)

श्री सभापति :....(व्यवधान) प्लीज। प्लीज....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सभापति महोदय....

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सोशल जस्टिस का।

श्री सभापति : अब बैठिये आप। देखिये, आपने बहुत टाइम ले लिया। अब आप क्या निवेदन (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपके आदेश का पालन कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप पालन नहीं, क्या पालन कीजिये....

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन यह तो सोशल जस्टिस का सवाल है, अगर इसको आधा घण्टे की जगह आप एक घंटा भी ले लेंगे तो... (व्यवधान)

श्री सभापति : एक घंटा हो जाएगा तो एक घंटा हो जाएगा। पौन घंटा तो आपने ले लिया अकेले ने... (व्यवधान) ये तीन प्रस्ताव हैं, तीनों को एक साथ कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप बोलें, डाक्टर साहब बोलें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

डा. करण सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : डाक्टर साहब बोलेंगे....

श्री हीरासिंह चौहान : वे कैसे बोलेंगे डाक्टर साहब ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, बोलने दो, पर इसमें मेरा नाम है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): मैं उनका जवाब दे दूं फिर आपका .. (व्यवधान)

डा किरोड़ी लाल : जगमाल सिंहजी के बाद मेरा नाम है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय ने नाम पुकारा है उनका ..

श्री मदन दिलावर : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने दें, माननीय सभापति महोदय । यह अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला है आप किसी को....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आन ए पाइंट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा ; डा. साहब आप नहीं बोलो तो मैं कर रहा हूं शुरू फिर । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह एस.टी., एस.सी. का मसला है, उस पर खुल कर चर्चा होने दें । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठियेगा । आप सुनिये मेरी बात । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, +++(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, बंद नहीं करना चाहता हूं । आप सुनें....

श्री हीरासिंह चौहान : आसन से व्यवस्था दी गयी है, यह तो बहुत....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, अब आप सुनिये बात । आप सुनियेगा मेरी बात, पहले सुनियेगा । (व्यवधान) प्लीज, प्लीज (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम भी एस.टी., एस. सी. के हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देखिये, एस.टी. का मामला है इसको चलने दीजिये ।

श्री सभापति : मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ आकर्षित कर रहा हूं ।

डा. किरोड़ी लाल : आपका सैक्रेटेरिएट का जो हमारे पास एजेंडा गया उसमें जगमाल सिंह यादव, डा. किरोड़ी लाल और हीरासिंह चौहान, ये तो हैं ही, बाकी के सदस्य भी बोलेंगे । इसमें टाइम दो.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सबसे पहले तो मेरा नम्बर था, मैं शुरू कर रहा हूं ।

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही ! आप सुनिये....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, +++ (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : आधे घण्टे की चर्चा पर मैं मूल समर्थक था....

श्री सभापति : सुनिये, सुनिये आप मेरी बात । आपके इसमें तीन प्रस्ताव हैं

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री सभापति)

और तीनों एक साथ हैं। तीनों को.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : तीन कौन-कौन से हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, सुनिये तो अब आप। आप सुनते ही नहीं, आप अपनी-अपनी चला रहे हैं। तीनों को एक साथ क्लब कर दिया अध्यक्ष महोदय ने और चर्चा का सूत्रपात माननीय जगमाल सिंहजी ने कर दिया। अगर तीनों ही आप अनुपस्थित होते तो समर्थन करने वाला भी इस चर्चा का सूत्रपात कर सकता था। "परन्तु यदि सूचना देने वाला माननीय सदस्य अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा सदस्य जिसने सूचना का समर्थन किया हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा से चर्चा का सूत्रपात कर सकेगा।" चर्चा का सूत्रपात आपने कर दिया क्योंकि आप प्रजेंट थे... (व्यवधान) तो सुनिये अब आप। अब मंत्रीजी उत्तर देंगे, उसके बाद में आपको प्रश्न... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। यह कोई व्यवस्था नहीं होती। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप दो-दो मिनट का समय दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लेकिन कर दें लेकिन : (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता। (व्यवधान) जिन्होंने फस्ट किया है, सैकिण्ड किया है....(व्यवधान) सभापति महोदय, अगर मूव करने वाला आदमी है तो.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देना नहीं चाहती पूरा और उससे डर कर भागना चाहती है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बहस वह चालू करेगा, यह सही है लेकिन बोलने से प्रस्ताव के समर्थक को नहीं रोका जा सकता। मूव मैं करूंगा, यह सही है। लेकिन जो समर्थक और प्रस्तावक हैं.... (व्यवधान) किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, जो आपकी समस्या का ... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, सदन का समय....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये मेरी बात ....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और बढ़ाया जाए। आरक्षण का मामला है....

श्री जगत सिंह दायमा : आज मूल भावना जो आरक्षण के पीछे है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विपक्ष के बोलेंगे तो हम भी एस.टी. के बोलेंगे, हम भी उनके हितों के लिए बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रतिपक्ष को बिलकुल मारना ही चाहते हैं क्या?

श्री रामस्वरूप : कोई इनका ही ठेका नहीं है बोलने का । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने डा. करण सिंह जी का नाम पुकारा है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मूव मैंने कर दिया, यह सही है (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं इनके अधिकारों को रोकूंगा नहीं, बैठिये । सुनिये, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा । आपने डिबेट का सूत्रपात कर दिया । मंत्री महोदय उत्तर देंगे उसके बाद में शेष माननीय सदस्य जिन्होंने समर्थन किया है, वे प्रश्न पूछ सकेंगे । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हम सूत्र रखेंगे क्या ? मंत्री जवाब देकर भाग जाएंगे । (व्यवधान) पहले हम बोलेंगे, साहब । यह नहीं चल सकता । पहले हम बोलेंगे । हीरासिंहजी बोलेंगे, डा. करण सिंहजी बोलेंगे और रामस्वरूपजी बोलेंगे, सब माननीय सदस्य बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जो प्रस्तुत करने वाला माननीय सदस्य है, वह डिबेट चालू करेगा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, आसन से आपने डा. करण सिंह जी का नाम पुकारा है, लैट हिम स्पीक । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, बोलिये डा. साहब ।

श्री जगत सिंह दायमा : भाई+ ++ आप तो बैठो, बोल रहे हैं वे ।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में पूरे 50 साल से कोताही बरती गयी है । जहां अनुसूचित जाति ...

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, क्या करें, बोलने दो ना ।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन है, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए ।(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे हक में बोल रहे हैं डा. साहब । (व्यवधान) आप तो बैठो... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह मैंने आपसे निवेदन किया कि तीन प्रस्ताव हैं और तीनों के ही (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : डा. साहब, आप शुरू करें । फिर आपके बस की ना हो तो मैं करूं खटाखट । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम लिस्टेड हैं.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : First of all, we will state. We are listed here.

श्री जगत सिंह दायमा : No, you are not listed here.

++ + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री मदन दिलावर : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य का नाम है लिस्ट में। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह क्या लिस्टेड है ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : We have been listed here.

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कानून ही आपने बनाया था... (व्यवधान) आप क्या बोलेंगे यहां पर ? बोलने को क्या बाकी रह गया आपके लिये ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही। बहस का सूत्रपात माननीय जगमाल सिंहजी ने कर दिया (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कम से कम यह निवेदन करता हूं जो मनुवादी हैं वे तो इसमें डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा का जवाब मंत्री महोदय देंगे। (व्यवधान) आपको मैं प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या बुरा किया जो हम नहीं बोल सकते ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पहले हम बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय जिन लोगों ने 1997 में इस तरह का काला कानून बना कर एस.टी. और एस.सी. के साथ अत्याचार किया है वे लोग आज किस तरह से कैसे बोलने के लिये खड़े हो रहे है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, पता नहीं क्या हो रहा है. ये क्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर हमें बोलने ही नही दोगे। यह लोकतन्त्र है। आप हमारा गला घोटोगे. बोलने नहीं दोगे हमें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : गला तो आपने घोटा है एस.टी. और एस.सी. का।

श्री जगत सिंह दायमा : बोलिये अब आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके उनके खिलाफ इस तरह के षड़यंत्र रचे हैं ...

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई तरीका है ? (व्यवधान) हम कोई सवाल पूछ रहे हैं तो .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारा गला आप भी नहीं घोट सकते, हम भी एस.टी. के लिये बोल सकते है। आप भी बोलिये, हम भी बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : डा. साहब को बुलवा रहे है कि मैं बोलूं ?

श्री सभापति : आपको सवाल पूछने का मैं अवसर दूंगा। मैं आपको प्रश्न करने के लिये समय दूंगा, माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमको कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने नहीं पूछा अपने मंत्री से। मंत्रिमंडल में आपने यह बात नहीं रखी आपकी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम भाषण नहीं देंगे, सवाल पूछेंगे। पहले दीजिये हमें....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने ठेका लिया है बोलने का ? हम भी बोल सकते हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी जवाब देंगे उसके बाद ये प्रश्न पूछेंगे। (व्यवधान) क्या देंगे वे ? चर्चा उठायी है और क्या देंगे वे ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी भाग जाएंगे इसलिये हम पहले बोलेंगे ?

श्री सभापति : पहले कैसे बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सरकारी) : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर....

श्री मदन दिलावर : अधिकार बनता है। अध्यक्षजी की व्यवस्था है इस प्रकार की....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, अगर यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे....

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अब काहे का पाइंट आफ आर्डर ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, पाइंट आफ आर्डर फर्स्ट। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पाइंट आफ आर्डर पहले जगमाल सिंहजी ने रखा है....

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जगमाल सिंहजी, पाइंट आफ आर्डर मेरा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर माननीय चीफ व्हिप उठा रहे हैं, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह आसन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। आप सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं, सभापति महोदय ऐसा+ + +तो मत करो आप कि कोई भी मैटर हो हम बोल ही नहीं सकते, अपनी बात ही नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, 1.4.97 को जिस काले परिपत्र को इस बी.जे.पी. की सरकार ने पास किया था और एस.सी., एस.टी. के खिलाफ इस तरह का षड़यंत्र रचा था, किस नैतिकता के नाते आप बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : किस नैतिकता के नाते आप यहां चर्चा में भाग लेने के लिये खड़े हो गये ? राजस्थान में ओ.बी.सी. वालों के साथ इतना बड़ा धोखा इस कांग्रेस को दिया है....

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : सबसे बड़ा धोखा इस कांग्रेस ने दिया है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ आप उस दिन जब मंत्रि-मंडल में सम्मिलित थे, यदि आपने अपनी नैतिकता के नाते एक दिन भी यह कहने का साहस किया होता कि एस. सी. और एस.टी. के खिलाफ... (व्यवधान) षड़यंत्र रचा तो मैं कह सकता था (व्यवधान) आज आप नैतिकता पर विचार रखते हैं ...

श्री हीरासिंह चौहान : सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस के लोगों ने दिया....

श्री राजेन्द्र पारीक : कांग्रेस के लोगों से किया....(व्यवधान) मैं आपसे कहता भी नहीं था, It is the judgement of the Hon'ble Supreme Court. और तो कांग्रेस को इन्होंने क्या दिया कहते भी.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज....(व्यवधान) आप डिप्टी स्पीकर रने हैं, क्या कर रहे हैं यह ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप मौका दीजिये।

श्री सभापति : क्या मौका दें ? मौका नहीं दें तो यह तरीका है ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप डिप्टी स्पीकर कह कर दबाना चाहते हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सभापति और डिप्टी स्पीकर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : या तो इनको लास्ट करियेगा हमें (व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर है माननीय चीफ व्हिप का, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य का नाम है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री सभापति : Please take your seat. आप अपनी जगह पर बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे नहीं, माननीय सभापति महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य का नाम है, उनको बुलाइये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : शिरोधार्य है आपका आदेश। व्यवस्था दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य भी बोलेंगे इसमें। आप बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पाइंट आफ आर्डर को ही टाल देंगे ? आप प्रक्रिया से कार्यवाही चलने देंगे ? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं स्थगित कर दूंगा परसों के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सर, मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है.. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह अनुचित जाति आरक्षण का मामला है, आखिर में इन सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को (व्यवधान)

श्री सभापति : गवर्नमेंट चीफ व्हीप का पाइंट आफ आर्डर है, उसको आप सुनने ही नहीं देना चाहते हैं। सारी मनमानी जो कर रहे हैं आपकी चलेगी? आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, पैनल आफ चेयरमैन में हैं ...

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो बिलकुल नहीं चला रहा हूं ...

श्री सभापति : बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हम आपके हुक्म को मानने के लिए तैयार हैं लेकिन मौका दीजिये। बैठ भी जाएंगे आपका हुक्म हो तो, बैठने के लिए मना थोड़े ही करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सर. मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 49 के उप नियम 5 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं. (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने निकाली थी न अपनी किताब....

श्री हरिसिंह (महुवा) (सर. मुख्य सचेतक) : उपनियम 5 में आधे घण्टे की चर्चा के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह यह है, "सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा।"

'जिस सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को पहले से सूचित कर दिया हो उसे किसी तथ्य विशेष के अग्रेत्तर विषयादिकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की आज्ञा दी जा सकती है।" यह बहुत स्पष्ट है.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न (व्यवधान)

श्री सभापति : लगता है कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनको पाइंट आफ आर्डर बोलने दीजिये एक बार।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य सूचना इसमें मैंने दी।

श्री सभापति : आप बैठिये, Don't disturb the proceedings. वह अभी चल रहा है, रेज के आधार पर, अभी कोई खत्म थोड़े ही हो गया। अपने आप+++

श्री हरिसिंह (महुवा) (सर. मुख्य सचेतक): मैंने पाइट आफ आर्डर पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई जरूरत से ज्यादा आप काबलियत दिखाना चाहते हैं?

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : हां, बिलकुल दिखाना चाहता हूं। आप मेरे को+++

श्री सभापति : बैठिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : यह नहीं चलेगा ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह नहीं चलेगा।

डा. किरोड़ी लाल : रिजर्वेशन का मामला है .. (व्यवधान) जब आदमी मरता है तब आप रिजर्वेशन देंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह क्या हुआ कि...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं बोलूंगा.... (व्यवधान) मैं वाक आउट करूंगा (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, जाइये आप, जाइये आप। (व्यवधान) हां, जाइये अब आप। (व्यवधान) बाहर जाएं अब आप— (व्यवधान) बाहर जाएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सदस्य।

श्री सभापति : मिस्टर किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप : इस बात पर.... (व्यवधान) यह राजस्थान का पवित्र सदन है....(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठ जाइये आप सीट पर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई तरीका थोड़े ही है बोलने का।

श्री सभापति : बैठ जाएं आप। (व्यवधान) बैठ जाएं आप। हां, बैठ जाएं। आप अपनी सीट लीजिये। (व्यवधान) आप यहीं बैठे रहिये।

(माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल वेल में बैठें)

श्री राजेन्द्र पारीक : अधिकार तो उसी दिन खो दिये थे जिस दिन आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आप इनको मौका नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बोलने का मौका नहीं देंगे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका आचरण देखिये... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, जवाब दीजिये .. (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप ऐसे हाउस नहीं चला सकते (व्यवधान) मंत्री जवाब नहीं दे सकता है, हमारा नाम है .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो बातें कहीं... (व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा किरोड़ी लाल : मैं बोलूंगा .. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सीट पर जाएं, आप सीट पर जाएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय नेहरू का हमेशा विश्वास था कि आराम हराम है .. (व्यवधान)

श्री सभापति : वे बोल रहे हैं ना और क्या बोलेंगे ? (व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधीजी और नेहरूजी में एक समन्वय था....(व्यवधान)

श्री सभापति : टेक योअर सीट्स.... (व्यवधान) टेक योअर सीट्स।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिसके कारण ही उन्होंने दलितों, पिछड़ों और जो दबे हुए, शोषित लोग थे उनके उत्थान और उद्धार के लिए काम किये। (व्यवधान) तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने सुझाव दिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य मंत्री से पूछा होता उस दिन 1.4.97 को जब परिपत्र जारी किया।

श्री सभापति : प्लीज, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार और उसके (व्यवधान) भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो आपने सुझाव दिये उसके लिए मैं उनका आभारी हूं (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उन पर ये थोपना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या रिप्लाई हुआ यह ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसलिए हम इस प्रकार का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : न तो सदन सुन पा रहा है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों का इस प्रकार .. (व्यवधान) वह अन्यायी है....(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : जवाब मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इतना महत्वपूर्ण विषय है यह... (व्यवधान) मगर उसको आप एक मिनट में (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी दायमा, वापस सीट लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह क्या कर रहे हैं आप ?

(माननीय सदस्य श्री जगत सिंह दायमा द्वारा श्री बुलाकीदास कल्ला के हाथ से कागज छीन लिये गये)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह देखिये आप। आचरण देखिये आप इनका ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो बोलेंगे नहीं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आचरण आपका उचित नहीं है । मुझे तो वैसे भी याद है (व्यवधान) नहीं, मेरा कागज आप कैसे छीन सकते हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखें संक्षेप में । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं और 1 अप्रेल 1997 को जो आदेश बताया था वह बी.जे.पी. के राज में लागू किया गया था . (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने जवाब नहीं ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने हाल ही में... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जन-जाति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये आराम से बोले जा रहे हैं... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हाल ही में 13.4.99 को एक आदेश जारी करके.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, एक मिनट । (व्यवधान) माननीय श्री जगतसिंह दायमा । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और आपने उनको चुप (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री जगत सिंह दायमा विघ्न डाल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अनुसूचित जाति के खिलाफ (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो मुद्दा आपने उठाया है वह 13.4.99 को आदेश के द्वारा....(व्यवधान)

श्री सभापति : सहन नहीं किया जा सकता तो बाहर चले जाइये । (व्यवधान) बाहर चले जाएं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस एस.सी. और एस.टी. के व्यक्ति को पदोन्नति दी गयी है वह उसकी पदोन्नति जारी रहेगी और बाद में . (व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई तरीका है ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो आदेश पूर्व में प्रसारित किया गया था उसको रोक दिया गया है । (व्यवधान)

श्री सभापति : बाहर जाएं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : रोस्टर प्रणाली के बारे में जो मुद्दे उठाये गये हैं उसके बारे में 31 मार्च, 1991 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 4 सैक्रेटरीज–डी.ओ.पी. सैक्रेटरी, लॉ सैक्रेटरी, सोशल वैलफेयर एण्ड मेडिकल सैक्रेटरी की कमेटी बनायी है जो 100 पाइंट रोस्टर में जो-जो कमियां हैं उसको रिव्यू करेगी और रिव्यू करके इसमें जो भी कमियां होगी उसको दूर करने का प्रयास करेगी। (व्यवधान) जहां तक बैकलॉग पर आपने प्रश्न उठाया है, वर्कचार्ज के बारे में एक वर्कचार्ज को भी नियमित करने का काम बी. जे. पी. की सरकार ने किया ...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप इधर देखें। उनकी तरफ मत देखें। (व्यवधान) उधर मत झांकिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो बैकलॉग का मामला है इसके सम्बन्ध में कांग्रेस की सरकार ने केन्द्र में....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप इसके बाद में हमको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, यह बताएं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1977 में.... (व्यवधान)

(सचिव, विधान सभा पर माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल द्वारा कागज फेंके गये)

श्री राजेन्द्र पारीक : देखिये, माननीय सभापति महोदय, शर्म आनी चाहिए इनको अपने आचरण पर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, हम अपनी मांग पर....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको आप बाहर करिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन के नियम इस आदमी को.. (व्यवधान) सचिव महोदय पर जिस तरह से फैंक कर गये हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : फैंकने ही थे तो अपने मुख्य मंत्री पर फैंके होते। (व्यवधान) 1.4.97 को जिस दिन काला परिपत्र जारी किया उस दिन फैंके होते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय, इसके बाद भी हमको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने जो प्रश्न उठाया है उसका तो जवाब दूं। (व्यवधान) बैकलॉग के बारे में कांग्रेस की सरकार ने 1977 में और समय-समय पर बैकलॉग को भरने का काम किया। हमारे समय भी यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि जो एस सी. और एस.टी. की वैकेंसीज हैं उसको वर्ष में दुबारा पदों को विज्ञापित करके किस प्रकार से भरा जाए। इसके बारे में प्रक्रिया विचाराधीन है। (व्यवधान)

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

ओ.बी.सी. का बैकलॉग एक साल के लिए रहता है, उसके बाद उसको कैरी फारवर्ड नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप अपना पूरा उत्तर दीजिये एवं प्रश्न के उत्तर बीच में मत दीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ठीक है। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए ज्यादातर लोग सवर्ण कास्ट के हैं, 10300 लोग हैं। इसके अलावा कुछ पद पहले से ही रिक्त चले आ रहे हैं उनकी संख्या है कुल मिलाकर 14620, तो 14620 पद रिक्त और 10300 पद 31 मार्च को सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए हैं। इनको जब हम भरेंगे तो बैकलॉग जो वर्तमान में हैं, निश्चित रूप से एस.सी. और एस.टी. का बैकलॉग पूरा हो जाएगा। माननीय सदस्य ने कार्मिक विभाग के आदेश 26.9.94 का जो जिक्र किया उसके बारे में भी कई प्रकार के समय-समय पर जजमैंट्स आये है। उन जजमैंट्स को रिव्यू किया जा रहा है। जहां तक आपने ए.सी.आर. को डाउनग्रेड करने का मामला कहा है, वह अलग–अलग विभागों से सम्बन्धित है। आप कोई भी स्पेसिफिक मामला बताएं, हम उसको गुणावगुण के आधार पर देखेंगे। जो आपने अन्य सुझाव दिये हैं उनके बारे में भी समय–समय पर राज्य सरकार विचार करेगी। जहां तक आपने अन्य जातियों को रिजर्वेशन कोटे के अन्तर्गत लेने की बात कही, वह अलग–अलग स्तर पर विचाराधीन है। माननीय सदस्य ने जो और सुझाव दिये हैं उन सुझावों को हम समय–समय पर विचार करेंगे तो इनकारपोरेट करने का प्रयास करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, अब मैं कर लूं ? सवाल कर लूं अब तो ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, काल अटेंशन मोशन का 1994 में जवाब दिया गया था वह जवाब था विभिन्न प्रकार के अध्यापक, मेडिकल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक संस्थाओं, नर्सिंग डिप्लोमा अध्यापन सम्बन्धी शिक्षा में पिछड़े.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : व्हाट इज पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक सैकण्ड, सभापति जी से है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसी प्रश्न से सम्बन्धित ही पूछा है।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं पाइंट आफ आर्डर यह रेज कर रहा हूं, मुख्य सचेतक जी और डिप्टी व्हिप साहब, यह जो अभी घटना हुई है और जो सैक्रेटरी साहब पर अटैक हुआ, मेहरबानी करके, सभापति महोदय, व्यवस्था दीजिये। ये लिमिट के बाहर जा रहे हैं और आप बार–बार एक्सक्यूज कर रहे हो इन लोगों को। पहले जब इनको थोड़ी बहुत रिलेक्सेशन दी तो अब यह हाथापाई पर आ गये हैं। एक जज के रैंक के आदमी हैं, यहां अपने पास सेवा करने के लिये आये हैं, कोई अपनी इज्जत खराब करने के लिए आये हैं क्या ? यह

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कोई तरीका नहीं है। आप लोग विराज गए। हर समय इनको बख्शो ? मैं यह नहीं कह रहा कि कोई हाथापाई के लिए आप इनको निकालो, लेकिन ये थोड़ा नियमों में रहे। अगर इनको कुछ करना हो तो ठीक है; वैल में जाकर बैठ जाओ। मैं तो, सभापति महोदय, यहां तक कहता हूं कि जितने कर्मचारी हैं, सैक्रेटरी साहब हैं, अपनी ज्यादा रेस्पोंसिबिलिटी बनती है कि इनसे बिहेव करें। अपने आपस के झगड़े हैं, इसलिए मैं यह व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : समापति महोदय, जिस तरह आसन से उठकर आपके सामने आकर ताण्डव किया, वह क्षम्य था लेकिन जिस तरह से जाते हुए पूरा का पूरा कागजों का बण्डल उठाकर माननीय सैक्रेटरी साहब की तरफ फेंका। यह सदन आधा घण्टे की चर्चा के लिये था, आधा घण्टे की चर्चा में माननीय जगमाल सिंहजी ने जो कुछ अपना वर्जन था, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। उसके बाद आदेश दिया माननीय डाक्टर करण सिंहजी को कि वे बोलेंगे। बावजूद इसके बार–बार व्यवधान डालते रहे और व्यवधान डालने के लिए जब आपने मना किया तो जिस तरह का व्यवहार उन्होने किया, क्या यह क्षम्य है ? यदि यह सदन परम्पराओं से हटकर इसी तरह एनार्की पैदा करके चलने की स्थिति पैदा हुई तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है कि सदन की परम्पराएं इस कदर धूमिल हो जाएंगी कि आगे आने वाला पूरा का पूरा राजस्थान इस बात के लिए यहां बैठे हुए माननीय दो सौ सदस्य हैं, उनके प्रति शर्म जाहिर करेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट निवेदन करना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : समापति महोदय, वे जिस परिपत्र की बात कर रहे हैं दिनांक 1.4.97 का, यह परिपत्र कब का था ? उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह का उदाहरण आचरण किया, क्या यह आचरण क्षम्य है ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सत्र जब से शुरू हुआ है, प्रतिपक्ष के कुछ बहुत सम्माननीय सदस्य इस बात की चेष्टा में हैं कि किसी भी तरह से सदन में अव्यवस्था फैलाई जाएं। हमारी आपस में चर्चा होती है, उग्रता आती है और एक दूसरे से हंस कर हाथ मिलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन सदन की मर्यादा होती है। आज जो नाटक यहां हुआ, पहले मंत्री महोदय के हाथ से कागज छीने गए, मेरे ख्याल से यह पहली घटना है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा एक निवेदन है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : बैठ जाइए।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बैठेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : बैठ जाइए।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे।

श्री समापति : बैठिए, बैठिए आप।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे हम।

श्री सभापति : बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठ जाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं बैठेंगे।

एक माननीय सदस्य : तो खड़े रहो।

श्री जगत सिंह दायमा : हां खड़े हैं हम।

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठिए, नहीं बैठते हैं तो (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी इसके पीछे भावना उनका अपमान करने की नहीं है, हम हाथ जोड़कर उनके पास गए थे।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का व्यवहार जो सदन में हुआ है....

श्री जगत सिंह दायमा : हमने गुस्से में नहीं किया, हमारी इसके पीछे भावना उनका अपमान करने की नहीं है, हमने खुद ने हाथ जोड़कर कहा है।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी दायमा, बैठिए आप।

श्री जगत सिंह दायमा : हमने हाथ जोड़कर कहा है, पहले हम बोलेंगे। हमारा मन अपमान करने का नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अपनी बात हम यह कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : आप नहीं बैठेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : पर्सनल बेस पर अगर आप कहें तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं।

श्री सभापति : आप नहीं बैठेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु आप भावना हमारी भी सुनिये, जब हमारा मन आता है, काम होता है तो आप रोक देते हैं बीच में।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री शिवनाथ सिंह : सदन की मान्यता है।

श्री जगत सिंह दायमा : मर्यादा हमारे हक के लिए है, हमारा हक छीनने के लिए मान्यता नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं गलत कुछ नहीं करूंगा।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय, आप अकेले ही है? ओ.बी.सी. के दुःखी और नहीं हैं क्या? सभी की भावना आपके साथ है लेकिन आपकी भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता था।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको मान–सम्मान देकर कहता हूं कि मैं इस तरह से दादागिरी तो सहन करूंगा नहीं। आप चाहें तो मेरा गला पकड़ कर दबा दें परन्तु मैं अपमान की बात से सहमत नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अपमान तो आपने किया है पूरे सदन का, माननीय मंत्री महोदय के हाथ से आपने जिस प्रकार से कागज छीनने की कोशिश की।

श्री जगत सिंह दायमा : यह आपको पता नहीं है, इसके पीछे भावना क्या है, क्या कारण है। आपका अपमान करने की नहीं है। मैंने कहा है हाथ जोडकर, फिर इन्होंने कहा...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : एक तो मैंने वे कागज वापस दे दिए, कि नहीं मानते हैं तो ले लो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, हाउस को आर्डर में लाइए। माननीय सभापतिजी, हाउस आर्डर में आना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : जब पिछड़ों की बात आती है, जब दलितों की बात आती है ..

श्री सभापति : माननीय श्री जगतसिंह जी दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा : दूसरे लोग खड़े होकर इस चर्चा को होने नहीं देना चाहते, यह हमारे हक की बात है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, यह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : यह हमारे हक की बात है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे हक किस के हाथों में सुरक्षित हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आदरणीय डाक्टर करण सिंहजी बोल रहे थे और बड़े शालीन शब्दों में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन मंत्री के हाथ से कागज छीनना और सैक्रेटरी साहब से ऐसा व्यवहार करना, यह क्षम्य नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापतिजी, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी मैंने शिवनाथ सिंहजी को टर्न दिया है, वे बोल रहे हैं। उनके बाद बोलिए, आप पहले इनको बोलने दीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए, माननीय सभापतिजी, यह जो व्यवहार अब हो रहा है, मेरे खयाल से इससे खराब व्यवहार, और तो शब्द मैं क्या यूज करूं, हो नहीं सकता। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आपने इजाजत दे दी कि बाद में क्वेश्चन...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो कुछ हुआ, सदन के सामने हुआ है, सबकी आंखों के सामने हुआ है, यह तो सदन के देखने की, सोचने की बात है।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, मैं भी सदन का सदस्य हूं इसलिए मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां, करिए लेकिन संक्षेप में करें।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए, सभापति जी, जो व्यवहार माननीय मंत्रीजी से हुआ, चिंताजनक और खेदजनक है, उसके बाद पराकाष्ठा यह कि हमारे सचिव महोदय

(श्री शिवनाथ सिंह)

की तरफ, उनको एम करके फेंका गया। इससे अधिक निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य सचेतकजी यहां हैं, दूसरे माननीय सदस्य हैं, कुछ न कुछ होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय, आपने देखा था।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय, भाषण दे रहे हैं आप।

श्री शिवनाथ सिंह : भाषण देऊंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : भाषण क्यों देंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं भाषण देने के लिए यहां आया हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हम यहां यों ही थोड़े ही आएं हैं ? भाषण क्यों दे रहे हैं ? आपने बात कह दी, बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह ; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं।

श्री जगत सिंह दायमा : जो कुछ प्रस्ताव लाना हैं लाओ। किसी को निकालना है, किसी को मारना है, प्रस्ताव ले लीजिए।

श्री सभापति : बैठिए आप, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा नम्बर है, साहब, आपने कहा था कि इसके बाद हम बोलेंगे।

श्री सभापति : बोलिये आप, क्या कहेंगे आप ?

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरी जो बात कही गई है कि मंत्री महोदय के हाथ से परिपत्र छीन लिया, उसके पीछे मैं सदन को अपनी भावना बताना चाहता हूं। डर के मारे नहीं, सम्मान के मारे बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या भावना है आपकी? आप प्रश्न कर रहे हैं, किस बात की भावना बता रहे हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : वह भावना है मेरी। (व्यवधान) हां, तो मैं यह बता रहा था। सुनो तो सही, मेरी सुनने ही नहीं दी आपने। मेरी भावना यह है कि जब हम अपनी बात कह लें उसके बाद आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब पहले ही दे दें फिर हम किसके सामने अपना दुखड़ा रोएं ? इसलिए मैं हाथ जोड़कर गया, मैं गुस्से में नहीं गया। मैं छाती तानकर, लड़ाई करने नहीं गया, मैं हाथ जोड़कर गया, हाथ से ही लिया है। वह मेरी भावना इनके अपमान करने की नहीं है और सुनिए, सभापति महोदय, अगर इनके पीछे

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, शिक्षा) They are adopting political tactics. समझे न आप।

श्री जगत सिंह दायमा : आप अब बैठिए, पता तो है नहीं आपको।

श्री अब्दुल अजीज : पता नहीं है ?

श्री जगत सिंह दायमा : अब बैठिए आप ।

श्री अब्दुल अजीज : आपको शराफत से पेश आने की आदत नहीं है ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप बैठिए ।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने आपको पहले भी देखा है इसी सदन में ।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने देखा होगा ।

श्री अब्दुल अजीज : आप लोगों के आचरण को भी देखा है ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने भी आपको देखा है ।

श्री अब्दुल अजीज : आप जूते यहां रखते थे टेबल पर, वहां मैं बैठता था ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने आपको भी देखा है, आप जैसे आचरण के व्यक्ति को मैंने भी देखा है ।

श्री अब्दुल अजीज : क्या देखा है आपने ?

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने यह देखा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ।

श्री सभापति : कल्ला साहब, बैठाओ इनको ।

श्री अब्दुल अजीज : स्वार्थ की मेरी क्या बात है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें । माननीय मंत्री जी ।

श्री जगत सिंह दायमा : पहले मेरी बात तो सुनिए । मेरी बात तो सुनने दीजिए, अगर उसके बाद कोई बात हो ।

श्री अब्दुल अजीज : आप मंत्री के हाथ से कागज छीन कर ले गए और अपनी सफाई दे रहे है ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरे मन में इनके प्रति यह है । सभापति महोदय, मुझे आपने पुकारा है ।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं भी खड़ा हुआ था, मुझे आपने अलाउ कर दिया था सवाल पूछने के लिए ।

श्री सभापति : आप को-आपरेट नहीं करना चाहते ।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं को-आपरेट कर रहा हूं । I am silently sitting here.

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है उनको एक-एक, दो-दो प्रश्न करने की इजाजत दे दें ताकि चर्चा समाप्त हो जाए ।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इजाजत दीजिए, हमारा प्रस्ताव है ।

श्री जगत सिंह दायमा : अगर यह भी नहीं करने देंगे तो हम सदन में आए किस

(श्री जगत सिंह दायमा)

लिए हैं ? फिर आप कहते हैं कि गलत हैं हां, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री करणसिंह यादव ।

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल पूछने के लिए पहले मुझे अलाउ किया, You have to first allow me.

श्री सभापति : माननीय श्री करणसिंह यादव ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं दो मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले आपने मुझे पुकार लिया था।

श्री सभापति : माननीय यादव साहब के बाद आप।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में वहां वाइस चान्सलर वी. राजगोपालन जी को एक इन्कवायरी जो राजस्थान सरकार ने दी थी, उसको लेकर आया था जिसमें एक उपकरण था, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर चार प्रश्न करूंगा कि उसमें किस तरह से एस.सी., एस.टी. के कैण्डीडेट्स को इन्टरव्यू में नहीं बुलाया गया। पोलिटिकल साइन्स के अन्दर इन्टरव्यू होना था, 12 तारीख को टेलीग्राम के जरिए बुलाया जाता है कैण्डीडेट्स को। इस इन्टरव्यू कमेटी के अन्दर जो एकमात्र शिड्यूल्ड कास्ट के मैम्बर थे डाक्टर करण सिंहजी, धौलपुर के, उनको टेलीग्राम नहीं दिया गया। 12 अगस्त को टेलीग्राम देते हैं, 13 को सेटरडे रहता है, 14 को सनडे, 15 को 15 अगस्त की छुट्टी है और 16 तारीख को इन्टरव्यू करके उसमें एकमात्र एस.सी. का ऐसा आदमी जिसका 11 साल का टीचिंग एक्सपीरिएंस, उसको छोड़ दिया जाता है। जो सैकिण्ड क्लास एम. ए में सैकिण्ड क्लास एम. फिल. परीक्षा पास किए हुए, उसका नाम है मूलचन्द आर्य जो कि आज अजमेर विश्व-विद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है, उसको छोड़कर यह कहा जाता है कि आप अनसूटेबल हैं उसके लिए। उस पद को ठीक दो महीने बाद जनरल कैण्डीडेट से भर दिया जाता है। यह है राजस्थान विश्वविद्यालय, सबसे बड़े राजस्थान का हालात यह रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय का जब मैंने एक प्रश्न किया था, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने 304 तदर्थ नियुक्तियां की हैं जिसमें सात कैंडीडेट अनुसूचित जाति के हैं। यह 166 लोगों के बारे में गवर्नमैंट की करायी हुई स्टडी है। इसको और किसी ने नहीं राजस्थान सरकार के एजुकेशन मंत्री श्री वैश्य ने कंडक्ट किया हुआ है। उसमें वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 166 कैंडीडेट जो लिये गये उनमें मात्र एक एस.सी. का कैंडीडेट था। यह है राजस्थान विश्वविद्यालय की और बाकी यूनिवर्सिटीज की स्थिति। आज ओ.बी.सी. की बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

(डा. करण सिंह यादव)

पहले से निर्धारित है । आज 304 लोगों का नियमन करने की बात आती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि इसका नियमन करने से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा रिजर्व होगा या नहीं होगा ?

मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा, राजस्थान में ओ.बी.सी. के लिए जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट था उसका सन् 1993 के अन्दर ऑर्डिनेंस जारी किया गया । उसमें जब पे-ग्रेडस बन गईं तो उनको कब रिवाइज करने जा रहे हैं ? आज ओ. बी. सी. के लिए क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के मामले में क्लीयर कट आदेश नहीं होने की वजह से लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के तहसीलदारों से सर्टिफिकेट लेने में बड़ी भारी दिक्कत होती है ।

तीसरा पाइंट जो मैं रेज करना चाहूंगा, इस ऑर्डिनेंस के अन्दर और आपके सब परिपत्रों में बहुत क्लीयर तरीके से लिखकर दिया हुआ है कि वे कैंडीडेट जो अपनी योग्यता के आधार पर नार्मल मैरिट के अन्दर आ रहे हैं उन कैंडीडेट्स को आप रिजर्वेशन कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे । मैं आपके सामने ऐसी अनेक लिस्ट प्रोड्यूस करूंगा । शिक्षा विभाग की इसी साल जारी हुई लिस्ट, जिसमें जो सामान्य का कैंडीडेट है उसकी लोएस्ट मैरिट है 95.25 और ओ बी.सी. के कैंडीडेट को रिजर्वेशन दे रहे हैं 97 वाले को । छह कैंडीडेट ऐसे हैं जो नार्मल मैरिट के हैं, उनसे जनरल मैरिट का कम है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो कोताही बरती गई है इसको आप दुबारा से रिव्यू कराएं । (व्यवधान) जगत सिंह जी, एक मिनट आप बैठ जाएं, मुझे कम्पलीट करने दीजिए, मैं कुछ रेलेवेंट मुद्दे उठाना चाहता हूं ।

सिर्फ यही नहीं, 31 मार्च को आपकी चयन सूची खतम हो गई । जो लोग इस मैरिट में आ सकते थे जो जनरल मेरिट में आ सकते थे उनको और उनके नीचे जो बचे हुए ओ. बी. सी. और एस. सी. एस.टी. के कैंडीडेट हैं उनको आप देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इसके बारे में आश्वासन चाहूंगा ।

मैं आपके सामने एक पत्र प्रस्तुत करूंगा । उदयपुर के अन्दर लैब टेक्नीशियन की और रेडियोग्राफर की नियुक्ति होती है । पद स्वीकृत हैं । 60 पद लैब टेक्नीशियन के स्वीकृत हैं । वहां पर एग्जाम देने के लिए टोटल 46 कैंडीडेट आते हैं । 42 को सलैक्ट करते हैं और बाकी चार कैंडीडेट को इसलिए नहीं किया जाता कि हंड्रेड पॉइंट रोस्टर में 43वां नम्बर है वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, जो 45वां नम्बर है वह अनरिजर्व्ड के लिए है, 46वां अनरिजर्व्ड के लिए है, 47वां नम्बर अनरिजर्व्ड के लिए है । ये जो चार कैंडीडेट थे उनमें से तीन ओ.बी.सी. के और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का था । वहां की चयन समिति उनको इसलिए नहीं लेती कि रोस्टर पाइंट में ये बिन्दु अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं । जब रिजर्व्ड कैटेगरी का आदमी नहीं मिलता तब तो चयन समिति यह कह देती है कि नाट फाउंड सूटेबल, इसलिए आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को ले लीजिए । ठीक उसी तरह से अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का आदमी है और आपको जनरल कैंडीडेट मानकर नियुक्ति

(डा. करण सिंह यादव)

देनी होगी। यह इस तरह का ऑर्डर है जिसके लिए वहां के अधिकारी लिखकर पूछते हैं कि क्या हम इनको ले लें या नहीं लें। इसलिए आप सचमुच में इन वर्गों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, खासतौर से एस. सी., एस.टी. और ओ. बी. सी. की तरफ, तो सरकार निर्णय ले कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूनिवर्सिटी के पब्लिक सर्विस कमीशन में एस.सी. और एस.टी. का आदमी जो आपके लिए लेना मेंडेटरी है ठीक उसी तरह से मेंडेटरी बनाइए कि उसमें एक ओ.बी.सी का भी हो क्योंकि वहां के लोगों को सलेक्शन के टाइम पर नहीं लिया जाता।

दूसरा मैं सदन में यह निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को मैंने मेरी मेडन स्पीच में, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरा भाषण था उसमें मैंने निवेदन किया था और अन्य माननीय सदस्यों की भी राय है, कि सरकार को और इस सदन को कहां दिक्कत आ रही है ओ.बी.सी. की कमेटी बनाने के लिए। सदन में ओ.बी.सी. की कमेटी हो, अफसरों को बुलाएंगे, जहां-जहां कोताही होगी उसको देखकर जांच करेगी।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह राजस्थान विधान सभा की 25 मई, 1992 की कार्यवाही की कॉपी है जिसमें सदन की समिति के गठन के अन्दर तत्कालीन श्रम मंत्री श्री ओंकार लाल जी एक प्रस्ताव लेकर आये और सदन में सर्वसम्मति से समिति गठन कर दी गई। जब हम ओ.बी.सी. के कल्याण की बात सोचते हैं तो क्यों नहीं इसी सत्र में एक प्रस्ताव लेकर आते माननीय समाज कल्याण मंत्री जी अथवा मुख्य सचेतक जी, अथवा कार्मिक मंत्री जी, इस सदन के अंदर एक इस तरह की कमेटी बने।

दूसरा एक और निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की बहुत शिकायतें हैं कि आम तौर पर गांवों के इन वर्गों के लड़कों को अफसरशाही ढंग से जवाब नहीं देती और घूम-फिरकर एक बात कही जाती है आप जाइए, और कोर्ट के अन्दर केस कर दीजिए। कोर्ट में जाइए, 10 हजार 20 की फीस दीजिए। उसके बाद में जायज मांग के लिए कोई हमारे जैसा आदमी रिकमण्डेशन लेकर आएगा तो कहेंगे कि यह तो सब-जुडिस है, कोर्ट से जब फैसला हो जाएगा तब हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके कार्मिक विभाग में एक ऐसा सेल गठित हो या किसी एक अधिकारी का जिम्मा हो कि राजस्थान में कहीं भी इन वर्गों के साथ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय, मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

अगर कहीं भी आपको लगे कि इनके प्रति कोताही बरती जा रही है तो इसके लिए एक कमेटी गठित करके इस बात का प्रयास करें कि हम बैठकर इनकी शिकायतों का निवारण कर सकें। अन्यथा एप्लीकेशन तो मैं लिख-लिख कर दे रहा हूं, नीचे जा रही हैं, जांच हो रही हैं, उसमें महीने लग जाएंगे। इससे लड़कों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है।

दूसरी बात, आरक्षण आप क्या देंगे जब पिछली सरकार के माननीय भाई

(डा. करण सिंह यादव)

नाराज हो रहे थे, 1 से 6 के पदों को जब नौकरी में रखा ही नहीं। सब जगह ठेकेदारी प्रथा हो गई। गरीब आदमी के लिए, हरिजन के लिए, अनुसूचित जाति के आदमी के लिए और नीचे के तबके के आदमी के लिए, हरिजन की, सफाई कर्मचारी की, वार्ड बॉय की, चपरासी की नौकरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उन नौकरियों को इस पिछली सरकार ने बंद कर दिया। सरकारी नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है। सरकारी नौकरी से आदमी की इज्जत बढ़ती है, हैसियत बढ़ती है। इस इज्जत और हैसियत को बढ़ाने के लिये आरक्षण दिया गया, सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि आप इस ठेकेदारी प्रथा को खतम करें, वरना नीचे वाले जो दसवीं आठवीं पास हैं उनके लिए कोई नौकरी ही नहीं है।

ये कुछ मुद्दे थे जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुख्य रूप से एक बात कहना चाहूंगा, जब तक आप इस तरह के नियम नहीं लेकर आएंगे कि आरक्षण में कोताही बरतने वाले आदमी को सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे उसकी ए.सी.आर. में हो, चाहे उसका प्रमोशन रोका जाये, तब तक यह अफसरशाही और अफसरशाही में बैठे हुए लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को दूर नहीं कर सकते। इस बारे में ये ही छोटे-से सुझाव हैं जो मैं आपको देना चाहता था।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 1 नम्बर से लेकर 6 नम्बर स्केल के पदों पर नियुक्तियों पर जो बैन लगा रखा था वह बैन समाप्त कर दिया गया है।

जहां तक यूनिवर्सिटीज में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के बारे में रिजर्वेशन का मामला है, इस सम्बन्ध में 1975 में राज्य में एस.सी. को 16 परसेंट, एस.टी. को 12 परसेंट और उसके बाद 21 परसेंट ओ.बी.सी. को आरक्षण देने के आदेश 28.9.93 को जारी किये गये हैं। लेकिन पिछले वर्षों में यूनिवर्सिटीज में पता नहीं जान-बूझकर अथवा किसी न किसी तरीके से बहुत कम सलेक्शंस किये गये और एस.सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. का ध्यान बिलकुल नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी यह बात सही है कि 304 व्यक्तियों में से मात्र 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो एस.सी. और एस.टी. से सम्बन्धित हैं और ओ.बी.सी. के लोग तो बिलकुल है ही नहीं। तो इन सभी चीजों को जो सदन में माननीय सदस्य ने रखी हैं, अब आने वाले समय में निश्चित रूप से राज्य सरकार इस गम्भीर मुद्दे के ऊपर विचार करेगी। हम एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के मामले में बहुत संवेदनशील हैं और मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह राय देकर राज्य स्तर पर एक कमेटी बनाऊंगा। वह कमेटी राज्य में कहीं पर भी रोस्टर की अथवा एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के आरक्षण की कहीं कोई शिकायत आएगी तो उसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

श्री रामस्वरूप : उसमें एस.सी., एस.टी. के सदस्य भी रखे जाएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, उसमें उन सदस्यों को भी रखा जाएगा।

ओ.बी.सी. की क्रीमी लेयर के बारे में निश्चित रूप से कई बिन्दु आये हैं। यह क्रीमी लेयर जिस समय बना था उस समय एक लाख रुपये की जिसकी आय है, वह व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकता था। इसी तरीके से जो फर्स्ट क्लास सर्विसेज में थे। कई स्केल निर्धारित किये गये थे, उनकी सम्पत्ति, उनकी आय, इन सबको आधार मानकर यह बात कही गई थी। अब माननीय सदस्य ने इसके रिव्यू की मांग की है, इसको भी गुणावगुण के आधार पर दिखवाऊंगा।

(22.00 बजे)

जहां तक आपने यह कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के हैं और जो मैरिट में स्टैण्ड करते हैं, उनका सलेक्शन होना चाहिए, उस सम्बन्ध में भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी की योग्यताएं रखते हैं और मैरिट में स्टैण्ड करते हैं ऐसे लोगों को सलेक्शन में मैरिट के आधार पर निश्चित रूप से लिया जाएगा।

आपने ओ.बी.सी. की कमेटी के गठन के बारे में बात कही है, यह चूंकि प्रिंसिपल डिसीजन है, मैं आपकी राय से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराऊंगा कि वे इस सम्बन्ध में विचार करें और आगे निर्णय करें।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले मैं बोलूंगा। बहुत लास्ट में रख दिया, अब तो बोलने दो।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या लास्ट में रख दिया ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्री जी... (व्यवधान) इसी हाउस में....

श्री जगत सिंह दायमा : फिर मेरी बात आ रही है, वहीं माननीय करण सिंहजी के बाद मेरा नम्बर आना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूं (व्यवधान) मैं तो लिस्टेड हूं भाई.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : लिस्टेड की क्या बात है जब उनके बाद मेरा नम्बर है ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कहां से आ जाएगा तुम्हारा नम्बर ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कैसे नहीं आ जायेगा नम्बर ? (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्षण की बात कर रहे हैं, 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार केवल इसी मुद्दे पर बी.जे.पी. वालों ने गिराई थी। वी.पी. सिंहजी ने मण्डल कमीशन लागू किया था और उसका विरोध करते हुए उन्होंने उन्हें गिराया। उसके बाद 4 वर्ष तक राजस्थान की बी.जे.पी. की सरकार ने ओ.बी.सी. के लिए लागू नहीं किया था। (व्यवधान) चर्चा नहीं होने दी, 4 वर्ष तक लागू नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में एक चर्चा जोरों पर है, हर आदमी की जुबान पर एक प्रश्न है कि राजस्थान सरकार जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में जाटों को आरक्षण की बात किये बैठी है, क्या जाटों को आरक्षण देगी ? मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय, आपसे भी यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान की सरकार जाटों को आरक्षण देने का विचार रखती है ? यह बड़ा स्पष्ट प्रश्न है और राजस्थान में आज हर आदमी की जुबान पर यह प्रश्न है। जब आप अपने मेनिफेस्टो में यह बात कह बैठे हैं तो आपको यह घोषणा तत्काल करने में क्या परेशानी पैदा हो रही है ? साथ-साथ जो अन्य जातियां हैं क्या आप उनको भी आरक्षण देने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सबके उत्तर आ गये। मेरा भी उत्तर दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं भी अपने प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भी लीजिये।

श्री सभापति : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षण संस्थाओं मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और इन सब में ओ.बी.सी. को आरक्षण के बारे में कुछ मुद्दे उठाये हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य में जो पोलिटैक्नीक कालेज हैं उनमें 16 प्रतिशत आरक्षण अपाइन्टमैंट में एस.सी., एस.टी. का 12 प्रतिशत और ओ.बी.सी. का 21 प्रतिशत है। इस प्रकार पोलिटेक्नीक में एस.सी., एस.टी. का एडमीशन के लिए 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत रिजर्वेशन है, ओ.बी.सी. का है नहीं। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है ? माननीय सदस्य खुद विवेक से विचार करें कि इसकें पहले किसकी गवर्नमैंट थी, किसने रिजर्वेशन नहीं दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो आपसे मांग कर रहा हूं, आपने 35 साल पीछे रखा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझ से मांग कर रहे हो, हमारी गवर्नमैंट तो अभी आयी है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : .. (व्यवधान) 61 में सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने आर्डर किया था।

(श्री हीरासिंह चौहान)

तक किसका राज था ? राज आप लोगों का था। आपसे मांग कर रहे हैं, पिछली सरकार की बात मत करिये। आप क्या करना चाहते हैं, वह बताइये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आपको तो अपने दल से त्याग पत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। (व्यवधान) पिछली सरकार को याद मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको तो अपने दल से त्याग पत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा - सभापति महोदय, अब यह बहस का मुद्दा है— (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिस पार्टी ने इस राज्य में....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ....(व्यवधान) हमारी बात क्यों करते हो, हमारी पार्टी का राज ही नहीं था। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या बात करते हो, किसकी बात कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कहां राज था हमारा ? राज तो आपका था।

श्री जगत सिंह दायमा : ....(व्यवधान) हमारी बात तो होने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंह जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं उत्तर चाहता हूं। (व्यवधान) मांग कर रहे हैं हम। (व्यवधान)

श्री सभापति : तो मंत्रीजी से क्यों कह ...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह मेरी मांग है। मैंने एडजोर्नमैंट दिया था। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस टोन में मंत्रीजी से सवाल किया जा रहा है, मेरी गहरी आपत्ति है। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, जो सदन के पालनीय नियम हैं, कि कोई चीत्कार नहीं करेगा, कोई चिल्लाएगा नहीं। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस अंदाज में बात कर रहे है .. (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप मुझे क्या नियम सिखाते हो ? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपकी बात से सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता, मैं मेरी बात को रखता हूं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप किस हिसाब से एग्रेसिव हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमें भी ज्ञान है जो बैठे-बैठे इशारे हो रहे हैं, इसका हमें भी ज्ञान है । ऐसे बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय ।

श्री हीरासिंह चौहान : उप मुख्य सचेतक जी आरोप लगा देते हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय ऑन ए पॉइंट ऑफ आर्डर ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप उनको तीन–तीन दफे बोलने दिये जा रहे हैं, हमको तब से एक भी सवाल नहीं पूछने दिया । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया था, बावजूद इसके ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय आपने माननीय सदस्य को अनुमति दे रखी है क्या कि जब चाहे .. (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पिछली बार भी मांग की है आपसे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह समय समाप्त हो चुका । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये मनुवादी थे हमारी बात को कहने वाले, इसलिए तो हो रहा है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को आपने लाइसेंस दिया है क्या ? जब मर्जी आए तब खड़े हो जाते हैं । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदय, मेरी दो बात सुन लें, फिर इकट्ठा दिलवा दें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जवाब मैं आपको दे दूंगा । माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न इन्होंने यह बताया कि ओ. बी सी. के जितने भी प्रार्थी हैं उनको आयु में छूट दी जाए । पहले से ही नियमों में यह प्रावधान है कि सामान्य कैटेगरी के लोगों की नियुक्तियों के लिए 33 वर्ष की आयु सीमा है, इनकी पहले से ही 35 वर्ष की की हुई है । सामान्य कैटेगरी के लोगों को चार अवसर मिलते हैं, इनको पांच अवसर उपलब्ध हैं ।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह इस आज के आधे घंटे की चर्चा के प्रश्न से अलग है । मैं समझता हूं कि वे अलग से उठाएंगे तो निश्चित रूप से अलग से जवाब दिया जाएगा । रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आधे घंटे की बात कर रहे हो, मेनिफेस्टो में जो बात कही गयी है, मैं तो वही चर्चा उठा रहा हूं । अलग कहां है ? यह आपका मेनिफेस्टो है जिसको बाइबल मानकर बैठे हुए हैं ।

श्री जगत सिंह दायमा : आपका मेनिफेस्टो यहां नहीं है ।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो मंत्री मण्डल का काम है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपका मेनिफेस्टो हमारा मेनिफेस्टो नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने संविधान के 77वें संशोधन के जरिये पूरे देश में जहां पदोन्नतियों के ऊपर रोक लगा गयी थी उस अमेंडमेंट को करके वापस एस.टी. को प्रमोशन के अवसर उपलब्ध कराये। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बी.जे.पी. की सरकार सेन्टर में बनी हुई है और अन्य दलों की भी सरकारें रही हैं, उन्होंने एस.सी., एस.टी. के लिए क्या किया ? कांग्रेस की सरकारें जब जब केन्द्र में और राज्य में नहीं रहीं, एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के ऊपर अत्याचार हुए हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं की गयी। कांग्रेस ने ही एस.टी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण के बारे में और उनके हितों के बारे में रक्षा की है। आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदन उन दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए समर्पित होकर काम करेगा और उनके हितों की पूरी रक्षा करेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरे दो-तीन क्वेश्चन हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : अब आप क्या कहना चाहते हैं आप ? पहले मेरे को बोलने नहीं देना चाहते हैं ? आप मुझको बाहर निकालोगे, प्रस्ताव लाओगे, मारोगे, काटोगे क्या करोगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये एक मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा : प्रश्न तो कर लेने दीजिये मुझे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे बात तो कर लेने दीजिये, उसके बाद आप कहें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यही तो अन्याय हो रहा है जिसके लिए हम यहां कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट, आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा एक सवाल है वह कर लेने दीजिये और जो प्रस्ताव आप लायेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का आचरण हुआ है (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप बैठिये एक बार. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ - सभापति महोदय, मैंने आपसे अनुमति चाही है। वे बोलें उससे पहले मुझे दो मिनट का समय दे। (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिनट के लिए, मैंने अनुमति मांगी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) - आप क्या कह रहे हैं ? कमाल हो गया है। मैं क्या कह रहा हूं वह तो आप सुन लें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, आरक्षण की बात नहीं है....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय का नाम पुकारा है, प्लीज दूसरे स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि अभी जिस प्रकार का सदन में वातावरण बना, पूरे सदन के सब माननीय सदस्यों ने देखा है। मेरी तो छोटी-सी मांग है आपसे कि इस बीच में अगर किसी प्रकार के कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया हो और वे रिकार्ड पर आ गये हों, इनडीसेंट हों, किसी प्रकार के ऐसे शब्द जो शोभनीय नहीं हों, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सदन की कार्यवाही से निकालने के आदेश दें।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई हुआ ही नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई हुआ ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जुबान से ज़्यादा हाथों से बोले हो। मुंह को कम और हाथों को ज्यादा इस्तेमाल किया है लोगों ने।

श्री सभापति : अगर ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय इस आज की कार्यवाही का अवलोकन कर लेंगे और उसके बाद में इसमें आवश्यक कार्यवाही कर देंगे। जो हटाने लायक हैं उनको हटा देंगे। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, जो असंसदीय व्यवहार हुआ है उसका क्या करोगे ? शब्द तो नहीं हैं लेकिन जो असंसदीय व्यवहार हुआ है उसके लिए आप कहो।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदय, मेरी 2-3 बातें हैं। यह सही है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज आया, इन्होंने संविधान की समीक्षा की बात कहीं। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो भावना है वह यह है कि संविधान की समीक्षा करके आरक्षण जो मिल रहा है वह बन्द कर दिया जाए।

दूसरा, जो माइनोरिटी के शिक्षा संस्थान खोले जा रहे है, प्राइवेट शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं उनके ऊपर तो रोक लगा दी जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की ऐसी धारणा है। इसलिए वे समीक्षा की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह आरक्षण की बात नहीं है कि नौकरी में आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण के साथ-साथ में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की बात है। यह देश पिछड़ा क्यों है ? क्योंकि 85 प्रतिशत लोग इसमें पिछड़े हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषण नहीं देंगे। आपका कोई प्रश्न तो है नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : भाषण नहीं दूंगा। वह सवाल है मेरा।

श्री सभापति : कोई सवाल नहीं है आपका।

श्री जगत सिंह दायमा : सवाल यह आ रहा है कि जिस तरीके से 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के....

श्री सभापति : आधे घंटे की चर्चा माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के बाद समाप्त हुई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.19 बजे सोमवार; 19 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या-397 का विवरण)

कार्यालय पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारां (राज०) परिशिष्ट–"अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या-1699/पंचायत द्वारा श्री प्रतापसिंह सिंघवी विधायक के प्रश्न-उत्तर ग्राम पंचायत मूंडला के सरपंच द्वारा फरवरी 95 से मार्च 99 तक करवाये गये निर्माण कार्यों का विवरण

(राशि रु० लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम मय ग्राम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	मूल्यांकन की स्थिति	यूसी/सीसी की की स्थिति	कार्य पर दी गई अग्रिम राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सामुदायिक विकास भवन हलगना	अपना गांव अपना काम	1.00	0.98266	पूर्ण	0.88401	0.96240	0.48120	व्यय/यू.सी. की 50% राशि पंचायत को दी गई है।
2.	सार्वजनिक कूपखोल हलगना	—	0.70	0.48770	,,	0.48770	0.48770	0.31	,,
3.	लिंकरोड फूलबडौदा से मूंडला	सुरोयो	4.585	4.0121	,,	4.065	4.065	4.0276	,,
4.	सार्व. कूपखोल निर्माण शेखापुर	जरोयो 80%	0.90	0.58	,,	,,	—	—	मूल्यांकन/यू.सी. जारी होना शेष है।
5.	प्रा.शा. कमरा निर्माण बल्हारपुर	सुरोयो	0.592	0.5946	,,	0.59290	0.59200	—	समायोजन हो चुका है।
6.	पुलिया निर्माण उमरथना	जरोयो 20% रक्षित	1.00	0.99638	,,	0.99638	0.99520	—	,,
7.	संपर्क सड़क मूंडला से गोरखपुरा	सुरोयो	6 045	3.00	अपूर्ण (प्रगति पर)	—	—	3.00	,,
8.	खारंजा निर्माण शेखापुर	जरोयो 80%	0.50	0.493	पूर्ण	—	—	—	मूल्यांकन/यू.सी. जारी होना शेष है।
9.	,, बल्हारपुर	,,	0.30	0.31441	,,	—	—	—	,,
10.	,, मूंडला	,,	0.50	0.33040	,,	—	—	—	,,
11.	खारंजा व नाली निर्माण मूंडला	अपना गांव अपना काम	0.90	0.98880	,,	—	—	—	,,
12.	रपटा निर्माण उमरथना	डांग योजना	1.50	0.75	अपूर्ण (प्रगति पर)	—	—	0.75	,,

विकास अधिकारी

पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारां (राज०)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या–399 की प्रति)

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा राजस्थान

क्रमांक : 815 दिनांक 9. 3. 98

श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस
(पुनर्गठन) राज. जयपुर ।

विषय :– थाना सलेमपुर को ग्राम खेड़ला बुजुर्ग में स्थानान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना सलेमपुर को मई, 1993 में जिला सवाईमाधोपुर से इस जिले को अधिकारिता में स्थानान्तरित किया गया था ।

वर्तमान में थाना सलेमपुर महुवा–हिण्डौन राजमार्ग पर ग्राम सलेमपुर में स्थित हैं, जो पाटोरपोश भवन में संचालित किया जा रहा है । ग्राम सलेमपुर में उपयुक्त पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण थाने का प्रशासनिक भवन एवं आवासीय गृहों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त सलेमपुर जिला एवं थाना क्षेत्र के अन्तिम छोर पर स्थित है ।

थाना सलेमपुर का क्षेत्र लूट, डकैती प्रभावित क्षेत्र हैं जहां भरतपुर सवाई-माधोपुर, करौली एवं आसपास के क्षेत्र से अपराधिक/असामाजिक तत्वों का निरन्तर आवागमन होने से किसी भी समय गम्भीर अपराध घटित होने की लगातार सम्भावना बनी रहती है । भूमि अपराधों को लेकर यहां के विभिन्न समुदायों एवं जातियों में तनाव उत्पन्न होने का अंदेशा बना रहता है । पंचायत प्रथा होने के कारण पंचायतों में किये गये अवैधानिक निर्णय भी कानून-व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित करते हैं । थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण ग्राम जैसे सगतपुर, सेडला, शशिवाड़ा, ढण्ढ थाने से काफी दूरी पर (लगभग 20 कि. मी.) स्थित होने से थाना क्षेत्र में अपराध एवं कानून-व्यवस्था नियन्त्रण में काफी कठिनाई आती है ।

थाना सलेमपुर को ग्राम सलेमपुर से खेडला बुजुर्ग में स्थानान्तरित करने से प्रशासनिक एवं कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त रहेगा क्योंकि :–

1. सलेमपुर थाना के आसपास तीन तरफ आबादी है, और आसपास सिवाय चक उपलब्ध नहीं हैं । थाने की वर्तमान भूमि पर यदि आवासीय गृह बना लिये जाते हैं, तो थाने का प्रशासनिक भवन बनाने के लिए भूमि नहीं बचती है । जिला

कलेक्टर महोदय दौसा के आदेश संख्या-1454–1470 दिनांक 6–3–99 द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महुवा स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नं.-184 रकबा 30.04 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर भूमि थाने के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय गृहों के निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है। जिससे प्रशासनिक भवन एवं आवासीय गृहों के निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

2. चूंकि सलेमपुर जिला एवं थाना क्षेत्र के अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण इस संवेदनशील क्षेत्र में सलेमपुर से अपराधों पर नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था स्थापित करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, खेडला बुजुर्ग थाना क्षेत्र के मध्य में स्थित होने के कारण अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने में सुविधा होगी।

3. वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम 'सलेमपुर की जनसंख्या 1717 एवं ग्राम खेडला बुजुर्ग की जनसंख्या 3159 है। इस दृष्टिकोण से भी थाने को ग्राम सलेमपुर से खेडला बुजुर्ग में स्थानान्तरित किया जाना उपयुक्त रहेगा।

4. सलेमपुर में सरकारी अस्पताल नहीं है। खेडला बुजुर्ग में सरकारी अस्पताल है। मेडिकल कराने, घायलों का इलाज कराने तथा मृतकों का पोस्टमार्टम कराने हेतु खेडला बुजुर्ग भेजा जाता है।

5. सलेमपुर में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सलेमपुर में मिडिल स्कूल ही है जबकि खेडला बुजुर्ग में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल उपलब्ध है।

6. सलेमपुर में पेयजल की समस्या है जबकि खेडला बुजुर्ग में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

अतः अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश रखने, अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कानून–व्यवस्था की स्थिति स्थापित करने हेतु ग्राम सलेमपुर से ग्राम खेडला बुजुर्ग में थाना सलेमपुर को स्थानान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय
पुलिस अधीक्षक
ज़िला–दौसा

3

(समयाभाव के कारण सदन में न रखे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पथ परिवहन में निगम एवं निजी बसों के किराये में कमी

404. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1998 में बढ़ाये गये बस किराये को कम किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक किराया कम नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में केन्द्र सरकार ने डीजल की कीमत को एक रुपया प्रति लीटर कम कर दिया था? यदि हां, तो इसके बाद भी किराया कम नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के एवं निजी बसों के किराये में कमी करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1998 में बस किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

(2) जी नहीं, उक्त अवधि माह नवम्बर, 98 में डीजल की दरों में केन्द्र सरकार द्वारा कोई कमी नहीं की गई।

(3) बस किराया तर्क संगत किए जाने के लिए परीक्षण करवाया जा रहा है।

जिला भरतपुर के चिकित्सालय

405. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर में कितने चिकित्सालय किस–किस श्रेणी के कहां–कहां स्वीकृत हैं ? विवरण श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के कितने–कितने पद किस–किस चिकित्सालय हेतु स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद किस–किस श्रेणी के किस–किस चिकित्सालय में कब से रिक्त पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भरतपुर मुख्यालय स्थित नये अस्पताल जनाना अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में 'ए' श्रेणी का एक जिला चिकित्सालय 'डी' श्रेणी का एक महिला चिकित्सालय व दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 'ई' श्रेणी का एक क्षय निवारण केन्द्र व छः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 'एफ' श्रेणी का एक कुष्ठ रोग चिकित्सालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त इस

(चिकित्सा राज्य, मंत्री)

जिले में 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, का रत है। श्रेणीवार चिकित्सालयों की सू सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त कर्मचारियों में चिकित्सक कर्मचारियों के स्वीकृत व रिक्त पदों की चिकित्सालयवार सूची प्रश्न के भाग-2 के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां, भरतपुर मुख्यालय स्थित नये अस्पताल/जनाना अस्पताल में रिक्त वरिष्ठ विशेष/कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के पश्चात् भरा जाना सम्भव होगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रमिक संगठनों में जन प्रतिनिधियों का मनोनयन

406. नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य में कितनी समितियों का गठन होना चाहिये? क्या श्रमिक संगठनों में जनप्रतिनिधियों का अब तक सरकार ने मनोनयन कर दिया है?

) वर्ष 1990 तक उक्त समितियों तवर्ष कितनी बैठकें हुई तथा वर्ष 3-94 से 1998 तक कितनी बैठकें बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं पालना प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार ने उक्त समितियों का पुनर्गठन किया है? यदि हां, तो श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया है? आधार की क्या रूपरेखा रखी गयी है? श्रम नियमों में प्रतिनिधित्व के दायरे का पालन किया अथवा नहीं किया है?

उत्तर

(1) श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल, राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित होनी चाहिए। पूर्व में वर्ष 1994 से 1996 की अवधि में गठित मण्डल व समितियों में श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों का किया गया मनोनयन ही वर्तमान में प्रभावी है।

(2) उक्त समितियों एवं मण्डलों की वर्ष 1990 तक समय-समय पर बैठकें हुई है। वर्ष 1993-94 से वर्ष 1998 तक की बैठकों का कार्यवाही वृतान्त एवं पालना कार्यवाही की प्रति अनुसूची-'क' से 'ज' तक सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं, इन समितियों का पुनर्गठन किया जाना अभी विचाराधीन हैं।

(अनुसूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हिण्डौन सिटी की सड़कों की मरम्मत

407. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन सिटी शहर में डेम्परोड से वाया बस स्टेण्ड होते हुए रेलवे स्टेशन तक की सड़क खराब है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण/मरम्मत के लिये स्थानीय निवासियों की मांग पर तकमीना बनाया जा चुका है ? यदि हां, तो कितनी राशि का व कब ?

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । डेम्परोल से बस स्टेण्ड पर स्टेट हाईवे नं.-5 से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली दो अलग–अलग सड़कें हिण्डौन महुआ रोड स्टेट हाईवे नं.-25 के कि.मी. 70 व 71 से निकलती है उक्त दोनों सड़क मार्गों का रख-रखाव नगरपालिका हिण्डौन सिटी के अधीन है तथा स्टेट हाईवे भाग (लम्बाई 2 किमी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है । नगर पालिका की दोनों सड़कें एवं राज्य उच्च मार्ग 25 पर बने मकानों के तथा वर्षात के पानी की निकासी न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है । राज्य उच्च मार्ग को समय-समय पर साधारण मरम्मत कर ठीक कर दिया जाता रहा है ।

(2) जी, हां । वर्ष 1997 में उक्त राज्य उच्च मार्ग (शहरी भाग) सड़क की मरम्मत एवं नाली निर्माण हेतु राशि 136.10 लाख रुपये का तकमीना तैयार किया गया ।

(3) जी, हां । समिति संसाधनों की उपलब्धता एवं सड़कों की पारिवारिक प्राथमिकताओं के अनुसार उक्त सड़क के सिटी पोरसन में वर्ष 1999–2000 के योजना मद में 10.00 लाख रुपये की लागत से प्रथम चरण में नाली निर्माण का कार्य प्रस्तावित है ।

वृद्ध एवं बीमार कैदियों की रिहाई

408. राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सजा भुगत रहे कैदियों को रिहा करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) कैदियों की समय से पूर्व रिहाई व पैरोल पर छोड़े जाने का निर्णय किस स्तर पर किसकी अभिशंषा से वर्ष में कितनी बार लिया जाता है ? वर्ष 1998–99 में कुल कितने कैदियों को समय से पूर्व रिहाई व पैरोल पर छोड़ा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार गम्भीर रूप से बीमार, चिकित्सालय में भर्ती कैदियों को समय पूर्व रिहा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुनर्गठन की 50वीं वर्षगांठ पर अपने आदेश दिनांक 27.3.99 के द्वारा वर्ष या इससे अधिक उम्र के आजीवन कारावासी बन्दियों एवं 60 वर्ष या इससे अधिक की महिला बन्दी जिन्होंने विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष में जेल दण्ड से दण्डित नहीं किया गया हो, को रिहा करने के आदेश प्रदान किये है।

(2) I सजायाफता कैदियों को राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग आफ सैन्टेन्सेज) नियम, 1958 के नियम 3 के तहत सलाहकार मण्डल का गठन किया हुआ है, जिसकी अभिशंषा पर बन्दियों को समय पूर्व रिहा करने के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। सलाहकार मण्डल द्वारा वर्ष में दो बार से अधिक बैठकें की जा सकती है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बन्दियों को समय पूर्व रिहा किया जाता है। आकस्मिक पेरोल की सीमा नहीं है।

वर्ष 98–99 में 60 बन्दियों को समय पूर्व रिहा किया गया।

II–इसी प्रकार पेरोल पर छोड़े जाने हेतु भी राजस्थान प्रिजनस रिलिज ऑन पेरोल रूल्स, 1958 के अन्तर्गत जिला स्तर पर/राज्य स्तर पर समिति का गठन किया हुआ है, जिसकी बैठक आवश्यकतानुसार समय-समय पर पात्र बन्दियों के पेरोल प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किये जाते रहे हैं, एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं की संतुष्टि पर बन्दी का पेरोल प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित जिला पेरोल कमेटी/राज्य पेरोल कमेटी को भेजता है, यदि पेरोल कमेटी जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर संतुष्ट होती है, तब बन्दी को पात्रता अनुसार 20–30–40 दिवस अथवा स्थाई पेरोल पर रिहा किया जाता है। स्थाई पेरोल के प्रकरणों में राज्य स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा बन्दियों को स्थाई पेरोल पर रिहा किया जाता है। नियम 10 (ए) के तहत बन्दी को उसके पिता/माता/पत्नि/बच्चे/भाई अथवा अविवाहित भाई की गम्भीर बीमारी अथवा मृत्यु पर प्राकृतिक विपदा से जायदाद की क्षति पर, बन्दी को स्वयं की शादी पर एवं पेरेन्ट्स के जिन्दा नहीं होने की स्थिति में उसके बहिन/भाई की शादी पर जिला मजिस्ट्रेट एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा 15 दिवस एवं अधीक्षक जेल द्वारा 7 दिवस की आपात पेरोल ही स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1998–99 में कुल 574 बन्दियों को पेरोल पर रिहा किया गया महिला बन्दी 12 हैं।

(3) जी हां, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.3.99 के द्वारा दिनांक 30.3.99 को राजस्थान राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर ऐसे आजीवन कारावासी बन्दी जो असाध्य (कैंसर/एड्स) से पीड़ित हो व लाचार हो और दैनिक कार्य करने में दूसरों पर निर्भर हो, और ऐसे मनोरोगी बन्दियों जिनके द्वारा 7 वर्ष की अपरिहार सजा विचाराधीन अवधि सहित पूर्ण कर ली हो, को रिहा करने के आदेश प्रदान किये हैं।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में रिक्त पद

409. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितने माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? उनमें किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं और कितने-कितने अध्यापक अध्यापन के लिए नियुक्त किए हुए हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में स्कूलवार अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(3) सरकार अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में 8 राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय तथा 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, विद्यालयवार छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त विद्यालयों में 276 अध्यापकों के पद स्वीकृत है, तथा 24 अध्यापकों के पद रिक्त है । विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कुल छात्र संख्या	अध्यापकों के स्वीकृत पद	अध्यापकों के रिक्त पद
1.	रा.सी.मा.वि. बिचून	586	10	2
2.	" नरायणा	721	31	1
3.	" दूदू	648	27	3
4.	" बोराज	690	18	2
5.	" साखुन	403	18	2
6.	" गागंरडू	246	14	3
7.	रा.बा.सी.मा.वि. दूदू	586	8	5
8.	" मौजमाबाद	547	26	4
9.	रा.मा.वि. झाग	362	11	—
10.	" साली	161	10	—
11.	" मरवा	181	10	—
12.	" बोबास	325	8	—
13.	" महला	330	10	—
14.	" सेवा	355	7	—
15.	" हरसोली	190	6	—

1	2		3	4	5
16.	रा.मा.वि.	ममणा	210	6	—
17.	,,	सावरदा	206	8	—
18.	,,	रोजडी	305	5	—
19.	,,	आसलपुर	312	7	—
20.	,,	काचरोदा	243	13	—
21.	,,	ढाणी बोराज	219	4	—
22.	,,	उगरियावास	400	5	2
23.	,,	आकोदा	285	3	—
24.	रा.बा.मा.वि.	नरायणा	237	6	—
25.	,,	मौजमाबाद	94	5	—
		योग	8842	276	24

थारपारकर नस्ल की गायें

410. श्री गोवर्द्धन दास (जैसलमेर) : क्या डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर में थारपारकर नस्ल की कितनी गायें है ?

(2) क्या इसका कभी सर्वे करवाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि यह नस्ल समाप्त होती जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र की उपयुक्त नस्ल यही है ?

(5) क्या यह सही है कि थारपारकर नस्ल की बचाने हेतु चांधन थारपारकर फार्म का कोई असर नहीं हुआ है ?

(6) सरकार की थारपारकर नस्ल बचाने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) थारपारकर नस्ल विशेष की गायों की संख्या उपलब्ध नहीं है। पशु गणना राजस्व मण्डल (रेवेन्यू बोर्ड) द्वारा कराई जाती है जो गौवंश की संख्या के आंकड़े दो वर्गों में (देशी एवं संकर नस्ल) ही उपलब्ध कराते हैं। जैसलमेर जिले में देशी नस्ल में मुख्यत: थारपारकर नस्ल की गायें उपलब्ध हैं। वर्ष 1997 को पशु गणना (प्रोविजनल) अनुसार जैसलमेर में देशी नस्ल की 233815 गायें हैं।

(राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन)

(2) अन्तिम पशु गणना राजस्व मंडल द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी।

(3) जी नहीं। जैसलमेर जिले में देशी नस्ल के गौवंश में मुख्यतः थारपारकर नस्ल के पशु हैं। जैसलमेर जिले की वर्ष 1992 तथा 1997 की पशु गणना में देशी नस्ल के गौवंश की संख्या क्रमशः 147587 तथा 309772 हैं, जो स्पष्ट अवगत कराती है कि जैसलमेर जिले में देशी नस्ल समाप्त नहीं हो रही है।

(4) जी हां। इस क्षेत्र की उपयुक्त नस्ल थारपारकर है।

(5) जी नहीं। चांधन गाय फार्म, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संचालित है। यहां थारपारकर नस्ल के संरक्षण एवं संवर्द्धन के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में इस फार्म द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले 154 सांड विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्र के पशु पालकों को वितरित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 78 हीफर भी क्षेत्र के पशुपालकों को उपलब्ध कराई गई है।

(6) राज्य की पूर्व पशु प्रजनन नीति (1984) का वर्ष 1998 में पुर्ननिर्धारण किया गया है, जिसमें चयनित एवं क्रमोन्नत प्रजनन पर विशेष बल दिया गया है। जैसलमेर जिले में विभाग द्वारा गौवंश में कृत्रिम गर्भाधान हेतु मुख्यतः थारपारकर नस्ल के सांडों का वीर्य उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां प्राकृतिक गर्भाधान हेतु थारपारकर नस्ल के सांड वितरित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। क्षेत्र में अवर्गीकृत सांडों के बधियाकरण के विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

थाना मथुरा गेट (भरतपुर) में दर्ज अपहरण प्रकरण

411. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) एवं श्री राजेन्द्र सिंह गण्डूरा (लक्ष्मणगढ़) व श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि दिनांक 23.2.99 को थाना मथुरा गेट भरतपुर में एक अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है? क्या इस नामजद रिपोर्ट संख्या-106/99 में शामिल 14 अपहरणकर्ताओं की ओर से धमकी भरे पत्र दिनांक 21.11.98 से रिपोर्ट कराने के दिन दिनांक 23.2.99 के बीच पीड़ित पक्ष को गुमनाम प्रेषित किये गये? क्या इस आशय की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई थी?

(2) उक्त प्रकरण में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा अपहृर्ता को छुड़ाने के लिए अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) दिनांक 23.2.99 को पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर पर अभियोग संख्या-106/99 धारा 364, 364 ए, 365, 367, 368 भा. द. सं. के तहत पंजीबद्ध हुआ है। दिनांक 21.11.98 से 23.2.99 के बीच अपहरणकर्ताओं द्वारा पीड़ित पक्ष को तीन पत्र भेजे गये थे, जिसकी सूचना

(गृह मंत्री)

पीड़ित पक्ष द्वारा स्थानीय पक्ष को नही दी गई थी एवं दिनांक 23.2.99 को अभियोग पंजीबद्ध होने के बाद ही पीड़ित पक्ष द्वारा प्राप्त उक्त पत्र पुलिस प्रशासन के समक्ष पेश किये गये थे।

(2) अनुसंधान प्रारम्भ कर गवाहान के बयान लिये गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद मुलजिम शेरसिंह, रामदेव, सोहन सिंह, बोलू व करतार से तफ्तीश की गई एवं प्रकाश तथा नारायण सिंह के वारण्ट 24 पुलिस एक्ट के तहत प्राप्त किये गये। अपहृत भीमसेन की तलाश हेतु गांव घुस्यारी, इकरन, नौगावां, फरह, नबीपुर एवं आगरा तथा मथुरा में पुलिस दल भेजे गये परन्तु अपहृत डा. भीमसेन व मुलजिमान का कोई पता नहीं लगा। वर्तमान में अनुसंधान उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर की निगरानी में किया जा रहा है जिन्होंने अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भरतपुर के नेतृत्व में अपहृत का पता लगाने हेतु एक विशेष टीम गठित की है।

आगरा से जयपुर के मध्य संचालित मिड़वे

412. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1990 से 1998 तक आगरा से जयपुर के बीच में कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के मिड़वे बनवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिड़वे स्थलों में आज तक कितने-कितने पर्यटक ठहरे? संख्या सूची मिड़वेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिड़वे स्थलों की लागत के अनुपात में राजस्व प्राप्ति नगण्य रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी उपयोगिता के बारे में पुनर्विचार करेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1998 तक आगरा से जयपुर के बीच मात्र एक दौसा मिड़वे का निर्माण किया गया। मिड़वे के निर्माण पर कुल रुपये 48.73 लाख का व्यय हुआ।

(2) उक्त मिड़वे दौसा में आज तक कुल 91 पर्यटक ठहरे।

(3) जी हां। मिड़वे दौसा को लीज पर देना प्रस्तावित है।

जिला डूंगरपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

413. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 27 छात्र 84 छात्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। पंचायत समितिवार संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट–"क" में रख दिया गया है।

(2) जी हां। जिला डूंगरपुर में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुछ व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट–"क" में उल्लेखित कर दिया गया है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम		व्याख्याता के रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद	
1.	डूंगरपुर	रा.सी.मा.वि.	डूंगरपुर	36	07
2.	,,	,,	न. 2. डूंगरपुर	5	01
3.	,,	,,	फलोज	10	03
4.	,,	,,	पूनाली	5	01
5.	,,	,,	दामड़ी	5	—
6.	,,	,,	वसी	5	05
7.	आसपुर	,,	साबला	6	03
8.	,,	,,	बनकोडा	16	03
9.	,,	,,	आसपुर	10	02
10.	,,	,,	बोडीमामाबड़ा	5	02
11.	,,	,,	रामगढ़	5	02
12.	,,	,,	निठाउवा	5	05
13.	सागवाड़ा	,,	ग्रोवरी	13	05
14.	,,	,,	पू.को. सागवाड़ा	11	01
15.	,,	,,	मही सागवाड़ा	31	02
16.	,,	,,	भीलूडा	13	03
17.	,,	,,	सरोडा	07	03
18.	,,	,,	ठाकुरड़ा.	05	02

1	2	3		4	5
19.	,,	रा.सी.मा.वि.	पादरीबड़ी	05	02
20.	बिछीवाड़ा	,,	बिछीवाड़ा	11	02
21.	,,	,,	विकासनगर	05	—
22.	,,	,,	कनवा	05	01
23.	सीगलवाड़ा	,,	सीगलवाड़ा	20	04
24.	,,	,,	पीठ	05	—
25.	,,	,,	चिखली	07	03
26.	,,	,,	चितरी	05	—
27.	,,	,,	धम्बोली	05	—
28.	डूंगरपुर	रा.बा.सी.मा.वि.	देवेन्द्र डूंगरपुर	17	05
29.	सागवाड़ा	,,	बाडेलसागवाड़ा	08	08
30.	सीमलवाड़ा	,,	सीमलवाड़ा	05	04
			योग—	291	76

राज्य की खनिज सम्पदा का उपयोग

414. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में खनिज सम्पदा का भंडार किन-किन जिलों में किस-किस प्रकार का कितनी मात्रा में उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में नये खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए हवाई सर्वे की कोई योजना बनाई गई है?

(3) राज्य के किन-किन जिलों में खनिज भण्डारों के लिए हवाई सर्वे किया गया है और उससे क्या संकेत मिले हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खनिज सम्पदा के परीक्षण/दोहन की सरकार ने क्या योजना बनाई है? और उसे कब तक तथा कैसे क्रियान्वित किया जायेगा?

(5) क्या सरकार खनिज आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान ने विभिन्न जिलों में उपलब्ध खनिजों का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"क" अनुसार है। राज्य में पाये

(राज्य मंत्री. खनिज)

जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के अनुमानित मण्डार संलग्न परिशिष्ट–"ख" के अनुसार है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है किन्तु भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.10.96 को जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में भारतीय विदेशी कम्पनियों को खनिज मण्डारों का पता लगाने के लिए हवाई सर्वेक्षण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये हैं ।

(3) राज्य में जिला अजमेर, मीलवाड़ा टोंक, सीकर, झुन्झुनू, सिरोही, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, बीकानेर, बूंदी, पाली, जयपुर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में खनिज मण्डारों के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है । हवाई सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लि. एवं बी.एच.पी. मिनरल्स लि. द्वारा मीलवाड़ा अजमेर, टोंक एवं जयपुर जिले में हवाई सर्वेक्षण करने पर लगभग 130 एनोमली ज्ञात की है जिनमें छिद्रण कर खनिज उपलब्धता बाबत् जानकारी की जा रही है । अब तक किसी भी एनोमली में खनिज मण्डार के संकेत नहीं मिले हैं ।

(4) पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर खनिज की उपलब्धता बाबत् रिपोर्ट के आधार पर खनिज सम्पदा के परिक्षण/दोहन की योजना तथा उसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में पूर्वेक्षण अनुज्ञाधारी द्वारा विचारा जाना सम्भव होगा ।

(5) जी नहीं । पूर्वेक्षण कार्य के उपरांत खनिज मण्डारों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर भारतीय/विदेशी कम्पनियों द्वारा खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु विचारा जाएगा ।

परिशिष्ट–क

राजस्थान में 60 प्रकार के विभिन्न खनिज उपलब्ध है जिनकी जिलेवार उपलब्धता इस प्रकार है :—

1.	जैसलमेर	एस.एम. ग्रेड लाइम स्टोन, क्ले, फास्फेट, सैण्डस्टोन जिप्सम, सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन, मार्बल ग्रेनाइट सीलियस अर्थ ।
2.	अलवर	कोपर, डोलोमाईट, बैराइट, लाईमस्टोन, पायराईट, क्वार्टज, सलासाईट, स्लेट, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, फायर क्ले ।
3.	जोधपुर	उच्च श्रेणी का लाईमस्टोन, सीमेन्ट ग्रेड, लाईमस्टोन सैण्डस्टोन, क्ले, जेस्पार, मार्बल, ग्रेनाईट ।

4.	भीलवाड़ा	माईका, गारनेट, फैलसपार, लेड जिंक, कॉपर, क्ले, सोपस्टोन एवं लेटराइट, लाईमस्टोन, क्वार्टज, बेराइट ।
5.	चूरू	लाईमस्टोन, पोटाश, क्ले, जिप्सम, लाईमस्टोन (उच्च श्रेणी) व सीमेण्ट ग्रेड ।
6.	नागौर	जिप्सम एवं चूना पत्थर, लिग्नाईट ।
7.	उदयपुर	सोपस्टोन, बेराईटस, एसबसटस, मार्बल, सीमेन्ट ग्रेड, लाईमस्टोन, काईनाईट, क्वार्टज, फैलसपार, माईका, पायरोफिलाईट, लेड जिक, कोपर, सिल्वर, रेड आकर मेग्नेसाईट, केल्साईट, ग्रेनाईट ।
8.	बांसवाड़ा	मार्बल, सीमेन्ट ग्रेड,लाईमस्टोन, ग्रेफाइट, डोलोमाईट, सोपस्टोन, ग्रेनाईट ।
9.	बाड़मेर	बेन्टोनाईट, ग्रेनाईट, लिग्नाईट, जिप्सम, सिलिकासैंड, सिलिसियस अर्थ एवं फायर क्ले, लिग्नाईट ।
10.	डूंगरपुर	सोपस्टोन, केलसाईट, मेग्नेसाइट, फ्लोराईट, मार्बल, लाईमस्टोन, क्वार्टज, ग्रेनाईट, कोपर ओर ।
11.	जालौर	ग्रेनाईट ।
12.	झुन्झुनू	सोपस्टोन, क्वार्टज, डोलोमाईट एवं आयरन ओर ताम्बा, सिलिकासैण्ड, क्ले, बेराईटस, केल्साईट ।
13.	झालावाड़	चॉक, स्पेलेटिबल लाईमस्टोन, बेन्टोनाठ, बेराइटस, रेड आकर, सेण्डस्टोन ।
14.	सीकर	बेराईटस, माइका, ग्रेनाइट, सिलिकासेण्ड, क्रिस्टल क्वार्टज, रेड/यलो आकर, क्ले, लाईमस्टोन ।
15.	टोंक	ग्रेनाईट, सोपस्टोन, सिलिकासेण्ड, एक्वामेरीन, कोरण्डम, गारनेट, माईका, फैलसपार, क्वार्टज शोस्ट ।
16.	सवाईमाधोपुर	चाइनाक्ले, सोपस्टोन, लाईमस्टोन, क्वार्टज, सिलिकासेण्ड, रेडआक्साईड, क्ले, सेण्डस्टोन,
17.	करौली	चायनाक्ले, सोपस्टोन, लेटराइट, सिलिकासेण्ड, रेड-आक्साइड, लाईमस्टोन, बर्निंग, सेण्डस्टोन ।

18.	राजसमंद	सोपस्टोन, एसबेस्टस, प्रायरोफ्लाइट, क्वार्टज, लेड जिंक, सिल्वर, मार्बल, ग्रेनाईट, एमरल्ड ।
19.	धौलपुर	सेण्डस्टोन, लाईमस्टोन ।
20.	श्रीगंगानगर	जिप्सम ।
21.	हनुमानगढ़	जिप्सम, कल्मीशोरा ।
22.	भरतपुर	फायरक्ले, सिलिकासेण्ड, लाईमस्टोन, ग्राकर्स, सोपस्टोन ।
23.	चित्तौड़गढ़	चायनाक्ले, लाइमस्टोन (सीमेन्ट) ग्राकर्स, सिलिकालाइमस्टोन, स्पेलीटेबल, ग्रेनाईट, मार्बल ।
24.	कोटा	क्ले, लाइमस्टोन, सैण्डस्टोन ।
25.	बारां	लाइमस्टोन, सेण्डस्टोन ।
26.	बून्दी	लाइमस्टोन, सिलिकासेण्ड, बेराइटस, सेण्डस्टोन ।
27.	जयपुर	माईका, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिकासेण्ड, मार्बल, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, फैलसपार ।
28.	दौसा	सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टज, चायनाक्ले, लाइमस्टोन, बालक्ले, केल्साइट, फैलसपार, लाइमस्टोन (बर्निंग) रायोलाइट, ग्रेनाइट, मार्बल ।
29.	सिरोही	बेसमेटल, टंगस्टन, बेराइटीज, बोलोस्टोनाइट, फैलसपार, फ्लोराइट, लाइमस्टोन, जिप्सम, केल्साइट एवं चाक, ग्रेनाईट ।
30.	बीकानेर	बालक्ले, चानाक्ले, सिलिकासेण्ड, फायरक्ले, लिग्नाईट ।
31.	पाली	क्वार्टज, एसबेस्टस, जिप्सम, चायनाक्ले, लाइमस्टोन, बालक्ले, केल्साइट, फैलसपार, लाइमस्टोन (बर्निंग) रायोलाइट, ग्रेनाईट ।
32.	अजमेर	क्वार्टज, फैलसपार, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, एसबेस्टस, माईका, केल्साईट, मार्बल, ग्रेनाईट, लाइमस्टोन (बर्निंग) पट्टीकातला, एमरल्ड, लेड जिंक ।

परिशिष्ट "ख"

राज्य में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के अनुमानित भण्डारों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

नाम खनिज	भण्डार (मिलियन टन) में (रिकवरेबल)
एपेटाइट	000.030
एसबेस्टस	001.862
बेराइट	002.358
बोक्साइड	000.318
बेन्टोनाइट	277.107
केल्साइट	002.229
चायनाक्ले	208.072
कापर ओर	089.346
कोरण्डम (मात्रा टनों में)	380.000
डोलोमाइट	135.421
फैलसपार	009.867
फायरक्ले	214.068
फ्लोराइट	000.968
फूलस अर्थ	190.000
गारनेट	005.159
ग्रेफाइट	000.469
जिप्सम	093.952
आयरन ओर	010.000
लेड जिंक ओर	010.000
लाइमस्टोन	9703.269
मेग्सेनाइट	005.487
मेगनीज ओर	000.409
पायराइट	034.350

1	2
फास्फोराइट (रोकफास्फेट)	077.000
क्वाऊ सिलिकासेण्ड	136.999
क्वार्टजाइट	000.043
सिलिमानाइट	003.100
सोपस्टोन	044.332
टंग्स्टन (अयस्क)	013.393
वर्मिकुलाइट (मात्रा टनों में)	006.878
वोलोस्टोनाइट	002.791
लिग्नाइट	1481.490
मारबल	1100.000
ग्रेनाइट	3000.000
माईका (टनों में)	1682.000

(स्रोत–इण्डियन मिनरल ईयर बुक (1995)

ग्राम चान्दगोठी (चूरू) का भू-जल स्तर

415. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के ग्राम चान्दगोठी में पिछले दस वर्षों में भूमि जल स्तर में कितनी गिरावट आई है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के सत्रह कुएं सूख गए हैं। यदि हां, तो सरकार ने इनके सुधार के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जहां भू-जल स्तर नीचे चला गया है, उस क्षेत्र को किसी नहर परियोजना से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पिछले 10 वर्षों में ग्राम चान्दगोठी में 3.03 मीटर जल स्तर में गिरावट पाई गई है। यह सही नहीं है कि उक्त ग्राम के 17 कुएं सूख गये हैं परन्तु जल स्तर में कमी आई है।

(2) वर्तमान में इन क्षेत्रों के लिए कोई नहर परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में निगम बस सेवा

416. श्री केसाराम चौधरी (खारची : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री केसाराम चौधरी)

क्या सरकार खारची विधान सभा क्षेत्र में राज्य परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, किन-किन मार्गों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां । खारची विधान सभा क्षेत्र में निम्न 4 मार्गों पर निगम वाहन संचालन करने के लिए सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर को मार्ग खुलवाने हेतु निवेदन किया गया है :–

1. जाडन-देसूरी वाया मारवाड़ जंक्शन
2. पाली–उदयपुर वाया मारवाड़ जंक्शन, कालीघाटी
3. सोजत सिटी–सोजत रोड़–जोजावर-देसूरी
4 पाली–देसूरी वाया सोमेसर-इन्द्रवाड़ा-खिवाड़ा

मार्ग खोल दिए जाने के बाद नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर इन मार्गों पर परिवहन की बसें चलाया जाना सम्भव होगा ।

ब्यावर शहर में प्रस्तावित चिकित्सालय

417. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में एक "अ" श्रेणी का चिकित्सालय और एक सिटी डिस्पेंसरी ही है ? क्या इस शहर में और सेटेलाइट अस्पताल एवं सिटी डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) ब्यावर शहर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में किस-किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं । उक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार के समक्ष उक्त चिकित्सालय को एक अतिरिक्त एम्बुलेन्स देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त एम्बुलेन्स कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(4) उक्त चिकित्सालय में ट्रोमा एवं बर्न यूनिट की स्थापना कब हुई और इन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ? क्या उक्त यूनिटें कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस तारीख से और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? अब उक्त यूनिटें कब कार्य करना चालू कर देगी ?

उत्तर

(1) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में रिक्त पदों की संवर्गवार सूची संलग्न है । वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डी. सी. एन, एस. नर्स श्रेणी (प्रथम) वरिष्ठ लैण्ड टेक्नीशियन, वरिष्ठ दन्त तकनीशियन तकनीकी सहायक एवं जमादार के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा पदोन्नत व्यक्तियों के प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा । चिकित्सा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अधिकारी के पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। नर्स श्रेणी (द्वितीय) एवं वार्ड बॉय के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कनिष्ठ लिपिक के पद को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। फिजियोथेरेपी के पद भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(2) दर्जी के पद की भर्ती पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा रखा है जिसके कारण फिलहाल भराजाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(3) वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में दो रोगी वाहन कार्यरत है। अतः एक अतिरिक्त एब्बुलेन्स देने का प्रस्ताव विचाराधीन है नहीं है।

(4) उक्त चिकित्सालय में ट्रोमा एवं बर्न यूनिट स्वीकृत नहीं है। समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ट्रोमा एवं बर्न यूनिट खोलने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में रिक्त पदों का विवरण

	पद नाम	रिक्त
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	3
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
4.	चिकित्सा अधिकारी	1+1 = 2
5.	जिला नर्सिंग अधीक्षक	1
6.	नर्स श्रेणी–प्रथम	13
7.	नर्स श्रेणी–द्वितीय	1
8.	फिजियोथेरेपिस्ट	1
9.	तकनीकी सहायक	1
10.	वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1
11.	लेब टेक्नीशियन	1
12.	वरिष्ठ दन्त तकनीशियन	1
13.	दर्जी	1
14.	जमादार	1
15.	वार्ड बॉय	6
16.	कनिष्ठ लिपिक	1

बीकानेर शहर सीमा में सड़क निर्माण

418. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर शहर सीमा में विभाग की कौन-कौन सी सड़कें हैं ? सड़क मोहल्लों के नाम व लम्बाई की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 1999 से 15 मार्च, 1999 तक सड़क निर्माण हेतु कितनी अल्प अवधि व सामान्य अवधि की निविदा जारी कर कार्य आदेश दिये ? फर्म के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कार्य आदेश में दर्शाई गई मूल राशि को संशोधन कर कार्य की राशि में बढ़ोत्तरी के कितने मामले स्वीकृत किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने जिला बीकानेर की विभिन्न सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव किये हैं ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सहित सड़कों की लम्बई व नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अन्य विभागों की सड़कों पर भी कार्य करवाया है ? यदि हां, तो कौनसी सड़कों पर किन नियम, निर्देशों के कारणों से ऐसी अनियमित कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर सीमा में विभाग की रख-रखाव सूची में सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनवरी, 1999 से 15 मार्च, 1999 तक सड़क निर्माण हेतु ना तो अल्प अवधि व ना ही सामान्य अवधि की निविदा जारी की गई अपितु उक्त अवधि में सामान्य अवधि की सड़क मरम्मत की निविदायें जारी कर केवल सड़क मरम्मत हेतु कार्यादेश दिये गये, उनकी सूची फर्म के नाम सहित परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में कार्य आदेश में दर्शायी गई मूल राशि को संशोधित कर कार्य की राशि में बढ़ोतरी के 12 मामले स्वीकृत किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) राज्य सरकार ने जिला बीकानेर सड़कों के निर्माण के चार कार्य प्रस्तावित हैं (बी.एम.एस.पी. फेज–तृतीय 39.60 कि.मी. लागत 232 लाख) इन प्रस्तावों के अलावा सड़क सुदृढ़ीकरण व सड़कों को चौड़ा करने के कार्य 5054 प्लान फैज–प्रथम में 44 कार्य 584.0 लाख रुपये की लागत के स्वीकृत हैं तथा फैज–द्वितीय में अन्य विभिन्न 29 कार्य लागत 387.0 लाख रुपये के प्रस्तावित हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "द" में संलग्न है।

(5) जी, नहीं। इस अवधि में विभाग ने अपने कार्याधिकार क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का ही कार्य किया है। यह विभाग 85 विभागीय सड़कों तथा 38 नगर परिषद, बीकानेर की सड़कों (जो इस विभाग को पूर्व में ही हस्तान्तरित की जा चुकी है) की मरम्मत व रख-रखाव के लिये

(सार्वजनिक मंत्री)

अधिकृत है व समय-समय पर मरम्मत इत्यादि के कार्य निष्पादित करवाता आया है ।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति अटरू का इन्दिरा आवास प्रकरण

419. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति अटरू जिला बारां में किसी एक व्यक्ति के नाम इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्माण हेतु स्वीकृति जारी हुई व राशि किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाली ? यदि हां, तो जिसके नाम स्वीकृति जारी हुई उसका तथा जिसने राशि उठाई उसका नाम व पता सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उठाई गई राशि से उक्त निर्माण करवा लिया गया है ?

(3) इन्दिरा आवास योजना निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र व जिसने प्रमाणित किया कि इन्होंने निर्माण किया है की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या वास्तव में जिसके नाम से स्वीकृति निकली है, उसने शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अटरू जिला बारां में किसी एक व्यक्ति के नाम इन्दिरा आवास निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं हुई, बल्कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां के आदेश क्रमांक 7493–97 दिनांक 6-2–97 (संलग्न परि.–1) द्वारा 107 व्यक्तियों के इन्दिरा आवास कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें क्रम संख्या 102 पर प्रार्थी श्रीमती मंजू बेगम पत्नि इस्हाक मोहम्मद पुत्र शफी खां, मुसलमान ग्राम खेड़लीगंज, ग्राम पंचायत खेड़लीगंज का भी नाम सम्मिलित है परन्तु राशि किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं उठाई बल्कि इन्दिरा आवास की राशि भी उक्त प्रार्थी श्रीमती मंजू बेगम ने ही दो किश्तों में क्रमश: दिनांक 17–3–97 को रुपये 9,600 एवं दिनांक 27–8–97 को रुपये 6,400/- कुल रुपये 16,000/- का भुगतान उठाया है । किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट–2 एव 3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी, हां ।

(3) इन्दिरा आवास निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र (श्रीमती मंजू बेगम पत्नी इस्हाक मोहम्मद मूल निवासी खेडलीगंज का परि.–4 पर संलग्न तथा जिसने प्रमाणित किया है कि उन्होंने निर्माण कार्य किया है उसका प्रमाण-पत्र प्रधानाध्यापक, राज. प्राथमिक विद्यालय, खेडलीगंज, सरपंच, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी पं.स. अटरू की प्रमाणित प्रति परिशिष्ट–5 पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(4) वास्तव में जिसके नाम से स्वीकृति जारी हुई है उसने कोई शिकायत नहीं की

(विशिष्ट योजना.संगठन मंत्री)

है बल्कि अन्य व्यक्ति श्री इस्हाक मोहम्मद पुत्र शफी खां, निवासी–खेड़ली बांसला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना अटरू जिला–बांरा में दिनांक 1–2–99 को दर्ज कराई है (प्रति परि.-6 पर संलग्न है) कि मैं स्वयं अन्त्योदय की सूची में चयनित हूं तथा मेरा चयनित क्रमांक 843/92–93 है जो परि.-7 पर संलग्न है एवं मेरे चयनित नाम से श्रीमती मंजू बेगम पत्नी इस्हाक मोहम्मद पुत्र श्री शफी खां निवासी ग्राम खेड़लीगंज ने इन्दिरा आवास स्वीकृत करवाकर भुगतान उठाया, जो गलत है। इस प्रकरण की जांच कनिष्ठ अभियन्ता, अटरू द्वारा कराई गई है। जांच रिपोर्ट परि. 8 पर संलग्न हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिस प्रार्थी को आवास स्वीकृत किया वह चयनित ही नहीं है। श्रीमती मंजू बेगम पत्नी इस्हाक मोहम्मद ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत खेडलीगंज, पं. स. अटरू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जिसने इन्दिरा आवास हेतु स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन सरपंच, ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव, ग्रा. पं. खेडलीगंज द्वारा की जाकर जिसका प्रमाण पत्र तत्का. विकास अधिकारी पं.स. अटरू द्वारा प्रमाणित किया गया है, को निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मानपुरा माचेड़ी (आमेर) का बूचड़खाना

420. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवा-रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर (जयपुर) के तालाब के किनारे की भूमि का रीको द्वारा अधिग्रहण किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में माताजी के मन्दिर के पास बूचड़खाना लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस धार्मिक स्थान के पास बूचड़खाने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही है ?

(3) क्या गत सरकार ने बूचड़खाने को लगाने का विचार स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो अब फिर से बूचड़खाना क्यों चालू किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा माचेड़ी की स्थापना हेतु रीको द्वारा तालाब के किनारे की भूमि को अधिग्रहित नहीं किया गया है।

(2) मानपुरा माचेड़ी में उद्योग विभाग द्वारा बूचड़खाने हेतु कोई पंजीकृत इकाई स्थापित नहीं है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा माचेड़ी में मै. प्राईम नेच्यूरल फोजन फुड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लि. स्थापित हो रही है। जिसके द्वारा नगर निगम के बूचड़खानों व अन्य स्थानों से मांस प्राप्त किया जायेगा तथा उक्त मांस का ही आगे प्रोसेस कर डिब्बों में पैक किया जावेगा इकाई के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार किसी भी पशु वध गृह (बूचड़खाना) का प्रस्ताव नहीं है।

सांगानेर हवाई अड्डा क्षेत्र के ध्वस्त मकानों का मुआवजा

421. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांगानेर एयर पोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये कुल कितनी भूमि की आवश्यकता थी? इसमें से कितनी कितनी भूमि अब तक प्राप्त की जा चुकी है एवं अब और कितनी भूमि अधिग्रहित करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सांगानेर एवं जगतपुरा में बसी हुई कालोनियां जो एग्रीकल्चर भूमि पर निर्मित है के मकानों को ध्वस्त करके भूमि अवाप्ति की है? यदि हां, तो जगतपुरा क्षेत्र की एवं सांगानेर क्षेत्र की ऐसी कितनी-कितनी आवासीय कालोनियां है? जिनसे उक्त भूमि विभाग ने प्राप्त की है? अधिग्रहित आवासीय कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार शेष रही भूमि किस किस आवासीय कालोनियों से प्राप्त करने जा रही है? क्या मकान मालिकों एवं काश्तकारों को नोटिस भी दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब? सरकार अब जिन कालोनियों से और भूमि प्राप्त करने का विचार कर रही है? उन कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने जिन मकान मालिकों के मकान ध्वस्त किये है उनको मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि काश्तकारों को उक्त मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार मकान मालिकों को अपने मकान का मुआवजा देने का विचार रखती है?

(5) क्या निर्मित मकानों को तोड़ने का मुआवजा देने के मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगानेर स्थित जयपुर एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष, 1990 में विभिन्न ग्रामों की लगभग 500 बीघा भूमि की मांग की थी, राज्य सरकार द्वारा 483 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवाप्त कर दिनांक 26.11.96 को नियंत्रक एयरोड्रम को अवाप्त की गई भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अब और अन्य भूमि की मांग नहीं की गयी है। जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु और भूमि की आवश्यकता होगी। जिसका आकलन किया जावेगा।

(2) यह सही नहीं है कि एग्रीकल्चर भूमि पर बने हुए मकानों को ध्वस्त करके अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है। केवल खातेदारी भूमि एवं उस पर निर्मित मकानों को नियमानुसार अधिग्रहित कर एयरपोर्ट अथोरिटी को कब्जा दिया गया है। भूमि का अधिग्रहण खातेदारों से किया गया है न कि आवासीय कालोनियों से।

(राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन)

(3) आवश्यक सुविधाओं हेतु आवश्यकता का आकलन किया जावेगा।

(4) भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा मुआवजा नियमानुसार भूमि एवं भवन का विधिक भूमिधारियों (खातेदारों) को दिया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत तय कर अवार्ड पारित किया गया है? भूमि के असली हितबद्ध काश्तकारों को ही मुआवजा दिया गया है। अन्य किसी अवैधानिक हितधारियों को विधि अनुसार मुआवजा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी, नहीं। कोई मकान ध्वस्त नहीं किये गये हैं। मानदण्ड लागू नहीं होता।

तहसील शिव व पोकरण में बालिका सीनियर विद्यालय

422. श्री अमीन खान (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने बाड़मेर जिले की तहसील शिव व जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण में एक एक अल्प संख्यक लड़कियों के लिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मय होस्टल के खोलने की स्वीकृति दी है?

(2) क्या राज्य सरकार इस योजना को तत्काल लागू करने के लिए गम्भीर है? यदि हां, तो उक्त योजना पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और अब क्या प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। भारत सरकार ने मात्र जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण में पूर्व से संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोकरण में अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

(2) जी, हां। उपर्युक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दरवाजे, पानी, बिजली इत्यादि के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मोरवड़ (राजसमंद) की खानें

423. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता राजसमंद प्रथम् के अन्तर्गत ग्राम मोरवड़ में खनन क्षेत्र के लिए ब्लाक अथवा प्लॉट कब-कब डेली नीयेटेड कब-कब किये गये और उसके लिए कब-कब विज्ञप्ति प्रकाशित की गई एवं किस-किस से आवेदन पत्र प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मार्बल खनन क्षेत्र के लिए खनिज अभियन्ता राजसमंद क्षेत्र के लिए राजस्थान सरकार के खान ग्रुप दो के द्वारा वर्ष 1990 से 1998 तक क्या-क्या नीति निर्देश और नियम जारी किये गये थे?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1990 से 1998 के बीच ग्राम मोरवड़ में कितने-कितने आवेदन पत्र किस-किस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

व्यक्तियों के कितने-कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से 1998 के बीच मारबल के लिए कोई नीति और नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता, राजसमंद प्रथम के अन्तर्गत ग्राम मोरवड़ में खनन क्षेत्र के 34 प्लाट्स का डेली नियेशन कर दिनांक 7.11.81 को आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में 19.11.81 को हुआ। इन प्लाट्स हेतु 748 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनसे सम्बन्धित वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "1" में दिया गया है।

(2) राजस्थान सरकार के खान ग्रुप-2 विभाग द्वारा खनिज अभियन्ता, राजसमंद क्षेत्र में खनिज मारबल के खनन पट्टे के आवंटन हेतु अलग से कोई नियम/नीति/निर्देश जारी नहीं किये गये, अपितु वर्ष 1994 में मारबल नीति घोषित की गई, जो सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई।

(3) वर्ष 1990 से 1998 के बीच ग्राम मोरवड़ में कुल 66 खनन पट्टे विभिन्न व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(4) वर्ष 1994 में मारबल नीति-94 दिनांक 6.10.94 को घोषित की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय

424. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करवाती है ? अथवा अन्य कोई पाठ्यक्रम को अपनाये हुए है ? अन्य पाठ्यक्रम अपनाने के क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सीबीएस स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक सम्बन्ध में निरीक्षण के अधिकार के तहत निरीक्षण किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त 187 शिक्षण संस्थाएं संचालित है। शिक्षण संस्थाओं की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी, नहीं। उपरोक्त संस्थाओं में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण अध्यापन कराया जाता है। क्योंकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करते ही एन. सी. ई. आर. टी. का पाठ्यक्रम लागू करना अनिवार्य है।

(3) राज्य के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सी.बी.एस ई. द्वारा संचालित विद्यालयों में निरीक्षण करने के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान किये जा रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जाती है।

परिशिष्ट 'क'

1. अजमेर मिलिटरी स्कूल, अजमेर
2. मेयो कालेज, अजमेर
3. सेंट एनसलम सी. सै. स्कूल, अजमेर
4. मेयर स्कूल, अलवर गेट एल.आई. सी. के सामने अजमेर
5. डेमोस्ट्रेशन मल्टीप्रपज स्कूल, पुष्कर रोड, अजमेर
6. केन्द्रीय विद्यालय, 21 जी.आर.सी. कैमल रोड, नसीराबाद, (अजमेर)
7. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, मोती डूंगरी के पास, अलवर
8. अलवर पब्लिक स्कूल, 6 के.एम. स्टोन, अलवर
9. केन्द्रीय विद्यालय, पो. बी. नं. 18 जलीपा केंट, बाड़मेर
10. केन्द्रीय विद्यालय, न्यू जनरल हास्पिटल के पास, भरतपुर
11. विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, हरड़ा भीलवाड़ा
12. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, सागर रोड, बीकानेर।
13. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, बीकानेर
14. बीकानेर बॉयज स्कूल, सागर रोड बीकानेर
15. सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़
16. बी.जे.आर.डी. पब्लिक स्कूल भौरूग्राम (चूरू)
17. धौलपुर मिलटरी स्कूल, धौलपुर
18. जयपुर स्कूल, सैक्टर 6, विद्याधर नगर, जयपुर
19. सेंट जेवियर स्कूल, भगवान दास रोड, जयपुर
20. सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल, 31, भगवान दास रोड, जयपुर
21. श्री अग्रसेन पब्लिक स्कूल आगरा रोड, जयपुर
22. माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, सैक्टर 4 जवाहर नगर, जयपुर
23. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, झोटवाड़ा आर्मी एरिया, जयपुर
24. टैगोर पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर रोड़, जयपुर
25. केन्द्रीय विद्यालय न. 1, टोंक फाटक के सामने, जयपुर
26. केन्द्रीय विद्यालय नं. 3, बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर
27. केन्द्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस. जैसलमेर

28. बिरला बालिका विद्यापीठ, पी.ओ. पिलानी (झुंझुनूं)
29. रिला सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पिलानी (झुंझुनूं)
30. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, खेतड़ी नगर (झुंझुनूं)
31. सोफिया सैकण्डरी स्कूल, खेतड़ी नगर (झुंझुनूं)
32. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, खेतड़ी नगर (झुंझुनूं)
33. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर
34. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर
35. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, मिलिटरी एरिया (आर्मी), जोधपुर
36. केन्द्रीय विद्यालय, बी.एस.एफ. मण्डोर रोड, जोधपुर
37. एटोमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, नं. 4 अनुकरण कालोनी, रावतभाटा (कोटा)
38. केन्द्रीय विद्यालय, स्टेशन रोड, कोटा जंक्शन, कोटा
39. सेंट पॉल स्कूल, मालारोड, कोटा
40. सेंट जॉन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, बूंदी रोड, कोटा
41. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, ईश्वर नगर लाखेरी (बूंदी)
42. केन्द्रीय विद्यालय, कोटा रोड भीलवाड़ा
43. केन्द्रीय विद्यालय, आई.एस.ए., माउन्ट आबू (सिरोही)
44. कैलाश विद्या विहार, कैलाश नगर न. 2, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़)
45. कैरी विद्या मंदिर, पिलानी (झुन्झुनूं)
46. विद्या निकेतन (बिरला पब्लिक स्कूल), पिलानी, झुन्झुनूं
47. केन्द्रीय विद्यालय, श्रीगंगानगर केंट
48. बी. एस. एफ. सी. सै. स्कूल, श्रीगंगानगर
49. केन्द्रीय विद्यालय, बी. एस. एफ. अनूपगढ़, श्रीगंगानगर
50. केन्द्रीय विद्यालय, ए. एस. एफ. सूरतगढ़, श्रीगंगानगर
51. सेंट पॉल सी. सै. स्कूल, भोपालपुरा, उदयपुर
52. केन्द्रीय विद्यालय, एकलिंगगढ़ फोर्स्ट पी.ओ. गोवर्धन विलास, उदयपुर
53. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, प्रतापनगर, उदयपुर
54. आलोक इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिरण मगरी सैक्टर 11, उदयपुर
55. महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, सिटी पैलेस, उदयपुर
56. केन्द्रीय विद्यालय, राजपुरा, राजसमन्द
57. लक्ष्मीपत सिंघानी स्कूल, पी ओ. टायर फैक्टरी, कांकरोली (राजसमंद)
58. केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर माइन्स, उदयपुर
59. इन्स्ट्रेमेंटेशन स्कूल इन्स्ट्रूमेंटेशन टाउनशिप, कोटा

60. न्युलुक सी. सै. स्कूल, लोढ़ा, बांसवाड़ा
61. केन्द्रीय विद्यालय, एयरफोर्स, बाड़मेर
62. महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर
63. सुबोध पब्लिक स्कूल, रामबाग सर्किल जयपुर
64. भारतीय विद्या भवन, विद्याश्राश्रम, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर
65. एयर फोर्स स्कूल, ए. एफ. एस. वैल रोड, बीकानेर
66. एयर फोर्स स्कूल, ए. एफ. एस. ओल्ड पाली रोड, जोधपुर
67. चिनार पब्लिक स्कूल, जयपुर रोड अलवर
68 सेंट पाल पब्लिक स्कूल, ठिकारिया बांसवाड़ा
69. केन्द्रीय विद्यालय, सी. आई. एस. एफ. कैम्पस देवली (टोंक)
70. केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 ए. एफ. एस. नाल, बीकानेर
71. केन्द्रीय विद्यालय, नं. 2 (आर्मी) मिलटरी अस्पताल के पास, जोधपुर
72. केन्द्रीय विद्यालय, चूरू रोड, झुन्झुनू
73. केन्द्रीय विद्यालय, लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर)
74. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 सी.आर.पी. एफ. ग्रुप सेन्टर–I, अजमेर
75. एम. जी. डी. गर्ल्स स्कूल, सवाई मानसिंह रोड, जयपुर
76. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल एण्ड रिसर्च, गुरु विशिष्ट कालेज बिल्डिंग लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
77. सेंट पाल स्कूल, शास्त्री सर्किल, जोधपुर
78. जवाहर नवोदय विद्यालय, कुचामन सिटी (नागौर)
79. जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर (चूरू)
80. जवाहर नवोदय विद्यालय, बांसवाड़ा
81. जवाहर नवोदय विद्यालय, राजसमंद
82. जवाहर नवोदय विद्यालय, चित्तौड़गढ़
83. जवाहर नवोदय विद्यालय, पचपदरा नगर, बाड़मेर
84. जवाहर नवोदय विद्यालय, पावटा, जयपुर
85. गुरू हरिकिशन पब्लिक स्कूल, श्रीगंगानगर
86. श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल 6, शक्तिनगर, सी रोड पावटा जोधपुर
87. इम्यूनिल मिशन स्कूल, तलवंडी, कोटा
88. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 सी. आर. पी. एफ. ग्रुप–II, अजमेर
89. केन्द्रीय विद्यालय, सूरतगढ़ कैंट, श्रीगंगानगर
90. केन्द्रीय विद्यालय, सी. एस. डब्लू. आर. आई. अवीकानगर (टोंक)
91. लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल, जावया पुरम (सिरोही)
92. लाला कमलापत सिंघानिया एज्यूकेशन सेन्टर, गोटन कालोनी, गोटन (नागौर)

93. सोफिया सैकण्डरी स्कूल, भीलवाड़ा

94. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल सेक्टर सी, तलवंडी (कोटा)

95. एस-जे. पब्लिक स्कूल जनता कालोनी, जयपुर

96. सेंट पाल सैकण्डरी स्कूल, मेवाड़ी गेट, ब्यावर (अजमेर)

97 डी.ए.वी. सैंटेनरी पब्लिक स्कूल आम्रपाली सर्किल के पास, जयपुर

98. जवाहर नवोदय विद्यालय, टाकरड़ा, डूंगरपुर

99. जवाहर नवोदय विद्यालय, मोहनगढ़, जैसलमेर

100. जवाहर नवोदय विद्यालय, जसवन्तपुरा, जालौर

101. जवाहर नवोदय विद्यालय, नसीराबाद, अजमेर

102. बाल निकेतन गांधी सेवा सदन, राजसमन्द

103. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, पी. ओ. बाक्स नं. 2 भिवान्डी, अलवर

104. जवाहर नवोदय विद्यालय, अटरू बारां

105. जवाहर नवोदय विद्यालय, हरड़ा भीलवाड़ा

106. जवाहर नवोदय विद्यालय, खैरथल अलवर

107. जवाहर नवोदय विद्यालय, भवानी मण्डी (वाया) झालावाड़

108. केन्द्रीय विद्यालय आर्मी कैम्प, इटारना अलवर

109. केन्द्रीय विद्यालय, एस.के.एन. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर कैम्पस, जोबनेर जयपुर

110. इंडिया इन्टरनेशनल स्कूल, एस. एफ.एस. मानसरोवर, जयपुर

111. श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल, बसन्त विहार, अलवर

112. एयर फोर्स स्कूल, आमेर रोड, कनक घाटी, जयपुर

113. आर्मी स्कूल, बीकानेर

114. केन्द्रीय विद्यालय नं. 4, झोटवाड़ा आर्मी एरिया, जयपुर कैंट, जयपुर

115. केन्द्रीय विद्यालय, राती तलाई बासवाड़ा

116. केन्द्रीय विद्यालय, पी.ओ. अन्ता गैस पावर प्रोजेक्ट, बारां

117. केन्द्रीय विद्यालय (आर्मी) बनार, जोधपुर

118. सैंटग्रीगोरियस सी. सै. स्कूल खुशहाल बाग, उदयपुर

119. मार्डन सी. सै. स्कूल, सैक्टर I तलवंडी कोटा

120. जवाहर नवोदय विद्यालय, पाटन नीमकाथाना, सीकर

121. जवाहर नवोदय विद्यालय, जोजावर, पाली

122. जवाहर नवोदय विद्यालय, महियावाली, श्रीगंगानगर

123. जवाहर नवोदय विद्यालय, पी.ओ. मिवाई, जोधपुर

124. जवाहर नवोदय विद्यालय, चॉन टोंक

पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रीगण

425. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य में यात्रीगण परिवहन निगम की बसों की बजाय अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बसों में ज्यादा यात्रा करते हैं? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से तथा उन कारणों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर

निजी/निगम की बसों में कम/अधिक यात्री यात्रा करने के आंकलन संबंधित सर्वे विभाग द्वारा नहीं किये जाने के कारण कुछ भी कहना उचित नहीं ।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

426. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में चिकित्सा सम्बन्धी किस स्तर के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में चिकित्सा संस्थानों में स्टॉफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया । कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स/श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा । चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवा दी गई है । राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा । नर्स श्रेणी द्वितीय एवं वार्ड बॉय के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है । दन्त टैक्निशियन एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा । महिला स्वास्थ्य दर्शिका का रिक्त पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना सम्भव होगा । स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाइंग केडर होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं होगा । वेतन शृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण वाहन चालक रिक्त पद भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 एडपोस्ट, 32 उप केन्द्र स्वीकृत हैं । नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद कब से है।
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकड़ी	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	31.3.99
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	28.9.96
		वाहन चालक	1	1.11.98
		दन्त टेक्नीशियन	1	वर्ष 92-93
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	चि. अ. पद विरुद्ध कार्यरत
		चिकित्सा अधिकारी	1	3.9.98
		नर्स श्रेणी-प्रथम	2	1.11.98 1.4.99
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	1.12.98
		वाहन चालक	1	वर्ष 97-98
		वार्ड बॉय	1	28.1.99
3.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, सावर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	वर्ष 94-95
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	चि. अ. पद विरुद्ध कार्यरत
		वाहन चालक	1	13.7.94
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादेड़ा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	चि. अ. पद विरुद्ध कार्यरत
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	(डाईंग केडर)
	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, कादेड़ा	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	वर्ष 94 से
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	वर्ष से 96
6.	एड पोस्ट, तसावरिया	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	वर्ष 94 से
7.	एड पोस्ट, खनुज	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	वर्ष 98 से
8.	उप केन्द्र, मेवदा खुर्द	एम. पी. डब्ल्यू (पुरुष)	1	वर्ष 97-98

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकड़ी प्रसवोत्तर केन्द्र, केकड़ी	22.	उप केन्द्र, गुलगांव
		23.	उप केन्द्र, टांकावास
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड़ मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सरवाड़	24.	उप केन्द्र, तिम्बेड़ा
		25.	उप केन्द्र, संलारी
3.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सावर सावर	26.	उप केन्द्र, सरसरी
		27.	उप केन्द्र, भोगला
		28.	उप केन्द्र, मीणों का नया गांव
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादेड़ा ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, कादेड़ा	29.	उप केन्द्र, लसाडिया
		30.	उप केन्द्र, साकरिया
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रान्हेड़ा	31.	उप केन्द्र, चौसला
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघेरा	32.	उप केन्द्र, देवखेड़ी
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुनिया	33.	उप केन्द्र, छितीवास
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारा	34.	उप केन्द्र, फारकिया
9.	एडपोस्ट, देवगांव	35.	उप केन्द्र, गोरधा
10.	एड पोस्ट, धुन्धरी	36.	उप केन्द्र, बाजटा
11.	एड पोस्ट, तसाबारिया	37.	उप केन्द्र, पीपलाज
12.	एड पोस्ट, मवेदा कलां	38.	उप केन्द्र, मराई
13.	एड पोस्ट, घटियाली	39.	उप केन्द्र, कोहेड़ा
14.	एड पोस्ट, खनुज	40.	उप केन्द्र, मेवदा खुर्द
15.	उप केन्द्र, बिसुन्दरी	41.	उप केन्द्र, गिरधरपुरा
16.	उप केन्द्र, मेहरू कलां	42.	उप केन्द्र, बड़ गांव
17.	उप केन्द्र, अलोली	43.	उप केन्द्र, कनई कलां
18.	उप केन्द्र, सदारा	44.	उप केन्द्र, नागेलाव
19.	उप केन्द्र, ख्वास	45.	उप केन्द्र, बुबकिया
20.	उप केन्द्र, भीमड़ावास	46.	उप केन्द्र, पालड़िया
21.	उप केन्द्र, तितरिया		

जिला भरतपुर का सड़क मरम्मत प्रकरण

427. श्री निर्भय लाल (रूपवास) :- क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 से फरवरी, 1999 तक जिलेवार तुलनात्मक दृष्टि से सड़क मरम्मत के लिये भरतपुर जिले को कम राशि आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी राशि व्यय कर दी गई है ?

(2) उक्त जिले की सड़क मरम्मत कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1994 से मार्च, 1999 तक भरतपुर जिले में सड़क मरम्मत के लिये वर्षवार आवंटित की गई राशि एवं उसके विरुद्ध वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सड़क मरम्मत हेतु आवंटित राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1994-95	333.15	333.15
1995-96	340.00	363.90
1996-97	421.00	386.82
1997-98	400.00	420.16
1998-99	385.30	324.64 (माह 2/99 तक)
योग :—	1879.45	1828.67

(2) उक्त जिले की सड़क मरम्मत कार्यों पर वर्ष 1994 से फरवरी, 1999 तक कुल 1828.67 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या–523 का विवरण)

वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 की वरिष्ठ निजी सहायकों की विभागीय पदोन्नति समिति के लिए विवरण-जोन में लिये गये नाम

क्र. सं.	नाम	पद
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	भगवानदास ईसरानी	निजी सहायक
2.	किरण बाबू माथुर	,,
3.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	,,
4.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	,,
5.	गोवर्धन लाल महाजन	,,
6.	भंवर लाल सैनी	,,
7.	अब्दुल जब्बार अंसारी	,, (से.नि. 30.9.97)
8.	रमेश चन्द	,,
9.	भगवती प्रसाद शर्मा	,,
10.	अचल सिंह	,,
11.	टीकमचन्द जैन	,, (से.नि. 30.9.95)
12.	ओम प्रकाश शर्मा	,,
13.	विश्वनाथ शुक्ला	,,
14.	हरिनारायण दशौरा	,,
15.	शरीफ अहमद देवड़ा	,,
16.	हरिमोहन गुप्ता	,,
17.	विनोद कुमार शर्मा	,,
18.	मुख्त्यार अहमद	,,
19.	हरिहरण नायर	,,
20.	नारायणदास तीर्थानी	,,
21.	नृसिंह लाल टिकर	,,

1	2	3
22.	रामनारायण	निजी सहायक
23.	कृपाशंकर शर्मा	,,
24.	सुमन कुमार जोशी	,,
25.	गोविन्दराम आईलानी	,,
26.	राजेन्द्र कुमार खोरानिया	,,
27.	चन्द्रभानसिंह नरूका	,,
28.	चन्द्रप्रकाश अगनानी	,,
29.	श्रीमती वत्सला	,,
30.	श्रीमती लीलमा जार्ज	,,
31.	गजेन्द्र कुमार गोस्वामी	,,
32.	जितेन्द्र सिंह चौहान	,,
33.	ललित प्रकाश पारीक	,,
34.	रामकिशन पुरोहित	,,
35.	रघुवीर सिंह नरूका	,,
36.	ओम प्रकाश सारस्वत	,,
37.	महेन्द्र कुमार जैन	,,
38.	गोपाल लाल राणावत	,,
39.	कैलाश चन्द गुप्ता	,,
40.	विश्वेश्वर प्रसाद मौर्य (एससी)	,,
41.	त्र्यम्बक शर्मा	,,
42.	दिनेश चन्द शर्मा	,,
43.	अशोक कुमार मित्तल	,,
44.	रमेश चन्द गोधा	,,
45.	बाबू सिंह माकरोत	,,
46.	अवधेश चन्द शर्मा	,,
47.	उमाशंकर त्रिपाठी	,,
48.	राधे लाल गुप्ता	,,
49.	उमेश चन्द पारीक	,,

1	2	3
50.	परमजीत कोर विर्दी	निजी सहायक
51.	बालमुकन्द शर्मा	,,
52.	उमेशपाल सिंह	,,
53.	सैयद शाहिद अहमद	,,
54.	अशोक कुमार सिंह चन्देल	,,
55.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	,,
56.	लाभचन्द शर्मा	,,
57.	शिवशंकर शर्मा	,,
58.	भगवानदास	,,
59.	राजेन्द्र कुमार कानूनगो	,,
60.	निरंजन लाल	,,
61.	पुंकेश शर्मा	,,
62.	भंवर सिंह राजावत	,,
63.	भूपेन्द्र कुमार भटनागर	,,
64.	सुन्दरदास भोजवानी	,,

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-525 की प्रति)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग—1)

क्रमांक प. 5 (1) प्र.सु./अनु.–1/समन्वय/96 जयपुर, दिनांक ....

परिपत्र

शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के भण्डार गृहों (स्टोर्स) का समय पर भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। वर्षों तक एक ही व्यक्ति स्टोर इन्चार्ज या स्टोर लिपिक बना रहता है, जिससे उसमें उसका स्वयं का हित निहित हो जाता है कि स्टोर का भौतिक सत्यापन न हो। समय पर स्टोर का भौतिक सत्यापन न हो पाने के कारण स्टोर सम्बन्धी कई प्रकार की अनियमितताओं/गलतियों का समय पर पता नहीं चल पाता और सम्बन्धित लिपिक/अधिकारी अनायास ही अनियमित कार्य की ओर अग्रेसित हो जाते हैं तथा उनके दुरुपयोग और दुराचरण की सम्भावना बढ़ जाती है।

अतः समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि स्टोर्स का समय पर भौतिक सत्यापन किया जावे एवं किसी भी लिपिक/अधिकारी को स्टोर्स का कार्य तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जावे। जहां तीन वर्ष से अधिक अवधि के लोग लगे हुए हैं उनका तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरण कर, उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाये तथा एक बार हटाने के पश्चात्, हटाये गये व्यक्ति का कम से कम 5 वर्ष की अवधि से पहले उस स्थान पर पुनः पदस्थापन नहीं किया जावें।

इसी क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्देश की अनुपालना सख्ती से की जाये एवं अनुपालना सुनिश्चित कर दो माह पश्चात् क्रियान्वयन के क्रम में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु–1) विभाग को भिजवाया जाये कि उनके अधीनस्थ समस्त विभागों में, स्टोर्स के काम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तीन साल से अधिक वहां काम कर रहा हो।

कृपया इसकी प्राप्ति से भी विभाग को अवगत कराया जाये।

(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव

परिशिष्ट–"ब"

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु.-1) विभाग

क्रमांक–प. 5 (1) प्र.सु./1/सम./96/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 25.2.99

परिपत्र

भण्डार गृहों (स्टोर्स) में अनियमितताओं को दूर कर गलतियों को रोकने की दृष्टि से विभागीय स्टोर्स का समय पर भौतिक सत्यापन कराने तथा 3 वर्ष से अधिक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्टोर्स में नहीं रखने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या प. 5 (1) प्र. सु./1/सम./96 दिनांक 7.10.96 द्वारा निर्देश प्रसारित किये हुए हैं।

समस्त विभागाध्यक्षगण का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त विभागीय भण्डार गृहों का भौतिक सत्यापन करावें एवं जहां 3 वर्ष से अधिक अवधि से लोग लगे हुए हैं उनका तुरन्त प्रभाव से स्थानांतरण करने की कार्यवाही की जावे तथा यह सुनिश्चित करें कि हटाये गये व्यक्तियों का 5 वर्ष से पहले पुनः स्टोर में पदस्थापन न हो।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर, दो माह पश्चात् क्रियान्वयन के क्रम में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र इस विभाग को भिजवाया जाये कि "मेरे अधीनस्थ समस्त विभागों में स्टोर्स के काम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तीन साल से अधिक समय से काम कर रहा हो।"

कृपया इसे प्राथमिकता देवें एवं इसकी प्राप्ति से भी इस विभाग को अवगत करायें।

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

परिशिष्ट–"स"

GOVERNMBNT OF RAJASTHAN

No. PS/CS/I/96/7007 Dated, September 6, 1996

To : All Pr. Secretaries/Secretaries.

Both at the Secretariat and in the offices of Heads of Departments and Deputy Heads of Departments persons are kepe in the establishment sections deeling with the personnel matter for years together. The long continuation leads to many problems, You are therefore advised to shift the employees dealing with personnel matter for over 5 years. An official once posted in establishment section dealing with personnel matters should not be posted again in the same section for the next 5 years. The change over suggested above may be brought within the next on month and a report may be sent to Secretary Personnel.

(M. L. Mehta)
Chief Secretary

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–526 का विवरण)

परिशिष्ट–'अ"

सरकार द्वारा राज्य में नये लगाये जाने वाले उद्योगों को दी जाने वाली सहायता का विवरण

1. 11 से 14 साल तक (टेम्परिंग बेसिस पर) की बिक्री कर छूट । आस्थगन योजना 1998 के तहत सहायता ।
2. जिन उद्योगों की संयंत्र की लागत 60 लाख रुपये तक हैं उन्हें समय पर ऋण भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है ।
3. हैरिटेज रिसोर्ट हेतु 20 लाख रुपये तक एवं होटल लगाने हेतु 15 लाख तक सब्सिडी ।
4. 5 लाख से 3 करोड़ तक के कृषि आधारित उद्योगों को फिक्सड पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख तक सब्सिडी ।
5. इन्डरनल कन्टेनर डिपो के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर भाड़े पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी ।
6. 31.3.2003 तक 60 लाख तक निवेश वाले उद्योगों को डिजल जनरेटिंग सैट (D. G. Set) की खरीद पर 25 लाख रुपये तक सब्सिडी।
7. आटो मोबाईल इकाईयों हेतु राज्य सरकार ने एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज बनाया है, जिसके तहत बिना किसी सीमा के 12 साल तक की बिक्री कर में छूट, क्रय कर में 7 साल की छूट तथा जन उपयोगी स्टेटस प्रदान किया जाता है ।
8. केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 12 पिछड़े जिलों में इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को आयकर में छूट देने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत 12 जिलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है । जिसका विवरण परिशिष्ट–'ब" की क्रम सं. (ii) दर्शाया गया है ।
9. उद्योग, जिनके भूमि एवं भवन में 20 लाख तक का निवेश किया हुआ है, उन्हें भूमि एवं भवन कर से मुक्त किया गया है ।

10. कास्टम बोण्ड, मोर्टगेज डीड एवं डोक्यूमैंट्स के पंजीकरण पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में एक निश्चित सीमा तक छूट ।

कस्टम बोण्ड पर स्टाम्प ड्यूटी	100 रु. से 1000 रु. तक
मोर्टगेज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी	0.1 प्रतिशत तक
डोक्यूमैंट्स को पंजीकरण शुल्क	1 प्रतिशत (अधिकतम 25000 रु. तक)

11. 50 प्रतिशत फ्लाई एश/पत्थर की चूरी (स्लरी) पर आधारित उद्योगों को बिक्री कर में 10 वर्षों तक शत प्रतिशत की छूट । (यह सीमा अब बजट में 25 प्रतिशत प्रस्तावित है)

12. 50 प्रतिशत या अधिक का निर्यात करने वाली निर्यात संवर्द्धन इकाईयों को 13 साल तक की बिक्री कर छूट, संयंत्र की खरीद पर बिक्री कर में छूट । एवं जन उपयोगी स्टेटस प्रदान किया जाता है ।

13, हैरिटेज होटल्स को 5 प्रतिशत एवं 1, 2, 3 स्टार होटल्स को केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत 3 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक ब्याज में छूट । विवरण परिशिष्ट–"ब" की क्रम संख्या (iii) पर दर्शाया गया है ।

14. 31.3.2000 तक लगने वाले एम्यूजमेन्ट पार्क, सिनेमाहॉल इत्यादि को मनोरंजन कर में 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत की छूट ।

15. निगम लघु उद्योगों की स्थापना के लिए 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के लिए 18 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज जो आज की तारीख में लागू है की दर से ऋण उपलब्ध कराता है ।

परिशिष्ट–"ब"

सरकार द्वारा राज्य को अन्य जिलों में अलग-अलग तरह से दी जाने वाली सहायता का विवरण

सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ सहायता राज्य के अन्य जिलों में अलग-अलग तरह दी जा रही है, जो निम्न प्रकार से है :—

(i). राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पांच ग्रोथ सेन्टर (आबू रोड, बीकानेर (खारा), धौलपुर, झालावाड़ एवं भीलवाड़ा) में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर में 1 साल के लिए व फिक्सड पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देय है।

(ii) केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 12 पिछड़े जिलों को आयकर छूट हेतु दो श्रेणियों में बांटा है :—

(a)	प्रथम 5 वर्षों में शत प्रतिशत आयकर में छूट तथा अगले 5 वर्षों में 25 प्रतिशत की छूट एवं कम्पनीज को यह छूट 30 प्रतिशत होगी।	जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू व बांसवाड़ा
(b)	प्रथम 3 वर्षों में शत प्रतिशत छूट तथा अगले 5 वर्षों हेतु 25 प्रतिशत एवं कम्पनीज को यह छूट 30 प्रतिशत होगी।	डूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर टोंक, नागौर, झालावाड़ व सीकर

(iii) केन्द्र सरकार की पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत हैरिटेज रिसोर्टस के लिए समस्त राजस्थान में 5 प्रतिशत एवं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 1, 2, 3 स्टार होटल्स की स्थापना पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट। इसी तरह अन्य जिलों में 1, 2, 3 स्टार होटल्स हेतु 3 प्रतिशत छूट दी जाती है।

(iv) ऋण पर ब्याज की दर सभी जिलों में एक ही है।

अतिरिक्त सूचना

रीको द्वारा राजस्थान प्रदेश में औद्योगीकरण हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं एवं इन क्षेत्रों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि आवंटन में सभी श्रेणियों के उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु रीको द्वारा निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जा रही है :—

1. अनु–जाति/जनजाति के उद्यमियों को 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन दर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
2. इलेक्ट्रोनिक उद्योगों को 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन दर में 20 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
3. भूतपूर्व सैनिकों को 2000 वर्गमीटर तक की भूमि आवंटन दर में 25 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
4. भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2000 वर्गमीटर तक की भूमि आवंटन दर में 25 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
5. विकलांग उद्यमियों को 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन में 15 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
6. महिला उद्यमियों को 2000 वर्गमीटर तक की भूमि आवंटन में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
7. सोलर एनर्जी उद्योगों को 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन में 20 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

उपरोक्त श्रेणियों के उद्यमियों को भूमि आवंटन हेतु रीको के निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सम्बन्धित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में आवेदन करना होता है। रियायती दर पर आवंटन हेतु उद्यमी को सम्बन्धित विभाग के प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–527 का विवरण

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक राजस्थान को हाथकरघा की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा बुनकरों के सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण :–(राज. राज्य हथकरघा विकास निगम एवं राज. राज्य बुनकर सह. संघ को सम्मिलित करते हुये)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1995–96	वर्ष 1996–97	वर्ष 1997–98	वर्ष 1998–99
1.	हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट	12.06	44.54	29.23	—
2.	करघाघर	7.40	18.20	120.50	—
3.	थ्रिफ्ट फण्ड	1.00	2.00	—	—
4.	बाजार विकास सहायता	31.14	29.92	31.11	8.02
5.	हाथकरघा विकास केन्द्र	2.24	—	—	—
6.	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	24.75	—	—	—
7.	प्रोजेक्ट पैकेज	118.04	179.00	2.50	—
8.	हैल्थ पैकेज	25.50	—	—	—
9.	टी. पी. सैल	2.37	0.56	—	0.78
10.	हाथकरघा सर्वेक्षण	5 50	—	—	—
11.	जनता कपड़ा अनुदान एवं हैंकयार्न	84.84	38.84	53.60	14.48
12.	बुनकर संघ विनियोजन	25.50	—	—	—
13.	वूलन प्रोजेक्ट (आर.एच.डी.सी.)	51.81	—	—	—
	योग :—	392.15	313.06	236.94	23.28

राजस्थान सरकार द्वारा हाथरघा वस्त्र उत्पादन तथा बुनकर के वैयक्तिक एवं सहकारी विकास के लिये वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1995–96		वर्ष 1996–97		वर्ष 1997–98		वर्ष 1998–99	
		व्यक्तिगत	सहकारी	व्यक्तिगत	सहकारी	व्यक्तिगत	सहकारी	व्यक्तिगत	सहकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ब्याज अनुदान	0-23	1.49	1.25	0.09	0.32	0.22	—	0.22
2.	हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट	0.75	20.07	2.38	33.05	1.39	29.40	0.08	18.41
3.	करघाघर	—	1.40	—	3.54	—	—	—	—
4.	थ्रिफ्ट फण्ड	0.50	0.50	1.00	1.00	—	—	0.50	0.50
5.	बाजार विकास सहायता	23.72	24.54	9.48	24.72	—	36.19	10.44	8.49
6.	बुनकरों का बीमा	—	—	—	—	—	—	—	1.83
7.	बुनकरों का भ्रमण/प्रदर्शनी	—	0.37	—	—	0.24	—	—	—
8.	हिस्सा पूंजी राज. राज्य हाथकरघा विकास निगम	—	—	—	—	25.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	प्रोजेक्ट पैकेज (आर. एच.डी.सी.)	16.28	—	112.00	—	—	—	55.65	—
10.	आधुनिकीकरण (आर.एच.डी.सी.)	20.00							
11.	सोफ्ट लोन (आर.एच.डी.सी.)	160.00							
12.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास	22.98							
13.	प्रचार-प्रचार एवं प्रदर्शनी	14.50							
14.	सामूहिक बीमा	0.50	—	0.50	—	0.50	—	—	—
15.	बिक्रीकर एवं यातायात पुनर्भरण	3.50		4.35					
	योग :—	262.76	52.72	126.61	63.00	28.49	65.81	68.67	29.45

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या/531 की प्रति)

टंकन प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 249/91 दिनांक 15.10,91 धारा 457, 380 ता. हि. थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण ।

1— अभियोग सं. 249/91

2— धारा–457, 380 ता. हि.

3— तारीख रजू–15.10.91

4— तारीख वक्त वकुवा–14/15/10–91 की रात्री समय अज्ञात

5— घटना स्थल–डाक बैल बगरू थाने से बजानिक पश्चिम व फासला 4 कि मी.

6— नाम पता मुस्त. श्री मालूराम पुत्र झूथाराम जाति मीणा उम्र 27 साल नि. डाक बैल बगरू थाना बगरू

7— एफ.आई.आर. में नामजद मुलजिम–नहीं (अज्ञात)

8— चुराई गई सम्पत्ति का विवरण–25 टायर जीप के व 30 टायर ट्रैक्टर के 10 ट्यूब जे.के. की साईज 10.00 × 20 ट्रैक्टर की पांच ट्यूब 12–428

9— प्रथम सूचना रिपोर्ट में विषय वस्तु

सेवा में,

श्रीमान् थानाधिकारी प्रभारी थाना बगरू विषय मेरी दुकान नेशनल टायर पर चोरी होने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी टायरों की दुकान पर आज रात को चोरों द्वारा शटर का ताला तोड़कर मेरी दुकान में पड़े जीप के टायर, ट्रैक्टर के टायर व ट्यूबों की चोरी करके ले गये। जीप के 25 टायर व ट्रैक्टर के 30 टायर थे। ट्यूब जे.के. की 10 साईज 1000 × 20 की व ट्रैक्टर की 12–428 की 5 ट्यूब थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप चोरों को पकड़कर मेरे टायर दिलावे। प्रार्थी मालूराम पुत्र झूथाराम गांव बगरू डाकबैल दिनांक 15.10.91

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीर श्री मालूराम मीणा पुत्र झूथाराम मीणा उम्र 27 साल निवासी बगरू ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल रजिस्टर एफ.आई आर. में हूबहू की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म दफा 457, 380 ता. हि. कावकू में आना पाया जाता है। अतः मु.न. 249/91 बदफा मचकूर में कायम कर मन एस.एच.ओ. राजेन्द्र त्यागी तफतीश हुआ। प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई।

एस.डी. मालूराम

एस. डी.

हस्ताक्षर–राजेन्द्र त्यागी

एस. एच. ओ–पी. एस. बगरू

दिनांक 15,10.91 एट 8 एम

परिशिष्ट "ख"

बयान हस्ब दफा 161 जा.फौ. दि. 15.10.91 श्री मालूराम पुत्र झूथाराम जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी डाकबैल बगरू जयपुर बसीलसीले तफ्तीश मु. न. 249/91 धारा 457, 380ता.हि. थाना बगरू ने पुलिस दरियाफ्त पर ताईद एफ.आई.आर. करते हुये बयान किया कि मैं बगरू डाकबैल का रहने वाला हूं। डाक बैल पर ही आगे की तरफ नेशनल धर्मकांटा मेरा ही उसके पास दोनों तरफ मैंने दुकानें बनाई हुई है। कांटे के पास में पूर्व साईड की तरफ एक दुकान खाली पड़ी हुई है तथा उसके पास वाली दुकान नेशनल टायर्स के नाम से है। जिसको मैंने करीब दो महीने पहले ही खोला है। मैं टायर जयपुर से लाकर बेचने का काम करता हूं। मेरी दुकान रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी दुकान का मैंने एक कच्चा स्टोर रजिस्टर बना रखा है। अतः दिन भर में दुकान पर था शाम को 8 बजे दुकान बन्द करके घर चला गया कांटा के आफिस में मेरा छोटा भाई मोहन मीणा सोता है रात को वो ही सो रहा था टायर की दुकान व कांटा के बीच में खाली दुकान में चारपाई पर रोडूराम व नन्दराम जाट पचेवर टोंक के सो रहे थे। वह इंजन खरीदने आये थे एक दुकान में गल्लू मिस्त्री सो रहा था, आज सुबह मैं उठा और दुकान पर गया तो शटर का ताला नहीं मिला व दुकान के सामने एक ट्रक के आने के टायरों के निशान देखें तब मैंने दुकान का शटर खोला तो अन्दर से मेरी पूरी दुकान ही खाली पड़ी मिली दुकान के सारे टायर कोई चोर शटर का ताला तोड़कर ट्रक में भरकर ले गये मेरी दुकान से ट्रेक्टर के 10 टायर जिनमें से मोदी स्टोन के 4 एम.आर.एफ. के 6 तथा जीप के 13 टायर जिनमें से मोदी स्टोन के 11 तथा डनलप के 2 होन्डा के 5 टायर जिनमें से एम.आर.एफ. के 3 उषा का 1 श्रीचक्र का एक और ट्रक की ट्यूब जे.से. 10-20-5 तथा जे.के. 920 के तीन तथा ट्रैक्टर की ट्यूब मोदी स्टोन न. 1242 की चार थी जिसकी कीमत 2800 हजार रुपये के लगभग है। रात्री को बगरू स्टेन पर एक मिलेट्री डिसपोजल गाड़ी खड़ी थी जिसका मुझे पूरा पूरा शक है कि वही गाड़ी वाले मेरे टायर ले जा सकते हैं। मैं टायरों को सामने आने पर पहचान सकता हूं। मैंने टायर खरीदे उसके चार बिल मेरे पास है जो मैं पेश करता हूं।

(2) बयान हस्ब दफा 161 जा. फौ. दि. 15.10.91 बसीलसिले तफ्तीश मु. न. 249/91 धारा 457, 380 ता. हि. श्री मोहन मीणा पुत्र झूथाराम मीणा उम्र 23 साल निवासी बगरू डाक बैल जयपुर में दरियाफत कर बयान किया कि हमारे स्टेण्ड पर हमारी दुकानें हैं। व नेशनल धर्मकांटा है। कांटे के पास ही एक दुकान में नेशनल टायर के नाम से एक दुकान जिसको खोले करीब दो महीने हुये है। जिसमें मेरे बड़े भाई मालूराम बैठते है। कल शाम को 8 बजे भाई साहब दुकान बन्द करके घर चले गये थे। 8 बजे मैं काम पर आ गया था रात को मैं 2 बजे जगा हुआ था उस समय मेरे पास राजस्थान फ्लोर मिल की गाड़ी तुलने आई हुई थी। जब तक हमारी टायरों की दुकान बन्द थी कांटा व टायर की दुकान के बीच में पचेवर के दो आदमी सो रहे

थे। बाद में मुझे नींद आ गई सुबह देखा तो टायर की दुकान का ताला टूटा हुआ था, भाई साहब ने शटर खोल कर देखा तो अन्दर टायर नहीं मिले कुछ ट्यूब नहीं मिली बाहर देखा तो ट्रक के टायरों के निशान थे कोई चोर ट्रक में टायर भर कर ले गया रात को बगरू स्टेण्ड पर ठेके के सामने एक मिलिट्री कलर का पुराना ट्रक खड़ा था। हमें उसी ट्रक वालों पर टायर ले जाने का शक है।

(3) बयान हस्बदफा 161 जा.फौ. दि. 15.10.91 श्री मल्लूराम पुत्र भूराराम कुमावत उम्र 29 साल निवासी बगरू स्टेण्ड बगरू बसिलसिले त.मु.न. 249/91 धारा 457, 380 ता.हि. थाना बगरू ने पुलिस दरियाफत पर बयान किया कि जीप सुधारने का काम करता हूं। मालू मीणा के कांटा के पास मैंने मालू से दुकान किराया की ले रखी है। आज रात 11–12 बजे तक मैं काम कर रहा था फिर खाना स्टेण्ड पर खाकर आया था मैं करीब दो बजें आया जब स्टेण्ड पर एक पुराना मिलेक्ट्री का शक्तिमान ट्रक खड़ा था जिस पर हूंड लगा हुआ था फिर मैं जाकर सो गया सुबह पता चला की नेशनल टायर की दुकान में चोरी हो गई कोई चोर ट्रक लगाकर दुकान के पूरे टायर व ट्यूबे ले गये दुकान के सामने ट्रक के टायरों के निशान है। जो मिलेक्ट्री की गाड़ी के टायरों के निशान है। हमें शक है कि जो गाड़ी स्टेण्ड पर थी वही गाड़ी वाले चोरी करके ले गये हैं।

(4) बयान हस्बदफा 161 जा.फौ. दि. 15.10.91 श्री नन्दलाल पुत्र श्रीलाल जाट उम्र 30 साल निवासी डोरीया थाना पचेवर जिला टोंक बसिलसिले तफ्तीश मु. न. 249/91 धारा 457, 380 ता. हि. थाना बगरू ने दरियाफ्त पर बयान किया कि हम पचेवर के रहने वाला हूं कल मैं रोडूराम दोनों रामकरण जाट सामोदिया वाला की कोटीतन बगरू से इंजन खरीदने आये थे हमने अनिल नाम का इंजन 4700 रुपये का खरीद कर करीब 4.30 बजे बगरू आ गये थे। बगरू स्टेण्ड से जाने के लिये कोई साधन नहीं मिला जब रात हो गई तो कांटे वाले मालू मीणा से हमने कहा रात को हम पास वाली खाली दुकान पर विश्राम कर लेते है तब उन्होंने कह दिया तब हम रात्री करीब 1/2 बजे चारपाई पर नींद आ गई करीब 2/2 1/2 बजे के लगभग हम सोये उस दुकान के शटर के पास एक ट्रक आकर रूका दुकान का शटर थोड़ा सा खुला था जिसमें हमने देखा हमने सोचा कोई ट्रक सामान उतारने व तुलने कांटे पर आया होगा एक आदमी के पांव हमें शटर के पास दिखाई दे रहे थे करीब 10–15 बाद ही वह ट्रक स्टार्ट होकर चला गया हम सो गये सुबह 6/6.30 बजे हम स्टेण्ड पर चाय पानी पीने चले गये वहां से वापस आया तो कांटे वाले ने बताया कि बराबर वाली टायरों की रात को दुकान का शटर का ताला तोड़कर कोई चोर टायर भरकर ट्रक से ले गये हमने ट्रक के पहिये वगैहरा नहीं देखें।

(5) बयान हस्ब दफा 161 जा.फौ. दिनांक 15.10.91 श्री रोडूराम पुत्र प्रहलाद जाट उम्र 40 साल निवासी डसेरी पचेवर थाना पचेवर जिला टोंक बसिलसिले

तफतीश मु.न. 249/91 धारा 457, 380 ता. हि. थाना बगरू ने पुलिस दरियाफत पर बयान किया कि हम पचेवर के रहने वाले है कल मैं व नन्दलाल जाट दोनों रामकरण फगोडिया जाट की कोठी को बगरू की तन में है उस पर इंजन खरीदने आये थे हमने अनिल नाम का इंजन 4700 रुपये में खरीदकर 4-30 बजे के करीब बगरू स्टेण्ड पर आ गये थे हमें जाने के लिये कोई साधन नहीं मिला जब रात हो गई तो हमने स्टेण्ड पर मालूराम मीणा को कहा रात को हम आपकीकांटे के पास वाली खाली दुकान में रात गुजार लेते हैं। तब उसने कह दिया तब हम दुकान में पड़ी चारपाई पर दोनों सो गये। हमें 1.1/2 बजे करीब नींद आ गई थी करीब 2.30 बजे के लगभग दुकान के शटर के पास एक ट्रक आकर रूका हमने सोचा कोई ट्रक कांटे पर-तुलने गया होगा या कोई माल उतारने आया होगा। मेरी आंख खुली थी मैंने बाहर की तरफ देखा तो दुकान जिसमें हम सों रहे थे। उसका शटर थोड़ा खुला था उसके नीचे से मुझे एक आदमी के पांव दिखाई दे रहे थे। करीबन 10-15 मिनट बाद वह ट्रक स्टार्ट होकर चला गया ट्रक का मुंह पश्चिम साईड में था सुबह करीब 6.30 बजे हम उठकर चाय पीने स्टेण्ड पर आ गये, वापस आये जब कांटे वाले ने बताया कि रात को शटर का ताला तोड़कर ट्रक में टायर भरकर चोरी करके ले गया ट्रक के न. वगैहरा कुछ नहीं देखा। आर.ओ.एन.डी.सी.

एस. डी.
राजेन्द्र त्यागी
उप निरीक्षक थानाधिकारी
थाना बगरू
दिनांक 15.10.91

परिशिष्ट "ग"

टंकन प्रतिलिपि अन्तिम परिणाम मु न. 249/91 दि. 15.10.91 अन्तिम परिणाम सं. 117/91 दिनांक 26.11 91 अदम पता थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

श्रीमान जी संक्षिप्त में हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दि. 15.10.91 को मुस्तगीस मालूराम मीणा पुत्र झूथाराम मीणा निवासी बगरू थाना बगरू जयपुर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशयकी पेश की कि मेरी टायर की दुकान पर आज रात्री की शटर का ताला तोड़कर कोई चोर मेरी दुकान में पड़े जीप के टायर ट्रैक्टर के अरूर तथा ट्यूब चोरी करके ले गये आदि रिपोर्ट पर मु.न. 249/91 धारा 457, 380 ता. हि. कायम कर तफ्तीश शुरू की गई। दौराने तफ्तीश घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका कसीद किया गया सम्बन्धित गवाहान के

बयानात 161 जा फौ. के अन्तर्गत लिये गये घटना स्थल पर सारकान द्वारा दुकान के सामने लाये गये ट्रक के टायरों के चिन्हों को मोल्ड कराया गया। सारकान द्वारा दुकान के सामने ट्रक लगाकर टायर भरकर ले जाना पाया गया मुलजिमान की पतारसी एन.एच.डब्लू–8 किशनगढ़, दूदू, चुंगी नाका, मांकरोटा ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर इलाका थाना सोड़ाला, विश्वकर्मा झोटवाड़ा में किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं चला इस प्रकार की वारदात अन्य कई थाना के कई इलाकों में भी हुई है मु. हाजा की पतारसी के काफी प्रयास किये गये-मगर कोई पतारसी नहीं चली सरेदस्त पतारसी के कोई उम्मीद नजर नही आती है। मुकदमा हाजा को दर्ज हुए काफी समय हो गया है। फिलहाल मुकदमा हाजा में श्रीमान सी. ओ. साहब दक्षिण से आदेश प्राप्त कर एफ.आर. न. 17 दि. 26.11.91 बसिगे अदम पता माल मुलजिमान में दी जाती है मुकदमा हाजा के माल मुलजिमान की पतारसी दीगर मुकदमा के साथ जारी रखी जावेगी। एफ.आर स्वीकृति हेतु पेश है।

आर.ओ.एन.डी.सी.

एस. डी.
राजेन्द्र त्यागी
एस. एच. ओ.
थाना बगरू
दि. 15.10.91

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–532 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

नकल एफ. आई. आर. नं. 150/98 धारा 147, 447, 323, 427 ता. हि. 3–1(5) एस.सी. एस.टी. एक्ट थाना फागी जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर

सेवा में श्री युक्त एस. एच. ओ. सा. थाना फागी विषय खातेदारी ख. न. 800/5 10 बीघा फसल को उथेल देने के सम्बन्ध में सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी ख. न. 800/5. 10 बीघा जमीन आनरोटा की ढाणी में जमीन है प्रार्थी ने उक्त ख न. कुछ दिनों पूर्व गवार व बाजरा कास्त किया था फसल उग आई थी मगर व्यक्तिगत रंजिश एवं मुझे परेशान करने की दृष्टि से आज दिनांक 5.7.98 की रात्रि को करीब 10–11 बजे प्रतिवादीगण बाबूलाल, सुवालाल पुत्र श्योनारायण जाट, मंगल सिंह पुत्र भुवर सिंह राजपूत, कजोड़ पुत्र मुल्या कुम्हार, रामकरण पुत्र रामनाथ खटीक सुखदेव पुत्र रामकरण खटीक बुद्धी पुत्र रामकरण खटीक सा., चांदमाकला रामपाल पुत्र हरनाथ जाट साकिन झरना मै टैक्टर दो के साथ टैक्टर न. पी. यू. एल. 3775 एवं एक बिना न. मैसी की जो बाबूलाल एवं सुवालाल के थे। मेरी उक्त ख. न. फसल को उथेल दी सब लोगों के हाथ में लाठिया थी जैसे ही हमें पता पड़ा तो हम गये तो हमने उनसे हाथ जोड़े की हमारी फसल को जिसमें हमने कास्त की है। क्यों बरबाद कर रहे हो हमारी बात नहीं मानी उलटे रामपाल, बाबूलाल, सुवालाल ने हमको चमार ढेड धानका नीच नालायक दलित गालियां निकाली तथा कहां कि इन चमारों को पेड़ के बांध दो तथा मारपीटाई की तब सब लोग एक राय होकर मुझे जमीन पर बुरी तरह घसीटा तथा लात घुस्सों से बुरी तरह पिटाई की हमारा रोना चिल्लाना सुनकर हकीम खां, पुत्र जमाल खां, अजीम खां पुत्र नसीर खां श्रीकृष्ण पुत्र गंगाराम बैरवा सलेमान पुत्र हलूफ खां साकिन आनरोटा ने बीच बचाव किया यदि ये लोग बीचे बचाव नहीं करते तो प्रतिवादीगण हमारे साथ कोई संगीन वारदात करके छोड़ूंगा अतः रिपोर्ट पेश है कानूनी कार्यवाहीं करने की पेश करे दिनांक 6.7.98 प्रार्थी एस. डी. बरधा पुत्र लादूराम बैरवा साकिन आनरोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री बरदाराम पुत्र लादूराम जाति बैरवा उम्र 55 साल नि. आनरोटा फागी ने हाजिर थाना होकर पेश की जो पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये मजरूब श्री बरदाराम बैरवा का नजरिये मुआयना किया गया तो शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। ना ही अपना मेडिकल मुआयना करना चाहता है। मजमून रिपोर्ट से अपराध

धारा 147, 447, 323, 427 ता. हि. 3–(5) एससी.एस.टी. एक्टअनु. जाति अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का घटित होना पाया जाता है। अतः अभि. सं. 150/98 धारा उपरोक्त में कायम कर असल एफ. आई. आर. वास्ते अनुसंधान श्री प्रदीप मोहन शर्मा आर. पी. एस. वृताधिकारी वृत दूद के पास भिजवाई गई प्रतियां नियमानुसार जारी की गई एक प्रति निःशुल्क मुस्त. को दी गई। एस. आर. जारी की गई।

प्रमाणित
पुलिस सहायक
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला जयपुर ग्रामीण
जयपुर

एस० डी०
एस० एस० ओ०
पी. एस. फागी दि. 6.7.98
एट 3 पी० एम०

———

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-534 की सूची)

क्र. सं.	वाहन का नाम	योग
1.	कार	1
2.	आईसर बस	3
3.	ट्रक	2
4.	टेम्पू	1
5.	जिप्सी	1
6.	वेक्सीन वाहन	2
7.	एम्बुलेंस	22
8.	स्कूटर	1
9.	मेटाडोर	7
10.	जीप	19
11.	स्टेण्डर्ड	3
12.	बैडफोर्ड	1
13.	फारगो	1
14.	डौज	1
15.	मोटर साइकिल	3
	कुल योग	68

चालू हालत में वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन नम्बर	मॉडल	वाहन चालक का नाम
1	2	3	4
1.	आर. एस. बी–200	एम्बेसडर कार	तुफेल मोहम्मद
2.	आर. जे. टी.–2921	एम्बुलेन्स	बाल मुकन्द

1	2	3	4
3.	आर. पी. ए.–3168	यथा	चैनाराम
4.	आर. जे. 22/ई 0165	यथा	रूपसिंह राव
5.	आर. जे. 14/ई 0078	यथा	मेघसिंह
6.	आर. जे. 14/ई 0084	यथा	कपूराराम
7.	आर. जे. 22/ई 122	यथा	सोहन लाल
8.	आर. पी. ए 6226	यथा	चेतनप्रकाश
9.	आर. जे. 14/ई 0077	यथा	भंवरसिंह
10.	आर. पी. ए. 5701	मेटाडोर	साबिर मोहम्मद
11.	आर. पी: ए. 2223	यथा	महादेव
12.	आर. पी. ए. 2921	जीप	स्वरूपसिंह
13.	आर. जे. 22/सी 1124	यथा	लक्ष्मण सिंह
14.	आर. जे. 22/सी 1126	यथा	रामाराम
15.	आर. पी. ए. 4293	यथा	राधाकिशन
16.	आर. पी. आई 1844	यथा	मोहम्मद साबिर
17.	आर. पी. ए. 8994	यथा	पारस
18.	आर. पी. ए. 7440	यथा	महेन्द्र सिंह
19.	आर. पी. ए. 2905	मेटाडोर	रूपसिंह
20.	एम. एच. पी. 43	यथा	किशनलाल
21.	आर. जे. 22/सी 1128	जीप	रतनसिंह
22.	आर. जे. 22/जी 0062	वेक्सीन वाहन	परमेश्वर
23.	आर. जे 22/सी 0174	यथा	मोहन राणा
24.	आर. जे. 22/ई 146	एम्बुलेन्स	शैतानसिंह
25.	आर. जे. 22/ई 147	यथा	मोहन लाल मीणा
26.	आर. जे. 22/ई 130	यथा	वर्घाराम
27.	आर. जे. 22/ई 149	यथा	जितेन्द्र सिंह
28.	आर. जे. 22/ई 132	यथा	राजू सिंह
29.	आर. जे. 22/ई 134	यथा	मदन लाल
30.	आर. जे. 22/ई 121	यथा	झुम्माराम

1	2	3	4
31.	आर. जे. 22/ई 145	यथा	सवाईसिंह
32.	पीबी 032-97-9921	आईसर बस	रामसिंह
33.	आर. जे. सी. 2119	अरमाडा	बाबूलाल काग
34.	आर. जे. 22/पी 256	आईसर बस	पदमाराम मीणा
35.	आर. जे. टी. 5134	जीप	भीमसिंह
36.	आर. जे. 22/सी 1079	जीप पिजांड	बाबूलाल सिन्दल
37.	आर. जे. 22-705	टैम्पो	संचालित
38.	आर. जे. 22-1233	जीप	दलपतसिंह
39.	आर. पी. सी. 946	मेटाडोर	भवानीसिंह/शंकरलाल/महेन्द्र दवे (24 घण्टे सेवाओं के कारण)

खराब/कण्डम योग्य वाहनों की सूची

क्र सं.	वाहन संख्या	मॉडल	दिनांक कब से खराब पड़ी है	कारण
1.	2	3	4	5
1.	आर. पी. ए. 4294	स्टेण्डर्ड	1993	मरम्मत के कारण
2.	आर. जे. 22/ई 135	एम्बूलेंस	मई 98	क्षतिग्रस्त होने के कारण
3.	आर. जे. 22/ई 148	यथा	सितम्बर 98	यथा
4.	एम. एच. वाई. 826	स्टेण्डर्ड	14.12.98	मरम्मत के कारण
5.	आर. पी. ए. 7475	जीप महेन्द्रा	4.8.96	क्षतिग्रस्त होने के कारण
6.	आर. जे. सी. 4475	एम्बुलेंस	6/97	मरम्मत के कारण
7.	आर. जे. 14/ई 0076	यथा	4.7.98	यथा
8.	आर. जे. 14/ई 0083	यथा	27.10.96	यथा
9	आर. जे. एम. 22-5914	मोटर साइकिल	6/96	यथा
10.	आर. पी. ए. 7417	जीप	अगस्त 97	मेजर रिपेयर के कारण कण्डम योग्य
11.	आर. पी. ए. 5747	मेटाडोर	12/90	यथा

1	2	3	4	5
12.	आर. जे. क्यू. 412	डोज	मई, 71	अत्यधिक पुरानी होने के कारण कण्डम योग्य
13.	आर. पी. ए. 313	मेटाडोर	2.1.90	दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कण्डम-योग्य
14.	एम. आर. बी. 697	फारगो	1987	मरम्मत होने के कारण कण्डम योग्य
15.	आर. जे. टी. 8785	पिकप महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	2.11.91	कण्डम योग्य
16.	आर. एस. एन. 1492	बुलट मोटर साइकिल	जून, 88	कण्डम योग्य
17.	आर. जे. टी. 2939	होण्डा मोटर साइकिल	9/85	मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण कण्डम योग्य
18.	एम. एम. बी. 540	महेन्द्रा जीप	2/94	यथा
19.	आर. पी. ए. 1034	स्टेण्डर्ड	2/81	सड़क दुर्घटना होने के कारण कण्डम योग्य
20.	आर. पी. ए. 1095	जीप	8/90	यथा
21.	आर. जे. टी. 1242	बेडफोर्ड	6/75	यथा
22.	आर. एस. एल. 4655	जीप	2/91	यथा
23.	आर. जे. 14/पी 3223	आईसर बस	6/98	आदेश क्रमांक 659 दिनांक 20.11.98 से कण्डम घोषित
24.	डी. एल. एच. 9871	ट्रक	29.6.91	यथा
25.	आर. पी. ए. 4898	यथा	22.5.92	यथा
26.	आर. पी. सी. 894	स्टेण्डर्ड एम्बुलेंस	10/98	अधिक उपयोग के कारण कण्डम योग्य
27.	आर. जे. टी. 3291	राजदूत स्कूटर	2/92	यथा
28.	आर. जे. यू. 367	जीप	5/85	यथा
29.	आर. पी. एक्स. 825	जिप्सी	8.5.95	दुर्घटना के कारण कण्डम योग्य

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–548 की सूची)

कोटा सम्भाग में जिलेवार रिक्त पदों का विवरण

जिला–कोटा

क्र.सं.	संस्था का नाम जहां पद रिक्त हैं	रिक्त पद का नाम व संख्या		कब से रिक्त हैं
1	2	3		4
1.	पशु चिकित्सालय, निम्बोदा हर्जी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	9/98
2.	,, ,, इटवा	,, ,,	1	10/98
3.	,, ,, रामगंजमण्डी	,, ,,	1	8/98
4.	,, ,, निमोला	,, ,,	1	7/97
5.	,, ,, दिगोद	पशु चिकित्सा सहायक	1	4/99
6.	,, ,, कनवास	,, ,,	1	4/99
7.	,, ,, सुकेत	,, ,,	1	4/97
8.	,, ,, मंडाना	पशुधन सहायक	1	3/99
9.	,, ,, अयाना	,, ,,	1	2/99
10.	सुरक्षा चौकी, कोटा	,, ,,	1	4/98
11.	पशु चिकित्सालय, मेता	सफाईकर्ता	1	9/98
12.	पशु चिकित्सालय, निम्बोदा हर्जी	सईस	1	9/98
13.	,, ,, मेता	सईस	1	9/98
14.	,, ,, मेता	जलधारी	1	9/98

जिला–झालावाड़

1.	पशु चिकित्सालय, इकलेरा	वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी	1	
2.	जिला रोग निदान इकाई, झालावाड़	वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी	1	
3.	पशु चिकित्सालय, कनवाड़ा	पशु चिकित्सालय अधिकारी	1	
4.	,, ,, धुधालिया	पशु चिकित्सा सहायक	1	
5.	,, ,, उन्हेल	,, ,,	1	

1	2	3	4
6	पशु चिकित्सालय, नागेश्वर	पशु चिकित्सा सहायक	1
7.	,, ,, कड़ोदिया	पशुधन सहायक	1
8.	,, ,, मिश्रोली	,, ,,	1
9.	,, ,, चौमेला	,, ,,	1
10.	,, ,, हमीरगढ़	,, ,,	1
11.	,, ,, जावर	,, ,,	1
12.	,, ,, श्रीमोही	,, ,,	1
13.	,, ,, बकानी	,, ,,	1
14.	पशु माता सुरक्षा चौकी, बकारी	,, ,,	2
15.	सतर्कता इकाई, डग	,, ,,	4
16.	पशु औषधालय, उन्हेल नागेश्वर	,, ,,	1
17.	उपकेन्द्र सराड़	,, ,,	1
18.	,, ,, भीलवाड़ी	,, ,,	1
19.	,, ,, महूबोरदा	,, ,,	1
20.	,, ,, माथानिया	,, ,,	1
21.	,, ,, नसीराबाद	,, ,,	1
22.	,, ,, लहांस	,, ,,	1
23.	,, ,, कुलपिया	,, ,,	1
24.	,, ,, पारकिया	,, ,,	1
25.	डी. डी. लैब	लैबटेक्निशियन	2
26.	डी. डी. लैब	लैब बॉय	2
27.	पशु चिकित्सालय, डग	सईस	2
28.	,, ,, खानपुर	जलधारी	2
29.	,, ,, सिरपोई	सफाईकर्ता	

जिला–बूंदी

1.	पशु चिकित्सालय, बड़ाखेड़ा	पशु चिकित्सा अधिकारी–	1
2.	,, ,, नैनवाँ	,, ,,	1
3.	,, ,, गंडोली	,, ,,	1

1	2	3	4
4.	पशु चिकित्सालय, जायथल	पशु चिकित्सा अधिकारी	1
5.	,, ,, गंडोली	पशु चिकित्सा सहायक	1
6.	,, ,, डाबी	,, ,,	1
7.	जिला रोग निदान, बून्दी	पशुधन सहायक	1
8.	पशु औषधालय, गरडंदा	,, ,,	1
9.	पशु चिकित्सालय, बोंसी	सईस	1
10.	,, ,, मनाना	पशु परिचारक	1 (अनुबन्ध)
11.	,, ,, अजेता	,, ,,	1 (अनुबन्ध)
12.	,, ,, जयथल	जलधारी	1
13.	,, ,, समीजी	,, ,,	1
14.	,, ,, देश्रीखेड़ा	,, ,,	1
15.	,, ,, इन्द्रगढ़	,, ,,	1
16.	,, ,, बड़ाखेड़ा	सफाईकर्ता	1 (अनुबन्ध पर)
17.	,, ,, समीजी	,, ,,	1 (,, ,,)
18.	,, ,, पाटन	,, ,,	1 4/99
19.	,, ,, गंडोली	,, ,,	1 4/99
20.	,, ,, गामच	,, ,,	1 (अनुबन्ध पर)
21.	,, ,, देश्रीखेड़ा	,, ,,	1 (,, ,,)

जिला–बारां

1.	पशु चिकित्सालय, बारां	वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी	1	9/98
2.	,, ,, छबड़ा	,, ,,	1	9/98
3.	,, ,, कोयला	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	11/98
4.	,, ,, केलवाड़ा	,, ,,	1	11/98
5.	,, ,, नाहरगढ़	,, ,,	1	2/99
6.	,, ,, फतेहपुर	,, ,,	1	12/98
7.	सतर्कता इकाई बारां	,, ,,	1	2/99
8.	पशु चिकित्सालय, कोयला	पशु चिकित्सा सहायक	1	2/99
9.	,, ,, किशनगंज	,, ,,	1	2/99

1	2	3		4
10.	पशु चिकित्सालय, जलवाड़ा	पशु चिकित्सा सहायक	1	12/98
11.	,, ,, सारथल	,, ,,	1	8/97
12.	पशु औषधालय, सकतपुर	,, ,,	1	3/95
13.	पशु चिकित्सालय, बड़वा	पशुधन सहायक	1	2/98
14.	,, ,, समरानिया	,, ,,	1	2/99
15.	,, ,, शाहबाद	,, ,,	2	2/99
16.	,, ,, नाहरगढ़	,, ,,	1	4/99
17.	,, ,, बामला	,, ,,	1	4/99
18.	,, ,, माथना	,, ,,	1	4/99
19.	,, ,, बड़ोरा	,, ,,	1	10/98
20.	,, ,, फतेहपुर	,, ,,	1	12/98
21.	सतर्कता इकाई बांरा	,, ,,	1	4/99
22.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खाजुरनाकलां	,, ,,	1	12/98
23.	,, ,, बजरंगगढ़	,, ,,	1	10/98
24.	,, ,, देवरी	,, ,,	1	2/96
25.	,, ,, बड़ा	,, ,,	1	3/95
26.	,, ,, कस्बाथाना	,, ,,	1	4/98
27.	,, ,, चरणना	,, ,,	1	4/98
28.	,, ,, राई	,, ,,	1	4/98
29.	पशु चिकित्सालय, बांरा	सईस	1	9/98
30.	,, ,, बड़ोरा	सईस	1	10/98
31.	,, ,, बनजारी	सईस	1	10/98
32.	,, ,, मंडोला	सईस	1	12/98
33.	,, ,, फतेहपुर	सईस	1	12/98
34.	उपकेन्द्र कस्बाथाना	सईस	1	4/98
35.	,, ,, चरणना	सईस	1	4/98
36.	,, ,, राई	सईस	1	4/98

1	2	3	4
37.	पशु चिकित्सालय, समरानियां	जलधारी	1 12/97
38.	" " शाहबाद	" "	1 2/99
39.	" " जलवाड़ा	" "	1 7/98
40.	" " जैपला	" "	1 8/98
41.	" " माथना	" "	1 10/98
42.	" " मंडोला	" "	1 12/98
43.	" " फतेहपुर	" "	1 12/98
44.	" " समरानिया	सफाईकर्ता	1(अनुबंध) 2/96
45.	" " बामला	" "	1(अनुबंध) 2/96
46.	" " जैपला	" "	1(अनुबंध) 2/96
47.	" " माथना	सफाईकर्ता	1(अनुबंध) 2/98
48.	" " बडोरा	सफाईकर्ता	1(अनुबंध) 12/96
49.	" " मंडोला	सफाईकर्ता	1 12/98
50.	" " फतेहपुर	सफाईकर्ता	1 12/98
51.	पशु औषधालय, ननावता	सफाईकर्ता	1 2/98
52.	उपकेन्द्र, बजरंगगढ़	सफाईकर्ता	1 10/98
53.	उपकेन्द्र, देवरी	सफाईकर्ता	1 2/96
54.	उपकेन्द्र, बड़ा	सफाईकर्ता	1 2/95
जिला–सवाई माधोपुर			
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकि. स.माधोपुर	वरिष्ठ पशु.चिकि.अधिकारी	1 2/99
2.	पशु चिकित्सालय, पीपल्दा	पशु चिकित्सा अधिकारी	1 10/98
3.	पशु चिकित्सालय, खीरणी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1 9/98
4.	पशु चिकित्सालय, बाटोदा	पशु चिकित्सा सहायक	1 1/99
5.	पशु चिकित्सालय, बालेर	सईस	1 9/98
6.	पशु चिकित्सालय, खीरणी	सईस	1 9/98
7.	पशु चिकित्सालय, बैंली	जलधारी	1 11/98
8.	पशु चिकित्सालय, बामनवास	जलधारी	1 5/98
9.	पशु चिकित्सालय, खीरणी	जलधारी	1 9/98
19.	पशु चिकित्सालय, खीरणी	सफाईकर्ता	1 9/98

1	2	3		4
जिला–करौली				
1.	पशु चिकित्सालय, मासलपुर	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1/98
2.	पशु चिकित्सालय, कैलादेवी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	98 से
3.	पशु चिकित्सालय, गुढ़ाचन्द्रजी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	6/97
4.	पशु चिकित्सालय, करसाई	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	6/97
5.	पशु चिकित्सालय, कोटडी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	10/97
6.	पशु चिकित्सालय, कैलादेवी	पशु चिकित्सा सहायक	1	3/99
7.	पशु औषधालय, महोली	पशु चिकित्सा सहायक	1	4/99
8.	पशु औषधालय, महोली	सईस	1	1/98
9.	पशु औषधालय, चैनपुर	सईस	1	98 से
10.	पशु चिकित्सालय, मंडरायल	जलधारी	1	1/98 से
11.	पशु चिकित्सालय, सपोटरा	जलधारी	1	1/98
12.	पशु चिकित्सालय, मुंडिया	जलधारी	1	1/95
13.	पशु चिकित्सालय, कैमला	जलधारी	1	12/98
14.	पशु चिकित्सालय, लांगरा	जलधारी	1	1998
15.	पशु चिकित्सालय, गढ़मोरा	जलधारी	1	1998
16.	पशु चिकित्सालय, महुईब्राहिमपुर	सफाईकर्ता	1	1998
17.	पशु चिकित्सालय, करणपुर	सफाईकर्ता	1	1998
18.	पशु औषधालय, जीरोंता	सफाईकर्ता	1	1998
19.	पशु औषधालय, चैनपुर	सफाईकर्ता	1	1998
20.	पशु औषधालय, निसूरा	सफाईकर्ता	1	1998

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–553 की प्रति)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक : एफ 6 (4) प्र. सु./अनु.3/97/ जयपुर, दिनांक 7.2.97

आज्ञा

प्रथम राज्य-वित्त आयोग की अनुशंषा पर जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु चयन करने के लिये राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य स्तरीय संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन निम्नांकित अनुसार करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं :—

राज्य स्तरीय समिति

पंचायत राज राज्य मंत्री	अध्यक्ष
विकास आयुक्त	सदस्य
जिला प्रमुख पाली एवं चित्तौड़गढ़	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
सचिव, शिक्षा	सदस्य
सचिव, विशिष्ट योजना एकीकृत ग्रामीण (20 सूत्री) विकास (कार्यक्रम)	सदस्य
निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य संचिव

संभाग स्तरीय समिति

संभाग के प्रभारी मंत्री (वरिष्ठम् मंत्री)	अध्यक्ष
संभागीय आयुक्त	सदस्य
जिला प्रमुख (पंचायत राज मंत्री द्वारा मनोनीत)	सदस्य
संभाग के समस्त जिला कलक्टर्स	सदस्य
निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य या मनोनीत प्रतिनिधि (सदस्य सचिव)

जिला स्तरीय समिति

जिले के 20 सूत्री समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष

जिला प्रमुख	सदस्य
जिला कलेक्टर्स	सदस्य
अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स (विकास)	सदस्य
प्रधान (जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत)	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद	सदस्य सचिव

परिशिष्ट–1

प्रोत्साहन योजना

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकुशलता निर्णय करने के निर्धारित मानदण्ड :–

1. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों व शक्तियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के लिये किये गये प्रयास
2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि का समय पर उपयोग तथा उनके अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति।
3. पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि का समय पर उपयोग।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा विशेषतः बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार हेतु किये गये प्रयास।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के प्रसार हेतु किये गये प्रयास।
6. परिवार कल्याण सम्बन्धी योजनाओं, मातृ–शिशु मृत्यु दर नियन्त्रण तथा ग्रामीण स्वच्छता व स्वास्थ्य हेतु किये गये प्रयास।
7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं ग्रामीण समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जरूरतमन्द व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयास।
8. स्थानीय निधि अंकेक्षण एवं महालेखाकार, राजस्थान के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना के लिये किये गये प्रयास।
9. अस्थाई अग्रिम व गबन के मामलों के निपटारे हेतु किये गये प्रयास एवं उपलब्धियां।
10. कार्य निष्पादन एवं पर्यवेक्षण में औचित्य तथा नियमों की पालना।
11. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की मजबूत भागीदारी व महिला सबलीकरण सुनिश्चित करने हेतु किये गये प्रयास।

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या– 555 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान वित्त निगम द्वारा जोधपुर सम्भाग में हेरीटेज होटलों को स्वीकृत ऋण का विवरण

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं./इकाई का नाम	ऋण स्वीकृत दिनांक	राशि	ऋण विवरण
1— होटल झामन्ढ़गढ़, जोधपुर	30-3-91	07.50	07.44
	7-11-92	02.56	02.56
	27-2-98	07.35	03.64
	11-9-98	12.00	03.08
2— होटल रोहितगढ़, ग्राम रोहित	30-11-94	22.11	17.19
3 — होटल फोर्ट धामली, पाली	29-10-97	13·50	07.97
4— केसर भवन पैलेस, मा. आबू	28-3-97	86.00	43.00

परिशिष्ट "ख"

पर्यटन विभाग द्वारा हेरीटेज होटलों को जोधपुर सम्भाग में दी गई सब्सीडी की सूचना

(राशि लाख रुपये)

अ— स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सीडी

क्र.सं./इकाई का नाम	सब्सीडी का भुगतान	भुगतान की तिथि
1— कासा राजपूताना रिसोर्ट, मा. आबू	17.15	28–1-1–98
2— नारायण निवास पैलेस, जैसलमेर	08.00	31–3–99
ब— डीजल जनरेटिंग सैट क्रय अनुदान		
1— अजीत भवन, जोधपुर	00.50	11–12–98

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–558 की सूची)

परिशिष्ट "क"

चूरू जिले के दर्शनीय स्थलों की सूची विभागीय साहित्य के अनुसार

1. किला चूरू
2. जैन मंदिर, चूरू
3. नगर श्री म्यूजियम, चूरू
4. ताल छापर (कोले हीरण) अभ्यारण
5. सालासर हनुमान जी मंदिर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या–560 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग सचिवालय

क्रमांक : प. (4) परि/90 जयपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.7.94 के अतिक्रमण में राज्य सरकार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लाल बत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करती है :—

1. राज्यपाल, राजस्थान
2. मुख्य मंत्री, राजस्थान
3. मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय
4. लोकायुक्त, राजस्थान
5. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा
6. मंत्रीमण्डल सदस्यगण राजस्थान
7. मुख्य सचेतक
8. माननीय नेता प्रतिपक्ष
9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
10. राज्य मंत्री/उपमंत्री, राजस्थान सरकार
11. माननीय उपाध्यक्ष
12. माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक
13. मुख्य सचिव, राजस्थान
14. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग
15. एडवोकेट जनरल
16. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान
17. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान

18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेन्ज

19. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

सरकार यह आदेश भी करती है कि चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और रेडक्रास के एम्बुलेन्स यान के सामने बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार यह आदेश और करती है कि गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयुक्त पुलिस और परिवहन विभाग के यान के सामने नीली बत्ती का उपयोग कर सकते हैं।

ऊपर जैसा आदिष्ट किया गया है उसके सिवाय कोई भी यान, यान के सामने लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
(गौतम मुखर्जी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या–562 की सूची)

परिशिष्ट–1

(1) पंचायत समिति, अरनोद नाम योजना–आश्वासित रोजगार योजना

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	उ.प्रा वि. चकुण्डा	चकुण्डा	1998-99	1.93	1.92	पूर्ण
2.	ग्रेवल रोडचुपना से लूपडी	चुपना	"	1.32	1.32	"
3.	ग्रेवल सड़क ओरी हनुमानजी तक	कोटडी	"	1.32	1.32	"
4.	ग्रेवल सड़क कांकरिया बावजी तक	साखथली	"	1.32	1.38	"
5.	प्रा.वि. सांगडो का खेड़ा	रायपुर जंगल	"	1.96	1.96	अपूर्ण
6.	शिक्षाकर्मी विद्यालय भाटखाली	अचलावदा	"	1.96	1.95	पूर्ण
7.	" " खराडी खेड़ा	सेवना	"	1.96	1.96	"
8.	आंगनबाडी केन्द्र, बेडमा	बेडमा	"	1.57	—	अपूर्ण
9.	" " रीछा	"	"	1.57	—	"
10.	" " छायशी	आम्बीरामा	"	1.57	—	"
11.	" " चिकट	लालगढ़	"	1.57	—	"
			योग:–	18.05	11.73	

(ब) वाटरशेड–(स्वीकृत वर्ष 97–98)

1.	वाटरशेड, भैसों की नाल	आम्बीरामा	1997-98	8.00	—	अपूर्ण
2.	" अचलपुरा	मोटाधामनिया	"	8.00	—	"

1	2		3	4	5	6	7
3.	वाटरशैड	केशरपुरा	उठेल	1997-98	6.40	2.27	अपूर्ण
4.	"	तालाबखेडा	रायपुर	,,	7.20	2.87	"
5.	"	हमीरपुर	कानगढ़	,,	8.00	4.13	"
6.	"	मानपुराकलां	"	"	5.60	2.34	"
7.	"	अरनोद-II	बेडमा	"	6.80	0.24	"
8.	"	आम्बीरामा	आम्बीरामा	"	8.00	—	"
9.	"	सरकोट	कानगढ़	"	8.00	—	"
				योग:–	66.00	11.85	

अति॰ कलेक्टर (विकास)
चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट-2

(2) पंचायत समिति, प्रतापगढ़ नाम योजना-आश्वासित रोजगार

क्र.सं.	नाम स्वीकृत कार्य	ग्राम पंचायत	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	(अ) प्रा. वि. खलेल	पाल	1998-99	1.01	0.40	अपूर्ण
2.	" कणजी का फला	नकोर	"	1.01	0.75	"
3.	" माताजी का फला	बारावरदा	"	1.01	0.75	"
4.	" पणिया फला	मेरियाखेडी	"	1.01	0.40	"
5.	" शम्भू फला	मेरियाखेडी	"	1.01	0.75	"
6.	" उषामाटा	नारायणखेडा	"	1.01	0.75	"
7.	" निनामा फला	जोलर	"	1.01	0.40	"
8.	" मानाबावजी का फला	पंडावा	"	1.01	0.75	"

1	2	3	4	5	6	7
9.	प्रा. वि. आमली फला	पंडावा	1998-99	1.01	0.75	अपूर्ण
10.	" हामाखोरा	केरवास	"	1.01	0.75	"
11.	" सेलाटांक	केररास	"	1.01	0.75	"
12.	" केसरपुरा	देवगढ़	"	1.01	0.75	"
13.	" सोहनी	देवगढ़	"	1.01	0.75	"
14.	" चिरवा	मथुरातालाब	"	1.01	0.40	"
15.	" जसवन्तपुरा	थडा	"	1.01	1.01	पूर्ण
16.	" सादडियों का फला	ग्यासपुर	"	1.01	0.40	अपूर्ण
17.	" देवपुरा	ग्यासपुर	"	1.01	—	"
18.	आंगनबाड़ी केन्द्र डावडा	डावड़ा	"	1.75	—	"
19.	इकोरेस्टोरेशन कार्य फुतली माता (जाखम)		"	2.40	—	"
			योग:–	22.15	10.51	

(ब) वाटरशैड (स्वीकृत वर्ष 1997–98)

1.	वाटरशैड, मंजेसरिया	कुलमीपुरा	1997-98	6.00	0.85	अपूर्ण
2.	" हिंगोरिया	लुहारियां	"	8.00	1.55	"
3.	" गोपालपुरा	सिद्धपुरा	"	4.11	0.06	"
4.	" बमोतर	अमलावद	"	6.00	1.90	"
5.	" सिद्धपुरा	सिद्धपुरा	"	6.56	4.58	"
6.	" चिकलाड	चिकलाड	"	7.53	3.96	"
			योग :–	40.20	12.91	

अति. कलेक्टर (विकास)
चित्तौड़गढ़